माला, खंड 34, अंक 25

सोमवार, 28 अप्रैल, 2008
8 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 18 Mar 2009

(खंड 34 में अंक 21 से 28 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिंदी संस्करण)

सोमवार, 28 अप्रैल, 2008, 8 वैशाख, 1930 (शक)

का

शुद्धिपत्र

दिनांक 28.04.2008 के अ.ता.प्र.सं. 4795 के लिए पाद टिप्पणी

---

* तदनन्तर दिनांक 15.12.2008 को सभा में दिए गए शुद्धि विवरण के माध्यम से उत्तर के भ (क) से (ग) तक में शुद्धि की गई।

तदनुसार, उत्तर में की गई शुद्धि इस प्रकार हैः

(क) से(ग): केरल राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य जलमार्गों के विकास के भाग के रूप में राज्य सरकार का बादागरा माहे नहर की खुदाई करने का प्रस्ताव है । इसी प्रकार से, राष्ट्रीय जलमार्ग - III के इष्टतम उपयोग के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय जलमार्गों की ओर जाने वाली पोषक नहरों के विकास का प्रस्ताव है । उपरोक्त उद्देश्य के आधार पर विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए गए और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के लिए 90:10 सीएसएस (केन्द्र प्रायोजित स्कीम) के अधीन सहायता मांगे जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई)/ भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए ।

हाल ही में, आईडब्ल्यूएआई ने सूचित किया है कि योजना आयोग द्वारा 1.4.07 से आईडब्ल्यूटी के लिए सीएसएस बंद कर दी गई है ।

केरल सरकार से आवश्यक सूचना के प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण वक्तव्य दिए जाने में विलंब हुआ ।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 34, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)

अंक 25, सोमवार, 28 अप्रैल, 2008/8 वैसाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
श्री हरिकोटा से भारत के पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पी एस एल वी – सी 9) द्वारा 10 सेटेलाइटों का सफल प्रक्षेपण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	14-26
* तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 484	14-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	27-401
तारांकित प्रश्न संख्या 482, 483 और 485 से 500	27-95
अतारांकित प्रश्न संख्या 4779 से 4954	95-401
सभा पटल पर रखे गए पत्र	402-407
राज्य सभा से संदेश	
और	
राज्य सभा यथापारित विधेयक	407
लोक लेखा समिति	
69वें से 71वां प्रतिवेदन	408
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
135वें से 139वां प्रतिवेदन	408
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ए.के. एंटनी	409
(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007–08) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	410
(तीन) भारत के पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पी एस एल वी – सी 9) द्वारा 10 सेटेलाईटों का सफल प्रक्षेपण	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	410-411
कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	412
नियम 377 के अधीन मामले	422
(एक) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन. एस. वी. चित्तन	422-423

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) ओ एन जी सी द्वारा तेल और गैस निकाले जाने के पश्चात् भूमि उसके असली मालिकों को वापस किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 423

(तीन) बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की घोषणा नेपाली भाषा में किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला 423-424

(चार) वैक्सिन मैन्यूफैक्चरिंग पाश्चर, इंस्टीट्यूट, कुन्नूर, बीसीजी वैक्सिन लेबोरेट्रीज, चेन्नै और सैन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, हिमाचल प्रदेश को बंद किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 424-425

(पांच) राजस्थान में भिवाड़ी—अलवर मार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 425

(छह) गुजरात के अमरेली और भावनगर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और लहसुन की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. के. ठुम्मर 425

(सात) मध्य प्रदेश में शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शाजापुर शहर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर बाईपास मार्ग और मक्सी रेलवे क्रासिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 426

(आठ) बड़े शहरों में उपचार के लिए यात्रा करने वाले सिकल सेल के रोगियों को रेल किराए में रियायत दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ 426-427

(नौ) राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एल पी जी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 427

(दस) राजस्थान के जिन किसानों की फसलें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई हैं, उन्हें आपदा राहत कोष से वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा 427-428

(ग्यारह) गुजरात के आनंद जिले के करमासद में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 428-429

(बारह) सहकारी बैंकों को धारा 80 पी. के अंतर्गत आयकर में राहत दिए जाने और सहकारी जमाराशि पर 80 सी के अंतर्गत छूट भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 429-430

(तेरह) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 (ञ) के अनुसार सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 430

(चौदह) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 431

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग संख्या 29 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रभूषण सिंह 431-432

(सोलह) विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से पुरस्कृत पुलिस अधिकारियों को यात्रा में रियायत और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 432

(सत्रह) पूरे देश में "मई दिवस" को सवैतनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 432-433

(अठारह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद 433

(उन्नीस) महाराष्ट्र में "लाखोड़ी" दाल के उत्पादन से प्रतिबन्ध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 433-434

(बीस) 1995 से चल रही पहली पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मकारों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास 434

वित्त विधेयक, 2008

श्री बिक्रम केशरी देव 435-440

श्री निखिल कुमार 440-443, 444-449

श्री भर्तृहरि महताब 449-457

श्री हरिन पाठक 457-463

श्री गुरूदास दासगुप्त 463-466

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 466-478

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" 478-482

श्री राम कृपाल यादव 482-490

श्री रेवती रमन सिंह 490-493

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 493-496

श्री के.सी. पल्लानी शामी 496-498

श्री नवीन जिन्दल 498-501

श्री हंसराज गं. अहीर 501-503

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 503-506

प्रो. एम. रामदास 506-510

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 510-511

श्री एस.के. खारवेनथन 511-515

श्री रामदास आठवले 515-517

श्री वरकला राधाकृष्णन 517-519

श्रीमती के. रानी 519-521

डा. के.एस. मनोज 521-523

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोथा 523-527

श्री हरिभाऊ राठौड़ 527-530

श्री हरिसिंह चावड़ा 530

श्री तूफानी सरोज 531-532

अनुबंध-I 533-538

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 533

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 534-538

अनुबंध-II 539-540

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 539-540

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 539-540

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 28 अप्रैल, 2008/8 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

श्री हरिकोटा से भारत के पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पी एस एल वी - सी 9) द्वारा 10 सेटेलाइटों का सफल प्रक्षेपण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो ने आज सुबह अपने प्रक्षेपण यान, पी एस एल वी – सी 9 के माध्यम से लगातार दस उपग्रहों को कक्ष में स्थापित करने में पुनः महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

मुझे यह ऐतिहासिक प्रक्षेपण प्रक्रिया जो विश्व में अपने आप में अकेला है, राष्ट्रीय प्रसारण पर सीधे देखने का सौभाग्य मिला तथा जिस सटीकता के साथ यह अभियान पूरा किया गया उससे मुझे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर अत्यधिक गौरव का अनुभव हुआ जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा।

अपनी सफलता में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए मुझे विश्वास है कि इसरो अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक उपग्रह उड़ान बाजार में प्रमुख कंपनी के रूप में उभरेगा।

माननीय सदस्यों, मुझे विश्वास है कि आप सभी इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों तथा कर्मचारियों के दल को बधाई देने में मेरा साथ देंगे जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 481

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, कल हमने प्रश्न उठाया था कि बालूजी ने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, मुझे आपका नोटिस मिला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या आप अपना स्थान लेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधानमंत्री ने भी अपने ऑफिस का दुरुपयोग किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा है कि इन मामलों पर इस प्रकार विचार नहीं किया जा सकता है जैसा कि आप करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप उचित प्रभाव दे सकते हैं। मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे बताया गया है कि कानूनी कार्यवाही लंबित है। अतएव, यह न्यायाधीन हो गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 481। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रश्न काल की कार्यवाही होने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ही तो उठे हैं। आप उनको क्यों ऊंगली दिखा रहे हैं? आप बैठ जाइए। कैसे डाक्टर हैं आप?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 481। श्री रामदास आठवले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मैं आपका आभारी हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप जीरो आवर में हमें बुलाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर, मुझे दुख है कि मैं नहीं बुला सकता हूं।

[हिन्दी]

आप जानते हैं कि दो–तीन दिन ही बाकी हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधान मंत्री द्वारा ऑफिस का दुरुपयोग किया गया, एक मंत्री द्वारा दुरुपयोग किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रापर नोटिस दे दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भोजपुरी के लिए हमने कहा है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस विषय में हमने कार्य स्थगन नोटिस दिया है प्रधानमंत्री के कार्यालय के संबंध में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसको हमने स्वीकार नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : प्रश्न सं. 481 ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं तहेदिल से सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि कृपया सभा को कार्य करने दें। यहां काफी महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय डा. राम लखन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : आज मैं सभा स्थगित नहीं करूंगा। चर्चा जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों चिंता करते हैं? मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? इसकी अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि आपको उचित नोटिस देना होगा। नियम की यह मांग है कि उचित नोटिस दी जाए। आप उचित नोटिस देने का कष्ट नहीं करते हैं तथा अन्य सदस्यों को विवश करना चाहते हैं। अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आप यहां खड़े हैं। यह नियम, मर्यादा तथा शिष्टता के खिलाफ है। आप इसे दिन–प्रतिदिन कर रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? आप जारी रहें। आज मैं कार्यवाही स्थगित नहीं करूंगा, मैं आपकी धमकी पर अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जारी रहें। कितनी देर तक आप बोलना जारी रखेंगे?

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : देश को देखने दें कि आप क्या कर रहे हैं। कृपया इसे होने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, वे भी मुझे देखेंगे। उन्होंने मुझे देखा भी है। यह स्थिति है। अध्यक्ष को इस सभा में न्यूनतम सम्मान भी नहीं मिला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में इसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों चिंता करते हैं? मुझे विश्वास है कि सभी इस पर ध्यान दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर चर्चा की जानी है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और वित्त विधेयक पर चर्चा की जानी है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि सभा सुचारु रूप से चले। मैं आपसे पुरजोर अनुरोध कर रहा हूं कि सभा को चलने दीजिए। यदि आपने नोटिस दी है तो मैं उन पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ कोई मोल–तोल न करें। मेरे साथ यह नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कई बार मैं सोचता हूं कि क्या हम यहां आने के लिए उपयुक्त हैं। मैं यही सोचता हूं। किस आधार पर लोग हमें यहां भेज रहे हैं? क्या सिर्फ चिल्लाने के लिए?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सबको स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या वे देश की सेवा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जिस प्रकार सभा चल रही है उस पर मैं अपनी नाराजगी व्यक्त करता हूं तथा इसकी पूरे तौर पर भर्त्सना करता हूं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ इस वजह से कि आपकी आवाज तेज है और आप ऊंची आवाज में बोल सकते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि यह विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जी नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे मंत्री का उत्तर पढ़ने दीजिए क्योंकि मैं आज इसे स्थगित करने नहीं जा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ सौदा नहीं कर सकते। मेरे साथ कोई लेन–देन नहीं हो सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा में सभी पक्षों से पुरजोर अपील करता हूं कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से पुरजोर अपील करता हूं। प्रश्नकाल बेहद महत्वपूर्ण है। पहले ही हम 13–14 मिनट गंवा चुके हैं। मैं कोई भी वादा नहीं करने जा रहा हूं। आप नियम जानते हैं। श्री रामदास आठवले ने प्रश्न पूछा है। माननीय कृषि मंत्री को उत्तर देना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन सदस्यों का नाम नोट करें जो नारे लगा रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आज आपका पहला प्रश्न है। यही जवाबदेही है!

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ड्राउट के बारे में क्वैश्चन है। यह क्वैश्चन ड्राउट अफैक्टेड एरिया के बारे में है। आपका पहला ही क्वैश्चन है और आप क्वैश्चन न पूछ कर यहां स्लोगन लगा रहे हैं। आपने सिर्फ दिखाने के लिए क्वैश्चन किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका सूखे से कोई मतलब नहीं है। मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ से उचित आचरण नहीं कर रहे हैं। मैंने गत शुक्रवार आपसे कहा था कि नियमों के अंतर्गत आप उचित नोटिस दें। आप सभी नियमों की परवाह नहीं करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह मुझे अब तक नहीं मिला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के निलंबन अथवा स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे मैं अस्वीकार करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, देखेंगे। तब भी आप जोर देकर करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि चिल्लाने से हो जाएगा। यह अच्छा नहीं है। हम अपील कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लोक सभा अध्यक्ष सदस्यगण से बार-बार अनुरोध कर रहे हैं। यदि कोई चीज अभी ग्राह्य नहीं है तो वह 12 बजे मध्याह्न में भी ग्राह्य नहीं होगी। मैंने कहा है कि मैं नियमानुसार चलूंगा। मैं बार-बार कह रहा हूं कि मैं किसी विषय से बच नहीं रहा हूं। किन्तु भारत की संसद से यह संस्कृति समाप्त होनी चाहिए कि कोई भी बीचों-बीच आ जाता है, सभा की कार्यवाही रोक देता है, समाचार पत्रों में प्रचार पाता है और ऐसा करना जारी रखता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में चिन्ता नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, "काम नहीं तनख्वाह नहीं।" कृपया इससे सहमत होइए। हमें इससे सहमत होना होगा। काम नहीं वेतन नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको एक हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमें सक्रिय सदस्यों की चिन्ता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य स्लोगन दे रहे हैं, उनका नाम नोट करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि उचित आचरण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी वाइस सुनकर लाइट भी बंद हो गयी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरकार का कुछ नहीं है, हमारा है। हमने बंद कराया। अफसोस के साथ इसे बंद कराया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : शर्मिन्दगी के कारण मैंने ऐसा किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए। सभी चिल्ला रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : आप कुछ तो देखिए, जो ऐसी बातें करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया चिंता न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। हमने मंत्री जी को बैठा दिया है, अब आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तेजित न हो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और कुछ दिखाया भी नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब सब बंद हो गया। आपको कोई देख नहीं रहा है। अब जाकर बैठ जाइए। आपका काम हो गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा आपने ले लिया, अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता, आप क्यों चिंता कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सूखे के बारे में प्रश्न पूछा गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. राम लखन सिंह को छोड़कर जिन्होंने मुख्य प्रश्न पूछा है, हमें श्री अविनाश राय खन्ना, श्री हरिभाऊ राठौड़, श्री जसवंत सिंह बिश्नोई, डा. विक्रम केशरी देव, श्री महावीर भगोड़ा से अनुपूरक प्रश्नों के लिए पहले ही अनुरोध प्राप्त हुए हैं क्योंकि इन्हें अपने राज्यों की चिन्ता है। अब आप सभा को काफी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश के लिए यह काफी दुःखद दिन है।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि यह डिसकस नहीं हो सकता है और आप मुझे बाध्य कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने नोटिस दिया होगा तो

[अनुवाद]

मैंने निश्चित रूप से आपके नोटिस पर विचार किया होता। यह मेरे पास सोमवार सुबह को ही आया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहुत हो गया। हमने लाइव टेलीकास्ट भी बंद करवा दिया है। आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। आप अब अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी फोटो नहीं आ रही है। मैं निश्चित रूप से यह चाहता हूं कि लोग उन सदस्यों के आचरण को देखें जो सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, चाहे वे सत्तापक्ष के हों अथवा विपक्ष के।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कभी नियम पढ़ा हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़े–लिखे आदमी हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ रूल्स भी होते हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रधान जी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको जांच का सामना करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या रूल्स में ज़ीरो ऑवर नाम से कुछ है? आप इतने पढ़े–लिखे आदमी हैं, बड़ी–बड़ी बातें करते हैं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे रिक्वैस्ट की थी कि आप हमें ज़ीरो ऑवर में इस ईशु को उठाने की इजाजत दीजिए। आप इजाजत देंगे या नहीं, यह हमें नहीं पता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने कुछ नहीं बोला।

[अनुवाद]

कृपया अध्यक्षपीठ का आदर करें। विगत शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाया गया था। मैंने कहा कि इस मुद्दे को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए प्रक्रिया है। कृपया उस प्रक्रिया का पालन करें। मैंने इसे शनिवार अथवा रविवार को नहीं देखा है। आज सोमवार है और अभी तक मैंने इसे नहीं देखा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम सुन रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन शनिवार और रविवार बीत गया है। मैं देखूंगा कि कोई प्रस्ताव आया है या नहीं और इसके बाद निर्णय लूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके बावजूद आप जबर्दस्ती इस विषय को उठाना चाहते हैं।

[अनुवाद]

नियमों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध आप अध्यक्ष को प्रस्ताव पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय को जीरो ऑवर में न उठाकर क्या क्वैश्चन आवर में उठायेंगे – क्या यह भी कोई बारगेन करने वाली बात है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात जारी रखें, मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, यह काफी दुःखद है कि हम सभा को चलने नहीं दे सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बजट सैशन भी चलने नहीं देंगे, तो हम क्या करें?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप समुचित प्रस्ताव नहीं देते हैं, तब तक मैं इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। शनिवार और रविवार को छुट्टी थी। आज सुबह आये हैं, तो आप सदन को चलने नहीं दे रहे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह घंटा पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रसारण पुनः शुरू कीजिए। लोगों को देखने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं पुनः अपने वामपंथी साथियों से अपील करता हूं कि कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं, कृपया प्रश्न काल को चलने दें। मुझे खेद है कि इस सदन में जानबूझकर व्यवधान कर का प्रयास किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इनके नाम भी नोट कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रश्न काल चलने दीजिए। यह एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसानों के बारे में और किसानों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। यह प्रश्न किसानों के मुद्दों से संबंधित है। मेरा मानना है कि एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है और मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित हैं। आप कई अनुपूरक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, हम लोग इस विषय को जीरो आवर में उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग जब उठाएंगे, अपनी ओर से उठाएंगे। आप लोग मेरी इजाजत तो मांगते नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई भी वादा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

मुझे रेसपेक्ट नहीं चाहिए, हाउस को रेसपेक्ट दीजिए, जनता को रेसपेक्ट दीजिए। मुझे अपनी इज्जत नहीं चाहिए। अभी इस पार्लियामेंट में जो चेयर पर बैठता है, उसकी इज्जत इस देश में नहीं है।

...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप इतने जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया अब प्रश्नकाल चलने दें।

पूर्वाह्न 11.37 बजे

(इस समय डा. राम लखन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सक्रिय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

अब प्रश्न संख्या 481 – श्री रामदास आठवले–उपस्थित नहीं। डा. राम लखन सिंह।

पूर्वाह्न 11.38 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

सूखा प्रभावित राज्य

+

***481. डा. राम लखन सिंह :**

श्री रामदास आठवले :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज की तारीख तक सूखे से राज्य-वार कितने जिले प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या सूखे के कारण किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने कोई योजना/कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007 (1.6.07 ये 30.9.07) के दौरान, समस्त देश में 892.2 मि.मी. की सामान्य औसत वर्षा की तुलना में 936.9 मि.मी. वर्षा हुई जिसका विचलन +5% था मध्य

प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने राज्यों के भागों में मुख्य रूप से कम वर्षा के कारण सूखा घोषित किया था, वह निम्न प्रकार है:–

मध्य प्रदेश	39 जिले
राजस्थान	12 जिले
उत्तर प्रदेश	9 जिले

यह संबंधित राज्य सरकारों का मुख्य दायित्व है कि वे सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करें। भारत सरकार राज्यों को वित्तीय और संभारतंत्रीय समर्थन देकर सहायता करती है। इस प्रकार के उपाय करने के लिए आपदा राहत कोष (सीआरएफ) में राज्यों को निधियों की आसान उपलब्धता रहती है। सीआरएफ में भारत सरकार और संबंधित राज्यों का 3:1 के अनुपात में अंशदान होता है। सीआरएफ का केन्द्रीय हिस्सा आमतौर पर दो अर्धवार्षिक किस्तों में निर्मुक्त होता है।

यदि स्थिति से निपटने के लिए सीआरएफ में निधियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है तो संबंधित राज्य द्वारा सरकार को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक है जिस पर किए गए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

वर्ष 2007–08 के सूखा के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एनसीसीएफ से 1883.81 करोड़ रु. की सहायता की मांग के लिए ज्ञापन दिया था जिस पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया था। इस पर अब एनसीसीएफ से सूखा राहत के लिए राज्यों के लिए सहायता की मात्रा से संबंधित निर्णय के लिए उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा विचार किया जाएगा।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से अभी तक सूखा राहत के लिए एनसीसीएफ से सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सूखे से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस सब्जेक्ट के डाक्टर हैं?

डा. राम लखन सिंह : मैं किस विषय का डाक्टर हूं, इसे अभी छोड़िए। मैं इस विषय का भी डाक्टर हूं।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर होकर इस तरह कैसे चिल्लाते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता है।

डा. राम लखन सिंह : महोदय, मैंने सूखे से संबंधित एक प्रश्न किया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आपने भी बार–बार कहा है।

महोदय, मध्य प्रदेश में 48 जिले हैं, जिनमें से जवाब में बताया गया है कि 39 जिले सूखे से पीड़ित हैं। वहां यह सूखा सिर्फ इस वर्ष नहीं पड़ा है, इनमें से कुछ जिले लगातार पिछले चार वर्षों से सूखे की चपेट में हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसमें मेरा संसदीय क्षेत्र भी आता है, लगातार सूखे के कारण जलस्तर नीचे चला गया है, तालाबों का पानी सूख गया है, नदियों में पानी नहीं रह गया है, जिसके कारण वहां से मनुष्य और जानवर, दोनों पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनके भोजन के लिए भूसा नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। कांग्रेस के माननीय सदस्य ने भी वहां का दौरा किया है और बार–बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007–08 के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की है। केन्द्र सरकार ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा था, एक समिति भी वहां दौरा करके आई है, और उसके बाद भी सरकार यह जवाब दे रही है कि एन सी सी एफ जो पैसा देने की मांग की गई है, उसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, वह समिति इस पर विचार करेगी। क्या आप जनता के साथ मजाक कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि यह उच्चस्तरीय समिति इस पर कब तक निर्णय करेगी और आप समय बताइए कि मध्य प्रदेश को कब तक पैसे दिए जाएंगे क्योंकि वहां गंभीर स्थिति बनी हुई है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, हमें आंध्र प्रदेश सरकार से संदेश प्राप्त हुआ है। मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की थी। मध्य प्रदेश सरकार की यह मांग है कि भारत सरकार एन सी सी एफ से 1,833 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। परम्परानुसार, हमें एक दल का गठन करना चाहिए। हमने दल का गठन करके स्थिति का आकलन करने के लिए भेज दिया है। दल की रिपोर्ट आ गई है।

अंत में, 29 अप्रैल, 2008 अर्थात् कल अंतर–मंत्रालयीय समिति की बैठक होगी और वे इस रिपोर्ट पर विचार करेंगे। इस समिति द्वारा विचार करने के बाद मेरी अध्यक्षता वाली एक उच्चप्राधिकार प्राप्त समिति इस पर अंतिम निर्णय लेगी और 7 या 8 मई, 2008 को अनन्तिम तौर पर एक बैठक बुलाई गई है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पैसा मिल जाएगा।

डा. राम लखन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि देश में बार–बार सूखे और बाढ़ की जो स्थिति पैदा होती है, उससे देश की स्थिति खराब हो जाती है। इससे निपटने के लिए सरकार ने

क्या योजना बनाई है। जिस तरह एनडीए सरकार के समय आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, आपने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है – कोई बात नहीं, लेकिन क्या आपने देश के कई हिस्से जो हर साल सूखे और बाढ़ की चपेट में आते हैं, उस स्थिति पर काबू पाने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे लोगों को पलायन की जरूरत न पड़े?

श्री शरद पवार : भारत सरकार अपने बजट में हर साल हर राज्य को कैलेमिटी रिलीफ के लिए पैसा प्रोवाइड करती है। उसके बाद यह जिम्मेदारी हर राज्य सरकार की होती है कि वह अपने यहां ऐसी परिस्थिति का सामना करे। यह बात सत्य है कि बुंदेलखंड की स्थिति कुछ अलग है। वहां के कुछ जिले उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ जिले मध्य प्रदेश में हैं। इसलिए भारत सरकार ने इनीशिएटिव लेते हुए एक टीम का गठन करके वहां भेजा। इन दोनों राज्यों से रिपोर्ट मिल गई है। इस पर हम फाइनल व्यू लेने वाले हैं। बुंदेलखंड का हिस्सा इन दोनों राज्यों में आता है। प्रेक्टिकली वहां हर साल या एक साल छोड़कर इस तरह की परिस्थिति पैदा होती है। उसके लिए अलग प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है और दीर्घकालीन योजना बनाकर वहां लागू करने की योजना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामदास आठवले बोलेंगे। चूंकि आपको कोई भ्रम नहीं है इसलिए मैं आपको एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए कैलेमिटी रिलीफ फंड से पैसा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने सन् 2007 के सूखे से निपटने के लिए 1883.81 करोड़ रुपए की मांग की थी। वह प्रस्ताव आपके पास सन् 2007 में ही आ गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। देश में जहां भी सूखा पड़ता है, कुछ समय के बाद उस राज्य को राहत मिलना अत्यंत आवश्यक है। शरद पवार जी एक स्ट्रांग मिनिस्टर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी राज्य से जब सूखे से राहत के लिए कोई प्रस्ताव यहां आता है तो वह पैसा जल्दी मिलना चाहिए। अब 2008 चल रहा है और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को पैसा नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में आप क्या करने वाले हैं, जिससे वहां की सरकार को जल्दी से जल्दी पैसा मिल सके?

श्री शरद पवार : मैंने सदन में पहले भी साफ किया है कि इस बारे में हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, कल ही इस संबंध में मीटिंग होने वाली है, जिसमें तय किया जाएगा कि उस पर कहां तक ध्यान देने की आवश्यकता है। उस मीटिंग के व्यूज पर अंतिम निर्णय लेने के लिए 8 मई को एक मीटिंग होगी। मुझे विश्वास है कि उसमें कोई फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना : अध्यक्ष महोदय, सूखे और बाढ़ की समस्या देश में कहीं न कहीं हर साल उत्पन्न होती रहती है। मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि राज्यों के पास कैलेमिटी फंड होता है और केन्द्र के पास नेशनल कैलेमिटी कंटीजेंसी फंड होता है। जब भी किसी राज्य से ऐसी रिक्वेस्ट आती है, तभी एक्शन लिया जाता है। इससे अकेले किसानों का ही मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है, यह मुद्दा पूरे राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगर फसल नहीं होगी तो देश के भंडारों में अनाज नहीं आएगा। क्या आप किसानों की इन्कम का इंश्योरेंस करने का विचार कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो बार–बार फंड्स के लिए रिक्वेस्ट आती रहेगी और यहां से पैसा जाता रहेगा, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं होगा। इसलिए किसानों की आमदनी का क्या इंश्योरेंस करने का सरकार का कोई इरादा है, अगर है तो वह कब तक हो जाएगा?

श्री शरद पवार : इंश्योरेंस की अलग से स्कीम है। देश में जिन राज्यों ने उसे स्वीकार किया है, वहां के किसान इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल होते हैं।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके ध्यान में आया है कि राजस्थान के 12 जिले सूखे से प्रभावित रहे हैं? क्या केन्द्रीय सरकार ने, आकलन के लिए यहां से कोई टीम भेजी है, अगर भेजी है तो उसका क्या असेसमेंट आया, उसमें कितना नुकसान बताया गया है, तथा उसके आधार पर केन्द्र सरकार का क्या कोई मदद करने का विचार है?

श्री शरद पवार : राजस्थान सरकार ने आज तक हमारे पास कोई प्रपोजल नहीं भेजा है। सीआरएफ में जो प्रॉविजन है, वह पैसा खर्च करने का उनका अधिकार है। सीआरएफ से ज्यादा पैसे की अगर आवश्यकता होती है तो हर स्टेट गवर्नमेंट ऐसी डिमांड केन्द्र सरकार के पास भेजती है। फिर हम टीम गठित करते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई मांग नहीं की है।

श्री नवीन जिन्दल : माननीय अध्यक्ष जी, सूखे से हर वर्ष हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सूखे से निपटने के लिए कोई दिशा–निर्देश दिये हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया है। वास्तव में, लगभग दो महीने पहले, प्राधिकरण ने कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की थी। कुछ निश्चित कार्यक्रम बनाया जाएगा और दीर्घकालीन समाधान सुझाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष जी, सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज सवाल आया है। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में, सूखे के कारण प्रतिवर्ष हजारों किसानों की दुर्दशा होती है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों में सूखा है और वहां से निर्धारित प्रपत्र पर इन्हें कोई भी मांग–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने संबंधित अधिकारियों का जरूर स्पष्ट निर्देश दें क्योंकि पहली बार दिनांक 6.12.2007 को 7 लाख 16 हजार करोड़ रुपए का अनुरोध पत्र भेजा गया था, दूसरा अनुरोध पत्र 2 लाख 799.46 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने के लिए था, वह भी सूखा राहत से संबंधित था और तीसरा, जो बीपीएल का गेहूं भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को मार्किट से गेहूं खरीदकर, किसानों की भुखमरी मिटाने के लिए देना पड़ा, उसके अंतर का पेमेंट करने के लिए 13.3.2008 को प्रांतीय सरकार इन्हें पत्र लिखा है, लेकिन इस संबंध में कोई भी कार्रवाही नहीं की गई है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सूखा राहत के बारे में किसी राज्य से कोई मांग–पत्र प्राप्त होता है तो केन्द्रीय टीम जाती है। इस संबंध में 22, 23 और 24 जनवरी, 2008 को, एक केन्द्रीय टीम, आपके ज्वाइंट–सैक्रेट्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश गई थी और उसने सारे तथ्यों का आकलन किया था। मांग–पत्र भेजने के बाद ही केन्द्र की टीम स्टेट में जाती है, इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह तथ्यहीन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जो सूखा–राहत बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के लिए मांगा गया है, उसका कब तक भुगतान किया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को सूखे से निजात मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अंतिम प्रश्न ठीक है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : उत्तर प्रदेश सरकार ने, किसी भी सूखे के लिए, हमारे पास प्रपोजल नहीं भेजा है। मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई एक लाख करोड़ रुपये, दो लाख करोड़ रुपये, 80 हजार करोड़ रुपये की मांग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेवलपमेंट के लिए की गई है। लेकिन स्पैसिफिक तौर पर कि इन जिलों में सूखा है, इसलिए आप टीम भेजकर, स्टडी कराकर, उन्हें राहत दीजिए, इस तरह का कोई प्रपोजल उन्होंने नहीं भेजा है। यह बात सच है कि बुंदेलखंड की स्थिति अलग है। इसलिए भारत सरकार ने इनीशिएटिव लेकर बुंदेलखंड टीम भेजी थी, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें कुछ कदम हम उठाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ब्रजेश पाठक जी, कृपया इस आदत को छोड़ दीजिए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

श्री विक्रम केशरी देव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। देश में काफी क्षेत्र सूखा–प्रवण क्षेत्र हैं। इसलिए, उन क्षेत्रों को सूखा–रहित बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों से सिंचाई विभाग और अन्य राजस्व विभागों को क्या कदम उठाने के सुझाव दिए हैं? विभिन्न राज्यों के राहत संबंधी नियम पुराने हैं तथा सरकारी अभिलेख ब्रिटिश काल के समय के हैं। सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इन पुराने हो चुके राहत नियमों को बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री शरद पवार : भारत सरकार ने पिछले वर्ष ही इस बात पर चर्चा की थी कि प्रभावित लोगों को क्या राहत दी जाए और प्रत्येक मद हेतु अद्यतन फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रत्येक राज्य को इसकी सूचना दे दी गई है। तथा इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

दीर्घकालीन समाधान के संबंध में डीपीएपी क्षेत्रों तथा स्थायी रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक पृथक कार्यक्रम है। पनधारा विकास कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम सुझाए गए हैं। ये सारे कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं। इन सभी के लिए विशेष बजटीय प्रावधान है। साथ ही, हाल ही में हमनें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। कोई भी इस कार्यक्रम और इस प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु समस्त श्रम का प्रयोग कर सकता है और राज्य निश्चित रूप से इसे प्राथमिकता दे सकते हैं।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हमने सूखे के बारे में प्रश्न उठाया था। मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इन्होंने सैंट्रल टीम हमारे यहां भेजी थी। सैंट्रल टीम की रिपोर्ट आ गई है। इस कारण कोरांओ, बारा, मेजा, करच्छना में लगभग 30 हजार हैक्टेयर जमीन पर गेहूं बोया नहीं जा सका था। सैंट्रल टीम ने आपको रिपोर्ट दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार आपको रिपोर्ट नहीं भेज रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट भेज रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ब्रजेश जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों यूपी सरकार के लिए बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के लिए कोशिश कर रही है। अगर इस तरह की अनर्गल बात सदन में होगी, तो सही बात नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रजेश पाठक, मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसा न करें। उन्हें प्रश्न पूछने और मंत्री को उत्तर देने का अधिकार है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, क्या मैं माननीय कृषि मंत्री से जान सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी है ..*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? क्या कोई यूपी का नाम नहीं ले सकता है?

...*(व्यवधान)*

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, सदन सत्य कहने के लिए है, अगर यूपी सरकार पर कोई अनर्गल आरोप लगाएगा, तो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप सरकार के मंत्री नहीं हैं, आप वहां जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम एक–एक रूल की कापी सबको भेजेंगे।

श्री रेवती रमन सिंह : मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा, संक्षिप्त और विशिष्ट प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट नहीं भेजी है, तो क्या कृषि मंत्री जी अपने स्तर से, केंद्रीय स्तर से मदद करेंगे, अगर नहीं, तो क्यों नहीं करेंगे?

श्री शरद पवार : महोदय, जैसा मैंने सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले डिक्लेयर किया कि नौ डिस्ट्रिक्ट में सूखे की परिस्थिति है। इसके साथ–साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने इन डिस्ट्रिक्ट्स में हम क्या करना चाहते हैं, इसका भी निर्णय लिया है और इस पर अमल करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। लेकिन जो अलग से ड्राउट के लिए डिमांड करते हैं कि इतने करोड़ रुपया भेजो, टीम भेजो, यह प्रपोजल उनकी तरफ से नहीं आया। फिर भी जहां तक बुंदेलखंड की परिस्थिति है, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट है कि बुंदेलखंड के कुछ जिले हैं, इसके साथ–साथ इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कोराल, मेजावाडा और करच्छना, यह जो एक तहसील है, जहां इस तरह की परिस्थिति है। यह सब देखने के लिए हमने एक टीम कांस्टीट्यूट की। उस टीम ने वहां विजिट किया और अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट पर हम फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं।

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदय, जहां भी ड्राउट लाइक सिचुएशन या ड्राउट होता है, हमारे देश में कहीं न कहीं होते रहते हैं। जब सीआरएफ और एनसीसीएफ का मामला आया, उस समय सरकार

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का यह कहना था कि हम सोशल मैकेनिज्म कर रहे हैं, ताकि आसानी हो। लेकिन यह देखा जाता है कि वहां पिछले मानसून में पिछले, अगस्त, सितम्बर में बारिश नहीं हुई, जिससे किसानों को परेशानी हुई। राज्य सरकार रिपोर्ट भेज रही है या नहीं भेज रही है, उसके आधार पर आप हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। एनसीसीएफ फंड, सीसीएफ का मामला राज्य सरकार के पास है। अगर इसी तरह एक साल बीत जाएगा, इससे किसानों को जो परेशानी और दिक्कत होती है, खासकर बुंदेलखंड में राजनीति हो रही है, लेकिन किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए वह मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अटका हुआ है, जिसके कारण लोग आत्महत्या करते हैं, उससे परेशानी होती है। एक साल होने जा रहा है और फिर मानसून सीजन आ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेकेनिज्म बनाया गया था, क्या उसे आप सुधारेंगे ताकि यह काम टाइम बाउंड हो, स्पीडी हो और तीन महीने में राहत कार्य शुरू हो, वरना सब बेमानी हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक संघीय प्रणाली वाला देश है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : महोदय इसीलिए सीआरएफ का प्रबंध किया गया है, जिसमें 3:1 का रेश्यो है। इसमें 3 अनुपात की फाइनेंशियल जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है, इतना फाइनेंस हम हर बजट में हर राज्य सरकार को प्रोवाइड करते हैं। यह इसीलिए प्रोवाइड करते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हो, तब रिपोर्ट आदि आने में, मदद करने में थोड़ा समय लगता है, तब राज्य सरकार इस राशि के आधार पर उस क्षेत्र में राहत कार्य शुरू कर सकती है।

जहां तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात है, इन तीनों राज्यों को, यानी वर्ष 2008–09 के लिए मध्य प्रदेश के लिए 277 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिए 481 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 322 करोड़ रुपये की राशि दी है। इसमें 75 परसेंट सैंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और इसे देने की हमारी तैयारी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 482 – श्री किन्जरपु येरननायडु – उपस्थित नहीं।

हमने राज्यों में सूखे या अन्य समस्याओं पर व्यापक चर्चा की है। सभा के सभी दलों के सहयोग के लिए मैं उनका आभारी हूं।

प्रश्न सं. 483 – श्री बालासोवरी वल्लभनेनी – उपस्थित नहीं। श्री जी. एम. सिद्दीश्वर – उपस्थित नहीं।

वर्षा जल संचयन

\+

***484. श्री नन्द कुमार साय :**

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से विभिन्न राज्यों में घट रहे भूजल स्तर के पुनर्भरण में वर्षा जल संचयन परियोजनाओं से सहायता मिली है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान विभिन्न चालू परियोजनाओं से अब तक एकत्रित आंकड़ों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को वर्षा जल को बर्बाद होने से किस प्रकार रोकने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) विवरण सभा–पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की अपनी प्रदर्शनात्मक स्कीम के तहत किए गए अध्ययनों तथा 2006–08 की अवधि के दौरान किए गए मापनों से पता चला कि कुछ क्षेत्रों में जल स्तर 0.25 से 12 मीटर के बीच अनुवर्ती वृद्धि के साथ परिस्रवण तालाबों, चैक बंधों, उप–सतही डाइको, पुनर्भरण शैफ्टों/कुओं और छत के वर्षा जल संचयन प्रणालियों जैसी विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में एक वर्ष में भूजल का पुनर्भरण 196 घन मीटर से 34.50 लाख घन मीटर के बीच हुआ।

वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाया देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मैनुअल और गाइड तैयार करना तथा इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करना।

(ii) भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना तैयार करना तथा इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करना।

(iii) 8वीं, 9वीं, 10वीं योजनाओं के दौरान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की प्रदर्शनात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन।

(iv) सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में उत्खनित कूपों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की स्कीम।

(v) सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी सरकारी भवनों में छत के वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना शुरू करने की सलाह दी है।

(vi) सरकार ने भूजल कानून के अधिनियमन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित किया है, जिसमें छत के वर्षा जल संचयन के लिए अनिवार्य प्रावधान है।

(vii) पर्यावरण (सुरक्षा), अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत गठित केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने राज्यों को उनके भवन उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन तथा ऐसे क्षेत्रों में भूजल के संरक्षण को भी बढ़ावा देने को शामिल करने के लिए आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है।

(viii) छत के वर्षा जल संचयन को अपनाने के लिए सीजीडब्ल्यूए ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपने अधिसूचित क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थाओं/स्कूलों, होटलों, औद्योगिक स्थापनाओं/फार्म हाउसों को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए हैं।

(ix) वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए देशव्यापी जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(x) सभी दावेदारों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन।

(xi) लोगों की भागीदारी के माध्यम से वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के अभिनव तरीके अपनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों/पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार और भूमिजल संवर्धन पुरस्कार स्थापित करना।

(xii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी स्कीम का कार्यन्वयन।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भूजल संग्रहण की चालू परियोजनाओं से एकत्रित किए गए आंकड़े प्रत्येक राज्यवार क्या हैं? माननीय मंत्री जी ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है, यह जानकारी पूरी आनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार कोई ऐसी योजना या आइडियल बिल बनाने पर विचार कर रही है और इसकी कॉपी प्रत्येक राज्य को उनका व्यू जानने के लिए भेज रही है? पंजाब और पूरे देश में जो जल स्तर लगातार नीचे आ रहा है, इसे रोकने के लिए क्या कोई ऐसी योजना बनाने के लिए आपने राज्य सरकारों को कोई पत्र या बिल भेजा है? क्या इस पर उनका कोई अभिमत आया है और इस आधार पर आप क्या योजना बना रहे हैं, बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : समय ज्यादा नहीं है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब सिर्फ आपको नहीं पूरे हाउस को बताएंगे।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़ : जनाब–ए–आला, सबसे पहले हमें यह मान लेना चाहिए कि यह सिंचाई और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम स्टेट्स को करना है। केंद्र सरकार इसमें मदालखत करती है कभी–कभी पॉलिसी के तौर पर या टेक्नीकल एडवाइज देने के तौर पर या डिमान्सट्रेटिव प्रोजेक्ट चलाने में, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी स्टेट की है। हम जो स्कीमें चलाते हैं उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास 15640 ऐसे वैल्स हैं, जिनको ऑब्जर्वेशन वैल्स कहते हैं। इनकी साल में बार–बार पहचान होती है कि उनमें पानी कितना है। जब मुख्तलिफ एरियाज में वाटर लेबल नीचे जाता है तब राज्य सरकारों को हम जानकारी देते हैं और उनको सूचित करने का काम करते हैं, उनको बताते हैं कि वाटर लेबल कहां गिर गया है। मेरे पास स्टेट वाइज पोजीशन है कि हमारे मुल्क में कहां–कहां वाटर लेबल गिर गया है। हमने स्टेट्स को बता दिया है कि आपके यहां वाटर लेबल गिर गया है और यहां से पानी नहीं निकालना चाहिए। लेकिन आपने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही है, हमने इसमें काम किया है और डिमांस्ट्रेशन के तौर पर स्टेट्स को बताया है कि ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करते हैं। हम इसके लिए टीम भेजते हैं। इसके साथ हमने काफी स्टेट्स को बताया कि रूफ टॉप पर कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ताकि पीने के लिए पानी मिल सके। ये डिमांस्ट्रेटिव स्कीम्स हैं, मसलन हमने काफी स्टेट्स में 413 स्कूलों में सिखाया है, डिमांस्ट्रेट किया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है।

उसके अलावा ग्राउंड वाटर को कैसे रीचार्ज किया जाएगा, इस बारे में भी बहुत सारे स्टेट्स के आंकड़े मेरे पास हैं। यह काम हम करते जायेंगे, लेकिन बुनियादी काम स्टेट्स को करना है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि हमने मॉडल बिल भी बनाये हैं – इसके लिए सारे प्रांतों में कानून बनना चाहिए और इसे बहुत सारे प्रांतों ने मान लिया है।

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب عالی، سب سے پہلے ہمیں یہ مان لینا چاہئے کہ یہ سینچائی اور رین واٹر ہارویسٹنگ کا کام اسٹیٹس کو کرنا ہے۔ مرکزی سرکار اس میں مداخلت کرتی ہے۔ کبھی کبھی پالیسی کے طور پر یا ٹیکنیکل ایڈوائس دینے کے طور پر یا ڈیمونسٹریٹیو پروجیکٹ چلانے میں، لیکن بنیادی ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے۔ ہم جو اسکیمیں چلاتے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 15640 ایسے ویلس ہیں، جن کو آبزرویشن ویلس کہتے ہیں۔ ان کی سال میں بار بار پہچان ہوتی ہے کہ ان میں پانی کتنا ہے۔ جب مختلف ایریاز میں واٹر لیول نیچے جاتا ہے تب راجیہ سرکاروں کو ہم جانکاری دیتے ہیں اور ان کو مطلع کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ واٹر لیول کہاں گر گیا ہے۔ میرے پاس اسٹیٹ وائز پوزیشن ہے کہ ہمارے ملک میں کہاں کہاں واٹر لیول نیچے گر گیا ہے۔ ہم نے اسٹیٹس کو بتا دیا ہے کہ آپ کے یہاں واٹر لیول گر گیا ہے اور یہاں سے پانی نہیں نکالنا چاہئے۔ لیکن آپ نے جو رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کہی ہے، ہم نے اس میں کام کیا ہے، اور ڈیمونسٹریشن کے طور پر اسٹیٹس کو بتایا ہے کہ گراؤنڈ واٹر کو کیسے ریچارج کرتے ہیں۔ ہم اس کے لئے ٹیم بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے کافی اسٹیٹس کو بتایا کہ روف ٹاپ پر کیسے رین واٹر ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ پینے کے لئے پانی مل سکے۔ یہ ڈیمانسٹریٹیو اسکیمس ہیں، جیسے ہم نے کافی اسٹیٹس میں 413 اسکولوں میں سکھایا ہے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ رین واٹر ہارویسٹنگ کیسے ہو سکتی ہے۔

اس کے علاوہ گراؤنڈ واٹر کو کیسے ریچارج کیا جائے گا، اس بارے میں بھی بہت ساری اسٹیٹس کے آنکڑے میرے پاس ہیں۔ یہ کام ہم کرتے جائیں گے، لیکن بنیادی کام اسٹیٹس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماڈل بھی بنائے ہیں۔ اس کے لئے سارے صوبوں میں قانون بننا چاہئے اور اسے بہت سارے صوبوں نے مان لیا ہے۔

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

स्पीड पोस्ट गोल्ड सेवा

*482. **श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आरंभ की गई स्पीड पोस्ट गोल्ड सेवा सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेवा का विस्तार संपूर्ण देश में करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरे देश में इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) स्पीड पोस्ट गोल्ड सेवा अधिसूचित सेवा नहीं है। इसे बाजार मांग का आकलन करने के लिए परीक्षण के आधार पर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नै, हैदराबाद और बैंगलूर में शुरू किया गया है। चूंकि परीक्षण का परिणाम अच्छा नहीं रहा और सेवा को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया, अतः 30 अप्रैल, 2008 से इस परीक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

*483. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त है; और

(घ) वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जी नहीं। कुल खाद्यान्न उत्पादन जो कि 2004-05 में 198.36 मिलियन टन था 2005-06 में 208.60 मिलियन टन तथा 2006-07 में पुनः 217.28 मिलियन टन तक बढ़ गया। 2007-08 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 227.32 मिलियन टन (22.4.2008 को जारी किए तीसरे अग्रिम अनुमान) अनुमानित है। 2004-05 से 2007-08 वर्षों के दौरान फसलवार विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं:

फसल	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
चावल	83.13	91.79	93.35	95.68
गेहूं	68.64	69.35	75.81	76.78
मोटे अनाज	33.46	34.06	33.92	39.67
दालें	13.13	13.38	14.20	15.19
कुल खाद्यान्न	198.36	208.60	217.28	227.32

* 22.4.2008 को जारी किए तीसरे अग्रिम अनुमान

वर्ष 2007-08 के दौरान देश में कुल खाद्यानों का उत्पादन, वर्ष के दौरान प्रक्षेपित मांग 214.02 मिलियन टन से लगभग 13 मिलियन टन अधिक 227.32 मिलियन टन पर अनुमानित है।

(घ) चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रबी 2007-08 से देश में एक केन्द्रीय द्वारा प्रायोजित स्कीम "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" प्रारम्भ की गयी है। इसका उद्देश्य लक्षित जिलों में क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से 11 वीं योजना अर्थात 2011-12 की समाप्ति तक चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को कृषि तथा संबंद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय विकास योजना प्रारम्भ की गई है।

[हिन्दी]

नए भर्ती केंद्र खोलना

*485. **श्री देविदास पिंगले :**

श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार रक्षा सेनाओं में अधिकारियों की कितनी कमी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पूरे देश में राज्यवार और वर्षवार कितने रक्षा कार्मिकों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में रक्षा कार्मिकों के लिए नए भर्ती केंद्र खोलने का है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) आज की तारीख में सेना, नौसेना तथा वायुसेना में क्रमशः 11, 153, 1423 तथा 1372 अफसरों की कमी है।

(ख) रक्षा सेनाओं में अफसरों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर होती है इसलिए राज्यवार कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अफसरों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है। इसी अवधि के दौरान जितने अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक भर्ती किए गए उनकी संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अफसरों की संख्या

	2005	2006	2007	2008 (मार्च तक)
सेना	2165	2221	2088	677
नौसेना	400	306	474	173
वायुसेना	544	463	485	191
कुल	3109	2990	3047	1041

विवरण-II

सेना, नौसेना तथा वायुसेना में अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती सूची

क्रम संख्या	राज्य और संघ शासित प्रदेश का नाम	#सेना			नौसेना				वायुसेना			
		2004–05	2005–06	2006–07	2005	2006	2007	2008 (मार्च तक)	2005	2006	2007	2008 (मार्च तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	असम	1160	557	464	54	37	66	53	74	82	57	18
2.	आंध्र प्रदेश	3525	1586	1196	241	271	65	81	419	483	310	104
3.	अरुणाचल प्रदेश	79	43	20	0	0	01	0	0	0	0	0
4.	बिहार	3134	2582	1628	376	323	391	120	1470	1978	1205	305
5.	छत्तीसगढ़	643	335	266	10	07	15	01	127	07	05	01
6	दिल्ली	1031	547	476	38	15	04	0	41	86	60	12
7.	गुजरात	1773	510	755	05	02	02	07	181	121	50	16
8.	गोवा	03	04	11	01	02	02	01	0	08	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1846	818	623	124	105	28	55	97	170	53	12
10.	हरियाणा	2521	1119	718	293	305	207	129	889	787	611	191
11.	झारखंड	1168	629	474	27	27	30	24	150	289	184	58
12.	जम्मू–कश्मीर	2359	1187	850	61	112	39	47	109	206	50	09
13.	कर्नाटक	2026	950	760	28	18	19	0	140	97	48	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	केरल	1645	848	698	87	41	93	155	490	153	248	66
15.	मध्य प्रदेश	3223	1125	1042	36	36	38	32	144	50	118	20
16.	महाराष्ट्र	4932	1930	2138	55	54	23	16	143	99	37	18
17.	मणिपुर	210	163	115	45	24	37	18	99	75	69	08
18.	मेघालय	87	53	34	02	0	03	03	01	05	01	03
19.	मिजोरम	145	114	108	04	07	06	02	02	12	01	0
20.	नागालैंड	415	206	189	10	10	13	14	02	10	0	0
21.	उड़ीसा	1647	862	753	190	128	73	71	104	219	154	25
22.	पंजाब	5380	2274	1533	97	66	25	18	222	415	93	42
23.	राजस्थान	4630	2025	1522	270	205	147	113	756	876	636	335
24.	सिक्किम	05	08	10	09	11	13	05	23	0	02	02
25.	तमिलनाडु	3120	1149	980	22	34	16	08	156	42	11	03
26.	त्रिपुरा	128	64	30	02	02	0	01	43	05	32	0
27.	उत्तर प्रदेश	9801	3640	3391	543	573	404	204	774	1739	1264	476
28.	उत्तराखंड	2049	1022	1196	78	72	70	67	371	370	73	23
29.	पश्चिम बंगाल	3102	1275	969	148	109	27	28	85	139	107	30
30.	पांडिचेरी	03	15	01	0	0	0	0	01	24	04	0
31.	अंडमान एवं निकोबार	0	33	28	10	06	14	0	16	34	03	0
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	चंडीगढ़	02	0	0	0	05	0	0	06	32	15	01
	कुल	61792	27688	22978	2766	2607	1871	1273	7135	8613	5501	1796

सेना में भर्ती वित्तीय वर्ष के आधार पर जबकि नौसेना तथा वायुसेना में कैलेंडर वर्ष के आधार पर होती है। वर्ष 2007–08 के लिए सेना में भर्ती आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे है।

[अनुवाद]

समेकित मात्स्यिकी परियोजना

***486. एडवोकेट सुरेश कुरूप :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मात्स्यिकी के विकास के लिए समेकित मात्सियकी परियोजना, कोचीन के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2008–09 के दौरान देश में मात्स्यिकी क्षेत्र को इससे किस प्रकार का और कितना लाभ होगा;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश में मात्स्यिकी के विकास और विस्तार के लिए दिए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों से उक्त ऋण में भागीदार बनने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में मात्स्यिकी विकास के लिए समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:–

(1) मछली की विभिन्न किस्मों से प्रसंस्करण तथा उत्पाद विविधीकरण के जरिए मूल्यवर्द्धित उत्पादों का विकास।

(2) प्रौद्योगिकी का विकास तथा उसका ग्रामीण मछुआरा समुदाय, लघु उद्योगों तथा निर्यात प्रसंस्करण घरानों को स्थानान्तरण।

(3) पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी, रेफ्रिजरेशन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रसंस्करण में मूल्यवर्द्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना।

(4) परामर्श प्रदान करना तथा विशिष्ट उत्पादों में जॉब कार्यों को शुरू करना।

(5) मूल्यवर्द्धित मत्स्य उत्पादों को प्रचारित करना और उनका परीक्षण विपणन करना।

(ख) देश में वर्ष 2008–09 में इन कार्यक्रमों से मात्स्यिकी क्षेत्र को होने वाले लाभ इस प्रकार हैं:–

* मछली की विभिन्न किस्मों के प्रसंस्करण द्वारा 100 टन मूल्य के मूल्यवर्द्धित उत्पादों का उत्पादन,
* विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए लगभग 500 प्रशिक्षु/लाभार्थियों (8000 प्रशिक्षु दिवस) को प्रशिक्षण देकर पोस्ट हार्वेस्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास,
* नए उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के विकास के लिए अनुकूल अनुसंधान परियोजनाओं के जरिए प्रसंस्करण उद्योग को लाभ, और
* प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्द्धन, रेफ्रिजरेशन प्रौद्योगिकी तथा पोस्ट हार्वेटस्ट बुनियादी ढांचा विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण एवं दक्षता उन्नयन।

(ग) भारत सरकार ने देश में मात्स्यिकी के विकास एवं विस्तार के लिए कोई ऋण प्रदान नहीं किया है। ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, नाबार्ड आदि द्वारा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाओं का उपयोग

***487. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :**

डा. चिन्ता मोहन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में सिचाई सुविधाओं/क्षमता की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सुविधाओं/क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (घ) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गई विभिन्न बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 31 मार्च, 2007 तक लगभग 102.7 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की सूचना दी गई है, जिसमें से लगभग 87.2 मिलियन हेक्टेयर के प्रयुक्त होने की सूचना है। सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतर मुख्यतः खेत चैनलों के पूरा न होने तथा खेत संबंधी विकास कार्य की कमी जिसकी वजह से नहर नेटवर्क में उपलब्ध जल का अकुशल उपयोग होता है तथा खराब प्रचालन और रखरखाव के कारण होता है।

सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सीएडी) 1974 में शुरू किया गया था और बाद में 2004 में इसे कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम) कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयोगकर्ताओं के बारे में सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) तथा क्षमता निर्माण पर पर्याप्त बल दिया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय ने सृजित सिंचाई क्षमता और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के बीच अंतर के कारणों का पता लगाने तथा अंतर कम करने संबंधी उपायों की पहचान करने की दृष्टि से भारतीय प्रबंधन

संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद, आईआईएम, बंगलौर, आईआईएम, कलकत्ता और आईआईएम, लखनऊ के माध्यम से भी अध्ययन शुरू किया है।

विवरण

वर्ष 2006–07 के अंत तक राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) तथा प्रयुक्त सिंचाई क्षमता (आईपीयू)

(हजार हैक्टे. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	आईपीसी	आईपीयू
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	6864.64	6204.80
2	अरुणाचल प्रदेश	119.08	92.88
3	असम	948.38	738.81
4	बिहार	7717.78	5689.51
5	छत्तीसगढ़	2503.61	1835.86
6	गोवा	62.16	46.90
7	गुजरात	4241.92	3708.85
8	हरियाणा	3829.03	3493.19
9	हिमाचल प्रदेश	186.54	155.26
10	झारखंड	1057.86	864.62
11	जम्मू एवं कश्मीर	1794.64	1730.69
12	कर्नाटक	2807.61	2485.54
13	केरल	3388.60	2966.31
14	मध्य प्रदेश	2052.52	1331.08
15	महाराष्ट्र	6799.75	5161.21
16	मणिपुर	197.24	159.69
17	मेघालय	61.76	55.94
18	मिजोरम	18.08	15.23
19	नागालैंड	94.17	79.57
20	उड़ीसा	3626.67	3368.00
21	पंजाब	6034.75	5898.22
22	राजस्थान	5358.25	4990.04
23	सिक्किम	33.43	26.62
24	तमिलनाडु	3695.54	3685.32
25	त्रिपुरा	158.68	133.82
26	उत्तर प्रदेश	32357.78	25787.24
27	उत्तरांचल	806.19	604.73
28	पश्चिम बंगाल	5823.46	4890.38

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि

*488. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008–09 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा मं वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में निवेश करने के लिए अब तक कुल कितने विदेशी निवेशक आगे आए हैं; और

(घ) प्रस्तावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में कितना सुधार होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 2004 से मार्च, 2008 तक की अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में 145 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पूंजी और प्रौद्योगिकी का आगमन होता है जो कि दूरसंचार उद्योग की गुणवत्तात्मक और परिमाणात्मक संवृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

आयातित गेहूं का आबंटन

***489. डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को वितरण हेतु राज्यों को राज्यवार और श्रेणीवार पृथक–पृथक कितने आयातित और स्वदेशी खाद्यान्नों का आबंटन किया गया; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त लाभार्थियों को प्रति परिवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयातित और स्वदेशी खाद्यान्न प्रदान किया गया?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सर्वाजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नो का आबंटन करती है। 2007–08 के दौरान चावल का कोई आयात नहीं किया गया था और चावल की आबंटित समस्त मात्रा घरेलू चावल की ही थी। 2007–08 के दौरान, गेहूं की कुछ मात्रा का आयात किया गया था। तथापि, समस्त गेहूं, चाहे स्वदेश में खरीदा गया हो अथवा आयात किया गया हो, केन्द्रीय पूल का स्टाक होता है। इस स्टॉक में से घरेलू और आयातित गेहूं के बीच बिना कोई भेद–भाव किए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर गेहूं का आबंटन किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियेां के लिए 2007–08 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए चावल और गेहूं के आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार योजना आयोग के 1993–94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए और राशन कार्ड जारी किए गए परिवारों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न येाजना के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्याानों का आबंटन केन्द्रीय पूल में इनकी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:–

(रुपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	अंत्योदय अन्न योजना
गेहूं	610	415	200
चावल	830	565	300

चूंकि आवंटन करते समय स्वदेशी और आयातित गेहूं के बीच कोई भेद नहीं होता है इसलिए इनके केन्द्रीय निर्गम मूल्य एक ही हैं।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2007–08 में खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन

(हजार टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	अंत्योदय अन्न योजना	जोड़
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	1,052	2,178	654	3,885
2	अरुणाचल प्रदेश	26	62	16	104
3	असम	475	575	295	1,346
4	बिहार	1,720	28	1,020	2,768
5	छत्तीसगढ़	473	51	302	825
6	दिल्ली	126	576	46	748
7	गोवा	5	21	6	32
8	गुजरात	524	273	332	1,130
9	हरियाणा	209	121	123	452
10	हिमाचल प्रदेश	133	262	83	477
11	जम्मू व कश्मीर	202	515	107	824
12	झारखंड	653	52	352	1,058
13	कर्नाटक	770	1,373	504	2,647
14	केरल	402	532	250	1,185
15	मध्य प्रदेश	1,029	126	653	1,807
16	महाराष्ट्र	1,683	176	1,022	2,881
17	मणिपुर	47	38	23	108
18	मेघालय	47	64	29	140
19	मिजोरम	18	56	11	85

1	2	3	4	5	6
20	नागालैंड	32	79	20	131
21	उड़ीसा	1,166	203	531	1,900
22	पंजाब	131	83	65	280
23	राजस्थान	593	291	391	1,275
24	सिक्किम	11	28	7	46
25	तमिलनाडु	1,259	2,806	783	4,848
26	त्रिपुरा	78	139	46	263
27	उत्तर प्रदेश	2,766	66	1,719	4,551
28	उत्तराखंड	146	132	64	342
29	पश्चिम बंगाल	1,554	848	622	3,023
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5	22	2	29
31	चण्डीगढ़	3	0	1	4
32	दादरा व नगर हवेली	5	5	2	12
33	दमन व दीव	1	1	1	3
34	लक्षद्वीप	1	4	0	5
35	पांडिचेरी	22	31	14	66
	जोड़	17,365	11,816	10,097	39,278

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य में कटौती

***490. श्री जे. एम. आरुन रशीद :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान खुले बाजार में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्नों के तुलनात्मक मूल्य के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आबंटित किए जाने वाले खाद्यानों के मूल्य में कटौती करने का है ताकि ऐसे परिवार ये खाद्यान्न खरीदने में समर्थ हो सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार द्वारा खाद्यान्नों के खुले बाजार मूल्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ गरीबों तक पहुंचे, गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य जुलाई, 2002 से अपरिवर्तित रखे गये हैं। हालांकि गेहूं और चावल के खुले बाजार मूल्य पिछले 6 वर्षों में बढ़े हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित रूप से संशोधन करने, भंडारण और दुलाई लागतों मे वृद्धि होने और ब्याज दरों में वृद्धि होने तथा प्राइवेट व्यापारियों द्वारा संभावित सट्टेबाजी किए जाने जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कम ब्याज दर पर कृषि ऋण

***491. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों के संघ ने सरकार से चार प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण प्रदान करने तथा इसके साथ ही योजना निधियों में कृषि परिव्यय को दुगुना करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण और कृषि परिव्यय से संबंधित ब्यौरा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय किसान एसोसियेशन परिसंघ ने सरकार से सभी कृषि ऋणों पर 4 प्रतिशत तक ब्याज दर कम करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 10 लाख करोड़ रूपये की कुल ऋण आवश्यकता का आकलन किया है। भारतीय किसान एसोसियेशन परिसंघ ने 7 जनवरी, 2008 को केन्द्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिये अपने बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट आबंटन दोगुना करके 24, 000 करोड़ रूपये करने की मांग की है।

सरकार ने फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसान वर्ष 2006–07 से 3.00 लाख रू. तक की अधिकतम मूलधन राशि पर 7 प्रतिशत की दर से अल्पावधिक ऋण प्राप्त करें। इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को अपनी निधियों पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान दिया जाए तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनः वित्त पोषण किया जाए। यह स्कीम वर्ष 2007–08 और 2008–09 में भी जारी है।

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि ऋण के लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्निलिखित है:

राशि (करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	एजेन्सी	2004–05		2005–06		2006–07	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
i)	सहकारी बैंक*	39,000	31,424	38,600	39,687	41,000	42,480
ii)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	8,500	12,404	15,200	15,223	15,000	20,435
iii)	वाणिज्यिक बैंक	57,000	81,481	87,200	1,25,477	1,19,000	1,66,485
	कुल	1,04,500	125,309	1,41,000	1,80,486	1,75,000	2,29,400

* अन्य सहित

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग के योजना परिव्यय का ब्यौरा और वर्ष 2008–09 के लिए बजट प्राक्कलन निम्नलिखित हैः–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	योजना परिव्यय
2005–06	4179,32
2006–07	4800.00
2007–08	5520.00
2008–09	6900.00*

* इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) हेतु 3165.67 करोड़ रूपये तथा पनधारा विकास के लिए 40.00 करोड़ रूपये की धनराशि शामिल नहीं है क्योंकि दोनों राज्य योजना स्कीमें हैं।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के लिए सुविधाएं

***492. श्री महावीर भगोरा :**

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में बीड़ी कामगारों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में बीड़ी कामगारों के लाभार्थ राज्य–वार तथा वर्ष–वार कितने अस्पतालों की स्थाना की गई तथा कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या इस संबंध में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु राज्यों से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में बीड़ी कामगारों की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) (i) सागर, मध्य प्रदेश में एक अस्पताल 2007 में स्थापित किया गया है। दो अस्पताल, मुक्कुदल (तमिलनाडु) और बिहार शरीफ (बिहार) प्रत्येक में एक–एक निर्माणाधीन हैं।

(ii) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लाभ के लिए स्वीकृत मकानों को दर्शाने वाला राज्यवार और वर्ष–वार एक ब्यौरा विवरण–II के रुप में संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों से नए अस्पतालों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बीड़ी कामगार कल्याण निधि संबंधी पश्चिम बंगाल की राज्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर, झालदा, जिला पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) में एक नया अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आवास योजना एक गैर–योजनांगत स्कीम है और योजना अवधि आधार पर प्रस्तावों की जांच/विचार नहीं किया जाता है।

विवरण-I

बीड़ी कामगारों की अनुमानित संख्या का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	अनुमानित कामगारों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7,35,000
2	असम	6,674
3	बिहार	1,94,170
4	झारखंड	89,124
5	गुजरात	46,355
6	कर्नाटक	2,50,078
7	केरल	84,133
8	मध्य प्रदेश	9,87,088
9	छत्तीसगढ़	20,481
10	महाराष्ट्र	2,56,000
11	उड़ीसा	1,90,313
12	राजस्थान	34,226
13	त्रिपुरा	9,372
14	तमिलनाडु	6,25,000
15	उत्तर प्रदेश	4,50,000
16	पश्चिम बंगाल	10,74,531
	कुल	50,53,256

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए स्वीकृत मकानों की राज्य-वार संख्या

क्रमांक	राज्य/जिले के नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10912	11485	6679
2	असम	शून्य	91	शून्य
3	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	420
4	गुजरात	शून्य	शून्य	27
5	कर्नाटक	शून्य	1160	शून्य
6	केरल	शून्य	शून्य	1422
7	मध्य प्रदेश	60	225	3284
8	महाराष्ट्र	187	129	9327
9	उड़ीसा	43	1634	1552
10	राजस्थान	शून्य	03	148
11	तमिलनाडु	शून्य	2898	271
12	उत्तर प्रदेश	21	128	504
13	पश्चिम बंगाल	1048	168	14311
14	बिहार	1016	678	62
15		शून्य	151	1126
	कुल योग	13,287	18,750	39,133

राष्ट्रीय कृषक नीति

***493. श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषक नीति के अंतर्गत पंचायतों को और अधिक शक्तियां तथा अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 में किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देने हेतु पंचायतों को केन्द्रक भूमिका प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नीति यह व्यवस्था भी करती है कि भारत सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रमों एवं कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी के लिए राज्य सरकारों का समर्थन करेगी।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग

***494. श्री अबु अयीश मंडल :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) देश में प्रति व्यक्ति कैलोरी

खपत के ब्यौरे वार्षिक आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन पांच वर्ष के अंतराल पर पोषाहार खपत पर सर्वेक्षण करता है। अद्यतन उपलब्ध ब्यौरे मई, 2007 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 61वें दौर पर आधारित हैं। इस सर्वेक्षण में 1993–94 और 2004–05 के बीच ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की दैनिक खपत के निम्नानुसार गिरावट पाई गई है:–

वर्ष	कैलोरी की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत (किलो कैलोरी)	
	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1993–94	2153	2071
2004–05	2047	2020

व्यक्ति की कैलोरी खपत विभिन्न खाद्य वस्तुओं की खपत पर निर्भर करती है। पोषाहार जागरूकता बढ़ाने के लिए आम जनता को शिक्षित करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन खाद्य और पोषाहार बोर्ड अपने फील्ड यूनिटों के जरिए काम करता है। समाज के, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कई कल्याण योजनाएं क्रियान्वित करती है। इन सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को उचित मूल्यों पर खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन

***495. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का अधिनियमन, 1996 में किया गया था तथा इसके अंतर्गत नियम 1998 में बनाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में उक्त अधिनियम का पहले से ही कार्यान्वयन किया जा रहा है और किन–किन राज्यों में इसका अभी कार्यान्वयन किया जाना बाकी है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किसी उप–समूह का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्य कौन–कौन हैं और आज की तारीख तक इसके द्वारा कितनी प्रगति की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) जी हां। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2004 में एक विशेष समूह का गठन किया गया था। सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता वाले इस विशेष समूह में महानिदेशक (श्रम कल्याण), मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान तथा रेल मंत्रालय एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के निदेशक इस समूह के संयोजक हैं। अब तक, इस अधिनियम के क्रियान्वयन को तत्काल शुरू करने के लिए राज्य सरकारों पर दवाब डालने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को शामिल करते हुए इस समूह की ग्यारह क्षेत्रीय बैठकें हो चुकी हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य कल्याण बोर्डों का गठन कर दिया है।

विवरण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन की स्थिति

1. आंध्र प्रदेश
   - राज्य कल्याण बोर्ड का 30.4.2007 को गठन कर दिया गया है।
   - राज्य सलाहकार बोर्ड का 16.6.07 को गठन कर दिया गया है।
   - 25.8.99 को उपकर नियमों के अंतर्गत उपकर कलेक्टर, असेसिंग अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है।
   - 26.6.2007 को अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है।
   - उपकर एकत्र किया जा रहा है।

2.	अरुणाचल प्रदेश	•	अधिनियम के अंतर्गत 1.5.2007 को नियम अधिसूचित किए गए हैं।
		•	15.05.2005 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
		•	5.7.2005 को राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
		•	मुख्य अधिनियम एवं उपकर अधिनियम के अंतर्गत 12.9.2007 को प्राधिकारियों को अधिसूचित किया गया है।
		•	उपकर एकत्र किया जा रहा है।
3.	असम	•	12.2.2008 को कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	12.2.2008 को क्रियान्वयन प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
		•	नियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
		•	12.2.2008 को राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
4.	बिहार	•	नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं 7.9.2005 को अधिसूचित किया गया है।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है1
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
		•	8.6.2006 को क्रियान्वयन/उपकर एकत्र करने वाले प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
5.	गोवा	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम बना लिए गए हैं लेकिन उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है।
		•	19.12.2004 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
6.	गुजरात	•	राज्य नियम बना लिए गए हैं तथा 18.8.2005 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।
		•	18.12.2004 को कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	कर्मकारों की भर्ती पहले ही शुरू की जा चुकी है तथा साथ ही उपकर एकत्र किए जाने का कार्य शुरू हो चुका है, 3.1.05 को अधिनियम के अधीन प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
		•	अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
7.	हरियाणा	•	29.03.2005 को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियमावली 29.03.2005 को अधिसूचित कर दी गई है।
		•	2.11.2006 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	9.4.07 को राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	प्राधिकारी अधिसूचित कर दिए गए हैं।
		•	कर्मकारों की भर्ती एवं उपकर एकत्र करने का कार्य शुरू कर दिया गया है एवं अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

8.	हिमाचल प्रदेश	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाए गए हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किए गया है।
		•	श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
9.	जम्मू और कश्मीर	•	17.7.06 को अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं।
		•	31.7.07 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
		•	प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दिया गया है।
10.	कर्नाटक	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं और 1.11.2006 को अधिसूचित किए गए हैं।
		•	18.1.2007 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	16.7.2007 को अधिनियम के अंतर्गत क्रियान्वयन प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
		•	अधिनियम को क्रियान्वित किया जा रहा है। उपकर का संग्रहण किया जा रहा है, कामगारों का पंजीकरण शुरू किया गया है तथा चार कल्याण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
11.	केरल	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं और 14.8.1998 को अधिसूचित किए गए हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
		•	12.3.1999 को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है (राज्य सरकार ने केरल निर्माण कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया और इसे केरल भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को अंतरित कर दिया)।
12.	मध्य प्रदेश	•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत राज्य नियमावली बनाई गई है और 1.1.2003 को अधिसूचित कर दी गई है।
		•	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा 10.4.2003 को अधिसूचित किया गया है।
		•	2.3.2001 को अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी अधिसूचित किए गए।
		•	अधिनियम को क्रियान्वित किया जा रहा है।
13.	महाराष्ट्र	•	अधिनियम के अंतर्गत राज्य नियमों को 5.2.07 को अधिसूचित कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का 24.8.07 को गठन कर दिया गया हैं
		•	विशेषज्ञ समिति का गठन हो गया है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारी, निरीक्षकों को अधिसूचित कर दिया गया है।
		•	कल्याण बोर्ड का 4.8.2007 को गठन किया गया है।

14.	मणिपुर	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाए गए हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		•	विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
15.	मेघालय	•	नियम निर्माणाधीन हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है एवं नियमों के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है।
		•	विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
16.	मिजोरम	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम नहीं बनाए गए हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		•	विशेषज्ञ समित का गठन नहीं किया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
17.	उड़ीसा	•	नियम बना लिए गए हैं तथा 2.8.2002 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।
		•	भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (केन्द्रीय) नियम, 1998 को अंगीकार कर लिया गया है।
		•	कल्याण बोर्ड का 14.01.08 गठन/पुर्नगठन कर लिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
18.	पंजाब	•	7.12.99 को राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है।
		•	दिनांक 29.5.2002 को राज्य सरकार की अधिसूचना सं.का.आ./20 सी ए 27/96/5–18/2002 द्वारा पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन किया।
		•	अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों को अधिसूचित नहीं किया गया है।
19.	राजस्थान	•	अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		•	16.12.1999 को राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी अधिसूचित नहीं।
20.	तमिलनाडु	•	तमिलनाडु राज्य सरकार ने 1999 में सूचित किया कि राज्य सरकार तमिलनाडु शारीरिक कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1982 के अंतर्गत बनायी गई तमिलनाडु निर्माण कर्मकार कल्याण योजना, 1994 को क्रियान्वित कर रही है। उनके अनुसार, यह योजना केन्द्रीय अधिनियम की अपेक्षा अधिक लाभदायक है तथा उन्होंने पहले से ही संचालित योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है और दो वर्ष के पश्चात् मामले की समीक्षा की जाएगी। राज्य अधिनियम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा

		रही योजना की व्यापक जांच करने पर यह पाया गया है कि हालांकि इस योजना में निर्माण कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रावधान है किन्तु इसमें कामगारों के लिए केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों की तरह का प्रावधान नहीं है। अतः, राज्य सरकार को मामले की समीक्षा करने और केन्द्रीय अधिनियम को क्रियान्वित करने की सलाह दी गई है।
		• 6.12.2006 को अधिनियम के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए गए।
		• राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
21.	त्रिपुरा	• अधिनियम के अंतर्गत नियम बना दिए गए हैं तथा 26.8.2002 को अधिसूचित।
		• 21.1.2007 को राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर लिया गया है।
		• 27.1.2005 को राज्य सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है।
		• 8.2.2007 को प्राधिकारी अधिसूचित।
		• उपकर एकत्र किया जा रहा है और कामगारों को पंजीकृत किया जा रहा है।
22.	उत्तर प्रदेश	• अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
		• राज्य कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		• राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
23.	उत्तरांचल	• उत्तरांचल भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (आर ई सी एस) नियम, 2005 बना दिया गया है एवं 28.6.2005 को अधिसूचित।
		• कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		• राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		• विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
24.	पश्चिम बंगाल	• पश्चिम बंगाल भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (आर ई सी एस) नियम, 2004 को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं 5.10.2004 को अधिसूचित।
		• 20.9.2005 को कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		• राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		• विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
		• फरवरी, 2006 में कर्मकारों की भर्ती पहले ही शुरू हो चुकी है। उपकर एकत्र करने का कार्य भी शुरू हो चुका है।
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	• अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (आर ई सी एस) नियम, 2003 बना एवं अधिसूचित कर दिया गया है।
		• कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		• राज्य सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है।
		• विशेषज्ञ समिति का गठन कर लिया गया है।

26.	दमन, दीव और दादरा नगर हवेली	•	2003 में अधिनियम के अंतर्गत नियम बना लिए गए हैं।
		•	राज्य कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
27.	दिल्ली	•	10.1.2002 को नियमों को अधिसूचित किया गया है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों को अधिसूचित किया जा चुका है।
		•	कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	उपकर एकत्र किया जा रहा है एवं कर्मकारों का पंजीकरण शुरू किया जा चुका है।
		•	अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
28.	पुडुचेरी	•	अधिनियम के अंतर्गत नियम बना दिए गए हैं एवं 28.8.2001 को अधिसूचित।
		•	अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों को अधिसूचित किया गया है।
		•	कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया गया है।
		•	अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
29.	झारखंड	•	अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों को अधिसूचित नहीं किया गया है।
		•	कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		•	राज्य सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।
30.	सिक्किम	•	राज्य नियम बनाए जा रहे हैं।
31.	लक्षद्वीप	•	अधिनियम के क्रियान्वयन पर सिफारिशें देने के लिए समिति का गठन किया गया।
32.	छत्तीसगढ़	•	4.6.2003 को राज्य सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है।
		•	अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित नहीं किया गया है।
		•	कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
		•	क्रियान्वयन प्राधिकारियों को अधिसूचित नहीं किया गया है।
33.	चंडीगढ़	•	राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है।
		•	कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

इथनॉल उत्पादन के लिए रियायती ऋण

***496. श्री नरहरि महतो :**

श्री हितेन बर्मन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चीनी विकास निधि से उन चीनी मिलों को रियायती ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है जिनके पास इथनॉल के उत्पादन के लिए सुविधाएं विकसित करने हेतु स्वयं की डिस्टिलरी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) चीनी विकास निधि अधिनियम,

1982 में जून, 2002 में संशोधन किया गया था और चीनी विकास निधि नियम 1983 को जनवरी, 2003 में संशोधित किया गया था ताकि इनहाइड्रस एल्कोहल अथवा इथॅनाल का उत्पादन करने की परियोजना लगाने के लिए बैंक दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज की रियायती दर, जो फिलहाल 4% प्रति वर्ष प्रभावी बैठती है, पर चीनी विकास निधि से चीनी मिलों को ऋाण प्रदान किया जा सके।

चीनी विकास निधि के नियम 22 के अनुसार, चीनी मिल जिनके पास एल्कोहल से एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा इथॅनाल का उत्पादन करने की अपनी डिस्टलरियां हैं, को चीनी विकास निधि से पहले ही निम्नानुसार ऋण प्रदान किए जा रहे हैं–

i) यदि कोई चीनी कारखाना एल्कोहल से एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा इथॅनाल का उत्पादन करने की परियोजना क्रियान्वित करता है, जिसे वित्तीय संस्थान अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है बशर्ते कि परियोजना की लागत का कम से कम 12.5 प्रतिशत चीनी कारखाने द्वारा प्रवर्तक के अंशदान के रूप में अपने संसाधनों से पूरा किया जा रहा हो, तो पात्र परियोजना की लागत के 40% तक अथवा वित्तीय संस्थान/अनुसूचित बैंक द्वारा यथा अपेक्षित राशि, जो भी कम हो तक वित्त पोषण चीनी विकास निधि से किया जाएगा।

ii) यदि कोई चीनी कारखाना एल्कोहल से एन्हाइड्रस एल्कोहल अथवा इथॅनाल का उत्पादन करने की कोई परियोजना क्रियान्वित करता है जिसका मूल्यांकन किसी वित्तीय संस्थान अथवा किसी अनुसूचित बैंक या इस परियोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी एजेंसी द्वारा किया गया हो और जो यह शपथ–पत्र देता हो कि परियोजना की लागत का कम से कम 25% भाग वह स्वयं के संसाधनों से पूरा करेगा तो वह कारखाना परियोजना की पात्र लागत के 75% तक चीनी विकास निधि से ऋण के लिए पात्र होगा।

केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण

***497. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन देश में भूजल प्रबंध और विकास के विनियमन एवं नियंत्रण के लिए किया गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों के दौरान भूजल के नियंत्रण एवं विनियमन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) देश में भूजल तथा नदी जल की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान शामिल है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जल संसाधनों का विकास, संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा देश में भूजल और नदी जल की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए कई कदम उठाये गए हैं। इनमें भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून बनाने, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन करने, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना तैयार करने, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करने और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने तथा वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में दावाधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने की दृष्टि से 'माडल बिल' का परिचालन करना शामिल है।

सी जी डब्लयू ए ने भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए देश में .43 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है और भूजल निकासी संरचनाओं के पंजीकरण के लिए विभिनन राज्यों में 65 अति दोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। सीजीडब्ल्यूए ने राज्यों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/उनके कार्य क्षेत्र में आने वाले अतिदोहित क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और भवन उपनियमों में छत के वर्षा जल संचयन को शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने के वास्ते निदेश भी जारी किए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने भूजल संवर्धन की नवाचार विधियों को अपनाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओएस/ग्राम पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों (1 लाख तक की जनसंख्या के लिए) को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भूमि जल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रारंभ किए हैं। 7 राज्यों के कठोर चट्टानी क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का संवर्धन करने के लिए "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी स्कीम प्रारंभ की गई है। देश में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए किसान सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) भी प्रारंभ किया गया है।

भूजल और सहती जल में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए उठाये गए कदमों में 225 बीसीएम की मौजूदा भंडारण क्षमता के अतिरिक्त 64 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) की नई भंडारण क्षमता का सृजन, नदियों को परस्पर जोड़ना, जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और जल निकायों, झीलों आदि का संरक्षण शामिल है। इन कदमों से भूजल क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

नदी बेसिन परियोजनाओं के लिए निधियां

***498. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार देश में कुछ नदी बेसिन परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य–वार तथा परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की किसी अन्य परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक अथवा किन्हीं अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त वित्तीय सहायता का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) राज्य सरकारें अपने राज्यों में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई नदी घाटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। चुनिंदा निर्माणाधीन वृहद/मध्यम परियोजनाओं और सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों को शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को निधि उपलब्ध करा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता के राज्य–वार और परियोजना–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें भी विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जेबीआईसी–जापान और जर्मनी की सहायता से जल संसाधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही हैं। बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06 से 2008–09 के दौरान एआईबीपी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (सीए)/अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	राशि				
		2005–06 अनुदान	2006–07 अनुदान	2007–08 अनुदान	2008–09 अनुदान	कुल
1	2	7	8	9	10क	10
	वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं					
	आंध्र प्रदेश					
1.	श्रीराम सागर (चरण–I) (III) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
2.	चेय्येरू (अन्नामाया) (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
3.	जुराला (VI) (सी)	17.8890		0.0000	0.0000	17.8890
4.	सोमसिला (V) (सी)		0.0000		0.0000	0.0000
5.	नागार्जुन सागर (II) (सी)		0.0000		0.0000	0.0000
6.	मड्डुवलासा (V) (सी)		0.0000		0.0000	0.0000
7.	गुंडालवागु (V) (सी)		0.0000		0.0000	0.0000

1	2	7	8	9	10क	10
8.	मेद्दीगेड्डा (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
9.	कानपुर नहर (III) (डी)			0.0000	0.0000	0.0000
10.	येर्राकलावा (V)			0.0000	0.0000	0.0000
11.	वम्सधारा चरण–I		6.6830	0.0000	0.0000	6.6830
12.	एसआरएसपी की बाढ़ प्रवाह नहर	120.0000	127.4000	74.0000	61.000	382.4000
13.	श्रीरमसागर परियोजना–II	2.2690	72.0000	0.0000	0.0000	74.2690
	61 लघु सिंचाई स्कीमें		27.0000	0.0000	0.0000	27.0000
14.	ताडीपुडी एलआईएस		48.2200	0.0000	0.0000	48.2200
15.	पुस्कर एलआईएस		33.1155	13.9692	0.0000	47.0847
16.	रालीवागु		6.7095	0.0000	0.0000	6.7095
17.	गोल्लावागु		28.3500	32.1200	0.0000	60.4700
18.	मथाडीवागु		28.3500	8.6700	0.0000	37.0200
19.	पेड्डावागु		50.6250	0.0000	0.0000	50.6250
20.	गुंडालकम्मा जलाशय	59.6100	39.7425	0.0000	0.0000	99.3525
21.	वल्लीगल्लु जलाशय		36.0855	26.2500	0.0000	62.3355
22.	अलीसागर एलआईएस (सी)		13.5000	2.8700	0.0000	16.3700
23.	जे.चोक्का राव एलआईएस		298.1300	405.0000	0.0000	703.1300
24.	ए.आर. गुथपा एलआईएस		10.9500	6.5500	0.0000	17.5000
25.	निलवाई		2.8500	15.5500	0.0000	18.4000
26.	कोमाराम भीम		7.7800	109.8300	27.9300	145.5400
27.	थोटापल्ली बैराज	63.1410		24,6400	11.9500	99.7310
28.	ताराकर्मा तीर्थ सागरम परियोजना	33.0060		0.0000	0.0000	33.0060
29.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना	5.9310	5.9310	0.0000	0.0000	11.8620
30.	पालेमवागु	9.5355		0.0000	0.0000	9.5355
31.	मुसुरूमिल्ली परियोजना			35.1800	27.7700	62.9500
32.	राजीव भीमा एलआईएस			233.1400	269.8700	503.0100
	(आंध्र प्रदेश) – कुल	311.3815	843.4220	987.7692	398.5200	2541.0927

1	2	7	8	9	10क	10
	अरुणाचल प्रदेश					
	1999–2000 में 337 एमआई स्कीमें (सी–337–3/02)			0.0000	0.0000	0.0000
	2000–01 में 364 एमआई स्कीमें (सी–364–3/03)			0.0000	0.0000	0.0000
	2002–03 में 286 एमआई स्कीमें (सी–286–3/05)			0.0000	0.0000	0.0000
	2003–04 में 275 एमआई स्कीमें (सी–275–3/06)	8.7750		0.0000	0.0000	8.7750
	2005–06 में 243 एमआई स्कीमें (सी–211–3/07)	9.2250	27.0000	2.7100	1.0200	39.9550
	2007–08 में 231 एमआई स्कीमें			44.4700	6.5500	51.0200
	(अरुणाचल प्रदेश) – कुल	18.0000	27.0000	47.1800	7.5700	99.7500
	असम					
33.	पहुमारा (वा. यो0 1978–80)	1.7550		1.2600	1.8900	4.9050
34.	हवाईपुर एलआईएस (VI) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
35.	रूपाही एलआईएस (वा.यो. 1978–80) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
36.	धनसिरी (V)			5.2900	7.3100	12.6000
37.	चंपामती (VI)			0.0000	0.0000	0.0000
38.	बोरोलिया (वा.यो. 1978–80)	3.6000		4.3200	6,4800	14.4000
39.	कोलांगा (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
40	बूढ़ी दिहंग एलआईएस (वा.यो. 1978–80)			0.0000	0.0000	0.0000
41.	बोरदीकराई (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
42.	जुमना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX)	7.2450		4.3200	6.4800	18.0450
43.	कोलांग बेसिन में एकीकृत सिंचाई स्कीमें (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
	1999–2000 में 6 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–6–3/01)					0.0000
	2000–01 में 39 एमआई स्कीमें (सामान्य क्षेत्र) (सी–13–3/07)	3.7260		2.3400	3.5000	9.5660
	2001–02 में 5 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–4–3/03)					0.0000
	2002–03 में 5 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–5–3/04)					0.0000
	2002–03 में 4 एमआई स्कीमें (एनसी हिल्स) (सी–2–3/04)					0.0000
	2003–04 में 24 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–24–3/06)					0.0000

1	2	7	8	9	10क	10
	2004–05 में 24 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–24–3/07)	11.7178	15.3300			27.0478
	2004–05 में 11 एमआई स्कीमें (एनसी हिल्स)					0.0000
	2005–06 में 22 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–22–3/07)	6.8894	7.8100	12.8860		27.5854
	2006–07 में 47 एमआई स्कीमें (केएएसी) (सी–14)		7.1285	23.9820	5.0300	36.1405
	2007–08 में 10 एमआई स्कीमें (केएएसी)			16.4200	4.9000	21.3200
	2007–08 में 92 एमआई स्कीमें (सामान्य क्षेत्र)			6.5200	9.7800	16.3000
	(असम) – कुल	34.9332	30.2685	77.3380	45.3700	167.9097
	बिहार					
44.	पश्चिमी कोसी नहर (III)	5.9640	1.7000	21.8200	8.2800	37.7640
45.	ऊपरी किउल (V) (सी)	0.0750		0.0000	0.0000	0.0750
46.	दुर्गावती (V)	1.4000		0.0000	0.0000	1.4000
–	बाणसागर			0.0000	0.0000	0.0000
47.	ओरनी जलाशय (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
48.	बिलासी जलाशय (V) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
49.	सोन नहर आधुनिकीकरण (VII)	8.7990	1.5300	27.5900	19.3700	57.2890
50.	बताने (V)			0.0000	0.0000	0.0000
	2007–08 में 4 एमआई स्कीमें			3.5500	0.0000	3.5500
51.	पुनपुन बैराज परियोजना			9.2800	1.9700	11.2500
	(बिहार) – कुल	16.2380	3.2300	62,2400	29.6200	111.3280
	छत्तीसगढ़					
52.	हसदेव बांगो (वा.यो. 1978–80) (सी)			0.0000		0.0000
53.	शिवनाथ डाइवर्जन (V) (सी)			0.0000		0.0000
54.	जोंक डाइवर्जन (IV) (सी)			0.0000		0.0000
55.	कोसेरटेडा	1.5640		9.3800		10.9440
56.	महानदी जलाशय	6.1005		8.3440		14.4445
57.	बरनाई (सी)			0.0000		0.0000
58.	मिनीमाता (हसदेव बांगो फेज–IV)			19.6700	29.5100	49.1800
	2006–07 में 43 एमआई स्कीमें		10.7050	30.6100		41.3150
	2007–08 में 77 एमआई स्कीमें			28.9600	21.6800	50.6400
	(छत्तीसगढ़) – कुल	7.6645	10.7050	96.9640	51.1900	166.5235

1	2	7	8	9	10क	10
	गोवा					
59.	सलौली फेज–1 (IV) (सी)			0.0000		0.0000
60.	तिल्लारी (V)		1.9100	32.4800	15.1100	49.5000
	(गोवा) – कुल		1.9100	32.4800	15.1100	49.5000
	गुजरात					
61.	सरदार सरोवर (VI)	339.6000	121.8885	585.7200	251.9000	1299.1085
62.	झुज (वा.यो. 1978–80) (सी)			0.0000		0.0000
63.	सिपु (वा.यो. 1978–80) (सी			0.0000		0.0000
64.	मुक्तेश्वर (VI) (सी)			0.0000		0.0000
65.	हरनव–II (VI) (सी)			0.0000		0.0000
66.	उमरिया (V) (सी)			0.0000		0.0000
67.	दमनगंगा (IV) (सी)			0.0000		0.0000
68.	कर्जन (V) (सी)			0.0000		0.0000
69.	सुखी (V) (सी)			0.0000		0.0000
70.	देव (V) (सी)			0.0000		0.0000
71.	वतरक कदाना आरबी नहर (वा.यो. 1978–80) (सी)			0.0000		0.0000
72.	अजी–IV (IX)			0.0000		0.0000
73.	ओजट–II (VIII)			0.0000		0.0000
74.	ब्राह्मणी–II (IX)			0.0000		0.0000
75.	मादर–II			0.0000		0.0000
	(गुजरात) – कुल	339.6000	121.8885	585.7200	251.9000	1299.1085
	हरियाणा					
76.	गुड़गांव नहर (III) (सी)			0.0000	0.0000	0.0000
77.	डब्ल्यूआरसीपी (VIII) (सी)	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000	9.1700
78.	जेएलएन लिफ्ट सिंचाई (V) (डी)			0.0000	0.0000	0.0000
	(हरियाणा)– कुल	6.0000	3.1700	0.0000	0.0000	9.1700

1	2	7	8	9	10क	10
	हिमाचल प्रदेश					
79.	शाहनहर सिंचाई परियोजना (VIII)	8.8340	0.7200	21.4100		30.9640
80.	सिधाता (IX)	6.0750	1.0000	25.7300		32.8050
81.	चैंजर सिंचाई (IX)	1.1475	0.5000	23.4000		25.0475
	1999–2000 में 28 एमआई स्कीमें (सी–28–3/05)					0.0000
	2000–01 में 17 एमआई स्कीमें (सी–17–3/06)	0.6930				0.6930
	2005–06 में 102 एमआई स्कीमें (सी–19–3/07)	13.3290	1.7100	16.4100		31.4490
	2007–08 में 116 एमआई स्कीमें			27.1000		27.1000
	(हिमाचल प्रदेश) – कुल	30.0785	3.9300	114.0500	0.0000	148.058
	जम्मू एवं कश्मीर					
82.	मारवाल लिफ्ट @ (IV) (सी)			0.0000		0.0000
83.	लेथपोरा लिफ्ट @ (IV) (सी)	0.3008		0.0000		0.3008
84.	कोयल लिफ्ट @ (V) (सी)			0.0000		0.0000
85.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)	7.5600		20.0600	3.2700	30.8900
86.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (VII) (सी)	2.9160	2.7000	2.6300	3.9400	12.1860
87.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण (VII) (सी)	0.9990		0.0000		0.9990
88.	राजपोरा लिफ्ट (वा.यो. 1978–80)	4.7700	1.8900	12.8600	5.2400	24.7600
89.	तराल लिफ्ट (वा.यो. 1978–80)	4.4208	1.8450	12.5400	5.0300	23.8358
90.	इगोफे (IX) (सी)	0.2700		0.0000		0.2700
91.	रफियाबाद लिफ्ट सिंचाई (IX) (सी)	2.8270	1.6546	10.5400	4.0600	19.0816
92.	जैंगीर नहर (IX) (सी)	0.6992		0.0000		0.6992
93.	दादी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण		3.2670	16.7100	6.2900	26.2670
94.	मार्तंड नहर का आधुनिकीकरण		4.4600	2.9200	4.3700	11.7500
95.	मव खुल का आधुनिकीकरण		2.4300	1.4600	0.8200	4.7100
96.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण			2.3100	1.2900	3.6000
97.	कांदी नहर का आधुनिकीकरण			10.3900	5.8100	16.2000
98.	पराक्षिक खोस नहर परियोजना			1.6200	2.4300	4.0500

1	2	7	8	9	10क	10
	2003–04 में 54 एमआई स्कीमें (जम्मू)	7.4250	2.2200			9.6450
	2003–04 में 27 एमआई स्कीमें (कश्मीर) (सी–5–06–07)	4.5000	5.6250	9.3800		19.5050
	2006–07 में 3 एमआई स्कीमें (कश्मीर)		1.3500	6.9600	3.8900	12.2000
	2006–07 में 62 एमआई स्कीमें जम्मू		10.3300			10.3300
	2007–08 में 133 एमआई स्कीमें (कश्मीर)			73.0151	34.9600	107.9751
	2007–08 में 111 एमआई स्कीमें (जम्मू)			15.8300	14.9500	30.7800
	(जम्मू एवं कश्मीर) – कुल	36.6878	37.7716	199.2251	96.3500	370.0345
	झारखंड					
99.	गुमानी (V)	1.3620	0.3900	3.7100		5.4620
100.	तोराई (V) (डी)			0.0000		0.0000
101.	लतरातु (VII) (सी)			0.0000		0.0000
102.	कंसजोर (VII)	0.4800		0.0000		0.4800
103.	सोनुआ (VI)	0.7080		0.9000		1.6080
104.	सुरंगी (VII)			1.1344		1.1344
105.	तपकारा जलाशय स्कीम (VI) (सी)			0.0000		0.0000
106.	ऊपरी शंख	1.4400	0.9000	1.8000	2.7000	6.8400
107.	पंचखेरो	1.0470		1.6800	1.0200	3.7470
	(झारखंड) – कुल	5.0370	1.2900	9.2244	3.7200	19.2714
	कर्नाटक					
108.	यूकेपी चरण–I (IV)	17.3778		0.0000		17.3778
109.	मलप्रभा (III)	6.0000	13.5000	35.3400	16.9000	73.7400
110.	हीरेहल्ला (VI) (सी)			0.0000		0.0000
111.	घटप्रभा (V)	19.5000	30.8050	29.0400	43.5700	122.9150
112.	करंजा (V)			0.0000		0.0000
113.	यूकेपी चरण–II (IX)	95.3571	78.6597	145.6400	61.2400	380.8968
114.	गंडोरी नाला–(VIII)	2.5410	4.7500	45.5300		52.8210
	यूकेपी चरण–I फेज–III		32.6582	72.0100	42.7400	147.4082

1	2	7	8	9	10क	10
115.	मस्कीनाला (सी)			0.0000		0.0000
116.	बोतेहोल मध्यम परियोजना			0.2900		0.2900
117.	बराही परियोजना			22.0500		22.0500
	(कर्नाटक) – कुल	140.7759	160.3729	349.9000	166.4500	817.4988
	केरल					
118.	कल्लादा परियोजना (III) (सी)			0.0000		0.0000
119.	मुवाट्टुपुझा (V)	9.3591	13.9280	0.0000		23.2871
120.	कारापुझा		2.7188	0.0000		2.7188
	(केरल) – कुल	9.3591	16.6468	0.0000	0.0000	26.0059
	मध्य प्रदेश					
121.	इंदिरा सागर (VI)	41.9504	9.8900	94.7700		146.6104
122.	बाणसागर (यूनिट–I) (V) (सी)	15.6000	0.8300	13.2400		29.6700
–	बाणसागर (यूनिट–II) (V)	18.1420	4.0400	56.6000	26.8600	105.6420
123.	ऊपरी वेनगंगा (V) (सी)			0.0000		0.0000
–	राजघाट बांध (V)			0.0000		0.0000
124.	सिंध फेज–II (VI)	24.5290		6.3100	9.4700	40.3090
125.	सिंध फेज–I (IV) (सी)			0.0000		0.0000
126.	माही (VI)	8.2600	5.3600	49.4700	24.4000	87.4900
127.	बरियारपुर (V)	6.3750	0.7600	12.0400		19.1750
128.	उर्मिल (V) (सी)			0.0000		0.0000
129.	बंजर (V) (सी)			0.0000		0.0000
130.	बावनथाडी (VI)	2.4501	0.5100	10.8300		13.7901
131.	महान (VI)	4.8000	0.3700	6.6400		11.8100
132	ओमकारेश्वर (VIII)	9.1119	1.9900	26.7800	11.5600	49.4419
133.	बारगी बांध आरबीसी 16 कि.मी. – 63 कि.मी. (V)	25.5480		0.0000		25.5480
	बारगी डाइवर्जन प्रो. नहर (63 किमी. से 104 किमी.)	11.3302	2.0600	25.9500		39.3402
	2006–07 में 17 एमआई स्कीमें		22.5000	20.2500		42.7500

1	2	7	8	9	10क	10
	2007–08 में 146 एमआई स्कीमें			108.0750	1.5700	109.6450
	बारगी डाइवर्जन फेज–III			9.4500	14.1800	23.6300
134.	पेंज डाइवर्जन परियोजना फेज–I			3.3000		3.3000
	ओमकारेश्वर परियोजना फेज–II			16.1100	24.1600	40.2700
	ओमकारेश्वर फेज–III			16.0400	24.0600	40.1000
	इंदिरासागर नहर फेज–III			24.4900	36.7400	61.2300
	(मध्य प्रदेश) – कुल	168.0966	48.3100	500.3450	173.0000	889.7516
	महाराष्ट्र					
135.	गोसीखुर्द (VI)	30.0477	2.0900	59.5900	59.3400	151.0677
136.	सूर्या (वा.यो. 1978–80) (सी)			0.0000		0.0000
137.	बाघुर (V)	7.6068	4.3400	67.8700	39.4300	119.2468
138.	भीमा (III) (सी)			0.0000		0.0000
139.	ऊपरी तापी (IV) (सी)			0.0000		0.0000
140.	ऊपरी वर्धा (V)		29.0385	22.0800		51.1185
141.	वान (VI) (सी)			0.0000		0.0000
142.	जायकवाड़ी (V) (सी)			0.0000		0.0000
143.	विष्णुपुरी (वा.यो. 1978–80) (सी)	1.4145		0.0000		1.4145
144.	बाहुला (V) (सी)	0.5700		0.0000		0.5700
145.	कृष्णा (III)	13.9200	82.8036	23.8900	23.4700	144.0836
146.	कुकाडी (वा.यो. 66–69)	24.2880	41.6216	55.4600		121.3696
147.	ऊपरी मनार	5.3960	3.9955	11.6600	0.4900	21.5415
148.	हेतवाने			0.0000		0.0000
149.	चसकमान	10.3032	9.2625	12.3400		31.9057
150.	ऊपरी पेन गंगा	2.4765	5.8941	23.9500		32.3206
–	बावनथाडी	13.5990	0.2900	10.0200	10.8800	34.7890
151.	निचली दुधना	24.0000	26.7618	8.3000	12.4500	71.5118
–	तिल्लारी	8.1600	1.0600	23.0650		32.2850

1 2	7	8	9	10क	10
152. वर्ना	9.0000		22.5000		31.5000
153. वान फेज–II		2.0295	0.0000		2.0295
2006–07 में 96 नई सतही एमआई स्कीमें (सी–17–3/07)		124.8300	65.3300	97.9900	288.1500
154. पुनाद		15.9813	3.2400		19.2213
155. पोथरा नाला		5.6255	4.5300		10.1555
156. उतावली		10.2546	8.3000		18.5546
157. पूर्णा		22.1211	20.3700		42.4911
158. नंदुर मधमेश्वर		16.5340	47.8300	38.7100	103.0740
159. कार		4.2100	7.8820		12.0920
160. निचली वर्धा		29.9300	7.4900	11.2400	48.6600
161. लाल नाला		5.9000	14.2700		20.1700
162. खड़कपूर्णा		5.8900	98.8600	63.5700	168.3200
163. अरुणावती		0.5900	12.5400		13.1300
164. तजनपोर एलआईएस		2.5000	0.0000		2.5000
165. खड़कवासला (II) (सी)			0.0000		0.0000
166. कदवी (सी)			0.0000		0.0000
167. कसारसाई (सी)			0.0000		0.0000
168. जवल गांव (सी)			0.0000		0.0000
169. कुंभी (सी)			0.0000		0.0000
170. कसारी (सी)			0.0000		0.0000
171. पतगांव (सी)	3.2250		0.0000		3.2250
172. मदन टैंक	1.5105		0.0000		1.5105
173. डोंगरगांव	1.5090		0.0000		1.5090
174. शिवना तकली	4.4325	11.9677	0.0000		16.4002
175. अमरावती	1.1820		0.0000		1.1820
176. गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	4.7415		1.1500		5.8915
177. बेम्बला सिंचाई परियोजना			173.5430	10.7700	184.3130

1	2	7	8	9	10क	10
178.	चन्द्र भागा सिंचाई परियोजना			11.4900		11.4900
179.	सपन सिंचाई परियोजना			45.9500		45.9500
180.	उत्तरमांड परियोजना			1.3200		1.3200
181.	संगोला शाख नहर			11.3000		11.3000
182.	पेनतकली परियोजना			9.4700		9.4700
	2007–08 में 38 एमआई स्कीमें			21.1600	19.5200	40.6800
183.	तराली परियोजना			10.0600	15.0900	25.1500
184.	घोम बालकवाडी परियोजना			17.2200		17.2200
185.	मोरना गुरेघर परियोजना			2.6200		2.6200
186.	अर्जुन परियोजना			1.5800		1.5800
187.	प्रकाशा बैराज			9.7900	14.6900	24.4800
188.	सुलवाड़े बैराज			13.6800	20.5200	34.2000
189.	सारंगखेडा बैराज			10.5500	15.8200	26.3700
	(महाराष्ट्र) – कुल	167.3822	465.5213	972.2500	453.9800	2059.1335
	मणिपुर					
190.	खुगा (VI)	31.6260	32.5620	11.8600	14.7000	90.7680
191.	थोबल (वा.यो. 1978–80)	36.7650	86.2200	28.8000	43.2000	194.9850
192.	दोलाईथाबी बैराज परियोजना	1.9125	19.2900	13.5000		34.7025
	1999–2000 में 108 एमआई स्कीमें (सी–108–3/01)					0.0000
	2002–03 में 118 एमआई स्कीमें (सी–118–3/06)	1.5030		0.0000		1.5030
	2005–06 में 211 एमआई स्कीमें (सी–211–3/01)	3.8970	18.2322			22.1292
	2007–08 में 242 एमआई स्कीमें			49.8070		49.8070
	(मणिपुर) – कुल	75.7035	156.3042	103.9870	57.9000	393.8947
	मेघालय					
193	रोंगाई घाटी (VIII)			0.0000		0.000
	1999–2000 में 38 एमआई स्कीमें (सी–38–3/06)	0.5750				0.5750
	2000–01 में 8 एमआई स्कीमें (सी–2–3/07)	1.0000	0.7500			1.7500
	2007–08 में 27 एमआई स्कीमें			1.1600	1.2500	2.4100
	(मेघालय) – कुल	1.5750	0.7500	1.1600	1.2500	4.7350

1	2	7	8	9	10क	10
	मिजोरम					
	1999–2000 में 10 एमआई स्कीमें (सी–10–3/02)					0.0000
	2001–02 में 4 एमआई स्कीमें (सी–4–3/03)					0.0000
	2003–04 में 20 एमआई स्कीमें (सी–20–3/05)					0.0000
	2004–05 में 43 एमआई स्कीमें (सी–43–3/06)	9.3150	2.2553			11.5703
	2006–07 में 47 एमआई स्कीमें (सी–1–3/07)		11.9801	23.7734		35.7535
	2007–08 में 62 एमआई स्कीमें			10.5700	13.2700	23.8400
	(मिजोरम) – कुल	9.3150	14.2354	34.3434	13.2700	71.1638
	नागालैंड					
	1999–2000 में 468 एमआई स्कीमें (सी–468–3/01)					0.0000
	2001–02 में 72 एमआई स्कीमें (सी–72–3/05)					0.0000
	2002–03 में 1 एमआई स्कीम (सी–1–3/04)					0.0000
	2003–04 में 136 एमआई स्कीमें (सी–136–3/06)	5.7510				5.7510
	2005–06 में 45 एमआई स्कीमें (सी–43–3/06)	2.2477	0.2995			2.5472
	2006–07 में 173 एमआई स्कीमें		10.3000	29.1200		39.4200
	2007–08 में 70 एमआई स्कीमें			11.3900		11.3900
	(नागालैंड) – कुल	7.9987	10.5995	40.5100	59.1082	
	उड़ीसा					
194.	ऊपरी इंद्रावती (केबीके) (वा.यो. 1978–80)	31.6170	3.5500	92.9100		128.0770
195.	सुबर्णरेखा बहुउद्देश्यीय (VII)	12.4272	8.9600	179.9500	69.4100	270.7472
196.	रेंगाली (IV)	7.4688	8.2055	9.1900		24.8643
197.	आनंदपुर बैराज (IV)			0.0000		0.0000
	एकीकृत आनंदपुर बैराज (केबीके)	1.4400	2.2455	4.9300		8.6155
198.	ऊपरी कोलाब (V) (सी)	1.9242			0.0000	1.9242
199.	तितलागढ़ (VII)	4.1040	3.3275	17.3300		24.7615
200.	निचली इंद्रावती (केबीके) (IX)	64.5395	58.6908	85.1500	58.7300	267.1103
201.	निचली सुकतेल (IX)	13.6440	29.7008	53.5366	40.9900	137.8714

1 2	7	8	9	10क	10
202. पोट्टेरू (IV) (सी)			0.0000		0.0000
203. नराज बैराज (IX) (सी)			0.0000		0.0000
204. तेलनगिरी सिंचाई परियोजना (केबीके)	4.0950	1.3400	31.5500	4.7800	41.7650
205. रेत सिंचाई परियोजना (केबीके)	2.9205	12.6410	33.5300		49.0915
206. कानुपुर (VIII)		2.4600	95.8784	81.4600	179.7984
207. छेलीगाड़ा बांध		1.9935	5.5340		7.5275
208. सासन नहर का सुधार (सी)	3.8190				3.8190
209. सालंदी बांया मुख्य नहर (सी)					0.0000
210. साल्की सिंचाई परियोजना का सुधार (सी)					0.0000
1999–2000 में 15 एमआई स्कमें (सी–15–3/06)	3.0000	0.7000	7.0000		10.7000
2000–01 में 6 एमआई स्कीमें	0.3750	0.0700	5.9800		6.4250
2007–08 में 20 एमआई स्कीमें				1.8900	1.8900
(उड़ीसा) – कुल	151.3742	133.8846	624.3590	255.3700	1164.9878
पंजाब					
211. रणजीत सागर बांध (VI) (सी)			0.0000		0.0000
212. यूबीडीसी का रिमाडलिंग (IX) (सी)	6.0000		0.0000		6.0000
213. तलवाड़ा के नीचे एच.पी. की सिंचाई (IX)	6.0966		0.0000		6.0966
214. शाहपुर कांडी (IX)			0.0000		0.0000
215. कांडी नहर विस्तार चरण–II	14.2200		0.0000		14.2200
216. पहली पटियाला फीडर और कोटला शाखा का पुनरूद्धार (नई ईआरएम)			13.5000		13.5000
(पंजाब) – कुल	26.3166	0.0000	13.5000		39.8166
राजस्थान					
217. जैसमांद (आधुनिकीकरण) (VI) (सी)			0.0000		0.0000
218. छापी (V) (सी)			0.0000		0.0000
219. पंचाना (V) (सी)			0.0000		0.0000
220. आईजीएनपी चरण–II (V)	23.8002		0.0000		23.8002

1 2	7	8	9	10क	10
221. बिसालपुर (VII) (सी)			0.0000		0.0000
222. नर्मदा नहर (VI)	46.7520	9.6700	140.5000	60,1200	257.0420
223. गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (सी)			0.0000		0.0000
224. चौली (VIII) (सी)	1.9590	1.1300	0.0000		3.0890
225. माही बजाज सागर (IV) (सी)	10.8960		0.0000		10.8960
226. गंग नहर का आधुनिकीकरण (VI)	6.8880	0.8000	16.0300		23.7180
(राजस्थान) – कुल	90.2952	11.6000	156.5300	60.1200	318.5452
त्रिपुरा					
227 गुमती (V)	1.3500	0.9400	0.0000		2.2900
228 मानु (VI)	6.7500		0.0000		6.7500
229 खोवाई (VI)	8.1000		0.0000		8.1000
1999–2000 में 397 एमआई स्कीमें (सी–397–3/03)					0.0000
2000–01 में 130 एमआई स्कीमें (सी–130–3/04)					0.0000
2001–02 में 79 एमआई स्कीमें (सी–79–3/04)					0.0000
2002–03 में 220 एमआई स्कीमें (सी–220–3/05)	4.1670				4.1670
2005–06 में 176 एमआई स्कीमें (सी–129–3/07)	11.6280	15.5631			27.2111
2006–07 में 80 एमआई स्कीमें		5.9900	2.2000	1.8900	10.0800
2007–08 में 8 एमआई स्कीमें			5.9000	6.7400	12.6400
(त्रिपुरा) – कुल	31.9950	22.5131	8.1000	8.6300	71.2381
तमिलनाडु					
230. डब्ल्यूआरसीपी (VIII) (सी)			0.0000		0.0000
(तमिलनाडु) – कुल			0.0000		0.0000
उत्तर प्रदेश					
231. ऊपरी गंगा एवं मध्य गंगा (V) (सी)			0.0000		0.0000
232. शारदा सहायक (III) (सी)			0.0000		0.0000
233. सरयू नहर (V)	45.0000	28.5450	57.1000	34.6900	165.3350
234. एच.के. दोआब में खरीफ चैनल (VII) (सी)			0.0000		0.0000

1	2	7	8	9	10क	10
235.	राजघाट बांध (V) (सी)			0.0000		0.0000
236.	गुंता नाला बांध (VI) (सी)			0.0000		0.0000
237.	बाणसागर (V)	32.1000	18.8965	41.5200	18.8500	111.3665
238.	लखवर व्यासी (V) (सी)			0.0000		0.0000
239.	टिहरी (VII) (सी)	25.0230		0.0000		25.0230
240.	ज्ञानपुरा पंप नहर (VII) (सी)			0.0000		0.0000
241.	पूर्वी गंगा नहर (V)	15.2220	22.5549	20.1000	8.3300	66.2069
242.	राजघाट नहर (V)	7.9020	2.2160	4.7600		14.8780
243.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V)	4.9200	5.0190	10.8000		20.7390
244.	जरौली पंप नहर (1990-91) (सी)	0.5610	0.8600	0.5900		2.0110
245.	लचुरा बांध का आधुनिकीकरण	2.4000	3.3540	3.9800		9.7340
246.	हरदोई शाखा प्रणाली का सुधार (ईआरएम)		0.4500	11.8400		12.2900
	(उत्तर प्रदेश) - कुल	133.1280	81.8954	150.6900	61.8700	427.5834
	उत्तराखंड					
	2002-03 में 185 नई सतही एमआई स्कीमें (सी-185-3/04)					0.0000
	2002-03 में 8 एमआई स्कीमें (सी-7-3/04)					0.0000
	2004-05 में 226 एमआई स्कीमें (सी-226-3/06)	33.8175				33.8175
	2004-05 में 3 एमआई स्कीमें	2.6730				2.6730
	2005-06 में 15 एमआई स्कीमें	1.3770	9.8600			11.2370
	2005-06 में 502 एमआई स्कीमें	42.5712	64.7698	84.1600		191.5010
	2006-07 में 16 एमआई स्कीमें		10.1000			10.1000
	2007-08 में 898 एमआई स्कीमें			142.5600		142.5600
	2007-08 में 78 एमआई स्कीमें			38.9300	11.2900	50.2200
	(उत्तराखंड) - कुल	80.4387	84.7298	265.6500	11.2900	442.1085
	पश्चिम बंगाल					
247.	तीस्ता बैराज (V)*		6.0000	0.0000		6.0000
248.	कंग्साबती (II) (सी)			0.0000		0.0000

1	2	7	8	9	10क	10
249.	डीवीसी की बैराज एवं सिंचाई का आधुनिकीकरण (VI) (सी)					0.0000
				0.0000		0.0000
250.	तटको (V)		0.3200	0.4200	0.6200	1.3600
251.	पतलोई (V)		0.3200	0.4100	0.2600	0.9900
252.	हनुमाता (VII)	0.0287	0.0600	0.0000		0.0887
253.	सुबर्णरेखा बैराज (VII)+			0.0000		0.0000
	2007–08 में 32 नई एमआई स्कीमें			8.1200		8.1200
	(पश्चिम बंगाल) – कुल	0.0287	6.7000	8.9500	0.8800	16.5587
	सिक्किम					
	1999–2000 में 129 एमआई स्कीमें (सी–129–3/02)					0.0000
	2002–03 में 62 एमआई स्कीमें (सी–62–3/04)					0.0000
	2004–05 में 100 एमआई स्कीमें (सी–100–3/06)	0.6750				0.6750
	2005–06 में 79 एमआई स्कीमें	0.2363	3.3236			3.5599
	2007–08 में 63 एमआई स्कीमें			3.2400		3.2400
	(सिक्किम) – कुल	0.9113	3.3236	3.2400		7.4749
	कुल जोड़	1900.3142	2301.9722	5445.7051	2163.3600	11811.3515

सी – पूर्ण परियोजना

– अंतराज्यीय परियोजना

विवरण-II

निर्माणाधीन बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्रम सं.	वित्तपोषण अभिकरण	राज्य	परियोजनाओं का नाम	संवितरित राशि (मिलियन दाता करेन्सी में और रुपए करोड़ में)		
				2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6	7
1.	विश्व बैंक	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना सीआर, 3635 – आईएन	9.266 एसडीआर 59.838 रुपए	80 एसडीआर संशोधित एसडीआर 63.420 (425.7 रुपए)	1.624 एसडीआर 10.228 रुपए
2.	विश्व बैंक	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना एल एन 4750 – आईएन	0.466 यूएस डालर 2.081 रुपए	7.773 यूएस डालर 34.729 रुपए	15.363 यूएस डालर 61.773 रुपए

1	2	3	4	5	6	7
3.	विश्व बैंक	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना एलएन – 4796 – आईएन	31.788 यूएस डालर 143.206 रुपए	0.666 यूएस डालर 3.018 रुपए	10.985 यूएस डालर 44.091 रुपए
4.	विश्व बैंक	राजस्थान	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर 3603 – आईएन	18.610 एसडीआर 119.683 रुपए	12.158 एसडीआर 81.877 रुपए	7.571 एसडीआर 46.960 रुपए
5.	विश्व बैंक	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना सीआर 3602 – आईएन	6.430 एसडीआर 41.426 रुपए	6.274 एसडीआर 42.160 रुपए	4.405 एसडीआर 27.641 रुपए
6.	विश्व बैंक	तमिलनाडु	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जल निकाय पुनरुद्धार व प्रबंधन परियोजनाएं (सीआर सं. 4846–आईएन) सीआर सं. 4255 – आईएन)	शून्य	यूएस डालर 485 मिलियन	यूएस डालर 17.986 6.066 एसडीआर 110.193 रुपए
7.	विश्व बैंक	कर्नाटक	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (सीआर सं. 3635–I आईएन)	शून्य	8.295 एसडीआर 55.317 रुपए	0.000 एसडीआर 0.000 रुपए
8.	विश्व बैंक	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना (सी.आर. सं. 4857 आईएन)	शून्य	शून्य	2.745 एसडीआर 17.159 रुपए
9.	ए डी बी	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास क्षेत्र परियोजना 2159–आईएनडी	शून्य	0.000 यूएस डालर 0.000 रुपए	1.406 यूएस डालर 5.671 रुपए
10.	जेबीसी – जापान	आंध्र प्रदेश का आधुनिकीकरण	करनूल–कुड्डपाह नहर (ट्रेंच–II)	835.068 जेवाई 31.795 रुपए	329.598 जेवाई 12.066 रुपए	215.072 जेवाई 7.764 रुपए
11.	जेबीसी – जापान	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश, सिंचाई और आजीविका सुधार परियोजना	शून्य	23974 जेवाई (960.0 रुपए)	38.167 जेवाई 1.419 रुपए
12.	जेबीसी– जापान	उड़ीसा	रेंगाली सिंचाई परियोजना (ट्रेंच–II)	740.352 जेवाई 28.910 रुपए	1070.593 जेवाई 43.865 रुपए	2053.236 जेवाई 76.410 रुपए

1	2	3	4	5	6	7
13.	जेबीसी – जापान	राजस्थान	राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना	0.000 जेवाई 0.000 रुपए	8.607 जेवाई 0.320 रुपए	0.290 जेवाई 0.010 रुपए
14.	जर्मनी	महाराष्ट्र	लघु सिंचाई परियोजना (केएफडब्लयू–वित्तीय निगम)	1.691 यूरो 8.992 रुपए	1.887 यूरो 10.952 रुपए	1.617 यूरो 9,112 रुपये
15.	जर्मनी	हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं लघु सिंचाई (जी टी जेड – तकनीकी निगम)	शून्य	2.659 यूरो (अनुदान)	शून्य

हथकरघा क्षेत्र को सहायता

***499. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**

श्री काशीराम राणा :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा बुनकर संघों से हथकरघा क्षेत्र तथा बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में उनकी अनदेखी किए जाने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हथकरघा क्षेत्र एवं बुनकरों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात आज तक विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्र को अलग–अलग आबंटित एवं जारी की गई धनराशि के तुलनात्मक आंकड़ों का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हथकरघा बुनकर संघों से ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। तथापि, भारत सरकार हथकरघा बुनकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्तमान में निम्नलिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:–

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना।
2. विपणन और निर्यात संवर्धन योजना।
3. मिल गेट कीमत योजना।
4. हथकरघा बनुकर व्यापक कल्याण योजना।
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ग) सरकार द्वारा 10 वीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात अब तक क्षेत्रवार विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्र को अलग–अलग आबंटित और जारी निधियों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र		विद्युतकरघा क्षेत्र	
	आबंटित निधि	जारी धनराशि	आबंटित निधि	जारी धनराशि
2002–03	140.00	130.83	6.91	4.52
2003–04	156.77	130.28	9.75	8.22
2004–05	154.56	154.09	10.28	5.70
2005–06	156.00	192.88	7.50	5.52
2006–07	185.00	195.67	5.24	3.00
2007–08	315.00	292.58	9.99	9.67
2008–09	340.00	3.94	10.00	–

[हिन्दी]

मिनरल वाटर का उत्पादन करने वाली कंपनियां

***500. श्री हरिकेवल प्रसाद :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मिनरल वाटर का उत्पादन कर रही कंपनियों की राज्य–वार संख्या कितनी हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश में मिनरल वाटर का उत्पादन करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में उक्त मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कितनी कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में आई एस आई चिह्नांकित पैकबंद प्राकृतिक खनिज पेय जल के उत्पादन में लगी कम्पनियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है;

राज्य	लाइसेंसधारियों की संख्या
गुजरात	01
हिमाचल प्रदेश	08
उत्तर प्रदेश	01
उत्तराखंड	02
कुल	12

(ख) पैकबंद प्राकृतिक खनिज पेय जल के उत्पादन के लिए मानदण्ड भारतीय मानक आई एस 13428:2005 में निहित हैं। ये मानदण्ड कीटनाशक अवशिष्टों सहित भौतिक, रासायनिक और मादक पदार्थों के लिए सह्य सीमाओं से संबंधित हैं।

(ग) वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय मानक व्यूरों ने ऐसी 7 कम्पनियों के खिलाफ संबंधित भारतीय मानक में निहित मानदण्डों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जिनके पास वैध प्रमाणन चिह्न था। चालू वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अब तक मानदण्डों का कोई उल्लंघन नहीं पाया है।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा योजना, 2004

4779. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2004 के दौरान शुरू की गई असंगठित क्षेत्र की श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना आरंभ किए जाने के समय से इसके अंतर्गत कितने श्रमिक राज्य वार तथा वर्ष वार नामांकित हैं; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कितना व्यय किया गया?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जनवरी, 2004 में प्रयोजिक आधार पर देश के 50 जिलों में आरम्भ की गई असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा स्कीम, 2004 बंद कर दी गयी है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 3500 कामगारों को सदस्य बनाया गया है और अंशदान के रूप में लगभग 17.5 लाख रुपये एकत्रित किए गए थे।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत कामगारों से प्राप्त अंशदान का उपयोग संबंधित अवधि के लिए सर्वजन स्वास्थ्य बीमा योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग

4780. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की अवैध रुटिंग के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2007–08 के दोरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की ऐसी अवैध रुटिंग को रोकने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग से सरकार को लगभग 145 करोड़ रूपए की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 2007–08 के लिए पाए गए अवैध ढांचों (सेट अप) की संख्या तथा कल्पित अनुमानित राजस्व हानि इस प्रकार है:

ढांचों की संख्या	अनुमानित हानि
26	18.26 करोड़ रु.

(ग) जी, हां। देश के विभिन्न लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा क्षेत्रों और प्रमुख दूरसंचार जिले में दूरसंचार विभाग के अधीन 34 सतर्कता दूरसंचार अनुरक्षण (वीटीएम) कक्ष बनाए गए हैं।

(घ) कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों की सहायता से वीटीएम कक्ष, अंतरराष्ट्रीय कॉलों की अवैध रूटिंग की जांच करने का लगातार प्रयास करते हैं। वीटीएम कक्ष, सुरक्षा एजेंसियों तथा लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाताओं के बीच इंटरफेस के रूप में भी कार्य करते हैं।

(ङ) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) दूरसंचार विभाग द्वारा समन्वित एक अंतः मंत्रालयी समूह है, जो वीटीएम कक्ष की संवृद्ध भूमिका तथा कार्यों की जांच करता है तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं के मद्देनजर वीटीएम कक्ष द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में सिफारिश करता है।

(ii) सरकार एक संचार सुरक्षा अनुसंधान व निगरानी केंद्र भी स्थापित कर रही है, जिसमें कॉलों की अवैध रूटिंग तथा अवैध दूरसंचार ढांचों का पता लगाने के लिए कॉल डाटा रिकॉर्डो (सीडीआर) का विश्लेषण किया जाएगा।

[हिन्दी]

वायदा बाजार कारोबार के लिए स्टॉक सीमा

4781. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वायदा बाजार से संबंधित वस्तुओं के लिए कितनी अधिकतम स्टॉक सीमा का प्रावधान किया गया है तथा इनकी होल्डिंग के लिए अधिकतम समय कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : भावी सौदा बाजार वस्तुओं के लिए अलग से कोई स्टाक सीमाएं निर्धारित नहीं करते हैं। स्टाक सीमाएं अधिसूचित वस्तुओं के वास्तविक उपलब्ध स्टाक पर उन राज्यों में लागू होती हैं जो ऐसी सीमाएं जारी करते हैं। तथापि, वस्तु भावी सौदा बाजार ओपन पोजिसन पर उस सीमा का निर्धारण करते हैं जिसे कोई ओपरेटर अथवा सदस्य किसी दिए गए दिन धारित कर सकता है। एक्सचेंज के प्रत्येक सदस्य और उनके माध्यम से कारोबार कर रहे ग्राहकों के लिए प्रत्येक वस्तु की ओपन पोजिसन सीमा विनिर्दिष्ट की गई है। एक्सचेंज प्लेटफार्म में व्यापारित कुछ महत्वपूर्ण कृषिजन्य वस्तुओं हेतु निर्धारित ओपन पोजिसन की अधिकतम सीमा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मुख्य कृषि वस्तुओं के संबंध में आयोग द्वारा लगाए गए ओपन इंट्रस्ट की सीमा

(टन में)

क्रम सं.	वस्तु	ओपन पोजिसन सीमा	
		सदस्य*	क्लाइंट
1	2	3	4
1	चना	40,000	10,000
2	मसूर	12,000	4,000
3	मूंग	9,000	3,000
4	येलो पीज	12,000	4,000
5	बर्मीज पीज	7,500	2,500
6	मक्का	30,000	10,000
7	जौ	32,500	6,500
8	सरसों	60,000	20,000
9	सोयासीड	60,000	20,000
10	अरण्ड का तेल	6,000	2,000
11	रिफायंड सोया तेल	60,000	20,000
12	चावल की भूसी का तेल	6,000	2,000
13	मैंथा तेल	1,500	300
14	ग्वार का गोंद	3,000	1,000
15	ग्वार का बीज	9,000	3,000
16	गुड़	30,000	10,000
17	चीनी – एस	60,000	20,000
18	चीनी – एम	60,000	20,000
19	जीरा	1000	300
20	हल्दी	9,000	3,000
21	लाल मिर्च	4,500	1,500
22	काली मिर्च	3,000	900
23	रबड़	12,000	4,000
24	कच्चा जूट	24,000	8,000
25	आलू	45,000	15,000
26	अरकानट	10,000	2,000

* किसी सदस्य की ओपन पोजिसन सीमा या तो उपर्युक्त दर्शाई गई वास्तविक संख्या या वस्तु में कुल बाजार ओपन पोजिसन की 15 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होती है।

[अनुवाद]

एन.डी.डी.बी. का फीड प्लांट

4782. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) फीड प्लांट स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स कार्पोरेशन यूनियन को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संयंत्र के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ग) क्या यूनियन को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए भी सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि, मौजूदा दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाने और स्प्रे ड्राइंग संयंत्रों को पुनः सुसज्जित करने जैसे डेयरी संबंधी क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने प्रकाशम जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ को 270.80 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसमें से 31.03.2008 तक 190.65 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

एफ.सी.आई को प्रतिदाय

4783. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य गतिविधियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्रतिदाय देती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिदाय किस आधार पर दिया जाता है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार तथा वस्तु-वार प्रतिदाय के रूप में दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत खरीद करने के लिए राज्य सरकारों को राजसहायता प्रदान की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खरीद के लिए राज्य-वार, वर्ष-वार तथा खाद्यान्न-वार अदा की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अनियमितताओं के मामलों का पता लगाया गया; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरित खाद्यान्नों की मात्रा के लिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्य राजसहायता रिलीज की जाती है। भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य राजसहायता के रूप में वहन किया जाता है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षवार और वस्तुवार भारतीय खाद्य निगम को सरकार द्वारा रिलीज की गई खाद्य राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अधीन खरीदारी करने के लिए राज्य सरकार/एजेंसियों को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(च) और (छ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 2003 से 2007 तक खातों में गबन होने/दुर्विनियोजन होने के 214 मामलों का पता चला है। चूककर्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है और मामले के गुण दोष के अनुसार संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा दंड लगाए गए हैं।

विवरण-I

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उपभोक्ता राजसहायता	बफर	जोड़
2002-03	16700.36	5973.36	22673.72
2003-04	20376.36	3497.68	23874.04
2004-05	21688.99	1591.01	23280.00
2005-06	19507.61	363.39	19871.00
2006-07	20376.49	409.72	20786.21

विवरण-II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के तहत राज्य सरकारों को रिलीज की गई खाद्य राजसहायता के ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
1	छत्तीसगढ़	158.60	89.94	628.87	550.40	419.05
2	मध्य प्रदेश	128.27	66.74	118.75	219.71	34.74
3	उड़ीसा	–	–	40.96	70.79	180.13
4	तमिलनाडु	–	45.82	27.21	221.40	272.81
5	उत्तराखंड	13.97	80.43	92.73	78.08	94.19
6	उत्तर प्रदेश	1120.70	975.62	1377.96	1821.27	1779.80
7	पश्चिम बंगाल	81.19	27.41	179.97	191.21	197.23
8	कर्नाटक	–	–	–	10.07	–
9	केरल	–	–	–	37.07	63.43
	जोड़	1502.73	1285.96	2466.45	3200.00	3041.38

[अनुवाद]

ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिना टेलीफोन नेटवर्क

4784. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोबाइल फोन के उपयोग के कारण नई लैंड लाइन कनेक्शन की मांग में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में शामिल अवसंरचना में कमी करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके इसे डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में किसी नगर की ओ. एफ. सी. लेस टैलीफोन नेटवर्क हेतु पायलट परियोजना के रूप में पहचान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

नई टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन

4785. श्री नवीन जिन्दल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई टेलीफोन डायरेक्टरी निकालने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली तथा मुम्बई के टेलीफोन उपभोक्ता नई टेलीफोन डायरेक्टरी की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपभोक्ताओं को कब तक नई डायरेक्टरी उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) बुनियादी टेलीफोनों की टेलीफोन निर्देशिका एसएसए वार (गौण स्विचिंग क्षेत्र वार) मुद्रित की जानी है। पहले वर्ष मुख्य निर्देशिका तथा तत्पश्चात अगले दो वर्षों में अनुपूरक निर्देशिकाएं मुद्रित की जानी हैं।

(ग) और (घ) फडरेशन ऑफ रेजिडेंट वेलफेयर एशोसिएशन्स, रतन पार्क, नई दिल्ली-15 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली को एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। एमटीएनएल, मुंबई में ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) दिल्ली और मुम्बई की अद्यतन निर्देशिका संबंधी सूचना पहले ही निम्नलिखित पर उपलब्ध है :

(i) 197

(ii) सीडी–आरओएम

(iii) इंटरनेट

सॉफ्टवेयर स्टेशनों का स्थापित किया जाना

4786. श्री रेवती रमन सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से विशेष रूप से चीन से बंगलौर में सॉफ्टवेयर स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) सूचना प्रोद्योगिकी विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सॉफ्टवेयर प्रोद्योगिकी पार्कों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

4787. श्री के. सी. पल्लानी शामी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार किन–किन स्थानों पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में राज्य–वार विशेष रूप से तमिलनाडु में और ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें स्थापित करने के लिए किन–किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) नई प्रयोगशालाएं कब तक स्थापित कर दी जाएंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) वर्तमान में देश में 651 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) कार्यशील हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान राज्यवार कार्यशील एसटीएल की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार का नव निरूपित केन्द्रीय प्रायोजित "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना" के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश में 500 नई एसटीएल और 250 चल एसटीएल स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में नई प्रयोगशालाओं को बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत शामिल "उर्वरक का संतुलित एवं समेकित प्रयोग" स्कीम के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है तमिलनाडु सरकार बृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत (i) थरूवलूर (ii) थिरूवनमालिया (iii) विलूनूरन (iv) नमक्कल (v) कृष्णागिरी (vi) नागापट्टनम (vii) करूर (viii) पेरम्बूर (ix) थिरूवरूर (x) विरूधनगर और (xi) अरियालूर में 11 प्रयोगशालाओं की स्थापना कर रही है।

विवरण-I

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और उर्वरक उद्योग के अंतर्गत 2006-2007 के दौरान राज्यवार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या, विश्लेषण क्षमता और उपयोगिता

क्रम सं.	राज्य का नाम	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सं.							वार्षिक विश्लेषण क्षमता 00000 में	नमूना विश्लेषित 00000 में	क्षमता उपयोग %
		राज्य सरकार		उर्वरक उद्योग		कुल					
		स्थिर	चल	स्थिर	चल	स्थिर	चल	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**दक्षिण क्षेत्र**										
1.	आंध्र प्रदेश	80	4	3	8	83	12	95	5.28	4.93	93.4
2.	कर्नाटक	23	3	2	0	25	3	28	2.74	2.32	84.7
3.	केरल	14	9	1	0	15	9	24	3.72	2.18	58.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	तमिलनाडु	19	16	2	1	21	17	38	8.34	7.56	90.6
5.	पांडिचेरी	1	0	0	0	1	0	1	0.02	0.02	108.4
6.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	1	1	2	0.12	0.11	91.7
	कुल	138	33	8	9	146	42	188	20.22	17.12	81.7
II. पश्चिम क्षेत्र											
7.	गुजरात	18	2	3	1	21	3	24	2.40	3.11	129.6
8.	मध्य प्रदेश	25	0	0	3	25	3	28	3.43	2.08	60.6
9.	महाराष्ट्र	29	0	5	5	34	5	39	2.18	2.05	94.0
10.	राजस्थान	22	11	1	1	23	12	35	3.80	3.49	91.8
11.	छत्तीसगढ़	4	4	0	0	4	4	8	0.60	0.40	66.7
12	गोवा	1	1	0	0	1	1	2	0.24	0.21	87.5
	कुल	99	18	9	10	108	28	136	12.65	11.34	89.6
III.	उत्तर क्षेत्र										
13.	हरियाणा	30	0	0	1	30	1	31	3.13	2.51	80.2
14.	पंजाब	53	13	0	1	53	14	67	6.01	3.20	53.2
15.	हिमाचल प्रदेश	11	2	0	0	11	2	13	1.00	0.92	0.92
16.	उत्तर प्रदेश	70	18	4	3	74	21	95	16.27	16.84	103.5
17.	जम्मू –	3	3	–	–	3	3	6	0.41	0.40	97.6
	कश्मीर श्रीनगर	3	1	–	–	3	1	4	0.75	0.08	10.7
	जे एंड के कुल	6	4	–	–	6	4	10	1.16	0.48	41.4
18.	उत्तरांचल	13	3	0	0	13	3	16	0.83	0.71	84.9
19.	दिल्ली	1	0	0	0	1	0	1	0.05	0.01	20.0
	कुल	184	40	4	5	188	45	233	29.61	25.15	84.9
IV.	पूर्व क्षेत्र										
20.	बिहार	23	0	0	0	23	0	23	2.0	0.64	32.0
21.	उड़ीसा	11	0	0	0	11	0	11	1.20	1.02	85.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	पश्चिम बंगाल	14	7	0	0	14	7	21	1.26	0.38	30.2
23.	झारखंड	7	2	0	0	7	2	9	0.67	0.14	21.0
	कुल	55	9	0	0	55	9	64	5.13	2.18	42.5
V.	पूर्वोत्तर क्षेत्र										
24.	असम	8	4	0	0	8	4	12	1.06	0.59	56.1
25.	त्रिपुरा	2	4	0	0	2	4	6	0.21	0.18	83.8
26.	मणिपुर	3	1	0	0	3	1	4	0.15	0.12	80.0
27.	नागालैंड	3	0	0	0	3	0	3	0.45	0.12	27.7
28.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	0	0	1	0	1	0.05	0.03	54.3
29.	मेघालय	1	1	0	0	1	1	2	0.10	0.06	56.2
30.	सिक्किम	1	0	0	0	1	0	1	0.08	0.08	97.0
31.	मिजोरम	1	0	0	0	1	0	1	0.08	0.08	100.0
	कुल	20	9	0	0	20	9	29	2.18	1.26	57.8
कुल योग		496	110	21	24	517	134	651	69.79	57.05	81.7

लैंड शेयर कंपनियां

4788. डा. बाबू राव मिडियम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 'लैंड शेयर कंपनियां' स्थापित नहीं करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कंपनियों के निर्माण को रोकने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि कृषि का निगमीकरण किसी दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं है। आयोग ने किसान अनुकूल संविदा खेती, लघु किसान संपदा और किसान सहकारियों इत्यादि की अनुशंसा की थी। तदनुसार, राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में सहकारी खेती और सेवा सहकारिता स्वयं सहायता समूहों द्वारा समूह खेती, लघु जोत संपदा और संविदा खेती को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है जिससे लघु और सीमांत किसानों की प्रभावकारिता और बड़े पैमाने पर अपने कृषि परिचालन हासिल करने संबंधी लाभ होगा। राष्ट्रीय किसान नीति में भूमि भागीदारी कंपनियों के लिए प्रावधान नहीं हैं।

[हिन्दी]

किसानों को लाभकारी मूल्य

4789. श्री गिरिधारी यादव : क्या **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों विशेषकर बिहार के किसानों को आदान लागत की तुलना में उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें पैकेज देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार की कृषि मूल्य नीति का प्रयोजन उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है ताकि वे अधिक निवेश तथा उत्पादन कर सकें तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उचित मूल्यों पर आपूर्ति उपलब्ध कराना है। मूल्य नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित तथा एकीकृत मूल्य ढांचे का विकास करना भी है।

सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ–साथ ऐसे अन्य संबंधित कारकों का जो समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण माने जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि जिंसों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का निर्णय करते समय कृषि लागत और मूल्य आयोग बहुत से महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखता है, जिसमें उत्पादन लागत शामिल है। सरकार द्वारा घाषित न्यूनतम समर्थन मूल्य बिहार सहित पूरे देश में लागू होते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट 2008–09 में सरकार द्वारा घोषित किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की योजना देश के सभी किसानों के लिए लागू है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक किसानों को दिये गए सभी प्रत्यक्ष कृषि ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक देय है इस योजना के तहत कवर किये गये हैं। तथापि, सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक भू–आधिपत्य) एवं छोटे किसानों (1–2 हेक्टेयर) के लिए ऐसे सभी ऋण जो 31 दिसम्बर, 2007 तक देय थे और जिनका भुगतान 29 फरवरी, 2008 तक नहीं हुआ, पूरी तरह से माफ किए जाएंगे।

[अनुवाद]

साइट्रस फार्मिंग प्रोजेक्ट

4790. श्री के. एस. राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब की काउन्सिल आफ साइट्रस एंड एग्री जूसिंग के सहयोग से विदेशी निवेश कंपनी द्वारा पंजाब में शुरू की गई साइट्रस फार्मिंग प्रोजेक्ट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसकी अर्थक्षमता के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केवल पंजाब राज्य सरकार द्वारा पंजाब की काउन्सिल आफ साइट्रस एंड एग्री जूसिंग के माध्यम से साइट्रस फार्मिंग परियोजना शुरु की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास परामर्शदात्री सेवाएं बैंक (नैबकोनस) द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया था और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें साइट्रस फार्मिंग परियोजना को तकनीकी रूप से उपयुक्त और वित्तीय रूप से व्यवहार्य परियोजना घोषित किया गया था।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों में एड्स

4791. श्री राजनरायन बुधौलिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों में कुछ सैनिक एड्स से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके उपचार के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) तीनों सेनाओं में वर्ष 2004, 2005 और 2006 के लिए एड्स के मामलों की संकलित कुल संख्या निम्नलिखित है:–

वर्ष	सेना	नौसेना	वायुसेना	कुल
2004	132	08	04	144
2005	67	06	03	76
2006	30	02	03	35

(ग) सशस्त्र सेनाओं ने चुनिंदा सैनिक अस्पतालों में 10 इम्यूनो डिफिसिएंसी सेंटरों की स्थापना की है। इन केंद्रों में चिकित्सक, त्वचा विशेषज्ञ, रोग विज्ञानी और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ की देखरेख में सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी से ग्रसित सभी व्यक्तियों की जांच, इलाज और उनकी बाद में देखभाल की व्यवस्था है। ये केंद्र अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित हैं और इनमें एचआईवी/एड्स मामलों का पता लगाने और इसके इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन केंद्रों में मरीज

का जब तक वह सेवा में है तब तक निःशुल्क एंटी-रेट्रोवाइरल उपचार किया जाता है तथा सेवानिवृत हो जाने के बाद ये दवाइयां भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं। बीमारी के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ-साथ मरीजों और उनके परिजनों की नियमित रूप से देखभाल की जाती है।

[अनुवाद]

चावल का उत्पादन

4792. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा अन्य उत्तर-पूर्व राज्यों में वर्ष 2006-2007 तथा 2007-08 के दौरान चावल के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों में चावल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए इन राज्यों की सहायता हेतु क्या कदम उठाया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) असम के अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी राज्यों के फसल उत्पादन के ब्यौरे अंतिम अनुमानों के समय पर ही एकत्रित किए जाते हैं जो 2007-08 हेतु अभी भी देय नहीं हैं। 2007-08 के दौरान असम राज्य में चावल का अनुमानित उत्पादन (दिनांक 22.04.2008 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान) 2006-07 के दौरान 29.16 लाख टन की तुलना में 29.17 लाख टन है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य	चावल का उत्पान (लाख टन में)		
	2004-05	2005-06	2006-07
असम	34.71	35.53	29.16
मणिपुर	4.36	3.86	3.86
मेघालय	1.94	1.52	2.00
मिजोरम	1.04	0.99	0.30
नागालैण्ड	2.60	2.63	2.64
सिक्किम	0.22	0.22	0.22
त्रिपुरा	5.45	5.53	6.21

(ग) उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार कृषि के वृहद प्रबंधन पद्धति के अन्तर्गत अक्तूबर, 2000 से चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। यह स्कीम भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 90:10 की हिस्सेदारी आधार पर कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम के तहत, किसानों को बीजों के वितरण, उन्नत उत्पादन प्रोद्योगिकी के प्रसार, एकीकृत कीट प्रबंधन, किसानों का प्रशिक्षण का जिसमें महिलाएं शामिल हैं, कृषि उपकरण तथा छिड़काव सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के बीच फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फ्रन्टलाईन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

पुनः सरकार ने असम राज्य के जिलों सहित देश के लक्षित जिलों में 11वीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) की समाप्ति तक अन्य के अतिरिक्त चावल उत्पादन को 10 मिलियन टन तक बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है।

वस्त्र संस्थान

4793. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान वस्त्र क्षेत्र में कितने कुशल श्रमिक आएंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में जिला स्तर पर बड़ी संख्या में वस्त्र संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक उपर्युक्त संस्थान स्थापित कर दिए जायेंगे?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) वस्त्र क्षेत्र को, उत्पादकता रोजगार और निवेश को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र की संभाव्यता के कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के प्रमुख क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया गया है कि 11वीं योजना के दौरान वस्त्र क्षेत्र में कुशल श्रमिकों के लिए 5 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। इससे व्यापक प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक अवसंरचना की आवश्यकता

होगी। रोजगार आश्वासन संबंधी नेबरहुड अपैरल एवं वस्त्र प्रशिक्षण संस्थान योजना (नतीजा) द्वारा मूल परिधान विनिर्माण प्रौद्योगिकी में रोजगार सम्बद्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए बनाया गया है। यह योजना आगामी पांच वर्षों में परिधान उद्योग में आवश्यक 4 मिलियन प्रशिक्षित कामगारों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यह योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर देश में क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर चलाई जानी है। प्रारंभिक चरण में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्तमान आई. टी. आई/पोलिटैक्निक और अन्य संस्थानों पर विचार किया जा सकता है। बाद में, जब कभी आवश्यक होगा, मांग का पूरा करने के लिए नए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस समय, इस विषय में कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[हिन्दी]

मत्स्यपालन के लिए धनराशि

4794. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार मत्स्यपालन के लिए आबंटित तथा उपयोग की गई धनराशि कितनी है;

(ख) क्या आबंटित धनराशि का राज्यों द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) मछली पालन राज्य का विषय है और इस क्षेत्र के लिए धनराशि मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, "अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र सरकार भी मछली पालन के लिए राज्यों को धन उपलब्ध कराती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत मछली पालन के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजना के तहत वित्त पोषण की हिस्सेदारी केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में की जाती है। राज्य सरकारों को और धनराशि जारी करने के लिए पहले स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक पूर्व शर्त है।

विवरण

अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत देश में मछली पालन के लिए राज्यवार विगत तीन वर्षों के दौरान 2005–06 से 2007–08 तक आबंटित और प्रयोग की गई धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी धनराशि 2005-2008	प्रयोग की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	583.00	520.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	91.19	57.17
3.	असम	40.00	0.00
4.	बिहार	60.00	23.35
5.	छत्तीसगढ़	250.00	150.00
6.	गोवा	5.27	0.00
7.	गुजरात	57.34	46.61
8.	हरियाणा	263.50	158.75
9.	हिमाचल प्रदेश	111.28	78.85
10.	जम्मू और कश्मीर	264.83	264.83
11.	झारखंड	124.35	74.35
12.	कर्नाटक	218.42	52.82
13.	केरल	599.08	319.08
14.	मध्यप्रदेश	510.00	293.52
15.	महाराष्ट्र	23.00	0.00
16.	मणिपुर	75.00	75.00
17.	मेघालय	0.00	0.00
18.	मिजोरम	250.00	250.00
19.	नागालैंड	318.61	282.06
20.	उड़ीसा	384.47	306.62
21.	पांडिचेरी	5.00	0.00
22.	पंजाब	0.00	0.00

1	2	3	4
23.	राजस्थान	47.80	37.25
24.	सिक्किम	34.50	34.50
25.	तमिलनाडु	120.00	115.39
26.	त्रिपुरा	146.50	116.20
27.	उत्तर प्रदेश	939.51	650.42
28.	उत्तराखंड	57.28	48.28
29.	पश्चिम बंगाल	815.22	550.00
30.	फिशकॉपफेड	0.23	0.00
	कुल	6395.38	4505.05

[अनुवाद]

बादागरा-माहे नहर की खुदाई

4795. श्रीमती सी. एस. सुजाता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत बादागरा-माहे नहर की खुदाई तथा फीडर नहरों के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) जी नहीं। सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम.टी.एन.एल. के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

4796. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने हाल ही में अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किस तारीख से वापस लिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति ग्राह्य होगी जो उक्त सुविधा को वापस लेने के पाश्चात् पैनल वाले अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) एमटीएनएल में कर्मचारियों को ओपीडी घटक और अंतरंग घटक के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हैं, जो एक दूसरे से पृथक हैं। जबकि ओपीडी घटक को जारी रखा गया है, अंतरंग उपचार संबंधी प्रावधानों को 20.03.2008 से समाप्त कर दिया गया है, जिसे एक नई व्यवस्था द्वारा बदला जाना है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। भर्ती किए गए व्यक्तियों के व्यय का वहन प्रबंधन द्वारा रोगी के ठीक होने तक अर्थात् अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक, अब तक की व्यवस्था के अनुसार किया जाता रहेगा।

(छ) उपर्युक्त भाग (ङ) और (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास

4797. श्री पी.सी. थामस : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी विकास में अन्य देशों के बीच भारत की क्या स्थिति है;

(ख) देश में विभिन्न राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी विकास की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ग) देश में ई-गवर्नेंस की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) 'ई-सरकार तैयारी' की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र ई-सरकार सर्वेक्षण 2008 रिपोर्ट के अनुसार कुल 192 देशों में से भारत 113वें स्थान पर है। यह रैंकिंग ई-सरकार तैयारी

सूचकांक, जो एक संयुक्त सूचकांक है, पर आधारित है जिसमें वेब परिमापन सूचकांक, दूरसंचार मूलसंरचना सूचकांक तथा मानव पूंजी सूचकांक शामिल है।

(ख) से (घ) मुख्य ई–शासन परियोजनाओं अर्थात सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), क्षमता निर्माण (सीबी) और राज्य आंकड़ा केन्द्र (एसडीसी) के कार्यान्वयन तथा इस संबंध में राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–I से V में दिए गए हैं।

विवरण-I

सीएससी के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	सीएससी की सं. (1:6)	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सीएससी की संख्या	सीएससी के प्रसार की संख्या	मंजूर राशि (करोड़ रु.)	राज्य को जारी की गई राशि (भारत सरकार का अंश) (करोड़ रुपए)	जारी किए गए एसीए की पहली किश्त (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	4375	4375	4375	69.38	8.67	8.67
2.	पश्चिम बंगाल	6797	6797	6797	107.79	13.47	12.95
3.	बिहार	7516	8463	8463	119.20	14.90	14.9
4.	उड़ीसा	8558	8558		135.72	16.97	16.75
5.	झारखंड	5436	4562	4562	86.21	10.78	10.75
6.	छत्तीसगढ़	3385	3385		53.68	6.71	6.71
7.	मध्य प्रदेश	9232	9232	9232	146.41	18.30	18.3
8.	हरियाणा	1159	1159	1159	18.38	2.30	2.3
9.	पंजाब	2112	2112		33.49	4.19	4.19
10.	त्रिपुरा	145	145	145	2.30	0.29	0.29
11.	राजस्थान	6626	6626		105.08	13.14	10.95
12.	उत्तराखंड	2804	2804		44.46	5.56	5.56
13.	उत्तर प्रदेश	17909	17909	17909	284.02	35.55	35.55
14.	गुजरात	3090	6000	6000	49.00	6.13	6.13
15.	आंध्र प्रदेश	4687	4687		74.33	9.29	9.29
16.	हिमाचल प्रदेश	3361	3366		53.30	6.66	6.66
17.	केरल	227	3178		3.60	0.45	0.45

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	तमिलनाडु	2720	5440		43.13	5.39	5.39
19.	महाराष्ट्र	7285	7285		115.53	14.44	14.10
20.	अरुणाचल प्रदेश	678	74		10.75	1.34	1.34
21.	मणिपुर	399	399		6.33	0.79	0.79
22.	मेघालय	1004	225		15.92	1.99	1.99
23.	मिजोरम	136	36		2.16	0.27	0.27
24.	नागालैंड	220	220		3.49	0.44	0.44
25.	सिक्किम	75	45		1.62	0.2	0.20
26.	पांडिचेरी	44	44		0.70	0.09	
	योग			58642		198.30	194.92

इन राज्यों के प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं : जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, अंडमान, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली।

सीएससी योजना कार्यान्वित करने के अनिच्छुक राज्य : दिल्ली, गोवा, चण्डीगढ़

विवरण-II

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	सू.प्रौ.वि. का अंश	सहायता अनुदान के रूप में जारी राशि करोड़ रुपए	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	97.77	20.00	संशोधित प्रस्ताव समीक्षाधीन है
2	अरुणाचल प्रदेश	35.46	7.09	आरएफपी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है
3	असम	72.50	15.00	कार्यान्वयन चल रहा है
4	बिहार	159.06	31.81	कार्यान्वयन चल रहा है
5	छत्तीसगढ़	51.25	10.25	बोली प्रक्रिया शुरू की गई
6	गोवा			
7	गुजरात	91.52	40.74	कार्यान्वयन चल रहा है।
8	हरियाणा	62.62	12.53	स्वॉन कार्यान्वित की गई और चालू है
9	हिमाचल प्रदेश	50.21	17.32	स्वॉन कार्यान्वित की गई और चालू है
10	जम्मू और कश्मीर	37.54	7.51	आरएफबी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है

1	2	3	4	5
11	झारखंड	93.44	16.00	कार्यान्वयन चल रहा है
12	कर्नाटक	95.34	19.00	अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
13	केरल	78.70	16.00	कार्यान्वयन चल रहा है
14	मध्य प्रदेश	116.70	23.34	बोली की प्रक्रिया शुरू की गई
15	महाराष्ट्र	110.78	22.16	अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
16	मणिपुर	13.97	2.79	कार्यान्वयन चल रहा है
17	मेघालय	13.56	2.71	बोली की प्रक्रिया शुरू की गई
18	मिजोरम	14.63	2.93	आरएफबी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है
19	नागालैंड	13.15	2.63	आरएफबी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है
20	उड़ीसा	95.64	19.13	बोली की प्रक्रिया शुरू की गई
21	पंजाब	62.23	12.00	कार्यान्वयन चल रहा है
22	राजस्थान	77.37	15.47	बोली की प्रक्रिया शुरू की गई
23	सिक्किम	19.94	9.50	कार्यान्वयन चल रहा है
24	तमिलनाडु	97.17	19.00	स्वॉन कार्यान्वित की गई और चालू है
25	त्रिपुरा	20.04	10.50	कार्यान्वयन चल रहा है
26	उत्तराखंड	39.64	7.93	वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है
27	उत्तर प्रदेश	168.72	94.00	कार्यान्वयन चल रहा है
28	पश्चिम बंगाल	66.93	13.00	कार्यान्वयन चल रहा है
	यूटी			
1	अंडमान और निकोबार			
2	चण्डीगढ़	4.09	2.00	कार्यान्वयन चल रहा है
3	दादरा और नगर हवेली	2.78	0.00	आरएफबी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है
4	दमन और दीव	2.50	0.00	आरएफबी/बीओएम समीक्षाधीन है और अंतिम रूप दिया जा रहा है
5	लक्षद्वीप		0.00	प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है
6	रा.रा.क्षे. दिल्ली	8.90	5.80	स्वॉन कार्यान्वित की गई और चालू है
7	पुडुचेरी	7.24	1.45	कार्यान्वयन चल रहा है
	कुल	1881.38	479.59	

विवरण-III

दिनांक 31.3.2008 के अनुसार सीबी योजना के पहले वर्ष के लिए जारी की गई राशि (सु.पौ. विभाग का अनुदान) के ब्यौरे (लाख रु.)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र		सू.प्रौ.वि.	कुल	स्थिति
1	असम	एनई	218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
2	अण्डमान और निकोबार	यूटी	182.4	182.4	मार्च, 08 में जारी
3	आन्ध्र प्रदेश		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
4	बिहार		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
5	चण्डीगढ़	यूटी	182.4	182.4	मार्च, 08 में जारी
6	छत्तीसगढ़		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
7	गोवा		128.5	128.5	मार्च, 08 में जारी
8	गुजरात		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
9	हिमाचल प्रदेश		128.5	128.5	मार्च, 08 में जारी
10	झारखंड		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
11	कर्नाटक		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
12	केरल		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
13	मध्य प्रदेश		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
14	महाराष्ट्र		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
15	मणिपुर	एनई	128.5	128.5	मार्च, 08 में जारी
16	मिजोरम	एनई	75.0	75.0	मार्च, 08 में जारी
17	नागालैंड	एनई	75	75.0	मार्च, 08 में जारी
18	उड़ीसा		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
19	पांडिचेरी	यूटी	182.4	182.4	मार्च, 08 में जारी
20	पंजाब		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
21	राजस्थान		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
22	सिक्किम	एनई	75.0	75.0	मार्च, 08 में जारी
23	तमिलनाडु		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
24	त्रिपुरा	एनई	128.5	128.5	मार्च, 08 में जारी
25	उत्तर प्रदेश		218.0	218.0	मार्च, 08 में जारी
26	उत्तराखंड		128.5	128.5	मार्च, 08 में जारी
27	पश्चिम बंगाल		218	218.0	मार्च, 08 में जारी
	सू.प्रौ.वि. द्वारा जारी सहायता अनुदान		4902.7	4902.7	

विवरण-IV

एसडीसी के कार्यान्वयन की स्थिति (31.3.2008 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	5 वर्षों का कुल परिव्यय (करोड़ रु.) सू.प्रौ.वि. का अंश	जारी पहली किस्त की राशि (करोड़ रु.) सू.प्रौ.वि. का अंश
1	आन्ध्र प्रदेश	18.37	4.19
2	छत्तीसगढ़	18.24	4.12
3	हरियाणा	13.5	4.18
4	हिमाचल प्रदेश	16.32	3.72
5	झारखंड	13.31	4.16
6	केरल	18.31	4.16
7	मध्य प्रदेश	18.37	4.19
8	महाराष्ट्र	18.38	4.19
9	मणिपुर	15.16	3.14
10	मेघालय	15.37	3.25
11	नागालैंड	12.37	2.69
12	उड़ीसा	16.94	3.47
13	पांडिचेरी	10.28	3.72
14	पंजाब	13.44	2.64
15	सिक्किम	10.06	2.53
16	तमिलनाडु	18.41	4.21
17	त्रिपुरा	15.44	3.28
18	पश्चिम बंगाल	17.89	3.95
19	असम	11.97	3.82
20	गुजरात	18.30	4.40
21	राजस्थान	12.59	4.05
22	उत्तर प्रदेश	18.41	4.20
23	गोवा	12.48	1.80
	कुल	353.91	84.06

विवरण-V

राज्यवार, वर्षवार सहायता का विवरण

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1.	असम	8.0144	11.9562	7.0940
2.	आंध्र प्रदेश	14.3361	12.5470	36.2740
3.	अंडमान और निकोबार	–	0.1474	01.8240
4.	बिहार	06.0600	46.7117	02.2000
5.	चंडीगढ़	02.0400	0.0600	01.4240
6.	छत्तीसगढ़	10.2500	06.7100	06.3200
7.	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम	–	–	12.8255
8.	दिल्ली	47.1794	203.4631	110.0036
9.	गुजरात	08.8600	0.0225	35.8135
10.	गोवा	–	–	03.0850
11.	हरियाणा	10.7000	04.9900	20.0140
12.	जम्मू और कश्मीर	02.5240	–	07.5100
13.	झारखंड	05.3000	11.4300	09.9200
14.	केरल	04.7000	0.07070	10.9665
15.	कर्नाटक	05.5000	01.2700	02.1800
16.	लक्षद्वीप	–	00.0600	–
17.	मध्य प्रदेश	04.7000	18.3715	13.4461
18.	मणिपुर	–	02.7900	05.9662
19.	मिजोरम	–	02.9300	03.9994

1	2	3	4	5
20.	मेघालय	–	03.0020	06.4700
21.	महाराष्ट्र	–	06.7693	46.9802
22.	नागालैंड	–	02.6300	03.8763
23.	उड़ीसा	20.5300	16.9654	07.3132
24.	पंजाब	05.3550	07.5706	09.1745
25.	पांडिचेरी	01.6000	–	05.9995
26.	राजस्थान	16.1700	13.5616	06.2540
27.	सिक्किम	10.2064	04.1350	04.2825
28.	तमिलनाडु	14.4015	15.1986	14.9845
29.	त्रिपुरा	07.8500	0.28740	04.5650
30.	उत्तराखंड	–	–	09.6829
31.	उत्तर प्रदेश	19.2350	–	103.0649
32.	पश्चिम बंगाल	04.0000	16.3319	09.0712

[हिन्दी]

विमान वाहकों की कमी

4798. श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री रशीद मसूद :
क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान वाहकों तथा उसमें उपयोग किए जाने वाले विमानों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव की खरीद में विलम्ब के कारण स्थिति गंभीर हुई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार विमान वाहकों की खरीद के लिए अन्य विकल्प तलाश रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना के पास इस समय अंगभूत लड़ाकू विमानों और हेलिकॉप्टरों की सीमित संख्या के साथ एक विमान वाहक है। एक स्वदेशी विमान वाहक कोचीन शिपयार्ड लि., कोच्चि में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, भा. नौ. पो. विक्रमादित्य (भूतपूर्व एडमिरल गोर्शकोव) को रूप में रिफिट किया जा रहा है। मौजूदा विमानों को उन्नत किया जा रहा है और अतिरिक्त लड़ाकू विमानों को शामिल किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अन्य देश के साथ संपर्क करने की जरूरत पैदा नहीं होती।

[अनुवाद]

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को वित्तीय सहायता

4799. श्री रमेश दूबे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण को वित्तीय सहायता देता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता का उपयोग किस प्रकार तथा किस उद्देश्य के लिए किया गया था; और

(घ) इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन द्वारा दी गई सहायता राशि में से कितनी अप्रयुक्त रही अथवा स्वीकृत उद्देश्यों के अलावा अन्यत्र खर्च की गई है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्वी तथा पश्चिमी हिन्द महासागर को कवर करते हुए, महासागर व्यापी टूना टैगिग कार्यक्रम के तहत, हिंद महासागर टूना आयोग (आई ओ टी सी) द्वारा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सहायता प्रदान की गई थी, जो इस प्रकार है:—

1.	पश्चिमी हिंद महासागर को कवर करते हुए लक्षद्वीप में टूना टैंगिंग कार्यक्रम (2005–06)	यू एस $ 24925
2.	पूर्वी हिंद महासागर को कवर करते हुए अंडमान और निकोबार के जलों में टूना टैंगिंग कार्यक्रम (2007–08)	यू एस $ 71209

(ग) टूना टैंगिग कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हिंद महासागर टूना आयोग द्वारा प्रदान की गई सहायता को समझौता पत्र में विनिर्दिष्ट

मदों पर व्यय करने के लिए जारी किया गया था जिनमें टैगिंग उपकरण, प्रचार, टैग किए गए टूना को पुनः पकड़ने के लिए मछुआरों को पुरस्कार, टैगिंग कार्यक्रम में संलग्न वैज्ञानिको को फील्ड भत्ता, ध्रुव के चार्टरिंग तथा निजी मछुआरों की नावों को लक्षद्वीप से उनके अंडमान तथा ऑपरेशन संबंधी तटों पर आने–जाने, चारे की लालच में फंसी मछलियों का एकत्र किया जाना आदि शामिल हैं। इन निधियों को कार्यक्रम के वासतविक क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में किश्तों में जारी किया गया था जो प्रगति रिपोर्ट तथा व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के अधीन था।

(घ) समझौता पत्र के अनुसार, निधियों को चरणबद्ध तरीके से जारी किया गया था तथा चूंकि अंतिम रिपोर्ट तथा व्यय की लेखा परीक्षित विवरणी को प्रस्तुत करने और हिंद महासागर टूना आयोग/खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा इनकी स्वीकृतिक के बाद ही निधियों की अंतिम किश्त जारी की जाती है, इसलिए अप्रयुक्त निधियों का प्रश्न नहीं उठता। समझौते की शर्त के अनुसार, हिंद महासागर टूना आयोग द्वारा दी गई सहायता को उस प्रयोजन के लिए कड़ाई से उपयोग किया जाना है जिसके लिए यह दी जाती है।

सी-डाट से प्रतिभा पलायन पर रोक

4800. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्टर फार डवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डाट) में वैज्ञानिकों अभियंताओं सहित सभी नियुक्तियां किस कारण अनुबंध आधार पर की जाती हैं;

(ख) क्या अनुबंध आधार प्रणाली के कारण इस संगठन में प्रतिभा पलायन नियमित रूप से देखने को मिलती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक इस संगठन को छोड़ने वाले विशेषज्ञों की संख्या और प्रतिशत कितना है; और

(ङ) इस संगठन से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) सी–डॉट की स्थापना 25 अगस्त, 1984 को एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास परियोजना सगठन के रूप में की गई थी और तब सभी नियुक्तियां अनुबंध आधार पर की गई थीं। उसी समय से इस परिपाटी का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) हालांकि, नियुक्तियां अनुबंध आधार पर की जाती हैं, फिर भी अनुबंधों की सामान्यतः लगातार समीक्षा की जाती है और उनका नवीनीकरण किया जाता है। तथापि, कुछ कर्मचारी व्यक्तिगत कारणों से इस संगठन को छोड़ देते हैं, जिनमें से एक कारण सी–डॉट में निजी दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की तुलना में मिलने वाली प्रतिपूर्ति के स्तर में विसंगति भी शामिल है।

(घ) ब्यौरा निम्नवत् है :

वर्ष	छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या	छोड़कर जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत
2005–06	166	18.8%
2006–07	148	18.8%
2007–08	83	11.2%

(ङ) सरकार द्वारा कर्मचारियों का पलायन रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) योग्यता आधारित ग्रेड प्रोन्नति

(ii) उत्तरदायित्व संबंधी प्रोन्नति

(iii) पुरस्कार नीति

(iv) पुस्तक एवं पत्रिका भत्ता और व्यावसायिक निकायों की सदस्यता आदि जैसे लाभ।

[हिन्दी]

निजी कंपनियों द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया जाना

4801. श्री सुभाष महरिया : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों, कामगारों और मजदूरों को वेतन मजदूरी और अन्य भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और कंपनीवार ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या वेतन मजदूरी तथा अन्य भुगतान नहीं किए जाने के कारण कर्मचारी, कामगार और मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों, कामगारों और मजदूरों को ऐसा बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा कर्मचारियों, कामगारों और मजदूरों को श्रम कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अनुसार कामगारों को मजदूरी का नियमित रूप से एवं समय पर भुगतान किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम का प्रवर्तन अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में समुचित सरकारों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है जो उनके कार्यान्वयन पर निगरानी भी रखती हैं। निजी कंपनियों के मामले में समुचित सरकार संबंधित राज्य सरकार होती है। राज्य क्षेत्र में आने वाली निजी कंपनियों में कार्यरत कामगारों को विधिक बकायों की आदायगी न करने से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते तथापि, जब कभी इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें कामगारों की शिकायत का निवारण सुनिश्चित करने हेतु समुचित सरकारों को भेज दिया जाता है।

(घ) अधिनियम के सांविधिक उपबंधों के अनुसार, समुचित सरकार के अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और नियोजकों को कामगारों के विधिक देयों की अदायगी का निदेश देते हैं। उपबंधों का पालन न किए जाने की स्थिति में चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ कानूनी एवं दांडिक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) नागपुर में स्थापित केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तरों पर कामगार शिक्षा योजनाएं चलाता है जिनमें श्रमजीवी वर्ग को उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किए गए कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रशिक्षित कामगारों की संख्या (लाख में)
2004-05	3.20
2005-06	3.28
2006-07	2.85

[अनुवाद]

कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए स्प्रे का प्रयोग

4802. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कतिपय भागों में बागवानी किसान कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी फसलों पर लिकर स्प्रे कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी की फसलों पर लिकर स्प्रे संबंधी कोई प्रामाणिक डाटा/रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाक कार्य निष्पादन की समीक्षा

4803. श्री हेमलाल मुर्मु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डाक की विद्यमान प्रणाली विशेषतः स्पीड पोस्ट, मनीआर्डर और सेविंग बैंक इत्यादि सेवाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में डाक सेवाओं विशेषतः मनीआर्डर और स्पीड पोस्ट सेवाओं के खराब कार्य निष्पादन के बारे में राज्यवार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार देश में विशेषतः झारखंड और बिहार के जिलों में कितने स्थानों पर स्पीड पोस्ट सेवा नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) डाक विभाग स्पीड पोस्ट, मनीआर्डर एवं बचत बैंक सहित विभिन्न डाक सेवाओं के निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। निष्पादन की समीक्षा तथा सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्रवाई करना एक सतत प्रक्रिया है। स्पीड पोस्ट एवं मनीआर्डर संबंधी शिकायतों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) स्पीड पोस्ट बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों के सभी जिलों में उपलब्ध हैं। बाजार की अपेक्षाओं, ग्राहकों की आवश्यकता, अप्रत्याशित कारोबार, उपलब्ध यातायात सुविधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए स्पीड पोस्ट सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार किया जाता है।

विवरण-I

स्पीड पोस्ट संबंधी शिकायतों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या

सर्किल	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1041	539	731
असम	1386	1165	1236
बिहार	580	1514	417
छत्तीसगढ़	1611	1128	603
दिल्ली	14878	6175	1572
गुजरात	15	18	17
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	1861	2383	3289
हिमाचल प्रदेश	67	66	83
जम्मू और कश्मीर	137	201	207
झारखंड	92	107	132
कर्नाटक	1841	2741	2542
केरल	1554	1663	2007
मध्य प्रदेश	225	234	259
महाराष्ट्र	1506	1555	2374
गोवा	शून्य	04	03
मेघालय	35	28	55
मणिपुर	81	106	93
मिजोरम	108	123	156
नागालैंड	29	38	47
त्रिपुरा	206	59	109
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा	962	963	977
पंजाब	44	28	62
चंडीगढ़	9	11	13
राजस्थान	1223	3298	3378
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	999	1408	1984
उत्तर प्रदेश	180	143	102
उत्तराखंड	263	341	418
पश्चिम बंगाल	72	27	107
सिक्किम	8	19	17
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34	39	91
एपीएस	69	80	92
कुल	31116	26204	23173

विवरण-II

मनीआर्डर संबंधी शिकायतों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या

सर्किल	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	19195	15287	13264
असम	2595	1864	980
बिहार	6406	20569	9634
छत्तीसगढ़	262	1334	927
दिल्ली	49455	31597	31860
गुजरात	46436	28018	21038
दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	82	196	144
हरियाणा	701	512	558
हिमाचल प्रदेश	6490	2488	1833
जम्मू और कश्मीर	3513	2694	1966
झारखंड	338	301	243
कर्नाटक	24175	21892	22966
केरल	9167	6003	5557
मध्य प्रदेश	24912	14172	8453

1	2	3	4
महाराष्ट्र	70333	45825	37896
गोवा	1561	1397	1377
मेघालय	788	777	521
मणिपुर	312	244	278
मिजोरम	108	123	156
नागालैंड	47	58	85
त्रिपुरा	1756	1614	1583
अरुणाचल प्रदेश	162	122	116
उड़ीसा	7274	6469	4335
पंजाब	30432	18201	12500
चंडीगढ़	8862	1959	1436
राजस्थान	13303	8551	1605
तमिलनाडु	36328	25454	24394
पांडिचेरी	780	620	656
उत्तर प्रदेश	1310	1215	1007
उत्तराखंड	7900	6864	4582
पश्चिम बंगाल	1146	1182	1088
सिक्किम	37	95	38
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	258	253	325
एपीएस	9084	7131	2680
कुल	385508	275081	216081

औद्योगिक पार्क में आईटी इकाइयां

4804. श्री सूरज सिंह :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) इकाइयों को औद्योगिक पार्कों में काम करने हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार औद्योगिक पार्कों की तर्ज पर सूचना प्रौद्योपिकी (आईटी) उद्योग के विस्तार हेतु एक योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना में औद्योगिक पार्कों में केवल विनिर्माण इकाइयों की स्वीकृति दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटी आई आर) स्थापित करने के लिए एक नीति बनाई है। इन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा (आईटी/आईटीईएस) इकाइयां तथा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयां शामिल होंगी।

शेयर जारी करने के कारण एमटीएनएल को घाटा

4805. श्री वी. के. ठुम्मर :

डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आई टी आई) लिमिटेड द्वारा जारी प्रेफ्रेन्शियल शेयर के कारण एमटीएनएल को सौ करोड़ का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(घ) क्या यह अवैध कार्य है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएनएल हेतु आईपीओ जारी करना

4806. श्री राकेश सिंह :

श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) हेतु इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रक्रिया से इसके निजीकरण की शुरूआत होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीएसएनएल में कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) फिल्हाल भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए आईपीओ लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) को उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) बीएसएनएल संघ/गैर कार्यकारी तथा कार्यकारी कर्मचारी संघों के संयुक्त मंच ने 26.02.2008 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के दिनांक 24.01.2008 के अपने नोटिस में मांग की थी कि बीएसएनएल में आईपीओ/विनिवेशों के प्रस्तावों को रद्द कर दिया जाए।

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के कार्यालय द्वारा दिए गए इस आश्वासन के आधार पर संयुक्त मंच द्वारा हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, कि इस मामले पर मंत्रालय में आंतरिक रूप से चर्चा की जाएगी और तब इस संबंध में कोई उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन केबलों की कमी

4807. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतः गुजरात में लैंडलाइन फोन की लंबी प्रतीक्षा सूची है तथा टेलीफोन केबलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार लैंडलाइन फोनों की सर्किल–वार प्रतीक्षा सूची और टेलीफोन केबल की उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। गुजरात दूरसंचार सर्किल सहित किसी भी सर्किल में केबल की कमी नहीं है।

(ग) लंबित प्रतीक्षा–सूची को निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में तारा शुदा टेलीफोनों की मांग को पूरा करने के लिए बीएसएनएल पहले के 2.5 कि. मी. के मानक के बजाय अब एक्सचेंज से 5 कि. मी. तक केबल बिछा रहा है।

(ii) बीएसएनएल ने छितरे हुए तथा दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, जहां लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना तकनीकी–वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, की मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों मं डब्ल्यूएलएल नेटवर्क संस्थापित किया है।

(iii) दूरस्थ और दूर–दराज क्षेत्र, जिन्हें स्थलीय प्रौद्योगिकी से कवर किया जाना संभव नहीं है, को डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) से कवर किए जाने की योजना है।

(iv) बीएसएनएल का मोबाईल नेटवर्क अधिकतर राष्ट्रीय राजमार्गों, महत्वपूर्ण शहरों, धार्मिक केंद्रों और राज्य राजमार्गों को कवर करता है। बीएसएनएल की अगले तीन वर्षों में 1000 की जनसंख्या तक के सभी गांवों को मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की योजना है।

विवरण

31.03.2008 की स्थिति के अनुसार लैंडलाईन फोन की प्रतीक्षा–सूची और टेलीफोन केबलों की स्थिति

बीएसएनएल

क्रम सं.	सर्किल/जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची	सर्किलों में उपलब्ध केबल (एलसीकेएम)*
1	2	3	4
1	अंडमान और निकोबार	198	0.33867
2	आंध्र प्रदेश	11,014	4.36119
3	असम	1,063	2.77679
4	बिहार	48,642	4.74968

1	2	3	4
5	छत्तीसगढ़	18	0.83160
6	गुजरात	13,278	4.41922
7	हरियाणा	2,912	2.84883
8	हिमाचल प्रदेश	11,724	1.44996
9	जम्मू–कश्मीर	4,490	2.56935
10	झारखंड	987	4.10668
11	कर्नाटक	40,301	7.94601
12	केरल	45,304	4.64369
13	मध्य प्रदेश	5,244	3.42733
14	महाराष्ट्र	32,480	4.93272
15	उत्तर–पूर्व–I	0	0.98834
16	उत्तर–पूर्व–II	616	1.02956
17	उड़ीसा	4,529	2.44144
18	पंजाब	133	6.26375
19	राजस्थान	5,530	5.76409
20	तमिलनाडु	11,822	5.42598
21	उत्तराखंड	83	1.31374
22	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	16,523	4.15707
23	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1,662	5.40653
24	पश्चिम बंगाल	49,217	3.12047
25	कोलकाता	0	4.08700
26	चेन्नै	656	2.68811
	जोड़ बीएसएनएल	3,08,426	92.08777

एमटीएनएल

क्रम सं.	सर्किल/जिला का नाम	प्रतीक्षा सूची	सर्किलों में उपलब्ध केबल (एलसीकेएम)
1	दिल्ली एमटीएनएल	0	पर्याप्त मात्रा उपलब्ध
2	मुंबई एमटीएनएल	0	
	जोड़ एमटीएनएल	0	

* एलसीकेएम – लाख कंडक्टर किलो मीटर

[हिन्दी]

बी एस एन एल और एम टी एन एल में पंजीकृत ट्रेड यूनियन

4808. चौ. मुनव्वर हसन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों में वर्ष 1998 से कितने यूनियनों में निर्वाचन हुए हैं;

(ग) उक्त निर्वाचनों में भाग लेने वाले कर्मचारी यूनियनों की संख्या और नाम क्या हैं तथा प्रत्येक यूनियन द्वारा कुल कितने मत डाले गए और उनका मतदान प्रतिशत कितना है;

(घ) किसी यूनियन द्वारा अपना पंजीकरण बचाए रखने के लिए कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना अनिवार्य होता है; और

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक मत संख्या प्राप्त करने में विफल रहने वाले अथवा चुनाव में भाग नहीं लेने वाले यूनियनों का पंजीकरण रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) बीएसएनएल और एमटीएनएल में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की कुल संख्या क्रमशः 12 और 17 है।

(ख) जिन यूनियनों के लिए निर्वाचन हुए हैं उनकी संख्या बीएसएनएल में 8 (आठ) और एमटीएनएल में 9 (नौ) है।

(ग) उक्त निर्वाचन में भाग लेने वाले कर्मचारी यूनियनों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गयी है। प्रत्येक यूनियन द्वारा डाले गए मतों का प्रतिशत और उनका मतदान प्रतिशत संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) जहां तक डाले गए मतों के प्रतिशत का संबंध है, किसी यूनियन द्वारा अपना पंजीकरण बचाए रखने के लिए निर्वाचन में मतों का निर्धारित प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होता है।

(ङ) जब कोई यूनियन निर्वाचन में भाग नहीं लेती अथवा मतों का निर्धारित्त प्रतिशत प्राप्त करने में असफल रहती है तब यूनियन का पंजीकरण रद्द किया जाना आवश्यक नहीं होता है।

विवरण-I

एमटीएनएल, नई दिल्ली में कार्यरत यूनियनों की सूची

1. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टाफ यूनियन
2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वर्कर्स यूनियन
3. बीटीयू ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
4. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड मजदूर संघ
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कर्मचारी यूनियन
6. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कामगार यूनियन
7. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कर्मचारी विकास संगठन
8. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड स्टाफ वेलफेयर यूनियन

एमटीएनएल, मुम्बई में कार्यरत यूनियनों की सूची

1. महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ
2. महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी फ्रन्ट
3. महानगर टेलीफोन निगम रिपब्लिकन इम्प्लाइज यूनियन
4. एमटीएनएल स्टाफ यूनियन, III और IV श्रेणी
5. भारतीय महानगर टेलीफोन निगम इम्प्लाइज यूनियन
6. एमटीएनएल पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन
7. संचार यूनियन ऑफ नॉन-एक्जिक्यूटिव्ज ऑफ एमटीएनएल
8. वॉइस आफ टेलीकॉम इम्प्लाइज (इंडिया)
9. महानगर टेलीफोन निगम मिलिटेड वर्कर्स यूनियन

गैर-कार्यकारी कर्मचारी की यूनियनों की सूची (बीएसएनएल)

1. नेशनल फैडरेशन ऑफ टेलीकॉम इम्प्लाइज (बीएसएनएल)
2. बीएसएनएल एसोसिएशन ऑफ टेलीकॉम मैकेनिक
3. बीएसएनएल नेशनल टेलीक्म्युनिकेशन स्टाफ यूनियन
4. नेशनल यूनियन ऑफ बीएसएनएल वर्कर्स (एफएनटीओ)
5. बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ बीएसएनएल
6. बीएसएनएल मजदूर संघ
7. बीएसएनएल इम्प्लाइज यूनियन
8. ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस टेलीकॉम इम्प्लाइज संगठन
9. बीएसएनएल वर्कर्स राष्ट्रीय यूनियन
10. टेलीकम्युनिकेशन इम्प्लाइज प्रोग्रेसिव यूनियन
11. बीएसएनएल इम्प्लाइज कांग्रेस
12. बीएसएनएल इम्प्लाइज संघ

बीएसएनएल में तृतीय सदस्यता सत्यापन के दौरान यूनियन-वार डाले गए मतों की संख्या

क्रम.	यूनियन का नाम	डाले गए मत	डाले गए मतों का प्रतिशत
1.	ऑल इण्डिया बैकवर्ड क्लास टेलीकॉम एम्प्लाइज संगठन	419	0.16
2.	बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ बीएसएनएल	329	0.12
3.	बीएसएनएल एसोसिएशन ऑफ टेलीकॉम मैकेनिक्स	5565	2.10
4.	बीएसएनएल इम्प्लाइज संगठन	1536	0.58
5.	बीएसएनएल इम्प्लाइज यूनियन	151216	56.57
6.	एनएफटीई बीएसएनएल	87189	32.85
7.	नेशनल यूनियन ऑफ बीएसएनएल वर्कर्स (एफएनटीओ)	1204	0.45
8.	टेलीकॉम इम्प्लाइज प्रोगेसिव यूनियन	174	0.07

विवरण-II

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में कार्यरत ट्रेड यूनियनों की सापेक्ष संख्या के निर्धारण हेतु 10.1.2007 को कराए गए गुप्त मतदान का परिणाम

मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या	20516	
डाले गऐ मतों की कुल संख्या	19304	
भारतीय महानगर टेलीफोन निगम कर्मचारी संघ (चुनाव चिह्न-टेबल लैम्प) के पक्ष में डाले गए मत	67	0.34%

बहुजन ट्रेड यूनियन ऑफ एमटीएनएल (चूनाव चिह्न—अप्पू) के पक्ष में डाले गए मत	229	1.86%
एमटीएनएल कर्मचारी यूनियन (चूनाव चिह्न—हीटर) के पक्ष में डाले गए मत	98	0.50%
एमटीएनएल मजदूर संघ (चुनाव चिह्न—वाकी टाकी) के पक्ष में डाले गऐ मत	11261	58.33%
एमटीएनलए स्टाफ यूनियन (चुनाव चिह्न सैटेलाइट) के पक्ष में डाले गए मत	7523	38.97%
निरस्त/अस्वीकृत मत	126	

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई में कार्यरत यूनियनों की सदस्या के सत्यापन हेतु (10.1.2007) को कराए गए गुप्त मतदान का परिणाम

कुल संख्या	20812	
मतदाता सूची के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या	20812	
डाले गये मतों की कुल संख्या	19692	
एमटीएनएल स्टाफ यूनियन के पक्ष में डाले गए मत	235	1.19%
महानगर टेलीफोन निगम कामगार संघ के पक्ष में डाले गए मत	9732	49.67%
महानगर टेलीफोन निगम कामगार फ्रंट के पक्ष में डाले गए मत	7306	37.29%
संचार यूनियन ऑफ नॉन—एक्जिक्यूटिव ऑफ एमटीएनएल	2172	11.08%
निरस्त किए गए मत	147	

[अनुवाद]

पोखरण में सैन्य अभ्यास

4809. श्रीमती मनेका गांधी :

श्री किन्जरपु येरननायडु

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरण फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान 120 एम एम मोर्टार बमों को चलाते समय तीन सैनिक मारे गए थे और दो गंभीर रूप से घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस दुर्घटना के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) यह दुर्घटना 120 मि. मी. मोर्टार की नाल कच्ची होने के कारण 19.03.2008 को हुई थी, क्योंकि मोर्टार की बैरल के अन्दर गोला फट गया था जिसके परिणामस्वरूप बैरल के टुकड़े—टुकड़े हो गए थे। इस कारण तीन सैनिकों की मृत्यु हो गई और दो घायल हुए। दुर्घटना के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाने के लिए ऐसी सभी घटनाओं की अदालत के माध्यम से जांच की जाती है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई के रूप में, फायरिंग के दौरान प्रयुक्त गोलाबारूद के संदेहास्पद लॉट को अलग कर दिया गया है और उसकी फायरिंग पर रोक लगा दी गई है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को सीधे राजसहायता

4810. श्री इलियास आजमी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकारों को गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) लाभार्थियों को सीधे राजसहायता देने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई कार्य—योजना प्राप्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि दो जिलों अर्थात् हरदोइ और लखीमपुर खीरी में पायलट आधार पर खाद्यान्नों का वितरण करने के बदले गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को नकद में खाद्य राजसहायता दी जाए। इस मुद्दे पर हैदराबाद में 8.2.2008 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सचिवों के साथ केन्द्रीय खाद्य सचिव की हुई बैठक में भी चर्चा की गई थी और 3 अन्य राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने भी विचारार्थ उपर्युक्त पायलट स्कीम में रुचि दिखाई है। इन राज्य सरकारों से औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

इंटरनेट पर प्रदर्शित विषय-वस्तु के विरुद्ध कार्रवाई

4811. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट पर प्रदर्शित विषय–विस्तु प्रिंटेड सामग्री अथवा अश्लील चित्र देश में युवा मस्तिष्कों को नुकसान पहुचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंटरनेट पर बड़े पैमाने पर विविध श्रेणियों की सामग्री होती है। जब कभी भी किसी वेबसाइट पर कोई आपत्तिजनक सामग्री दिए जाने संबंधी कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाईयां की गईं/की जा रही हैं:

(i) इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस करार में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारक, देश के स्थापित कानून के अनुसार अपने नेटवर्क पर आपत्तिजनक तथा अश्लील विषयवस्तु का प्रदर्शन रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। प्रवर्तक एजेंसियों द्वारा लाइसेंसधारक को इस प्रकार के उल्लंघनों की सूचना दिए जाने पर लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क पर इस प्रकार की सामग्री का प्रदर्शन तत्काल बंद किया जाए।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के खंड 67 में दिए गए उपबंध के अनुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम से किसी प्रकार की अश्लील सूचना का प्रकाशन तथा पारेषण करने के लिए दंड का प्रावधान है।

(iii) इसके अलावा, सरकार ने 15.12.2006 को लोक सभा में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 पेश किया है, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से स्पष्ट यौन प्रदर्शन संबंधी सामग्री के प्रकाशन अथवा पारेषण करने के लिए दंड दिए जाने का प्रस्ताव है।

स्वर्ण के ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध

4812. श्री एम. अप्पादुरई : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सट्टेबाजी वाला व्यापार तथा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए स्वर्ण के ऑनलाइन व्यापार पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एन ई जी पी के अंतर्गत राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजनाएं

4813. डा. एम. जगन्नाथ : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस (एनईजीपी) योजना के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नागरिक डेटाबेस देश में राष्ट्रीय ई–शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है जिसे गृह मंत्रालय/भारत के महापंजीयक

(आरजीआई) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। सारे देश में ऐसी परियोजना शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं और कार्यविधि की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए आरजीआई द्वारा नवम्बर, 2003 में 12 राज्यों के चुनिन्दा क्षेत्रों और 1 संघ शासित क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में कार्यान्वयन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई जिसमें लगभग 31 लाख लोग शामिल हैं। प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन 31.3.2008 को प्रायोगिक क्षेत्रों में 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए 12 लाख परिचय (स्मार्ट) पत्र जारी करके पूरा किया गया है। प्रायोगिक क्षेत्र के प्रत्येक तहसील/ब्लॉक में स्थापित 20 बहु राष्ट्रीय परिचय पत्र केन्द्र (एमएनआईसी) 31.3.2009 तक डेटाबेस के अनुरक्षण और इसे अद्यतन बनाने के लिए चालू रहेंगे। इसके अलावा वे परिचय-पत्र धारकों के साथ-साथ ऐसे लोगों को भी सेवाएं प्रदान करेंगे जिनके पास परिचय-पत्र नहीं हैं।

योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की योजना के लिए 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन दे दिया है, जिसे आरजीआई द्वारा शुरू किया गया जाएगा। इस योजना में जनगणना 2011 के दौरान जनसंख्या की गणना के समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर विशिष्ट जानकारी एकत्रिक करने की परिकल्पना की गई है।

वनस्पति कारखाने

4814. श्री हन्नान मोल्लाह :

श्री के. फ्रांसिस जार्ज :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घटाए गए आयात प्रशुल्क पर भारी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और कितनी मात्रा में खाद्य तेल का आयात किया गया और उसकी विभिन्न श्रेणियों पर शुल्क में कितनी कमी की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या ऐसे आयात के कारण बहुत सी वनस्पति इकाइयां बंद हो गई हैं या बंद होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने ऐसे आयात के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) घरेलू तेल उद्योग तथा इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। कोपरे के तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। खाद्य तेलों का आयात आयातकर्ताओं के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करता है। तथापि, खाद्य तेलों की अधिक उपलब्धता और मूल्यों को कम करने के लिए, जो पिछले एक वर्ष के दौरान बढ़ते रहे हैं, क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करके क्रमशः शून्य और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ग) देश में कई वनस्पति यूनिटें विभिन्न कारणों से बंद हो गई हैं। इन कारणों में कच्ची सामग्री की उपलब्धता के अनुरूप उत्पादन क्षमता सृजित न होना, पुरानी प्रौद्योगिकी होना, मितव्ययता न होना, उपभोक्ताओं की पसंद सॉफ्ट आयल की ओर हो जाना आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) केरल राज्य ने अभ्यावेदन दिया है कि खाद्य तेलों की आयात-निर्यात नीति में भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए परिवर्तनों से नारियल के किसान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि पाम तेल के आयात पर प्रशुल्क को पिछले स्तर पर बहाल किया जाए और कोपरे के तेल के निर्यात की अनुमति दी जाए। पिछले एक वर्ष के दौरान खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ते रहे हैं। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य तेलों के मूल्य उचित रूप से कम करने के लिए 17.3.2008 से खाद्य तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 1.4.2008 से क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करके क्रमशः शून्य और 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है। तथापित, 1.4.2008 से लघु वन मूल से उत्पादित कुछ तेलों सहित कोपरे के तेल के संबंध में निर्यात प्रतिबंध (कोचीन पत्तन के जरिए) उठा लिए गए हैं।

(च) घरेलू तेल उद्योग और अंततः कामगारों की सुरक्षा करने के लिए किए गए उपायों में कुछ निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) कोपरा/नारियल तेल को छोड़कर तिलहनों/खाद्य तेलों के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस पर दी गई है।

(ii) 1.4.2008 से खाद्य ग्रेड के क्रूड वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को रिफाइंड तेलों के लिए 7.5 प्रतिशत की तुलना में शून्य रखा गया है ताकि कच्ची सामग्री की उपलब्धता हो सके।

(iii) देश में सालवेंट निष्कर्षित तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और निष्कर्षण के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य ग्रेड के हेक्जेन पर उत्पादन शुलक 32% से कम करके 16% किया गया है।

(iv) रिफाइंड खाद्य तेल/वनस्पति/इंट्रेस्ट्रीफाइड वसा आदि पर उत्पाद शुल्क वापस ले लिया गया है।

(v) किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों में तालमेल बिठाने के लिए खाद्य तेलों के आयात शुल्क ढांचे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से मारे गए कामगार

4815. श्री जुएल ओराम : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष और उसके बाद आज की तारीख तक दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से कितने कारीगर और मजदूर मारे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया और मृतकों के परिवार के क्षतिपूर्ति की कितनी राशि का भुगतान किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्ति को सजा देने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से 16 निर्माण कामगार एवं मजदूर मारे गए।

(ख) 4 मृतकों के आश्रितों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत 14,41,887/- रूपये की राशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है।

(ग) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1860 के अंतर्गत नियोक्ताओं के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है।

[हिन्दी]

पीएसयू के अंतर्गत रक्षा उद्योग

4816. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत रक्षा उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाने के लिए पृथक-पृथक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूल्य का रक्षा उत्पादन हुआ तथा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य की रक्षा सामग्री का आयात किया गया?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने देश में रक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

रक्षा क्षेत्र को मई, 2001 में लाइसेंस के तहत 26% तक अनुमन्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 100% तक भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल गया था। रक्षा मदों का उत्पादन करने के लिए आज की तारीख तक विभिन्न भारतीय कंपनियों को 80 आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। भागीदारी विकास लागत तथा न्यूनतम आर्डर मात्रा जैसे मामलों को 'विनिर्माण' प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया है जिसे रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 के भाग के रूप में अधसूचित किया गया है।

सरकार ने नवरत्न/मिनी-रत्न स्तर प्रदान करके, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ. एफ. बी.) को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करके तथा डी. बी. एस. यू./ओ. एफ. बी. द्वारा विभागीय (इन-हाउस) अनुसंधान और विकास के संवर्द्धन द्वारा लाभ कमाने वाली रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायतता प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं।

सरकार ने विदेशी स्रोतों से अधिप्राप्त मदों की 'खरीद' श्रेणी के भारतीय उद्योग के जरिए और रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी विक्रेताओं की तुलना में भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं को समान अवसर मुहैया कराने के लिए आफसेट, अनुरक्षण से संबद्ध प्रावधान भी शामिल किए हैं। भारतीय रक्षा उद्योग भी 'खरीद और विनिर्माण' प्रक्रिया के जरिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्राप्त करते हैं। यह सभी प्रावधान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2006 में शामिल किए गए हैं।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के रक्षा उत्पादन की हिस्सेदारी में अधिक दिलचस्पी दिखाई है और रक्षा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य निष्पादन बेहतर हुआ है।

(ग) विवरण के अनुसार (संलग्न)।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड के संदर्भ में रक्षा उत्पादन का मूल्य

(करोड़ रुपए में)

	रक्षा उत्पादन का मूल्य		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	4264.00	4648.83	6924.68
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2835.00	2981.00	3034.00
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	466.00	534.27	385.83

1	2	3	4
भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	597.64	716.05	846.24
माझगांव डॉक लिमिटेड	540.63	518.37	1872.24
गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	470.28	662.18	641.66
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	141.83	249.78	267.07
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	54.60	66.66	115.65
कुल	9369.98	10377.14	14087.37
आयुध निर्माणी बोर्ड	6189.00	6877.00	6197.00

(करोड़ रुपए में)

	सेनाओं द्वारा किए गए आयात का मूल्य		
	2004–05	2005–06	2006–07
सेना	2393.99	1928.98	1115.64
नौसेना	5781.58	4446.78	4228.52
वायुसेना	9995.45	4484.72	2962.11
कुल	18171.02	10860.48	8306.27

[अनुवाद]

विलेज लेबर बैंक

4817. डा. के. एस. मनोज : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विलेज लेबर बैंक (वीएलबी) स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे वीएलबी कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में ग्रामीण श्रम बैंक (वीएलबी) स्थापित करने संबंधी कोई प्रसताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मोबाइल हैंडसेटों के आयात पर रोक

4818. श्री एल. राजगोपाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार में चीनी मोबाइल हैंडसेट भारी मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त हैंडसेटों की कोई विशिष्ट पहचान संख्या या आईएमईआई नहीं है जिसके फलस्वरूप उनका पता नहीं लगाया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये सेट देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं क्योंकि आतंकवादी या असामाजिक तत्व इनका प्रयोग देश में असामाजिक गतिविधियों में कर सकते हैं?

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे मोबाइल सेटों का आयात रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) चीन में विनिर्मित मोबाइल हैंडसेटों की भारत में उपलब्ध होने की सूचना मिली है।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि कुछ कम कीमत वाले चीनी हैंडसेट बिना विशिष्ट पहचान संख्या या आईएमईआई के है।

(ग) से (ङ) यह सूचना मिली है कि कुछ मोबाइल नेटवर्कों के उपभोक्ता हैंडसेटों का प्रयोग कर रहे हैं। तथापि, माबाइल कनेक्शन प्रदान करने से पहले उपभोक्ताओं का सत्यापन किया जाता है। आमतौर पर, लक्षित उपभोक्ता का पता मोबाइल संख्या द्वारा लगाया जाता है और आईएमईआई न होने से असामाजिक तत्वों की पहचान में बाधा नहीं आती।

(च) इस समय देश, में नए मोबाइल हैंडसेटों को निर्बाध रूप से आयात किया जाता है।

[अनुवाद]

सियाचिन ग्लेशियर पर सैनिक

4819. श्री उदय सिंह :

श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिक भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि सेना उन्हें विशेष वर्दी और अपेक्षित उपकरण उपलब्ध कराने में लगातार विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात सैनिकों को विशेष लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) सियाचिन में तैनात सैनिकों को प्राधिकार के अनुसार विशेष वस्त्र तथा उपस्कर मुहैया कराये जा रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर अत्यधिक ठंडी जलवायु की दशाओं वाले स्थानों पर तैनात सैनिकों को विशेष वस्त्र, स्की तथा पर्वतारोहण उपस्करों की कुल 55 मदें प्राधिकृत हैं। इन मदों के संबंध में प्राधिकृत प्रमात्रा में रक्षा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2005 में वृद्धि की गई है। वृद्धि के पश्चात, उपस्करों के 27,351 सेट तथा इतनी ही प्रमात्रा आकस्मिकताओं के लिए आरक्षी के रूप में प्राधिकृत है।

(ग) और (घ) सियाचिन ग्लेशियर में तैयार सैनिकों को विशेष लाभों तथा सुविधाओं में सुधार किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। आज की तारीख में सियाचिन ग्लेशियर के सीमांकित क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र सेवा कार्मिक, अफसरों के लिए 7000/– रुपए प्रति माह तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिक 4667/– रुपए प्रति माह की दर से 'सियाचिन भत्ता' प्राप्त करते हैं। यह भत्ता अत्यधिक सक्रिय फील्ड क्षेत्र भत्ता,' जिसकी दरें 1620/–रुपए प्रति माह (नायक/सिपाही एवं समकक्ष) से 4200/– रुपए प्रति माह (लेफ्टिनेंट कर्नल तथा ऊपर) तक हैं, के साथ–साथ उपलब्ध है। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात कर्मिकों को विशेष राशन भी उपलब्ध कराया जाता है जो बेहतर कैलोरी आवश्यकता को पूरा करता है तथा शरीर में पुनर्जलयोजन को पूरा करता है।

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

4820. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में अधिकाधिक महिलाओं को स्व–सहायता समूहों से संबंद्ध करने की जरूरत है;

(ग) क्या कृषि और पशुपालन क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए डेयरी क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं को केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान डेयरी क्षेत्र के विकास हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार दो केन्द्रीय प्रायोजित डेयरी विकास योजनाएं यानि "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)" और "स्वच्छ" तथा गुणवत्ता दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण (सीएमपी)" तथा दो केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं यानि "सहकारिताओं को सहायता (एटूसी)" और "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष (डीपीवी)" क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं के तहत महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) डेयरी सहकारिताओं के प्रबंधन तथा प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने तथा सतत बनाने के लिए दुग्ध संघों के समर्थन के उद्देश्य से "डेयरी सहकारिताओं में महिलाओं की संलग्नता को बढ़ाना" नामक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। महिला स्व–सहायता समूह (एसएचजी) इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं।

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय भी महिलाओं के लिए एक योजना यानि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों को समर्थन को क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य डेयरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का समग्र विकास करना है।

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा आई डी डी पी, सी एम पी, ए टू सी और डी पी वी योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान डेयरी के विकास के लिए प्रदान की गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I से III में दर्शाया गया है।

विवरण-I

केन्द्र सरकार द्वारा 2005–06 में विभिन्न योजनाओं के तहत डेयरी विकास के लिए प्रदान की गई राज्यवार सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	आईडीडीपी	सीएमपी	ए टू सी	डीपीवी*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडमान और निकोबार	0.00				0.00
2	आंध्र प्रदेश	135.00	65.50		25.96	226.46

1	2	3	4	5	6	7
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00				0.00
4	असम	0.00	8.52		137.16	145.68
5	बिहार	100.00	0.00		0.00	100.00
6	झारखंड	146.89	0.00		6.57	153.46
7	गोवा	0.00	91.48			91.48
8	गुजरात	0.00	251.25		6.50	257.75
9	हरियाणा	153.83	238.53	100.00		492.36
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00		3.00	3.00
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00		5.30	5.30
12	केरल	329.44	368.04		69.47	766.95
13	कर्नाटक	0.00	53.85		202.56	256.41
14	मध्य प्रदेश	369.21	193.98	250.00	28.06	841.25
15	छत्तीसगढ़	0.00	0.00		3.00	3.00
16	महाराष्ट्र	500.10	494.50	38.00	116.86	1149.46
17	मणिपुर	0.00	0.00		6.55	6.55
18	मेघालय	65.00	0.00		0.00	65.00
19	मिजोरम	74.29	22.47		103.00	199.76
20	नागालैंड	256.21	13.97		0.00	270.18
21	उड़ीसा	817.68	271.12		42.04	1130.84
22	पांडिचेरी	0.00	19.30		0.00	19.30
23	पंजाब	0.00	87.11		12.96	100.07
24	राजस्थान	322.55	197.12		49.11	568.78
25	सिक्किम	350.61	47.28		13.47	411.36
26	तमिलनाडु	0.00	111.50	175.00	2.47	288.97
27	त्रिपुरा	0.00	0.00		31.92	31.92
28	उत्तर प्रदेश	166.32	341.49	165.00	26.88	699.68
29	उत्तरांचल	201.12	0.00		82.41	283.53
30	पश्चिम बंगाल	0.00	162.76		0.00	162.76
	कुल	3988.25	3039.76	728.00	975.24	8731.25

* भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए परियोजना लागत के 50% की दर से ब्याज मुक्त ऋण

विवरण-II

केन्द्र सरकार द्वारा 2006–07 में विभिन्न योजनाओं के तहत डेयरी विकास के लिए प्रदान की गई राज्यवार सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	आईडीडीपी	सीएमपी	ए टू सी	डीपीवी*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडमान और निकोबार	0.00				0.00
2	आंध्र प्रदेश	288.45	83.75		0.00	372.20
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00			3.00	3.00
4	असम	0.00	20.00		209.34	229.34
5	बिहार	237.55	0.00		0.00	237.55
6	झारखंड	20.00			3.93	23.93
7	गोवा	0.00				0.00
8	गुजरात	0.00	113.28		1.59	114.87
9	हरियाणा	657.35	234.77	145.00		1037.12
10	हिमाचल प्रदेश	39.00	38.78		13.92	91.69
11	जम्मू और कश्मीर	0.00			8.14	8.14
12	केरल	240.00	460.43		109.91	810.34
13	कर्नाटक	72.00	196.13		62.37	330.50
14	मध्य प्रदेश	100.59	177.15	285.00	167.55	730.29
15	छत्तीसगढ़	50.00				50.00
16	महाराष्ट्र	72.00	442.58		320.09	834.67
17	मणिपुर	160.00	5.00		4.50	169.50
18	मेघालय	30.00			1.20	31.20
19	मिजोरम	90.00	0.00		136.50	226.50
20	नागालैंड	162.70	9.44			172.14
21	उड़ीसा	104.61	114.01		48.49	267.11
22	पांडिचेरी		0.00		281.71	281.71
23	पंजाब		50.00	20.00		70.00

1	2	3	4	5	6	7
24	राजस्थान	0.00	70.40			70.40
25	सिक्किम	140.21	20.00		24.99	185.20
26	तमिलनाडु	356.47	106.18			462.65
27	त्रिपुरा	40.00			87.36	127.36
28	उत्तर प्रदेश	19.00	322.69			341.69
29	उत्तरांचल	467.98			98.26	566.24
30	पश्चिम बंगाल	0.00			11.00	11.00
	कुल	3347.91	2464.59	450.00	1593.84	7856.33

* भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए परियोजना लागत के 50% की दर से ब्याज मुक्त ऋण

विवरण-III

केन्द्र सरकार द्वारा 2007–08 में विभिन्न योजनाओं के तहत डेयरी विकास के लिए प्रदान की गई राज्यवार सहायता

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	आईडीडीपी	सीएमपी	ए टू सी	डीपीवी*	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	अंडमान एवं निकोबार	11.34				11.34
2	आंध्र प्रदेश	298.33	99.63		22.50	420.46
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00			0.00	0.00
4	असम	0.00			415.80	415.80
5	बिहार	0.00			5.97	5.97
6	झारखंड	107.64			23.60	131.24
7	गोवा		40.00		15.95	55.95
8	गुजरात		342.42		0.00	342.42
9	हरियाणा	200.00	125.33	94.51	5.00	424.84
10	हिमाचल प्रदेश	340.05	2.40		31.35	373.80
11	जम्मू और कश्मीर				65.74	65.74
12	केरल	465.25			106.29	571.54
13	कर्नाटक		69.89		209.00	278.89

1	2	3	4	5	6	7
14	मध्य प्रदेश	285.00	309.44		118.00	712.44
15	छत्तीसगढ़	100.00	161.77		5.00	266.77
16	महाराष्ट्र	200.00	200.60		1259.08	1659.68
17	मणिपुर	200.00			96.27	296.27
18	मेघालय				2.42	2.42
19	मिजोरम	139.70	22.47		110.50	272.67
20	नागालैंड	35.00	0.00		0.00	35.00
21	उड़ीसा	302.56	0.00		89.98	392.54
22	पांडिचेरी		50.00		0.00	50.00
23	पंजाब		81.25		20.91	102.16
24	राजस्थान	310.00	286.97		160.59	757.55
25	सिक्किम	75.30	17.28			92.58
26	तमिलनाडु	125.00	175.00	133.05	433.05	
27	त्रिपुरा	90.00			233.39	323.39
28	उत्तर प्रदेश	100.00	203.82	188.57	41.49	533.88
29	उत्तरांचल				155.33	155.33
30	पश्चिम बंगाल	70.83	75.20	46.92	108.69	301.64
	कुल	3456.00	2088.47	505.00	3435.89	9485.35

* भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए परियोजना लागत के 50% की दर से ब्याज मुक्त ऋण

[हिन्दी]

आई टी क्षेत्र को बढ़ावा

4821. श्री टेकलाल महतो : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या पहल की गई है;

(ग) देश में विशेषकर झारखंड में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार हेतु कितने संस्थान स्थापित किए गए और कितना का उन्नयन किया गया ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में विशेषकर झारखंड में उक्त शीर्ष के दौरान आबंटित और खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। झारखंड में शुरू की गई कुछ मुख्य ई-शासन परियोजनाएं नीचे दिए अनुसार हैं; सरकार ने झारखंड में 4562 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के लिए एक परियोजना अनुमोदित की है। सरकार ने राज्य में राज्य आंकड़ा

केन्द्र स्थापित करने की एक परियोजना भी अनुमोदित की है। झारखण्ड में ई-शासन योजनाओं के बेतहतर विकास, कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए क्षमता के सृजन की एक योजना को भी राज्य के लिए मंजूर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना सुरक्षा शिक्षा एवं जागरूकता (आईएसईएण्डएपी) परियोजना शुरू की है जिसमें भारतीय खनन विद्यालय (आईएसएम) धनबाद एक प्रतिभागी संस्थान।

(ग) एसटीपीआई ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 51 सॉफ्वेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। एक एसटीपीआई केन्द्र रांची में भी स्थापित किया गया है।

(घ) ई-शासन शीर्ष के अंतर्गत अनुमोदित की गई परियोजनाए और झारखण्ड के लिए जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के ई-शासन बजट शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त हुई राशि एवं जारी की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी आईएसएम धनबाद को 3.22 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में जारी किए हैं तथा आईएसईएण्डएपी के अंतर्गत लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के उपस्करों की भी आपूर्ति की है।

विवरण-I

ई-शासन कार्यकलापों के लिए झारखंड राज्य को वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान किए गए आबंटन/जारी की गई राशि

झारखंड

क्रम सं.	परियोजना	कुल परिव्यय तथा एए तारीख (रुपए)	मंजूरी की गई राशि तथा तारीख (रुपए)
1	2	3	4
2005-06			
1.	झारखंड राज्य के लिए राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान)	77.91 करोड़ रुपए एए दिनांक 31.03.05	4 करोड़ रुपए
2.	झारखंड राज्य में कल्याण विभाग के लिए "ई-कल्याण ई-शासन प्रयास" परियोजना	132.60 लाख रुपए एए दिनांक 29.03.06	50 लाख रुपए
3.	झारखंड के सिन्देगा जिले के लिए परियोजना ईग्वराज जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए एक ई-शासन प्रयास है	158.86 लाख रुपए एए दिनांक 29.03.06	80 लाख रुपए
2006-07			
1.	फाइल ट्रैकर - झारखंड राज्य में सरकारी कार्यालयों में फाइलों/कागजातों के संचलन की निगरानी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना	125.00 लाख रुपए एए दिनांक 19.06.06	65,00,000/- रुपए
2.	झारखंड राज्य में सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना	86,21,06,112/- रुपए एए दिनांक 09.11.06	10,77,63,264/- रुपए
2007-08			
1.	झारखंड राज्य में फाइलों के संचलन की निगरानी के लिए फाइल ट्रैकर परियोजना	125.00 लाख रुपए एए दिनांक 19.06.06	60,00,000/- रुपए
2.	"ई-शासन" जागरुकता के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला	1.00 लाख रुपए एए दिनांक 15.06.07	1,00,000/- रुपए

1	2	3	4
3.	झारखंड राज्य में 5 डिविज़नल कार्यशालाओं का आयोजन	5.00 लाख रुपए एए दिनांक 12.08.06	5,00,000/– रुपए
4.	एनईजीपी जागरुकता पर सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन – 8 राज्य	15.00 करोड़ रुपए एए दिनांक 09.03.07	2,00,000/– रुपए
5.	झारखंड राज्य में परियोजना ई–कल्याण	132.60 लाख रुपए एए दिनांक 29.03.08	70,00,000/– रुपए
6.	झारखंड राज्य में क्षमता निर्माण	1070.60 लाख रुपए एए दिनांक 26.02.08	2,18,00,000/– रुपए
7.	झारखंड राज्य में भू रिकार्ड	140.00 लाख रुपए एए दिनांक 09.10.03	70,00,000/– रुपए
8.	झारखंड राज्य में राज्य आंकड़ा केन्द्र	46.92 करोड़ रुपए एए दिनांक 28.02.08	4,16,00,000/– रुपए
9.	झारखंड राज्य के सिन्देगा जिले के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के लिए ई–शासन प्रयास पर ई–जीस्वराज	1,58,86,000/– रुपए एए दिनांक 29.03.08	50,00,000/– रुपए
10.	झारखंड राज्य में ई–जिला	319.69 लाख रुपए एए दिनांक 28.03.08	1,59,84,000/– रुपए

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
2005–06	300.00	299.87
2006–07	452.45	433.84
2007–08	552.40	547.82

दूरसंचार क्षेत्र में निवेश

4822. श्री अजीत जोगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में दूरसंचार क्षेत्र में कुल कितनी राशि का निवेश किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : गत तीन वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार क्षेत्र में पूंजीगत निवेश लगभग निम्नवत् रहा है:

वर्ष	निवेश की गई राशि (रु. करोड़ में)
2005–06	21835
2006–07	34021
2007–08	39897 (अनंतिम)

[अनुवाद]

ई. पी. एफ. अंशदाताओं को सामाजिक सुरक्षा नंबर देना

4823. श्री सुब्रत बोस : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) संगठन द्वारा बिजनेस प्रोसेसिंग और रिइंजीनियरिंग परियोजना पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) सभी ई. पी. एफ. अंशदाताओं को सामाजिक सुरक्षा नंबर (एस. एस. एन.) जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी ई. पी. एफ. अंशदाताओं को एस. एस. एन. कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) 31.03.2008 तक 'री–इंवेन्टिंग ईपीएफ इंडिया' परियोजना पर लगभग 51 करोड़ रूपये का कुल व्यय किया गया।

(ख) और (ग) अब तक 33,48,391 सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा संख्या का आबंटन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संख्या के आबंटन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस समय कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, सरकार इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास कर रही है।.

स्पेक्ट्रम विवाद

4824. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के बीच स्पेक्ट्रम विवाद को सुलझाने हेतु कोई विचार–विमर्श हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या स्पेक्ट्रम की अनुमति देने में बाधक सभी बाधाओं को दूर कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) स्पेक्ट्रम को खाली कराने और इस उद्देश्य हेतु संसाधन जुटाने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। इसकी पहली बैठक (सितंबर, 2007) में, अन्य बातों के साथ–साथ स्पेक्ट्रम शीघ्र निर्मुक्त/खाली कराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) के अधीन एक समिति गठित की गई थी जिसमें सचिव (दूरसंचार), रक्षा सचिव, भारत सरकार के बेतार सलाहकार, प्रभारी अधिकारी सिगनल, सेना मुख्यालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के एक–एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति की फरवरी, 2008 के दौरान निर्धारित बैठक स्थगित कर दी गई है। इसी बीच, स्पेक्ट्रम निर्मुक्त कराने के लिए वैकल्पिक नेटवर्क उपलब्ध कराने हेतु स्कीम शुरू हो गई है।

किसान विकास परिषद

4825. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किसान विकास परिषद स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) वर्तमान में किसान विकास परिषद की स्थापना का कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, "विस्तार सुधारों के लिये राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी सृजन/प्रचार–प्रसार को किसान संचालित बनाने के लिए जिंस उन्मुख कृषक हित समूहों को प्रखंण्ड/ग्राम स्तर पर बढ़ावा दिया जाता है। ग्राम स्तर के इन कृषक हित समूहों का प्रखण्ड/जिला स्तर पर संघ बनाया जा सकता है। इन समूहों की विस्तार जरूरतों को पूरा करने के लिये स्कीम के तहत मूलभूत स्तरों यथा सार्वजनिक, निजी, एन जी ओ, परा विस्तार कार्मिक, आदान डीलर आदि के रूप में काम करने वाले विभिन्न सहभागियों के साथ ए टी एम ए के घनिष्ठ सम्पर्क की परिकल्पना की गई है।

उपभोक्ता शिकायतों का निराकरण

4826. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक मैत्रीपूर्ण और निर्बाध विधिक प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना बना रही है जहां पर उपभोक्ता अविलंब अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उपलब्ध कराए जाने वाले तंत्र का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईएसआई लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड

4827. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का विचार ईएसआई लाभार्थियों को उनके चिकित्सीय उपचार हेतु स्मार्ट कार्ड उपलब्ध/जारी कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी ई. एस. आई. लाभार्थियों को उक्त कार्ड कब तक उपलब्ध/जारी कराए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क. रा. बी. लाभार्थियों को चिकित्सा उपचार के लिए स्मार्ट कार्ड अपलब्ध कराने हेतु अध्ययन किया जा रहा है। मामले में अंतिम निर्णय अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर लिया जाएगा।

अनाधिकृत पी सी ओ

4828. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों और बेरोजगार व्यक्तिों को आबंटित एसटीडी–पीसीओ अन्य व्यक्तियो द्वारा अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी किसी जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। बीएसएनएल/एमटीएनएल में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद

4829. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री श्रीचन्द कृपलानी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए चावल, गेहू और अन्य खाद्यान्नों का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त खरीद से राज्य–वार और वर्ष–वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या किसानों से खरीदे गए खाद्यान्नों हेतु उनको भुगतान किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान खरीदे गए चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) खरीद प्रचालनों के अधीन लाभान्वित हुए किसानों की संख्या के बारे में राज्यवार और वर्षवार आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उनका यह प्रयास रहता है कि भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों पर स्टॉक खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान रिलीज कर दिया जाए।

विवरण

पिछले 3 विपणन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार खरीदा गया गेहूं

(लाख टन में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	90.10	69.46	67.81
2.	हरियाणा	45.29	22.29	33.50
3.	उत्तर प्रदेश	5.60	0.49	5.46

1	2	3	4	5
4.	राजस्थान	1.59	0.02	3.83
5.	चंडीगढ़	–	–	–
6.	दिल्ली	0.02	–	नगण्य
7.	हिमाचल प्रदेश	–	नगण्य	–
8.	मध्य प्रदेश	4.84	–	0.57
9.	गुजरात	–	–	–
10.	बिहार	–	नगण्य	0.08
11.	उत्तराखंड	0.40	–	0.02
12.	छत्तीसगढ़	–	नगण्य	–
	जोड़	147.85	92.25	111.27

नगण्यः– 500 टन से कम

पिछले 3 विपणन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार खरीदा गया चावल

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05	2005–06	2006–07
1	2	3	4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1	–	–
आन्ध्र प्रदेश	3906	4971	5327
अरुणाचल प्रदेश	–		
असम	नगण्य	1	–
बिहार	343	524	476
चंडीगढ़	19	13	10
छत्तीसगढ़	2837	3265	2858
दिल्ली	–		
गुजरात	–		
हरियाणा	1662	2054	1773
हिमाचल प्रदेश	2		
जम्मू व कश्मीर	1	3	
झारखंड	1	2	5
कर्नाटक	21	48	22
केरल	33	94	151
मध्य प्रदेश	42	136	74
महाराष्ट्र	205	194	96
नागालैंड	11	–	–
उड़ीसा	1590	1785	1993
पांडिचेरी	–		6
पंजाब	9106	8855	7828
राजस्थान	22	23	10
तमिलनाडु	652	926	1078
उत्तर प्रदेश	2971	3151	2549
उत्तरांचल	316	336	176
पश्चिम बंगाल	944	1275	644
अखिल भारत जोड़	24685	27656	25075

पिछले 3 विपणन वर्षों में राज्यवार और वर्षवार खरीदे गए मोटे अनाज

(हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–2005	2005–06	2006–07
आंध्र प्रदेश	223.22	593.90	
छत्तीसगढ़	10.99	9.22	
गुजरात			
हरियाणा	130.12	4.90	
कर्नाटक	429.07	446.04	
मध्य प्रदेश	2.04	3.00	
महाराष्ट्र	31.50	96.97	नगण्य
पांडिचेरी			
पंजाब	0.2		
राजस्थान			
अखिल भारत जोड़	827.07	1154.01	नगण्य

रक्षा विमानों का प्रयोग करने के मद में बकाया धनराशि

4830. योगी आदित्यनाथ : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों सहित भूतपूर्व केबिनेट मंत्रियों द्वारा निजी यात्राओं हेतु रक्षा विमानों का प्रयोग करने के लिए उन पर भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनसे बकाया धनराशि वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भूतपूर्व कैबिनेट मंत्रियों सहित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा गैर सरकार यात्राओं के लिए रक्षा विमानों के उपयोग के लिए बकाया देय राशि इस प्रकार हैं:

(i) श्री वी. सी शुक्ला पर 15.4.1994 को की गई यात्रा के लिए 4,60,336/–रु.।

(ii) स्व. श्री चन्द्रेशखर पर जनवरी 1991 से जून 1991 के दौरान की गई यात्राओं के लिए 5,91,31,476/– रु.

(iii) श्री एच. डी. देवेगौड़ा पर सितंम्बर, 1996 से मार्च, 1997 की अवधि के दौरान की गई यात्राओं के लिए 54,61,497/– रु.।

(ग) सरकार ने नोटिस भेज कर अथवा उपयुक्त वसूली प्रक्रिया शुरू करके बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

बन्द चीनी मिलें

4831. श्री रनेन बर्मन : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य–वार कितनी चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) उक्त चीनी मिलों के बन्द होने की वजह से राज्य–वार कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन बन्द पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मिलों के बन्द होने की वजह से बेरोजगार हुए कामगारों को वैकल्पिक रोजगार अथवा वित्तीय सहायता मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन चीनी मौसमों और वर्तमान चीनी मौसम के दौरान देश में जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया उनकी राज्यवार संख्या निम्नवत् है:–

2004–05, 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के चीनी मौसमों के दौरान जिन चिनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी सूची

राज्य	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08
आंध्र प्रदेश	8	5	5	5
असम	3	3	3	3
बिहार	18	19	19	19
गुजरात	5	6	5	5
हरियाणा	0	1	1	1
कर्नाटक	14	12	9	10
केरल	2	2	2	2
मध्य प्रदेश	5	5	5	5
महाराष्ट्र	90	47	25	24
नागालैंड	1	1	1	1
उड़ीसा	2	3	3	2
पुडुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	3	4	7	7
राजस्थान	2	2	2	2
तमिलनाडु	4	3	3	3
उत्तरप्रदेश	17	16	14	23
पश्चिम बंगाल	1	1	1	1
जोड़	176	131	105	113

(ख) इन चीनी मिलों के बन्द होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों की संख्या संबंधी आंकड़ें इस विभाग द्वारा नहीं जाते हैं।

(ग) और (घ) बन्द चीनी मिलों को पुनः आरम्भ करने के उपाय करना संबंधित उद्यमी का दायित्व है। तथापि, चीनी विकास निधि नियमावली, 1983 में यह व्यवस्था है कि संभावित रूप से व्यवहार्य चीनी उपक्रम चीनी विकास निधि से (i) प्लांट और मशीनरी के आधुनिकीकरण या पुनर्स्थापन, और (ii) गन्ना विकास के लिए ऋण ले सकते हैं। चीनी विकास निधि से ऋण की सिफारिश निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा या सहकारी चीनी मिलों के मामलों पर विचार करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में स्थापित पुनर्स्थापन समिति द्वारा की जानी चाहिए।

(ङ) चीनी मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को वैकल्पिक रोजगार या वित्तीय सहायता मुहैया कराना सरकार द्वारा अपेक्षित नहीं है क्योंकि देश में बन्द चीनी मिलों सहित बन्द मिलों में कार्यरत कामगारों के हितों की रक्षा संगत कानूनों के अधीन की जाती है।

पुष्प कृषि का विकास

4832. श्री विजय कृष्ण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुष्प कृषि उद्योग के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा पुष्प कृषि के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाने हेतु विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत बड़ी संख्या में क्लस्टरों के अलावा पुष्प कृषि हेतु कृषि निर्यात जोनों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में ऐसे कितने जोन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वर्ष 2007–08 के दौरान पुष्पकृषि के विकास के लिए उपलब्ध कराई गई राशियों की प्रमात्रा और देश में पुष्पकृषि के अंतर्गत क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान बिहार को कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है। तथापि पुष्पकृषि के अंतर्गत 2321 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए 2006–07 के दौरान बिहार को 460.11 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ग) और (घ) सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों में पुष्पकृषि के लिए छह कृषि निर्यात जोन (ए ई जैड) स्थापित किए हैं। वर्तमान में बिहार सहित देश के किसी भाग में पुष्पकृषि के लिए ए ई जैड की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पुष्पकृषि को बिहार के 23 जिलों सहित देश के विभिन्न स्थानों में बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

2007–08 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पुष्पकृषि के अंतर्गत क्षेत्र और निर्मुक्त राशियां

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	पुष्पकृषि के अंतर्गत क्षेत्र* (000 है.)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत निर्मुक्त राशियां	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अंतर्गत निर्मुक्त राशियां	पूर्वोत्तर राज्यों में समेकित बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत निर्मुक्त राशियां	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	23.500	146.500	1.520	0.000	148.020
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.000	91.000	91.000

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	1.000	0.000	0.000	325.000	325.000
4.	बिहार	0.2000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	छत्तीसगढ़	2.200	149.180	0.000	0.000	149.180
6.	दिल्ली	5.500	0.000	0.000	0.000	0.000
7.	गुजरात	8.400	99.910	178.930	0.000	278.840
8.	हरियाणा	5.700	218.630	0.000	0.000	218.630
9.	हिमाचल प्रदेश	0.500	0.000	48.870	22.110	70.980
10.	जम्मू और कश्मीर	0.300	0.000	10.640	70.000	80.640
11.	झारखंड	0.000	34.130	2.810	0.000	36.940
12.	कर्नाटक	22.300	683.145	469.650	0.000	1152.795
13.	केरल	0.000	34.986	5.300	0.000	40.286
14.	मध्य प्रदेश	3.800	240.635	28.710	0.000	269.345
15.	महाराष्ट्र	14.500	490.005	762.270	0.000	1252.275
16.	मणिपुर	0.500	0.000	0.000	41.600	41.600
17.	मेघालय	0.100	0.000	0.000	197.000	197.000
18.	मिजोरम	0.100	0.000	0.000	377.000	377.000
19.	नागालैंड	0.100	0.000	0.000	586.000	586.000
20.	उड़ीसा	1.900	327.160	1.630	0.000	328.790
21.	पंजाब	1.000	45.510	25.730	0.000	71.240
22.	राजस्थान	4.300	70.955	0.000	0.000	70.955
23.	सिक्किम	0.100	0.000	32.660	195.130	227.790
24.	तमिलनाडु	27.800	307.731	390.450	0.000	698.181
25.	उत्तर प्रदेश	8.400	810.960	204.500	0.000	1015.460
26.	उत्तराखंड	0.800	0.000	288.310	120.250	408.560
27.	पश्चिम बंगाल	18.700	104.550	5.940	0.000	110.490
28.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.000	0.000	23.380	0.000	23.380
	कुल	151.700	3763.987	2481.300	2025.090	8270.377*

* आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

4833. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारत–जर्मन द्विपक्षीय विकास सहयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु 27 लघु और एक मध्यम साइज पैंच सिंचाई परियोजना प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) भारत–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के तहत वित्तपोषण के लिए एक वृहद अर्थात पेंच डाइवर्जन परियोजना, 3 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 28 लघु सिंचाई स्कीमों सहित वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश सरकार से 32 सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए। लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच के पश्चात प्रेक्षण/टिप्पणियां मध्य प्रदेश सरकार को भेजी गईं। परियोजनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से प्रेक्षणों की अंनुपालना संबंधी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इसके पश्चात, राज्य सरकार के अनुरोध पर पेंच डाइवर्जन परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को जेबीआईसी के रोलिंग प्लान 2007–09 में शामिल करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को संस्तुत किया गया था।

विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति

4834. श्री बापू हरी चौरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मूंगफली, तिल और सोयाबीन बीजों की आपूर्ति हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भरत सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से मूंगफली, तिल और सोयाबीन बीजों की आपूर्ति के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, फरवरी, 2008 में संपन्न खरीफ के लिए आंचलिक आदान सम्मेलन में, महाराष्ट्र सरकार ने मूंगफली, तिल और सोयाबीन सहित प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की मांग और उपलब्धता का संकेत दिया था जिस पर विचार किया जाना पर्याप्त होगा। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

खरीफ, 2008 के लिए महाराष्ट्र में प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की मांग और उपलब्धता के ब्यौरे

मात्रा क्विंटल में

फसल	मांग	उपलब्धता			कुल
		महाराष्ट्र राज्य बीज निगम	राष्ट्रीय बीज निगम	निजी स्रोत	उपलब्धता
मूंगफली	19620	9000	175	11425	20600
तिल	1071	410	5	910	1325
सोयाबीन	843075	425480	20400	421300	867180

[अनुवाद]

भूमि की लवणता

4835. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में भूमि की बहुत अधिक लवणीयता देखने में आयी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के विशेष संदर्भ सहित गन्ना कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि लवणीकरण की वजह से किस हद तक प्रभावित हुई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (2005) के अनुसार देश में लगभग 8.60 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र लवणता/क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है जिसमें महाराष्ट्र राज्य का 0.53 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है। देश में गन्ने

की खेती के तहत कुल क्षेत्र 5.15 मिलियन हेक्टेयर है जिसमें महाराष्ट्र राज्य का 1.05 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है और गन्ने की खेती के कारण लवणीयता के संबंध में अलग से कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

क्षारीयता और लवणीयता, दोनों का कारण फसलों के जड़ क्षेत्र में लवण संचित होना है तथा क्षारीयता व लवण क्षेत्र की सीमा के संबंध में अलग से कोई आकलन उपलब्ध नहीं है। उन क्षेत्रों में जहां निकास पर्याप्त नहीं है, भू–जल के स्तर में वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण सिंचाई जल का अत्यधिक उपयोग तथा असम्बद्ध नहरों से रिसाव है। भू–जल के स्तर में वृद्धि से अत्यधिक हानिकारक लवण मृदा के सतह पर आ जाता है जिससे लवणीयता की स्थिति बनती है। जड़ क्षेत्र में अत्यधिक लवण के संचित होने से मृदा उत्पादकता की आंशिक या पूर्ण हानि होती है और ऐसे लवण की मौजूदगी से अधिकांश फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है।

भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, सिंचित कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवण क्षेत्र के सुधार व विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत लवणीयता पर रोक लगाने के लिये रोकथाम तथा सुधारपरक उपाय किये जा रहे हैं। रोकथाम संबंधी उपायों में दुर्बल क्षेत्रों में नहरों की लाइनिंग, फार्म पर विकासात्मक कार्य जैसे पंक्तिबद्ध क्षेत्रीय चैनलों और क्षेत्रीय निकास का निर्माण, किसानों को सिंचाई जल की चक्रीय आपूर्ति (वाराबन्दी), सतही एवं भू–जल का सम्मिलित उपयोग तथा प्रशिक्षण, अनुकूलन जांच व प्रदर्शन के जरिये किसानों में सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रचार प्रसार शामिल है। सुधारपरक उपायों में फसलों के जड़ क्षेत्र से अत्यधिक लवण को निकालने के लिये मृदा के विक्षालन तथा अत्यधिक हल के निपटान के लिये ऊर्ध्व निकास तथा जैविक निकास और सतही तथा अवसतही निकास का निर्माण शामिल है।

ई. पी. एफ. खातों में दावारहित धनराशि

4836. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि (ई. पी. एफ.) खातों में राज्य–वार कितनी दावारहित धनराशि पड़ी है;

(ख) क्या सरकार ने इस दावारहित धनराशि 'डेडमनी' के उपयोग हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ताकि इस प्रकार की दावारहित धनराशि का न तो दुरुपयोग हो सके और न ही इसे गलत दावेदारों को संवितरित किया जा सके?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार अप्रवृत्त खाते (पूर्व में दावारहित जमा खाते के रूप में जाना जाने वाला) में 1,624.69 करोड़ रुपये की राशि जमा थी। क्षेत्र–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के विद्यमान उपबंधों के अनुसार "अप्रवृत्त खाते" में जमा राशि का सही दावेदारों को वापस करने/पुनः भुगतान करने के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अप्रवृत्त खाते के दावों की सावधानी से संवीक्षा करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सही दावेदारों को राशि का भुगतान करें।

विवरण

अप्रवृत्त खाते में जमा राशि के क्षेत्र–वार ब्यौरे

क्रम संख्या	क्षेत्र	अप्रवृत्त खाते में जमा राशि (31.3.2007 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2719882598.84
2.	बिहार	640455.03
3.	छत्तीसगढ़	0.00
4.	दिल्ली	66589337.59
5.	गोवा	43749950.85
6.	गुजरात	23487620.00
7.	हरियाणा	31945484.60
8.	हिमाचल प्रदेश	136194000.00
9.	झारखंड	503214.65
10.	कर्नाटक	32225486.00
11.	केरल	1761187.00
12.	मध्य प्रदेश	1906442186.00

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	5616505176.91
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4241478.53
15.	उड़ीसा	1142242.08
16.	पंजाब	126239635.37
17.	राजस्थान	11566301.14
18.	तमिलनाडु	753176829.12
19.	उत्तर प्रदेश	126619132.73
20.	उत्तरांचल	26790140.43
21.	पश्चिम बंगाल	4617192299.32
	कुल योग	16246894756.19

[हिन्दी]

मोबाइल टावर और अवसंरचना का प्रावधान

4837. श्री मित्रसेन यादव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल टेलीफोन के विस्तार हेतु सरकारी–निजी भागीदारी और पारस्परिक सहयोग के माध्यम से टावर खड़ा करने और इसके लिए वांछित अन्य अवसंरचना विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस भागीदारी और पारस्परिक सहयोग से कुल कितने टावर खड़े किए जाएंगे;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कुल कितने जिलों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) इन पर अनुमानित कुल कितनी लागत आने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 27 राज्यों के 500 जिलों में स्थिति उन विनिर्दिष्ट गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों, जिनमें स्थिर बेतार अथवा मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा हाल ही में 7871 अवस्थापना स्थलों (टावरों) की संस्थापना और प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की गई है। इस प्रकार स्थापित अवस्थापना स्थलों का उपयोग वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसे अन्य बेतार अभिगम सेवाओं सहित मोबाइल सेवाएं प्रदान के लिए तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा साझे में किया जाएगा। निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों, दोनों के द्वारा टावरों के रूप में अवस्थापना और मोबाइल सेवाएं प्रदान के लिए व्यवस्था का सृजन किया जाएगा। 01.06.2007 से लागू होने वाले करारों पर यूएसओएफ द्वारा सफल अवस्थापना प्रदाताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ मई, 2007 में हस्ताक्षर कर लिए गए हैं।

(घ) बोली प्रक्रिया के निष्कर्ष के रूप में पाई गई मानक दर के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से कुल लगभग 587.88 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा

4838. डा. के. धनराजू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट सुविधा देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रॉडबैण्ड की गति 2 एम बी अथवा उससे कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास 2 एम बी ब्रॉडबैण्ड सुविधा के असीमित प्रयोग हेतु प्रशुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 2350 ब्लॉकों के 20,000 से भी ज्यादा गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है।

(ग) और (घ) ब्रॉडबैंड की न्यूनतम गति 256 केबीपीएस है जिसे सेवा प्रदान करने वाले एक्सचेंज से ग्राहक की दूरी और उपलब्ध केबल पेयर की स्थिति के आधार पर 8 एमबीपीएस तक बढ़ाया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि भूमि की उर्वरता

4839. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सभी प्रकार की कृषि भूमि की उर्वरता उत्तरोत्तर घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य–क्षेत्र की कृषि भूमि की उर्वरता लगातार कम हो रही है। तथापि, वृक्षहीन कर दिए गए वन से सटी भूमि और सुनामी प्रभावित कृषि भूमि की उर्वरता कम हुई है। ऐसी भूमि की मृदा उर्वरता बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं;

(i) पहाड़ी क्षेत्रों में पनधारा आधार पर मृदा संरक्षण उपाय।

(ii) सुनामी प्रभावित कृषि भूमि का सुधार जल निकासी बेहतर बनाकर, जैविक पदार्थ डालकर और वर्षाजल के जरिए लवणता को बहाकर समाप्त करके किया जाता है।

(iii) प्रशिक्षण और प्रदर्शन के जरिए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन।

रागी और ज्वार के उत्पादन में कमी

4840. श्री सी. एच. विजयशंकर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में आवश्यक अनाज रागी और ज्वार के उत्पादन में अत्यधिक कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त राज्यों में इन अनाजों का उत्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रागी और ज्वार के उत्पादन में आयी कमी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर कर्नाटक में रागी और ज्वार का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) देश में रागी का उत्पादन 2006–07 के दौरान 1.44 मिलियन टन था जो 2007–08 के दौरान बढ़कर 2.7 मिलियन टन हो गया। (दिनांक 22.04.2008 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान)। देश में ज्वार का उत्पादन 2006–07 के दौरान 7.15 मिलियन टन था जो 2007–08 के दौरान बढ़कर 7.73 मिलियन टन हो गया। 2005–06 से 2007–08 के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र राज्यों में रागी तथा ज्वार के ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं;

रागी

(000 टन)

राज्य	2005–06	2006–07	2007–08*
कर्नाटक	1724.0	816.0	1401.0
आन्ध्र प्रदेश	79.0	64.0	62.0
तमिलनाडु	132.7	148.2	185.0
उड़ीसा	40.3	43.1	45.0
महाराष्ट्र	132.0	123.0	120.0

* दिनांक 22.04.2008 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान

ज्वार

(000 टन)

राज्य	2005–06	2006–07	2007–08*
कर्नाटक	1665.0	1312.0	1544.0
आन्ध्र प्रदेश	588.0	411.0	473.0
तमिलनाडु	231.4	294.0	349.0
उड़ीसा	5.7	5.8	6.0
महाराष्ट्र	3904.0	3772.0	4200.0

* दिनांक 22.04.2008 को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान

2006–07 के दौरान फसल की कम क्षेत्र, व्याप्ति के कारण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में रागी तथा ज्वार के उत्पादन में 2005–06 की तुलना में गिरावट आई।

(घ) और (ङ) कर्नाटक सहित देश रागी तथा ज्वार का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकारी कृषि के वृहद प्रबनघन पद्धति के अन्तर्गत अक्तूबर 2000 से मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में एकीकृत

अनाज विकास कार्यक्रम की एक केन्द्री द्वारा प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। यह स्कीम भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 90:10 की हिस्सेदारी आधार पर कार्यान्वित की गई है। इस स्कीम के तहत किसानों को बीजों के वितरण, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रसार, एकीकृत कीट प्रबन्धन, किसानों का प्रशिक्षण जिसमें महिलाएं शामिल हैं, कृषि उपकरण तथा छिड़काव सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। किसानों के बीच फ्रन्टियर प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा फ्रन्टलाईन प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं।

भारत-अमरीका लॉजिस्टिक भागीदारी समझौता

4841. श्री एस. अजय कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सैन्य लॉजिस्टिक भागीदारी समझौता करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) और (ख) भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग कायम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग 1990 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ तथा यह तब से सुचारु और सतत रूप से चल रहा है। भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा सहयोग के एक हिस्से के रूप में आवश्यकता एवं परस्पर सहमत सेवा शर्तों के आधार पर कई करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ "परस्पर सैन्य संभारिकी भागीदारी समझौता" के विशिष्ट नाम से कोई समझौता नहीं है। तथापि, रक्षा सहयोग से संबद्ध समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर विचार करना और उन पर हस्ताक्षर करना एक सदैव और सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ऋण की व्यवस्था

4842. श्री निहाल चन्द :

श्री सुभाष महरिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन और सीमांत किसानों को ऋण मुहैया कराने हेतु कोई विशेष योजना तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन और सीमान्त किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष स्कीम करने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन और सीमान्त किसानों सहित किसानों के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था बनाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय पहले ही शुरु किए गए हैं।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य

4843. श्रीमती किरण माहेश्वरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सफलता हासिल हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 10321.84 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कई उत्पाद और प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। इनमें प्रक्षेपास्त्र; मानवरहित वायवीय वाहन; इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां; वैमानिकीय उन्नयन; रेडार और सोनार; युद्धक वाहन; गाइरोस्कोप; इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर; सेंसर; एन बी सी विसंदूषण सूट; पैराशूट; प्रणोदक और विस्फोटक; डेटोनेटर; सम्मिश्रित सामग्री; पाउडर धातु विज्ञान; ईंधन सैल; पेंट; डाटा प्रसंस्करण; एंटीना; कृत्रिम आसूचना; बीजांकन; संचार प्रणालियां; सिगनल प्रोसेसिंग; मार्गदर्शी और नियंत्रण प्रणालियां आदि शामिल हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने इन प्रयासों और उपलब्धियों से सेनाओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से सज्जित किया है।

(ग) सेनाएं, उद्योग और अकादमियां शुरू से ही वृहत्तर सीमा तक डिजाइन और विकास कार्यकलापों में सहक्रियात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा भूमि खरीद

4844. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम (सीडब्ल्यूसी) का विचार अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में भूमि खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीडब्ल्यूसी द्वारा ऐसी खरीदों पर होने वाले संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप भण्डारण क्षमता में राज्यवार कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ङ) वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान राज्य भाण्डागार निगमों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य सरकारों को दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी सहायता आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने 2008–09 के दौरान भूमि की खरीदारी करने का निम्नानुसार प्रस्ताव किया है:–

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	राशि (लाख रुपए में)
1.	तुतीकोरिन (केन्द्रीय भंडारण निगम के मौजूदा गोदाम के साथ अतिरिक्त भूमि)	तमिलनाडु	2.16 एकड़	23.00
2.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	100 एकड़	20.00
3.	कन्नूर	केरल	5 एकड़	10.00

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर भूमि रसीद कर केन्द्रीय भंडारण निगम यथा प्रस्तावित और निम्नानुसार भंडारण क्षमता बढ़ा सकेगा:–

क्रम संख्या	राज्य	क्षमता (टन में)
1.	तमिलनाडु	10,000
2.	हिमाचल प्रदेश	5,000
3.	केरल	10,000 (ढकी हुई) 3700 वर्ग मीटर (खुला परिसर)

(ङ) और (च) केन्द्रीय भंडारण निगम ने 2006–07 और 2007–08 के दौरान राज्य भंडारण निगम के अधीन भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को कोई सहयता प्रदान नहीं की है।

भारतीय वायु सेना में मिराज

4845. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान बेड़े में 51 मिराज 2000 का उन्नयन करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत की रक्षा तैयारी में किस हद तक सहायता प्रदान करने के लिए फ्रांस सहमत हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) फ्रांस के मूल उपस्कर विनिर्माता (ओ ई एम) भारतीय वायु सेना के मिराज 2000 बेड़े को उन्नत करने के लिए सहमत हो गए हैं। फ्रांस के मूल उपस्कर विनिर्माता को प्रस्ताव संबंधी अनुरोध 9.4.2008 को जारी कर दिया गया है।

कृषि में सरकारी निजी भागीदारी

4846. श्री बालासाहिब विखे पाटील :
श्री इकबाल अहमद सरडगी

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत कोई अनुसंधान परियोजना/योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कृषि रूपान्तरण का अगला चरण लाने के लिए कृषि कार्यों का यंत्रीकरण अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हा।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्व बैंक केडिट सहायता से छः वर्षों की अवधि के लिए जुलाई, 2006 में 1189.99

करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना" शुरू की है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं उत्पादन से उपभोक्ता प्रणालियों पर अनुसंधान करना; टिकाऊ ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और कृषि विज्ञानों के अग्रवर्ती क्षेत्रों में मूलभूत और नीतिपरक अनुसंधान करना। उपरोक्त अनुसंधान संघटकों को निजी और सार्वजनिक संस्थान/एजेंसियों दोनों के साझेदारों को शामिल करते हुए कंसोर्टियम मोड में चलाया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। फार्म परिचालनों का मशीनीकरण, कृषि रूपांतरण के अगले चरण को लाने के लिए जरूरी है। फार्म मशीनीकरण दक्षता में सुधार लाएगा, फार्म परिचालनों को समय पर पूरा करेगा, अगली फसल को समय पर रोपाई करने के लिए खेत उपलब्ध करायेगा और पैदावार की लागत को कम करेगा। विभाग ने अपने संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से कृषि उपकरण और मशीनरी पर विभिन्न फार्म क्रियाओं को करने के लिए लगभग 250 फार्म उपकरणों का विकास किया है। यह हाल ही में विकसित किए गए उपकरणों और मशीनरी जैसे कि लेजर लैंड लेवलर, रोटावेटर, जीरो–टिल ड्रिल, मल्टी–क्रॉप ड्रिल, रेज्ड बेड प्लांटर, प्री–जर्मिनेटिड पैडी सीडर, मैट–टाइप पैडी ट्रांसप्लांटर, गन्ना सेट कटर प्लांटर, स्वचालित आलू प्लांटर, नारियल हार्वेस्टर, नारियल क्लाइंबर आदि को अपने आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है।

ई.एस.आई. की बकाया राशि के भुगतान में चूक

4847. श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कर्मचारी राज्य बीमा के भुगतान में चूक करने वाले नियोजकों, प्रतिष्ठानों तथा ठेकेदारों की कुल संख्या राज्य–वार कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार संचयी चूक बकाया राशि कितनी है और चूक की अवधि कितनी है;

(ग) अभी तक चूककर्ताओं से कितनी बकाया राशि वसूल की गई है; और

(घ) अभी तक दर्ज किए गए मामलों, दोषी सिद्ध किए गए व्यक्तियों तथा कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा बकायों के भुगतान में चूक करने वाले नियोक्ताओं, प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों की संख्या 1,23,217 थी। बकाया राशि की राज्य–वार स्थिति संलग्न विवरण II में दी गई है।

(ख) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, भुगतान में चूक के कारण संचयी बकाया राशि 1150,98 करोड़ रुपये थी।

(ग) 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ताओं से 1369 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूली जा चुकी है।

(घ) पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान दायर मामलों और दोष सिद्धियों की संख्या तथा 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या संलग्न विवरण–I में है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005–06		2006–07		2007–08		31.12.2007 की
		दायर मामले	दोषसिद्धि	दायर मामले	दोषसिद्धि	दायर मामले	दोषसिद्धि	स्थिति के अनुसार लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	161	36	41	3	39	18	329
2	असम	9	37	3	5	3	5	102
3	बिहार	27	10	6	2	2	शून्य	454
4	झारखंड	3	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	33
5	दिल्ली	138	37	153	56	71	24	565

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	गोवा	135	32	40	22	49	121	534
7	गुजरात	30	45	17	87	52	180	3262
8	हरियाणा	79	55	56	80	45	26	720
9	कर्नाटक	236	201	80	171	139	128	301
10	केरल	128	31	62	7	58	3	520
11	मध्य प्रदेश	2	166	1	20	21	34	433
12	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3
13	महाराष्ट्र	563	72	79	104	109	53	3445
14	उड़ीसा	116	शून्य	18	शून्य	20	शून्य	890
15	पंजाब	197	64	21	188	28	47	1264
16	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	39
17	जम्मू और कश्मीर	2	13	1	35	69	123	
18	राजस्थान	24	18	32	7	81	2	277
19	तमिलनाडु	363	181	236	76	214	75	1471
20	पुडुचेरी	18	4	70	1	शून्य	शून्य	86
21	उत्तर प्रदेश	90	6	23	8	13	4	1182
22	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	59
23	पश्चिम बंगाल	140	43	41	34	172	17	1236
	कुल	2461	1051	981	906	1122	746	17328

विवरण-II

क्रम सं.	राज्यों के नाम	चूककर्ताओं/मामलों की राज्य-वार संख्या	वसूली जाने वाली बकाया राशि (करोड़ रुपए में)	फिलहाल व वसूली जा सकने वाली बकाया राशि* (करोड़ रुपए में)	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	8232	31.38	42.33	73.71
2	असम	844	2.82	2.23	5.05

1	2	3	4	5	6
3	बिहार	581	1.81	4.26	6.07
4	झारखंड	811	9.57	1.82	11.39
5	दिल्ली	7061	23.64	21.69	45.33
6	गोवा	880	1.86	2.86	4.72
7	गुजरात	3903	10.49	71.94	82.43
8	हरियाणा	6253	11.34	72.18	83.52
9	कर्नाटक	6970	26.41	20.65	47.06
10	केरल	5648	24.09	14.22	38.31
11	मध्य प्रदेश	4856	21.03	10.45	31.48
12	छत्तीसगढ़	261	2.56	7.09	9.65
13	महाराष्ट्र	21860	71.07	53.92	124.99
14	उड़ीसा	2023	7.02	20.15	27.17
15	पंजाब	5387	6.83	11.54	18.37
16	हिमाचल प्रदेश	496	1.2	0.07	1.27
17	जम्मू और कश्मीर	1363	1.8	5.66	7.46
18	राजस्थान	4627	8.62	13.83	22.45
19	तमिलनाडु	25080	72.42	176	248.42
20	पुडुचेरी	295	0.64	6.47	7.11
21	उत्तर प्रदेश	6787	31.64	44.46	76.1
22	उत्तराखंड	284	2.24	2.95	5.19
23	पश्चिम बंगाल	8715	27.22	146.51	173.73
	कुल	123217	397.7	753.28	1150.98

* अदालती मामलों, कारखानों में परिसमापन, बी आई एफ आर में मामले लंबित होने और इकाईयों के बंद होने तथा अता-पता मालूम न होने के कारण बकाया फिलहाल वसूले जाने योग्य नहीं।

खाद्यान्नों का रणनीतिक बफर स्टॉक

4848. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री एस.के. खारवेन्थन :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आपातकालिक स्थितियों के लिए खाद्यानों के वर्तमान बफर स्टॉक के अतिरिक्त पांच मिलियन टन का एक रणनीतिक भंडार बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त स्टॉक का निर्माण एवं रख-रखाव किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, हां। बफर मानदंडों का संशोधन लंबित होने से और देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50 लाख टन खाद्यानों का महत्वपूर्ण रिजर्व रखा जाएगा। यह महत्वपूर्ण रिजर्व 2008–09 से शुरू करके एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाएगा।

महत्वपूर्ण रिजर्व के रखरखाव की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

4849. श्री खारबेल स्वाई : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के टेलीफोन–धारक वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन कनेक्शन धारक वरिष्ठ नागरिक पहले ही अपने टेलीफोनों पर उन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार हैं जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड के अन्य टेलीफोन ग्राहकों को प्राप्त हैं।

(ख) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

निजी टेलीफोन ऑपरेटरों के विरुद्ध शिकायतें

4850. श्री मधु गौड़ यास्खी :

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **संचार और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी) आयोग को देश में टेलीफोन कंपनियों यथा भारती, एयरटेल, वोडाफोन तथा आइडिया सलुलर के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.आर. टी.पी. ने इन कंपनियों के विरुद्ध किसी जांच के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स वोडाफोन एस्सार लिमिटेड तथा मैसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा कीमतों में एक साथ बढ़ोत्तरी करने का आरोप लगाने वाली समाचार पत्र की रिपोर्टों के आधार पर एकाधिकार व अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने महानिदेशक (आई एण्ड आर) को इसकी जांच करने का निदेश दिया। महानिदेशक (आई एण्ड आर) ने यह उल्लेख करते हुए प्राथमिक जांच रिपोर्ट (पीआईआर) प्रस्तुत की, कि इन तीन कम्पनियों ने एमआरटीपी अधिनियम की धारा 36–ए के अर्थ के भीतर अनुचित व्यापार, तथा एमआरटीपी अधिनियम की धारा 2 (0) के साथ पठित धारा 33 (1) के अधीन गुट बनाने का प्रतिबंधित व्यापार संबंधी व्यवहार किया। आयोग ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर विचार किया और इन मुद्दों का निर्धारण करने हेतु इस मामले को 31.01.2008 को सूचीबद्ध किया गया है।

मूल्य वृद्धि

4851. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) ने अपने हाल के अध्ययन में यह बताया है कि देश में मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण विचौलियों द्वारा अत्यधिक मुनाफाखोरी है जैसा कि दिनांक 14 अप्रैल, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष एवं सिफारिशें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क)

और (ख) सरकार को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इण्डिया (एसोचैम) द्वारा किए गए किसी सर्वेक्षण की जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार को आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों में कुछ अन्तर की जानकारी है। यह मामला राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र लिखकर मामले की जांच करने और आवश्यक शोधक उपाय करने के लिए कहा गया है। इस मुद्दे पर 22.4.2008 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई जिसमें राज्य सरकारों से मण्डी थोक मूल्यों और खुदरा मूल्यों के बीच असामान्य अन्तर को कम करने के लिए बाजार दखल कार्यवाही जैसे उचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली सूचना

4852. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली (घोस्ट) राशन कार्ड रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डीपीएस) लाभार्थियों तथा राशन कार्डों के संबंध में इंटरनेट पर सूचना उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जाली राशन कार्डों को रोकने के लिए क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही 9 सूत्री कार्ययोजना के अधीन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि (1) राशन कार्डों की सूची की लगातार समीक्षा की जाए, और (2) उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की है और 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें अपने यहां गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों का प्रदर्शन कर रही हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे जाली राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों और ऐसे कार्ड जारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को यह अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जिलों और उचित दर दुकानों को जारी किए गए मासिक आबंटन भी प्रदर्शित करें ताकि जनता उनकी संवीक्षा कर सके।

नदी तथा भूजल पर केन्द्रीयकृत नियंत्रण

4853. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में नदी तथा भूजल पर केन्द्रीकृत नियंत्रण रखे जाने की सिफारिश की है ताकि जल को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों का समाधान ढूंढा जा सके:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट के अध्याय 5, जिसमें जल से संबंधित मुददे शामिल हैं, में "विभिन्न राज्यों के बीच किसी प्रकार के मतभेदों को दूर करने के लिए नदी और भूजल पर केन्द्रीकृत नियंत्रण" के विषय में किन्हीं विशेष सुझावों का उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ब्लैकबेरी तथा भारीय दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच समझौता

4854. श्री जे. एम. आरून रशीद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैकबेरी तथा कुछ भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच कोई ऐसा समझौता/गठबंधन हुआ है जिसके तहत देश के सेवा प्रदाताओं को "ब्लैकबेरी" ब्रांड का प्रयोग करने की अनुमति होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेश स्थित कंपनियों के सहयोग से दूरसंचार ऑपरेटरों को वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स (वीएमएनओ) को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) कुछ सेवा प्रदाताओं नामतः मैसर्स बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, वोडाफोन ग्रुप कंपनीज (मैसर्स वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लिमिटेड को छोड़कर) और मैसर्स रिलायंस कम्यूनिकेशंस लिमिटेड तथा मैसर्स रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने ग्राहकों को "ब्लैकबेरी सेवाएं" प्रदान करने के लिए रिसर्च इन मोशन (आरआईएम) के साथ करार किया है। इस करार के अंतर्गत जिन प्रमुख सेवाओं की पेशकश की गयी है, वे हैं–वॉयस, डॉटा और इन्टरनेट। उपभोक्ता रिम द्वारा विनिर्मित यंत्रों/हैण्डसेटों अथवा नोकिया, मोटोरोला, सोनी एरिक्शन इत्यादि के किसी अन्य संगत हैण्डसेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग ने धारा 11 (1) (क) (i) और (ii) के अधीन वर्चुअल मोबाइल नेटवर्क आपरेटर्स (वीएमएनओ) के प्रवेश की आवश्यकता और समय के निर्धारण के साथ–साथ ऐसे प्रचालकों को दिए जाने वाले लाइसेंस की निबंधन एवं शर्तों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की सिफारिशें मांगी हैं।

(घ) उक्त विषय पर टीआरएआई की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा।

अन्य देशों में काम करने हेतु मछुआरों को प्रस्ताव

4855. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार मछुआरों को अन्य देशों में मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों में उक्त क्षेत्र में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों को अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बेरोजगार मछुआरों को देश में रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों से प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

4856. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में नई चीनी मिलों के लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को प्रतिबंध हटाए जाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 31.08.1998 के प्रेस नोट द्वारा चीनी उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया है और अब उद्यमी मौजूदा चीनी मिल और नई चीनी मिल से 15 किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए और गन्ना (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 2006 में यथानिर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए देश के किसी भी भाग में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः नई चीनी मिलों के लिए लाइसेंस जारी किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अंत्योदय अन्न योजना

4857. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) सभी राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आबंटन किया गया;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं; और

(घ) योजना का लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए चावल और गेहूं को आबंटन और उठान बताने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिय गया है। ये आबंटन 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किए गए हैं।

(ग) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन राज्यवार परिवारों की संख्या बताने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों का लीकेज और विपथन रोकने के लिए इस विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से परामर्श करते हुए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। 9 सूत्री कार्य योजना क्रियान्वित करने के अलावा, सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाए और क्रियान्वित किए जाने हेतु एक संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न लक्षित परिवारों तक पहुंचे और इनके विपथन की संभावनाएं न्यूनतम हों, गरीबी रेखा से ऊपर के आवंटनों को युक्ति-संगत बनाया गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया है। ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जैसी नई प्राद्योगिकी का उपयोग पायलट आधार पर किया जा रहा है। गेहूं के आटे के वितरण पर संशोधित नीति जारी की गई है।

विवरण-I

2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान खाद्यान्नों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार आबंटन एवं उठान दर्शाने वाला ब्यौरा

(आंकड़े हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	05-06		06-07		07-08	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठन
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.8	0.53	1.8	0.82	1.800	1.295
आंध्र प्रदेश	620.247	608.56	654.288	656.771	654.288	698.399
अरुणाचल प्रदेश	12.936	12.4	15.972	9.069	15.972	10.857
असम	175.104	181.09	294.216	272.045	295.446	298.027
बिहार	472.533	421.06	662.091	566.332	1019.99	872.397
चंडीगढ़	0.888	0	0.888	0.07	0.888	1.213
छत्तीसगढ़	254.82	229.189	295.25	313.059	301.944	308.14
दादरा और नगर हवेली	1.528	0.72	1.772	0.38	2.196	0.243
दमन और दीव	0.444	0.22	0.636	0.37	0.636	0.177
दिल्ली	23.316	22.15	23.316	22.884	45.906	39.361

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	5.739	2.447	6.108	3.94	6.108	5.037
गुजरात	258.785	192.34	310.848	259.993	332.180	293.573
हरियाणा	86.056	76.89	109.394	102.921	122.820	116.987
हिमाचल प्रदेश	62.284	55.6	76.806	77.244	82.740	80.022
जम्मू–कश्मीर	88.749	73.09	104.007	98.433	107.388	107.711
झारखंड	305.268	282.63	305.268	299.266	352.091	323.037
कर्नाटक	407.752	378.35	491.35	465.2	503.892	484.189
केरल	207.088	200.722	248.331	249.313	250.260	250.886
लक्षद्वीप	0.168	0.33	0.161	0.16	0.464	0.632
मध्य प्रदेश	534.141	509.58	650.16	603.987	652.662	629.096
महाराष्ट्र	829.836	736.41	833.22	698.753	1021.67	866.0
मणिपुर	21.864	13.96	21.18	18.411	22.566	21.447
मेघालय	23.292	22.72	23.352	23.352	29.484	28.978
मिजोरम	10.401	10.01	10.92	11.246	10.920	11.62
नागालैंड	16.263	16.44	19.968	22.976	19.968	21.434
उड़ीसा	434.785	450.493	530.716	433.288	531.120	457.078
पांडिचेरी	12.25	7.91	13.548	7.14	13.548	6.54
पंजाब	32.469	18.24	58.308	33.563	65.413	37.805
राजस्थान	304.018	300.57	385.714	348.024	391.488	367.385
सिक्किम	4.164	4.32	6.474	6.474	6.936	6.94
तमिलनाडु	644.679	657.63	783.144	775.366	783.144	794.61
त्रिपुरा	28.536	28.53	28.536	25.458	45.938	41.252
उत्तर प्रदेश	1539.686	1438.289	1720.014	1692.331	1719.48	1667.59
उत्तरांचल	46.759	34.615	59.661	47.404	63.516	55.633
पश्चिम बंगाल	562.571	454.3	621.684	515.641	621.684	531.52

विवरण-II

अंत्योदय अन्न योजना (सामान्य और अतिरिक्त) के अधीन परिवारों की पहचान करने की स्थिति

(आंकड़े लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.3.2000 को ग.रे.नी. परिवारों की सं.	अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की अनुमानित संख्या					पहचान किए गए अंत्योदय अन्न योजना परिवार और जारी राशन कार्ड				
			सामान्य 25.12.00	पहला विस्तार 05.06.03	दूसरा विस्तार 03.08.04	तीसरा विस्तार 12.05.05	जोड़	सामान्य	पहला विस्तार	दूसरा विस्तार	तीसरा विस्तार	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	40.63	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578	6.228	3.117	2.991	3.242	15.578
2	अरुणाचल प्रदेश	0.99	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380	0.151	0.077	0.073	0.079	0.380
3	असम	18.36	2.815	1.408	1.352	1,465	7.040	2.815	1.408	1.352	1.465	7.040
4	बिहार	65.23	10.000	5.003	4.802	5.205	25.010	10.000	5.003	4.802	4.480	24.285
5	छत्तीसगढ़	18.75	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189	2.874	1.439	1.380	1.496	7.189
6	दिल्ली	4.09	0.626	0.315	0.301	0.326	1.568	0.62	0.315	0.301	0.26	1.502
7	गोवा	0.48	0.073	0.037	0.035	0.039	0.184	0.073	0.037	0.035		0.145
8	गुजरात	21.20	3.250	1,626	1.561	1.691	8.128	3.250	1.626	1.561	1.661	8.098
9	हरियाणा	7.89	1.209	0.606	0.581	0.629	3.025	1.209	0.606	0.581	0.528	2.924
10	हिमाचल प्रदेश	5.14	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971	0.787	0.395	0.378	0.411	1.971
11	जम्मू–कश्मीर	7.36	1.129	0.564	0.542	0.587	2.822	1.129	0.564	0.542	0.322	2.557
12	झारखंड	23.94	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179	3.665	1.841	1.762	1.911	9.179
13	कर्नाटक	31.29	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997	4.797	2.400	2.303	2.497	11.997
14	केरल	15.54	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958	2.382	1.192	1.144	1.240	5.958
15	मध्य प्रदेश	41.25	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816	6.324	3.164	3.037	3.291	15.816
16	महाराष्ट्र	65.34	10.017	5.011	4.810	5.215	25.053	10.017	5.011	4.810	4.801	24.639
17	मणिपुर	1.66	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636	0.255	0.127	0.122	0.132	0.636
18	मेघालय	1.83	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702	0.281	0.140	0.135	0.146	0.702
19	मिजोरम	0.68	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261	0.105	0.051	0.050	0.055	0.261
20	नागालैंड	1.24	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475	0.189	0.096	0.091	0.099	0.475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	उड़ीसा	32.98	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645	5.055	2.530	2.428	2.632	12.645
22	पंजाब	4.68	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794	0.717	0.359	0.345	0.373	1.794
23	राजस्थान	24.31	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321	3.726	1.865	1.790	1.940	9.321
24	सिक्किम	0.43	0.067	0.032	0.032	0.034	0.165	0.067	0,032	0.032	0.034	0.165
25	तमिलनाडु	48.63	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646	7.455	3.730	3.580	3.881	18.646
26	त्रिपुरा	2.95	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131	0.452	0.227	0.217	0.235	1.131
27	उत्तर प्रदेश	106.79	16.371	8.191	7.861	8.522 -	40.945	16.371	8.191	7.861	8.522	40.945
28	उत्तराखंड	4.98	0.763	0.382	0.367	0.397	1.909	0.763	0.382	0.367		1.512
29	पश्चिम बंगाल	51.79	7.939	3.973	3.813	4.132	19.857	7.939	3.973	2.887		14.799
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.28	0.043	0.021	0.021	0.022	0.107	0.043				0.043
31	चंडीगढ़	0.23	0.035	0.018	0.017	0.018	0.088	0.021				0.021
32	दादरा और नगर हवेली	0.18	0.028	0.013	0.013	0.015	0.069	0.028	0.013	0.011		0.052
33	दमन और दीव	0.04	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015	0.006	0.003	0.003	0.003	0.015
34	लक्षद्वीप	0.03	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012	0.004	0.003	0.002	0.003	0.012
35	पांडिचेरी	0.84	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322	0.128	0.065	0.062	0.067	0.322
	जोड़	652.03	99.946	50.021	48.001	52.030	249.998	99.932	49.982	47.035	45.806	242.755

[अनुवाद]

भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा

4858. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देश निकट भविष्य में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषकर बुल्गारिया द्वारा विकसित किए गए सॉफ्टवेयर बाजार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। नैस्कॉम के अनुसार यूरोपीय देशों को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी–बीपीओ कम्पनियों के लिए बड़े खतरे के रूप में नहीं माना गया है। इस क्षेत्र से राजस्व की आय में सतत् रूप से हो रही वृद्धि के कारण उद्योग द्वारा यूरोप को एक बड़े बाजार के रूप में देखा गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट सेवा को लेकर शिकायतें

4859. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि तक गत तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट को समय पर नहीं पहुंचाये जाने से संबंधित बहुत–सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या निम्नप्रकार है:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2005-06	31116
2006-07	26204
2007-08	23173

शिकायतों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के वितरण को सुधारने एवं ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं;

i. स्पीड नेट में स्पीड पोस्ट मदों की ऑन लाइन ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा उपलब्ध है। स्पीड नेट के माध्यम से ग्राहक अपनी मदों को पता लगा सकते हैं।

ii. स्पीड पोस्ट केन्द्रों तथा निरीक्षण कार्यालयों द्वारा स्पीड पोस्ट मदों के वितरण की निरंतर निगरानी की जाती है।

iii. जन शिकायतों के तीव्रता से निपटान के लिए कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

iv. मदों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा डाकघरों में वितरण स्टाफ को मोपेडों की आपूर्ति की गई है।

विवरण

स्पीड पोस्ट संबंधी शिकायतों की राज्यवार एवं वर्षवार संख्या

सर्किल	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	1041	539	731
असम	1386	1165	1236
बिहार	580	1514	417
छत्तीसगढ़	1611	1128	603
दिल्ली	14878	6175	1572
गुजरात	15	18	17
दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
हरियाणा	1861	2383	3289
हिमाचल प्रदेश	67	66	83
जम्मू-कश्मीर	137	201	207
झारखंड	92	107	132
कर्नाटक	1841	2741	2542
केरल	1554	1663	2007
मध्य प्रदेश	225	234	259
महाराष्ट्र	1506	1555	2374
गोवा	शून्य	04	03
मेघालय	35	28	55
मणिपुर	81	106	93
मिजोरम	108	123	156
नागालैंड	29	38	47
त्रिपुरा	206	59	109
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
उड़ीसा	962	963	977
पंजाब	44	28	62
चंडीगढ़	9	11	13
राजस्थान	1223	3298	3378
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	999	1408	1984
उत्तर प्रदेश	180	143	102
उत्तराखंड	263	341	418
पश्चिम बंगाल	72	27	107
सिक्किम	8	19	17
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34	39	91
एपीएस	69	80	92
कुल	31116	26204	23173

[अनुवाद]

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल की सेवाओं का विस्तार

4860. श्री के.एस. राव : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एमटीएनएल तथा बीएसएनएल दोनों को "इकोनोमी ऑफ स्केल" आधार पर समान प्रशुल्क प्लानों से पूरे देश में अपनी सेवाओं का विस्तार करने तथा दूरसंचार क्षेत्र में निजी दूरसंचार कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने के उद्देश्य से अंतः एक कंपनी के रूप में विलय हेतु तैयार करने का है, ताकि दूरसंचार उपभोक्ता इससे लाभान्वित हो सकें,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीएसएनएल के ग्रामीण विस्तार कार्यक्रमों तथा इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने उपभोक्ताओं को वहनीय दरों पर बेहतर गुणवत्ता की सेवा प्रदान करने के लिए अपने प्रचालन क्षेत्रों में अपने-अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले चार वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड के ग्रामीण विस्तार कार्यक्रमों और उपलब्धियों का ब्यौरा निम्मानुसार है :-

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंजों की निवल वृद्धि (संख्या)	लाइनों में क्षमता में निवल वृद्धि $ (लाख में)	टेलीफोन कनेक्शनों में निवल वृद्धि (संख्या लाख में)
2004-05	179	7.59	12.97*
2005-06	(-) 50	12.30	49.08
2006-07	172	13.21	40.08
2007-08	253	13.98	29.26

$ जीएसएम क्षमता को छोड़कर

* जीएसएम कनेक्शनों को छोड़कर

श्रमिक कार्ड

4861. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर कृषि क्षेत्र में कार्यरत उन श्रमिकों की राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिनके पास श्रमिक कार्ड है;

(ख) क्या श्रमिक बच्चों की शिक्षा, पेंशन, चिकित्सा सहायता, आवासीय सहायता इत्यादि लाभों के हकदार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त लाभों हेतु सभी श्रमिकों को इस योजना में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रमिकों/कृषि श्रमिकों को श्रमिक कार्ड उपलब्ध कराने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चला रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार ने 01.10.2008 को औपचारिक रूप से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' प्रारम्भ की है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और उनके परिवारों (पांच की इकाई) के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित बिना किसी नकद भुगतान के लिए 30,000/- रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रावधान है।

"आम आदमी बीमा योजना", के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इस योजना के अंतर्गत मृत्यु तथा अपंगता कवर के पात्र हैं। इस योजना में लाभार्थियों के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने वाले दो बच्चों को प्रति बच्चा 300/- रूपये प्रति तिमाही छात्रवृति प्रदान किए जाने का घटक शामिल है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु के तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है। राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार के प्रति व्यक्ति 200/- रुपये के अनुदान में कुछ और राशि जोड़े जाने का अनुरोध किया गया है।

डाक विभाग से ऋण प्राप्त करने में मुश्किलें

4862. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के छोटे कस्बों तथा गांवों में रहने वाले उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने बचत स्वरूप डाकघरों में धनराशि जमा करायी है और उसके विरुद्ध ऋण लेना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग का विचार डाक बचत प्रतिभूतिधारकों को ऋण सुविधाएं देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) महोदय, डाकघर लघु बचत योजनाओं का प्रचालन वित्त मंत्रालय, जो सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 तथा सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 के अंतर्गत नियमावली तैयार करता है, की ओर से डाक विभाग द्वारा किया जाता है। नियमावली के अंतर्गत डाक जमाराशियों के प्रति ऋण प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वस्तुएं

4863. श्री महावीर भगोरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जा रही वस्तुओं के अलावा डाक टिकटों तथा कुछ अन्य वस्तुओं को वितरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाकर इसे मजबूत करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए कोई उपाय कर रही है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए डाक टिकट जैसी वस्तुएं वितरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हाल में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगभग 1 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय लिया है ताकि इनका आबंटन राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को किया जा सके। इन खाद्य तेलों का वितरण अंत्योदय अन्न योजना सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को किया जाना है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उचित दर दुकानों के नेटवर्क अथवा अन्य वितरण चैनलों के जरिए इनका वितरण आयोजित कर सकते हैं

[अनुवाद]

चूककर्ता ठेकेदार

4864. श्री पी. एम. सिद्दीश्वर : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से ठेकेदार अपने कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियमित रूप से/उचित प्रकार से अंशदान जमा नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में चूककर्ता ठेकेदारों तथा प्रभावित कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी धनराशि की वूसली के लिए कदम उठाए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं उसके बाद आज की तिथि तक राज्य-वार उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत बनाई गई स्कीमों के अनुसार किसी नियोक्ता द्वारा सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किसी कर्मचारी में भेद-भाव नहीं किया जाता तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ठेकेदारों के संबंध में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, ठेकेदारों सहित शामिल किए गए प्रतिष्ठानों में अनुपालन संबंधी नियमित मॉनीटरिंग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की जाती है और चूक पाए जाने पर उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है। 31.03.2007 के अनुसार सभी प्रतिष्ठानों पर कुल बकाया राशि 2607.47 करोड़ रुपये हैं।

जहां कहीं ऐसे कर्मचारियों के संबंध में चूक पाई जाती है तो इस अधिनियम के उपलबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इसमें अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत बकायों का आकलन तथा चल/अचल संपत्ति की कुर्की, चूककर्ताओं की गिरफ्तारी आदि के माध्यम से इसकी वसूली की जाती है।

क्षेत्रीय संविदा प्रणाली शुरू किया जाना

4865. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय संविदा प्रणाली लागू नहीं किए जाने के कारण एमटीएनएल, दिल्ली को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 2007 के बाद एमटीएनएल दिल्ली द्वारा आमंत्रित की गई संविदाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कार्य-वार कितनी संविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ङ) क्या कार्य के लिए संविदा स्वीकृत करते समय सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल का उल्लंघन हुआ है जहां पर केवल एक ही संविदा प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं ऐसे कितने कार्य हैं जहां केवल एक ही बोली प्राप्त हुई; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। क्षेत्रीय निविदा प्रणाली लागू किए जाने के कारण एमटीएनएल, दिल्ली को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं। जैसा कि सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल के अनुसार केवल एक ही निविदा प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं है अतः ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(च) और (छ) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

विवरण

नवम्बर, 2007 से पहली कॉल के दौरान एमटीएनएल दिल्ली द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्राप्त किए गए निविदाओं की संख्या
1	2	3
1.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सेक्टर–8, सेक्टर 16 सी एवं सेक्टर–19 द्वारका, आरएलयू बिल्डिंग सेक्टर–20 द्वारका एवं टेलीफोन एक्सचेंज भवन, नजफगढ़, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
2.	आर एल यू भवन, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, पश्चिम विहार, नांगलोई–1 एवं 2 एमटीएनएल के स्टाफ क्वार्टर, जीएच–17 में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
3.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, जनकपुरी, न्यू एनसीआर हॉल, आरएलयू, पंखा रोड़, जीएम (डब्ल्यू–1) ऑफिस मायापुरी, सीएमडी, पंखा रोड़, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
4.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, हरी नगर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	5
5.	प्रशा. भवन, राजौरी गार्डन, दुकान सं. 1, 2, 3, 36, 37, 38 डीईटी कार्यालय एवं अधिशासी अभियंता (ओएंडएम) सी–I, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
6.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
7.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, द्वारका पॉकेट–20डी, आरएलयू, केबल स्टोर सेक्टर–6, सीएसडी केबल स्टोर, द्वारका, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
8.	पीएंडटी, स्टाफ क्वार्टर, पंखा रोड़, जनकपुरी, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
9.	केएल भवन, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
10.	उप मंडल के तहत एमटीएनएल स्टाफ क्वार्टर, ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3

1	2	3
11.	एमटीएनएल, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, मिंटो रोड़, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	5
12.	टैक्स बिल्डिंग सहित एमटीएनएल ईस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
13.	एमटीएनएल निगमित कार्यालय, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	0
14.	एमटीएनएल, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, क्नाट प्लेस, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
15.	एमटीएनएल, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, किदवई भवन, (तकनीकी खंड), नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
16.	एमटीएनएल, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, किदवई भवन, (प्रशासन खंड), नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
17.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, (नई) पूसा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
18.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, (पुराना) पूसा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
19.	स्टाफ क्वार्टर, पूसा रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
20.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
21.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शादीपुर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
22.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शक्ति नगर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
23.	केशवपुरम एवं सिविल उप–मंडल के अधीन, अन्य आरएलयू, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
24.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सेक्टर–3, रोहिणी, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
25.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, बादली, सेक्टर–6, सेक्टर–ग, XI, एक्सटेंशन, डीई ऑफिस, टेली मार्ट सेक्टर–6 एवं केबल स्टोर सेक्टर–5, 6, 9 एक्सटेंशन, रोहिणी, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
26.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सरस्वती विहार, डीई ऑफिस एवं टेलीमार्ट भवन, एस डब्ल्यूआर भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
27.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सेक्टर–9, आरएलयू सेक्टर–9, रोहिणी, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3

1	2	3
28.	टेलीफोन एक्सचेंज नरेला, आरएलयू नरेला एवं किराए के भवन में अन्य आरएसयू, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
29.	स्टाफ क्वार्टर, प्लॉट सं. 4, सेक्टर–3, रोहिणी, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
30.	स्टाफ क्वार्टर, प्लाट सं. 31, सेक्टर–3, रोहिणी, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	5
31.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स (प्रशा. खंड.) नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
32.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
33.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, चाणक्यपुरी एवं आरएसयू, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
34.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, जोरबाग, आरएसयू एवं स्टाफ क्वार्टर, लोधी रोड़, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
35.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दिल्ली गेट, लोठियां रोड, आरएसयू, गुलाबी बाग, आरएसयू, मिंटो रोड़, इत्यादि, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
36.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, तीसहजारी, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
37.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, ईदगाह, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
38.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, बीसीपी एवं नेताजी नगर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
39.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, हौजखास, एएम (हौज खास) के अधीन सभी आरएलसी विभाग एवं किराए पर लिए गए भवन, एवं स्टाफ क्वार्टर, हौज खास, एशियाड गांव, नई दिल्ली भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
40.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, नेहरू प्लेस एवं स्टाफ क्वार्टर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
41.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, तुगलकाबाद आरएलसी, तुगलकाबाद एशियाड गांव, सादिक नगर, खेलगांव एवं सभी किराए पर लिए गए भवन एवं एएम (एनपी) के अधीन विभागीय, भवन एवं स्टाफ क्वार्टर, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी, जंगपुरा, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
42.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, ओखला एवं स्टाफ क्वार्टर, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	3
43.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, तेहखंड आरएलयू, सरिता विहार, सनलाइट कॉलोनी, जे–ब्लॉक, एम ब्लॉक एवं एएम (ओखला) एवं (सरिता विहार) नई दिल्ली के अधीन सभी विभाग एवं किराए पर लिए गए भवन, के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2

1	2	3
44.	स्टाफ क्वार्टर सेक्टर–6, आर.के. पुरम, 1 से 500 तक, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	3
45.	स्टाफ क्वार्टर सेक्टर–6, आर.के. पुरम, 501 से 1002 तक और मोती बाग, नई दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
46.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
47.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, केकेडी तक्षशिला, सीबीडी, शाहदरा, प्रीत विहार, मधु विहार, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
48.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, मयूर विहार, पटपड़गंज एवं लक्ष्मीनगर क्षेत्र दिल्ली में किराए पर लिए गए भवन, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
49.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
50.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शाहदरा, लोनी रोड़, एच ब्लॉक, शाहदरा क्षेत्र में किराए पर लिए गए 7 भवन, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
51.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, यमुना विहार, जाफराबाद, दिल्ली, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	3
52.	स्टाफ क्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश, भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1

नवम्बर, 2007 में दूसरी कॉल के दौरान एमटीएनएल, दिल्ली द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्राप्त किए गए निविदाओं की संख्या
1	2	3
1.	के.एल. भवन, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	4
2.	एमटीएनएल के निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	0
3.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शक्ति नगर, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	0
4.	केशवपुरम और सिविल उप–मंडल के अंतर्गत अन्य आरएलयू के लिए भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
5.	प्लॉट सं. 31, सेक्टर–3, रोहिणी में स्टाफ क्वार्टरों के लिए भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2
6.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स (प्रशा. ब्लॉक) नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	3
7.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, सीजीओ काम्पलैक्स (तकनीकी), नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	2

1	2	3
8.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, जोर बाग, आरएसयू और स्टाफ क्वार्टर लोदी रोड, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	4
9.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, दिल्ली गेट, लोठियां रोड, आरएसयू गुलाबी बाग, आरएसयू मिंटो रोड़ इत्यादि के भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	3
10.	सेक्टर–VI आर.के. पुरम के 501 से 1002 तक और मोती बाग, नई दिल्ली में स्टाफ क्वार्टरों के भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
11.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, तुगलकाबाद आरएलसी तुगलकाबाद एशियाड गांव, सादिक नगर, खेल गांव और किराए पर लिए गए सभी भवन और एएम (एनपी) के अंतर्गत विभागीय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, जंगपुरा, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
12.	केकेडी तक्षशिला, सीबीडी, शाहदरा, प्रीत विहार, मधु विहार, दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंज भवन में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	2
13.	मयूर विहार, पटपड़गंज के टेलीफोन एक्सचेंज भवन और लक्ष्मी नगर क्षेत्र, दिल्ली में किराए पर लिए गए भवन में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1
14.	नोएडा (उ.प्र.) के स्टाफ क्वार्टरों के भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	1

नवम्बर, 2007 में तीसरी कॉल के दौरान एमटीएनएल, दिल्ली द्वारा आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्राप्त किए गए निविदाओं की संख्या
1.	एमटीएनएल के निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	0
2.	टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शक्ति नगर, नई दिल्ली में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के वार्षिक आवधिक ठेके।	1
3.	मयूर विहार, पटपड़गंज के टेलीफोन एक्सचेंज भवन और लक्ष्मी नगर क्षेत्र, दिल्ली में किराए पर लिए गए भवन में भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	0
4.	नोएडा (उ.प्र.) के स्टाफ क्वार्टरों के भवन के रख–रखाव और विविध सिविल पूंजीगत कार्यों के आवधिक ठेके।	0

मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का फैलना

4866. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर केरल में मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ भागों में पाए गए इस रोग पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया है; और

(घ) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रोग को नियंत्रित करने संबंधी उपायों के बावजूद यह रोग किन–किन राज्यों में फैल रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख)2007–08 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी और केरल राज्यों में पशुओं में एंथ्रेक्स की छुटपुट घटनाएं पाई गई हैं।

केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 2007–08 के दौरान पशुओं में एंथ्रेक्स के आठ मामलों की सूचना मिली है जिसमें से सात पशु मर गए।

इस रोग के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:–

* पशु शवों का वैज्ञानिक निपटान और दफनाना।
* जहां इस प्रकोप की पुष्टि हो गई हो तो वहां गोपशु शेडों और परिसरों को संक्रमण मुक्त करना।
* एंथ्रेक्स स्पोर टीके का इस्तेमाल करके आस–पास के क्षेत्रों में सभी संवेदनशील पुशओं का टीकाकरण।
* पशुओं में एंथ्रेक्स रोग और इसके लक्षणों, रोकथाम, पशु शवों का निपटान और परिसरों को संक्रमण मुक्त करने के संबंध में श्रव्य दृश्यों के साथ जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे।
* क्योंकि यह रोग जूनोटिक महत्व का है, अतः लक्षणों, रोकथाम और उपचार उपायों के बारे में मनुष्यों में भी एंथ्रेक्स रोग के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) पशुओं में इस रोग को ऊपरिउल्लिखित सभी राज्यों में सफलतापूर्वक नियंत्रित कर दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्प्रिन्कलर सिंचाई

4867. श्री सुभाष महरिया : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नहर क्षेत्र में जल प्रभावी कृषि के लिए सौर ऊर्जा से स्प्रिन्कलर सिंचाई की कोई स्कीम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेषकर राजस्थान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली को विकसित करने के लिए हाल ही कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सरकार सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें स्प्रिन्कलर सिंचाई प्रणाली शामिल हैं, से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रही है ताकि देश में बेहतर जल उपयोग कुशलता को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम में इस प्रयोजनार्थ सौर ऊर्जा का प्रयोग करना परिकल्पित नहीं है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के नहर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग करके सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के प्रदर्शन के लिए पहल की है तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की राज्य योजना स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता में से ऐसी 14 यूनिटों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ

4868. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में राज्य–वार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्थापित किए गए हैं।

(ख) वर्ष 2008–09 के दौरान देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में ऐसे कितने बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) ग्राम पंचायत टेलीफोनों को छोड़कर सार्वजनिक टेलीफोन बूथों (सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र (पीसीओ) के आंकड़े बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा सर्किल–वार रखते जाते हैं, न कि राज्य–वार। गत तीन वर्षों अर्थात् 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (31.3.2008 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश सहित सभी सर्किलों में चालू पीसीओ की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर देश में 2008–09 के दौरान पीसीओ उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य पीसीओ में 4 लाख निवल वृद्धि करना है। आंध्र प्रदेश के लिए लक्ष्य पीसीओ में 5000 निवल वृद्धि करना निर्धारित किया गया है। एमटीएनएल ने दिल्ली और मुम्बई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है क्योंकि इन शहरों में पीसीओ मांग पर उपलब्ध हैं।

(ग) बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा इस कार्य के लिए कोई पृथक निधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि पीसीओ पर व्यय सामान्य सीधी एक्सचेंज लाइनों (डीईएल) का हिस्सा है।

विवरण

गत तीन वर्षों अर्थात् 2005–06, 2006–07 और 2007–08 (31.3.2008 तक) के दौरान प्रदान किए गए पीसीओ की सर्किल–वार सकल संख्या

क्रम सं.	सर्किल का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्रदत्त पीसीओ की सकल संख्या		
		2005–06	2006–07	2007–08 (31.3.2008 तक)
1	2	3	4	5
1	अंडमान एवं निकोबार	410	11	60
2	आन्ध्र प्रदेश	130902	65552	53298
3	असम	3838	2431	1087
4	बिहार	11225	10672	3385
5	छत्तीसगढ़	7524	90	2543
6	गुजरात	20169	5629	5406
7	हरियाणा	3538	1706	3530
8	हिमाचल प्रदेश	1753	1216	852
9	जम्मू एवं कश्मीर	1456	1804	1251
10	झारखंड	62398	1196	318
11	कर्नाटक	29371	40823	196114
12	केरल	6567	20944	11015
13	मध्य प्रदेश	2078	5379	20255
14	महाराष्ट्र	52002	112096	46852
15	पूर्वोत्तर–I	1170	644	2136
16	पूर्वोत्तर–II	1970	746	497
17	उड़ीसा	3284	3383	2022
18	पंजाब	4001	2354	2932
19	राजस्थान	11832	6086	4388
20	तमिलनाडु	62257	38146	62956
21	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	13503	19303	28003
22	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	4355	1612	1860
23	उत्तरांचल	1523	515	478
24	पश्चिम बंगाल	18122	9026	6120
25	कोलकाता	1055	2952	6400
26	चेन्नै	13222	9377	2442
27	एमटीएनएल दिल्ली	7597	6826	10803
28	एमटीएनएल मुम्बई	13464	4035	4940
	कुल	490586	374554	481943

वायरस आक्रमण चेतावनी प्रणाली

4869. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री रायपति सांबासिवा राव :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेब सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए कुछ अध्ययनों में देश में कम्प्यूटर वायरस के बड़े पैमाने पर व्याप्तता की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक वायरसों के कितने बड़े आक्रमणों का सामना किया गया है;

(ग) इस संबंध में क्या उपाचारात्मक कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या देश में वायरस आक्रमण चेतावनी प्रणाली की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वायरसरोधी उपकरणों तथा सुरक्षा प्रणालियों के विक्रेता आमतौर पर देश के साइबर स्पेस में तथा विश्व में अन्यत्र विद्यमान विभिन्न किस्म के वायरस, वॉर्म, ट्रोजन तथा बॉट के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के साइबर स्पेस में व्यापक रूप से फैले हुए वायरस माइडूम, निक्सम ई/ब्लैकमल, बीगल, माइटोब नामक वार्म; बैंकर, नेथेल, बीजब नामक ट्रोजन तथा स्टॉर्म, रिबॉट तथा स्पैम्थू नामक बॉट हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा घटनाओं पर कार्रवाई करने और इनमें कमी लाने तथा श्रेष्ठ सुरक्षा पद्धतियों को बढ़ावा देकर सुरक्षा में वृद्धि करने की दृष्टि से देश में प्रयोक्ताओं की सहायता करने के लिए भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) की स्थापना की है। वायरस के हमले रोकने के लिए सर्ट–इन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाचारात्मक एवं सक्रिय उपाय इस प्रकार है:

i) साइबर घटनाएं रोकने के लिए वायरस चेतावनियां, सुरक्षा चेतावनियां तथा दिशा–निर्देश नियमित रूप से जारी करना और कम्प्यूटर नेटवर्कों तथा प्रणालियों की सुरक्षा सुदृढ़ करना।

ii) वायरसरोधी नीति पर दिशा–निर्देश प्रकाशित करना और विभिन्न किस्म की कम्प्यूटर प्रणालियां सुरक्षित करना।

iii) प्रयोक्ता की जागरूकता में वृद्धि करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

iv) संक्रमण से मुक्ति और वायरस की रोकथाम के संबंध में वेबसाइट के जरिए सूचना का प्रसार करना।

v) वायरस के नवीनतम खतरों पर सूचना देने के लिए वायरसरोधी उपकरण विक्रेताओं के साथ मिलकर कार्य करना और वायरस से प्रयोक्ताओं की प्रणालियों की रक्षा करने के लिए उनके लिए शीघ्र चेतनावनी जारी करना। वायरस का बड़ा प्रकोप होने पर सर्ट–इन वायरसरोधी उपकरण विक्रेताओं की सहायता से संक्रमण मुक्ति के साधन उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में वायरस के सृजन और प्रसार को रोकने के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराया गया है।

विश्व में खाद्यान्नों की कमी

4870. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रतिष्ठित एजेंसियों की रिपोर्टों में वर्ष 2008–09 के दौरान विश्व में खाद्यान्नों की भारी कमी की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) यद्यपि, खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट संख्या 2 (अप्रैल, 2008) और अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद–अनाज बाजार रिपोर्ट (दिनांक 28.3.2008 की अनाज बाजार रिपोर्ट 376) के अनुसार खाद्यान्नों की समस्या का सामना कर रहे 37 देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है लेकिन सरकार ने उचित आकलन करने के बाद देश में खाद्यान्न स्टाक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल मिलाकर विभिन्न पग शुरू किए हैं और सुनिश्चित किया है कि देश की खाद्य सुरक्षा त्रुटिहीन रहे। इन पगों में व्यापक रूप से अन्य बातों के साथ–साथ (i) वित्तीय उपाय–प्रशुल्क को चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेल और मक्का के लिए कम करके शून्य प्रतिशत करना, हाइड्रोजनयुक्त तेलों और वनस्पति तेलों पर 7.5% करना, मक्खन और घी पर 30% करना तथा खाद्य तेलों पर 4% अतिरिक्त सीवीडी को समाप्त करना, (ii) प्रशासनिक उपाय– जैसे कि गैर बासमती चावल, गेहूं, प्रमुख खाद्य तेल, प्रमुख दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, चावल, गेहूं, खाद्य तेल और तिलहनों पर स्टाक रखने की सीमा लागू करना, चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में आवधिक वृद्धि करना (साधारण चावल के लिए 645 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड–ए चावल के लिए 675 रुपये प्रति क्विंटल) तथा गेहूं (1000 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज (फिलहाल 180 डॉलर प्रति टन) और बासमती चावल (फिलहाल 1200 डॉलर प्रति टन) के निर्यात का नियमन करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का उपयोग करना, चावल और गेहूं के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य बनाए रखना और वायदा बाजार आयोग द्वारा किए गए उपाय और (iii) माध्यावधिक नीतिगत पहल–(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10 मिलियन टन, 8 मिलियन टन और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए लक्षित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (4883 करोड़ रुपये–अनंतिम) (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (25000 करोड़ रुपये) के जरिए कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार करने के लिए 30,000 करोड़ रुपये के निवेश के जरिए उत्पादन बढ़ाना है।

टेक्नीकल टैक्सटाइल हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

4871. श्री नन्द कुमार साय :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने देश में प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से टेक्नीकल टेक्सटाइल के संवर्द्धन और विकास के लिए बड़े नीतिगत परिवर्तनों की मांग की है, जैसा कि दिनांक 19 मार्च, 2008 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टेक्नोलॉजी टैक्सटाइल के लिए ऐसे मिशनों के कब तक शुरु होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) इस बात पर विचार करते हुए कि तकनीकी वस्त्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है और इसमें काफी संभावनाएं हैं, जिनका उपयोग किए जाने की आवश्यकता है, भारत सरकार ने सुसंगत नीति पहल करने और एन निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है। ऐसे उत्पादों की वृद्धि में अपेक्षित कदम निदेशित करने के लिए वस्त्र आयुक्त को तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के मिशन निदेशक के रूप में नामित किया गया है। यह मिशन, देश में तकनीकी वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विनिर्माताओं की क्षमता निर्माण, मानकीकरण उत्पाद विकास, साक्षी परीक्षण सुविधाओं, घरेलू और निर्यात बाजार विकास; और कौशल विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा।

(ग) इस समय कोई समय सीमा नहीं दर्शाई जा सकती है।

शहरी हाट

4872. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कुल कितने शहरी हाटों को स्वीकृति दी गई है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या स्वीकृत सभी हाट शुरु हो गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्रातिशीघ्र शुरु करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए राज्य–वार प्रस्तावों सहित देश में दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत शहरी हाटों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। 27 स्वीकृत हाटों में से 5 शहरी हाटों, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), भुज (गुजरात), मैसूर (कर्नाटक), कोंणाक (उड़ीसा) और पीतमपुरा (दिल्ली) ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। शेष शहरी हाट प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं। शहरी हाटों पर उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा सूरत (गुजरात), थिरुवनंथपुरम (केरल) और पटियाला (पंजाब) में शहरी हाटों को निरस्त कर दिया गया है।

(घ) शहरी हाटों को शीघ्रतिशीघ्र शुरु करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में क्रियान्वयनकारी अभिकरण द्वारा विभिन्न चरणों में की गई प्रगति को मॉनिटर करना; कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा आवधिक स्थान का दौरा/निरीक्षण; और उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा शहरी हाटों की आवधिक समीक्षा बैठकें लेना आदि शामिल है।

विवरण

			10वीं योजना	
क्रमांक	वर्ष	स्वीकृत शहरी हाटों की संख्या	शहरी हाट का स्थान	
1	2	3	4	
1	2002–03	8	1	श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
			2	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
			3	भुज (गुजरात)
			4	हजारी बाग (झारखंड)
			5	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
			6	थिरुवनंथपुरम (केरल)
			7	सूरत (गुजरात)
			8	पटियाला (पंजाब)
2	2003–04	5	1	मैसूर (कर्नाटक)
			2	दीमापुर (नागालैंड)
			3	पुरी (उड़ीसा)
			4	कोर्णाक (उड़ीसा)
			5	पुणे (महाराष्ट्र)

1	2	3	4
3	2004–05	4	1 पीतम पुरा (दिल्ली)
			2 इन्दौर (मध्य प्रदेश)
			3 मुम्बई (महाराष्ट्र)
			4 पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)
4	2005–06	4	1 रामपुर (उत्तर प्रदेश)
			2 बरेली (उत्तर प्रदेश)
			3 पणजी (गोवा)
			4 अजमेर (राजस्थान)
5	2006–07	6	1 पटना (बिहार)
			2 चेन्नई (तमिलनाडु)
			3 कन्याकुमारी (तमिलनाडु)
			4 दिल्ली हाट भाग–II (दिल्ली)
			5 झांसी (उत्तर प्रदेश)
			6 मेरठ (उत्तर प्रदेश)
			11वीं योजना
6	2007–08	–	शून्य
7	2008–09 (4/08)	–	शून्य

मूल्य जोखिम शमन कोष

4873. श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

श्री सूरज सिंह :

श्री रामजीलाल सुमन :

डा. बाबू राव मिडियम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्यों में अत्यधिक गिरावट की स्थिति में किसानों को मुआवजा देने के लिए कोई मूल्य जोखिम शमन कोष की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) किसानों को अपने उत्पाद के लिए मूल्य गांरटी प्रदान करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) प्रणाली 25 फसलों के लिए क्रियान्वित की जाती है। शीघ्र नष्ट होने वाली अन्य जिंसों जैसे फलों और सब्जियों के लिए, मण्डी हस्तक्षेप स्कीम (एम आई एस) भी आवश्यकता पड़ने पर क्रियान्वित की जाती है। मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

नए डाक घर खोलना

4874. श्री अबु अयीश मंडल :

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान राज्यवार कितने डाकघर/उप डाकघर खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 2008–09 के दौरान देश में नए डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में कोरियर सेवाओं से डाकघरों की आय प्रभावित हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोरियर सेवाओं के परिणामस्वरूप हुए घाटे, यदि कोई हों तो, को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए गए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) विभिन्न सर्किलों में विगत 3 वर्षों के दौरान, 02 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) और 14 विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) खोले गए। राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2008–09 के दौरान 500 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीबीओ) और 374 नए विभागीय उप डाकघर (डीएसओ) खोले जाने प्रस्तावित हैं। उपर्युक्त डाकघर खोलने हेतु राज्यवार ब्यौरा अभी निश्चित नहीं हुआ है।

(घ) से (च) बाजार की चुनौतियों में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के उद्देश्य से विभाग ने कई बिजनेस उत्पाद जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट आदि आरंभ किए हैं। गत पांच वर्षों में स्पीड पोस्ट आदि से राजस्व की निरंतर वृद्धि हो रही है।

विवरण

2005–06, 2006–07 और 2007–08 के दौरान खोले गए नए डाकघरों की संख्या

क्रम सं.	सर्किल	2006–07		2007–08			
		विभागीय उप डाकघर		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		विभागीय उप डाकघर/अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का उन्नयन	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश						
2.	असम	1	1				
3.	बिहार	1	1				
4.	छत्तीसगढ़						
5.	दिल्ली						
6.	गुजरात						
7.	हरियाणा	1	1				
8.	हिमाचल प्रदेश	1	1				
9.	जम्मू व कश्मीर	1	1				
	लद्दाख			2	2	3	3
10.	झारखंड						
11.	कर्नाटक						
12.	केरल						
	लक्षद्वीप					1	1
13.	मध्य प्रदेश	2	2				
14.	महाराष्ट्र						
15.	उत्तर–पूर्व	1	1				
16.	उड़ीसा						
17.	पंजाब						
18.	राजस्थान						
19.	तमिलनाडु						
20.	उत्तर प्रदेश						
21.	उत्तरांचल	2	2				
22.	पश्चिम बंगाल						
	सिक्किम						
	कुल	10	10	2	2	4	4

नोट : वर्ष 2005–06 के दौरान कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा

4875. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले उपबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा आबंटित धनराशि के उचित उपयोग हेतु क्या कार्य–योजना/रणनीति तैयार की गई है;

(ग) क्या कुछ संगठनों/व्यक्तियों ने इस प्रयोजनार्थ आबंटित की जाने वाली प्रस्तावित अपर्याप्त धनराशि के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के जरिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है, जैसे–स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना; सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना; प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना; कथकरघा बुनकरों की व्यापक कल्याण योजनाएं; हथकरघा कारीगरों के लिए व्यापक कल्याण योजनाएं; जनश्री बीमा योजना आदि। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के तहत संबंधित योजनाओं के लिए अलग से आवंटन किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों हेतु निधियों का कोई समेकित आबंटन नहीं होता। वर्ष 2007–08 के दौरान, सरकार ने तीन और योजनाओं की घोषणा की जो निम्नवत् है;

01.10.2008 से शुरू 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' में, गरीबी रेखा से नीचे के श्रमिकों और उनके परिवारों (पांच की इकाई) को 30,000/– रुपए का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदरहित स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। इस योजना के लाभ 2008–09 के दौरान जुड़ेंगे। राज्य सरकारों द्वारा तैयार प्रस्ताव केंद्र सरकार को अनुमोदनार्थ भेजे जाते हैं।

आम आदमी बीमा योजना के तहत, 18 से 59 वर्ष के आयु समूह के ग्रामीण भूमिहीन परिवार मृत्यु और अशक्तता कवर पाने के पात्र हैं। योजना में, लाभार्थियों के 9 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत दो बच्चों को प्रति तिमाही 300/–रु. की दर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में, 65 वर्ष से अधिक उम्र के तथा गरीबी रेखा से नीचे के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देने की व्यवस्था है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे केन्द्र सरकार के 200/– रु. प्रति व्यक्ति के अनुदान का पूरा इस्तेमाल करें।

(ग) और (घ) लक्ष्यों और संसाधानों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं।

कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली

4876. श्री एल. राजगोपाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कीटनाशकों के प्रयोग के कारण हुई कृषि उत्पाद की हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में कीटनाशक प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) ऐसा अनुमान है कि रोगों, कृंतकों और खरपतवारों सहित कृमियों के कारण फसल हानि सामान्यतया 10 से 30% प्रति वर्ष तक होती है, जो जलवायुवीय और पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर करती है। कृमियों के कारण फसल हानि पर राज्यवार सूचना केन्द्र सरकार नहीं रखती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पौध संरक्षण के लिए मुख्य कार्यनीति के रूप में समेकित कृमि प्रबंधन (आईपीएम) अपनाया है। सरकार ने किसान क्षेत्रीय स्कूलों का आयोजन करके समेकित कृमि प्रबंधन में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए "भारत में कृमि प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण" स्कीम के अंतर्गत 28 राज्यों और एक संघ राजय–क्षेत्र में 31 केन्द्रीय समेकित कृमि प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को सौंपा गया कार्य कृमि/रोग का मॉनिटरन करना, जैव–नियंत्रण एजेंटों का उत्पादन, निर्मुक्ति और संरक्षण तथा कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों एवं किसानों को सबसे निचले स्तर पर प्रशिक्षण देकर समेकित कृमि प्रबंधन में मानव संसाधन विकास करना है।

भारत सरकार जैव नियंत्रण एजेंटों की उत्पादन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान भी देती है।

गेहूं के आटे का आयात

4877. श्री नरहरि महतो :

श्री रनेन बर्मन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विशेषकर अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों से गेहूं के आटे का आयात करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और देशवार कितनी मात्रा में इसका आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या गेहूं के आटे का आयात पर से सीमा शुल्क हटा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) खुले बाजार में गेहूं के आटे की उपलब्धता बढ़ाने और गेहूं के आटे के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 26 दिसम्बर, 2007 से शून्य शुल्क पर गेहूं के आटे का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

खाद्यान्नों की जमाखोरी

4878. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री सुब्रत बोस :

श्री रनेन बर्मन :

श्री देविदास पिंगले :

श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की कमी और बढ़ते मूल्यों के मद्देनजर दिल्ली में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्य प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की गई;

(ग) क्या हाल ही में देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के छापे मारे गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा/अथवा अन्य एजेंसियों को लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाए जाने वाले अन्य प्रस्तावित कदम कौन-कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने माह अप्रैल, 2008 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत छापे मारे जाने की सूचना दी है। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत छापे मारे जाने की सूचना दी है। चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मारे गए छापों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्रवाई करने के लिए शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण -I

अप्रैल, 2008 में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मारे गए छापे

क्र. सं.	वाणिज्यिक स्थापना/गैस एजेंसी का नाम	जब्त की गई मदों का ब्यौरा	कार्रवाई की स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्स उत्तम शुद्ध घी भंडार, ए/5/5, कृष्णाा नगर, दिल्ली	एक ट्रक खाद्य तेल	प्राथमिकी दर्ज की गई
2.	मैसर्स राधे ट्रेडिंग कम्पनी, परगना रोड, ईस्ट प्रीत विहार, दिल्ली	खाद्य तेल और किराना मदों का गोदाम	प्राथमिकी दर्ज की गई

1	2	3	4
3.	मैसर्स अमर दास एजेंसी, श्याम लाल कालेज के सामने, शाहदरा, दिल्ली	10 घरेलू एलपीजी सिलेंडर	प्राथमिकी दर्ज की गई
4.	मैसर्स दयाल सिंह इन्दरसिंह, शाहदरा चौक, दिल्ली	खाद्य तेल का गोदाम	प्राथमिकी दर्ज की गई
5.	मैसर्स रामदास प्रीतम सिंह, 124, छोटा बाजार, शाहदरा दिल्ली	खाद्य तेल स्टाक का गोदाम	प्राथमिकी दर्ज की गई
6.	मैसर्स ओम जी ओम केटर्र, अजमल खां रोड, नेताजी सुभाष मार्केट, करोल बाग, दिल्ली	02 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
7.	मैसर्स पाल जी कार्नर, डब्ल्यूजेड–274/ए–1, मेन मार्किट, इन्दरपुरी, दिल्ली	01 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
8.	मैसर्स के. आर. इंटरप्राइजेंज, सिद्धिपुरी, करोल बाग, दिल्ली	भरे हुए सिलेंडरों का अत्यधिक स्टाक	प्राथमिकी दर्ज की गई
9.	मैसर्स जैन कार्नर, शॉप नं. 1, दीक्षा टावर, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली	03 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
10.	मैसर्स सरदार जी कार्नर, शॉप नं. 1. दीक्षा टावर, राजेन्द्र प्लेस, दिल्ली	03 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
11.	मैसर्स जिन्दल इन्टरप्राइजेज, डीएमआईडीसी काम्प्लेक्स, नरेला, दिल्ली	आटे की दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
12.	मैसर्स नरेश कुमार सुनील कुमार, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला, दिल्ली	आटे की दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
13.	हरिओम ब्राड का गोदाम, नरोला गांव	20,000 लीटर खाद्य तेल और कच्ची सरसों के 225 बैग	प्राथमिकी दर्ज की गई
14.	मैसर्स अरोड़ा वेजिटेबल कार्नर, एसी ब्लाक, शालीमार बाग	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर	प्राथमिकी दर्ज की गई
15.	मैसर्स शक्ति भोग फूड लि. 24, एसएसआई, जीटीके इंड्रस्ट्रियल एरिया, दिल्ली	1745 क्विंटल गेहूं और 965 क्विंटल आटा जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
16.	मैसर्स पुण्डीर रेस्टोरेंट एंड कैटर्स, मजलिस पार्क, दिल्ली	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया	प्राथमिकी दर्ज की गई
17.	मैसर्स जावेद स्वीट कार्नर, गोपलपुर, तिमारपुर	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर	प्राथमिकी दर्ज की गई
18.	मैसर्स यादव स्वीट कार्नर, वजीराबाद, तिमारपुर, दिल्ली	1 घरेलूएलपीजी सिलेंडर	प्राथमिकी दर्ज की गई
19.	मैसर्स अनेजा जनरल स्टोर, नवादा बाजार, नजफगढ़, दिल्ली	दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
20.	मेसर्स गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी, नवादा बाजार नजफगढ़, दिल्ली	दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की कई
21.	मैसर्स गंगा इंडस्ट्रियल 1668, सी/2 थाना रोड, नजफगढ़ दिल्ली	दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई

1	2	3	4
22.	मैसर्स वैष्णों ढाबा, आरजेड–31–32, मैनरोड़ सागरपुर,दिल्ली	3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
23.	मैसर्स गुरुवार होटल, डब्ल्यू जेड–63, गांधी मार्किट, विशिष्ठ पार्क, सागरपुर, दिल्ली	4 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
24.	मैसर्स काके दा ढाबा, शॉप नं. 30-31, मेन नजफगढ़ रोड, राजौरी गार्डन, दिल्ली	2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
25.	मैसर्स पंजाबी रसोई, शॉप नें, 24, मेन नजफगढ़ रोड, राजौरी गार्डन, दिल्ली	घरेलू एलपीजी सिलेन्डर का दुरुपयोग	प्राथमिकी दर्ज की गई
26.	मैसर्स गणेश ट्रेडिंग कम्पनी, नवादा बाजार, नजफगढ़	दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
27.	मैसर्स गर्ग ट्रेडिंग कम्पनपी, 200 ए, नवादा बाजार, नजफगढ़, दिल्ली	दर सूची/स्टाक बोर्ड नहीं दर्शाया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
28.	मैसर्स परशुराम, 160 माजुदपुर, वसंत कुंज	4 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
29.	मैसर्स ईट–एन–एन्जोय, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, कम्यूनिटी सेंटर, दिल्ली	5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
30.	मैसर्स चावला रेस्टोरेंट, एनएफसी	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
31.	मैसर्स एस. के. चिकन, शॉप नं. 13, एनएफसी	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
32.	मैसर्स जे. के. चिकन कार्नर, शॉप नं. 10 एनएफसी	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
33.	मैसर्स मुगलाई फूड, एनएफ सी	1 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किया गया	प्राथमिकी दर्ज की गई
34.	मैसर्स बेग, 23, एफएनसी	2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
35.	मैसर्स न्यू दिल्ली फूड कार्नर	3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए	प्राथमिकी दर्ज की गई
36.	मैसर्स आनन्द रेस्टोरेंट	5 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त	प्राथमिकी दर्ज की गई
37.	मैसर्स रामहेर सिघल, टी–266–678, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, दिल्ली	लगभग 33,000 खाद्य तेल और 40,000 वनस्पति घी	प्राथमिकी दर्ज की गई
38.	बाला जी उद्योग, नजफगढ़	11000 लीटर साथ ब्रांड सरसों का तेल	प्राथमिकी दर्ज की गई

1	2	3	4
39.	जीएमडी ऑयल तेल, 86/11–20, मुण्डका इंडस्ट्रियल एरिया	1,45,000 लीटर खाद्य तेल	प्राथमिकी दर्ज की गई
40.	गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, शनि दाजार, हसथाल रोड, उत्तम नगर,	12,5000 लीटर रिफाइंड ऑयल	प्राथमिकी दर्ज की गई
41.	मैसर्स गुरूदयाल ऑयल एंड जनरल मिल, बवाना रोड, नरेला, दिल्ली	सरसों का तेल (1) लीटर की 160 खुली बोतलें, आधा लीटर की 250 खुली बोतलें, 15 लीटर के 23 टिन, 1 लीटर की 15 बोतल वाले 24 पैकेड डिब्बे)	प्राथमिकी दर्ज की गई
42.	मैसर्स जिन्दल सुपर दाल मिल, सी–29, लावरेंस रोड, दिल्ली	6871 क्विंटल उड़द, चने की दाल	प्राथमिकी दर्ज की गई
43.	मैसर्स जगत एग्रो कमोडिटिस प्रा. लि. सिन्धु बोर्डर, नरेला, दिल्ली।	2,51,670 क्विंटल चावल स्टाक (09/04/08) का स्टाक	प्राथमिकी दर्ज की गई
44.	मैसर्स जानकी मंगलवार उद्योग, एफ–1760, डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिय लि.	508000 कि. ग्रा. खाद्य तेल	प्राथमिकी दर्ज की गई
45.	मैसर्स सुनील कुमार संजय कुमार, सी–45/5, लावरेंस रोड	–	प्राथमिकी दर्ज की गई
46.	मैसर्स योगेश ऑयल एंड फ्लोर मिल, सी–36/1, लावरेंस रोड इंडस्ट्रियल एरिया,	–	प्राथमिकी दर्ज की गई
47.	नेफेड, लारेंस रोड	–	प्राथमिकी दर्ज की गई

विवरण-II

वर्ष 2008 के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई–राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 31.3.2008 तक प्राप्त सूचना।

क्रम सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त माल का मूल्य	तक की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरूणाचल प्रदेश	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	जनवरी
2.	दिल्ली	68	61	41		49.5	मार्च
3.	गुजरात	7251		20	शून्य	28.94	फरवरी
4.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च
6.	हिमाचल प्रदेश	2518	शून्य	15	शून्य	0.47	जनवरी

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	कर्नाटक	419	3	शून्य	शून्य	0.87	जनवरी
8.	केरल	20831	शून्य	शून्य		0.045	फरवरी
9.	मध्य प्रदेश	9449		70		3.38	फरवरी
10.	महाराष्ट्र	4611	533	480		8710.29	मार्च
11.	मणिपुर	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	फरवरी
12.	मेघालय	26	1	2	1	0.05	मार्च
13.	उड़ीसा	134		6		0.35	जनवरी
14.	पंजाब	4347	शून्य	शून्य	शून्य	0.27	जनवरी
15.	तमिलनाडु	2546	339	211	750	110.56	फरवरी
16.	उत्तर प्रदेश	6655	197	286	शून्य	273.13	फरवरी
17.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	90	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च
18.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च
19.	पाण्डिचेरी	109	5	5	–	0.13	फरवरी
	योग	59077	1139	1136	751	9177.985	

मोबाइल लाइन क्षमता बढ़ाना

4879. श्री उदय सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्य मोबाइल सेवा प्रदाताओं की कॉल दरों पर नियंत्रण हेतु बीएसएनएल की मोबाइल लाइन क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड ने अगले वर्ष में 33.5 मिलियन लाइनों की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) के मौजूदा उपबन्धों के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क को प्रचालकों के स्व–निर्णय पर छोड़ दिया गया है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर लाइन सेवा, सेल्यूलर मोबाइल सेवा में राष्ट्रीय रोमिंग सेवा तथा पट्टेशुदा लाइन सेवा शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल कनेक्शनों की व्यवस्था

4880. श्री अजीत जोगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य में आज की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल द्वारा कुल कितने मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में सभी जिले तथा तहसील मुख्यालय मोबाइल टेलीफोन सेवाओं से जुड़े हैं;

(ग) यदि नहीं, तो राज्य में कौन–कौन से जिले तथा तहसील मुख्यालय अब भी मोबाईल सेवा से नहीं जुड़े हैं;

(घ) छत्तीसगढ़ में मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक मांग पर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) 20.04.2008 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा देश में अपने प्रचालन क्षेत्र में 36687251 मोबाइल टेलीफोन कनेक्शन (जीएसएम) उपलब्ध कराए गए, जिनमें छत्तीसगढ़ में उपलब्ध कराए गए 614405 मोबाइल कनेक्शन शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख)के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीएसएनएल की वर्ष 2008–09 के दौरान छत्तीसगढ़ में 10.5 लाख लाइनों की क्षमता वाले 1131 मोबाइल बेस स्टेशन संस्थापित करने की योजना है। 290 मोबाइल बेस स्टेशनों की संस्थापना का कार्य भी प्रगति पर है।

(ङ) और (च) जी, हां। छत्तीसगढ़ में मांग पर मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों की स्थापना

4881. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

श्री एल. राजगोपाल :

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार, सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र (एसएसए) वार कितने इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र/दूरभाष केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का देश में और इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथा एसएसए–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कुल कितने मैनुअल, एनालॉग तथा इलैक्ट्रो–मेकेनिकल दूरभाष केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ङ) देश में आज की तारीख तक कितने दूरभाष केन्द्रों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक दूरभाष केन्द्रों में परिवर्तित किया जा चुका है;

(च) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण दूरभाष केन्द्र या तो मैनुअली अथवा एनालॉग पद्धति से चल रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इन्हें कब तक डिजिटल दूरभाष केन्द्र में परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा देश में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या 38,158 है जिनमें से 8,702 शहरी क्षेत्रों में तथा 29,456 एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उपर्युक्त वर्णित एक्सचेंज की राज्य–वार (सर्किल–वार) और गौण स्विचन क्षेत्र–वार सूची संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा दिल्ली और मुंबई में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 335 और 202 है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का राज्यवार (सर्किल–वार) और गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(घ) से (ज) एमटीएनएल और बीएसएनएल के नेटवर्क (आंध्र प्रदेश सहित) में कार्यरत सभी टेलीफोन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय स्वरूप के हैं।

विवरण-I

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार बीएसएनएल के टेलीफोन एक्सचेंजों की सर्किल–वार स्थिति

क्रम सं.	सर्किल का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
1	2	3	4	5
1	अंडमान व निकोबार	5	45	50
2.	आंध्र प्रदेश	666	3337	4003
3.	असम	171	426	597
4.	बिहार	218	1005	1223
5.	छत्तीसगढ़	180	445	625
6.	गुजरात	543	2675	3218
7.	हरियाणा	351	923	1274

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	98	964	1062
9.	जम्मू–कश्मीर	117	255	372
10.	झारखंड	187	292	479
11.	कर्नाटक	499	2228	2727
12.	केरल	246	995	1241
13.	मध्य प्रदेश	576	2110	2686
14.	महाराष्ट्र	640	4302	4942
15.	पूर्वोत्तर–I	72	258	330
16.	पूर्वोत्तर–II	57	166	223
17.	उड़ीसा	221	938	1159
18.	पंजाब	326	1216	1542
19.	राजस्थान	382	1953	2335
20.	तमिलनाडु	867	1219	2086
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	660	1636	2296
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	484	493	977
23.	उत्तरांचल	112	343	455
24.	पश्चिम बंगाल	239	1146	1385
25.	कोलकाता	550	0	550
26.	चेन्नै	235	86	321
	जोड़	8702	29456	38158

विवरण-II

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की गौण स्विचन क्षेत्र–वार सूची

सर्किल : आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	अदिलाबाद	11	124	135
2	अनंतपुर	24	166	190
3	चित्तूर	25	199	224
4	कुड्डपा	14	127	141
5	पूर्वी गोदावरी	31	160	191
6	गुंटूर	39	182	221
7	हैदराबाद	196	129	325
8	करीमनगर	14	159	173
9	खम्माम	15	151	166
10	कृष्णा	27	206	233
11	कुरनूल	20	211	231
12	महबूब नगर	18	183	201
13	मेडक	18	122	140
14	नलगोंडा	13	189	202
15	नेल्लोर	19	168	187
16	निज़ामाबाद	6	129	136
17	ओंगले	24	163	187
18	श्रीकाकुलम	25	88	113
19	विशाखापट्टनम	53	85	138
20	विजयनगरम	27	92	119
21	वारंगल	24	127	151
22	पश्चिम गोदावरी	23	177	200
	सर्किल जोड़	666	3337	4003

सर्किल : अंडमान-निकोबार

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	पोर्ट ब्लेयर	5	45	50
	सर्किल जोड़	5	45	50

सर्किल : असम

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	बोंगाई गांव	27	71	98
2	डिब्रूगढ़	24	44	68
3	जोरहाट	32	66	98
4	कामरूप	28	26	54
5	नागांव	18	83	101
6	सिल्चर	18	80	98
7	तेजपुर	24	56	80
	सर्किल जोड़	171	426	597

सर्किल : बिहार

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	आरा	13	48	61
2	बेगूसराय	7	32	39
3	बेतिया	5	32	37
4	भागलपुर	12	57	69
5	छपरा	17	77	94
6	दरभंगा	4	56	60
7	गया	18	107	125
8	हाजीपुर	5	40	45
9	कटिहार	10	56	66
10	खगड़िया	2	20	22
11	किशनगंज	5	16	21
12	मधुबनी	5	48	53
13	मोतीहारी	5	51	56
14	मुंगेर	16	58	74
15	मुजफ्फरपुर	15	72	87
16	पटना	56	66	122
17	सहरसा	8	69	77
18	समस्तीपुर	6	47	53
19	सासाराम	9	53	62
	सर्किल जोड़	218	1005	1223

सर्किल : छत्तीसगढ़

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	बस्तर	18	55	73
2	बिलासपुर	45	110	155
3	दुर्ग	50	94	144
4	रायगढ़	12	59	71
5	रायपुर	41	91	132
6	सरगुजा	14	36	50
	सर्किल जोड़	180	445	625

सर्किल : गुजरात

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	अहमदाबाद	136	132	268
2	अमरेली	13	149	162
3	भड़ूच	18	119	137
4	भावनगर	25	112	137
5	भूज	25	213	238
6	गोधरा	13	126	139
7	हिम्मत नगर	31	186	217
8	जामनगर	24	135	159

1	2	3	4	5
9	जूनागढ़	22	181	203
10	मेहसाणा	23	260	283
11	नाडियाड	29	176	205
12	पालनपुर	13	246	259
13	राजकोट	29	211	240
14	सूरत	52	65	117
15	सुरेन्द्र नगर	10	149	159
16	वडोदरा	45	120	165
17	वलसाड	35	95	130
	सर्किल जोड़	543	2675	3218

सर्किल : हरियाणा

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	अम्बाला	63	136	199
2	फरीदाबाद	28	37	65
3	गुड़गांव	45	42	87
4	हिसार	53	180	233
5	जींद	15	77	92
6	करनाल	56	136	192
7	रेवाड़ी	25	80	105
8	रोहतक	49	163	212
9	सोनीपत	17	72	89
	सर्किल जोड़	351	923	1274

सर्किल : हिमाचल प्रदेश

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	धर्मशाला	21	190	211
2	हमीरपुर	20	151	171
3	कुल्लु	5	80	85
4	मंडी	10	156	166
5	शिमला	22	208	230
6	सोलन	20	179	199
	सर्किल जोड़	98	964	1062

सर्किल : जम्मू-कश्मीर

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	जम्मू	39	65	104
2	लेह	3	47	50
3	रजौरी	6	48	54
4	श्रीनगर	54	45	99
5	उधमपुर	15	50	65
	सर्किल जोड़	117	255	372

सर्किल : झारखंड

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	डाल्टेन गंज	8	35	43
2	धनबाद	52	26	78
3	दुमका	20	61	81
4	हजारीबाग	21	74	95
5	जमशेदपुर	48	35	83
6	रांची	38	61	99
	सर्किल जोड़	187	292	479

सर्किल : कर्नाटक

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	बंगलुरु	138	102	240
2	बेलगाम	29	160	189

1	2	3	4	5
3	बेल्लारी	20	96	116
4	बीदर	11	69	80
5	बीजापुर	25	167	192
6	चिकमंगलूर	13	135	148
7	चित्रदुर्ग	16	113	129
8	धारवाड़	44	125	169
9	गुलबर्गा	15	145	160
10	हसन	12	91	103
11	करवर	21	131	152
12	कोडगू	6	70	76
13	कोलार	17	127	144
14	मांडया	8	57	65
15	मंगलौर	45	206	251
16	मैसूर	34	104	138
17	रायचूर	13	109	122
18	शिमोगा	17	124	141
19	तुमकुर	15	97	112
	सर्किल जोड़	499	2228	2727

सर्किल : केरल

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	अलप्पुझा	20	52	72
2	कालीकट	33	89	122
3	एर्णाकुलम	57	158	215
4	कन्नूर	34	137	171
5	कोल्लम	9	76	85
6	कोट्टायम	17	84	101
7	मालापुरम	6	88	94
8	पलक्कड	16	99	115
9	पतनमतिट्टा	7	77	84
10	तिरुवनंतपुरम	26	70	96
11	त्रिशूर	21	65	86
	सर्किल जोड़	246	995	1241

सर्किल : मध्य प्रदेश

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	बालाघाट	9	53	62
2	बेतूल	14	67	81
3	भोपाल	49	85	134
4	छत्रपुर	36	52	88
5	छिंदवाड़ा	16	90	106
6	दमोह	8	35	43
7	देवास	15	73	88
8	धार	12	104	116
9	गुना	14	49	63
10	ग्वालियर	27	61	88
11	इंदौर	36	48	84
12	इटारसी	22	110	132
13	जबलपुर	40	74	114
14	झाबुआ	8	37	45
15	खांडवा	12	77	89
16	खरगोन	17	115	132
17	मांडला	6	42	48

1	2	3	4	5
18	मंदसौर	22	148	170
19	मुरैना	27	93	120
20	नरसिंहपुर	6	64	70
21	पन्ना	6	15	21
22	रायसेन	7	39	46
23	राजगढ़	14	40	54
24	रतलाम	13	65	78
25	रीवा	16	21	37
26	सागर	19	59	78
27	सतना	17	44	61
28	सिवनी	5	52	57
29	शहडोल	27	32	59
30	शाजापुर	14	66	80
31	शिवपुरी	11	43	54
32	सिधी	8	22	30
33	उज्जैन	16	88	104
34	विदिशा	7	47	54
	सर्किल जोड़	576	2110	2686

सर्किल : महाराष्ट्र

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	अहमदनगर	22	311	333
2	अकोला	13	125	138
3	अमरावती	18	116	134
4	औरंगाबाद	17	138	155
5	बीड	6	128	134
6	भंडारा	7	101	108
7	बुल्ढाणा	11	108	119
8	चन्द्रपुर	17	84	101
9	धुले	12	125	137
10	गढ़ चिरौली	3	42	45
11	गोवा	56	79	135
12	जलगांव	23	193	216
13	जालना	8	89	97
14	कल्याण	72	109	181
15	कोल्हापुर	29	280	309
16	लातूर	8	138	146
17	नागपुर	34	102	136
18	नांदेड	20	113	133
19	नासिक	31	211	242
20	उस्मानाबाद	9	82	91
21	परभनी	14	101	115
22	पुणे	97	211	308
23	रायगढ़	20	134	154
24	रत्नागिरि	12	162	174
25	सांगली	21	307	328
26	सतारा	17	207	224
27	सिंधुदुर्ग	6	101	107
28	सोलापुर	20	235	255
29	वर्धा	8	71	79
30	यवतमाल	9	99	108
	सर्किल जोड़	640	4302	4942

सर्किल : पूर्वोत्तर-I

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	मेघालय	22	96	118
2	मिजोरम	31	57	88
3	त्रिपुरा	19	105	124
	सर्किल जोड़	72	258	330

सर्किल : पूर्वोत्तर-II

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	अरुणाचल प्रदेश	15	90	105
2	मणिपुर	25	31	56
3	नागालैंड	17	45	62
	सर्किल जोड़	57	166	223

सर्किल : उड़ीसा

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	बालासौर	15	75	90
2	बोलंगीर	8	44	52
3	कटक	30	146	176
4	ढेनकनाल	25	101	126
5	गुंजम	26	101	127
6	कालाहांडी	6	55	61
7	कोरापुट	22	86	108
8	मयूरभंज	7	49	56
9	फूलबनी	3	44	47
10	पुरी	43	90	133
11	संबलपुर	21	93	114
12	सुंदरगढ़	15	54	69
	सर्किल जोड़	221	938	1159

सर्किल : पंजाब

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	अमृतसर	31	122	153
2	भटिंडा	25	108	133
3	चंडीगढ़	47	15	62
4	फिरोजपुर	24	242	266
5	होशियारपुर	15	87	102
6	जालंधर	57	158	215
7	लुधियाना	45	91	136
8	पठानकोट	21	104	125
9	पटियाला	31	121	152
10	रोपड़	7	49	56
11	सगरूर	23	119	142
	सर्किल जोड़	326	1216	1542

सर्किल : राजस्थान

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	अजमेर	23	72	95
2	अलवर	16	99	115
3	बांसवाड़ा	11	68	79
4	बाड़मेर	3	81	84
5	भरतपुर	17	65	82
6	भीलवाड़ा	18	69	87
7	बीकानेर	9	74	83
8	बूंदी	6	35	41
9	चित्तौड़गढ़	8	64	62
10	चुरू	12	90	102

1	2	3	4	5
11	जयपुर	73	132	205
12	जैसलमेर	2	34	36
13	झालावाड़	5	30	35
14	झुंझूनू	13	63	76
15	जोधपुर	19	105	124
16	कोटा	27	68	95
17	नागौर	12	97	109
18	पाली	22	124	146
19	सवाईमाधोपुर	7	63	70
20	सीकर	14	96	110
21	सिरोही	9	122	131
22	श्रीगंगानगर	25	160	185
23	टोंक	8	40	48
24	उदयपुर	23	112	135
	सर्किल जोड़	382	1953	2335

सर्किल : तमिलनाडु

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	कोयंबटूर	118	54	172
2	कुड्डालौर	61	105	166
3	धर्मपुरी	32	94	126
4	इरोड	53	68	121
5	करैकुड़ी	30	92	122
6	कुंबाकोनम	34	43	77
7	मदुरै	92	78	170
8	नगरकोइल	41	6	47
9	नीलगिरी	23	23	46
10	पांडिचेरी	13	19	32
11	सेलम	81	148	229
12	तन्जौर	41	80	121
13	तिरुनेलवेली	43	38	81
14	त्रिचि	95	195	290
15	तुटीकोरिन	27	43	70
16	वेल्लौर	58	95	153
17	विरुद्धनगर	25	38	63
	सर्किल जोड़	867	1219	2086

सर्किल : उत्तरांचल

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	अल्मोड़ा	14	92	106
2	देहरादून	27	34	61
3	हरिद्वार	18	13	31
4	कोटद्वार	17	102	119
5	नैनीताल	29	49	78
6	उत्तरकाशी	7	53	60
	सर्किल जोड़	112	343	455

सर्किल : उत्तर प्रदेश (पूर्व)

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद	44	65	109
2	आजमगढ़	16	60	76
3	बहराइच	11	53	64

1	2	3	4	5
4	बलिया	11	38	49
5	बांदा	17	82	99
6	बाराबंकी	14	60	74
7	बस्ती	14	63	77
8	देवरिया	19	55	74
9	इटावा	19	26	45
10	फैजाबाद	17	57	74
11	फर्रुखाबाद	16	39	55
12	फतेहपुर	8	41	49
13	गाजीपुर	13	33	46
14	गोंडा	11	56	67
15	गोरखपुर	27	55	82
16	हमीरपुर	15	32	47
17	हरदोई	15	30	45
18	जौनपुर	12	57	69
19	झांसी	27	43	70
20	कानपुर	70	66	136
21	लखीमपुर खीरी	11	72	83
22	लखनऊ	58	41	99
23	मैनपुरी	13	28	41
24	मऊ	10	32	42
25	मिर्जापुर	37	41	78
26	उरई	12	32	44
27	प्रतापगढ़	18	46	64
28	रायबरेली	7	57	64
29	शाहजहांपुर	19	24	43
30	सीतापुर	15	52	67
31	सुल्तानपुर	9	76	85
32	उन्नाव	24	45	69
33	वाराणसी	31	79	110
	सर्किल जोड़	660	1636	2296

सर्किल : उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	आगरा	51	46	97
2	अलीगढ़	30	41	71
3	बरेली	47	31	78
4	बिजनोर	21	47	68
5	बदायूं	31	15	46
6	बुलंदशहर	22	25	47
7	एटा	20	23	43
8	गाजियाबाद	62	30	92
9	मथुरा	28	33	61
10	मेरठ	42	30	72
11	मुरादाबाद	39	43	82
12	मुजफ्फर नगर	24	44	68
13	नोएडा	28	11	39
14	पीलीभीत	9	26	35
15	रामपुर	11	21	32
16	सहारनपुर	19	27	46
	सर्किल जोड़	484	493	977

सर्किल : पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	2	3	4	5
1	आसनसोल	42	147	189
2	बांकुड़ा	6	67	73
3	बरहामपुर	14	82	96
4	कूचबिहार	10	32	42
5	गंगटोक	13	34	47
6	जलपाईगुड़ी	17	41	58
7	खड़गपुर	35	149	184
8	कोलकाता	20	239	259

1	2	3	4	5
9	कृष्णनगर	13	79	92
10	मालदा	5	55	60
11	पुरुलिया	5	32	37
12	रायगंज	11	65	76
13	सिलीगुड़ी	40	41	81
14	सूरी	8	83	91
	सर्किल जोड़	239	1146	1385

सर्किल : कोलकाता महानगर

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	कोलकाता	550	0	550
	सर्किल जोड़	550	0	550

सर्किल : चेन्नै महानगर

क्रम सं.	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	टेलीफोन एक्सचेंज		
		शहरी	ग्रामीण	जोड़
1	चेन्नै	235	86	321
	सर्किल जोड़	235	86	321

विवरण-III

बीएसएनएल के नेटवर्क में 2008–09 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार (सर्किलवार) और गौण स्विचन क्षेत्रवार सूची

क्रम सं.	सर्किल का नाम	गौण स्विचन क्षेत्र का नाम	योजनाबद्ध टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	3
		वारंगल	1
		हैदराबाद	7
2.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	1
		दुर्ग	1
		रायपुर	6
3.	हरियाणा	फरीदाबाद	2
4.	जम्मू–कश्मीर	श्रीनगर	3
		उधमपुर	1
		लेह	1
5.	कर्नाटक	बेंगलुरु	15
6.	मध्य प्रदेश	खंडवा	1
		रेवा	1
7.	पूर्वोत्तर–I	मेघालय	3
		मिजोरम	3
		त्रिपुरा	1
8.	पूर्वोत्तर–II	अरुणाचल प्रदेश	1
9.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	नोएडा	18
		गाजियाबाद	5
		मेरठ	1
10.	उत्तरांचल	देहरादून	1
		हरिद्वार	2
		नैनीताल	2
		नई टिहरी	4
11.	चेन्नै	चेन्नै	5
		चेंग्लपेट्टु	3

विवरण-IV

एमटीएनएल, दिल्ली में 2008–09 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	प्रौद्योगिकी	क्षमता
1	2	3	4
1.	कालीबाड़ी (आरएसयू)	ओसीबी	5के
2.	साउथ ब्लॉक (मुख्य एक्सचेंज)	ओसीबी	3के

1	2	3	4
3.	अमर कॉलोनी (आरएसयू)	एएक्सई–10	7के
4.	तुगलकाबाद एक्सटेंशन (आरएसयू)	ओसीबी	5के
5.	वसुंधरा इन्क्लेव (आरएसयू)	ओसीबी	6के
6.	मयूर विहार फेज–III (आरएसयू)	ओसीबी	29के
7.	सरस्वती विहार (आरएसयू)	5 ईएसएस	24के
8.	रोहिणी सेक्टर 24–25 (आरएसयू)	ईडब्ल्यूएसडी	3के
9.	कर्मपुरा (आरएसयू)	ओसीबी	8के
10.	चाणक्य पैलेस (आरएसयू)	ओसीबी	5के
11.	रजोकरी (आरएसयू)	5 ईएसएस	2के
12.	कॉमनवेल्थ (आरएसयू)	ओसीबी	5के
13.	बवाना–I (आरएसयू)	ओसीबी	5के
14.	बुराडी (आरएसयू)	ओसीबी	10के

एमटीएनएल, मुंबई में 2008–09 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा

क्रम सं.	नाम	क्षमता	उपस्कर
1.	सनपाड़ा	5के	नया
2.	देवीदास लेन	5के	मरम्मतशुदा
3.	वनश्री	2के	मरम्मतशुदा
4.	गोविंद उद्योग	4के	नया
5.	ओबराय मॉल	2के	नया
6.	पहाड़ी गोरेगांव	6के	नया
7.	रहेजा एग्जोटिका	2के	मरम्मतशुदा
8.	एरोली रेलवे स्टेशन	9के	नया
9.	नेपच्यून	3के	नया
10.	महापे स्टोर्स	3के	मरम्मतशुदा

खाद्यान्नों का आयात

4882. श्री सुब्रत बोस :
श्री गुरूदास दासगुप्त :
श्री शिशुपाल एन. पटले :
श्री हितेन बर्मन :
श्री नरहरि महतो :
डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री देविदास पिंगले :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) वर्ष 2007–08 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान क्या–क्या लक्ष्य निर्धारित तथा प्राप्त किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त तथा स्वीकृत बोलियों तथा आयात किए गए खाद्यान्न की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान देश में कितना उत्पादन तथा खाद्यान की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ङ) वर्ष 2008–09 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन/खरीद की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ अन्य देशों के साथ खाद्यान्नों के आयात हेतु नए समझौते किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान उचित दरों पर खाद्यानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) चूंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खुली खरीदारी की जाती है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। खरीफ और रबी विपणन मौसम 2007–08 में भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल में खरीदे गए चावल और गेहूं की मात्रा नीचे दी गई है:–

(लाख टन में)

विपणन मौसम	चावल	गेहूं
2007–08	225.37 (21.4.08 को)	111.28

(ग) 2007–08 के दौरान गेहूं का आयात करने के लिए आमंत्रित निविदाओं और दिए गए आदेशों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(घ) चूंकि कृषि वर्ष 2008–09 अभी तक शुरू नहीं हुआ है इसलिए वर्ष 2008–09 के लिए कोई उत्पादन अनुमान उपलब्ध नहीं है। 2008–09 के दौरान देश में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) की मांग 201.49 मिलियन टन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन वितरण करने के लिए चावल और गेहूं की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए पगों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

2007–08 के लिए आमंत्रित निविदाएं और दिए गए आर्डर

1.आमंत्रित की गई निविदाएं

	निविदा (निविदाएं) – 2007–08						
	निविदाएं आमंत्रित करने की तारीख	बंद/खोलने की तारीख	पेशकश की गई मात्रा (लाख टन)	निर्णय लिए जाने और एसटीसी/एमएमटीसी/पीईसी को सूचित किए जाने की तारीख	भारित औसत मूल्य (यूएस डॉलर)	एक्सचेंज दर	भारतीय रुपए में भारित औसत मूल्य
पहली*	30.04.07	21.05.07	3.06**	30.05.07	263.00	40.64	10688.32
दूसरी	26.06.07	04.07.07	5.11**	10.07.07	325.59	40.41	13157.09
तीसरी	23.08.07	29.08.07	7.95	03.09.07	389.45	40.88	15920.72
चौथी	12.11.07	19.11.07	3.425	22.11.07	400.19	39.41	15771.49
पांचवी	26.11.07	03.12.07	1.5	07.12.07	396.91	39.41	15642.22
छठी*	10.12.07	17.12.07		डिस्चार्ज की गई			

* सभी बोलियां अस्वीकार कर दी गई।

** एक मिलियन टन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। संस्तुत मात्रा दूसरी और तीसरी निविदाओं में खरीदी गई।

2. दिए गए आर्डर (दूसरी निविदा)

क्रम सं.	पत्तन	आपूर्तिकर्ता का नाम	मात्रा लाख टन में (+/–5%)	मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी) सी एंड एफ (एफओ)	पहुंचने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	मुन्द्रा	कारगिल इंटरनेशनल एस.ए., स्विटजरलैंड	0.65	324.10	सितम्बर, 07
2.	मुन्द्रा	आरआईएसएस ट्रेडिंग एस.ए. स्विटजरलैंड	1.25	329.95	सितम्बर/अक्टूबर, 07
3.	मुन्द्रा	कारगिल इंटरनेशनल एस.ए., स्विटजरलैंड	0.65	327.10	अक्टूबर, 07

1	2	3	4	5	6
4.	मुन्द्रा	टीओईपीएफईआर इंटरनेशनल एशिया, पीटीई. लि., सिंगापुर	1.28	328.95	अक्टूबर/नवम्बर, 07
5.	मुन्द्रा	टीओईपीएफईआर इंटरनेशनल एशिया, पीटीई. लि., सिंगापुर	1.28	317.95	अक्टूबर/नवम्बर, 07
		जोड़	5.11	325.59*	

3. दिए गए आर्डर (तीसरी निविदा)

क्रम सं.	पत्तन	आपूर्तिकर्ता	मात्रा लाख टन	सुपुर्द की गई मात्रा– 2007 (लाख टन में)	मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी) सी एंड एफ (एफओ)
1.	मुन्द्रा	गलेनकोर ग्रेन बीवी, नीदरलैंड	5.2	अक्तूबर, 0.65	385.00
				नवंबर 1.30	387.00
				दिसम्बर 3.25	390.00
2.	कांडला	गलेनकोर ग्रेन बीवी, नीदरलैंड	2.2	अक्तूबर, 1.10	388.00
				नवंबर	391.00
3.	चेन्नई	टीओईपीएफईआर इंटरनेशनल एशिया, पीटीई. लि., सिंगापुर	0.5	दिसम्बर	397.45
4.	मुम्बई	स्टॉरकॉम रिसोर्सिस पीटीई. लि., सिंगापुर	0.05 (सीएनटीआर)	नवंबर 0.01 दिसम्बर 0.04	393.00 393.00
	जोड़		7.95		384.45

4. दिए गए आर्डर (चौथी निविदा - एमएमटीसी द्वारा आमंत्रित)

क्रम सं.	पत्तन	आपूर्तिकर्ता	मात्रा लाख टन में (+/–5%)	मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी) सी एंड एफ (एफओ)	पहुंचने की अवधि	मूल देश
1.	मुन्द्रा	गलेनकोर ग्रेन बीवी, नीदरलैंड	0.65 से 0.70 (+/–10%)	397.03	10 फरवरी, 2008 तक	अर्जेन्टीना
2.	कांडला	गलेनकोर ग्रेन बीवी, नीदरलैंड	0.90 से 1.00 (+/–10%)	408.43	10 फरवरी, 2008 तक	ब्राजील
3.	मुन्द्रा	कारगिल इंटरनेशनल एस.ए. स्विटजरलैंड	1.80 (+/–5%)	397.03	10 फरवरी, 2008 तक	अर्जेन्टीना
	जोड़		3.425	400.19*		

5. दिए गए आर्डर (पांचवीं निविदा - पीईसी लि. द्वारा आमंत्रित)

क्रम सं.	पत्तन	आपूर्तिकर्ता	मात्रा लाख टन में (+/–5%)	मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी) सी एंड एफ (एफओ)	पहुंचने की अवधि	मूल देश
1.	मुन्द्रा	जे.के. इंटरनेशनल प्राइवेट लि., आस्ट्रेलिया	1.0	395.88	10 मार्च, 2008 तक	अर्जेन्टीना
2.	कांडला	जे.के. इंटरनेशनल प्राइवेट लि., आस्ट्रेलिया	0.5	398.97	10 मार्च, 2008 तक	अर्जेन्टीना
	जोड़		1.5			

* भारित औसत मूल्य

6. सभी निविदाओं का सकल जोड़

मात्रा का सकल जोड़ (लाख टन में)	भारित औसत मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी)	एक्सचेंज दर	भारतीय रुपए में भारित औसत मूल्य
17.985	373.97	40.00	14,958.80

7. सभी निविदाओं में प्राप्त मात्रा का सकल जोड़ और भारित औसत मूल्य

मात्रा का सकल जोड़ (लाख टन में)	भारित औसत मूल्य (यूएस डॉलर पीएमटी)	एक्सचेंज दर	भारतीय रुपए में भारित औसत मूल्य
17.69	372.818	39.578	14,755.32

विवरण-II

खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय गेहूं (रबी विपणन मौसम) 2008–09

i) किसानों को और गेहूं उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2008–09 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रूपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2007–08 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

ii) 2007–08 में 18 लाख टन गेहूं आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार आ गया और रबी विपणन मौसम 2008–09 की शुरूआत में गेहूं का स्टाक (1.4.2008 की स्थिति के अनुसार) 58 लाख टन अर्थात् 40 लाख टन के बफर मानदंड से 18 लाख टन अधिक था।

iii) निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

iv) 11.2.2008 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2008 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2008–09 के दौराम 10 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि गेहूं की खरीदारी 25000 टन से अधिक होती है तो रिटर्न केन्द्रीय सरकार को भेजी जानी अपेक्षित है।'

v) उपभोक्ता मामले विभाग ने अवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2008 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

vi) निजी खाते पर अगले आदेशों तक गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

vii) मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में भारतीय खाद्य निगम की ओर से नैफेड को गेहूं की खरीद करने की अनुमति दी गई है।

viii) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर समितियों/उपएजेंटों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर से कमीशन की अनुमति दी गई है।

चावल (खरीफ विपणन मौसम) 2008-09

i) किसानों को और चावल उगाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन मौसम 2007–08 के लिए साधारण और ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 645 रुपये और 675 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है और इस प्रकार खरीफ विपणन मौसम 2006–07 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 65 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि प्रदान की गई है।

ii) भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों, आदि की ओर से धान की खरीद करने वाली समितियों और स्व–सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकतम 1.5 प्रतिशत की दर से कमीशन की अनुमति दी गई है।

iii) सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2007–08 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की है।

iv) गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

v) चावल के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

vi) दिनांक 27.11.2007 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन 'चावल (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2007' नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो खरीफ विपणन मौसम 2007–08 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान 10,000 हजार टन से अधिक धान (चावल के रूप में) अथवा चावल खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि धान (चावल के रूप में) अथवा चावल की खरीदारी 25000 टन (देशभर में) से अधिक होती है तो निर्धारित प्रपत्र में रिटर्न केन्द्रीय सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी जाएगी।

अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आबंटन

4883. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) तथा विधि निर्माताओं को पृथक–पृथक बताया है कि उसने किसी भी जीएसएम आपरेटर को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आबंटन नहीं किया है तथा इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आपरेटर स्पैक्ट्रम की जमाखोरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी बताया गया है कि जीएसएम आपरेटर स्वयं को अधिकतम 15 मेगाहर्ट्ज तक पात्र मानते हैं तथा किसी अन्य आपरेटर को इन स्थानों तक पहुंचने नहीं देते;

(ग) यदि हां, तो क्या दूरसंचार विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को मार्च, 2006 की नीतिगत घोषणाओं तथा अगस्त, 2007 की भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों की भी जानकारी दी है कि दोनों ने जीएसएम आपरेटरों की प्रति सर्किल दूसरी पीढ़ी के 15 मेगाहर्टज् तक का पात्र बताया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकास के साथ आगे बढ़ने हेतु अतिरिक्त स्पैक्ट्रम की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर कुछ सवाल उठाए थे और उन्हें आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई थी।

स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रारंभिक स्पैक्ट्रम आबंटित किया जाता है। सेवा में वृद्धि और उपभोक्ता आधार बढ़ जाने से, उपलब्धता के अध्ययधीन पात्रता मानदंड के अनुसार अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है जो कि सक्रिय उपभेक्ताओं की संख्या, प्रचालक के नेटवर्क के व्यवस्तत परियात, सेवा क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर आधारित होता है।

सेवा में वृद्धि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन की बाबत उपभोक्ता आधारित पात्रता मानदंडों में मार्च, 2006 में संशोधन किया गया। बाद में अगस्त, 2007 के दौरान, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नवीनतम प्रौद्योगिकीय विकास कार्यों आदि को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए उपभोक्ता आधार पर पात्रता संबंधी कड़े मानदंडों की सिफारिश की। इस संबंध में जनवरी, 2008 में जारी किए अद्यतन आदेश ट्राई की सिफारिशों पर आधारित हैं। 2006 और 2008 के इन आदेशों में 15 मेगाहर्टज तक जीएसएम स्पेक्ट्रम आबंटन संबंधी मानदंड दिए गए हैं।

निष्प्रभावी उर्वरक

4884. श्री कैलाश मेघवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक अब उतने प्रभावी नहीं है, जैसे वे हरित क्रांति के आरंभ के समय थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति से निपटने हेतु नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वर्षों तक जैव तत्वों के अल्प संयोजन के साथ उर्वरकों के असन्तुलित और अंधाधुंध प्रयोग के परिणामस्वरूप देश में मृदा स्वास्थ्य के बहुपोषणों में कमी और ह्रास हुआ है। ये घटक समग्र उर्वरक अनुक्रिया और फसल उत्पादकता को कम करते हैं।

सरकार संयोजिक उर्वरक के प्रति उच्च फसल अनुक्रिया पुनः स्थापित करने के लिए पौध पोषकों के अजैविक और जैविक दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग को ध्यान में रखते हुए मृदा परीक्षण आधारित स्थान विशिष्ट समेकित पोषण प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

[हिन्दी]

पुराने उपकरणों का जमा हो जाना

4885. चौ. मुनव्वर हसन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के विभिन्न दूरभाष केन्द्रों/कार्यालयों में पुराने उपकरणों, वाहनों तथा पुरानी वस्तुओं का भारी भंडार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पुराने भंडारों/वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है; और

(घ) देश में दोनों निगमों के पुराने भंडारों/वसतुओं की नीलामी कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) बीएसएनएल तथा एमटीएनएल में किसी उपस्कर/वाहन को अप्रयोज्य/पुराना तब घोषित किया जाता है जब यह अपनी मियाद से अधिक अवधि का हो जाता है अथवा यह बाजार की जरूरतों के अनुसार नई तकनीकी विशेषताओं को पूरा नहीं कर पाता है और सप्लायर/विक्रेता प्रौद्योगिकी के पुराना हो जाने के कारण रखरखाव की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होता। ऐसी अप्रयोज्य/पुरानी मदों का निपटान एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा विहित दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है।

[अनुवाद]

किराया मुक्त बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन

4886. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश में सभी लैंडलाइन कनेक्शन किरायामुक्त उपलब्ध कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा दिल्ली और मुम्बई में भी यही सुविधा उपलब्ध किए जाने का प्रसताव है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का सभी लैंडलाइन कनेक्शनों को किराया मुक्त आधार पर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कतिपय प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत ऐसे उपभोक्ताओं, जिनके पास एमटीएनएल के लैंडलाइन कनेक्शन छह माह से अधिक की अवधि से हैं उन्हें मौजूदा लैंडलाइन पर एक "एड आन" (अतिरिक्त) किराया मुक्त लैंडलाइन कनेक्शन या स्थिर बेतार टेलीफोन की पेशकश की जाती है।

एमटीएनएल प्रतिस्पर्धा आदि को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर प्रशुल्कों और अपनी सेवाओं की समीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

बाल मजदूरी समाप्त करने हेतु विशेष समूह

4887. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए निरीक्षण तथा छापे मारने हेतु मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष समूह का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्य कौन–कौन हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जबकि बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए निरीक्षण तथा छापे मारने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कोई विशेष समूह गठित नहीं किया गया है। तथापि, पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया जाता है। राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रवर्तन के लिए समुचित प्राधिकरण हैं। अतः राज्य श्रम विभागों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण एवं छापे मारे जाते हैं। केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य श्रमायुक्त (के) का कार्यालय निरीक्षण एवं छापे मारता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेचा न गया पटसन का भंडार

4888. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) को हाल ही में पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना के पोलेरहाट गोदाम में लगी भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वाणिज्यिक खरीद के माध्यम से खरीदे गए पटसन के पुराने भंडार के न बिकने से भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) को समस्या हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पोलेरबट गोदाम में 21.01.2008 को लगी आग से क्षति हुई थी, जिसका बीमा कम्पनी द्वारा बीमा किया गया था। भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) ने 29.52 लाख रु. का बीमा दावा प्रस्तुत किया है जिसका बीमा कंपनी द्वारा निपटान किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। पटसन मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति के कारण, जेसीआई के पास पिछले तीन वर्षों का बिना बिका पटसन भंडार (वाणिज्यिक) (लाख क्विंटल में) नीचे दिया गया है:–

2005–06	2006–07	2007–08
0.74	4.88	3.20

(घ) सरकार ने भंडार को निपटाने के लिए जेसीआई को 2006–07 के एमएसपी कोलकाता लैंडिड मूल्य पर बी ट्विल सम्पर्क योजना के तहत वाणिज्यिक रूप में खरीदे गए पटसन की बिक्री की अनुमति दे दी है।

एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना

4889. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) ने देश के टियर II तथा टियर III शहरों में और केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर महाराष्ट्र तथा गुजरात में और अधिक केन्द्रों की स्थापना हेतु किन–किन स्थानों को चुने जाने की संभावना है;

(घ) शहरों के चयन में क्या मानदंड अपनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में इन केन्द्रों की स्थापना हेतु कितना निवेश किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीय प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने देश में 51 केन्द्र स्थापित किए हैं, जिनमें से 44 केन्द्र स्तर–II और स्तर III शहरों में हैं। स्थापित किए जा रहे नए केन्द्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की चालू नीति के अनुसार, राज्य सरकार को एसटीपीआई को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल तथा 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नया एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने के लिए एसटीपीआई को 50 लाख रुपए आरम्भिक राशि के रूप में उपलब्ध कराता है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए एसटीपीआई को राज्य सरकार के साथ मिलकर एक व्यवहार्यता अध्ययन करना पड़ता है।

विवरण

स्थापित किए जा रहे केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र का नाम (राज्य)
1.	सूरत (गुजरात)
2.	भोपाल, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
3.	जमशेदपुर और धनबाद (झारखण्ड)
4.	अगरतला (त्रिपुरा)
5.	गुड़गांव (हरियाणा)
6.	गुलबर्ग (कर्नाटक)
7.	वाराणसी और आगरा (उत्तर प्रदेश)

[हिन्दी]

कृषि अवसंरचना

4890. श्री राजनरायन बुधौलिया :

श्री विजय कृष्ण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) सरकार ने कृषि आधारित अवसरंचना को सुदृढ़ करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी का प्रस्ताव किया है। कृषि विस्तार को सुदृढ़ करने के लिए भी निजी क्षेत्र के साथ भागीरथी को प्रोत्साहित किया जाता है। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के लिए चिन्हित क्षेत्रों में कृषि विपणन और बागवानी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण, निजी कम्पनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों आदि के लिए आधारिक संरचना के विकास और सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अन्तर्गत ऋण आधारित प्रादूर्वान्त पूंजी राज सहायता भी दी जाती है। इस घटक के अन्तर्गत अब तक 7 करोड़ रूपये की राशि राष्ट्रीय बीज निगम के लिए स्वीकृत की जा चुकी है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास कार्यक्रम

4891. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और कौन-कौन सी परियोजनाओं में विलंब हुआ है तथा ये कब से लंबित हैं और इनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या ऐसी अनेक परियोजनाएं इनमें किए गए निवेश के मद्देनजर निष्फल हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने केवल परिणामोनुकूल अनुसंधान और विकास कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने और इनमें निवेश करने तथा इन्हें समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने का निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर-डब्ल्यु एसआई, हल्के युद्धक हेलिकाप्टन तथा मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक (आई जे टी) परियोजनाओं की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं के संबंध में लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक (आईजेटी) कार्यक्रम के डिजाइन तथा विकास में लगभग एक वर्ष का विलंब हुआ है जिसकी गहन मानीटरी की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जहां तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के उन्नत हल्का हेलिकॉप्टर, उन्नत हल्का हेलिकॉटर-डब्ल्यु एस आई, मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक तथा हल्का युद्धक हेलिकॉप्टर जैसे डिजाइन और विकास कार्यक्रमों का संबंध है, ये परिणाम उन्मुखी तथा समयबद्ध है।

[हिन्दी]

ग्राम पंचायतों में दूरभाष सुविधा

4892. श्री मित्रसेन यादव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को अभी तक दूरभाष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान देश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराई जानी है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) यह विभाग ग्रामीण टेलीफोनी द्वारा किए गए गांवों से संबंधित आंकड़े रखता है। तथापि, उत्तर प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा द्वारा कवर किया गया है।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) ने देश में टेलीफोन सुविधारहित 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ एक करार किया है। इसमें उन गांवों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी जनसंख्या 100 से कम है तथा जो घने वन क्षेत्रों/नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि में स्थित हैं। 29.2.2008 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 53,073 गांवों को वीपीटी प्रदान कर दिए गए हैं और शेष 13,749 गांवों को दिसंम्बर, 2008 तक वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। टेलीफोन सुविधारहित गांवों, जिन गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं तथा जिन गांवों को अभी टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के करार के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की 29.2.2008 की स्थिति के अनुसार सर्किलवार स्थिति

क्रम सं.	सर्किल का नाम	टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की कुल संख्या	टेलीफोन सुविधा वाले गांवों की कुल संख्या	जिन गांवों को अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है उनकी कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1,074	657	417
3.	असम	8,931	8,638	293
4.	बिहार	0	0	0
5.	झारखंड	1,694	1,092	602
6.	गुजरात	4,144	4,041	103
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1,002	867	135
9.	जम्मू और कश्मीर	1,755	1,274	481
10.	कर्नाटक	0	0	0
11.	केरल	0	0	0
12.	मध्य प्रदेश	11,894	11,801	93
13.	छत्तीसगढ़	5,043	3,317	1,726
14.	महाराष्ट्र	6,441	5,882	559
15.	मेघालय	1,957	207	1,750
16.	मिजोरम	96	28	68
17.	त्रिपुरा	75	69	6
18.	अरुणाचल प्रदेश	646	210	436
19.	मणिपुर	876	456	420
20.	नागालैंड	28	19	9
21.	उड़ीसा	4,899	1,334	3,565
22.	पंजाब	0	0	0
23.	राजस्थान	12,386	11,083	1,303
24.	तमिलनाडु	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	0	0	0
27.	उत्तरांचल	3,881	2,098	1,783
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल	66,822	53,073	13,749

[अनुवाद]

ग्रामीण पोस्ट बॉक्स

4893. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पोस्ट बॉक्सों का ठीक से रख-रखाव नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पोस्ट बॉक्सों/लैटर बॉक्सों को पेंट करना और उनकी पूरी तरह से मरम्मत करना एक नियमित कार्यक्रम है। तथापि, जब भी कोई विशेष मामले सामने आते हैं, उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

डी आर डी ओ के माध्यम से प्रौद्योगिकी का विकास

4894. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) को देश की प्रौद्योगिकी के विकास में आत्मनिर्भर बनाने का कार्य सौंपा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और हाइपरसोनिक प्रोपल्शन अनमैन्ड लैंड एंड अंडरवे वाअर व्हीकल्स आदि की योजना क्या है और इनको तैयार करने की समायावधि क्या है तथा इन्हें कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे रक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणियों, निजी उद्योगों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से पूरा करना होता है।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पराध्वनि प्रणोदन, मानवरहित भूमि तथा अन्तर्जलीय वाहनों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पहल परियोजनाएं शुरू की हैं।

बाल श्रम कानून में परिवर्तन

4895. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने लगभग दो वर्ष के कार्यान्वयन के पश्चात् बाल श्रम को रोकने के उद्देश्य से इसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए बाल श्रम से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों द्वारा किन-किन बदलावों की मांग की गई है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) बाल श्रम (उत्सादन और विनियमन) अधिनियम, 1986 काफी पहले 1986 में लागू हुआ था। राज्य सरकारों सहित विभिन्न वर्गों से अधिनियम में संशोधन/परिवर्तन करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। कुछेक सुझावों में अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना, तलाशी और जब्ती की शक्ति बढ़ाना, कृषि को जोखिमकारी कार्य के रूप में शामिल करना और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों में निर्णय देना शामिल है। तदनुसार सरकार ने इन सुझावों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया है।

धान बोर्ड

4896. डा. के.एस. मनोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य सुरक्षा संकट की जानकारी के मद्देनजर एक धान बोर्ड की स्थापना करने का है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों में अपने-अपने धान बोर्ड की स्थापना की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर केरल में ऐसे बोर्डों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) भारत सरकार द्वारा धान-बोर्ड स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) केरल देश का ऐसा अकेला राज्य है जिसने 12 फरवरी, 2008 को धान-बोर्ड स्थापित किया है। वित्तीय वर्श 2007-08 के दौरान इस बोर्ड को कोई वित्तीय समर्थन नहीं दिया गया है।

भारत इजरायल सहयोग

4897. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इजरायल ने कृषि विशेषकर सिंचाई, बागवानी, कृषि प्रौद्योगिकी और डेयरी क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इजरायल के सहयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) :

(क) और (ख) कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत गणतंत्र सरकार एवं इजरायल सरकार के मध्य 24 दिसम्बर, 1993 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

इस समझौते के अन्तर्गत वर्ष 2006–08 के दौरान कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए 10 मई, 2006 को एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कार्य योजना, उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलें उगाने के लिए उर्वरण एवं सायललैस खेती में सामूहिक अनुसंधान, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए ऊर्जा दक्ष ग्रीन हाउस संरचनाओं में तकनीकों एवं सुविधाओं के विकास, सिंचाई के लिए अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण में अध्ययन, आदान अदायगी एवं विस्तार सेवा प्रणाली, फलों, सब्जियों एवं डेयरी उत्पादों के लिए फसलोपरान्त प्रबंधन एवं मूल्य वर्धन और अनुवांशिक सुधार के द्वारा डेयरी विकास की व्यवस्था करती है।

(ग) एक सुनिश्चित समय सीमा में सुनिश्चित उत्पादन पैदा करने हेतु 2008–10 की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें एवं निजी संस्थान शामिल हैं। कार्य योजना के अन्तर्गत चिन्हित मुख्य कार्यकलापों में जल संसाधन विकास, बागवानी विकास एवं उच्च मूल्य वाली फसलें तथा ग्रामीण परिवारों के लिए प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

शिल्पियों को प्रशिक्षण

4898. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री संतोष गंगवार :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हस्तशिल्प के क्षेत्र में शिल्पियों, कुशल शिल्पकारों और डिजाइनरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात आज तक राज्य–वार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन पर राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी और खर्च की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित किए गए;

(च) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आबंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने शिल्पियों और हस्तशिल्पकारों की क्षमता और कौशल में वृद्धि करने के संबंध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत समग्र देश में हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों एवं सिद्धहस्तशिल्पियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है जिसमें शामिल हैं:–विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना (एस एच टी पी); अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई) के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षण;डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास स्कीम के अन्तर्गत क्षमता निर्माण और बेंत एवं बांस तथा कालीन शिल्प में विभागीय प्रशिक्षण स्कीम के माध्यम से प्रशिक्षण आदि।

(ग) और (घ) चूंकि, स्कीमों के अन्तर्गत निधियां राज्य–वार आबंटित नहीं की जाती हैं, अतः इस पर डाटा नहीं रखा जाता है। तथापि, निधियां सीधे उन कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को निर्मुक्त की जाती है जो देश भर में कार्यक्रम क्रियान्वित करते हैं। दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात आज तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या और विभिन्न क्रियान्वयनकारी अभिकरणों को निर्मुक्त की गई धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ङ) और (च) निर्यात संवर्धन स्कीम के शिल्प विनिमय कार्यक्रम संघटक के अन्तर्गत, उक्त अवधि के दौरान 5 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और इस प्रयोजनार्थ कुल 65.83 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 62.03 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिए गए थे।

(छ) और (ज) जी, हां। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान हस्तशिल्प कारीगरों की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करने हेतु मानव संसाधन विकास स्कीम के अन्तर्गत "प्रतिष्ठित संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण" नामक एक नया क्रियाकलाप आरंभ किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत आई आई टी, पॉलिटेकनिकस आदि जैसे मौजूदा संस्थान पात्र हैं। अब तक 7 संस्थानों को क्षमता निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है और 2007–08 के दौरान 100.20 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	निर्मुक्त धनराशि
1.	2002–03	6498	202.96
2.	2003–04	6623	331.85
3.	2004–05	10935	554.40
4.	2005–06	17629	798.65
5.	2006–07	12639	1061.84
6.	2007–08	11566	1034.91
7.	2008–09 (आज तक)	–	–
	कुल	65890	3984.61

[हिन्दी]

विविध प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग

4899. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उद्योगों को अपने उपयोग के लिए बांधों और नहरों से जल निकालने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों की सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रमुख उद्योगों को अपने उपयोग हेतु जल संसाधनों के दोहन के लिंए बांधों और नहरों का निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक विनियमन बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस संबंध में उद्योगों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय जल नीति (एनडब्ल्यूपी) में इस बात की परिकल्पना की गई है कि परियोजनाओं की आयोजना, तैयारी और कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत और बहुविषयी दृष्टिकोण होना चाहिए। राष्ट्रीय जल नीति में आगे यह भी उल्लेख है कि जल संसाधन विकास परियोजनाओं की आयोजना एवं विकास यथासंभव बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में किया जाना चाहिए। परियोजनाओं की आयोजना करते समय विभिन्न प्रयोजनों की आवश्यकता का विधिवत रूप से ध्यान रखा जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक जल आवश्यकता शामिल है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए जलाशय से जल, संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की नीतियों और ऐसी परियोजनाओं के विनियमन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार छोड़ा जाता है।

(ङ) जल संसाधन मंत्रालय में इस संबंध में किसी उद्योग से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

4900. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
एडवोकेट सुरेश कुरुप :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों पर खरीदी जा रही मछलियों की मात्रा में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान ने कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) राज्यों को उपलब्ध कराई गई तत्संबंधी उक्त सहायता के परिणामस्वरूप मछली पकड़ने हेतु सुधार की दिशा में कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) देश में मछली पालन अंतर्देशीय तथा तटवर्ती जलक्षेत्र में किया जाता है न कि गहरे समुद्र में और गहरे समुद्र में मछली पालन के लिए सहायता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता। अंतर्देशीय तथा तटवर्ती जलक्षेत्र में मछली पालन के परिणामस्वरूप, देश में मछली उत्पादन अतिरिक्त रोजगार सृजन के अलावा नियमित वृद्धि दर्ज करा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

4901. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) का कितना लाभ/नुकसान दर्ज किया गया;

(ख) डीएमएस के निगमीकरण के लिए प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त निगमीकरण से प्रभावित डीएमएस के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रिकोर्ड किया गया दिल्ली दुग्ध योजना का घाटा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	शुद्ध घाटा (करोड़ रुपए में)
2004–05	17.78
2005–06	12.22
2006–07	28.28

वर्ष 2007–08 के लिए लाभ/हानि के लेखे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए विख्यात एजेंसियों से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थीं। रुचि अभिव्यक्ति की प्रतिक्रिया तकनीकी एवं वित्तीय बोली के लिए पर्याप्त नहीं थी। रुचि अभिव्यक्ति पुनः आमंत्रित की गई हैं। जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं, वे मूल्यांकन के अधीन हैं।

(ग) कर्मचारियों के मुद्दे निगमीकरण प्रक्रिया का हिस्सा है।

[हिन्दी]

एमटीएनएल/बीएसएनएल का कारोबार

4902. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के वार्षिक कारोबार का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों के लाभ और हानि का कंपनी–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में बीएसएनएल सर्किलों का सर्किल–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) कम आय/लाभ वाले सर्किलों में आय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कारोबार निम्नानुसार रहा :–

(करोड़ रु. में)

ब्यौरे	2004–05	2005–06	2006–2007
बीएसएनएल का वार्षिक कारोबार	36090.09	40176.58	39715.11
एमटीएनएल का वार्षिक कारोबार	6084.10	6091.00	5582.85

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के वार्षिक कारोबार के ब्यौरे को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बीएसएनएल के लाभ और हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु. में)

ब्यौरे	2004–05	2005–06	2006–2007
बीएसएनएल का वार्षिक लाभ	10183.29	8939.69	7805.87
एमटीएनएल का वार्षिक निवल लाभ	938.98	580.29	682.07

वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के वार्षिक निवल लाभ के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सर्किलों के लाभ और हानि के ब्यौरे संलग्न विवरण–I, II और III में दिए गए हैं।

(घ) कम आय/लाभ वाले सर्किलों में आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए/किए जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं :–

(i) उपभोक्ताओं की संख्या में भारी वृद्धि करने के लिए सीएमटीएस और डब्ल्यूएलएल नेटवर्क का तीव्र गति से विकास तथा उपभोक्ता अनुकूल प्रशुल्क योजनाओं/नीतियों की शुरूआत करना।

(ii) नए लैंडलाइन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने तथा मौजूदा लैंडलाइन आधार को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरूआत करना।

(iii) ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार को विशेष महत्व देना तथा नए शहरों और कस्बों में सेवाओं की तीव्र गति से विस्तार करके उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि करना।

(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड ने आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न नई मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत की है।

(v) कम लागत वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी लगाना ताकि पूंजीगत और प्रचालनात्मक व्यय कम हो जिससे लाभ में वृद्धि हो सके।

विवरण-I

वर्ष 2004–05 के लिए बीएसएनएल का सर्किल–वार लाभ व हानि

(राशि करोड़ में)

सर्किल	सेवाओं से आय	अन्य आय	कुल	अवमूल्यन रहित व्यय	अवमूल्यन	कुल व्यय	कर पूर्व एवं पूर्वावधि मदों से लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	447.32	16.52	463.84	261.84	131.65	393.49	70.35
कोलकाता फोन्स	1443.23	8.16	1451.39	716.03	211.33	927.36	524.03
चेन्नै फोन्स	1318.78	10.44	1329.22	640.43	223.74	864.17	465.05
आंध्र प्रदेश	2835.99	55.44	2891.43	1595.51	807.3	2402.81	488.62
बिहार	658.58	55.55	714.13	382.56	266.74	649.3	64.83
गुजरात	2234.07	38.06	2272.13	1269.87	633.6	1903.47	368.66
जम्मू–कश्मीर	356.82	3.4	360.22	139.67	81.48	221.15	139.07
कर्नाटक	2698.37	79.65	2778.02	1359.92	709.61	2069.53	708.49
केरल	2554.4	22.41	2576.81	1129.48	727.89	1857.37	719.44
मध्य प्रदेश	1063.02	24.53	1087.55	613.37	375.03	988.4	99.15
महाराष्ट्र	3495.14	96.85	3591.99	1765.96	1065.04	2831	760.99
पूर्वोत्तर–I	134.85	14.18	149.03	82.01	71.3	153.31	–4.28
पंजाब	1658.8	21.74	1680.54	687.77	424.08	1111.85	568.69
उड़ीसा	601.06	37.22	638.28	288.47	210.09	498.56	139.72
राजस्थान	1395.29	18.64	1413.93	638.93	462.12	1101.05	312.88
तमिलनाडु	2562.19	50.95	2613.14	1447.17	708.21	2155.38	457.76
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1499.67	26.48	1526.15	841.5	502.48	1343.98	182.17
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1213.32	21.13	1234.45	570.57	299.17	869.74	364.71
पश्चिम बंगाल	795.27	34.01	829.28	473.04	290.16	763.2	66.08
हरियाणा	950.11	11.81	961.92	378.6	244.36	622.96	338.96
हिमाचल प्रदेश	273.28	10.14	283.42	137.03	137.14	274.17	9.25

1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान	27.93	0.22	28.15	33.03	12.36	45.39	−17.24
छत्तीसगढ़	221.11	14.65	235.76	120.79	101.54	222.33	13.43
झारखंड	383.82	11.88	395.7	181.95	134.19	316.14	79.56
उत्तरांचल	263.35	10.56	273.91	135.84	91.37	227.21	46.7
पूर्वोत्तर–II	123.58	3.36	126.94	96.44	57.4	153.84	−26.9
अन्य	2240.69	1942.07	4182.76	3788.89	645.49	4434.38	−251.62
कुल जोड़	33450.04	2640.05	36090.09	19776.67	9624.86	29401.53	6688.56

विवरण-II

वर्ष 2005–06 के लिए बीएसएनएल का सर्किल–वार लाभ व हानि

सर्किल	सेवाओं से आय	अन्य आय	कुल	अवमूल्यन रहित व्यय	अवमूल्यन	कुल व्यय	कर पूर्व एवं पूर्वावधि मदों से लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	558.01	52.35	610.36	325.41	135.85	461.26	149.1
कोलकोता फोन्स	1347.11	41.91	1389.02	709.07	209.09	918.16	470.86
चेन्नै फोन्स	1428.97	10.79	1439.76	751.46	260.44	1011.9	427.86
आंध्र प्रदेश	2880.94	268.92	3149.86	1759.59	748.33	2507.92	641.94
बिहार	710.2	50.64	760.84	437.5	254.22	691.72	69.12
गुजरात	2235.02	213.56	2448.58	1296.17	583.39	1879.56	569.02
जम्मू – कश्मीर	520.41	28.93	549.34	201.79	87.74	289.53	259.81
कर्नाटक	2836.37	129.17	2965.54	1492.18	656.23	2148.41	817.13
केरल	2849.85	122.67	2972.52	1342.42	730.97	2073.39	899.13
मध्य प्रदेश	1083.2	195.22	1278.42	701.74	351.62	1053.36	225.06
महाराष्ट्र	3619.82	260.62	3880.44	2114.01	992.52	3106.53	773.91
पूर्वोत्तर–I	179.02	5.41	184.43	109.46	67.59	177.05	7.38
पंजाब	1426.52	56.66	1483.18	731.71	464.69	1196.4	286.78
उड़ीसा	655.55	105.28	760.83	337.83	201.79	539.62	221.21

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	1544.9	185.85	1730.75	741.36	437.19	1178.55	552.2
तमिलनाडु	2783.43	81.43	2864.86	1603.46	642.01	2245.47	619.39
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1654.82	91.03	1745.85	978.96	515.06	1494.02	251.83
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1217.91	18.02	1235.93	626.84	307.28	934.12	301.81
पश्चिम बंगाल	917.41	14.2	931.61	572.1	314.61	886.71	44.9
हरियाणा	1000.97	31.62	1032.59	423.12	237.36	660.48	372.11
हिमाचल प्रदेश	328.35	89.84	418.19	174.46	131.42	305.88	112.31
अंडमान	31.7	12.35	44.05	21.79	11.61	33.4	10.65
छत्तीसगढ़	219.27	50.09	269.36	132.66	92.34	225	44.36
झारखंड	432.18	30.56	462.74	206.18	135.76	341.94	120.8
उत्तरांचल	263.32	43.04	306.36	153.39	88.48	241.87	64.49
पूर्वोत्तर–II	178.86	32.89	211.75	109.18	59.53	168.71	43.04
अन्य	3234.83	1814.59	5049.42	4476.53	659.57	5136.1	−86.68
कुल जोड़	36138.94	4037.64	40176.58	22530.37	9376.69	31907.06	8269.52

विवरण-III

वर्ष 2006–07 के लिए बीएसएनएल का सर्किल–वार लाभ व हानि

(राशि करोड़ में)

सर्किल	सेवाओं से आय	अन्य आय	कुल	अवमूल्यन रहित व्यय	अवमूल्यन	कुल व्यय	कर पूर्व एवं पूर्वावधि मदों से लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8
असम	625.11	73.11	698.22	354.72	153.33	508.06	190.17
कोलकाता फोन्स	1140.3	8.05	1148.35	749.51	213.66	963.17	185.18
चेन्नै फोन्स	1362.01	11.31	1373.32	756.28	236.1	992.39	380.93
आंध्र प्रदेश	2511.82	115.86	2627.68	1716.15	696.21	2412.35	215.32
बिहार	764.99	77.87	842.86	499.28	260.93	760.21	82.65
गुजरात	1810.16	234.84	2045	1255.03	520.82	1775.85	269.15

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू – कश्मीर	626.8	33.17	659.97	273.78	94.22	368	291.97
कर्नाटक	2715.92	132.59	2848.51	1520.38	617.38	2137.76	710.75
केरल	3012.06	28.64	3040.7	1594.66	721.61	2316.27	724.43
मध्य प्रदेश	1062.52	300.84	1363.36	754.75	360.61	1115.37	248
महाराष्ट्र	3555.78	318.43	3874.21	2197.39	912.19	3109.57	764.63
पूर्वोत्तर–I	225.9	43.49	269.39	123.06	68.03	191.09	78.3
पंजाब	1250.98	42.46	1293.44	736,15	450.55	1186.7	106.74
उड़ीसा	684.48	89.41	773.89	372.96	203.85	576.82	197.08
राजस्थान	1609.59	122.11	1731.7	785.58	427.13	1212.71	518.99
तमिलनाडु	2812.18	79.19	2891.37	1708.03	612.41	2320.44	570.93
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1586.23	116.8	1703.03	1019.01	515.88	1534.89	168.13
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	1045.53	27.52	1073.05	622.9	300.96	923.86	149.19
पश्चिम बंगाल	970.84	30.72	1001.56	623.73	321.16	944.89	56.67
हरियाणा	873.79	18.94	892.73	441.34	240.15	681.49	211.25
हिमाचल प्रदेश	359.59	35.23	394.82	205.21	129.04	334.25	60.57
अंडमान	43.26	1.24	44.5	20.97	11.36	32.33	12.17
छत्तीसगढ़	288.98	70.28	359.26	157.74	97.3	255.05	104.21
झारखंड	423.67	53.17	476.84	225.57	138.3	363.87	112.97
उत्तरांचल	368.36	87.37	455.73	182.66	98.39	281.05	174.68
पूर्वोत्तर–II	229.63	15.15	244.78	126.84	59.89	186.73	58.05
अन्य	2655.73	2931.11	5586.84	3292.67	687.85	3980.52	1606.32
कुल जोड़	34616.21	5098.90	39715.11	22316.35	9149.31	31465.66	8249.45

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

4903. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी और निजी भागीदारी मॉडल को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) सरकार, वस्त्र अनुसंधान संघों (टीआरए) को देश में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए परियोजना संबंधी अनुदान

उपलब्ध कराती है। ये टी आर ए, वस्त्र उद्योग संवर्द्धित निजी निकाय, सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटियां हैं जिन्हें क्षेत्र के संबंधित वस्त्र उद्योग द्वारा परामर्शी, परीक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान आदि सहित विभिन्न सेवाओं के लिए स्थापित एवं संवर्धित किया गया है। सरकार इन टी आर ए को आंशिक प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान प्रदान करती है और टी आर ए के माध्यम से जनहित के लिए विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं का प्रायोजन करती है।

[हिन्दी]

जीएसएम निविदा का रद्द किया जाना

4904. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने देश में जीएसएम निविदा जारी किए जाने को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस निविदा को रद्द किए जाने के संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जी.एस.एम. प्रचालकों द्वारा नेटवर्क की आउटसोर्सिंग

4905. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैन–भारत लाइसेंस वाले कुछ जी.एस.एम. प्रचालकों ने विदेशी कंपनियों को अपना नेटवर्क और सेवाएं आउटसोर्स की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे जी.एस.एम. प्रचालकों के नाम क्या हैं और विदेशी दूरभाष प्रचालकों के साथ कौन–कौन सी तिथि को और किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा किन लाइसेंस नियमों के तहत इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(ग) क्या भारतीय लाइसेंस धारकों द्वारा विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स किए गए घटकों का भुगतान शीघ्र आधार पर अर्जित कुल यातायात पर आधारित है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था का अभिप्राय विदेशी कंपनियों को सक्रिय अवसंरचना की संपूर्ण आउटसोर्सिंग करना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन नियमों के तहत देश में विदेशी कंपनियों को शीघ्र आधार पर सक्रिय अवसंरचना/नेटवर्क के सुगम उपयोग की इस प्रकार की व्यवस्था की अनुमति दी गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) अखिल–भारतीय लाइसेंस वाले जीएसएम आपरेटरों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, नेटवर्क, बिलिंग और किन्हीं अन्य संबंधित कार्यकलापों/सेवाओं को विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स नहीं किया गया है। तथापि, लाइसेंस करार में अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है कि लाइसेंसधारक सेवा उपलब्ध कराने के लिए हमेशा एजेंटों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। ऐसे करारों/व्यवस्थाओं के अंतर्गत कुछ दूरसंचार आपरेटर विशिष्ट रूप से विख्यात वैश्विक कंपनियों से केवल सहायता ले रहे हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इथनॉल का भंडार

4906. श्री महावीर भगोरा : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में इथनॉल की उत्पादन क्षमता, इसका उत्पादन और स्टॉक कितना है; और

(ख) देश में इथनॉल के बिक्री डिपो का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) चीनी उद्योग के स्रोतों से यह अनुमान लगाया गया है कि अल्कोहल की कुल उत्पादन क्षमता लगभग 3500 मिलियन लीटर प्रति वर्ष है जिसमें से इथनॉल की उत्पादन क्षमता लगभग 1500 मिलियन लीटर प्रति वर्ष है। 2007–08 चीनी मौसम के दौरान 262 लाख टन चीनी के अनुमानित उत्पादन के लिए अल्कोहल/इथनॉल का अनुमानित उत्पादन

2800 मिलियन लीटर होगा। तेल निर्माण कंपनियों ने 2007-08 में 272 मिलियन लीटर इथनॉल खरीदा था और आशा है कि वे 2008-09 में लगभग 595 मिलियन लीटर इथनॉल खरीदेंगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईएसआई अस्पतालों तथा औषधालयों में रिक्त पद

4907. श्री रामदास आठवले :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के अस्पतालों तथा औषधालयों में चिकित्सकों, नर्सों, पराचिकित्सा तथा अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के संस्वीकृत, भरे गए तथा रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) ईएसआई अस्पतालों तथा औषधालयों में उक्त कर्मचारियों की भर्ती के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाती है;

(घ) क्या राज्य और केन्द्र सरकार दोनों के दोहरे नियंत्रण के कारण कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा उचित रूप से सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में प्रत्येक तीन वर्ष अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और पैरा मैडिकल तथा कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के संबंध में संस्वीकृत, भरे गये और रिक्त पदों की राज्यवार संख्या विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ख) राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में रिक्त पदों को भरे जाने का कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसलिए संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों से प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों की रिक्तियों को शीघ्र भरने का अनुरोध किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों और औषधालयों में रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में, स्थानीय भाषा की जानकारी सहित राज्यवार स्थानीय भर्ती को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न चिकित्सा पदों में प्रवेश स्तर संबंधी भर्ती नियमों को संशोधित किया गया है। इन रिक्त पदों को 30.9.2008 तक भर लिये जाने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों और औषधालयों में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों हेतु राज्य सरकार के भर्ती नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्टाफ की भर्ती की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों और औषधालयों में भर्ती विनियमों के अनुसार परीक्षाओं/साक्षात्कार के माध्यम से मैडिकल स्टाफ की भर्ती सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने हेतु समूह 'ग' और 'घ' स्टाफ की भर्ती करने की शक्तियां संबंधित चिकित्सा अधीक्षकों/निदेशकों (चिकित्सा), दिल्ली को प्रत्यायोजित की गयी हैं। उन्हें सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया 31.5.2008 तक पूर्ण कर लेने के लिए कहा गया है।

(घ) से (ङ) बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों और सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों द्वारा चिकित्सा देख-रेख की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के व्यय का भाग निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा का 87.5% तक है। शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना होता है। योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

(i) राज्य सरकारों को चिकित्सा देख-रेख सेवा प्रणाली को बेहतर बनाने की सलाह दी गई है।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में चलाने के लिए अधिग्रहित किया है। आज देश में 21 मॉडल अस्पताल हैं। मॉडल अस्पतालों से संबंधित सूपर्ण व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है।

(iii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने रूपात्माकताओं, संभावना और आर्थिक जीवनक्षमता के मानदंडों को पूरा करने पर राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट अनुरोध किये जाने पर उन राज्यों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रभार लेने का सिद्धांत रूप से निर्णय लिया है।

(iv) राज्य सरकार के अनुरोध पर परिक्रामी कायिक निधि की योजना आरंभ की गई है इसमें क्षेत्रीय निदेशक द्वारा निधियां रखी जाती है और अतिविशिष्ट उपचार, औषधि और मरहम-पट्टी के संबंध में राज्य चिकित्सा आयुक्त और क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय को सीधे भुगतान किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 2004–05 के लिए रिक्त पदों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			नर्से सहित पैरा चिकित्सा			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	आन्ध्र प्रदेश	719	434	285	1727	1313	414	1914	1484	430
2	असम	102	85	17	191	164	27	241	237	4
3	बिहार	120	61	59	284	113	171	330	162	178
4	चंडीगढ़ प्रशा.	55	48	7	117	91	26	72	56	16
5	छत्तीसगढ़	41	31	10	74	60	14	105	89	16
6	दिल्ली	1038	625	413	2458	1735	723	1666	1289	377
7	गोवा	37	34	03	86	83	3	89	84	5
8	गुजरात	827	611	216	1540	933	607	2149	1748	401
9	हरियाणा	284	252	32	663	534	129	916	709	207
10	हिमाचल प्रदेश	25	25	–	45	37	8	59	42	17
11	कर्नाटक	662	518	144	1141	859	282	1174	914	260
12	केरल	637	447	190	1331	1028	303	1392	1244	148
13	मध्य प्रदेश	388	339	49	705	545	160	1095	1004	91
14	महाराष्ट्र	472	345	127	1625	1161	464	3728	2819	909
15	मेघालय	2	2	–	8	3	5	15	11	4
16	उड़ीसा	200	147	53	402	356	46	564	484	80
17	पुदुचेरी	47	37	10	220	204	16	64	63	1
18	पंजाब	238	250	+12	565	582	17	1048	767	281
19	राजस्थान	316	258	58	659	525	134	772	707	65
20	तमिलनाडु	748	632	116	2247	1622	625	2506	1727	779
21	उत्तर प्रदेश	541	434	107	1405	1126	279	1676	1418	158
22	उत्तरांचल	10	4	6	18	12	6	43	41	2
23	पश्चिम बंगाल	797	582	215	2405	1472	933	3189	2099	1090
24	जम्मू और कश्मीर	12	9	3	32	26	6	38	28	10
25	झारखंड	180	80	100	281	90	191	452	105	347
	कुल	8498	6290	2208	20229	14674	5555	25297	19331	5966

विवरण-II

वर्ष 2005–06 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा योजना में चिकित्सकों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के संस्वीकृत पदों का राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			नर्सों सहित पैरा चिकित्सा			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	आन्ध्र प्रदेश	721	486	235	1727	1161	566	1914	1608	306
2	असम	119	31	88	212	183	29	229	216	13
3	बिहार	122	68	54	302	116	186	327	152	175
4	चंडीगढ़ प्रशा.	55	45	10	117	90	27	72	57	15
5	छत्तीसगढ़	38	28	10	70	60	10	84	70	14
6	दिल्ली	1040	577	463	2453	1740	713	1807	1264	543
7	गोवा	37	31	06	86	83	03	89	84	05
8	गुजरात	772	526	246	1453	922	531	1733	1515	218
9	हरियाणा	284	248	36	663	552	111	916	720	196
10	हिमाचल प्रदेश	22	27	+5	52	49	03	56	48	08
11	कर्नाटक	625	433	192	1141	859	282	1128	971	157
12	केरल	633	463	170	1094	866	228	1649	1443	206
13	मध्य प्रदेश	388	120	268	674	533	141	1101	991	110
14	महाराष्ट्र	610	414	196	1854	1245	619	4111	3095	1016
15	मेघालय	2	2	–	8	3	05	15	12	03
16	उड़ीसा	239	157	82	432	347	85	596	492	104
17	पुदुचेरी	47	38	09	216	200	16	65	63	02
18	पंजाब	304	255	49	799	630	169	1294	789	505
19	राजस्थान	317	268	49	654	514	140	801	711	90
20	तमिलनाडु	746	607	139	2053	1412	641	2412	1747	665
21	उत्तर प्रदेश	640	461	179	1571	1121	450	1623	1415	208
22	उत्तरांचल	11	7	04	24	13	11	58	38	20
23	पश्चिम बंगाल	797	558	239	2405	1506	899	3189	2044	1145
24	जम्मू और कश्मीर	24	12	12	36	25	11	44	30	14
25	झारखंड	180	178	02	308	90	218	419	102	317
	कुल	8773	6040	2733	20414	14320	6094	25732	19677	6055

विवरण-III

वर्ष 2006–07 के लिए रिक्त पद संबंधी स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चिकित्सा			नर्सेंसहित पैरा चिकित्सा			अन्य		
		संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त	संस्वीकृत	भरे हुए	रिक्त
1	आन्ध्र प्रदेश	717	460	257	1557	1266	291	1464	1322	142
2	असम	115	93	22	212	188	24	248	224	24
3	बिहार	122	70	52	302	122	180	327	157	170
4	चंडीगढ़ प्रशा.	57	50	07	116	88	28	70	55	15
5	छत्तीसगढ़	39	27	12	70	58	12.	87	70	17
6	दिल्ली	1060	666	394	2482	2152	330	1757	1117	640
7	गोवा	37	32	05	85	83	02	92	88	04
8	गुजरात	867	643	224	1732	1091	641	1966	1671	295
9	हरियाणा	284	248	36	663	468	195	916	628	288
10	हिमाचल प्रदेश	24	22	02	21	09	12	26	20	06
11	कर्नाटक	632	416	216	967	724	243	1478	1145	333
12	केरल	630	462	168	1070	850	220	1642	1376	266
13	मध्य प्रदेश	353	284	69	618	486	132	1062	987	75
14	महाराष्ट्र	563	377	186	1915	1292	623	4031	3030	1001
15	मेघालय	01	01	–	08	03	05	16	12	04
16	उड़ीसा	239	162	77	412	324	88	591	484	107
17	पुदुचेरी	47	33	14	216	186	30	65	60	05
18	पंजाब	305	259	46	802	627	175	1243	834	409
19	राजस्थान	274	221	53	588	442	146	694	605	89
20	तमिलनाडु	762	685	77	2094	1500	594	2425	1605	820
21	उत्तर प्रदेश	462	402	60	1372	1105	267	1617	1599	18
22	उत्तरांचल	18	07	11	27	18	09	61	56	05
23	पश्चिम बंगाल	797	558	239	2405	1496	909	3189	2044	1145
24	जम्मू और कश्मीर	51	20	31	30	10	20	36	13	23
25	झारखंड	154	70	84	288	96	192	392	167	225
	कुल	8610	6268	2342	20052	14684	5368	25495	19369	6126

[अनुवाद]

दूरसंचार उपकरण की खरीद में अनियमितता

4908. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा दूरसंचार क्षेत्र संबंधी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा करोड़ों रुपये के दूरसंचार उपकरण की खरीद में कोई अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत दूरसंचार क्षेत्र संबंधी अद्यतन रिपोर्ट में बी.एस.एन.एल. या एमटीएनएल के संबंध में "दूरसंचार उपस्करों की खरीद में अनियमितताएं" संबंधी कोई पैरा नहीं है।

किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाना

4909. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) ने कतिपय फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को देश की प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप करने के लिए इसमें वृद्धि करने की कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों को हटाना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 2008–09 मौसम की खरीफ फसलों के लिए अपनी मूल्य नीति संबंधी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। 2008–09 मौसम की खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय राज्य सरकारों/संघ प्रदेशों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ–साथ इसी प्रकार के अन्य तथ्यों जो कि समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ग) और (घ) भिन्न–भिन्न राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद क्रय करने के लिए नामित एजेंसियों द्वारा उपयुक्त प्रापण व्यवस्थाएं की जाती हैं। पुनः कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन के साथ ही, अब किसानों के पास अपने उत्पाद को भावी क्रेताओं को बेचने के और अधिक विकल्प हैं। यदि बाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होता है, तब किसान अपने उत्पादन को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

कुल खरीद में सुधार

4910. श्री नन्द कुमार साय :

श्री सुग्रीव सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2005–06 से 2007–08 की अवधि के दौरान देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत कुल खरीद में सुधार देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्षवार आबंटन तथा कुल खरीद कितनी है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के विस्तार क्षेत्र में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। वर्ष 2005–06 के दौरान देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन 43.4% उठान हुआ था जो 2007–08 के दौरान बढ़कर 84.7% हो गया है।

(ख) वर्ष 2005–06 से 2007–08 तक के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन और उठान बताने वाले विवरण–I से III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) इस स्कीम के अधीन कवरेज को और बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2005-06 के दौरान चावल और गेहूं का आबंटन एवं उठान

(हजार टन)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	1,086.13	2,266.74	620.247	3973.116	1101.87	1507.07	608.56	3217.5	101.4	66.5	98.1	81.0
2	अरुणाचल प्रदेश	28.56	69.75	12.936	111.246	25.52	43.25	12.4	81.17	89.4	62.0	95.9	73.0
3	असम	625.416	955.14	175.104	1755.66	595.48	444.58	181.09	1221.15	95.2	46.5	103.4	69.6
4	बिहार	2,166.65	2,291.52	472.533	4930.704	672.01	25.55	421.06	1118.62	31.0	1.1	89.1	22.7
5	छत्तीसगढ़	532.812	1,045.80	254.82	1833.432	536.803	52.25	229.189	818.242	100.7	5.0	89.9	44.6
6	दिल्ली	148.464	996.516	23.316	1168.296	145.19	302.61	22.15	469.95	97.8	30.4	95.0	40.2
7	गोवा	10.221	118.296	5.739	134.256	3.804	6.103	2.447	12.354	37.2	5.2	42.6	9.2
8	गुजरात	618.063	2,787.56	258.785	3664.412	471.11	178.29	192.34	841.74	76.2	6.4	74.3	23.0
9	हरियाणा	242.516	1,014.20	86.056	1342.776	195.25	18.07	76.89	290.21	80.5	1.8	89.3	21.6
10	हिमाचल प्रदेश	116.648	348.9	62.284	527.832	95.56	179.07	55.6	330.23	81.9	51.3	89.3	62.6
11	जम्मू व कश्मीर	220.335	447.72	88.749	756.804	225.77	346.96	73.09	645.82	102.5	77.5	82.4	85.3
12	झारखंड	700.224	216.3	305.268	1221.792	380.91	21.16	282.63	684.7	54.4	9.8	92.6	56.0
13	कर्नाटक	876.317	2,035.01	407.752	3319.083	875.69	877.57	378.35	2131.61	99.9	43.1	92.8	64.2
14	केरल	445.56	1,808.94	207.088	2461.588	436.973	323.932	200.722	961.627	98.1	17.9	96.9	39.1
15	मध्य प्रदेश	1,195.32	2,535.37	534.141	4264.828	1217.05	153.02	509.58	1879.65	101.8	6.0	95.4	44.1
16	महाराष्ट्र	1,914.47	4,700.88	829.836	7445.184	1647.21	127.48	736.41	2511.1	86.0	2.7	88.7	33.7
17	मणिपुर	37.78	47.46	21.864	107.104	33.93	14.89	13.96	62.78	89.8	31.4	63.8	58.6
18	मेघालय	53.568	45.024	23.292	121.884	54.7	22.61	22.72	100.03	102.1	50.2	97.5	82.1
19	मिजोरम	18.279	72.002	10.401	100.7	17.65	55.89	10.01	83.55	96.6	77.6	96.2	83.0
20	नागालैण्ड	35.817	102.4	16.263	154.48	35.61	94.66	16.44	146.71	99.4	92.4	101.1	95.0
21	उड़ीसा	1,261.91	1,155.56	434.785	2852.256	797.408	109.77	450.493	1357.67	63.2	9.5	103.6	47.6
22	पंजाब	164.067	1,473.24	32.469	1669.776	71.11	8.84	18.24	98.19	43.3	0.6	56.2	5.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	राजस्थान	593.382	2,763.76	340.018	3697.156	469.57	204.17	300.57	974.31	79.1	7.4	88.4	26.4
24	सिक्किम	14.076	25.812	4.164	44.052	14.05	24.04	4.32	42.41	99.8	93.1	103.7	96.3
25	तमिलनाडु	1,397.70	3,787.98	644.679	5830.356	1391.6	1663.8	657.63	3713.03	99.6	43.9	102.0	63.7
26	त्रिपुरा	95.364	179.232	28.536	303.132	92.77	66.96	28.53	188.26	97.3	37.4	100.0	62.1
27	उत्तर प्रदेश	2,945.11	6,494.46	1,539.69	10979.25	2560.26	40.166	1438.29	4038.72	86.9	0.6	93.4	36.8
28	उत्तराखंड	162.413	333.552	46.759	542.724	166.282	53.316	34.615	254.213	102.4	16.0	74.0	46.8
29	पश्चिम बंगाल	1,447.97	4,089.18	562.571	6099.72	1294.46	1029.41	454.3	2778.17	89.4	25.2	80.8	45.6
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7.428	36.36	1.8	45.588	1.81	15.79	0.53	18.13	24.4	43.4	29.4	39.8
31	चण्डीगढ़	8.748	75.516	0.888	85.152	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	दादरा और नगर हवेली	5.192	7.14	1.528	13.86	1.67	0.89	0.72	3.28	32.2	12.5	47.1	23.7
33	दमन व दीव	1.236	9.42	0.444	11.1	0.44	0.15	0.22	0.81	35.6	1.6	49.6	7.3
34	लक्षद्वीप	0.372	3.36	0.168	3.9	0.47	2.98	0.33	3.78	126.3	88.7	196.4	96.9
35	पांडिचेरी	22.862	13.2	12.25	48.312	12.53	5.2	7.91	25.64	54.8	39.4	64.6	53.1
	जोड़	19,200.96	44,353.33	8,067.22	71,621.51	15,642.52	8,020.49	7,442.34	31.105.35	81.5	18.1	92.3	43.4

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2006–07 के दौरान चावल और गेहूं का आबंटन एवं उठान

(हजार टन)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	1,052.09	2,194.22	654.288	3900.596	1054.631	1497.672	656.771	3209.074	100.2	68.3	100.4	82.3
2	अरुणाचल प्रदेश	25.524	62.148	15.972	103.644	16.264	35.045	9,069	60.378	63.7	56.4	56.8	58.3
3	असम	476.7	943.83	294.216	1714.746	479.337	760.534	272.045	1511.916	100.6	80.6	92.5	88.2
4	बिहार	2019.01	1,307.24	662.091	3988.344	448.589	9.257	566.332	1024.178	22.2	0.7	85.5	25.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	छत्तीसगढ़	483.688	821.39	295.25	1600.328	521.047	33.377	313.059	887.483	107.7	4.1	106.0	54.2
6	दिल्ली	148.464	664.676	23.316	836.456	146.481	378.265	22.884	547.63	98.7	56.9	98.1	65.5
7	गोवा	5.46	91.19	6.108	102.758	4.4	18.67	3.94	27.01	80.6	20.5	64.5	26.3
8	गुजरात	540.63	1,444.40	310.848	2295.882	493.911	108.286	259.993	862.19	91.4	7.5	83.6	37.6
9	हरियाणा	221.151	499.54	109.394	830.085	202.689	4.739	102.921	310.349	91.7	0.9	94.1	37.4
10	हिमाचल प्रदेश	46.831	319.4	76.806	443.037	45.312	247.94	77.244	370.496	96.8	77.6	100.6	83.6
11	जम्मू व कश्मीर	205.077	482.72	104.007	791.804	209.473	351.349	98.433	659.255	102.1	72.8	94.6	83.3
12	झारखंड	700.224	189.98	305.268	1195.472	427.972	13.912	299.266	741.15	61.1	7.3	98.0	62.0
13	कर्नाटक	768.116	1,594.22	491.35	2853.688	768.531	851.32	465.2	2085.051	100.1	53.4	94.7	73.1
14	केरल	404.277	1,604.46	248.331	2257.068	401.026	375.769	249.313	1026.108	99.2	23.4	100.4	45.5
15	मध्य प्रदेश	1,064.54	1,041.95	650.16	2756.644	1049.59	136.652	603.987	1790.229	98.6	13.1	92.9	64.9
16	महाराष्ट्र	1,911.08	2,270.90	833.22	5015.204	1637.217	169.94	698.753	2505.91	85.7	7.5	83.9	50.0
17	मणिपुर	48.552	41.328	21.18	111.06	37.784	22.171	18.411	78.366	77.8	53.6	86.9	70.6
18	मेघालय	53.508	44.944	23.352	121.804	53.435	38.895	23.352	115.682	99.9	86.5	100.0	95.0
19	मिजोरम	17.64	43.662	10.92	72.222	17.64	40.158	11.246	69.044	100.0	92.0	103.0	95.6
20	नागालैंड	32.112	77.004	19.968	129.084	37.656	87.041	22.976	147.673	117.3	113.0	115.1	114.4
21	उड़ीसा	1,165.98	838.99	530.716	2535.682	676.998	137.985	433.288	1248.271	58.1	16.4	81.6	49.2
22	पंजाब	138.228	672.41	58.308	868.946	62.856	53.848	33.563	150.267	45.5	8.0	57.6	17.3
23	राजस्थान	635.306	1,337.89	385.714	2358.91	516.875	160.975	348.024	1025.874	81.4	12.0	90.2	43.5
24	सिक्किम	11.766	26.447	6.474	44.687	11.766	25.948	6.474	44.188	100.0	98.1	100,0	98.9
25	तमिलनाडु	1,259.23	3,763.56	783.144	5805.936	1159.002	1505.038	775.366	3439.406	92.0	40.0	99.0	59.2
26	त्रिपुरा	95.364	176.858	28.536	300.758	83.159	116.723	25.458	225.34	87.2	66.0	89.2	74.9
27	उत्तर प्रदेश	2,766.66	3,842.70	1,720.01	8329.377	2481.039	325.775	1692.331	4499.145	89.7	8.5	98.4	54.0
28	उत्तराखंड	149.511	287.77	59.661	496.942	134.665	102.36	47.404	284.429	90.1	35.6	79.5	57.2
29	पश्चिम बंगाल	1,522.07	3,473.76	621.684	5617.51	1044.249	838.775	515.641	2398.665	68.6	24.1	82.9	42.7
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.04	22.07	1.8	28.91	2.64	13.67	0.82	17.13	52.4	61.9	45.6	59.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	चंडीगढ़	2.512	31.806	0.888	35.206	0.21	0	0.07	0.28	8.4	0.0	7.9	0.8
32	दादरा व नगर हवेली	4.948	6.65	1.772	13.37	2.54	1.52	0.38	4.44	51.3	22.9	21.4	33.2
33	दमन व दीव	1.044	8.9	0.636	10.58	0.46	0.25	0.37	1.08	44.1	2.8	58.2	10.2
34	लक्षद्वीप	0.295	3.698	0.161	4.154	0.24	2.83	0.16	3.23	81.4	76.5	99.4	77.8
35	पांडिचेरी	21.564	50.05	13.548	85.162	9.59	1.81	7.14	18.54	44.5	3.6	52.7	21.8
	जोड़	18,004.19	30,282.76	9,369.10	57,656.06	14,239.27	8,468.50	8,661.68	31,369.46	79.1	28.0	92.4	54.4

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान चावल और गेहूं का आबंटन एवं उठान

(हजार टन)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान				प्रतिशत उठान			
		ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़	ग.रे.नी.	ग.रे.ऊ.	अं.अ.यो.	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,052.09	2,178.45	654.288	3884.824	1104.534	1835.017	698.399	3637.95	105.0	84.2	106.7	93.7
2	अरुणाचल प्रदेश	25.524	62.052	15.972	103.548	18.009	47.143	10.857	76.0	70.0	76.009	68.0	73.4
3	असम	475.47	574.611	295.446	1345.527	480.797	616.97	298.027	1395.794	101.1	107.4	100.9	103.7
4	बिहार	1,719.80	28.239	1,019.99	2768.031	744.97	7.999	872.397	1625.366	43.3	28.3	85.5	58.7
5	छत्तीसगढ़	472.688	50.784	301.944	825.416	438.525	33.956	308.14	780.621	92.8	66.9	102.4	94.6
6	दिल्ली	125.874	576.401	45.906	748.181	128.706	533.522	39.361	701.589	102.3	92.6	85.7	93.8
7	गोवा	5.46	20.614	6.108	32.182	5.431	19.392	5.037	29.86	99.5	94.1	82.5	92.8
8	गुजरात	524.468	273.387	332.18	1130.035	486.161	102.757	293.573	882.491	92.7	37.6	88.4	78.1
9	हरियाणा	208.572	120.525	122.82	451.917	197.852	1.333	116.987	316.172	94.9	1.1	95.3	70.0
10	हिमाचल प्रदेश	133.138	261.618	82.74	477.496	123.533	252.51	80.022	456.065	92.8	96.5	96.7	95.5
11	जम्मू व कश्मीर	201.696	514.511	107.388	823.595	201.488	436.854	107.711	746.053	99.9	84.9	100.3	90.6
12	झारखंड	653.401	52.244	352.091	1057.736	491.574	12.537	323.037	827.148	75.2	24.0	91.7	78.2
13	कर्नाटक	770.384	1,372.76	503.892	2647.031	762.887	658.628	484.189	1905.704	99.0	48.0	96.1	72.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	केरल	402.348	531.999	250.26	1184.607	402.407	497.499	250.886	1150.792	100.0	93.5	100.3.	97.2
15	मध्य प्रदेश	1,028.81	125.55	652.662	1807.026	1024.311	101.325	629.096	1754.732	99.6	80.7	96.4	97.1
16	महाराष्ट्र	1,682.63	176.379	1,021.67	2880.683	1412.696	120.662	866	2399.358	84.0	68.4	84.8	83.3
17	मणिपुर	47.166	37.925	22.566	107.657	45.265	34.433	21.447	101.145	96.0	90.8	95.0	94.0
18	मेघालय	47.376	63.557	29.484	140.417	46.049	59.732	28.978	134.759	97.2	94.0	98.3	96.0
19	मिजोरम	17.64	56.487	10.92	85.047	19.489	54.003	11.62	85.112	110.5	95.6	106.4	100.01
20	नागालैंड	32.112	78.807	19.968	130.887	32.488	77.18	21.434	131.102	101.2	97.9	107.3	100.2
21	उड़ीसा	1,165.57	203.375	531.12	1900.067	1004.95	165.491	457.078	1627.519	86.2	81.4	86.1	85.7
22	पंजाब	131.123	83.489	65.413	280.025	70.511	50.865	37.805	159.181	53.8	60.9	57.8	56.9
23	राजस्थान	592.532	290.948	391.488	1274.968	536.069	239.832	367.385	1143.286	90.5	82.4	93.8	89.7
24	सिक्किम	11.304	27.552	6.936	45.792	11.3	28.109	6.94	46.349	100.0	102.0	100.1	101.2
25	तमिलनाडु	1,259.23	2,805.51	783,144	4847.881	1265.54	1652.474	794.61	3712.624	100.5	58.9	101.5	76.6
26	त्रिपुरा	77.962	139.311	45.938	263.211	81.585	127.097	41.252	249.934	104.6	91.2	89.8	95.0
27	उत्तर प्रदेश	2,765.70	65.51	1,719.48	4550.69	2495.95	52.23	1667.59	4215.77	90.2	79.7	97.0	92.6
28	उत्तराखंड	145.656	132.369	63.516	341.541	133.14	95.277	55.633	284.05	91.4	72.0	87.6	83.2
29	पश्चिम बंगाल	1,553.58	847.94	621.684	3023.204	1339.998	780.491	531.52	2652.009	86.3	92.0	85.5	87.7
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.04	22.404	1.8	29.244	3.327	13.444	1.295	18.066	66.0	60.0	71.9	61.8
31	चंडीगढ़	2.94	0.3	0.888	4.128	3.051	0.119	1.213	4.383	103.8	39.7	136.6	106.2
32	दादरा और नगर हवेली	4.524	5.1	2.196	11.82	0.423	0.781	0.243	1.447	9.4	15.3	11.1	12.2
33	दमन व दीव	1.044	1.02	0.636	2.7	0.293	0.229	0.177	0.699	28.1	22.5	27.8	25.9
34	लक्षद्वीप	0.713	3.66	0.464	4.837	0.971	3.76	0.632	5.363	136.2	102.7	136.2	110.9
35	पांडिचेरी	21.564	30.69	13.548	65.802	10.612	5.524	6.54	22.676	49.2	18.0	48.3	34.5
	जोड़	17,365.14	11,816.07	10,096.55	39,277.75	15,124.89	8,719.18	9,437.11	33,281.18	87.1	73.8	93.5	87.7

कटाई उपरांत नुकसान

4911. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने फसलों विशेष रूप से फलों एवं सब्जियों की फसल उपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कतिपय तकनीकों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने फसलों विशेषकर फलों तथा सब्जियों के सस्योत्तर नुकसान को न्यूनतम करने के लिए तकनीकें विकसित की हैं।

(ख) ये तकनीकें उपयुक्त फसल कटाई, सफाई, ग्रेडिंग, भण्डारण, शुष्कन तथा पैकेजिंग से संबंधित हैं। फलों तथा सब्जियों में सस्योत्तर नुकसान को कम करने के लिए कुछ चुनिंदा तकनीकें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

फलों तथा सब्जियों में नुकसान को न्यूनतम करने के लिए कुछ चुनिन्दा तकनीकें

– स्ट्राबेरी तथा कैप्सिकम (शिमला मिर्च) की फसल तुड़ाई के लिए क्लीपर

स्ट्राबेरी तथा कैप्सिकम की तुड़ाई के लिए उन्नत क्लीपर विकसित किया गया है जो फसल तुड़ाई के दौरान फल के नुकसान को कम करता है। इसकी लागत 200 रु. प्रति पीस है।

– केला कौम्ब कटर

यह केले के गुच्छे से कलगी को अलग करने का उपयोगी यंत्र है। यह यंत्र हांसिया की जगह कार्य करेगा जिसमें काफी श्रम तथा समय लगता है। यह मानव तथा केले की फली के लिए सुरक्षित है तथा तेजी से कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कटर के उपयोग से केले की तुड़ाई में नुकसानों को कम किया जा सकता है।

– फसल तुड़ाई यंत्र

आम, नींबू, चीकू तथा अनार के लिए तुड़ाई यंत्र का विकास किया गया है जो फसल तुड़ाई के नुकसानों को तथा कड़ी मेहनत को कम करता है। 5000 से ज्यादा आम तथा चीकू तुड़ाई यंत्र किसानों द्वारा अपनाए गए हैं।

– टमाटर ग्रेडर

एक मोबाइल टमाटर साइज ग्रेडर टमाटर को चार श्रेणियों अर्थात् 25–40 एम एम, 40–55 एम एम, 55–70 एम एम तथा > 70 एम एम में श्रेणीकृत करता है। इसकी क्षमता 325 कि.ग्रा./घंटा है तथा अलग-अलग ग्रेड कुशलता की क्षमता 85–90 प्रतिशत है।

– फल ग्रेडर

आकार के आधार पर सभी गोलाकार फलों के लिए 10–12 टन प्रति दिन क्षमता का एक फल ग्रेडर विकसित किया गया। इसकी लागत 57,000 रु. है।

– फल तथा सब्जी धोने वाली मशीन

फलों तथा सब्जियों (गाजर, आलू, मूली, शलजम, अदरक, भिण्डी, टमाटर, पालक, किन्नू तथा नाशपाती) की व्यापक रेंज के लिए उपयुक्त एक स्टैनलैस स्टील की पोर्टेबल धुलाई मशीन (एक अश्व शक्ति वाली, 100–600 कि.ग्रा./घंटा क्षमता के लिए 25,000–50,000 रु. लागत) उपलब्ध है।

– प्याज तथा लहसुन के खेत पर भण्डारण की संरचनाएं

5–6 महीनों की अवधियों के लिए वातित ब्रिक फ्लोर सहित हट टाइप बांस संरचना में प्याज तथा लहसुन को भंडारित किया जा सकता है। ऐसी संरचनाओं में रूटिंग, जर्मीनेशन तथा सड़न के कारण नुसकान न्यूनतम होता है।

– फलों तथा सब्जियों के भंडारण के लिए वाष्पीकृत ठण्डा कमरा

फलों तथा सब्जियों के लिए खेत पर भण्डारण के लिए उच्च क्षमता वाले वाष्पीकृत ठण्डे (ई सी) कमरों का विकास किया गया है। गर्मी में सामान्य कमरे के अंदर के तापमान से ई सी कमरे के अंदर अधिकतम तापमान 5–8° से. कम होता है तथा जाड़े में यह सामान्य कमरे के तापमान से 5–8° से. अधिक होता है। ई सी कमरे में अगोती किन्नू की भंडारण क्षमता 34 दिन, पछेती किन्नू की 23 दिन, फूलगोभी की 11 दिन तथा पालक की 4 दिन होती है। उसी समय सामान्य कमरे में इनको क्रमशः 21, 11, 5 तथा 2 दिन भण्डारित किया जा सकता है।

– वाष्पीकृत प्रशीतन के लिए सरंध्री ईंट

90 प्रतिशत मिट्टी और 10 प्रतिशत जैव सामग्री के मिश्रण से सरंध्री ईंटों (पोरस ब्रिक्स) को बनाया गया है। अपने वजन के 25.18 प्रतिशत के जल अवशोषण युक्त एक ईंट का वजन

2.34 कि.ग्रा. और वाष्पीकरण की दर 2.14 ग्राम पानी/घंटा है। पारंपरिक ईंटों की तुलना में इस ईंट में वाष्पीकरण की विशेष उत्कृष्ट गुणवत्ता है जो ई सी चैम्बर के निष्पादन में वृद्धि करती है।

– गतिशील शीत चैम्बर

इसे मछली के लघु अवधि भंडारण तथा परिवहन हेतु फुटकर बाजार के लिए विकसित किया गया है। ऊष्मारोधी बाक्स में दो परतों में प्रत्येक में चार 540x360x295 एम एम आकार के 8 प्लास्टिक क्रेटों में दो परतों में प्रत्येक में चार की संख्या में मछली रखने के लिए बाक्स होते हैं। इसकी कुल भंडारण क्षमता 150 कि.ग्रा. मछली है जिसमें प्रत्येक प्लास्टिक क्रेट 80 प्रतिशत भर जाता है और बर्फ और मछली का अनुपात 1:1 होता है। इसकी लागत लगभग रु. 18,000–20,000/– है और इसका उपयोग फल और सब्जियों के लिए भी किया जा सकता है।

– फल एवं सब्जियों का सौर निर्जलीकरण यंत्र

फल और सब्जियों के शुष्कन के लिए अनेक सौर निर्जलीकरण यंत्र विकसित किए गए हैं जिनकी क्षमता 15–20 कि.ग्रा./बैच से 300–400 कि.ग्रा./बैच है।

– आर्द्रता पृथक करने वाला वायु शुष्कन

उत्कृष्ट गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कम तापमान तथा कम आर्द्र स्थितियों के तहत उच्च मूल्य वाले फलों, सब्जियों, मसालों तथा औषधीय पौधों के शुष्कन के लिए ऊष्मीय पंप सिद्धांत के आधार पर आर्द्रता पृथक करने वाले शुष्कक यंत्र के प्रोटोटाइप (लागत 100,000/–रु. तथा इसकी क्षमता 25 कि.ग्रा./बैच) को विकसित किया गया है।

– निर्जलीकृत सब्जियां

बंदगोभी, सौंफ तथा धनिए के पत्तों, पालक के पत्तों तथा हरीमिर्च के कर्तन/छंटाई/ग्रेड के लिए प्रक्रिया को मानकीकृत करने के साथ–साथ रि–सरकुलेटरी ट्रे–ड्रायर का इस्तेमाल करते हुए निर्जलीकरण किया गया।

– कृषि अपशिष्ट लाल मिर्च के लिए फायर्ड ड्रायर

कृषि अपशिष्ट को ईंधन के रूप में उपयोग करते हुए ताजीतोड़ी गई लाल मिर्च के लिए मशीन का उपयोग किया गया। पारंपरिक प्रक्रिया में लगभग 20–22 दिन का समय लगता है जो मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है जबकि इस शुष्कक यंत्र में लगभग 20–24 घंटे का समय लगता है। इसकी लागत रु. 25,000/– है।

– खुम्बी के लिए तरल–तल शुष्कक यंत्र

तरल–तल शुष्कक यंत्र में 3 एच पी सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर, होल्डिंग बिन, 500 वाट की ऊष्मीय–तारें तथा मोटर और थर्मोस्टेट कंट्रोल शामिल है। इसकी आउटपुट क्षमता 6 कि.ग्रा./बैच है तथा यूनिट लागत रु. 40,000/– है।

– दूधिया खुम्बी (मिल्की मशरूम) का परिरक्षण

लवण–जल (3 प्रतिशत) तथा टमाटर पल्प (4 डिग्री ब्रिक्स) में केनिंग द्वारा 18 माह तक दूधिया खुम्बी के परिरक्षण के लिए प्रक्रिया प्राचलों को मानकीकृत किया।

– अदरक प्रकन्दों के ताजे रूप में भंडारण की प्रक्रिया

ताजे अदरक को 6 माह तक भंडारण करने के लिए एक सरल व कम लागत वाली प्रक्रिया को मानकीकृत किया गया। विशिष्ट स्थितियों के तहत बांस के रैक ढांचों के साथ–साथ बांस के मैट–शैल्व का उपयोग ताजे प्रकन्दों के भंडारण के लिए किया गया।

– किन्नू का तुड़ाई उपरांत रोग प्रबंधन

किन्नू की तुड़ाई, ग्रेडिंग, सफाई, पैकेजिंग तथा भंडारण के उचित संयोजन को फल तुड़ाई की हानियों को कम करने वाला पाया गया।

– अल्प प्रसंस्कृत टमाटर, फूलगोभी तथा पालक की पैकिंग

फूलगोभी तथा पालक का अल्प प्रसंस्करण आर्थिक रूप से संभव है क्योंकि यह शहरों में अवशिष्ट प्रबंध की समस्या को कम करता है तथा उत्पादक तुरंत पकाने को तैयार खाद्य पदार्थ का 40–45 प्रतिशत ज्यादा मात्रा में बाजार में ला सकता है।

– आडू के लिए भंडारण प्रौद्योगिकी

आडूओं के लिए लाख से बनी कोटिंग सामान्य परिवेश में 3 दिनों में पी एल डब्ल्यू 20 प्रतिशत से 8–9 प्रतिशत तक घटाती है। 0.5 प्रतिशत परफोरेशन्स तथा एक प्रतिशत पौलीथिन बैग (200 गेज) वाले सी एफ बी बक्से 3+1° से. तापमान तथा 85 से 90 प्रतिशत आर एच पर शीत चैम्बर में क्रमशः 35 तथा 32 दिनों की भंडारण क्षमता बढ़ा देते हैं। अलग–अलग एल एल डी पी (25 म्यूक्रॉन मोटाई) वाले फलों की अलग–अलग श्रिन्क रैपिंग सामान्य तथा कूल चैम्बर के तहत 10 से 42 दिनों तक शैल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं।

– आम के नियंत्रित संशोधित वातावरण भंडारण

आम कल्टीवर्स, अल्फांसो तथा चौसा का 30 तथा 25 दिनों तक सफलतापूर्वक भंडारण किया जा सकता है जो 12–13 से. के नियंत्रित वातावरण एक्सपोजर के जरिए मुख्य गुणवत्ता गुणों को बरकरार रखता है।

– अनार तथा मिर्च का अलग–अलग श्रिंक रैपिंग

रैफ्रीजरेशन या बिना रैफ्रीजरेशन या आर्द्रता नियंत्रण सहित अलग–अलग फलों की श्रिंक रैपिंग सिकुड़ने को कम करती है तथा यह अनार और शिमला मिर्च की भंडारण क्षमता को दुगुना करता है।

कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में संशोधन

4912. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वर्तमान सदस्यता का राज्य–वार तथा कार्यालय–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'कम्प्लाएंस 2001' कार्यक्रम सहित सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम ईपीएफओ की सदस्यता संख्या में वृद्धि करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक उप–समिति गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार और अधिक संगठनों को शामिल करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का संशोधन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता पिछले वर्षों के दौरान लगातार बढ़ी है।

(घ) और (ङ) जी हां। अनुपालन 2001 में रणनीतिक समायोजनों के संबंध में एक उप समिति गठित की गई है। समिति का संघटन निम्नानुसार है :–

1.	संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा), श्रम और रोजगार मंत्रालय	–	अध्यक्ष
2.	श्री शरद पाटील, महासचिव, इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इंडिया	–	सदस्य
3.	श्री वी.पी चोपड़ा, अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ	–	सदस्य
4.	माल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एफ ए एस आई आई)	–	सदस्य
5.	श्री अशोक सिंह, सचिव, इंटक	–	सदस्य
6.	श्री डब्ल्यू.आर. वरदराजन, सचिव, सीटू	–	सदस्य
7.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अनुपालन), मुख्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	–	संयोजक

(च) और (छ) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे के तहत और प्रतिष्ठानों को लाने के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है। निम्नलिखित चार नए प्रतिष्ठान वर्गों को हाल ही में इस अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट किया गया है :

1. भारतीय जीवन बीमा के अलावा जीवन बीमा वार्षिकियों आदि की पेशकश करने वाली कंपनियां;
2. निजी एयरपोर्ट और संयुक्त उद्यम एयरपोर्ट;
3. निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक मीडिया कंपनियां;
4. ठहरने हेतु मकान, सर्विस अपार्टमैन्ट तथा कन्डोमिनियस।

यह अधिनियम इस समय 186 उद्योगों/प्रतिष्ठान वर्गों पर लागू है।

विवरण

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सदस्यता का ब्यौरा

क्रम संख्या	क्षेत्र	सदस्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3209773
2.	बिहार	240362

1	2	3
3.	छत्तीसगढ़	342634
4.	दिल्ली	2145496
5.	गोवा	415992
6.	गुजरात	3690847
7.	हरियाणा	2728013
8.	हिमाचल प्रदेश	247200
9.	झारखंड	752165
10.	कर्नाटक	4493707
11.	केरल	1325106
12.	मध्य प्रदेश	1499409
13.	महाराष्ट्र	8019669
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	239180
15.	उड़ीसा	736696
16.	पंजाब	2679185
17.	राजस्थान	1573859
18.	तमिलनाडु	5805101
19.	उत्तरांचल	192787
20.	उत्तर प्रदेश	1571613
21.	पश्चिम बंगाल	2495716
	कुल	44404510

अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष 2008

4913. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस वर्ष के दौरान देश में आलू के विकास हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान अच्छी फसल के कारण आलू किसानों को भारी हानि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे किसानों के बीमा संबंधी दावों के लिए अपना हिस्सा जारी न करने के कारण आलू की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), रोम ईटली ने वर्ष 2008 को अन्तर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के रूप में घोषित किया है।

(ख) आलू सहित बागवानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन कार्यान्वित की जा रही है। इन स्कीमों का उद्देश्य देश में आलू सहित बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है ताकि घरेलू और निर्यात मंडियों में बढ़ रही मांगों को पूरा किया जा सके। क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, समेकित कीट प्रबंधन, जैविक खेती, प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तरण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में उनके व्यापक कवरेज के लिए विभिन्न कृषि जलवायुवीय परिस्थितियों वाली आलू की उच्च पैदावार एवं निर्यातोन्मुख किस्मों के उत्पादन और वितरण के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अ.प.) ने देश में आलू उत्पादकों के लिए आलू के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जैसे–किसान मेला, आल इंडिया रेडियो पर पोटेटो स्कूल, दूरदर्शन पर वैज्ञानिक आलू खेती के विभिन्न पहलुओं पर लाईव फोन–इन कार्यक्रम।

(ग) और (घ) जी नहीं। मंडी में व्याप्त मूल्यों के आधार पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

(ङ) से (छ) वर्ष 2006–07 के लिए केन्द्र सरकार के शेयर को भारतीय कृषि बीमा कम्पनी को पहले ही निर्मुक्त कर दिया गया है जोकि राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) की कार्यान्वयन एजेंसी है।

सामुद्रिक सुरक्षा

4914. श्री उदय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सामुद्रिक सुरक्षा उपकरण देश के अपतटीय तेल तथा गैस ब्लाकों और अन्य सामुद्रिक हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौसेना के अपतट रक्षा सलाहकार समूह का श्रमशक्ति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (घ) भारत के समुद्रतटीय जल की चौकसी भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना द्वारा राज्य पुलिस के साथ मिलकर की जाती है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामरिक और आर्थिक हितों की अच्छी तरह से सुरक्षा की जाती है तथा तटरक्षक बल को भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुसज्जित रखा जाता है। तटवर्ती और पोत–वाहित दोनों ही प्रकार के निगरानी वायुयानों द्वारा भारत के हित वाले समुद्री क्षेत्रों की पर्याप्त टोह लगाई जाती है और निगरानी की जाती है। देश के अपतटीय तेल अन्वेषण प्लेटफार्मों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के पोत और वायुयान नियमित गश्त लगाते हैं।

गत वर्षों में भारत के समुद्रवर्ती क्षेत्रों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के उपकरणों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह के उपकरणों का परिष्कार करना एक सतत प्रक्रिया है।

स्पैक्ट्रम का आबंटन

4915. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दूरसंचार अधिकरण के समक्ष कहा है कि वह उन सभी दूरसंचार प्रचालकों को स्पैक्ट्रम का आवंटन करेगी जिन्हें देश में टेलीफोन सेवाएं शुरू करने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उन सभी को स्पैक्ट्रम आबंटित करने का प्रस्ताव है जिन्होंने उस समय आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष आइडिया सेल्युलर लिमिटेड बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 2008 की याचिका सं. 20 तथा स्पाईस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में 2008 की याचिका सं. 23 के मामले में दिनांक 24.4. 2008 के प्रति शपथ पत्रों में सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ यह बताया है कि यदि उस सेवा क्षेत्र में जिससे याचिकाकर्त्ता के आवेदन पत्र संबंधित हैं, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर्याप्त है तो कोई कठिनाई नहीं होगी और सभी आशय पत्र (एलओआई) धारकों जिन्हें एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, को स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाएगा। अन्य सेवा क्षेत्रों जहां सभी प्रचालकों के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, जहां सभी आवेदकों के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम की सीमा का अभी तक पता लगाया जाना है, सरकार याचिका में याचिकाकर्त्ताओं की अंतिम रूप से सफलता की स्थिति में उनके अधिकारों के संरक्षणार्थ उपयुक्त उपायों पर विचार करेगी।

इसके अलावा, यूएएस लाइसेंस की निबंधन और शर्तों के अनुसार स्पेक्ट्रम का आबंटन उपलब्धता तथा समय–समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अध्यधीन है।

ऑयल पैकेजिंग आर्डर का कार्यान्वयन

4916. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडिबल ऑयल पैकेजिंग (रेग्यूलेशन) आर्डर, 1998 के कार्यान्वयन की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) उक्त आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में क्या बाधाएं एवं अड़चने सामने आई हैं;

(ग) इस आदेश को लागू किए जाने के बाद से इसके आवश्यक प्रावधानों के उल्लघंन के कितने मामले सामने आए हैं तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वर्षवार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सभी राज्यों में आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस विनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों से क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह):

(क) खाद्य तेल पैंकिंग (नियमन) आदेश, 1998 के क्रियान्वयन की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) और (ग) उक्त आदेश के क्रियान्वयन की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। तथापित, किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जहां उक्त आदेश क्रियान्वित किया गया है, ने उक्त आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में कोई बाधा और रुकावट नहीं बताई है और आज की तारीख तक उनके द्वारा उक्त आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) कुछ राज्य सरकारों/संघ राजय क्षेत्र प्रशासनों, जिन्होंने खाद्य तेल पैंकिंग (नियमन) आदेश, 1998 क्रियान्वित नहीं किया है अथवा उक्त आदेश के क्रिन्वयन को भिन्न–भिन्न समय के लिए आस्थगित करने के लिए छूट/समय अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी है, से बार–बार उक्त आदेश को सही अर्थों में क्रियान्वित करने की जरूरत बताई गई है।

(ङ) नियमन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्यों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, खाद्य तेल पैकिंग (नियमन) आदेश, 1998 के खण्ड 4 (4), 10 (2), 13 और 14 के संदर्भ में दिनांक 16 जून, 2004 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 363 (आ.) द्वारा पैंकिग आदेश संशोधन किया गया था जिसकी प्रति विवरण–II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पैकेजिंग आदेश को क्रियान्वित किया है	जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पैकेजिंग आदेश को क्रियान्वित नहीं किया है	
	किन्तु क्रियान्वयन विचाराधीन है	जहां कोई मैन्यूफैक्चरिंग/पैकेजिंग यूनिटें नहीं हैं
22 राज्य	8 राज्य	5 राज्य
आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा , झारखंड, मणिपुर, उत्तराचंल	अरूणाचल प्रदेश, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, मेघालय, दादरा एवं नगर हवेली

विवरण-II

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II–3–उप–खण्ड (i)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2004

सा.क.नि. 363 (अ)–केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्–

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) संशोधन आदेश, 2004 है।

   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998 में,–

   (क) खण्ड 4 के उपखण्ड (2) में, "नब्बे दिन के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "साठ दिन के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

   (ख) खण्ड 10 के उपखण्ड (2) में, "प्रयोगशाला रिपोर्ट तैयार करेगी" शब्दों के स्थान पर "प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूनों की प्राप्ति की तारीख से चालीस दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी" शब्द रखे जाएंगे।

   (ग) खण्ड 13 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

   "फाईल की गई अपील को उक्त अपील की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा निपटाया जा सकेगा।"

   (घ) खण्ड 14 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"फाईल की गई पुनर्विलोकन याचिका को खाद्य तेल आयुक्त द्वारा ऐसी याचिका प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाया जा सकेगा"।

[फा. सं. 6–1 (वीपी)/2000]
डॉ. सन्दीप खन्ना, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 584 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पत्पश्वात् सा. का. नि. 710 (अ), तारीख 30 नवम्बर, 1998 और सा. का. नि. 97 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2000 द्वारा संशोधित किया गया।

देश में जल निकायों तथा जल स्रोतों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण

4917. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल निकायों तथा जल स्रोतों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उनकी पहचान तथा उचित उपयोग किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्र जल आयोग द्वारा किये गए आकलन के अनुसार देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) आंकी गई है। नदी बेसिन वार औसत वार्षिक जल उपलब्धता संलग्न विवरण–I में दी गई है। मंत्रालय लघु सिंचाई स्कीमों की गणना भी करवाता है। 2000 हेक्टैयर अथवा इससे कम कृष्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले जल निकायों की संख्या के संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है, जो कि तीसरी लघु सिंचाई गणना पर आधारित है।

(ग) उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं जिनमें भंडारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना, आदि शामिल हैं। अभी तक लगभग 225 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है। वर्तमान आकलन के अनुसार, विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 64 बीसीएम है। इसके आगे राज्य सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना के लिए विभिन्न अन्य स्कीमों को अभिज्ञात किया है और ऐसी स्कीमों के लिए अनुमानित भंडारण लगभग 108 बीसीएम है। राज्य सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए वृहद, माध्यम और लघु स्कीमें (सतही और भूजल दोनों) के संबंध में विचार, आयोजना और कार्यान्वयन करती हैं, भारत सरकार विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों, जैसे त्वरित सिंचाई में लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम, कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए राष्ट्रीय परियोजना आदि के माध्यम से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है। जल संसाधन मंत्रालय पारम्परिक जल संरक्षण पद्धतियों, वर्षा जल संचयन और भूजल का पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने जैसे उपायों को शामिल करते हुए जल के संरक्षण को प्रोत्साहन देता है।

विवरण-I

नदी बेसिनवार औसत वार्षिक जल उपलब्धता

(बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम)

क्र. सं.	नदी बेसिन	औसत वार्षिक जल उपलब्धता
1	2	3
1.	सिन्धु	73.31
2.	गंगा–ब्रह्मपुत्र बराक	
	क. गंगा उप–बेसिन	525.02
	ख. ब्रह्मपुत्र व बराक उपबेसिन	585.60
3.	गोदावरी	110.54
4.	कृष्णा	78.12
5.	कावेरी	21.36
6.	पेन्नार	6.32
7.	महानदी तथा पेन्नार के बीच पूर्व में बहने वाली नदियां	22.52
8.	पेन्नार तथा क्याकुमारी के बीच पूर्व में बहने वाली नदियां	16.46
9.	महानदी	66.88

1	2	3
10.	ब्राह्मनी और बैतरनी	28.48
11.	सुबर्णरेखा	12.37
12.	साबरमती	3.81
13.	माही	11.02
14.	लूनी सहित कच्छ, सौराष्ट्र के पश्चिम में बहने वाली नदियां	15.10
15.	नर्मदा	45.64
16.	तापी	14.88
17.	तापी से तादरी तक पश्चिम में बहने वाली नदियां	87.41
18.	तादरी से कन्याकुमारी तक पश्चिम में बहने वाली नदियां	113.53
19.	राजस्थान मरूस्थल में अन्तर्देशीय जल निकास क्षेत्र	नगण्य
20.	बंगलादेश तथा म्यामार में गिरने वाले लघु नदी बेसिन	31.00
	कुल (राष्ट्रीय)	1869.37

विवरण-II

2000–01 में सिंचाई जल निकायों की संख्या

(टैंक, तालाब तथा अन्य भंडारण)

क्रम. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सिंचाई के लिए कुल जल निकायों की संख्या		
		उपयोग में	उपयोग में नहीं	कुल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	51547	24014	75561
2	अरुणाचल प्रदेश	174	125	299
3	असम	755	265	1020
4	बिहार	11879	2676	14555
5	छत्तीसगढ़	36125	6592	42717
6	गोवा	2779	98	2877
7	गुजरात	1990	2160	4150
8	हरियाणा	526	35	561
9	हिमाचल प्रदेश	669	43	712
10	जम्मू एवं कश्मीर	693	88	781
11	झारखंड	37839	4371	42210
13	केरल	10963	678	11641
14	मध्य प्रदेश	35129	4702	39831
15	महाराष्ट्र	61413	8218	69631
16	मणिपुर	2	0	2
17	मेघालय	194	76	270
18	मिजोरम	440	170	610
19	नागालैंड	136	25	161
20	उड़ीसा	25082	5569	30651
21	पंजाब	424	25	449
22	राजस्थान	1365	1448	2813
23	सिक्किम	363	65	428
24	तमिलनाडु	31624	7119	38743
25	त्रिपुरा	419	49	468
26	उत्तर प्रदेश	3233	745	3978
27	उत्तरांचल	6331	3359	9690
28	पश्चिम बंगाल	109421	8855	118276
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	746	306	1052
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	44	0	44
32	दमन और दीव	0	0	0
33	दिल्ली	54	0	54
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पांडिचेरी	14753	3	14756
	कुल	470794	85807	556601

निजी दूरसंचार प्रचालकों द्वारा भ्रमित किया जाना

4918. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न निजी दूरसंचार प्रचलाकों ने देश में अपने उपभोक्ताओं को गुमराह किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2007–08 के दौरान आज की तारीख तक इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) ऐसे प्रचालकों के विरुद्ध ट्राई द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ट्राई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) कंपनियों द्वारा दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता एवं उनके विपणन में रखी जाने वाली पारदर्शिता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने गठन के समय से ही अनेक ऐसे उपाय किए हैं जिससे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सेवाओं की पेशकश में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। इन उपायों के अंतर्गत समय–समय पर जारी किए जाने वाले विनियम, निदेश, आदेश एवं सलाह शामिल हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है।

ट्राई द्वारा उपभोक्ता पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए जिन महत्त्वपूर्ण उपायों के संबंध में आदेश दिए गए वे निम्नलिखित हैं:–

(i) ट्राई ने "आजीवन वैधता" नाम से शुरू किए गए प्रशुल्क प्लानों के बारे में भ्रम को दूर करने के आशय से दिनांक 21 मार्च, 2006 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 43वां संशोधन के तहत विनियामक दिशा–निर्देश जारी किए। आजीवन या असीमित वैधता के नाम से प्रस्तुत, बाजार में लांच की गई या ऑफर किए गए सभी "प्रशुल्क प्लान" की सुविधा उपभोक्ता को मौजूदा लाइसेंस या नवीकृत लाइसेंस के तहत ऐसी दूरसंचार सेवा के उपलब्ध करने की अनुमत अधिकतम अवधि तक प्राप्त होगी। सेवा प्रदाताओं को अपने उपभोक्ताओं को उनके लाइसेंस की समाप्ति की मौजूदा अवधि के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया।

(ii) प्रशुल्क संबंधी सभी प्रचार/विज्ञापन विनिर्दिष्ट प्रारूप में ही दिए जाएंगे तथा इनमें दिनांक 2 मई, 2005 के निदेश के तहत कतिपय आवश्यक सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों तथा छोटे बिक्री–केंद्रों पर उपलब्ध प्रशुल्क संबंधी विवरणिकाओं में दिनांक 2 मई 2005 के निदेश के तहत प्रशुल्क प्लानों की पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

(iv) दिनांक 3 मई, 2005 एवं 30 अक्तूबर, 2007 के निदेश के तहत, उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना उसे कोई प्रभार्य मूल्य वर्द्धित सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(v) दिनांक 3 मई, 2005 के निदेश के तहत, सभी प्रचारों/विज्ञापनों में प्रीमियम दर सेवा की पल्स दर/प्रशुल्क के बारे में जानकारी दी जाएगी।

(vi) सेवा प्रदाता अपने प्रशुल्क प्लान की पूर्ण जानकारी सेवा के एक्टिवेट होने से एक सप्ताह की अवधि के भीतर उपभोक्ता को लिखित में देंगे। यथनित पैकेज में प्रशुल्क के किसी भी मद/पहलू में परिवर्तन के बारे में भी दिनांक 29 जून, 2005 के निदेश के तहत उपभोक्ता को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

(vii) दिनांक 16 सितंबर 2005 के निर्देश के अनुसार किसी भी प्रशुल्क योजना की पेशकश, प्रस्तुतीकरण, विपणन अथवा विज्ञापन इस ढंग से नहीं किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं के भ्रम में पड़ने की संभावना हो।

(viii) सभी मासिक स्थिर आवर्ती शुल्क जो किसी दी हुई योजना के अंतर्गत किसी उपभोक्ता के लिए अनिवार्य हों, को दिनांक 16 सितंबर, 2005 के निर्देशानुसार एक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अधिदेशियत विनियमों, निर्देशों आदेशों के अनुपालन को ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाता है। ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिसंख्य मामलों में हस्तक्षेप किया है। सेवा प्रदाताओं ने ट्राई के इन हस्तक्षेपों के प्रति तत्परतापूर्वक अनुकूल कार्रवाई की है और जरूरी संशोधन किए हैं। समग्र रूप से, ट्राई द्वारा समय–समय पर की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में परदर्शिता बढ़ी है।

ग्रामीण डाकघर

4919. श्री पी. सी. थामस : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रीमण क्षेत्रों में और अधिक संख्या में डाकघर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार तथा विशेषरूप से केरल के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी हां। पूरे देश में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरानः

(i) 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर,

(ii) 2000 विभागीय उप डाकघर खोलने प्रस्तावित हैं।

उपर्युक्त (i) में दिए गए 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने प्रस्तावित हैं। कुछ विभागीय उप डाकघर क्षेत्रों में भी खोले जाने प्रस्तावित हैं। स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन लंबित होने के कारण सर्किल/राज्यवार ब्यौरे निश्चित नहीं किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए जीएसएम नेटवर्क का परीक्षण

4920. श्री सुभाष महरिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा किए जा रहे नए 'ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल' (जीएसएम) के परीक्षण के कारण उपभोक्ताओं को काफी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस जीएसएम नेटवर्क द्वारा कार्य आरंभ किए जाने के बाद उपभोक्ताओं को क्या सुविधाएं उपलब्ध होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा ऐसे ही परीक्षण करवाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) 750000 लाईनों के स्तरोन्नयन एवं क्षमता विस्तार की वजह से एमटीएनएल, दिल्ली के सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में अस्थायी रूप से कुछ संकुलन हो गया था। इस नेटवर्क को अब चालू कर दिया गया है तथा यह संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रहा है। इस नए नेटवर्क से कवरेज बेहतर होगा और क्षमता में वृद्धि भी होगी।

(घ) से (च) भारत संचार निगम लिमिटेड का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) नेटवर्क पहले से ही प्रचालनरत है। आवश्यक परीक्षण, जब कभी भी आवश्यक हो, किए जाते रहते हैं।

[अनुवाद]

दूरसंचार अवसंरचना हेतु धनराशि

4921. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना का निर्माण करने के लिए निजी दूरसंचार प्रचालकों को धनराशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निजी दूरसंचार प्रचालकों के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा ऐसे विशिष्ट ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, जहां इस समय कोई स्थिर बेतार अथवा मोबाइल सुविधा उपलब्ध नहीं है, मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 27 राज्यों के 500 जिलों में 7871 अवसंरचना स्थलों (टॉवरों) के निर्माण एवं प्रबंधन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के आशय से एक योजना आरंभ की गई है। इन निर्मित अवसंरचनाओं की साझेदारी तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ की जाएगी, जिनमें वायरलेस ऑन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) जैसे अन्य बेतार अभिगम सेवाएं शामिल हैं। निजी और सार्वजनिक—दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा टॉवरों के रूप में अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा एवं मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता कराई जाएगी। बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि दरों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान प्रदान की गई कुल आर्थिक सहायता की राशि लगभग 587.88 करोड़ रु. होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) मई, 2007 में, इन 7871 टॉवरों के संदर्भ में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने सफल अवसंरचना प्रदाताओं एवं सेवा प्रदाताओं के साथ दिनांक 01.06.2007 की प्रभावी तिथि से करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से कुछ टावरों के माध्यम से मोबाइल सेवाओं का प्रचालन पहले ही आरंभ किया जा चुका है और शेष टॉवरों के माध्यम से अक्तूबर, 2008 तक चरणबद्ध रूप से सेवाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चावल अनुसंधान केन्द्र

4922. डा. के. एस. मनोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में चावल अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेष रूप से केरल के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) केरल सहित देश में नए चावल अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार नहीं कर रही है। देश में चावल अनुसंधान का कार्य एक केन्द्रीय संस्थान, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक अपने दो क्षेत्रीय केन्द्रों हजारीबाग (झारखण्ड) और गेरूवा (असम) तथा हैदराबाद स्थित एक चावल अनुसंधान निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा, चावल अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा विवेकानन्द कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में भी किया जा रहा है।

चावल अनुसंधान निदेशालय देश में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/राज्य विभागों के तहत स्थापित 46 वित्तपोषित केन्द्रों के साथ अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना (एआईसीआरआईपी) के माध्यम से चावल अनुसंधान का समन्वयन भी करता है।

केरल में, एआईसीआरआईपी के तहत दो केन्द्र अर्थात् केरल कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक पट्टाम्बी तथा दूसरा मोनकोम्पू में पहले से ही चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थान विशिष्ट किस्मों और प्रौद्योगिकियों का विशेषकर केरल के लिए विकास करने का कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आधुनिक तोल मशीनें

4923. श्री मनुसुखभाई डी. वसावा :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापारियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को तोलने के लिए उनके द्वारा नई आधुनिक तोल मशीनों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रयुक्त मशीनों के प्रकार सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की मशीनों की सीलिंग और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित मानक/नियम क्या हैं?

(घ) क्या उक्त मानकों/नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और 'आधुनिक' शब्द स्वनुभूतिमूलक है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के आधार पर बाजार में समय समय पर नई किस्म की तोल मशीनें लाई जाती हैं।

(ग) तोल मशीनों के लिए सीलिंग और अन्य माप विज्ञान संबंधी अपेक्षाएं बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 में निर्धारित की गई हैं।

(घ) इनके अनुपालन के लिए राज्य प्रवर्तन एजेंसियां जिम्मेदार हैं। इस विभाग को नियमों के सामान्य गैर–अनुपालन के बारे में किसी शिकायत की कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्यान्न उत्पादन

4924. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008–09 में खाद्यान्न संबंधी आंकलनों में कमी करने का है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान खरीफ और रबी मौसम के लिए अलग–अलग निर्धारित संशोधित लक्ष्य क्या है; और

(ग) उक्त आंकलन को कम करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) कृषि वर्ष 2008–09 अभी तक शुरू नहीं हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन के अनुमान एक सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात तब जारी किए जाते हैं जब कृषि वर्ष उन्नति में होता है।

(ख) खरीफ तथा रबी दोनों मौसम के लिए फसल उत्पादन के लक्ष्य कृषि वर्ष के शुरू होने के पूर्व निर्धारित किए जाते हैं;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीएसएनएल और एमटीएनएल को हुआ नुकसान

4925. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली नहीं कर पाए हैं जैसा कि दिनांक 11 मार्च, 2008 के 'द हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार के मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इन दूरसंचार कंपनियां द्वारा कुप्रबंधन किया जा रहा है और बेकार उपकरणों का प्रापण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन दोनों कंपनियों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की उक्त स्थिति के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) बीएसएनएल और एमटीएनएल के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 2008 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित मामले के तथ्य क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बीएसएनएल के संबंध में मामले के तथ्य

(1) जैसा कि दिनांक 11 मार्च 2008 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ है निजी उपभोक्ताओं के पास 3665.51 करोड़ रुपए की बकाया राशि प्रदर्शित की गई है।

(2) इसमें देश के सरकारी अभिकरणों (अर्थात् केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालय और रक्षा विभाग) से संबंधित 170.3 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं।

(3) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में 3665.51 करोड़ रुपए की राशि परिलक्षित हुई, जिसके अंतर्गत जून 07 तक की अवधि के लिए बीएसएनएल के कार्य निष्पादन का विश्लेषण किया था। 31.1.2008 की स्थिति के अनुसार यह राशि 42.15 करोड़ रुपए घटकर 3623.36 करोड़ रुपए हो गई है।

(4) इसके अलावा, समाचार पत्र की रिपोर्ट में प्रकाशित 3665.51 करोड़ रुपए की कुल बकाया राशि 1990–91 से 2006–07 तक की संचयी बकाया राशि है जिसमें वह अवधि भी शामिल है जब बीएसएनएल के गठन के पूर्व भारत सरकार द्वारा सेवाएं प्रदान की गई और इस अवधि के लिए संचयी बिल राशि (एबीएफ) 241948.15 करोड़ रुपए है और इसलिए बकाया राशि संचयी बिल राशि की केवल 1.50% बनती है।

विवरण-II

एमटीएनएल के संबंध में मामले के तथ्य

एमटीएनएल उपभोक्ताओं से अपनी देय राशि की वसूली करने में असफल नहीं रहा है। एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं के वार्षिक रूप से 45000 करोड़ रु. से अधिक राशि के बिल बनाता है और इतनी बड़ी राशि की बिलिंग होने के बावजूद यह निरंतर अपनी कुल बकाया देय राशि को कम कर रहा है।

एमटीएनएल अपनी कुल बकाया देय राशि को उल्लेखनीय ढंग से कम करने में सफल रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(राशि करोड़ में)

31.3.2006	31.3.2006	31.3.2006 की तुलना में कमी	31.3.2008 *	31.3.2007 की तुलना में कमी
1272.68	1218.43	−54.23	1188.62	−29.81

*अनुमानित

एमटीएनएल द्वारा बकाया देय राशि की वसूली के लिए किए गए विभिन्न प्रयास नीचे दिए गए हैं:

1. कॉरपोरेट स्तर पर तथा इकाइयों के मुख्यालय के स्तर पर और क्षेत्रों में बकाया देय राशि की कड़ाईपूर्वक मानीटरिंग। इस संबंध में उच्च लक्ष्य निर्धारित किए गए और इकाइयों द्वारा उनको प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए गए थे।

2. वसूलियां करने के लिए प्राईवेट वसूली एजेंटी की नियुक्ति की गई थी और वे लगभग 5 करोड़ रु. की कुछ वसूलियां कर पाने में सफल रहे थे।

3. एमटीएनएल में एक राज्य आश्वासन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बकाया देय राशि को और भी कम करने के लिए अधिकतम राजस्व बिलिंग की जाए और अधिकतम राजस्व की वसूली की जाए।

4. राजस्व आश्वासन और बकाया देय राशि की वसूलियों पर अधिक नियंत्रण रखने की दृष्टि से कन्वर्जेंट बिलिंग प्रणाली शुरू की जा रही है।

5. जो उपभोक्ता अपने बिलों का भुगतान करने से चूक जाते हैं उन्हें आटोमेटिड टेलीफोनिक अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

6. यदि भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो अगली कार्रवाई के रूप में उपभोक्ता का टेलीफोन कनेक्शन काटने तथा अन्य कार्यरत कनेक्शन भी काट देने की कार्रवाई भी की जाती है।

7. जो उपभोक्ता अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद टेलीफोन बिलों का भुगतान करने में असफल रहते हैं उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजे जाते हैं।

8. यदि उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकालता तो जहां संभव हो वहां न्यायालय में वसूली के मुकदमे दायर किए जाते हैं।

उपभोक्ता कल्याण निधि

4926. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता कल्याण निधि सृजित करने के उद्देश्य क्या हैं, और उन्हें प्राप्त करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त निधि से संस्वीकृत और प्रयुक्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त निधियों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है;

(घ) क्या उपभोक्ता जागरूकता हेतु गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को आबंटित निधि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ता जागरूकता में लगे गैर–सरकारी संगठनों की संख्या और उन्हें आबंटित निधि सहित प्राप्त शिकायतों की संख्या और उनकी प्रकृति का ब्यौरा क्या है; और

(च) गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) उपभोक्ता कल्याण कोष का समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण के संवर्धन और संरक्षण तथा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देशभर में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से विभिन्न परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान और रिलीज की गई राशि इस प्रकार है'–

वर्ष	बजट अनुमान	रिलीज की गई राशि
2005–06	31.50 करोड़ रुपए	8,51,14,00 रुपए
2006–07	17.35 करोड़ रुपए	6,71,56,354 रुपए
2007–08	20.60 करोड़ रुपए	8,72,53,072 रुपए

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए किया गया:–

1. उपभोक्ता संरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2. उपत्पादों का तुलनात्मक परीक्षण।

3. वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना/सुदृढ़ीकरण।

4. स्कूलों/कॉलेजों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना।

5. राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना।

6. पीठों/उत्कृष्ठता केन्द्रों की स्थापना।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम।

8. परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन।

9. जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र।

(घ) और (ङ) जाजपुर हरिजन सेवा समिति, जिला जाजपुर, उड़ीसा के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

(च) वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा निरीक्षण के अलावा विभाग में गठित एक निगरानी समिति गतिविधियों और किए गए व्यय की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों के आदेशों का अनुपालन न होना

4927. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोक्ता श्रम न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को कार्यान्वित नहीं करते हैं जिससे कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ अन्याय होतो है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अन्तर्गत नियोक्ताओं द्वारा न्यायालयों को की गयी कार्रवाई से अवगत कराना होता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडिस): (क) अधिनियम की धारा 17 (1) की परिभाषा के तहत प्रकाशित पंचाट, प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि पूरी होने पर प्रभावी होगा—रासबिहारी मोहंती, पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय 1974 (2) एलएलजे 222. श्रम न्यायालय, अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण का पंचाट, समुचित सरकार को प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, समुचित सरकार द्वारा जैसा उचित माना जाएगा, उस रूप में प्रकाशित किया जाएगा। तथापि, अनेक नियोक्ता उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेते हैं तथा पंचाट के प्रचालन पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

लघु जलविद्युत परियोजनाएं

4928. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना का देश के कुछ भागों के दूरस्थ पर्वतीय सीमा क्षेत्रों में लघु जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के कब तक स्थापित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) से (ग) सेना ने कुल 100 माइक्रो जलविद्युत परियोजनाएं (एम. एच. पी.) हाथ में ली हैं जिनके संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा निधियां भी प्रदान कर दी गई हैं। सेना ने अब तक 998 माइक्रों जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। उनके निर्माण संबंधी कार्य की पुनरीक्षा समय-समय पर सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबल चोरी की जांच

4929. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** टेलीफोन केबल की चोरी के बारे में दिनांक 3 मार्च, 2008 के अतारांकित प्रश्न सं. 666 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्षों की अवधि के दौरान केबल चोरी के 20,118 मामलों में केवल 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए इस प्रकार की चोरी के मूल कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच कराने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जैसे ही केबल चोरी की कोई घटना होती है, बीएसएनएल की क्षेत्रीय यूनिटें स्थानीय पुलिस प्राधिकारी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। मामले को उच्च अधिकारियों/राज्य सरकार के साथ भी उठाया जाता है जो मामलों की गंभीरता पर निर्भर करता है। बीएसएनएल द्वारा आगे निम्नानुसार कार्रवाई की जाती है:

i) चोरी के मामलों से संबंधित लम्बित प्रथम सूचना रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से आग्रह किया जाता है तथा नियमित रुप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ii) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से केबल चोरी घटना को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का अनुरोध किया जाता है।

iii) केबल चोरी रोकने के लिए संबंधित पुलिस थाना प्रभारी के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iv) अन्य एजेन्सियों के साथ खुदाई कार्य आरंभ किए जाते समय संभावित चोरी को रोकने के लिए निरीक्षण किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खरीफ फसलें

4930. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी. ए. सी. पी.) ने वर्ष 2008–09 हेतु खाद्य फसलों विशेषकर खरीफ फसलों के संबंध में अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी फसलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि सरकार ने उक्त सिफारिशों को राज्यों से उनकी टिप्पणी प्राप्त करने हेतु उनके पास अग्रेसित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी. ए. सी. पी.) ने वर्ष 2008–09 की खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। सरकार द्वारा राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयो के दृष्टिकोण तथा ऐसे अन्य संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात 2008–09 की फरीफ फसलों से संबंधित मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाता है, जिसे समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

[हिन्दी]

गांवों कम्प्यूटर नेटवर्किंग

4931. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के गांवों में व्यापक कम्प्यूटर नेटवर्किंग मुहैया कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सभी गांवों में कम्प्यूटर नेटवर्किंग कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 बैण्ड, इन्टरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना को 4 वर्ष की अवधि में 5742 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित किया गया है जिसमें से भारत सरकार का अंश अनुमानतः 856 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार का अंश 793 करोड़ रुपए होगा। शेष संसाधन निजी क्षेत्र में एकत्रित किए जाएंगे।

(ख) यह योजना सार्वजनिक–निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जा रही है। ये केन्द्र किसी भी राज्य में प्रत्येक 6 आवासीय गांवों के लिए 1 सीएससी के अनुपात में खोले जाएंगे। एक बार स्थापित हो जाने पर ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को संचार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

(ग) योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

(घ) प्रत्येक गांव में सीएससी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई तारीख नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है।

विवरण

सीएससी की स्थिति (15.4.2008 के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सीएससी की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	4687	मूल्यांकन पूरा किया गया। आशय पत्र जारी किया जाएगा।
2	अरुणाचल प्रदेश	74	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
3	असम	4375	निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यान्वयन शुरू किया गया।
4	बिहार	8463	9 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।
5	छत्तीसगढ़	3385	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
6	दादरा और नगर हवेली	12	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
7	दमन और दीव	4	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
8	गुजरात	6000	541 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।
9	हरियाणा	1159	1159 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।
10	हिमाचल प्रदेश	3366	मूल्यांकन पूरा किया गया। आशय पत्र जारी किया जाएगा।
11	जम्मू और कश्मीर	1109	आशय पत्र जारी किया जाएगा।
12	झारखंड	4562	4506 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।
13	कर्नाटक	4901	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
14	केरल	3178	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
15	लक्षद्वीप	4	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
16	मध्य प्रदेश	9232	निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यान्वयन शुरू किया गया।
17	महाराष्ट्र	7285	मूल्यांकन पूरा किया गया। आशय पत्र जारी किया जाएगा।
18	मणिपुर	399	आशय पत्र जारी किया गया। निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
19	मेघालय	225	बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है।
20	मिजोरम	36	प्रस्ताव का अनुरोध जारी किया गया।
21	नागालैंड	220	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
22	उड़ीसा	8558	आशय पत्र जारी किया गया। निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

1	2	3	4
23	पांडिचेरी	44	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
24	पंजाब	2112	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
25	राजस्थान	6626	प्रस्ताव का अनुरोध तैयार किया जा रहा है।
26	सिक्किम	45	आशय पत्र जारी किया गया। निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
27	तमिलनाडु	5440	आशय पत्र जारी किया गया। निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
28	त्रिपुरा	145	4 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।
29	उत्तर प्रदेश	17909	निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यान्वयन शुरू किया गया।
30	उत्तराखंड	2804	आशय पत्र जारी किया गया। निष्णात् सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
31	पश्चिम बंगाल	6797	1521 सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित किए गए।

टिप्पणी : इस समय अण्डमान, गोवा, दिल्ली तथा चण्डीगढ़ भारत सरकार की सीएससी योजना कार्यान्वित करने के इच्छुक नहीं हैं।

[अनुवाद]

गोदामों का निर्माण

4932. श्री नन्द कुमार साय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यानों के भंडारण हेतु गोदामों और रेलवे साइडिंग्स के निर्माण के लिए राज्यवर क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां हासिल हुई;

(ख) लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान भंडारण क्षमता के सृजन हेतु राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितना आबंटन किया गया है तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान राज्यवार कितने और कितनी क्षमता के भंडार गृहों का निर्मण किए जाने जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-03 से 2006-07 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने 3,62,010 टन के लक्ष्य के प्रति 3,66,880 टन भंडारण क्षमता का सृजन किया है। राज्यवार/केन्द्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

10वीं योजना के दौरान नेल्लोर (आंध्र प्रदेश), धमोरा (उत्तर प्रदेश) और बालीजोरी (उड़ीसा) में 3 रेलवे साइडिंग्स भी पूरी की गई थी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम ने खाद्यान्नों सहित सभी जिंसों का भंडारण करने के लिए 15.74 लाख टन के लक्ष्य के प्रति कुल 14.28 लाख टन क्षमता का निर्माण किया है। वर्षवार/राज्यवार/केन्द्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। उपर्युक्त कुल निर्मित क्षमता में से 1.99 लाख टन का निर्माण केवल भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए 7 वर्षीय गारंटी योजना के अधीन किया गया था और 0.51 लाख टन क्षमता का निर्माण रेल साइड भांडागार परिसरों के लिए किया गया था।

(ख) जहां तक भारतीय खाद्य निगम का संबंध है, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य हासिल करने में कोई कमी नहीं आई थी। केन्द्रीय भंडारण निगम लक्ष्य को पूर्णतया हासिल नहीं कर सका क्योंकि मुन्द्रा में निर्माण कार्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयातित खाद्यान्नों के उपयोग के लिए अपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के कारण विलंब हो गया, जिसे 2007-08 के दौरान पूरा किया

गया है। रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार 22 स्थानों में से रेल साइड भंडारण पिरसरों का निर्माण 18 स्थानों पर रेलवे द्वारा भूमि की सुपुर्दगी देने में विलंब करने के कारण शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) सरकार ने 11वीं योजना (2007–08 से 2011–12 तक) के दौरान गोदामों का निर्माण करने के लिए कुल 149 करोड़ रूपये का आबंटन किया है, जिसमें से 125 करोड़ रुपये देश में भंडारण गोदामों का निर्माण करने हेतु भारतीय खाद्य निगम के लिए निश्चित किए गए हैं और शेष 24 करोड़ रुपये सहायता अनुदान के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम की राज्य सरकारों और जम्मू व कश्मीर सरकार के लिए है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा तैयार की गई केन्द्रों की राज्यवार प्राथमिकता सूची, जिनमें से भंडारण गोदामों के निर्माण को अंतिम रूप दिया जाएगा, विवरण–III में दी गई है। 11 वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 2007–08 के दौरान इक्विटी के रूप में भारतीय खाद्य निगम के लिए 4 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे और योजना स्कीम के अधीन भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में मिजोरम सरकार को 2 करोड़ रुपये रिलीज किए गए थे। वार्षिक योजना 2007–08 में लिए गए केन्द्र नए थे जहां भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। इस प्रकार वार्षिक योजना 2007–08 में लिया गया भौतिक लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है।

केन्द्रीय भंडारण निगम (केन्द्रीय रेल साइड भंडारण निगम सहित) के संबंध में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 195.61 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ 4.03 टन निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें से 2007–08 के दौरान 2.40 लाख टन क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। राज्यवार/केन्द्रवार ब्योरे संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सृजन की जाने वाली प्रस्तावित भंडारण स्थान की संख्या और क्षमता संलग्न विवरण– V में दी गई हैं। इन केंद्रों पर निर्माण कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण गोदामों का निर्माण शुरू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने/अधिग्रहित/सुपुर्द कराने की शर्त के अध्यधीन शुरू किया जाएगा।

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा 2008–09 के दौरान सृजित करने के लिए प्रस्तावित भंडारण स्थानों की संख्या और क्षमता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–VI में दिए गए हैं।

विवरण-I

दसवीं योजना के दौरान लक्षित/पूरी की गई क्षमता को दर्शाने वाला विवरण (2002–2003 से 2006–2007)

क्रम सं.	केन्द्र	वर्ष 2002–2003 क्षमता		वर्ष 2003–2004 क्षमता		वर्ष 2004–2005 क्षमता		वर्ष 2005–2006 क्षमता		वर्ष 2006–2007 क्षमता	
		लक्षित	पूरी की गई	लक्षित	पूरी की गई	लक्षित	पूरी की गई	लक्षित	पूरी की गई	लक्षित	पूरी की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर क्षेत्र											
1.	मालौट फेज–2/पंजाब/10,000	10,000	5,000								
2	हनुमानगढ़/राज./15,000	10,000	15,000								
3	बारन/राज./5,000	5,000	5,000								
4	बी.जी. सिरसा/हरि./26670	15,000			16,670	10,000	10,000				
5	व्यासनगर/उ.प्र./13,340			10,000		3,340	13,340				
6	रायबरेली/उ.प्र./20,000			10,000	20,000						
7	एन.जी. टांडा/पंजाब/23,340			10,000	23,340	13,340					
दक्षिण क्षेत्र											
1	मिरायलगुडा/आं.प्र./20,000	10,000	10,000								
2	नालगौंडा/आं.प्र./20,000	10,000	10,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	नेल्लौर फेज–2/आं.प्र./10,000	10,000	10,000								
4	सेवूर/तना./5,000	5,000	5,000								
5	मड्डुर/कर्ना./5,000	5,000	5,000								
6	काजीपेट/आं.प्र.	10,000	10,000								
7	मैसूर/कर्ना./2800	2970	2800								
8	डिचपल्ली/आं.प्र./10,000		5,000	5,000	5,000						
9	सलेम/त.ना./10,000			10,000	3,340		3,340	3,340	3,340		
10	तुमकुर/कर्ना./15,000			10,000		5,000	5,000		5,000		
11	हनुमानजंक्शन/आं.प्र./10,000			10,000	10,000						
12	शिमोगा/कर्ना./15,000			10,000	15,000	5,000					
13	नेल्लौर फेज–3/कर्ना./15,000					10,000	15,000				
14	कोप्पल/कर्ना./10,000					10,000	10,000				
	पश्चिम क्षेत्र										
1	मनमाड/महा./18,600	18,600			6,680		11,920				
2	गोधरा/गुज./25,000	15,000		10,000	15,000		10,000				
3	तिलदा/छत्ती./13,340			5,000		8,340	13,340				
	पूर्व क्षेत्र										
1	आनगोले/उड़ीसा/5,000			5,000	5,000						
2	धेनकनाल/उड़ीसा/2,500			2,500	2,500						
3	क्योंझर/उड़ीसा/2,500			2,500	2,500						
4	फूलबनी/उड़ीसा/2,500			2,500	2,500						
5	नवरंगपुर/उड़ीसा/2,500			2,500	2,500						
	पहाड़ी एवं दूरस्थ क्षेत्र										
1	चम्बा/हि.प्र./1670		1,670								
2	कारगिल/ज.क./2,500		2,500								
3	लेह/ज.क./2,500	2,500	2,500								
4	किस्तवार/ज.क./2,500	2,500	2,500								
5	बडगांव/ज.क./2,500					2,500			1,250		1,250
6	लेह/ज.क./10,000					5,000		5,000	10,000		
7	कुपवाड़ा/ज.क./5,000							5,000			5000
8	केलांग/हि.प्र./2500							2,500			2,500
	पूर्वोत्तर और सिक्किम										
1	रंगपो/सिक्किम/2,500	2,500	2,500								
2	जीरीबाम/मणिपुर/2,500	2,500					2,500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	दीमापुर/नागालैंड/2,500			2,500			2,500				
4	अगरतला/त्रिपुरा/2,500			2,500	2,500						
5	लुंगेली/मिजोरम/2900							2,900	2,920		
6	लावनगटालै/मिजोरम/3,340							3,340			3,340
7	बुआलपुई/मिजोरम/5,000									5,000	
8	चांदेरपुर/त्रिपुरा/5,000									5,000	5,000
9	सेनचोवा/असम/1,670									1,670	1,670
10	बदरपुरघाट/असम/5,000									5,000	
11	चौलखोवा/असम/4,170									4,170	1,670
	जोड़	136,570	94,470	110,000	132,530	72,520	96,940	22080	22,510	20840	20430

दसवीं योजना के दौरान कुल लक्षित क्षमता – 3,62,010

दसवीं योजना के दौरान कुल उपलब्धी – 3,86,880

विवरण-II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा वर्षवार/राज्यवार/केन्द्रवार सृजित की गई भंडारण क्षमता का ब्यौरा

(क्षमता आंकड़े टन में)

राज्य	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	जोड़
आंध्र प्रदेश	1,40,810	10,000	–	–	–	1,50,810
कर्नाटक	20,000	10,400	11,140	–	23,960	65,500
उड़ीसा	29,300	–	–	–	–	29,300
उत्तर प्रदेश	61,480	12,000	5,000	11,350	59,400	1,49,230
हरियाणा	31,100	–	–	–	–	31,100
पंजाब	17,200	–	–	–	–	17,200
तमिलनाडु	8,900	1,550	–	–	–	10,450
केरल	5,000	25,000	–	–	–	30,000
राजस्थान	25,000	12,589	17,300	–	18,300	73,189
पश्चिम बंगाल	20,000	57,400	12,800	–	–	90,200
मध्य प्रदेश	–	10,000	6,000	–	–	16,000
गुजरात	–	73,800	–	54,000	2,01,300	3,29,100
असम	–	20,000	–	–	–	20,000
महाराष्ट्र	–	38,400	47,100	2,11,050	18,760	3,15,310
हिमाचल प्रदेश	–	1,670	–	–	–	1,670
दिल्ली	–	25,300	10,000	–	–	35,300
बिहार	–	–	5,000	–	5,000	10,000
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	2,700	–	–	2,700
सकल जोड़						13,77,059 अर्थात् 13.77 लाख टन

सात वर्षीय गारंटी के अधीन निर्मित भंडारण क्षमता

(क्षमता टन में)

	वर्ष		
	2002-03	2003-04	जोड़
आंध्र प्रदेश	1,03,370	10,000	1,13,370
उत्तर प्रदेश	50,430	12,000	62,430
हरियाणा	5,800		5,800
पंजाब	17,200		17,200
सकल जोड़			1,98,800 अर्थात् 1.99 लाख टन

रेलसाइड भंडारण कम्पलैक्स

1.	रे.भं.क. फेज-2 (कर्नाटक)	15,500 टन
2.	रे.भं.क. नासिक (महाराष्ट्र)	9,000 टन
3.	रे.भं.क. निशतपुरा (भोपाल)	16,700 टन
4.	रे.भं.क. शकूरबस्ती (दिल्ली)	9,900 टन
	जोड़	51,110 टन अर्थात् 0.51 लाख टन

विवरण-III

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान गोदामों के निर्माण हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की प्राथमिक सूची

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता (आंकड़े टन में)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़ में)
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1	2	3	4
I	असम क्षेत्र		
1	चांगसारी	50,000 साइडिंग के साथ	25.00
2	हैलाकांडी	5,000	1.50
3	करीमगंज	5,000	1.75
4	कोकराझार	5,000	1.75
5	नवगांव	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
6	डिब्रूगढ़	25,000 साइडिंग के साथ	17.5
7	फकीरग्राम	5,000	1.75
	जोड़	1.20 लाख टन	66.75
II	त्रिपुरा		
1	नंदननगर	2,500 (मौजूदा कम्पलैक्स के भीतर)	1.25
2	कुमारघाट	5,000	3.00
	जोड़	7,500	4.25
III	मणिपुर		
1	जीरीबाम	7,500	4.50
2.	सेनापटी	5,000	3.00
3.	चुराचांदपुर	2,500	1.50
	जोड़	15,000	9.00
IV	नागालैंड		
1	कोहिमा	5,000	3.00
2	दीमापुर	5,000	3.00
	जोड़	10,000 टन	6.00
V	मेघालय		
1	बाघामारा (दक्षिण गारो हिल्स)	2,500	1.50
2	शिलांग	5,000	3.00
	जोड़	7,500	4.50
उत्तर क्षेत्र			
VI	जम्मू और कश्मीर		
1	श्रीनगर घाटी (रेलवे साइडिंग)	20,000	12.00
2	पुलवामा	2,500	1.50
3	उधमपुर	15,000	9.00
	जोड़	37,500	22.50
VII	हिमाचल प्रदेश		
1	किन्नौर	1,670	1.00
2	बिलासपुर	5,000	2.00
3	मंडी	5,000	2.00

1	2	3	4
4	नाहन	5,000	2.00
5	नागरोटा भवन	5,000	2.00
6	शिमला	5,000	2.00
	जोड़	26,670 टन	11.00
पूर्व क्षेत्र			
VIII	सिक्किम		
1.	जोरथान	5,000	3.00
IX	झारखंड		
1	चक्राधारपुर	15,000	7.50
	जोड़	15,000	7.50
X	बिहार		
1	मोहनिया/कैमूर	25,000	7.25
	जोड़	25,000	7.25
XI	उड़ीसा		
1	डुंगरापल्ली	10,000	3.00
2	मानचेश्वर	10,000	3.00
3	बैरीपेडा	10,000	3.00
	जोड़	30,000	9.00
XII	पश्चिम बंगाल		
1	जलपाइगुडी	10,000	3.00
	जोड़	10,000	3.00
पश्चिम क्षेत्र			
XIII	छत्तीसगढ़		
1	बालोड	10,000	3.00
2	अकलतारा	10,000	3.00
	जोड़	20,000	6.00
XIV	महाराष्ट्र		
1	भंडारा	10,000	3.00
	जोड़	10,000	3.00
दक्षिण क्षेत्र			
XV	संघ शासित क्षेत्र		
1	लक्षद्वीप	2,500	1.25
	जोड़	2,500	1.25
	सकल जोड़	3,41,670 टन	164.00 करोड़

विवरण-IV

11 वीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण का वर्षवार/राज्यवार/केन्द्रवार निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा

2007-08 (संशोधित)

क्रम सं.	केन्द्र	राज्य	क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1	सीएफएस एमएसईजेड मुन्द्रा	गुजरात	33750
2.	मुन्द्रा (34 एकड़)	गुजरात	66580
3	सीएफएस डी' एनओडीई	महाराष्ट्र	5000
4.	ईपीआईपी, कासना (पी, एफएबी)	उत्तर प्रदेश	4000
5.	कन्नूर	तमिलनाडु	10000
6.	हुबली	कर्नाटक	10000
	जोड़		129330
आरडब्ल्यूसी			
1.	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	
2	नासिक रोड़	महाराष्ट्र	
3	बदनेरा (अमरावती)	महाराष्ट्र	
4	यमुना ब्रिज, आगरा	उत्तर प्रदेश	11500
5	कुंडलनगर (मदुरई)	तमिलनाडु	12000
6	कांडला	गुजरात	32200
7	रोजा (शाहजहांपुर)	उत्तर प्रदेश	18400
8	आरडब्ल्यूसी, व्हाइटफील्ड, बंगलौर	कर्नाटक	10000
	जोड़		84,100
	सकल जोड़		213430 एमटी

2007-08 के दौरान पूरे किए गए केन्द्र

के.भ.न.			
1.	सीएफएस एमएसईजैड मुन्द्रा	गुजरात	33750
2.	मुन्द्रा प्लाट नं. 1	गुजरात	66580
3.	ईपीआईपी, कासना	उत्तर प्रदेश	21250
4.	सीएफएस डी' एनओडीई (आयात हब)	महाराष्ट्र	5000
	जोड़		126580
सीआरडब्ल्यूसी लि.			
1	आरडब्ल्यूसी, बदनेरा (अमरावती)	महाराष्ट्र	17000

1	2	3	4
2	आरडब्ल्यूसी, सनाथनगर (हैदराबाद)	आंध्र प्रदेश	13200
3	आरडब्ल्यूसी, शकूरबस्ती	दिल्ली	10000
4	आरडब्ल्यूसी, यमुना ब्रिज, आगरा	उत्तर प्रदेश	5500
5	आरडब्ल्यूसी, आलमनगर (लखनऊ)	उत्तर प्रदेश	17000
6	आरडब्ल्यूसी, रोजा (शाहजहांपुर)	उत्तर प्रदेश	18400
7	आरडब्ल्यूसी, कांडला	गुजरात	32200
	जोड़		113300
	सकल जोड़		239880
			अर्थात् 2.40 लाख टन
2008-09			
1	शिमला	हिमाचल प्रदेश	5000
2	बरही	हरियाणा	10000
3	कुरुक्षेत्र	हरियाणा	5000
4	जयपुर	राजस्थान	5000
5	भरतपुर	राजस्थान	5000
6	बरान	राजस्थान	5000
7	पानीहटी	पश्चिम बंगाल	10000
	जोड़		45000
आरडब्ल्यूसी			
1	हतिया (रांची)	झारखंड	14800
2	धानकुनी (कोलकाता)	पश्चिम बंगाल	14000
3	कोकज (चेन्नई)	तमिलनाडु	15000
4	देहरी-ऑन-सोने	बिहार	10000
5	इन्दौर	मध्य प्रदेश	10000
6	रोहतक	हरियाणा	10000
	जोड़		73800
	सकल जोड़		1,18,800 टन
2009-10			
1	सिद्धार्थनगर	उत्तर प्रदेश	10000
2	संतकबीर नगर	उत्तर प्रदेश	10000
3	कोल्ड स्टोरेज		5000
	जोड़		25000 टन

1	2	3	4
2010-2011			
1	कोल्ड स्टोरेज		5000
	जोड़		5000
आरडब्ल्यूसी			
1	नासिक रोड़ फेज-2	महाराष्ट्र	9000
	जोड़		9000
	सकल जोड़		14000 टन
2011-2012			
आरडब्ल्यूसी			
1	कांडला फेज-2	गुजरात	32200
	जोड़		32200 टन

विवरण-V

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रचालित योजना स्कीमों के संबंध में अनंतिम वार्षिक योजना परिव्यय 2008-09 और उनका भौतिक लक्ष्य (प्राथमिकता के क्रम में)

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र का नाम	लक्षित भंडारण क्षमता	अपेक्षित निधि (करोड़ रुपये में)
चल रही परियोजनाएं			
1	बौलपुई/मिजोरम/5,000		0.30
2	बदरपुरघाट/असम/5,000		0.20
3	चौलखोवा/असम/4170		0.25
4	नन्दन नगर/त्रिपुरा/2500	2,500	1.00
5	चांगसारी/असम/50000	5,000	14.00*+ 2.00
6	जीरीबाम/मणिपुर/2500	2,500	0.85
7	दीमापुर/नागालैंड/5000		1.80*
8	कोहिमा/नागालैंड/5000	5,000	1.50
9	हेलाकांडी/असम/5000	5000	2.00
	जोड़	20,000	23.90

*केवल भूमि लागत

पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र का नाम	लक्षित भंडारण क्षमता	अपेक्षित निधि (करोड़ रुपये में)
चल रही परियोजनाएं			
1	किस्तवार/2500	2500	0.10
2	बड़गांव/2500	2500	0.10
3	कुपवाड़ा/5000	5000	0.20
4	लेह/10000	10000	0.30
नई परियोजनाएं			
5	लक्षद्वीप/सं.शा.क्षे./2500	2,500	1.25
6	डुंगरापल्ली/उड़ीसा/9,170	5,000	1.75
	जोड़	7,500	3.70

* भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के निर्माण के लिए 2008-09 का बजट अनुमान 15 करोड़ रुपए है।

विवरण-VI

2008-09 के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा सृजित की जाने वाली प्रस्तावित भंडारण क्षमता का राज्यवार/केन्द्रवार ब्यौरा

क्रम सं.	केन्द्र	राज्य	क्षमता (टन में)
1	2	3	4
1	शिमला	हिमाचल प्रदेश	5000
2	बरही	हरियाणा	10000
3	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	5000
4	जयपुर	राजस्थान	5000
5	भरतपुर	राजस्थान	5000
6	बरान	राजस्थान	5000
7	पानीहटी	पश्चिम बंगाल	10000
	जोड़		45000
आरडब्ल्यूसी			
1	हतिया (रांची)	झारखंड	14800
2	धानुकुनी (कोलकाता)	पश्चिम बंगाल	14000
3	कोकज (चेन्नई)	तमिलनाडु	15000
4	देहरी-ऑन-सोने	बिहार	10000
5	इन्दौर	मध्य प्रदेश	10000
6	रोहतक	हरियाणा	10000
	जोड़		73800
	सकल जोड़		1,18,800 टन

हथकरघा क्षेत्र संबंधी समिति

4933. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा की वित्तीय समस्याओं की जांच करने के लिए कोई समिति/पैनल गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति/पैनल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस.इलैंगोवन) : (क) और (ख) कथकरघा क्षेत्र में कार्यशील पूंजी की उच्च लागत और ऋण सुविधाओं के अवरोध संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए तथा इस प्रयोजन हेतु विस्तृत कार्यनीतियां बनाने और कार्यान्वयन योग्य कार्यदिशा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति में भारतीय बैंक ऐसोसियेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय फैसन प्रौद्योगिकी संस्थान, के प्रतिनिधित्व, प्रमुख कथकरघा राज्यों के सचिव (हथकरघा) और राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज की मांग हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की गई थी :-

i. प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का व्यवहार्य, संभावित रूप से व्यवहार्य और अव्यवहार्य इकाइयों के रूप में पुनर्संचना/वर्गीकरण।

ii. सरकार से पर्याप्त निधि सहायता सहित शीर्ष और प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों (व्यवहार्य तथा संभावित रूप से व्यवहार्य) के तुलन पत्र का परिमार्जन।

iii. सहकारी क्षेत्र से बाहर के बनुकरों/दुर्बल सहकारी संरचना के क्षेत्रों में अव्यवहार्य/मृत प्राथमिक बनुकर सहकारी समितियों के सदस्यों/बुनकरों के संगठन को संयुक्त देयता समूह की संकल्पना अपनाकर हथकरघा समूहों में हथकरघा बनुकर समूह संगठन।

iv. 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार बुनकरों/प्राथमिक बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों/शीर्ष समितियों के अतिदेय ब्याज और अतिदेय ऋण का परित्याग।

v. नाबार्ड और भारत सरकार के बैंकों से ब्याज परिदान सहित 7 की ब्याज दर पर हथकरघा बुनकरों/समितियों की ऋण जरूरतों का वित्त पोषण।

vi. हथकरघा क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों को इक्विटी, संवर्धनात्मक तथा विकास सहायता प्रदान करने के लिए नबार्ड में 'हथकरघा विकास और इक्विटी निधि' की स्थापना। भारत सरकार 50.00 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान कर सकती है। नाबार्ड 10.00 करोड़ रुपये का आरंभिक अंशदान तथा निदेशक बोर्ड द्वारा यथा निर्णीत वार्षिक अंशदान देगा। अन्य बैंकों और राज्य सरकारों से भी बाद में इस निधि में अंशदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

vii. प्रमुख पणधारियों उदाहरणार्थ भारत सरकार, राज्य सरकार तथा नाबार्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुमानित कुल वित्तीय पैकेज 1295 करोड़ रुपये का है। इसमें से केन्द्रीय सरकार का अंश 1155 करोड़ रुपये का होगा, जबकि राज्य सरकार का अंशदान 130 करोड़ रुपये तथा नाबार्ड का अंशदान 10.00 करोड़ रुपये का होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

4934. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय कार्यान्वित की जा रही प्रायोजित कृषि परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की जनजातीय जनसंख्या के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए और किसानों के लाभ के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2008–09 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य में जनजातीय लोगों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। तथापि, योजना आयोग द्वारा जारी विद्यमान दिशा निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों के तहत किए गये कुल आबंटन का 8% राज्य में जनजातीय लोगों के लाभ के लिए निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के ब्यौरे

1. बृहत कृषि प्रबन्धन (एमएमए)
2. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)
3. समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपोम)
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
5. विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन
6. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)
7. सूक्ष्म सिंचाई
8. राष्ट्रीय बांस मिशन

खान कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं

4935. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खान अधिनियम, 1995 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचित बीमारियों से ग्रस्त खनिकों की राज्यवार संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त खनिकों का जीवन बचाने के लिए कोई उपाय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की बीमारियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) खान अधिनियम, 1952 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचित बीमारियों से ग्रस्त खनिकों की संख्या निम्नानुसार है:–

राज्य	वर्ष		
	2005	2006	2007
झारखंण्ड	08 (0.0007)	13 (0.0011)	07 (0.0006)
आन्ध्र प्रदेश	02 (0.0030)	–	04 (0.0060)
कर्नाटक	03 (0.0211)	–	–
राजस्थान	30 (0.1460)	–	–
महाराष्ट्र	–	01 (0.0029)	01 (0.0029)

टिप्पणी:– कोष्ठकों में दिए गए आंकडे प्रतिशतता के सूचक हैं।

(ख) और (ग) खान अधिनियम, 1952 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों, नियमों तथा आदेशों में प्रभावित व्यक्तियों के उपचार के पर्याप्त उपबंध में किए गए हैं।

(घ)(i) ऐसी खानों की कार्य दशाओं का गहन अनुवीक्षण किया जाता है।

(ii) धूल पर नियंत्रण रखने के लिए कम्पनियों द्वारा वैट ड्रिलिंग ड्राइव का प्रयोग किया जाता है।

तिलहनों की मांग

4936. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तिलहनों की राज्यवार मांग कितनी रही;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए आयात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) वर्ष 2008 हेतु तिलहनों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) व्यवहारिक एप्रोच के आधार पर देश में तिलहनों की मांग 2004-05 के दौरान 40.37 मिलियन टन, 2005–06 के दौरान 42.31 मिलियन टन तथा 2006–07 के दौरान 44.34 मिलियन टन थी। मांग के राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) तिलहनों में मांग आपूर्ति अन्तर खाद्य तेलों के आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। निम्नलिखित सारणी वर्ष 2004–05 से 2006–07 के लिए खाद्य तेलों के वर्षवार तथा देशवार आयात के साथ उस पर किया गया खर्च दर्शाती है।

मात्रा (000 टन) मूल्य (करोड़ रुपए में)

देश	2004–05		2005–06		2006–07	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
अर्जेन्टीना	771.73	2083.15	1180.28	2770.54	1106.91	2837.85
ब्राजील	281.19	750.77	350.24	829.08	126.71	325.10
इंडोनेशिया	2705.24	6012.21	2131.2	4065.5	2305.57	4710.98
मलेशिया	898.37	1960.67	389.69	722.39	481.07	976.31

1	2	3	4	5	6	7
नेपाल	4.11	10.58	2.38	5.11	3.42	7.89
सिंगापुर	2.32	7.17	0.15	0.61	0.12	0.59
दक्षिण अफ्रीका	2050	7.86	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
श्रीलंका	6.06	15.16	6.85	14.54	7.12	15.63
थाईलैंड	3.74	10.87	1.5	2.7	43.9	89.63
संयुक्त अरब अमीरात	56.23	145.08	81.52	194.03	12.94	32.14
संयुक्त राज्य अमेरिका	12.53	58.20	26.33	97.88	13.54	56.62
कुल	4751.19	11076.89	4288.10	8960.99	4216.86	9416.27

एन.ए. – लागू नहीं

(घ) 2008–09 के दौरान तिलहनों के उत्पादन के लिए 318.00 लाख टन का लक्ष्य प्रस्तावित है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार देश में 14 प्रमुख तिलहन उगाने वाले राज्यों में "तिलहन, दालों, पाम ऑयल तथा मक्का की एकीकृत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम" (आइसोपाम) का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत ब्रीडर बीजों की खरीद, मूल तथा प्रमाणित बीजों का उत्पादन, बीजों के मिनीकीटों का वितरण, पौध सुरक्षा रसायनों तथा उपकरणों का वितरण, विडीसाइडस, छिड़काव सेटों का वितरण, पानी ढोने वाले पाईप तथा इन फसलों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

नारियल की खेती

4937. डा. के. एस. मनोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के तटीय क्षेत्रों में नारियल की खेती के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी तटीय क्षेत्रों तक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, हां। केरल के पारम्परिक नारियल क्षेत्रों में नारियल कृषि को संरक्षित एंव नवीनीकृत करने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग के तत्वाधान में नारियल विकास बोर्ड (सी.डी.बी.) ने एलेप्पी जिले के तटीय मरारीकुलम उत्तर पंचायत में "जैव–घेरा ग्राम कार्यक्रम" पर एक मार्गदर्शी परियोजना स्वीकृत की है। परियोजना का उद्देश्य 25 है0 के सुसंहित ब्लाक में नारियल बाग के पुनरुद्धार एवं विकास के अलावा मृदा अपरदन को रोकने के लिए तट के साथ जैव–सुरक्षा बेल्ट की स्थापना द्वारा तटीय क्षेत्रों में नारियल कृषि के परिरक्षण के लिए अपनाई गई प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन करना है। मार्गदर्शी परियोजना वर्षा जल संचयन के लिए विद्यमान तालाबों एवं जल निकास नहरों के नवीनीकरण पर भी ध्यान देती है।

इसके साथ ही, तटीय क्षेत्रों में नारियल कृषि को संरक्षित करने की दृष्टि से सी.डी.बी. ने नारियल उगाने वाले परम्परागत राज्यों में नारियल बागों के पुनःरोपण एवं पुनरुद्धार के लिए नई स्कीम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत कवर करने के लिए प्रस्ताविक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी एवं लक्षद्वीप के केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

लदान क्रियाकलापों में अनियमितताएं

4938. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्री बी. के. हुम्मर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विभिन्न डिपो में लदान और उतराई क्रियाकलापों में छद्म श्रमिकों के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम को हुई परिणामी वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लदान और उतरान प्रचालनों में किसी छद्म श्रमिक के होने का कोई मामला पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में पता नहीं चला है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र को वित्तीय सहायता

4939. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा और पावरलूम क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर कर्नाटक से कोई प्रस्ताव प्रापत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत प्रदान करने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक शासन सहित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। इन प्रस्तावों पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाता है। अलग–अलग योजनाओं के दिशा–निदेशों में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार ही वित्तीय सहायता जारी की जाती है। फिलहाल, किसी भी योजना के तहत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, चालू वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाओं के तहत कर्नाटक शासन को अब तक 3.94 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वस्त्र कामगारों की मजदूरी की सीमा में वृद्धि

4940. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वस्त्र कामगारों की मजदूरी की सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्त्र कामगारों की बढ़ी हुई परिलब्धियों को किस वर्ष से प्रभावी किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे कितने वस्त्र कामगारों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) वस्त्र कामगारों सहित कामगारों की मजदूरी सीमाओं में वृद्धि करने संबंधी विषय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मछुआरों हेतु कल्याण योजना

4941. श्री महावीर भगोरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मछुआरों के कल्याण हेतु कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के तहत मछुआरों के बीमा के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बीमाकृत मछुआरों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) मछुआरों को बीमा कवर प्रदान करने का मानदंड क्या है;

(ङ) उन बीमाकृत मछुआरों की संख्या व राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनकी पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत्यु हो गई है;

(च) क्या योजना के तहत सभी मृत मछुआरों के परिवारों को बीमा लाभ प्रदान किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा बीमाकृत मछुआरों के परिवारों को कब तक लाभ प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क)

राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना को केन्द्रीय प्रयोजित योजना के रूप में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें निम्नलिखित घटक हैं:–

(1) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास यानि मछुआरा, घरों, सामुदायिक भवन का निर्माण तथा पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल लगाना।

(2) कमी के मौसम (मत्स्यन प्रतिबंध) के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बचत–सह–राहत।

(3) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा।

(ख) जी, हां। सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा के घटक के तहत मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपए नकद दिए जाते हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा किए गए मछुआरों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) उक्त योजना के तहत 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी सक्रिय मछुआरे इस बीमा कवर के पात्र हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार बीमा किए गए मछुआरों की संख्या जिनके संबंध में बीमा दावे (मृत्यु मामले) प्राप्त हुए थे, को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(च) और (छ) मृतक मछुआरों के अधिकतर परिवारों को इस योजना के तहत बीमा लाभ प्रदान किया गया है। ये लाभ दावे के दस्तावेज ठीक–ठाक होने के स्थिति में, दावा प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्रदान किए जाते हैं।

विवरण-I

अंतिम तीन वर्षों के दौरान (2005–06 से 2007–08) के दौरान सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा किए गए मछुआरों की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	200000	200000	402742
2	असम	3909	100	3909
3.	बिहार	40000	10000	50000
4.	छत्तीसगढ़	31427	40498	32856
5.	गोवा	1000	1000	5000
6.	गुजरात	80000	53589	172359
7.	जम्मू और कश्मीर	14000	14000	14000
8.	हिमाचल प्रदेश	7096	6222	5716
9.	केरल	22787	232388	227815
10.	कर्नाटक	60000	60000	100000
11.	मध्य प्रदेश	62571	63901	70686
12.	मणिपुर	2829	2927	2927
13.	उड़ीसा	120000	150000	200000
14.	राजस्थान	3404	4356	5459
15.	तमिलनाडु	500000	567716	555744
16.	त्रिपुरा	1000	1000	1000
17.	उत्तर प्रदेश	41000	43000	100000
18	पश्चिम बंगाल	160000	160000	160000
19.	झारखंड	34500	29571	33000
20.	अंडमान और निकोबार	3812	5528	6272
21.	दमन और दीव	11511	11511	11511
22.	लक्षद्वीप	1530	941	8620
23.	पांडिचेरी	24500	28150	33000
	कुल	1426876	1686398	2202616

विवरण-II

प्राप्त किए गए बीमा दावों (मृत्यु के मामलों में) की राज्यवार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	38	65	104
2	असम	0	0	0
3	बिहार	2	5	6
4	छत्तीसगढ़	4	12	14
5	गोवा	0	0	0

1	2	3	4	5
6	गुजरात	2	6	6
7	जम्मू और कश्मीर	8	8	12
8	हिमाचल प्रदेश	3	7	5
9	केरल	150	127	8
10	कर्नाटक	27	33	19
11	मध्य प्रदेश	7	16	20
12	मणिपुर	5	0	0
13	उड़ीसा	12	6	20
14	राजस्थान	1	1	0
15	तमिलनाडु	121	177	226
16	त्रिपुरा	0	0	0
17	उत्तर प्रदेश	1	2	2
18	पश्चिम बंगाल	12	2	17
19	झारखंड	2	3	4
20	अंडमान और निकोबार	1	3	4
21	दमन और दीव	6	10	11
22	लक्षद्वीप	0	0	0
23	पांडिचेरी	4	5	7
	कुल	406	488	485

[अनुवाद]

एच ए एल की परियोजनाएं

4942. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए वायुयानों, हेलिकॉटरों इत्यादि की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजना में तेजी लाने में कुछ वर्षों का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वर्षों के दौरान अपूर्ण रही हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अगले वर्ष में ले जाया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटड (एच ए एल) आवश्यकताओं के अनुसार तथा सशस्त्र सेनाओं के लिए सुखोई–30 मार्क–1 उन्नत जेट प्रशिक्षक जैसे विमानों तथा उन्नत हल्के हेलिकॉटरों जैसे हेलिकॉप्टरों के लिए सहमत जरूरतों तथा कार्यक्रमों के अनुरूप परियोजनाओं संबंधी कार्यों को तेजी से संभालने के लिए तैयार है। इनकी सुपुर्दगी नियत लक्ष्यों के अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कोटा दोरिया साड़ियों का निर्यात और वाणिज्यिक विकास

4943. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के कोटा में निर्मित प्रसिद्ध कोटा दोरिया साड़ियों के निर्यात और वाणिज्यिक विकास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश व साथ ही विदेश में कोटा दोरिया साड़ियों की मांग व आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा कोटा दोरिया उत्पादों के लिए नवम्बर, 1999 में एक परियोजना स्वीकृत की गई थी जिसके तहत 8 नए करघों को स्थापित किया गया था और कोटा दोरिया उत्पादों की विविधीकृत श्रृंखला के उत्पादन के लिए 2 सिद्धस्त बुनकरों और 50 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया था। तदनुसार, इन उत्पादों को करूर, तमिलनाडु में एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था जहां इस परियोजना के तहत बनाए गए 80 डिजाइनों को बेचा गया था। इसके अलावा, राजस्थान राज्य सरकार ने कोटा क्षेत्र में कोटा दोरिया बुनकर के लिए एक विशेष सामूहिक विकास परियोजना की स्वीकृति दी है जिसके तहत वर्ष 2005–06 और 2006–07 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनरों की सहायता से कोटा दोरिया साड़ियों और फैब्रिक्स की नई संग्रहों का विकास किया गया था। इन संग्रहों को देश में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है और वर्ष 2006–07 के दौरान यूएसए, फ्रांस,

पाकिस्तान में भी इन्हें प्रदर्शित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन भी कोटा दोरिया उत्पादों के विकास और विदेश में इनके विपणन में शामिल हैं। कोटा दोरिया उत्पाद कथकरघा क्षेत्र का प्रथम उत्पाद है जिसे भौगोलिक सांकेतिक दर्जा प्राप्त हुआ है।

(ङ) देश और विदेश में कोटा दोरिया साड़ियों की विशिष्ट मांग और आपूर्ति दर्शाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

रेशम कीट उद्योग की वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

4944. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने रेशम कीट उद्योग की वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) से (ग) रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शुरू करने के लिए प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों, नामतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार ने किसानों और रीलरों द्वारा मजबूरी में बिक्री के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति में आवश्यक मुआवजा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को इन राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन तंत्र संबंधी एक योजना तैयार करने को कहा है। विभिन्न राज्यों में कोया और कच्ची रेशम के उत्पादन की लागत के आधार पर मूल्य समर्थन तंत्र संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने एक समिति गठित की है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने विभिन्न राज्यों के संबंधित राज्य रेशम उत्पादन विभागों से अपने-अपने राज्यों से संबंधित कोया और कच्ची रेशम (किस्म-वार) का उत्पादन लागत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि मजबूरी में की गई बिक्री की क्षतिपूर्ति का मुआवजा तैयार किया जा सके।

[हिन्दी]

दूरसंचार आदेश अधिनियम, 1999 की समीक्षा

4945. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार आदेश अधिनियम, 1999 की समीक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं जो लाइसेंसिंग तंत्र के माध्यम से दूरसंचार आपरेटरों को राजस्व बंटवारे तंत्र में भागीदारी की अनुमति देता है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथिनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) नई दूरसंचार नीति-1999 (एनटीपी-99) के तहत लाइसेंस शुल्क के भुगतान की राजस्व बंटवारे संबंधी व्यवस्था की समीक्षा नहीं की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एनटीपी-99 के परिणामस्वरूप भारत में दूरसंचार क्षेत्र का तीव्र गति से विकास हो रहा है।

[अनुवाद]

एफसीआई में कम्प्यूटरीकरण

4946. श्री नन्द कुमार साय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में खाद्यान्नों हेतु प्रबंध सूचना तंत्र का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान एफसीआई द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा इसके तहत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार किया गया आबंटन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एफसीआई में खाद्यान्नों हेतु प्रबंध सूचना तंत्र के कम्प्यूटरीकरण को कब तक पूरा किए जाने की संभावना हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार खाद्यान्नों के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली भारतीय खाद्य निगम के जिला कार्यालयों से ऊपर जिला स्टाक लेखा गणना माड्यूल के जरिए पूर्णतया प्रचालन में हैं। भारतीय खाद्य निगम के सभी 167 जिला कार्यालयों के स्टाक की स्थिति और स्कीमवार उठान पखवाड़ा आधार पर www. iisfm.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

डिपूवार सूचना के लिए भारतीय खाद्य निगम के 167 जिलों के सभी डिपूओं में डिपू माड्यूल के साफ्टवेयर वर्सन 2.2.2 (संशोधित) रिलीज किया गया है। 21.4.2008 की आई आईएसएफएम वेबसाइट पर ट्रांसमिशन स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के 142 जिलों के 530 से अधिक पेरेंट डिपू और 250 से अधिक सम्बद्ध डिपूओं ने डिपू माड्यूल डाटा को केन्द्रीय सर्वर पर अंतरित कर दिया है। इसकी मानीटरिंग संबंधित डिपू/जिले द्वारा निरन्तरता और हाथ से लिखे गए स्टाक लेजर के साथ सत्यापन, स्थानीय डिपू माड्यूल सर्वर डाटा, केन्द्रीय सर्वर को अंतरित डाटा के लिए की जा रही है।

(ग) 2007–08 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कंप्यूटरीकरण के लिए निर्धारित आंकड़े और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम के लिए 2007–08 की अवधि के दौरान आईआईएसएफएम परियोजना क्रियान्वित करने हेतु 25 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। 31.3.2008 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 12.20 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और शेष राशि का पूर्ण उपयोग भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब के प्रमुख खरीद/वितरण राज्यों में आपूर्ति किए गए/आपूर्ति किए जाने वाले हार्डवेयर/साफ्टवेयर के लिए प्रतिबद्ध भुगतान और भारतीय खाद्य निगम मे क्रियान्वित किए जा रहे वित्तीय लेखा गणना पैकेज के लिए किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यानों के लिए प्रबंघन और सूचना प्रणाली का कंप्यूटरीकरण 31 मार्च, 2009 तक पूरा किया जाएगा।

विवरण

तिमाही	भौतिक लक्ष्य 2007–08	उपलब्धियां
1	2	3
पहली तिमाही	क) साफ्टवेयर विकास, जांच और क्रियान्वयन	डिपू माड्यूल साफ्टवेयर वर्जन 2.1.1 का 5 स्थानों पर प्रयोग किया गया है। साफ्टवेयर में संशोधन के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को फीडबैक प्रस्तुत किया गया।
	ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा डिपु माड्यूल की अंतिम जांच और इसे स्वीकार करना। * भारतीय खाद्य निगम को जून, 2007 की समाप्ति से पहले प्रदान करने के लिए डिपू माड्यूल सॉफ्टवेयर के वर्तमान वर्जन को स्वीकार करना है।	विकेंद्रीकृत खरीद राज्य–उत्तर प्रदेश के लिए साफ्टवेयर जांच और छत्तीसगढ़ हेतु साफ्टवेयर का विकास। विकेंद्रीकृत खरीद राज्यों के रूप में उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए आर्डर दिए गए। हरियाणा के विकेंद्रीकृत खरीद राज्य के कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शेष धनराशि की रिलीज।
दूसरी तिमाही	क) छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए साफ्टवेयर क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं।	उत्तर प्रदेश में साफ्टवेयर की जांच और इसका प्रचालन शुरू करना।
	ख) हरियाणा और तमिलनाडु के लिए हार्डवेयर की आपूति।	उड़ीसा हेतु साफ्टवेयर विकसित किया गया।
	ग) डिपू माड्यूल के फाइनल वर्जन को लांच करना और सभी जिलों में डिपू माड्यूल का क्रियान्वयन	उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के लिए हार्डवेयर की आपूर्ति की गई। उड़ीसा तथा तमिलनाडु के लिए आर्डर दिए गए।
	घ) भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण।	भारतीय खाद्य निगम के पहचान किए गए 23 जिलों (प्रत्येक क्षेत्र के एक) के सभी डिपुओं के लिए प्रारम्भिक तौर पर 7.7.2007 को डिपू माड्यूल साफ्टवेयर वर्जन 2.2.2

1	2	3
		(संशोधित) रिलीज किया गया। बाद में, इसको भारतीय खाद्य निगम के अन्य 72 जिलों के सभी डिपुओं के लिए रिलीज किया गया। साफ्टवेयर में पेश आई समस्याएं इसमें संशोधन के लिए एन. आई.सी. को सूचित की गईं। भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधकों और कर्मचारियों को तकनीकी समर्थन व्यक्तियों के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
तीसरी तिमाही	क) तमिलनाडु और हरियाणा के विकेंद्रीकृत खरीद राज्येां हेतु साफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन, जांच और प्रशिक्षण। ख) डाटा रेप्लीकेशन और एम. आई. एस. पूछताछ। ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा निगम के सभी स्तरों पर अपेक्षित नेटवर्क कनैक्टीविटी सुनिश्चित किया जाना।	छत्तीसगढ़ के लिए साफ्टवेयर की जांच। तमिलनाडु तथा हरियाणा के लिए साफ्टवेयर का विकास। उड़ीसा को जांच हेतु साफ्टवेयर प्रदान किया गया। उड़ीसा तथा तमिलनाडु को हार्डवेयर की आपूर्ति की गई। तमिलनाडु तथा हरियाणा हेतु प्रशिक्षण पूरा किया गया और साफ्वेयर को कम्स्टमाइज किया गया। उड़ीसा, हरियाण और तमिलनाडु को हार्डवेयर की आपूर्ति की गई। वैबसाइट पर डिपू माड्यूल रिपोर्टों को डालना। जांच किए जाने तथा एन. आई. सी. द्वारा सटीक बनाए जाने हेतु आई. आई. एस. एफ. एम. वैबसाइट पर डिपू/जिला स्तरीय रिपोर्टें डाली गईं। भारतीय खाद्य निगम कार्यालयों के 191 स्थानों पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनैक्टीविटी स्थापित की गई। डिपू स्तर की कनैक्टीविटी के लिए कार्यकारी निदेशकों (अंचल) को लागत संबंधी तथ्यों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
चौथी तिमाही	क) तमिलनाडु तथा हरियाणा के लिए साफ्टवेयर का क्रियान्वयन और कार्यशालाएं।	छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु में ऑन साइट साफ्टवेयर जांच।
	ख) कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश के विकेंद्रीकृत खरीद वाले राज्यों हेतु साफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन, जांच और प्रशिक्षण	आंध्र प्रदेश हेतु आर्डर दिए गए और कर्नाटक के लिए आर्डर दिए जाने हैं।
	ग) मैनुअल तथा कम्प्यूटरीकृत प्रणाली का समानांतर प्रचालन। घ) सभी स्थानों में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली को अपनाना।	167. भारतीय खाद्य निगम जिलों के सभी डिपुओं के लिए डिपु माड्यूल साफ्टवेयर रिलीज किया गया। डिपू तथा जिला स्तर के लिए आई. आई. एस. एफ. एम. वैबसाइट पर जिन्स–वार, फसल वर्ष–वार, स्थान–वार स्टाक खाते के बारे में केंद्रीय सरवर एम. आई.एस. रिपोर्टें (जांच के अधीन) उपलब्ध हैं। इनकी मैनुअल प्रणाली से सत्यता हेतु जांच की जा रही है। इसके बाद 3 महीनों तक मैनुअल और कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को समानांतर रूप से प्रचालित किया जाएगा। इसके पश्चात् सभी स्थानों में कम्प्यूटर आधारित प्रणाली अपनाना शुरू किया जाएगा।

शीतगारों को कमी के कारण कृषि खाद्य मदों की हानि

4947. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष प्रशीतित यातायात तथा शीतागार भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कृषि खाद्य मदें बर्बाद हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरा बर्बाद खाद्य मदों की प्रमात्रा का ब्यौरा भी दर्शायें;

(ग) क्या इस प्रकार की बर्बादी ने खाद्य असुरक्षा तथा मूल्यवृद्धि में योगदान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस प्रकार की बर्बादी को रोकने के लिए प्रशीतित यातायात तथा शीतगारों हेतु उपयुक्त नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) प्रशीतित परिवहन और शीत भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण नष्ट कृषि सामग्री की वार्षिक हानि के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा कोई आंकड़ें एकत्रित नहीं किये गये हैं, तथापि, कुछ अध्ययनों के अनुसार, अव्यवस्थित फसलोपरान्त प्रबंधन और शीत श्रंखला सुविधाओं की कमी के कारण फलों और सब्जियों की हानि 25% से 30% तक की सीमा तक आकलित की गई है। जिसका मूल्य 20,000 करोड़ रुपये से 50,000 रुपये वार्षिक है, जैसा कि राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी पांचवी और अन्तिम रिपोर्ट में बताया है।

(ग) से (ङ) इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि खराब होने वाले बागवानी उत्पादों की इस तरह की हानि खाद्य असुरक्षा अथवा कीमत बढ़ने से जुड़ी है तथापि अध्ययन दर्शाते हैं कि यदि इस तरह की हानि रोकी जाती है तो इससे किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा और उपभोक्ताओं को बागवानी उत्पाद कम कीमत पर प्राप्त हो सकेगा।

सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आदि की योजनाओं के अन्तर्गत और विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि विपणन आधारिक संरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत भी प्रशीतित परिवहन वाहनों और विभिन्न प्रकार के शीत भण्डारों सहित शीत श्रृंखला आधारिक संरचना की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी अभिकरणों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार की आधारिक संरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक माडल कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम बनाया है और राज्य सरकारों, को उनके सम्बद्ध अधिनियमों में संशोधन के लिए परिचालित किया है। जिससे इस प्रकार के संशोधनों से विभिन्न राज्यों में सीधे विपणन, ठेका कृषि आदि की सुविधा मिली है जिसके परिणामस्वरूप शीत श्रृंखला आधारिक अवसंरचना में वृद्धि हुई है।

एमटीएनएल तथा बीएसएनएल कनेक्शनों में नेटवर्क की समस्या

4948. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमटीएनएल तथा बीएसएनएल की पुनर्संरचना को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के उपभोक्ताओं का सुबह शाम व्यस्ततम समय में नेटवर्क की समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने संबंधी कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के प्रचालनों में अधिक एकरूपता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उनके पुनर्गठन हेतु सरकार को सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मैसर्स आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज के नेतृत्व में परामर्शकों के एक समूह के पुनर्गठन के लिए कुछ विकल्प सुझाए हैं। चूंकि सुझाए गए विकल्पों के लिए समर्थकारी शर्तें इनके सफल विलयन तथा शामिल मुद्दों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए उतनी उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के पुनर्गठन को फिलहाल स्थगित रखा गया है।

(ग) से (च) बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जा रही सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा आधारित वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली (जीएसएम) संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और सामान्यतः परियात के व्यस्त घंटों के दौरान भी ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है। तथापि, कभी–कभी व्यस्ततम घंटों के दौरान कुछ राज्यों विशेषकर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी परियात तथा स्विच मीडिया की क्षमता संबंधी दबाव के कारण नेटवर्क में संकुलन पाया गया है। बीएसएनएल नेटवर्क में अवरोध के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल कट भी एक घटक है जो मुख्यतः पूरे भारत में सड़क चौड़ी करने/खुदाई कार्य किए जाने के कारण है। बीएसएनएल अपने जीएसएम मोबाइल नेटवर्क में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि कर रहा है जिसे लगातार इष्टतम भी बनाया जा रहा है। ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों के अनुसार कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की मॉनीटरिंग को भी सुदृढ़ बनाया गया है।

एमटीएनएल नेटवर्क सेवाएं संतोषप्रद हैं। एमटीएनएल दिल्ली में 750 हजार लाइनों के उन्नयन तथा क्षमता विस्तार के कारण सेल्युलर मोबाइल नेटवर्क में कुछ अस्थायी संकुलन की स्थिति थी जिन्हें अब चालू कर दिया गया है और नेटवर्क संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

अधिकांश ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली रिंग प्रबंधन के माध्यम से स्वतः संरक्षित होती है। नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) जो एक ऑन लाइन मॉनीटरिंग तंत्र है, स्विचों तथा पारेषण प्रणाली की मॉनीटरिंग के लिए संस्थापित की गई है। नेटवर्क के कार्य–निष्पादन को सतत रूप से मॉनीटर किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

हथकरघा क्षेत्र का विकास और संवर्धन

4949. श्री जी. एम. सिद्दीश्वर : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर कर्नाटक में पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य–वार हथकरघा तथा अन्य हथकरघा बुनकर व्यवसायों के विकास एवं संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उपलब्धियां प्राप्त की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) दसवीं योजना अवधि के दौरान भारत सरकार कर्नाटक सहित देश के हथकरघा क्षेत्र के विकास और संवर्धन तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को कार्यान्वित कर रही थीः–

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. हथकरघा निर्यात योजना।
3. विपणन संवर्धन कार्यक्रम।
4. महात्मा गांधी बीमा बुनकर योजना।
5. कार्यशाला–सह–आवास योजना।
6. स्वास्थ्य पैकेज योजना, थ्रिफ्ट निधि योजना, समूह बीमा योजना सहित बुनकर कल्याण योजनाएं।
7. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना।
8. मिल गेट कीमत योजना।
9. स्वास्थ्य बीमा योजना।
10. एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास कार्यक्रम।

राज्यवार कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य परियोजनाओं के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। दसवीं योजना के दौरान मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय 625 करोड़ रुपये था। तथापि, वास्तविक व्यय 803.73 करोड़ रुपये था। दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् आज तक विभिन्न राज्यों को जारी की गई वर्षवार और राज्यवार धनराशि का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रम सं	राज्य का नाम	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	66.92	20.76	122.25	397.00	119.35	726.28
2.	आंध्र प्रदेश	1320.94	1784.14	848.21	829.44	1121.19	5903.92
3.	असम	1131.92	762.86	469.33	409.12	616.22	3389.45

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	6.25	12.62	–	–	6.26	25.13
5.	छत्तीसगढ़	89.71	46.63	18.70	19.72	25.06	199.82
6.	गोवा	–	–	–	–	–	0
7.	गुजरात	52.25	35.26	69.71	32.10	36.75	191.39
8.	हरियाणा	17.57	64.18	22.55	50.42	489.62	679.02
9.	हिमाचल प्रदेश	201.32	173.32	110.59	82.13	129.92	697.28
10.	झारखंड	8.60	–	–	38.22	22.58	69.4
11.	जम्मू और कश्मीर	85.31	40.76	63.41	31.13	88.23	308.84
12.	कर्नाटक	498.57	451.40	472.18	1140.59	886.11	3448.85
13.	केरल	1152.17	821.84	706.53	372.42	330.50	3383.46
14.	मध्य प्रदेश	114.20	45.23	61.22	83.52	43.00	347.17
15.	महाराष्ट्र	106.24	11.66	60.73	43.85	324.61	547.09
16.	मणिपुर	608.57	115.79	480.70	486.17	282.80	1974.03
17.	मिजोरम	53.98	32.19	27.74	24.74	12.87	151.52
18.	मेघालय	19.73	3.91	3.97	26.56	43.66	97.83
19.	नागालैंड	163.88	1114.22	903.13	1239.91	1018.18	4439.32
20.	उड़ीसा	40.34	78.03	250.33	276.97	1655.22	2300.89
21.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	0
22.	पंजाब	21.10	–	5.33	–	20.00	46.43
23.	राजस्थान	86.53	122.14	124.66	88.19	115.10	536.62
24.	सिक्किम	2.97	–	–	–	2.00	4.97
25.	तमिलनाडु	2982.48	2619.46	3978.96	4910.25	2533.53	17024.68
26.	त्रिपुरा	27.35	35.98	54.16	32.13	5.03	154.65
27.	उत्तर प्रदेश	872.09	1070.08	1366.90	1407.76	974.00	5690.83
28.	उत्तराखंड	79.22	10.13	62.31	21,54	65.00	238.2
29.	पश्चिम बंगाल	401.67	180.45	961.26	440.39	412.04	2395.81
30.	दिल्ली	164.02	112.00	115.43	15.73	11.58	418.76
	कुल	10375.90	9765.04	11360.29	12500.00	11390.41	55391.64
	अन्य (एनएचडीसी, आकाश, एआईएच, एम सी एस, एनई एच एच डी सी, एल आईसी, आई सी आई सी आई लोंबार्ड आदि)	2707.10	3260.96	4048.71	6788.00	8176.59	24981.36
	कुल जोड़	13083.00	13026.00	15409.00	19288.00	19567.00	80373.00

नई राष्ट्रीय श्रम नीति

4950. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम सुधारों के नाम पर विभिन्न विभागों द्वारा बहु श्रम कानूनों का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के विभागों के नाम क्या हैं तथा इनमें लागू श्रम कानूनों की विभिन्नता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त के मद्देनजर सरकार का एक वृहद् तथा समान नई राष्ट्रीय श्रम नीति लागू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) भारत की श्रम नीति कानूनों पर आधारित है। अधिनियमों में यथापरिभाषित अनुसार श्रम कानूनों का कार्यान्वयन केन्द्र और राज्य दोनों समुचित सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर दुकानों के विरुद्ध छापामारी

4951. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से खाद्यान्नों के अन्यत्र उपभोग के संबंध में छापामारी के दौरान दक्षिणपुरी तथा अलीपुर क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बरामद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना पर बैठाई गई जांच का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार उन राज्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है जो पीडीएस के उचित कार्यान्वयन में अपने कर्तव्य निर्वाह में असफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) दिल्ली सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 18.2.2008 को दुकान संख्या 3 और 4, एफ ब्लाक मार्किट, दक्षिण पुरी, दिल्ली में स्थित दो गोदामों पर छापा मारा गया था और उनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की लगभग 2200 बोरियां पड़ी पाई गई थीं। इन गोदामों में पड़ी अनेक बोरियों पर 12 उचित दर दुकानों के नम्बर भी पड़े थे। इसके परिणामस्वरूप अम्बेडनगर, दिल्ली पुलिस स्टेशन में दिनांक 19.2.2008 की प्राथमिकी संख्या 72/08 में मामला दर्ज किया गया था। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अर्थात संबंधित जिले के सहायक आयुक्त द्वारा इन 11 उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं और एक उचित दर दुकान का लाइसेंस पहले ही रद्द कर दिया गया है। इस मामले में 14 व्यक्तियों के अर्थात गोदाम के मालिक, दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के ठेकेदार, 2 ड्राइवरों और 10 उचित दर दुकान मालिकों को गिरफ्तार किया गया है।

गांव बूढ़पुर, अलीपुर, दिल्ली स्थित एक गोदाम पर 16.3.2008 को दिल्ली सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा छापा मारा गया था और ट्रक संख्या एच आर 55–ए–5450 तथा चावल की लगभग 11600 बोरी गोदाम में पड़ी पाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप पुलिस स्टेशन, अलीपुर, दिल्ली में दिनांक 16.3.2008 को प्राथमिकी संख्या 5/08 दर्ज की गई थी। यह भी पता चला था कि उत्तर–पश्चिम जिला, दिल्ली की 11 उचित दर दुकानों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल उक्त गोदाम में भेजा गया था और लाइसेंसिंग प्राधिकारी अर्थात सहायक आयुक्त (उत्तर–पश्चिम) द्वारा इन सभी उचित दर दुकानों के लाइसेंस निलम्बित कर दिए गए हैं। 13 व्यक्ति अर्थात गोदाम का मालिक, गोदाम कीपर, ट्रक का ड्राइवर और 10 उचित दर दुकानों के मालिक गिरफ्तार किए गए हैं।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कृषि कामगारों की मजदूरी का संशोधन

4952. श्री ई. जी. सुगावनम: : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड में नियोजित कृषि कामगारों की मजदूरी में लम्बे समय से संशोधन करने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और उनकी मजदूरी को कब तक संशोधित किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय रेशम बोर्ड में नियोजित फार्म कामगारों की मजदूरी में संशोधन की मांग है। सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के गुण-दोषी की जांच कर रही है।

आधुनिक थ्री डी सिमूलेटर की संस्थापना

4953. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी लड़ाकू विमानों में आधुनिक थ्री डी सिमूलेटर संस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिमूलेटर की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर अनुमानित कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) देश में सभी लड़ाकू विमानों में इसके कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) भारतीय वायु सेना के किसी लड़ाकू विमान में सिम्यूलेटर लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

4954. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई. वी. आर. आई) ने एक नया रैबीज टीका विकसित किया है जिसका परीक्षण पादपों पर किया गया था जैसा कि दिनांक 13 अप्रैल, 2008 के जनसत्ता में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दवाओं/टीकों का परीक्षण करने हेतु ऐसे विकल्प देश में अन्य दवाओं/टीकों के लिए भी विकसित किए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) कोई नया रैबीज टीका विकसित नहीं किया गया है तथा पादपों पर परीक्षण नहीं किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8667/2008]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8668/2008]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 1 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 152 (अ) जो 28 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 के प्रवर्तन में लाने हेतु 1 फरवरी, 2008 की तारीख नियत की गई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8669/2008]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8670/2008]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 3456 को 8 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 20 अथवा इस से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कतिपय स्थापनाओं को उक्त अधिनियम की स्थापनाओं के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8671/2008]

(5) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियम, 2008 जो 31 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 8672/2008]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) पहला संशोधन आदेश, 2007 जो 3 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2069 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 2007 जो 1 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पादप करंतीन (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2006 जो 31 अक्तूबर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1873 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) का.आ. 1353 (अ) जो 24 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1121 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8673/2008]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) अपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8674/2008]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं श्री तस्लीमुद्दीन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कंज्यूमर कोआर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंज्यूमर को आर्डिनेशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8675/2008]

(3) (एक) वॉइस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वॉइस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8676/2008]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुसतान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8677/2008]

(3) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2008–2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8678/2008]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 117 (अ)/आ.व./गन्ना जो 29 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2007–2008 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ना का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 166 (अ)/आ.व./गन्ना जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2005–2006 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये गये हैं।

(तीन) सा.का.नि. 165 (अ/आ.व./गन्ना जो 5 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2006–2007 के चीनी वर्ष के लिए उसमें उल्लिखित चीनी मिलों द्वारा संदेय गन्ने की न्यूनतम मूल्य निर्धारित की गई हैं।

[ग्रंथालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 8679/2008]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) टेलिक्म्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलिकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8680/2008]

(2) भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूर संचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008 जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 15–2/2008–आरई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8681/2008]

(3) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 28 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 238 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8682/2008]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री के रूप में ये आपका पहला हस्तक्षेप है इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

अपराह्न 12.30 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है।

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 25 अप्रैल, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 25 अप्रैल, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथापारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

69वां से 71वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन व (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा में प्रस्तुत करता हूं:–

(1) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अविवेकपूर्ण रूप से अनुदान जारी किया जाना" के बारे में 69वां प्रतिवेदन।

(2) "निर्णय लेने में विलम्ब के कारण अपरिहार्य व्यय–चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट" के बारे में लोक लेखा समिति के 49वें प्रतिवेदन पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

(3) "मांगों को अंतिम रूप देने में विलम्ब" के बारे में लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन पर की–गई कार्यवाही संबंधी 71वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

135वां से 139वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. पी.पी. कोया (लक्षद्वीप) : महोदय मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 135वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 136वां प्रतिवेदन।

(3) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 137वां प्रतिवेदन।

(4) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008–09) के बारे में 138वां प्रतिवेदन।

(5) मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में 139वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 14वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 01 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में अंतर्विष्ट लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेशों के अनुसरण में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) की 14वें, 17वें और 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

रक्षा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा का 14वां प्रतिवेदन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ), 17वां प्रतिवेदन 'हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड के गहन अध्ययन और महत्वपूर्ण संवीक्षा' तथा 18वां प्रतिवेदन 'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड' के गहन अध्ययन और महत्वपूर्ण संवीक्षा' से सम्बद्ध है। 14वां प्रतिवेदन 02 अगस्त, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। 17वां प्रतिवेदन 04 मई, 2007 को और 16वां प्रतिवेदन 07 मई, 2007 को प्रस्तुत किया गया था। ये प्रतिवेदन राज्य सभा में उसी दिन अर्थात् 02 अगस्त 2007, 04 मई 2004 और 07 मई 2007 को प्रस्तुत किए गए थे।

14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्टि सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई के विवरण रक्षा संबंधी स्थायी समति को 25 जून 2007 को भेजे गए थे। 17वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के विवरण 19 जुलाई 2007 को और 18वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के विवरण 10 अगस्त 2007 को रक्षा संबंधी स्थाई समिति को भेजे गए थे।

समिति द्वारा अपने 14वें, 17वें, और 18वें प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वबन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध एक दो और तीन में क्रमिक रूप से दिए गए हैं जोकि सभा-पटल पर रखा गया है। इन अनुबंधों की सारी विषय-वस्तु पढ़कर मैं सभा का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

---

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8683/2008

अपराह्न 12.05½ बजे

(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के अनुसरण में 1 दिसम्बर, 2004 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निदेशों के अनुसरण में श्रम संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

समिति का बीसवां प्रतिवेदन श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित है जिसे 26 अप्रैल, 2007 को सभा के पटल पर रखा गया था। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय ने इस प्रतिवेदन पर 20 जुलाई, 2007 को समिति को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसे समिति ने अपने 23वें प्रतिवेदन रिपोर्ट में नोट किया है।

बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे माननीय सदस्यों को परिचालित किया गया है। मैं इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) भारत के पोलर सेटेलाईट लांच व्हिकल (पी एस एल वी-सी 9 द्वारा 10 सेटेलाइटों का सफल प्रक्षेपण)

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : महोदय, मुझे इस महान सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज (अप्रैल 28, 2008) को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी एस एस वी-सी 9) ने कार्टोसैट-2 ए, भारतीय मिनी उपग्रह-1 (आई एम एस-1) और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के आठ नेनो उपग्रहों को अपेक्षित

* सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 8684/2008

कक्षा में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एस डी एस सी), श्रीहरिकोटा से आयोजित पी एस एल वी की लगातार 12वीं सफल उड़ान है। इसकी सभी प्रणालियां संतोषजनक रूप में कार्य कर रही है। केवल कोर संरूपण में प्रमोचित पी एस एल वी–सी 9 ने लगभग 820 कि. ग्रा. कुल वजन वाले दस उपग्रहों को प्रमोचित किया।

जनवरी 10, 2007 प्रमोचित कार्टोसैट–2 के समान 690 कि. ग्रा. भार वाला कार्टोसैट–2 ए एक अत्याधुनिक सुदूर संवेदन उपग्रह। इस उपग्रह से प्राप्त लगभग एक मीटर विभेदन वाले आंकड़ों का भूकर स्तर, शहरी एवं ग्रामीण अवसंरचना विकास और प्रबंधन के विस्तृत मानचित्रण अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाएगा।

कार्टोसैट–2ए के साथ बहुत सी नई प्रौद्योगिकियों तथा लघु पैमाना उप प्रणालियों से युक्त 83 कि. ग्रा. के भारतीय मिनी उपग्रह–1 (आई एम एस–1) को भी सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के उपयोग हेतु क्षमता निर्माण में आवश्यक गति प्रदान करने के लिए इस मिशन से प्राप्त आंकड़े विकासशील देशों के विद्यार्थी समुदाय और इच्छुक अंतरिक्ष एजेंसियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

पी एस एल वी–सी 9 पर प्रमोचित आठ नेनो–उपग्रहों को कनाडा के विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थाओं तथा कॉसमॉस इंटरनेशनल, जर्मनी द्वारा निर्मित किया गया है।

पी एस एल वी–सी 9 के इस प्रमोचन ने विधि प्रकार की कक्षाओं में उपग्रहों के प्रमोचन तथा बहु उपग्रह मिशनों के अयोजन की विश्वसनीयता एवं बहुआयामी क्षमता को भी एक बार फिर से दोहराया है। मुझे विश्वास है कि इस शानदार उपलब्धि के लिए अध्यक्ष, इसरो और उनकी टीम को बधाई देने में यह महान सदन मेरे साथ होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैंने अध्यक्षपीठ से पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, इसके साथ ही हमें प्रमोचन प्लेटफार्म बनाने वाली सरकारी कंपनी मेक्कौन लिमिटेड को भी बधाई देनी चाहिए।

श्री पृथ्वीराज चव्हाण : हम इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देते है।

अध्यक्ष महोदय : सभा इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई देती है। इस मामले को उठाने के लिए आपका धन्यवाद।

[ग्रंथालय मे भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8685/2008]

अपराह्न 12.07 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि यह सभा 25 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य–मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"कि यह सभा 25 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाएंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, एक मामला उठा था कि एक मंत्री महोदय ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, क्या मैं एक विनम्र अनुरोध कर सकता हूं?

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : ...* *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने महत्व या गैर महत्व के बारे में कोई विचार नहीं किया है। मैंने आपसे केवल नियमों का पालन व सेवा का अनुरोध किया है। आपका कहना है कि आपने प्रस्ताव का एक नोटिस भेजा है। मैं इसे देखूंगा तथा मैं अपना मेरा दृष्टिकोण कल सुबह बताऊंगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने इसे 'शून्य काल' में उठाने के लिए नोटिस भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रस्ताव नहीं है।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने आपसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उनके ऑफिस का इतना मिसयूज हुआ है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : ...*

अपराह्न 12.08 बजे

(इस समय डा. सी. कृष्णन आए और सभा–पटल के निकट खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? वहां जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं करें।

...*(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना वक्तव्य दे दिया है, ठीक है। इस मुद्दे पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है।

...*(व्यवधान)***

अपराह्न 12.09 बजे

(इस समय डा. सी. कृष्णन अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा तथा जो ग्राह्य नहीं है उसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम लोगों ने भी शपथ ली है कि ठीक ढंग से काम करेंगे।

....*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने सदन में शपथ ली है, उसमें कहीं भी नहीं है कि भ्रष्टाचार के बिन्दु पर सदन मौन रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : शपथ में यह भी नहीं है कि हाउस में गड़बड़ करेंगे, डिसटर्ब करेंगे।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह कहते हैं कि इसका मैसेज कोई बहुत अच्छा नहीं जाएगा। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा यदि आप उचित प्रस्ताव दें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि मैं पूरे दायित्व के साथ निश्चित रूप से उस किसी भी प्रस्ताव पर विचार करूंगा जो कि आप नियमानुसार देंगे।

इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूं? यदि आपने यह दिया है, तो मैं इस बारे में आपको सूचित करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, नटवर सिंह जी के मामले में हाउस में डिसकस हो चुका है, बाकी मामले भी डिसकस होते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा साहब, आपने मुद्दा रखा है, हम इसे देखेंगे, किसी को रोकने की हमारी मंशा नहीं।

[अनुवाद]

आप दोनों सम्माननीय एवं जिम्मेदार सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हमे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आना चाहिए। श्री लोनाप्पन नम्बाडन,

[हिन्दी]

ये बहुत इम्पोरटेंट इशु उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलत नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी टाइम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप चले जाते हैं, हम किस के लिए बैठते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप हमें बोलने नहीं देते, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सदस्य सदन से बाहर जा रहे हैं? मैंने सोचा कि आप मंत्री जी की ओर से ऐसा कर रहे हैं; आप उनके विरुद्ध हैं! मैं समझ नहीं पाया।

अपराह्न 12.11 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, श्री प्रभुनाथ सिंह, डा. सी. कृष्णन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपको रास्ता निकालना होगा। आपको यह लिखित में देना होगा।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम) : अध्यक्ष महोदय, भारत में एक लाख से अधिक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन समूह हैं। अकेले दिल्ली में ही 61,000 पंजीकृत गैर सरकार संगठन समूह हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें से अधिकांश गैर सरकारी संगठन समूह कार्यशील नहीं है तथा इन समूहों में से 80 प्रतिशत अपने कार्यकारण के बारे में उचित अभिलेख नहीं रखते हैं। इन समूहों में से 75 प्रतिशत अपनी आय तथा व्यय के आंकड़े नहीं बताते हैं।

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

ऐसे हजारों एनजीओ समूह हैं जो प्रतिवर्ष जाली दस्तावेज जमा कर करोड़ों रुपये का गबन करते हैं। 85 प्रतिशत एनजीओ समूह लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करते हैं।

महोदय, बहुत से राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता तथा जन-प्रतिनिधि अन्य देशों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और इस देश के गरीब लागों को इन एनजीओ समूहों के साथ सहयोग कर भ्रमित कर रहे हैं। महोदय, विद्यमान पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत भ्रष्ट एनजीओ समूहों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है तथा ये एनजीओ समूह केन्द्र सरकार के बिना किसी नियंत्रण के कार्य कर रहे हैं।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को भारत में पंजीकृत सभी एनजीओ समूहों के कार्यकलाप की तुरन्त जांच करवानी चाहिए तथा अनधिकृत एनजीओ समूहों का पंजीकरण रद्द करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री लोनाप्पन अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ की अवमानना एक आदत बन गई है। पूरी सभा में यह एक बीमारी बनती जा रही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अनिश्चित समय तक नहीं बोल सकते।

[हिन्दी]

क्या बात है?

[अनुवाद]

मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये बहुत महत्वपूर्ण इश्यू उठाये जा रहे हैं। आप अकेले ही सारा टाइम ले लेंगे तो कैसे होगा?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही समय है जब आप कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं आज सभा के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं, जोकि भारत में सबसे भयंकर रूप से मलेरिया के फैलने से संबंधित है। मलेरिया घातक प्लासमोडियम फाल्सीपरूम परजीवी से फैलता है, जो कि भारत में आम होता जा रहा है। हालांकि मलेरिया के मामलों की संख्या घट रही है, 1996 में यह 30 लाख थी, जो 2006 में घटकर 16 लाख हो गई है। प्लासमोडियम फाल्सीपरूम द्वारा फैले संक्रमण के मामले 38 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत हो गए हैं। उड़ीसा जैसा राज्य, जहां हमारी लगभग तीन प्रतिशत जनसंख्या है, वहां के फाल्सीपरूम के भारत के 28 प्रतिशत मामले सामने आए हैं। झारखण्ड, छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में भारत में मलेरिया के 60 प्रतिशत मामले प्रकाश में आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश में प्लासमोडियम फाल्सीयरूम के कारण अधिक अनुपात में मौतें हुई हैं। चूंकि मलेरिया दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, जिससे कि 83 प्रतिशत जनसंख्या को खतरा है, इसे देखते हुए आर्टिमिसिजिन आधारित कंबीजनेशन थेरेपी (ए सी टी) का विस्तार करने की आवश्यकता है। बहु दवा रोधक मलेरिया की उत्पत्ति मेकोंग क्षेत्र से हुई और यह पश्चिम में म्यांमार तक फैल गया तथा अब यह बंग्लादेश पहुंच रहा है। यह शीघ्र ही भारत पहुंच जाएगा। इस पर विचार करते हुए क्या सरकार तत्काल मलेरिया औषधि नीति में परिवर्तन करने तथा ए सी टी का और विस्तार करने जा रही है?

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं स्वयं को उनसे संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। पूरी सभा इस मुद्दे पर संबद्ध है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में विश्व विख्यात अन्तरिक्ष संगठन 'नासा' द्वारा ओजोन मॉनीटरिंग सैटेलाइट के माध्यम से ओजोन की पोजीशन के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है और उसमें ओजोन की पोजीशन की तस्वीरें ली गई हैं। उन तस्वीरों के आधार पर अमरीका की सायंटिफिक मैगजीन में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार भारत के कई शहरों पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के बादल मंडरा रहे हैं। जहां भारत के अन्य शहरों का नाम है, वहां उसमें विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र चन्द्रपुर के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड के सबसे ज्यादा बादल बताए गए हैं। जहां ऐसे खतरनाक बादल मंडराते हैं, वहां एसिड रेन होने की भारी आशंका होती है और आशंका के कारण मनुष्यों एवं अन्य जीवों की जान को भारी खतरा हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन बेकसूर लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक पहल करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह महत्वपूर्ण मामला है और इसका ध्यान रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां देश का सबसे बड़ा पांवर प्लांट चन्द्रपुर में है, जिसमें 2340 मैगावाट बिजली बनती है। इसके अलावा सीमेंट, स्टील एवं पेपर के अनेक उद्योग हैं। इन उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो संयंत्र लगाए जाने चाहिए, वे नहीं लगाए जाते हैं। केन्द्र और राज्य सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनके द्वारा इसकी मॉनीटरिंग ठीक प्रकार से नहीं होती और पॉल्यूशन पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि इस शहर के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड के बादल मंडराने से लोगों की जान को खतरे की जो आशंका पैदा हुई है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार पहल करे और राज्य सरकार को निर्देश दे कि आने वाले समय में लोगों को खतरे से बचाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि इस मामले पर ध्यान दिया जाना है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, मैं अपने स्थान पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी स्थिति सामने नहीं आएगी।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : जी हां, मैं केवल वित्त विधेयक पर बोलने वालों के नाम देखने का प्रयास कर रहा था।

मुझे बोलने का यह अवसर देने के लिए महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस सभा का ध्यान देश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उनके वेतन को 500 रुपए तथा हेलप्रों के वेतन को 250 रुपए बढ़ाने के लिए सरकार तथा वित्त मंत्री को बधाई देता हूं।

महोदय, प्रशासन इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दूर–दूर उनके कार्य स्थलों पर भेजता है और उन्हें यात्रा भत्ते का भुगतान भी नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें उन्हें सर्वेक्षण करने अथवा स्वः सहायता समूह बनाने आदि जैसे कई अन्य कार्य करने पर विवश करती हैं। उनके कार्य के निर्धारित घंटे नहीं होते। उन्हें रजिस्टर खरीदने के लिए भी कहा जाता है। अपने राज्य में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इन कार्यकर्ताओं को एक बच्चे का नाश्ता बनाने के लिए 5 ग्राम तेल दिया जाता है। उन्हें प्रति बच्चा 5 ग्राम खाद्य तेल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें दिए जा रहे खाद्यान्न और अन्य स्नेक्स की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। चूंकि भर्ती नीति राज्य सरकार के जिम्मे होती है, वे समाज का सबसे कमजोर वर्ग होते हैं। वे यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें 1000/– रुपए की मामूली खर्च दी जाती है, जिसमें, अब हाल ही में वृद्धि की गई है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हाल ही में की गई 500 रुपए की वृद्धि के साथ उनके वेतन का भुगतान जून माह से आरम्भ किया जाना चाहिए। स्थिति बहुत खराब है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी भर्ती के लिए कुछ नियम बनाएं तथा देशभर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए भी एक तंत्र होना चाहिए। उनकी स्थिति इतनी खराब है कि इन्हें मामूली सी राशि का भुगतान किया जाता है और उनसे कड़ा परिश्रम कराया जाता है।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं को उनके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले – उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के लिए गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, बलिक यह भारत की संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई है। गंगा नदी हमारे देश में अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि वर्ष 2030 तक गंगा विलुप्त हो जाएगी। उसके कई कारण हैं। करीब 20 किलोमीटर तक हमारे जो ग्लेशियर्स थे, वे गल गये हैं और आने वाले वर्षों में 30 मीटर की दर से हर साल ग्लेशियर गल रहे हैं। अगर यही प्रक्रिया बनी रही तो गंगा बचेगी नहीं।

मैं इलाहाबाद से आता हूं। इलाहाबाद में हर साल माघ मेला लगता है और 6 और 12 साल में कुम्भ मेला लगता है, जहां लाखों और करोड़ों लोग आते हैं।

मैं आपसे मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि गंगा प्राधिकरण बनाये और गंगा को बचाने के लिए गंगा नदी में पानी छोड़ा जाये। आज गंगा इलाहाबाद में इस तरह से बह रही है, जैसे कोई नाला हो। वहां पूरी गंदगी उस नाले में जा रही है। मैं मांग करूंगा कि वहां सी. पी लगाया जाये और गंगा में पानी छोड़ा जाये। केवल बांधों में पानी रोक कर गंगा को प्रवाहित होने से जो रोका जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करिये।

श्री रेवती रमन सिंह : मान्यवर, आप निर्देश तो दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको सुना है, हमने आपको एलाऊ किया तो वही निर्देश है।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयले पर चलने वाले इंडस्ट्रीज की कैफियत यहां रखने वाला हूं।

आज से छः माह पहले सरकार ने कोल वितरण नीति की घोषणा की थी। तब कोयले की सहायता से इंडस्ट्री चलाने वाले व्यवसायियों और छोटे उद्योग वालों ने राहत की उम्मीद की थी। आज छः माह के बाद भी सरकार और कोल इंडिया में असमंजस बरकरार है। इस नीति पर दिए गए दिशा–निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। इस कोयला नीति के तहत सरकार ने 4000 टन प्रतिवर्ष कोयला लेने वालों को एक फ्यूल सप्लाई ग्रीमेंट (एफ.एस.ए.) करने को कहा है। इसमें कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को नोर्मेटिव क्वाण्टिटी का 75 प्रतिशत कोयला देने का एफ.एस.ए. करने को कहा था। परन्तु कोल इंडिया और उसकी कोल कम्पनी ने एम.पी. क्यू. अर्थात् मिनिमम परमीसिबल क्वाण्टिटी के 75 प्रतिशत एफ.एस.ए. करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। अर्थात्, जिस कंपनी का नोर्मेटिव क्वाण्टिटी 6000 टन है, और बाद में इसका एम. पी.क्यू. 2000 टन हो गया हो तो कोल डिस्ट्रब्यूशन पालिसी के अनुसार इन्हें 4500 टन कोयला मिलना चाहिए, जबकि कोल इंडिया ने एम.पी. क्यू का 75 प्रतिशत अर्थात् 1500 टन का एफ.एस.ए. करने के लिए सर्कुलर जारी किया है।

मैं यहां कहूंगा कि हमारे यहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारी पालिसी है, उससे कम्पनियां बन्द हो रही हैं और हमारे सारे एम्पलाइज बेरोजगार हो रहे हैं यह मेरे क्षेत्र की बात है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे उठाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने इसकी अनुमति दी है। आप अपनी बात संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से कहें। आपको भाषण नहीं देना है।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान, अमरीका में भारतीय कामगारों के सामने आ रही गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। समाचारपत्रों में कुछ विज्ञापनों के माध्यम से किसी भर्ती एजेंसी द्वारा अनेक कामगारों को भर्ती किया जाता है और उन्हें अमरीका भेजा जाता है। उन्हें एच 2 बी बीजा दिया जाता है और इस बीजा की विशेषता यह है कि यह केवल दस माह के लिए वैध होता है। इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। हालांकि उन्हें स्थायी किए जाने, बेहतर वेतन तथा अन्य सारी सुविधा दिए जाने का वादा किया जाता है, लेकिन अमरीका में स्थिति वास्तव में बहुत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : यहां सरकार क्या कर सकती है? वह भर्ती करने वाले एजेंट को प्रतिबंधित कर सकती है।

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत में भी श्रम कानून है और अमरीका में भी श्रम कानून हैं। ये भर्ती एजेंसियां हैं, जो कामगारों का शोषण कर रहीं हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत में अमरीका के राजदूत से इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। उनमें से अधिकांश कामगार केरल के हैं। उनके रिश्तेदारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उन्हें डर है कि वे वापस भी लौट पाएंगे या नहीं। वे उन्हें अन्य कंपनियों में भी रोजगार देने को तैयार नहीं है क्योंकि एच 2 बी बीजा के तहत वे अन्य स्थानों पर नहीं जा सकते। इसलिए, इन लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार को अमरीकी राजदूत के साथ इस विषय पर बातचीत करने की पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री भानु प्रताप सिंह — उपस्थित नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इम्पोर्टेंट मैटर का नोटिस देते हैं और एबसेंट रहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती के. रानी (रासीपुरम) : महोदय, मैं माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूं।

नमक्कल में बी एस एन एल द्वारा टॉवर न लगाए जाने के कारण लोगों को प्री–पेड और पोस्ट–पेड कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।

यद्यपि टॉवर हेतु पर्याप्त अवसंरचना पहले ही–तैयार है, परन्तु मोबाइल स्थल पर टॉवर लगाने के लिए सरकार से पिछले दो वर्षों में 'मोबाइल उपकरण' अथवा 'दूरभाष उपकरण' प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण बी एस एन एल अथवा विभाग को राजस्व की हानि हो रही है क्योंकि लोग निजी कंपनियों से कनेक्शन ले रहे हैं।

बी एस एन एल अथवा एम टी एन एल नेटवर्क के कनैक्शनों की एक समस्या यह है कि अक्सर लोगों को 'नेटवर्क कनैक्शन में खराबी' जैसे कुछ मानक संदेश प्राप्त होते रहते हैं, जबकि निजी कंपनियों के यहां ऐसी समस्या नहीं है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम आपात कॉल तो क्या सामान्य कॉल भी नहीं कर पाते।

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और इन समस्याओं का समाधान करें।

अपराह्न 12.26 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा मान लिया जाए।

(एक) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस. वी चित्तन (डिंडीगुल) : वेतन में बढ़ोत्तरी संबंधी छठे वेतन आयोग की सिफारिशें ज्यादातर उच्च वर्ग के अधिकारियों के लिए उपयोगी है जबकि दूसरे कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि बहुत ही सीमित है। केंद्र सरकार के निम्न काडरों के अधिकारियों को लाभ प्रदान करने के लिए यह उचित होगा कि सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दिया जाए।

इससे केन्द्रीय सरकार सभी काडरों के कर्मचारियों को समान रूप से लाभ होगा।

सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने से रोजगार के अवसरों में कोई बाधा नहीं आएगी क्योंकि कम्प्यूटर में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ज्यादातर युवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, निजी क्षेत्र आदि में रोजगार तलाशते हैं। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती लगभग नगण्य रही है, इसलिए यह कहना गलत है कि सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किये जाने से यह रोजगार अवसरों में बाधक बनेगी।

पूरे भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किया जा चुका है। अतः यह इस बात का सबूत है कि 62 वर्ष की आयु के बाद भी सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी कर्त्तव्यों को उतने ही अच्छे ढंग निभा सकेंगे।

अनुभव पर आधारित विशेषज्ञता और प्रभावकारिता अधिक सर्जनात्मक और इसको उपयोग में लाया जा सकेगा।

*सभापटल पर रखे माने गए।

यदि सेवा निवृत्ति को आयु की 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 किया जाता है तो जीवन प्रत्याशा दर बढ़ गई है और आज वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे है। और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्धता के कारण वे सरकारी काम काज को दो और वर्षों तक प्रभावी ढंग से करने के लिए वे मानसिक और शारीरिक तौर से सक्षम हैं।

(दो) ओ एन जी सी द्वारा तेल और गैस निकाले जाने के पश्चात् भूमि उसके असली मालिकों को वापस किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना जिले में ओ एन जी सी द्वारा गैस एवं तेल निकालने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाती है इसमें किसानों की कुछ जमीन का अधिग्रहण स्थायी रूप से होता है परन्तु तेल एवं गैस हमेशा नहीं निकलता है। अतः किसी जमीन पर से जब गैस एवं तेल निकाल लिया जायें तो उस जमीन को उसी किसान को वापसि कर देना चाहिए जिससे वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। अभी ओ एन जी सी गैस एवं तेल निकालने के बाद जमीन को वैसे ही पड़ा रहने देती है जिससे जमीन का उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि जिस किसान की जमीन से गैस एवं तेल निकाला जाये उन किसानों को शेयर होल्डर का दर्जा भी दे क्योंकि जिन नियमों से जो किराया और मुआवजा दिया जाता है वह काफी कम होता है जो किसानों के लिए ठीक नहीं है। साथ ही किराया और मुआवजा जो दिया जाये उसमें समानता होनी चाहिए क्योंकि स्वयं लेने, डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से लेने एवं न्यायालय के माध्यम से लेने में काफी असमानता होती है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिन किसानों की जमीन से ओ एन जी सी गैस निकाल चुका है उनको उन्हीं किसानों को वह जमीन वापिस करें जिनसे वह अधिग्रहीत की गई थी।

(तीन) बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की घोषणा नेपाली भाषा में किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन उत्तरी बंगाल का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह सभी पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग, नेपाल और बंगलादेश का प्रवेश द्वार है। इन क्षेत्रों से देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले लोग न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान और नेपाल के बड़ी संख्या में नेपाली भाषी लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ते हैं।

अभी तक नेपाली भाषा में उद्घोषणा करने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में, ट्रेनों की समय-सारणी आदि को उद्घोषणाएं हिन्दी, बंगाली और अंग्रेजी में की जाती हैं, जिससे नेपाली/गुरखाली भाषी यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए मैं, माननीय रेलमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ट्रेनों की समय-सारणी आदि की उद्घोषणाएं नेपाली भाषा में भी शुरू करें, ताकि यह न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने वाले नेपाली/गुरखाली भाषी यात्रियों के लिए भी सहायक हो सके।

(चार) वैक्सिन मैन्यूफैक्चरिंग पास्चर इंस्टीट्यूट, कुन्नूर, बीसीजी वैक्सिन लेबोरेटीज चेन्नै और सैन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, हिमाचल प्रदेश को बंद किए जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पौस्टिर इंस्टीट्यूट कुन्नूर, बी सी जी वैक्सीन, चेन्नै और सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट कसौली (हिमाचल प्रदेश) इन तीन काफी पुरानी वैक्सिन विनिर्माण इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया था, क्योंकि ये इकाइयां उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अनुपालन नहीं कर रही थीं। तीनों इकाइयां, जो कि डीपीटी, बीसीजी और पोलियो जैसी प्राथमिक वैक्सिनों का विनिर्माण करती हैं, वे दशकों से रोजमर्रा के टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से वैक्सिनों की आपूर्ति करती आ रही हैं। तपेदिक के लिए बीसीजी वैक्सिन की समस्त 8 करोड़ खुराकों की आपूर्ति चेन्नै स्थित बीसीजी वैक्सिन लैबोरेट्री द्वारा की जाती है। जबकि सी आर आई, कसौली और पैस्टियर इंस्टीट्यूट, कुनूर द्वारा भारत में आधे से ज्यादा अपेक्षित डी बी टी खुराकें अपलब्ध कराई जाती हैं। पीत ज्वर वैक्सिन जैसी अन्य वैक्सिनों का एशिया में केवल कसौली इकाई में विनिर्माण किया जाता है। उन्हें स्टॉक में से वैक्सिनों की आपूर्ति न करने का निदेश दिया गया और इसलिए उन्हें केन्द्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण (सी एल ए ए) द्वास कच्चे माल की खरीद बंद करनी पड़ी। पैस्टियर इंस्टीट्यूट ने रैबीज-रोधी वैक्सिन केवल 10 रुपये में बेची। इस इंस्टीट्यूट के बंद होने के पश्चात, अब इसे खुले बाजार में 370 रु. से 1200 रु. में बेचा जा रहा है। इन तीन इकाइयों द्वारा वैक्सिन का उत्पादन अचानक बंद कर दिए जाने के कारण लगभग 38 करोड़ भारतीय बच्चों को कोई वैक्सिन नहीं मिल पाएगी।

निजी क्षेत्र से वैक्सिन की खरीद संपूर्ण भारतीय जनसंख्या, विशेषकर गरीबों को भारी जोखिम में डाल देगी और इन वैक्सिनों को खरीद पाने में समर्थ भी नहीं हो पायेंगे।

भारत सरकार ने इन तीन इकाइयों के बदले में चेंगालपट्टू, तमिलनाडु में एक केन्द्रीय वैक्सिन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उपरोक्त केन्द्रीय वैक्सिन पार्क के खोले जाने तक, इन तीनों वैक्सिन इकाइयों में वैक्सिनों का उत्पादन जारी रखने दिया जाए, अन्यथा देश में वैक्सिनों की भारी कमी हो जाएगी और सभी नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।

(पांच) राजस्थान में भिवाड़ी-अलवर मार्ग को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से धारुहेड़ा व भिवाड़ी से अलवर जाने वाले मार्ग पर यातायात में गत वर्षों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई है। भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी व आसपास के अन्य क्षेत्रों के तीव्र औद्योगिक विकास व बढ़ती हुई आवासीय कालोनियों के कारण भिवाड़ी–अलवर मार्ग अब मांग के अनुरूप छोटा पड़ता है। भिवाड़ी–अलवर मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की महती आवश्यकता है। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि भिवाड़ी–अलवर मार्ग को चार लेन में परिवर्तित किये जाने हेतु केन्द्रीय सड़क निधि से बजट आबंटित करें।

(छह) गुजरात के अमरेली और भावनगर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और लहसुन की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. के. ठुम्मर (अमरेली) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के सौराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली एवं भावनगर में गेहूं एवं लहसुन की फसल अच्छी हुई है। फसल अधिक होने से किसानों को न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर अपना गेहूं एवं लहसुन बेचना पड़ रहा है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं एवं लहसुन खरीदा नहीं जा रहा है जिसके कारण मजबूरी में उन्हें अपना गेहूं एवं लहसुन बेचना पड़ रहा है। व्यापारियों ने किसानों से कम मूल्य पर गेहूं खरीदना शुरू कर दिया है। यह किसानों के हित में नहीं है। सरकारी एजेंसियों ने अभी तक किसानों से गेहूं एवं लहसुन नहीं खरीदा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं एवं लहसुन का निर्धारित किया गया है उस मूल्य से कम पर गेहूं एवं लहसुन को बेचने के लिए किसानों को मजबूर न होना पड़े।

(सात) मध्य प्रदेश में शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शहर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर बाईपास मार्ग और मक्सी रेलवे क्रासिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 जो आगरा–मुम्बई राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, के शाजापुर शहर हेतु बाईपास रोड, मक्सी रेलवे क्रासिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण और उक्त मार्ग को चार लेन का बनाने की महती आवश्यकता है। इन तीनों कार्यों के निर्माण हेतु लम्बे समय से स्वीकृति आदि की कार्यवाही चल रही है। मक्सी आर. ओ. बी 2006 से स्वीकृत है फिर भी काम चालू नहीं हो रहा है। कारणवश जन असंतोष व्याप्त है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन तीनों कामों विशेषकर शाजापुर बाईपास और मक्सी आर.ओ.बी का काम शीघ्र करवाने की कृपा करें।

(आठ) बड़े शहरों में उपचार के लिए यात्रा करने वाले सिकल सेल के रोगियों को रेल किराए में रियायत दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : हमारे देश में पहले से ही 'सिकल–सैल' रोगियों की संख्या बहुत अधिक है और इनकी संख्या में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह एक अनुवांशिक रोग है। सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया एक तरह का रक्त विकार है, जिसमें रक्त कोशिकाएं एक असामान्य, अनम्य और सिकल आकार धारण कर लेती हैं। सिकल आकर होने से कोशिकाओं की नम्यता कम हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों के माध्यम से संचालन प्रतिबंधित हो जाता है, और डाउनस्ट्रीम टिश्यूज ऑक्सीजन से वंचित हो जाती हैं। ह्रदय और गुर्दे में रक्त की कम आपूर्ति के कारण सिकल सेल रोग के मरीजों की ह्रदयाघात और गुर्दे खराब होने का ज्यादा खतरा रहता है, जिसमें उनकी मृत्यु तक हो सकती है और गंभीर शारीरिक नुकसान हो सकते हैं जैसे कि जोड़ों, पैरों और हाथों में सूजन और दर्द। यह रोग पुराना और दीर्घकालिक है, लोग बाहर से अक्सर स्वस्थ नजर आते हैं, किंतु उनके जीवन में आवधिक तौर पर दर्दनाक आघात आते रहते हैं और विभिन्न अन्य जटिलताओं का खतरा बना रहता है। इस रोग के मरीज को जीवन प्रत्याशा घट जाती है। कोशिकाओं को अवरुद्ध करने वाली और किसी अंग में रक्त प्रवाह को बाधित करने वाली सिकल आकार की रक्त कोशिकाओं के फलस्वरूप अनिद्रा हो जाती है, दर्द रहता है और अंग खराब हो जाता है। सिकल–सैल रोग के मरीज को विभिन्न प्रकार के इलाज करने पड़ते हैं, जो कि छोटे गांवों/कस्बों में

उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें रक्ताधान करने और अन्य इलाज के लिए दूर दराज के शहरों के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। चूंकि सिकल–सैल रोग से पीड़ित ज्यादातर लोग गरीब और पिछड़े निचले तबके से हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, इसलिए वे इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप इस रोग से पीड़ित ज्यादातर मरीज बिना इलाज के ही मौत का शिकार हो जाते हैं। रेलवे कैलेसेमिया, एड्स, कैंसर और हृदय रोग के मरीजों को किराए में रियायत देता है। चूंकि सिकल सैल रोग के गरीब मरीजों को रक्ताधान करने और अन्य प्रकार के इलाज के लिए नियमित तौर पर अपने गांवों से बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि थैलेसेमिया, एड्स और कैंसर के मरीजों के समान ही सिकल सील रोग के मरीजों को भी अपने गांव से बड़े शहरों में इलाज के लिए जाने हेतु रेल किराये में रियायत दी जाए।

(नौ) राजस्थान के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एल पी जी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : झालावाड़ और बारन जिलो में एल पी जी सिलेंडरों की भारी कमी है। झालावाड़ के लोगों को अपने गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आम आदमी तक इस सुविधा को पहुंचाने के लिए सरकार ने और अधिक संख्या में डीलरों को नियुक्त करने की योजना बनाई थी, परंतु अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है।

झालावाड़ और बारन जिलों में आम आदमी को काफी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके कारण उनहेल, चुरेला, दाग, भवानीमंडी, सुनेल, पीरावा, झालावाड़, झालारपटन, खानपुर, एकलेश, मनोहर थाना, छिपाबारोड, छाबरा, अतरू, कातई, खेलवाड़ा, किशनगंज, शाहबाद में अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आम आदमी तक यह सुविधा पहुंच सके। हम आशा करते हैं कि इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार इस ओर ध्यान देगी।

(दस) राजस्थान के जिन किसानों की फसलें बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है, उन्हें आपदा राहत कोष से वित्तीय सहयता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के उदयपुर संभाग में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक पूरे सप्ताह बेमौसम की असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि और आंधी/तूफान का भीषण दौर रहा। इससे पूर्व दिसम्बर, 2007 से फरवरी, 2008 में पाले से खराबी के कारण सरसों का एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन प्रभावित हुआ है। राज्य में इस वर्ष सरसों का औसत से 6 लाख मीट्रिक टन कम उत्पादन हुआ है। राज्य सरकार ने 126 करोड़ रुपए की मदद स्वीकृत की है, जिसे किसानों ने नाकाफी बताया है।

वर्तमान में सरसों का बाजार भाव दो से ढाई हजार रुपए प्रति क्विंटल तथा समर्थन मूल्य 1825 रुपए प्रति क्विंटल है। बाजार भाव को छोड़ दें और केवल समर्थन मूल्य के लिहाज से ही देखें तो 6 लाख मीट्रिक टन सरसों का मूल्य एक हजार करोड़ रुपए से अधिक होता है। प्रदेश मं नुकसान की स्थिति इस प्रकार है:–

1. पाले से इस क्षेत्र के 22 जिले प्रभावित हुए थे। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनूं, सवाई माधोपुर में सर्वाधिक खराबी हुई है।
2. 8.96 लाख हेक्टेयर में फसलें खराब हुई थीं।
3. जीरे की फसल में 70 से 80 प्रतिशत की खराबी हुई है।
4. 3.45 लाख हेक्टेयर में 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबी हुई है।
5. मंडियों में रखी करोड़ों की गेहूं, मिर्च, सरसों की ढेरियां भीग जाने से गुणवत्ता में कमी आई है।
6. 1.40 लाख किसान प्रभावित हुए।
7. ओले से सरसों व चना के अलावा सब्जियों की फसलों में जोरदार खराबी हुई थी।
8. मवेशियों, पेड़ों की क्षति हुई है।

उदयपुर संभाग में खड़ी व कटी हुई फसलों को 20 से 25 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है।

मेरा कृषि मंत्री व प्रधानमंत्री से आग्रह है कि राजस्थान के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश को प्रकृतिक आपदा कोष से विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाये।

(ग्यारह) गुजरात के आनंद जिले के करमासद में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : जिला आनंद, गुजरात के करमासद में सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक विकसित किया जा रहा है। महान देशभक्त सरदार पटेल ने देश की राष्ट्रीय भावना को जाग्रत किया। वे भारत को स्वतंत्र, मजबूत और एकजुट देखना चाहते थे। रजवाड़ों को

समेकित करने की उत्कृष्ट उपलब्धि सहित उनके सभी कार्य इसी केन्द्रीय लक्ष्य से प्रेरित थे। वे बड़े ही उदार, विशालहृदयी विवेकशील और बुद्धिमान थे। उनमें संगठित करने की क्षमताएं भी थीं। वे गुजरात और भारत को बहुत प्यार करते थे और बिना संकुचित विचार रखे अपने देशी की विरासत के प्रति बहुत ही आदर दर्शाते थे। उन्हें प्रायः लौह पुरूष के नाम से जाना जाता था। सरदार पटेल और वीर विट्ठल की याद को मनाने के लिए और उन्हें संरक्षित करने के लिए करमासद में दोनों बंधुओं के लिए एक अनोखा संयुक्त स्मारक विकसित किया जा रहा है। इस समय दोनों बंधुओं के जीवन और कार्यों संबंधी सूचना कई स्थानों अभिलेखागारों और व्यक्तियों के पास हैं। इस स्कारक के द्वारा राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र जिसमें पत्रों श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों सहित प्रकाशित, अप्रकाशित और अभिलेखीय सामग्रियों को संरक्षण, सुधार और प्रसार हेतु एक स्थान पर लाया जाएगा; की स्थापना करके इस कमी को दूर करने का प्रस्ताव कर रहा है। स्मारक का प्रमुख लक्ष्य इसे एक जीवंत और बहुराष्ट्रीय संस्थान बनाने का है। स्मारक को पूरी तरह से शुरू करने के लिए श्रव्य-दृश्य उपस्कर, डिजीटल/वास्तविक ग्रंथागार उपस्कर, कम्प्यूटर और नेटवर्किंग उपस्कर, कार्यालय उपस्करों और फर्नीचर की आवश्यकता होगी। इन उपस्करों और सुविधाओं की कुल अनुमानित लागत 107 लाख रुपये होगी। स्मारक के अनुरक्षण और विकास के लिए 5.00 करोड़ की कायिक निधि की आवश्यकता है न्यास के अनुरक्षण के लिए 5.00 करोड़ रुपये की कायिक निधि स्वीकृत कराने के लिए गुजरात सरकार ने दिनांक 9.11.2006 के पत्र सं एसजेयू/102002/एम-3/एफ के द्वारा संस्कृति मंत्रालय को प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि 5.00 करोड़ रुपये की कायिक निधि तत्काल स्वीकृत की जाए।

(बारह) सहकारी बैंकों को धारा 80 पी के अंतर्गत आयकर में राहत दिए जाने और सहकारी जमा राशि पर 80 सी के अंतर्गत छूट भी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : सहकारी बैंक मुख्यतः लघु बचतों का संग्रहण कर गरीब, मध्यम और वेतनभोगी वर्गों को वहनीय दरों पर ऋण मुहैया कराते हैं। सहकारी बैंकों ने बड़ी संख्या में ग्रामीण और अर्द्ध शहरी लोगों को बैंकिंग सेवाएं और ऋण सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में बेहतर कार्य किए हैं। सरकार द्वारा नियुक्त अधिकांश समितियों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनकी सेवाओं की सराहना की गयी है। वस्तुतः इन समितियों का मत है कि सरकार को इन बैंकों को अतिरिक्त रियायत देकर और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।

परंतु भारत सरकार ने बजट 2006 में धारा 80पी के अन्तर्गत दी गयी छूट को समाप्त करके सहकारी बैंकों की आय पर भारी आयकर लगा दिया है। 30% का भारी आय कर लगाने से सहकारी बैंकों के स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने दशकों से दी जा रही कर राहत को समाप्त करने का निर्णय लिया है और भारी कर लगाया है। हालांकि बड़े निगम और साफ्टवेयर उद्योगों को कई सुविधाएं मिल रही हैं और वे 19% की दर से कर अदा कर रहे हैं। सहकारी बैंकों को कोई रियायत नहीं दी जा रही है और उन्हें 30% की दर से आय कर का भुगतान करना पड़ रहा है। यहां यह गौर करना प्रासंगिक होगा कि विश्व भर के 80 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रों ने सहकारी क्षेत्र को कर से राहत दी हुई है और शेष राष्ट्रों में कर बहुत ही कम दरों पर वसूल किए जा रहे हैं।

सहकारी बैंकों के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। अनुसूचित बैंकों में पांच वर्ष वाले बचतों को धारा 80सी के अन्तर्गत कर राहत दी जा रही है। यह राहत सहकारी क्षेत्र के बैंकों को नहीं दी जा रही। इससे बचत करने वाले व्यक्ति अनुसूचित बैंकों की और आकर्षित होने और सहकारी बैंक और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे।

अतएवं मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि धारा 80पी के अन्तर्गत सहकारी बैंकों को आय कर राहत फिर से दी जाए और सहकारी बैंकों के बचतों पर भी धारा 80सी के अन्तर्गत राहत दी जाए।

(तेरह) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 (ञ) के अनुसार सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2(ञ) में यथा अन्तर्विष्ट विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों को लागू करने, न्यूनतम मजदूरी लागू करने, भेषज के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों पर विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम लागू करने और विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए 24 अप्रैल, 2008 को विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों ने देश भर में हड़ताल की। इनके अतिरिक्त उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे भी रखी जो आम आदमी के हित से संबंधित थी। उनमें से एक (क) 354 आवश्यक दवाओं के उत्पादन शुल्क में 0% तक और शेष दवाओं पर 4% राहत देन से संबंधित थी और दूसरी (ख) नकली दवाओं की बिक्री रोकने और दवाओं के गैर कानूनी व्यापार को बंद करने से संबंधित थी।

माननीय श्रम और वित्त मंत्री कृपया इन मांगों पर विचार करें और समुचित कार्रवाई करें।

(चौदह) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : वर्तमान सरकार ने गांवों के विकास के संदर्भ में एक महत्वाकांक्षी योजना "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" वर्ष 2005 में शुरू की थी और लक्ष्य रखा कि 2009 तक देश के सभी गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, परंतु वर्ष 2006–07 में 40,000 गांवों की तुलना में मात्र 28,706 गांवों का ही विद्युतीकरण किया जा सका। योजना के तहत वर्ष 2006–07 हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया एवं अगले वित्तीय वर्ष 2006–07 (15 फरवरी–08) में कार्य का लक्ष्य ही कम कर मात्र 9,000 गांव ही विद्युतीकरण के लिए रखे गए पर इसे भी पूरा नहीं किया गया और इसमें से मात्र 7,077 गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया।

वर्ष 2008–09 में इस योजना के तहत 67,445 गांवो में विद्युतीकरण कार्य का लक्ष्य रखा गया है पर इसके लिए मात्र 5,500 करोड़ रुपए ही उपलब्ध करवाए गए हैं जबकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

यह अत्यधिक गंभीर मामला है सरकार मंत्रालयों द्वारा चालू की गई योजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दे जिससे गांवों के विकास का रास्ता खुले और देश में फैली बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी तमाम समस्याओं का समाधान हो सके।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग संख्या 29 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संसद में विगत कई वर्षों से मांग करता आया हूं। यदि उत्तर प्रदेश के राज्य मार्ग–29 जो कि बेवर से कटरा जाता है, को राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिया जाये तो इससे तीन राष्ट्रीय मार्ग आपस में जुड़ जायेंगे। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आपस में तीन जनपद भी जुड़ेंगे। यह जनपद है – फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई।

राष्ट्रीय राजमार्ग–91 जो इटावा से बेवर तक है, जिसकी लम्बाई मात्र 56 कि.मी. है, को यदि मात्र 100 कि.मी. और बढ़ा दिया जाये, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नं.–92 91 तथा दिल्ली गोरखपुर वाया बरेली राष्ट्रीय मार्ग आपस में जुड़ जायेंगे।

जनपद फर्रुखाबाद प्रदेश में सबसे अधिक आलू पैदा करता है, यह आलू विभिन्न प्रदेशों तक जाता है इसको ले जाने में सुगमता होगी, साथ ही साथ जलालाबाद (शाहजहांपुर) जो कि तहसील हैं, धान और अनाज की मुख्य मंडी है, के भी माल ढोने में आसानी होगी।

मेरी सरकार से मांग है प्रदेश राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कृपा करें।

(सोलह) विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस मेडल से पुरस्कृत पुलिस अधिकारियों को यात्रा में रियायत और प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस का एक विशेष बल 24 घंटे कार्यरत रहता है। इस बल में शामिल पुलिसकर्मी अपने घर परिवार से दूर सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपनी लगन का परिचय देते हुए देश की जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कार्य में वे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। मैं सरकार की सराहना करूंगा कि वह भी इन पुलिसकर्मियों के त्याग को स्वीकारती है और उन्हें विशिष्ट सेवा पदक तथा सराहनीय पदक प्रदान करती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह विशिष्ट पदक और सराहनीय पदक (विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक) प्राप्त पुलिसकर्मियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करें – रेल यात्रा में उन्हें एक सहयोगी के साथ द्वितीय श्रेणी (वातानुकूल) में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करें, हवाई यात्रा (निजी और सरकारी सभी विमान सेवाओं में) में, 75 प्रतिशत की छूट प्रदान करें, टेलीफोन के किराए में छूट दें, विशिष्ट सेवा/सराहनीय सेवा पदधारकों को प्रतिमाह क्रमशः 750 रुपए तथा 450 रुपए की नगद राशि का भुगतान करें तथा इन्हें आयकर में विशेष छूट प्रदान करें।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरी इस अनुशंसा पर सरकार विशेष ध्यान दे और इस पर तत्काल कार्रवाई करें।

(सत्रह) पूरे देश में "मई दिवस" को सवैतनिक अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं श्रमिकों के संबंध में एक अविलम्ब लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूं तथा इस दिवस, जिसे संपूर्ण विश्व में संघर्ष और बलिदान का द्योतक माना जाता है, को प्रदत्त अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता है।

संपूर्ण विश्व में मई दिवस को श्रम विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा सरकार द्वारा मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत 1 मई

को प्रत्येक वर्ष अवकाश घोषित किया जाता है। तमिलनाडु में पेरियार, अन्नादुरई तथा डा. कलाइंगर के शासन काल के दौरान मई दिवस को प्रदत्त अवकाश के रूप में घोषित किया जाता था। प्रधानमंत्री के रूप में श्री वी.पी. सिंह के कार्यकाल के दौरान हमारे नेता डा. कलाइंगर ने पहल की तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से मई दिवस को तमिलनाडु के समान संपूर्ण भारत में प्रदत्त अवकाश के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया। तथापि उस समय केन्द्र द्वारा इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत अवकाश घोषित किया गया था।

अब, वैश्विक रूप से अनेक परिवर्तन हो चुके हैं, अभी भी भारत सरकार मई दिवस को प्रदत्त अवकाश के रूप में घोषित करने के लिए आगे नहीं आई है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकर तथा माननीय प्रधानमंत्री जी से मई दिवस को प्रदत्त अवकाश घोषित करने का अनुरोध करता हूं जो कि श्रमिकों के अधिकारों को उचित पहचान प्रदान करेगा।

(अठारह) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दो नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उ.प्र. की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा संचालित नवोदय विद्यालय खासकर, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रही है और इसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कई जनपदों/जिलों में एक ही नवोदय विद्यालय होने के कारण अधिक से अधिक छात्रों को इन स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता है और भारी तादाद में छात्र अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं।

अतः मेरा विचार है और मैं मांग करता हूं कि पिछले जनपद फतेहपुर, उ.प्र. सहित देश के अन्य पिछड़े जनपदों/जिलों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना हो, इसके लिए सरकार आवश्यक कार्यवाही करे।

(उन्नीस) महाराष्ट्र में "लाखोड़ी" दाल के उत्पादन से प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, 1961 में महाराष्ट्र में उत्पादित होने वाली लाखोड़ी दाल एवं इससे उत्पादित वस्तुओं पर बिना किसी अनुसंधान के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा। यह प्रतिबंध केवल किताओं की वजह से लगाया गया था। केन्द्र सरकार ने राज्य को इस लाखोड़ी दाल पर लगे प्रतिबंध हटाने का अधिकार दिया था, परन्तु इस प्रतिबंध को अभी तक नहीं हटाया है। इस संबंध में महाराष्ट्र में अनशन हुए हैं। लाखोड़ी दाल के उत्पादन से किसानों को प्रति हैक्टेयर 14 हजार 7 सौ रुपए का फायदा होगा। यह चने एवं गेहूं से अधिक फायदे वाली फसल है। किसानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से देखा जाये तो लाखोड़ी दाल की फसल किसानों के लिए सबसे अच्छी फसल है। लाखोड़ी दाल से क्या नुकसान है इस पर जो अध्ययन किया गया है वह अभी तक नहीं पता लगा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि लाखोड़ी दाल पर लगे प्रतिबंध हटाया जाये।

(बीस) 1995 से चल रही पहली पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मकारों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : भारत में श्रमिकों के लाभ के लिए 1995 में पहली बार पहली पेंशन योजना उस समय आरंभ की गई थी जब श्री पी.वी. नरसिम्हाराव प्रधान मंत्री थे। इस योजना के तहत प्रदत्त पेंशन एक मामूली सी राशि थी जो कि श्रमिक द्वारा सामान्य जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब इस योजना को कार्यान्वित किया गया था, यह आश्वासन दिया गया था कि इस योजना का 10 वर्ष तक पुनरीक्षण किया जाएगा तथा जब पुनरीक्षण किया जाएगा तो श्रमिकों को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह आश्वासन भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया था। दस वर्ष की अवधि 15.11.2005 को समाप्त हो गई परंतु दिए गए आश्वासन के अनुसार पेंशन को वर्ष 1995, जबसे यह योजना लागू की गई है, से संशोधित नहीं किया है। श्रमिकों को केवल 600 रु. से 1000 रु. तक की राशि का भुगतान किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में बढ़ती हुई कीमतों के समय बिल्कुल ही मामूली राशि है। यह अकल्पनीय है कि पेंशन की इतनी कम राशि से किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ श्रमिक हैं और यह कहा गया है कि भविष्य निधि खाते में 1,20,000 करोड़ रुपये की राशि पड़ी हुई है जिसमें से 52,000 करोड़ रुपये पेंशन उद्देश्यों के लिए निर्धारित किये गए हैं। इस स्थिर वित्तीय स्थिति के चलते सामान्यतः सरकार श्रमिकों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करने में सक्षम है। एक साधारण नीति यह है कि पेंशन राशि को मूल्य सूचकांक के साथ संबद्ध किया जाए जैसा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसाकि पहले आश्वासन दिया गया था पुरानी पेंशम योजना को तत्काल प्रतिस्थापित किया जाए तथा पेंशन राशि को संशोधित किया जाए और इसे देश में मूल्य सूचकांक और सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ा जाए।

अपराह्न 12.27 बजे

वित्त विधेयक, 2008 ...*जारी*

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, मैंने जहां चर्चा छोड़ी थी मैं उससे आगे अपना भाषण आरंभ करता हूं। मैं कृषि के बारे में उल्लेख कर रहा था कि इसकी उत्पादकता में किस प्रकार वृद्धि की जाए ताकि हम सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। मैं इस संबंध में पहले ही अनेक सुझाव दे चुका हूं। मैं जो मुख्य सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि हमारी अधिकांश जोतने बोने योग्य भूमि पूर्ण रूप से सिंचित नहीं है। हमारे पास 4000 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध है जिसमें से हम केवल 30% का उपयोग करने में सक्षम हो पाए हैं। अब हम क्या सुनते हैं कि सरकार वर्ष 2010 तक 1.4 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए सिंचाई क्षमता का सृजन करने में सक्षम होगी। मुझे नहीं पता कि वह इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करेगी। अब सरकार का पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की कायिक निधि से एक सिंचाई तथा जल संसाधन वित्त निगम नामक एक नया निगम बनाने का प्रस्ताव है। हाल ही में मुझे जल संसाधन समिति के सदस्य के रूप में झारखंड में एक परियोजना का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हमने पाया कि एक परियोजना, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, अभी भी अधूरी थी। इसलिए, इसकी कल्पना की जा सकती है कि इस क्षेत्र की किस प्रकार पूर्ण रूप से अवहेलना गई है। किसानों को ऋण सुविधाएं चाहिए; उन्हें जल संसाधनों की आवश्यकता है; उन्हें सिंचाई तथा समय से खरीद उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। आज कृषि अनिर्वाह योग्य व्यवसाय बनता जा रहा है। किसान सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए, कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए सरकार को नए कार्यक्रम लाने चाहिए और भूमि सुधार करने चाहिए। मैं केरल और बंगाल राज्य सरकारों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भूमि सुधार आरंभ किए और उनके प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सराहना की गई है। यह एक अच्छी बात है। परंतु यह कहना दुःखद होगा कि ये किसान अपनी भूमि पर खेती नहीं कर रहे हैं। चूंकि वे सिंचाई और ऋण सुविधाओं के प्रति अनिश्चित हैं इसलिए वे उन्हें पट्टे पर दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं। छोटे भू धारक शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। आज शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र खाली हो रहे हैं। आज हमारी 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।

महोदय, अब मैं करों की बात करूंगा। मैं सरकार तथा साथ ही करदाताओं विशेषरूप से प्रत्यक्ष कर दाताओं को बधाई देना चाहूंगा चूंकि संग्रहण के मामले में और साथ ही कारपोरेट कर दाताओं के मामले में प्रत्यक्ष करों ने अप्रत्यक्ष करों से बाजी मार ली है परंतु सरकार को कारपोरेट कर दाताओं की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए। न केवल निजी कंपनियां कारपोरेट कर का भुगतान करती हैं बल्कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान भी कारपोरेट करों का भुगतान करते हैं। ये 224 हैं तथा नियमित तथा अनियमित श्रमिकों सहित इनमें 17 से 18 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। इस वर्ष घोषित कर छूट का कर दाताओं पर निश्चित ही उत्साहवर्द्धक प्रभाव पड़ेगा परंतु इसे सरल किया जाना चाहिए। आयकर प्रारूप, सम्पत्ति कर प्ररूप को सरल बनाया जाना चाहिए।

इसलिए कर निर्धारिती भ्रमित हो जाते हैं। नई कर संहिता लागू होनी चाहिए जिसके द्वारा यदि करों का भुगतान किया जाता है तो अधिक कर विवरणियां दाखिल की जाएंगी और प्रत्यक्ष करों के द्वारा आपकी आय में और अधिक सुधार होगा। आज भारत ऐसा देश जिसमें सबसे अधिक 33.68% कारपोरेट कर का भुगतान किया जा रहा है और लगभग 70,000 कंपनियां 33.6% कारपोरेट कर का भुगतान करती हैं और लगभग 30,000 कंपनियां 30.6% से 33.6% कारपोरेट कर का भुगतान करती हैं। छोटे प्रतिष्ठान 30% से 33.6% के बीच भुगतान करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संग्रहित उत्पाद कर अथवा कारपोरेट करों के सबसे बड़े अंशदाता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग से हैं। वे देश में बहुत सी परियोजनाएं जैसे तेल शोधक कारखाने लगा रहे हैं और मेरे राज्य उड़ीसा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा यदि पाराद्वीप रिफाइनरी को छूट नहीं दी जाती है और भावी परियोजनाओं में विलम्ब होगा। मैंने इसके बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा है। मुझे इसके बारे में इंडियन ऑयल कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री सार्थक से पता चला जो कि विद्यालय में मेरे सहपाठी थे।

कर छूट के संबंध में, मैं अस्पतालों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ किए गए अस्पातलों को शतप्रतिशत कर छूट देने पर मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं परंतु यहां मैं एक सिफारिश करना चाहूंगा। इस छूट को पांच वर्ष की बजाय दस वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए।

यदि आप अस्पतालों को करावकाश दे रहे हैं तो आपको उपचर्या फार्मेसी और अन्य चिकित्सा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को भी करावकाश देना चाहिए। अन्यथा, स्वास्थ्य क्षेत्र बिल्कुल उपेक्षित हो जाएगा। देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र है और इसका एक भविष्य है। छोड़े गए क्षेत्र जिनका उन्होंने नाम लिया है, महानगर हैं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि छोड़े दिए गए क्षेत्रों में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की जरूरत है तथा उन्हें तदनुसार माना जाना चाहिए।

कार्पोरेट कर के संबंध में, मैं कह रहा था कि हम सर्वाधिक भुगतान कर रहे हैं। यूरोपीय संघ में 27 देशों में से सात देशों ने इसे पहले ही कम दिया है। बुल्गारिया ने इसे घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। जहां तक एशिया प्रशांत क्षेत्र और 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का संबंध है हम कहते हैं कि चीन हमारा प्रतिस्पर्धी है परन्तु चीन ने लघु उद्योग क्षेत्र और प्रौद्योगिकीय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अपना कार्पोरेट कर घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इसने बड़े क्षेत्रों के लिए इसे घटाकर करीब 20 प्रतिशत कर दिया है। इसलिए यदि हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं जिसे हम भारत का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हैं, अथवा यदि भारतीय यह महसूस करते हैं कि विदेशी निवेश के मामले में चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है तो अब वह समय आ गया है कि हम अपने भारतीय उद्योगपतियों को भी समान अवसर प्रदान करें ताकि वे अन्य देशों के उद्योगपतियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यदि हम उन्हें समान अवसर नहीं देंगे तो सभी उद्योग चीन और अन्य एशियाई देशों के पास चले जाएंगे। भारत को पूंजी निवेश का एक अच्छा गन्तव्य बनना चाहिए क्योंकि देश में कृषि के साथ-साथ पूंजी निवेश भी बढ़ना चाहिए। और इससे सेवा क्षेत्र भी सुदृढ़ होगा।

जहां तक यूनेस्को स्थलों का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने यूनेस्को स्थलों हेतु होटलों के विकास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए करावकाश और अन्य रियायतें मुहैया करायी हैं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यूनेस्को स्थल अति-संतृप्त हैं। मैं समझता हूं कि करावकाश के दायरे में उन अन्य बड़े पुरातात्विक स्थलों को भी लाया जाना चाहिए जिन्हें यूनेस्को स्थल घोषित नहीं किया गया है और जो यूनेस्को स्थल घोषित किए जाने के कगार पर हैं परन्तु जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अथवा राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। इन स्थलों का काफी महत्व है तथा अनेक अनुसंधानकर्त्ता और प्रोफेसर जो वहां जाते हैं उन्हें आवास सुविधा नहीं मिल पाती। इस प्रकार, उन पुरातात्विक स्थलों पर, जो देश के सुदूर अन्दरूनी क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां खोजकर्त्ता, पुरातत्वविद इत्यादि नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार हमारी विरासत का पता नहीं चल पा रहा है।

इन स्थलों पर अवसंरचना के विकास हेतु इन स्थलों तक करावकाश का विस्तार किया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है यदि हम अपने विरासत स्थलों को बनाए रखना चाहते हैं और उनका सही रख-रखाव करना चाहते हैं।

मैं कौशल विकास के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। श्रम आयोग की रिपोर्ट 2007 में यह कहा गया है कि हमारे पास देश में पर्याप्त संख्या में कुशल व्यक्ति नहीं हैं। हमारे पास किताबी ज्ञान रखने वाले बच्चे अधिक हैं। इसलिए हमें कौशल का विकास करना होगा। नए नए उद्योगों की स्थापना से कौशल विकास प्राथमिक रूप से जरूरी है। आपने 15,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया है और इसमें सरकार की भागीदारी 1,000 करोड़ होगी।

कालाहांडी एक पिछड़ा क्षेत्र है। वहां बाक्साइट आधारित बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अन्य उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। कालाहांडी में एक 'टूल रूम' की स्थापना हेतु सरकार द्वारा निवेश सरकार की कार्यसूची में होना चाहिए ताकि गरीब आदिवासी जनजातियों को कुछ कुशलता हासिल करने और अपनी आजीविका हेतु नौकरी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इस कार्य में निजी क्षेत्र को सहयोगी न बनाया जाए बल्कि सरकार पहल करे तथा इस कार्य को कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर और संबलपुर में किया जाए। यह इसलिए क्योंकि यह देश का बाक्साइट और एल्युमीनियम केन्द्र बन गया है। अनेक उद्योगों, जैसे, वेदान्ता, स्टर्लाईट, हिंडाल्को, बिड़ला की स्थापना यहां हो रही हैं। परन्तु सर्वाधिक दुःखद पहलू यह है कि कुशल कार्मिकों के पद बाहर से आने वाले लोगों द्वारा भरे रहे हैं। ये लोग भिलाई से आ रहे हैं और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से आ रहे हैं तथा इन्हें नौकरियां मिल रही हैं। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है और वे नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने अपनी जमीनें दी हैं, अपनी मिट्टी और हमने उद्योगों के विकास हेतु अपने वन दिए हैं, परन्तु आज जब यहां उद्योग लग रहे हैं, वे लोग भूखे पेट सो रहे हैं और उन्हें अपनी सेवा देने एवं आजीविका प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे तथा यथाशीघ्र पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक अधिनियमित करे। इसे राज्य सभा में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य शीघ्र किया जाएगा ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके।

जहां तक करावकाश का प्रश्न है, मैं पाम ऑयल का उल्लेख करना चाहूंगा। एक समय था जब पाम ऑयल चावल, गेहूं, केरोसीन और चीनी के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक भाग था। परन्तु आज लगता है कि पाम ऑयल विलुप्त हो गया है। पाम ऑयल अथवा वनस्पति तेल के स्थानीय उत्पादकों से 8,000 रुपये का उत्पाद शुल्क लिया जा रहा है तथा कच्चे पाम आयल पर भी अधिक शुल्क प्रभारित किया जा रहा है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसे घटाकर 2500 रु. प्रति टन किया जाना चाहिए। श्रीलंका में पाम ऑयल पर यह शुल्क 1,000 रुपये प्रति टन है। दक्षिण पूर्व एशिया में पाम ऑयल क्षेत्र में मलेशिया और श्रीलंका का वर्चस्व है। इसलिए, भारतीय उत्पादकों को इस मामले में कुछ रियायतें दी जानी चाहिए। इस प्रकार, कच्चे पाम ऑयल पर इस दर को घटाकर न्यूनतम 2,000 रु. अथवा 3,000 रु. किया जाना चाहिए। तभी जाकर वे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तथा इसे देश की गरीब जनता की सेवार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग बनाया जा सकता है।

अपराह्न 12.39 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए)*

मेरा अगली बात सम्पत्ति कर और आयकर फॉर्मों के बारे में हैं। इन्हें सरल बनाया जाना चाहिए। अनेक समूहों द्वारा प्रस्तावित नई कर संहिता पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों जैसे उड़ीसा के.बी.के. क्षेत्र, झारखण्ड को पलामू तथा देश के अन्य भागों के ऐसे अन्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सिंचाई स्रोत विकसित करने हेतु उन्हें अतिरिक्त और समुचित निधियां दी जानी चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके जो कि हमारे देश के मुख्य आधार हैं।

जैसा कि दो दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने ठीक ही बताया है कि खाद्य उत्पादन में ठहराव आ गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस ठहराव के लिए कौन जिम्मेदार है? यह इस वजह से हुआ है क्योंकि अधिकांश समय सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन चार वर्षों में, वे लोग चावल और गेहूं के उत्पादन में सुधार नहीं कर पाए हैं जो कि एक बड़ी समस्या बन रही है तथ विश्व चावल और गेहूं के मामले में संकट से गुजर रहा है। इसलिए भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। हम पी एल–480 दिनों को नहीं भूल सकते जब हम भारत में ऐसे गेहूं का आयात करने को विवश थे जो मनुष्य के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं था।

लेकिन हम उससे बाहर आए। हमारे यहां हरित क्रांति हुई। अब लोग सदा हरित क्रांति के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या हम किसानों के लिए सदा हरित क्रांति लाने के लिए तैयार हैं? किसान सबसे अधिक संकट में है। क्या माननीय वित्त मंत्री इस सभा में कृषि ऋण पर ब्याज दर 4% तक कम करने की प्रतिबद्धता करेंगे जैसा कि स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट ने सुझाव दिया है? स्वामीनाथन उनके राज्य से आते हैं तथा स्वामीनाथन प्रतिष्ठान चेन्नई में है। स्वामीनाथन प्रतिष्ठान उड़ीसा में कार्यरत है। वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके प्रति आभारी हैं। इसके अलावा, वे यहां काफी अच्छा काम कर रहे हैं।

महोदय, जब मैं बजट देख रहा था तो मैंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने (पी यू आर ए) के प्रावधान के संबंध में एक सुझाव दिया गया है। गत बजट में आपने 7 करोड़ रुपए दिए थे तथा अब आपने 18 करोड़ रुपए दिए हैं। अतएव, आप कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपया दिया है। क्या यह पर्याप्त है? आपने देश में केवल सात क्लस्टर पाए हैं। अतएव, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में क्लस्टरों का विस्तार हो। आप इसका विस्तार उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा छत्तीसगढ जैसे पिछड़े राज्यों में करें। आप इस शहरी सुविधा के प्रावधान का विस्तार राज्यों के कल्सटरों के लिए करें। केवल तभी, लोग संतुष्ट तथा खुश होंगे क्योंकि मनुष्य को अच्छी स्वास्थ्य सेवा, उचित शैक्षणिक सुविधा तथा उचित पेयजल सुविधा की आवश्यकता होती है। अतएव, किसी व्यक्ति या परिवार की इन पांच प्रमुख आवश्यकताओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा किया जाना चाहिए। इसीलिए शहरी–ग्रामीण भेद इस पैमाने पर उभर रहा है। इसलिए, इसे रोकने के लिए 25 करोड़ रुपयों का प्रावधान कुछ भी नहीं है। यह काफी कम है। अतएव, मैं आग्रह करूंगा कि वे इसे कम से कम 1000 करोड़ रुपए करें ताकि इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सके।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं इस वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसा कहना मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं शिद्दत से महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने इस वर्ष एक बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। सभी लोगों द्वारा बजट की प्रशंसा की गई है तथा इसके बावजूद कि मेरे अच्छे मित्र श्री विक्रम केशरी देव ने जो कुछ भी कहा हो, बजट भारत के अच्छे राजकोषीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह 1991 से 1996 के बीच वित्तीय सुधारों के दौरान रखी गई आधारशिला तक जाता है। लेकिन इसने ऐसा वातावरण तैयार किया जो निवेश के अनुकूल हुआ तथा उससे भी महत्वपूर्ण इससे बढ़ते विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ।

महोदय, वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का भी उल्लेख करता है कि निवेश दर में वृद्धि दसवीं योजना के प्रथम वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 25.2 प्रतिशत से बढ़कर दसवीं योजना के अंतिम वर्ष में जो गत वर्ष 31 मार्च से समाप्त हुई, 36 प्रतिशत हो गई। यदि भारत का आज राजकोषीय स्वास्थ्य अच्छा है तो यह अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों की सूझबूझपूर्ण प्रबंधन के चलते है। मैं माननीय वित्त मंत्री को संतुलित तथा स्थिर कर व्यवस्था तथा इसके अलावा, इस व्यवस्था के अनुपालन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए बधाई देता हूं। इस सरलीकृत प्रणाली के चलते सरकारी राजस्व इतना ज्यादा बढ़ा है।

हम बिना हिचक के इस तथ्य की प्रशंसा करते हैं कि कर संग्रहण अभूतपूर्व ढंग से ऊंचा है। इसके लिए हम केवल करदाताओं को ही बधाई नहीं दें, जैसाकि मेरे मित्र श्री देव ने किया है, वरन् मूलरूप से उस प्रणाली को जो वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जिसके चलते हम आज इस सुखद स्थिति में हैं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करों, उत्पाद शुल्क, आयकर छूट सीमा, केन्द्रीय बिक्री कर, कुछ आयकर में काफी कमी की घोषणा की। लेकिन यह प्रशंसा का विषय है कि इन कटौतियों के चलते राजस्व में हानि के बावजूद उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों, सामाजिक कल्याण योजनाओं

तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए उत्साहपूर्वक प्रावधान किया है। इन योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

पहला अन्नपूर्णा योजना के बारे में है। आज यह उन 65 वर्ष से ऊपर उम्र के 'निराश्रित' व्यक्तियों के लिए अनुमत्य है जिनके पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है। इस विषय में कुछ संदेह है चूंकि 'निराश्रित' शब्द का अर्थ उन व्यक्तियों द्वारा गलत लगाया जाता है जिन्हें यह योजना चलाने के लिए कहा गया है। साथ ही चूंकि वृद्ध आयु तथा अन्य पेंशन की भी योजना है इसलिए निराश्रित तथा नियमित आय नहीं होने की आवश्यकता वाले लोग समस्या पैदा करते हैं। अतएव, मेरा सुझाव है कि हमें अन्नपूर्णा योजना को बिना लिंग भेदभाव तथा अन्य किसी शर्त सिवाय इसको छोड़कर कि व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे तथा 65 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए, सभी पर लागू की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जो बी पी एल सूची में है तथा 65 वर्ष से ऊपर है, बिना लिंग भेदभाव के या परिवार के व्यक्तियों की संख्या की बजाय – यदि परिवार एक इकाई हो तो, इस पेंशन के अधिकारी हैं। सरकर के विचार के लिए प्रस्ताव यह है कि कवरेज को 65 वर्ष की आयु से घटाकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए। हमें 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच सभी विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल करना चाहिए। पेंशन योजना के संबंध में ये मेरे तीन सुझाव हैं। यह निस्संदेह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कहलाती है। लेकिन अगर हम विकलांगों को शामिल करते हैं तो वास्तविक रूप से आवश्यकता वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नामकरण में छोटा संशोधन करना पड़ेगा।

सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व 1980 के दशक में शुरू की गई काफी महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना इन्दिरा आवास योजना थी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बजट में काफी ज्यादा प्रावधान किया गया था। मैंने देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के आंकड़े देखे हैं। मैंने इसे काफी महत्वपूर्ण पाया कि मेरे गृह राज्य बहार का कार्यनिष्पादन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बात वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने की हो या वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की, क्रियान्वयन 50 प्रतिशत से कम रही है।

इसी के चलते जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र या अन्य स्थानों के लोगों का सामना करते हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं कि उनके सर पर छत क्यों नहीं है विशेष रूप से तब जब कि इन्दिरा आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना है तथा इसका क्रियान्वयन सरलीकृत कर दिया गया है। यह योजना बीपीएल सूची के आधार पर कार्यान्वित की जाती है। मैं जानता हूं कि मेरे गृह राज्य में बी पी एल सूची में कई खामियां हैं। गत वर्ष हमने मांग की थी कि बी पी एल सूची को रद्द किया जाए और एक नयी सूची तैयार की जाए। हमें आश्वासन दिया गया था कि ऐसा किया जाएगा। वास्तव में एक प्रक्रिया शुरू की गयी और एक नयी बीपीएल सूची तैयार की गयी है। किन्तु दुर्भाग्यवश यह अब तक प्रकाशित नहीं की गई है जिसके परिणामतः पात्र लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें अब तक नहीं मिला है।

जहां यह सूची तैयार की गयी है वहां भी इस के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा है, यह 50 प्रतिशत से कम है। मेरा भारत सरकार को सुझाव है कि हालांकि यह राज्य सरकार के अधिकार के अन्तर्गत है और एक संघीय देश होने के नाते हमें राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए फिर भी एक प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इन सामाजिक कल्याण सुरक्षा योजनाओं के लिए दी गयी धनराशि के व्यय उपयोग की निगरानी करे। मेरी अपील है कि इस प्रकार की निगरानी प्रणाली होनी चाहिए ताकि केन्द्र सरकार राज्यों को जो राशि देती है विशेषतः मेरे गृह राज्य को, उसका पूर्ण व उचित उपयोग किया जाए तथा यह जरूरतमंदों के लाभार्थ किया जाए।

माननीय वित्त मंत्री वास्तव में कर दाताओं के प्रति उदार रहे हैं। वे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रति भी उदार रहे हैं जिसे सहानुभूति की आवश्यकता है। मुझे इसकी जानकारी है क्योंकि मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ऐसी संभावना है कि वर्ष 2010 तक यह विदेश में लगभग 50 मिलियन डालर तक अर्जित करेगी। यह घोषणा की गयी थी कि इस उद्योग को कुछ कर लाभ दिया जाएगा किन्तु ये लाभ केवल वर्ष 2009 तक उपलब्ध होंगे। मेरी माननीय वित्त मंत्री से अपील है कि वे इन लाभों को 2009 के बाद भी दिए जाने पर विचार करें। यदि वह इस संबंध में उचित घोषणा करने पर भी विचार करें तो बड़ी कृपा होगी। आय कर से संबंधित दूसरा सुझाव व्यक्तियों को दिए जाने वाले आयकर कटौती के बारे में है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने छूट की सीमा बढ़ायी है तथा सभी व्यक्तियों विशेषतः वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लाभ पहुंचाया है। किन्तु एक क्षेत्र ऐसा है जो उनके ध्यान दिए जाने योग्य है। इस क्षेत्र में वे लोग हैं जो वृद्ध, बीमार व ऐसे लोग हैं जिनके पास आय का अपना साधन नहीं है। इनकी देखभाल इनके बच्चों द्वारा की जाती है जिनके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः मेरा सुझाव है कि उन व्यक्तियों जिनके पास अपनी पर्याप्त आय के साधन नहीं हैं और जो अपने वृद्ध माता–पिता के इलाज पर खर्च करते हैं, को आयकर कटौती दी जाए।

अब मैं मूल्य वृद्धि की समस्या पर आता हूं। यह एक गंभीर समस्या है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। अन्तिम प्राप्त सूचन के अनुसार 7.33 प्रतिशत की दर पर यह निश्चय ही चिन्ता का विषय है

[श्री निखिल कुमार]

और स्वभाविक रूप से और बोधगम्य रूप से मुद्रा स्फीति की दर से के बारे में काफी चिन्ता व्यक्त की गयी है। किन्तु हमें यह अवश्य समझना चाहिए कि मुद्रास्फीति को एकांगी रूप से नहीं देखा जा सकता है। हमें इसे विश्व परिदृश्य में देखना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारा देश विश्व भर में व्याप्त कारकों द्वारा प्रभावित हो रहा है। तेल की कीमतों के प्रश्न को ही लें। साढ़े तीन वर्ष पूर्व एक बैरल तेल की कीमत 50 डालर से कम थी। आज तेल की कीमत 117 डालर प्रति बैरल है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : माननीय सभापति जी, हाउस में कोरम पूरा नहीं है। कोरम के अभाव में वित्त विधेयक पर बहस नहीं हो सकती है। वित्त विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य कोरम का प्रश्न उठा रहे हैं तो मुझे इसे देखना पड़ेगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री निखिल कुमार : मैं प्रतीक्षा करूंगा।

सभापति महोदय : श्री पाठक, क्या आप कोरम चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : सभापति जी, कोरम पूरा करा लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोरम की घंटी बजाई जाए।

अपराह्न 12.57 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अध्यक्ष महोदय : अब कोरम पूरा है। माननीय सदस्य श्री निखिल कुमार अपना भाषण जारी रखें।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं मुद्रा स्फीति के बारे में बोल रहा था। मैं कह रहा था कि यह वास्तव में बहुत अधिक है और यह बेहद गंभीर मसला है। हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए किन्तु हमें इस तथ्य पर एकांगी रूप से ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें इस पर केवल भारत के संदर्भ में नहीं बल्कि विश्व के संदर्भ में ध्यान देना चाहिए। आज विश्व कई संकटों से जूझ रहा है। सबसे पहले तेल की कीमतों का सवाल है। आज तेल की कीमतें सर्वाधिक हैं। समाचार पत्रों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि आज एक बैरल तेल की कीमत 117 डालर है और तीन या चार वर्ष पूर्व एक बैरल तेल की कीमत 50 डालर से भी कम थी। यह प्रशंसनीय है कि तेल की कीमतों तीन गुना से अधिक बढ़ने के बावजूद हमारे पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण में हैं। इसके लिए हमें मूल्यों को नियंत्रण में रखने की प्रणाली को समझना होगा और यदि हम इस प्रणाली को समझते हैं तभी हम सरकार को बधाई दे पाएंगे।

इस संदर्भ में मैं जिस दूसरी चीज का उल्लेख करना चाहूंगा वह है जलवायु परिवर्तन। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण भौगोलिक–राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं तथा मुख्यतः कृषि प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पूर्व ही भारत में बे मौसम बरसात हुई तथा इस बे मौसम बरसात से हमारी रबी की फसल प्रभावित हो सकती है। यही उम्मीद की जाती है कि इस बेमौसम बरसात से हमारी रबी की फसल को गंभीर नुकसान न पहुंचे। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण है खाद्य कीमतें। आज पूरी दुनिया भर में खाद्य कीमतें सर्वाधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय लेंगे?

श्री निखिल कुमार : महोदय, मुझे मात्र दो बातें और कहनी हैं। मैं अपनी बात शीघ्र समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करने जा रहे हैं। आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 12.59 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न के लिए अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

वित्त विधेयक, 2008 - *जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री निखिल कुमार से अपनी बात जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री निखिल कुमार : धन्यवाद महोदय। जब मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित हुई थी, तब मैं खड़ा था और मुद्रास्फीति के बारे में बोल रहा था। मैंने कहा था कि मुद्रास्फीति की दर ऊंची है तथा 7.33 प्रतिशत का आंकड़ा काफी अधिक है।

यह चिन्ता का विषय है। परन्तु हमें भारत में मुद्रास्फीति की दर को पृथक करके नहीं देखा जाना चाहिए। इसे विश्व की परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यदि आप विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखें, तो विश्व विविध संकटों से जूझ रहा है। तेल की कीमतें अब तक सबसे ऊंची दर पर पहुंच गयी हैं। आज एक बैरल तेल की कीमत 117 डालर है; साढ़े तीन साल पहले इसकी कीमत 50 डालर से भी कम थी। वस्तुतः इन पिछले साढ़े तीन वर्षों में तेल की कीमत में कुल वृद्धि करीब साढ़े तीन गुना हुई है। यह निश्चित तौर पर खाद्यान्न और उर्वरकों की कीमत को प्रभावित करेगा क्योंकि इनकी कीमतों में दुलाई लागत भी शामिल होगी। ठीक इसी प्रकार उर्वरक के मामले में भी यह एक अप्रत्यक्ष चक्र है। इससे कीमतें प्रभावित होंगी ही होंगी।

अन्य संकट जलवायु परिवर्तन है। ठीक पिछले दिन बेमौसम बारिश हुई थी। इसका निश्चित तौर पर रबी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। हम सिर्फ प्रार्थना और आशा कर सकते हैं कि बड़ा नुकसान न हो। परन्तु इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है तथा हमें इस संबंध में सतर्क रहना होगा। यह जलवायु परितर्वन हमें भी प्रभावित कर रहा है और माने न माने यह हमारी मूल्यवृद्धि को भी प्रभावित कर रहा है।

अब अंततः मैं खाद्य-पदार्थो की कीमतों का जिक्र करता हूं। मात्र एक वर्ष की अवधि में पूरे विश्व में खाद्य-पदार्थो की कीमतें दुगुनी हो गयी है। मात्र एक वर्ष के अंदर खाद्य पदार्थो की कीमतें कल्पनारहित रूप से बढ़ी हैं। चाहे गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो अथवा सोयाबीन हो वर्ष 2007 में इनकी जो कीमतें थी, मात्र एक वर्ष में ये कीमतें लगभग दुगुनी हो गयी हैं। इस प्रकार स्थिति यह है कि तेल की ऊंची कीमतें, खाद्य पदार्थों की कीमतों तथा उर्वरकों की कीमतों को, यदि वास्तव में उर्वरकों को संबंधित राजसहायता नहीं दी जाती है, प्रभावित करेंगी। पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतें भी हमें प्रभावित करेंगी। ठीक इसी के समानान्तर खाद्य पदार्थों की भारी कमी हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन घटा है। इस दुःखद संयोग के परिणामस्वरूप पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों के लिए दंगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा एक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र अति गंभीर वित्तीय उथल-पुथल का शिकार हो गया है। इसमें इस वित्तीय उथल-पुथल के कारणों को भी बताया गया है जो पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे। परन्तु यहां पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इसी सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि भारत भविष्य में इससे प्रभावित नहीं होगा। यह इस सरकार के लिए प्रशंसा की बात है जिसने वर्तमान में कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसने विश्व में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा है तथा खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने इससे पहले किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। इसने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया था। और, वस्तुतः इसके द्वारा की गयी ऋण माफी की घोषणा एक क्रांतिकारी कदम है।

मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि जहां हमारी सरकार स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है वहां इसकी भी अपनी एक सीमा है। इसे विश्व की परिस्थितियों से अलग नहीं किया जा सकता। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि विश्व में व्याप्त परिस्थिति हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने जा रही है। इसलिए आज यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। यहां उपस्थित हममें से सभी को दलगत भावना से ऊपर उठकर कुछ आत्म-विश्लेषण करना चाहिए और कुछ सुझाव देने चाहिए, कुछ नीतिगत निर्णय लेने चाहिए ताकि हम पूरे विश्व के साथ चलने में समर्थ हो सकें। हमारे सामने जो गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है वह हमारे द्वारा निर्मित न होकर वैश्विक कारकों का परिणाम है। इस संदर्भ में मैं अब यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित में हमें एक ऐसी नीति बनाने की जरूरत है जिसमें इन सभी कारकों को ध्यान में रखा गया हो। यहां व्यापक आम सहमति की जरूरत है। यह आम सहमति इस सम्माननीय सभा के बजाय और कहां बनेगी? हमें प्रधानमंत्री द्वारा दूसरे दिन की गयी अपील को इस संदर्भ में देखना चाहिए।

उन्होंने कहा था और अपील की थी कि हमें मुद्रास्फीति के मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यह सच है कि यदि आप मुद्रास्फीति के मुद्दे का राजनीतिकरण करते हैं तो आप पूरे देश की जनता की इस सम्माननीय सभा से की गयी इस उम्मीद के विरुद्ध कार्य करते हैं कि यह सभा कुछ कारगर समाधान निकालेगी। यहां हम एकमत होकर आम सहमति बनाने तथा सरकार को इस आम सहमति पर कार्य करने देने की स्थिति में हैं। इसलिए मैं अपने तरीके से इस सम्माननीय सभा से अपील करता हूं कि वह इस नाजुक स्थिति से निपटने हेतु आम सहमति बनाने में सरकार की मदद करे।

यह कहने के पश्चात् मैं अब दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करूंगा। पहला महत्वपूर्ण मुद्दा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में है तथा मैं इसका उल्लेख विशेषकर अपने राज्य बिहार के संदर्भ में करूंगा। बिहार में स्थिति काफी संतोषजनक नहीं है। मैं इस सिद्धांत से वाकिफ हूं कि मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति के आधार पर होता है। वर्तमान में, मेरे पास यह कहने के कारण हैं कि बिहार में खाद्यान्न की कमी नहीं होनी चाहिए। जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरे पास बिहार को आबंटित किए गए खाद्यान्नों का आंकड़ा मौजूद है परन्तु दुखद स्थिति यह है कि इस आबंटित खाद्यान्न को उठाये जाने की स्थिति अच्छी नहीं रही है। महोदय यदि आप अनुमति दें, तो मैं कुछ आंकड़े

[श्री निखिल कुमार]

दूंगा। पिछले दो वर्षों 2006-07 और 2007-08 में भारत सरकार द्वारा बिहार को आबंटित खाद्यान्नों को उस राज्य द्वारा उठाए जाने का प्रतिशत 40 प्रतिशत से भी कम रहा है। पहले साल यह 23 प्रतिशत था और दूसरे साल 41 प्रतिशत। बिहार सरकार को आबंटित खाद्यान्न को उठाने के लिए उसके द्वारा जितना प्रयास किया जाना चाहिए था यह उससे काफी कम है।

यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को उनके लिए आबंटित खाद्यान्न नहीं मिल पाता है तो आपकी समझ से गरीब लोग कहां जाएंगे? प्रखण्डों और पंचायतों में खाद्यान्न दुकानें सही रूप से नहीं चल रही हैं। यदि वे ठीक से नहीं चल रही हैं तो इसके क्या कारण हैं? एक बहुत ही अमंगलकारी स्थिति पैदा हुई है जिस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। तथ्य यह है कि यह पूरे विश्व को पता है, भारत को पता है, हमारे सभी राज्यों को पता है और यह बिहार में पता है कि विश्व में खाद्यान्नों के मूल्य बढ़े हैं और दुगुने से भी अधिक बढ़े हैं।

निजी व्यापारी केवल खाद्यान्नों का निर्यात करने की ही ताक में रहते हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार ने खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर काफी अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही हमने एन.डी.ए. शासनकाल के दौरान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह एक बड़ा कदम है। यह रिकार्ड में अंकित है। लेकिन अगर आप लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है और वे खाद्यान्न खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

हमारे देश में काफी महत्वाकांक्षी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। लेकिन यह समझना चाहिए कि इसे लेकर केन्द्र सरकार के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अपेक्षित खाद्यान्नों की आपूर्ति के आश्वासन की आवश्यकता है, चाहे यह खाद्य तेल हो, खाद्यान्न हो अथवा कोई अन्य सामग्री हो। यह किया गया है। जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है कि खरीद प्रतिशतता यह दर्शाती है कि बिहार में निष्पादन काफी खराब है। महोदय, अगर कीमतें बढ़ रही हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि यथेष्ट नहीं किया जा रहा है तो हमें दोषारोपण में नहीं लगना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही ढंग से कार्य नहीं कर रही है और इसलिए मूल्यों को नियंत्रण में रखना संभव नहीं हो पाया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाना चाहिए कि वह यह देखे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य कर रही है तथा खरीद प्रतिशतता में वृद्धि हो।

महोदय, अब मैं उस मुद्दे पर बोलूंगा जिसके बारे में देशभर में लिखा गया है, बोला गया है तथा चर्चा हुई है, अर्थात् किसानों की ऋण माफी का क्रांतिकारी कदम जिसके लिए हमने सरकार को बधाई दी है, जिसका श्रेय सरकार ने लिया है और ऐसा करना न्यायसंगत है। लेकिन मैं सरकार के विचारार्थ एक छोटा सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा। इस ऋण माफी में लघु तथा सीमांत किसानों द्वारा 31 मार्च, 2007 तक लिए गए ऋण शामिल हैं। उनके शत प्रतिशत ऋण को माफ कर दिया गया है और इस श्रेणी से ऊपर वाले अर्थात् मंझोले तथा बड़े किसानों के ऋण का 25 प्रतिशत ऋण माफ किया गया है। यह न्यायसंगत है। लेकिन यह ऋणमाफी 31 मार्च, 2007 तक की गई है जो कि 31 दिसम्बर, 2007 तक देय थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऋणमाफी 31 मार्च, 2007 तक ही क्यों निर्धारित की गई है? केवल रबी फसल को ही क्यों शामिल किया गया है? पूरे एक वर्ष में खरीफ तथा रबी दोनों फसलों के चक्र को क्यों न शामिल किया जाए? अगर सरकार यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसम्बर तक बढ़ा देती है और तदनुसार देय तिथि 31 मार्च, 2008 तक बढ़ा देती है, तो इसका उचित निर्णय के रूप में व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा और इससे काफी राहत मिलेगी। तथ्य यह भी है कि यह उचित एवं न्यायसंगत होगा कि प्रतिवर्ष दोनों फसलों को शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका धन्यवाद।

श्री निखिल कुमार : महोदय, मैं एक संक्षिप्त बात कहने के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी पार्टी के ऐसे कई माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री निखिल कुमार : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए बोल रहा हूं। मैं जो सभा के समक्ष तथा सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं वह काफी महत्वपूर्ण है।

लगातार दो वर्षों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण काफी सूखे का सामना करना पड़ा है। माननीय जल संसाधन मंत्री अभी उपस्थित नहीं हैं। लेकिन मैंने उनके समक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल तथा सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए कुछ सुझाव रखे हैं। लेकिन इसके साथ ही बिहार राज्य में, उत्तर बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इसके परिणामस्वरूप भारी क्षति होती है। इन दोनों क्षेत्रों में ऐसे भूमि क्षेत्र हैं जहां या तो जलजमाव रहता है अथवा सूखा पड़ता है। ऐसी भूमि पर ऋण लेने वाले किसानों के साथ अलग व्यवहार किया जाना चाहिए; उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि

छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए भूमि का पुनः वर्गीकरण किया जाना चाहिए और दो हेक्टेयर के स्थान पर यह चार अथवा पांच हेक्टेयर किया जाना चाहिए। यह काफी उचित होगा। इसके साथ ही उनकी अतिशोध्य राशि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2007 के बाद किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं तथा आश्चर्यजनक बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री को पुनः बधाई देता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां वित्त विधेयक, 2008-09 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगर हम कहें तो बहुत पहले ब्लादिमिर लेनिन ने कहा था :-

"मध्यवर्ग को दबाने का तरीका उसे करारोपण तथा मूल्यवृद्धि के पाट के बीच पीसना है।"

मुझे अपने देश की विद्यमान स्थिति का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अपने कर प्रस्तावों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि :

"हम अप्रत्यक्ष करों के बजट अनुमान को प्राप्त करने तथा प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों को पार करने की ओर अग्रसर हैं।"

वर्ष 2007-08 निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक वित्तीय वर्ष है जब पहली बार प्रत्यक्ष करों ने केन्द्र के राजस्व में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया है। सभी केन्द्रीय कर स्रोतों से एकत्र किए गए कुल 5,85,410 करोड़ रुपए में से प्रत्यक्ष करों, जिनमें मुख्यतः व्यक्तिगत आय तथा कार्पोरेट लाभ पर कर शामिल हैं, का योगदान 304,760 करोड़ रुपए अथवा 52.06 प्रतिशत है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम वर्तमान वर्ष की तुलना 1990-91 से करते हैं; तो उस वर्ष केन्द्र के सकल कर राजस्व के पांचवे हिस्से से भी कम राजस्व प्रत्यक्ष करों से आता था। उस समय मुख्य कर स्रोत उत्पाद शुल्क था, जिसके बाद सीमाशुल्क का स्थान था।

उस समय सरकार मुख्यतः उत्पादन तथा व्यापार पर कर लगाती थी। अब आय और लाभ पर कर लगाया जाता है। सुधारों के बाद की अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों से प्रत्यक्ष करों की ओर यह झुकाव काफी प्रगतिशील माना जाता है और मुझे उम्मीद है कि कामरेड इस आधारभूत मुद्दे को समझेंगे।

प्रथमतः, उत्पादन तथा व्यापार के स्थान पर व्यक्तियों तथा कार्पोरेटों के लाभों पर कर लगाने से आर्थिक कार्यकलापों पर कम दबाव पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जहां वस्तुओं पर कर का भुगतान गरीबों तथा अमीरों द्वारा एकसमान रूप से किया जाता है, आय तथा लाभों पर कर की प्रकृति अपेक्षाकृत समतावादी है। गत 15 वर्षों के दौरान की एक अन्य प्रगतिशील विशेषता कर आधार का विस्तार है, जो कि सेवा कर के कारण हुआ है। सेवाओं पर करारोपण एक ऐसा क्षेत्र है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 55 प्रतिशत है। इसे वित्त वर्ष 2008-09 में 65,460 करोड़ रुपये अर्जित होंगे।

इसके बाद मैं सदन का ध्यान ऐसे मुद्दे की ओर उठाना चाहूंगा जिसे मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों से इस पर विचार करना चाहिए तथा अपने दृष्टिकोण व्यक्त करने चाहिए। संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों पर हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण दायित्व रहे हैं। वे कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी संरचना विकास तथा कृषि क्षेत्रों के लिए उत्तरदायी है। तथापि उनके पास न तो संसाधन जुटाने और न ही इन वायदों, जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु व्यापक आधार बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उत्तरदायित्व निभाने का निर्णय सुनाया जाता है। उदाहरण के लिए, इस सरकार ने यह तर्क दिया है कि हाल ही में कीमतों में हुई वृद्धि, मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि राज्य सरकारों की समस्या है तथा इससे उन्हें ही निपटना चाहिए। लेकिन वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, का निर्धारण कौन करता है? क्या यह पूर्णतया केन्द्र सरकार का कार्य नहीं है?

अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि बिक्री कर में वृद्धि होने के कारण राज्यों के पास बहुत अधिक धनराशि आ गई है और इसलिए उन्हें केन्द्र से अब वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र और राज्यों के बीच मौलिक अन्तर यह है कि राज्य सरकारों को अपना बजट बनाते समय कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है जबकि केन्द्र सरकार के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। इस संदर्भ में अक्सर हम यह बात भूल जाते हैं। चूंकि राज्य सरकारें सेवा कर नहीं लगा सकती हैं अतः अपने संसाधन जुटाने से अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से वृद्धि करने-वाले भाग को इससे बाहर रखा जाए अर्थात् केन्द्र की तुलना में राज्य सुविधाओं से बहुत अधिक वंचित हैं। वित्तीय हस्तांतरण का मूल माध्यम परवर्ती वित्त आयोग हैं जिसे केन्द्र से राज्यों को वित्तीय संसाधनों का निष्पक्ष एवं न्यायोचित आबंटन पर अधिक बला देता हूं। तथापि हाल ही के वित्त आयोग के विचारार्थ विषय दिए गए सूत्र के अनुसार केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के बीच कर राजस्व के सामान्य सरल आबंटन से आगे बढ़कर हैं। यह संघीय आबंटन के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।

विकेन्द्रीकरण के जितने भी उपाय किए गए हैं, उनसे वास्तव में सरकार के वित्त का और अधिक केन्द्रीयकरण हुआ है। राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से किये जाने वाले आबंटनों पर शर्तें बढ़ती जा रही हैं भले ही वे राज्यों के लिए उचित नहीं हों।

[श्री भर्तृहरि महताब]

संघीय ढांचे और निर्वाचित राज्य सरकारों के प्राधिकार को कम करने का दूसरा प्रयास यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा जिला स्तर पर सीधे पंचायतों को धनराशि–उपलब्ध करा रही है जिसके साथ केन्द्र द्वारा व्यय के मानदंड निर्धारित किए जाते हैं एवं निर्णय उच्चतम स्तर पर लिए जाते हैं। यह सत्य है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है।

वर्ष 2004 से प्रमुख घाटा सूचकों में गिरावट आ रही है। राज्यों के राजस्व तथा प्राथमिक घाटे अब लगभग शून्य हैं। यहां तक कि कुल वित्तीय घाटा अब सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से कम है।

आमतौर पर यह माना जाता है कि यह बेहतर वित्तीय स्थिति ग्यारहवें वित्त आयोग के आबंटनों का ही परिणाम है लेकिन राज्य सरकारों के अपने कर प्राप्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है जो वर्ष 2006–07 में अपने कुल वित्तीय संसाधनों के 55 प्रतिशत से भी अधिक है। कुल प्राप्तियों के समानुपात में केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी कम रही हैं तथा इसमें शायद ही कोई वृद्धि हुई है। वस्तुतः कुल केन्द्रीय कर संग्रहण के समानुपात की तुलना में राज्यों के अपने हिस्से में 2001–02 से कमी आती जा रही है। क्या यह सच नहीं है कि सभी राज्यों सरकारों को एक साथ मिलाकर केन्द्रीय कर राजस्व का एक चौथाई भाग ही मिलता है जबकि वे लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं जो कि लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं? क्या यह सच नहीं है कि राज्यों की कुल राजस्व हिस्सेदारी में अनुदानों में केवल मामूली वृद्धि हुई है? ऐसा क्यों है कि राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में दिया जाता है जो कि 21 प्रतिशत से अधिक है, तथा केन्द्रीय योजनाएं लगभग पांच प्रतिशत ही है? केन्द्रीय योजनाओं को आबंटित स्रोतों में शामिल क्यों किया जाता है? क्या वे केन्द्र सरकार के व्यय नहीं हैं? इन सभी से यह बात जाहिर होती है कि केन्द्रीय विकेन्द्रीकरण एक कोरा वायदा है। यदि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वित्त पर अपना नियंत्रण जारी रखती है तो उसे आर्थिक और सामाजिक परिणामों का और अधिक दायित्व लेना चाहिए लेकिन यह दायित्व देश तथा संविधान के संघीय ढांचों की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

इस विधेयक में जैसा कि मेरे साथी श्री देव ने उल्लेख किया कि 1 अप्रैल, 2009 के बाद स्थापित की जाने वाली तेल शोधन शालाओं से कर छूट वापस लेने का प्रावधान किया गया है जि के कारण 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाने वाली तेलशोधन शालाओं का भविष्य डगमगा गया है। सभी परियोनजाओं का विश्वास डगमगा गया है। प्रस्तावित पाराद्वीप तेल शोधनशाला का भविष्य अधर में लटक गया है। आप योजना अवधि के मध्य में कर छूट वापस क्यों ले रहे हैं?

अब मैं कतिपय कर प्रस्तावों की गहराई में जाना चाहता हूं। भारत में व्यक्ति पर लगने वाले कराधान की मूलभूत छूट सीमा अमरीका तथा चीन से अधिक होगी। तथापि हमें अभी भी यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया के स्तरों पर पहुंचना शेष है। कर में कटौती करने से कर अनुपालन में वृद्धि होने और कर का आधार व्यापक होने की संभावना है। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन सीमित आय वर्ग के लोगों को इसमें बहुत कम राहत मिलेगी क्योंकि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने वाली है और बहुत से लोग जो यह सोचते हैं कि हम कर दायरे से बाहर हो जाएंगे वे सभी मार्च–2009 तक कर दायरे में आ जाएंगे।

विधेयक में एक खण्ड लाभ वाले संगठनों के लिए "पेपर चेरीटीज" को लक्ष्य बनाकर बनाया गया है जो कि गैर सरकारी संगठनों के लिए कर छूट की संभावनाओं का पता लगाता है। यह खण्ड चेरिटी को परिभाषित करने में गलती को स्पष्ट करता है। मैं समझता हूं कि चर्चा शुरू करते समय श्री स्वाईं ने इस खण्ड का उल्लेख किया था। अब तक "चेरिटी" को गरीबों को राहत, शिक्षा और चिकित्सा के रूप में परिभाषित किया जाता था तथा चौथा क्षेत्र इसमें "सामान्य उपयोगिता के किसी अन्य चीज को बढ़ावा देना" के रूप में शामिल किया गया है। इस चौथे क्षेत्र में शामिल होने से इस उपबंध के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। प्रस्ताव यह है कि जो संगठन व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या इससे संबंधित कोई सेवा शुल्क अथवा मूल्य लेकर प्रदान करते हैं उन्हें चेरिटी–संगठन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन मैं एक विशेष बात जोर देकर कहना चाहता हूं। यदि इस प्रस्ताव को अधिनियमित कर लिया जाता है तो इससे गुजरात सामुद्रिक बोर्ड के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय, जिसमें पत्तनों के विकास और रखरखाव को "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" का विषय माना गया था, निष्प्रभावी हो जाएगा।

मेरा यह मत है कि इस संशोधन का आशय वाणिज्यिक कंपनियों को, धर्मार्थ संस्थाओं को उपलब्ध कर छूटों से बाहर रखना है, इस संशोधन से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और व्यापार संघ प्रभावित होंगे क्योंकि वे अपनी सेवाओं के लिए शुल्क संग्रह करते है। तथापि पारस्परता की अवधारणा ऐसे चैम्बरों और संघों इत्यादि पर लागू होगी। यह कोई केवल अकेला उदाहरण नहीं है बल्कि इस वर्ष के वित्त विधेयक से कम से कम 23 न्यायालयों या अधिकरणों के निर्णयों के निरस्त किए जाने की संभावना है।

कर मानदंडों के दुरुपयोग को रोकने में पारदर्शिता लाने के लिए लगभग 11 कर नियमों में संशोधन किया जा रहा है; धर्मार्थ उद्देश्य की

परिभाषा को सरल बनाया जा रहा है, और गमलों में उगाए गए पौधों से प्राप्त आय को कृषि आय में शामिल करके इसका दायरा बढ़ाया गया है। रोचक बात यह है कि इसमें से कुछ संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), आस्थागित कर, लाभांश वितरण कर, आय कर संबंधी ब्याज के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि ये 01 अप्रैल 2001 से प्रभावी होंगे, जिससे बलरामपुर चीनी मिल और सालगांवकर माइनिंग इण्डस्ट्री के मामले में दिए गए आदेश निरस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार शास्ति अधिरौपण की तुष्टि की रिकार्डिंग करने की आवश्यकता को समाप्त करने संबंधी संशोधन को भी 1989 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक का दायरा यही है जिस पर आज हम विचार–विमर्श कर रहे हैं। इसी प्रकार एसोसिएटेड सीमेन्ट्स के मामले में दिए गए निर्णय को आयकर की धारा 201, जो गैर कटौती–कर के परिणामों से संबंधित है, में संशोधन कर निरस्त कर दिया गया है। क्या हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में निर्णीत वादों और नज़ीरों को काफ़ी तरज़ीह दी जाती है? न्यायिक निर्णयों को इस आधार पर कि वे विधायी आशय के विरुद्ध हैं को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने से करदाताओं जो अपने विगत की कर संगणना उक्त निर्णयों के आधार पर करते हैं, के मन में अनिश्चितता पैदा होती है। क्या हमें कहना चाहिए कि सरकार चाहती है कि करदाता विधि के आशय का निर्वचन करें न कि इसे इसके शब्दों का?

इस प्रस्ताव में चिंता की बात यह है कि व्यापार को बढ़ाने में उपयोग में लाई जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया है। मोटे तौर पर सॉफ्टवेयर को सामान्य सॉफ्टवेयर और विशिष्ट सॉफ्टवेयर के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है आज, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग "कस्टोमाइज्ड साफ्टवेयर" पर वैट (मूल्य वर्धित कर) की प्रयोज्यता संबंधी मुकदमेबाजी में शामिल है। कस्टोमाइज्ड सॉफ्टवेयर सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाना शुरू करने संबंधी प्रस्ताव के मद्देनज़र मूल्यवर्धित कर की परिणाम और प्रयोज्यता के बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए यद्यपि इस बात की संभावना है कि सेवा कर और मूल्यवर्धित कर दोनों लगाए जा सकते हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे?

इसके अतिरिक्त इस वर्ष 01 मार्च, 2008 से पैकेज्ड सॉफ्टवेयर उत्पाद शुल्क की 12 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर के अध्यधीन है। तदनुसार शैक्षिक उद्देश्य के लिए आशायित पैकेज्ड सॉफ्टवेयर सहित पैकेज्ड सॉफ्टवेयर राज्य के मूल्यवर्धित करों के अतिरिक्त बढ़ी हुई उत्पाद शुल्क के अध्यधीन है। यह उक्त वस्तुओं संबंधी महत्वपूर्ण संचयी अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। यदि इसके पीछे की सोच यह है कि पैकेज्ड के साथ–साथ कस्टोमाइज्ड दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयरों को 12 प्रतिशत की समान दर से कर का भुगतान करना चाहिए तब इस बात का साफतौर पर उल्लेख किया जाना चाहिए कि चाहे यह उत्पाद शुल्क हो चाहे सेवा कर यह 12 प्रतिशत होगा।

अब मैं इस विधेयक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं जिसने कम से कम कृषि मंत्री के साथ–साथ बड़े कृषक समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। वस्तु, वायदा व्यापार भी चर्चा का विषय है। मंत्री महोदय ने प्रतिभूति व्यापार कर की तर्ज पर वस्तु संव्यवहार कर की शुरूआत की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को शीघ्र वापस लेने की जोरदार वकालत की है। हमें बताया गया है कि कुछ मामलों में सी टी टी से संव्यवहार में 600 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बाजार क्रिया–कलापों को अवैध बाजार की ओर धकेला है। विशेषज्ञों की राय है कि वस्तु संव्यवहार कर एक पश्चगामी कर है। फिर भी सरकार इसे लागू कर रही है। किसी भी कर व्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र में संचालन लागत को कम करना चाहिए और अनौपचारिक क्षेत्र में संचालन लागत में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार के कर लगाए जाने से वस्तु विनिमय मूल्य खोज तंत्र अव्यवस्थित हो जाएगा। मैं सरकार से इस प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं इस सभा का ध्यान वर्ष 2007–08 में दी गई छूट के कारण 2,78,644 करोड़ रुपए गवाएं जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें से लगभग 1,48,000 करोड़ रुपए सीमा शुल्क था और 88,000 करोड़ रुपए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क था। ये आंकड़े विचलित करने वाले हैं। यदि कोई सीमा और केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क की छूट संबंधी अधिसूचना पर गौर करे तो इसकी विषयवस्तु को देखकर किसी का दिमाग चकरा सकता है। यदि कोई यह कहे कि ये छूट भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जरिया है तो माननीय वित्त मंत्री इस बारे में क्या कहेंगे? शायद इन्हीं छूटों के कारण न्यायालयों में विभाग के अनेक मामले चल रहे हैं। क्या यह सच है कि इन छूटों के निर्वचन के कारण सीमा और उत्पाद शुल्क अपील अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में अपीले की गई है?

आखिर में, मैं मंत्री महोदय का ध्यान टी डी एस की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वर्ष 2004–05 में इसमें संशोधन किया गया था। अनेक व्यापारियों और फर्मों ने इसे पहले ही घटा दिया था लेकिन वे इसे 31 मार्च, से पहले जमा नहीं करा पाए। इस धनराशि का भुगतान बाद में किया गया। जिस अवधि के दौरान वे इसका भुगतान नहीं कर पाए उन पर इस अवधि के लिए शास्ति अधिरोपित करके धनराशि

[श्री भर्तृहरि महताब]

संग्रहित की गई। क्योंकि टी डी एस की धनराशि समय पर जमा नहीं कराई गई थी, इसलिए अब टी डी एस की धनराशि को अगले वर्ष की सकल आय में शामिल किया जा रहा है ताकि वे इस आय पर आयकर दे सके। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब एक बार शास्ति अधिरोपित कर दी गई तो इस पर दोबारा कर क्यों लगाया गया है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर बहस हो रही है जो शुक्रवार से शुरू हुई है। 2008–09 के वित्त विधेयक को सदन में पास करना संवैधानिक दायित्व है। संविधान की धारा 110(1)(ए) के अंतर्गत हमें वित्त विधेयक पारित करना होता है। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में टैक्स प्रपोजल्स में जो कुछ सुधार किए हैं, चेंजेस किए हैं, उन्हें इस बिल के जरिए सदन से पारित करना पड़ेगा।

इतने बड़े प्रजातंत्र के प्रतिनिधि के नाते, तकरीबन 18–19 सालों से इस सदन के सदस्य के नाते मुझे इस विषय पर कई बार बोलने का मौका मिला। मेरे सभी साथी, सहयोगी और वरिष्ठ मित्र यहां बैठे हुए हैं। हम सबका यह दायित्व है कि इतने बड़े देश में जो आर्थिक समस्याएं, चुनौतियां हमारे सामने हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है और मेरा मानना है कि इस मंच का उपयोग, इस सदन का उपयोग हम लोगों की भावनाएं, उनकी अपेक्षाएं, उन्हें परिपूर्ण करने में करेंगे। चाहे सरकार में हों या प्रतिपक्ष में हों, उनकी अपेक्षाएं किसी तरह भी परिपूर्ण की जाएंगी। आपने देश को जो आर्थिक चित्र रखा है, बिल्कुल सही है, मैं उसे रोज़ी पिक्चर नहीं कहना चाहता, वह वास्तविकता से परिपूर्ण है। आठ प्रतिशत इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी 8.8 प्रतिशत, हमारा 2003–04 में 2,54,000 करोड़ रुपये टैक्स कलैक्शन था, आज वह बढ़कर 6,87,000 करोड़ रुपये हो गया है। यह लगभग तीन गुना अधिक है। हमारे भंडार भरे पड़े हैं। आपने पेज नम्बर दो में खाद्यान्न के बारे में कहा है। उससे पहले आपने कहा कि चिन्ता का विषय है, उन्होंने पैरा 4 में कहा है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का उत्पादन कम हुआ है यानी 2.6 हुआ है, बाद में उन्होंने आशा जताई है कि और कहा है कि हम खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनने के प्रति कृतसंकल्प हैं। यदि हम सैल्फ–सफिशिएंट नहीं होंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। 2008–09 में हमारी रिवेन्यू 6,87,000 होगी। 260 बिलियन डालर से ज्यादा हमारे पास रिजर्व फंड है। आपने आगे भी कहा है कि इस साल हमारा अनाज का जो उत्पादन हुआ, वह रिकार्ड उत्पादन है। उसके बावजूद देश का जो चित्र हमारे सामने आता है, वह सही नहीं है। देश में सब कुछ है, देश में विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, जीडीपी में विकास हुआ है, मगर जो चित्र हमारे सामने आता है, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मगर यह कहना कि विदेश में जो महंगाई बढ़ी है, उसके कारण देश में आज यह स्थिति है, राज्य बराबर काम नहीं करते, उसके कारण आज देश की यह स्थिति है, तो मैं ईमानदारी के साथ कहूंगा कि हम देश के साथ इस सदन में बैठकर अन्याय कर रहे हैं। मैंने 20 साल में राजनीति से ऊपर उठकर अपनी बात कही है।

अभी आपके सहयोगी मंत्री श्री कमलनाथ जी ने 25 तारीख को इस बारे में कहा है। मैंने देश का सही चित्र रखा है। देश आर्थिक विकास की तरफ जा रहा है। देश में पैसा है, अनाज गोदामों में भरा पड़ा है फिर भी लोग आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। पिछले सप्ताह महंगाई के कारण दिल्ली में तीन लोगों ने फांसी लगा ली। अब यह स्थिति ऐसी क्यों बनी है? आपके सहयोगी मंत्री कमलनाथ जी 25 तारीख यानी दो दिन पहले दुबई में एक बयान दिया है। उन्होंने देश की स्थिति पर बोलते हुए कहा कि 30 करोड़ भारतीय 40 रुपये प्रतिदिन से ज्यादा नहीं कमाते। मैंने पिछली बार अपने वित्त विधेयक के शुरूआत में कहा था कि वर्ष 2006–07 का नैशनल सैम्पल सर्वे आपने बाहर निकाला है, उसे उठाकर आप देखिए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 10 करोड़ लोग प्रतिदिन 9 रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते; गांवों में रहने वाले 30 करोड़ लोग प्रतिदिन 12 रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते; शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 30 करोड़ लोग प्रतिदिन 19 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते; और 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

आप सारी गिनती करेंगे, तो 80–85 करोड़ की फिगर्स में हम आकर रुकते हैं, जहां दो वक्त की रोटी हम 60 साल के बाद नहीं दे सकते। फिर कहते हैं कि देश में प्रगति हो रही है। हम इससे मना नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बाद आर्थिक विकास का लाभ इस देश के निर्धन, मध्यमवर्ग और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा है। कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा है – बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ का क्या फायदा क्योंकि उस वृक्ष के पास से गुजर रहे पथिक को उस पेड़ की ऊंचाई के कारण न तो उसे उसकी छाया मिली

है और न ही फल! यह अर्थतंत्र की जो चमक है, उसकी रोशनी देश के लोगों तक नहीं पहुंच रही है। 80 करोड़ लोग इस देश में दो वक्त की रोटी कैसे खाएं, इस पर हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। मैं आरोप–प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। मुझे जब कभी सदन में बोलने का मौका मिलता है तो मैंने हमेशा वही बात कही है जिसे आपने भी देख होगा क्योंकि आप भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप भी अपने क्षेत्रों में जाते होंगे।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : यही सच्ची भावना है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : सांसदों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आठ लाख रुपए का कोष स्वास्थ्य मेले के आयोजन के लिए दिए जाते हैं। मैंने इसके माध्यम से अपने क्षेत्र अहमदाबाद के एक गरीब इलाके में इसका आयोजन किया था। यही वजह थी कि शुक्रवार को मैं फाइनेंस बिल पर इनिशिएट करने वाला था, लेकिन उसके लिए सदन में नहीं पहुंच सका। तीन दिन में, इतनी धूप में लगभग 6 हजार गरीब लोगों ने इसका फायदा उठाया। लम्बी–लम्बी लाइनें लगी थीं, एनाउंसमेंट करना पड़ता था कि तीन दिन के बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको दवाइयां और ट्रीटमेंट मिलेंगे। यह शहरों की स्थिति है। इस स्थिति पर हमें गहन विचार करना होगा। पैसा आ रहा है, लेकिन वह गरीब तक नहीं पहुंचता है। योजनाएं बनाई जाती हैं। आपने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाई है। आपकी ही पार्टी के नेता कहते हैं कि इसका ठीक तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यह हम सभी को मिलकर करना होगा। मैं दो–चार बातों पर विशेष ध्यान देना चाहूंगा। वित्तमंत्री जी, अब आप वर्ष 2007 में चुनाव के समय गुजरात आए थे, वहां आपने कहा था कि गुजरात की जनता पर इस सरकार ने तीन गुना ज्यादा कर्ज लाद दिया है। आज हमारे देश का कर्ज 30 करोड़ लाख रुपए है अर्थात प्रति व्यक्ति पर लगभग 30,000 रुपए का कर्ज है। यह कर्ज पांच गुना ज्यादा है। हमारे विदेश व्यापार में भी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन आपने उसका उल्लेख नहीं किया है। इम्पोर्ट डेफिशिएंसी 40 बिलियन डालर है। आपने पृष्ठ संख्या 17 में निर्यात में 21 प्रतिशत की वृद्धि का उल्लेख किया है लेकिन आयात में कमी के संबंध में कुछ नहीं बताया? डालर का रिजर्व फंड होने के बाद भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। हममें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से 12 बिलियन डालर लिए हैं। पैसों की आवश्यकता है; पैसे हमारे पास हैं, फिर भी हमें बाहर से कर्ज लेना पड़ता है। देश एग्रीकल्चर के मामले में सेल्फ–सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है।

ये सारी बातें हैं, सिर्फ कमनाथ जी ही नहीं कहते हैं और भी कहते हैं। आपने भारत निर्माण की बात कही है। वह पेज नम्बर तीन और पैरा नम्बर दो पर है। मुझे इस बात का दुख होता है कि हम सबको मिलकर देश के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना था, वह नहीं कर पाए हैं। इसके लिए आपका कोई समयबद्ध कार्यक्रम है या नहीं, यह बताएं, क्योंकि देश की आजादी के 60 साल बाद भी, मैं इस पार्टी या उस पार्टी की सरकार की बात में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सच्चर कमेटी ने कहा था कि देश के 5,85,000 गांवों में से 2,12085 गांवों में पक्के रास्ते नहीं हैं। इसी तरह 3,500,35 के करीब गांवों में बस स्टाप नहीं हैं। 279009 में पोस्ट आफिस नहीं हैं। फिर हम भारत निर्माण में तीन साल के बाद क्या कहते हैं 1000 दिन के बाद, हमने 17,000 गांवों को रास्ता दिया। अब दो लाख गांव बाकी हैं। आपने कहा कि हमने 52,000 गांवों में टेलीफोन दिए और 42,000 गांवों में बिजली आ गई। हिसाब लगाएं तो अभी ढाई लाख गांवों में ये सारी सुविधाएं जाने में 25–30 साल से ज्यादा का समय लगेगा। इस विकास की आर्थिक रफ्तार को किस नजरिए से आप देखेंगे, यह बताएं?

मैं एक अन्य बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेहताब जी वित्त विधेयक पर बोल रहे थे। आपने किसानों के बारे में चिंता की, यह सही बात है और उसके लिए आपने 60,000 करोड़ रुपए के पैकेज देने की बात भी कही है। लेकिन यह एक पीरियड के लिए है, आपको समस्या के मूल में जाना होगा।

[अनुवाद]

किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? यह जीवन का एक मुश्त निपटारा है। आपने पैरा 4 में सही उल्लेख किया है कि हमें कृषि उत्पाद बढ़ाने के बारे में जागरूक होना चाहिए।

[हिन्दी]

वह 2.6 प्रतिशत से बढ़ानी होगी। लोग मर जाएं, फिर हम उन्हें मुआवजा दें, यह ठीक नहीं है। देश में इस समय 67 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। आप कहते हैं कि मुझे किसानों की चिंता है। आप आई टी एक्ट – 2 (15) में संशोधन करने जा रहे हैं। उसमें बताया है कि देश की जो सारी संस्थाएं हैं, वे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के नाते काम करती हैं। जब देश में कोई आपत्ति आती है, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या बाहरी आक्रमण हो, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हमेशा आगे पहुंच जाते हैं। मैंने देखा है और आपने भी इस चीज को देखा है। किसानों की चिंता करते हुए आप इस बात को भूल जाते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं, जहां एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज

[श्री हरिन पाठक]

हैं। महाराष्ट्र में सात डिवीजनों में 36 जिलों में हैं और इन्हें किसान चलाते हैं। किसानों को ये सहकारी संस्थाएं कर्ज देती हैं। उनकी फसल की रखवाली भी करती हैं और दान-पुण्य भी करती हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, जबकि मेरे पास उसकी पूरी जानकारी है। उनसे आपने भेंट की है, उन्होंने आपसे भेंट की और वे उस बैठक से संतुष्ट हैं। ये किसानों द्वारा संचालित हमारी सहकारी समितियां हैं। इसमें टू बाई फिफटीन संशोधन करने जा रहे हैं और गुजरात में 100 रुपए पर 67-70 पैसे ये लोग चार्ज के रूप में लेते हैं। उसके बदले किसानों के बच्चों को पढ़ाने का काम, गांवों में तालाब बनाने और स्कूल बनाने का काम ये समितियां करती हैं तथा सरकार को भी पैसा देती हैं। इसलिए किसानों की संवेदना की जब आप बात करते हैं, बजट में भी आपने कहा है कि एपीएमसी जैसी संस्थाएं जो किसानों से जुड़ी हैं, उनके लिए यह जो संशोधन करने जा रहे हैं उसके साथ वे महिलाएं भी जुड़ जाएंगी, जो समाज सेवा का काम करती हैं। गुजरात में इला बेन शाह हैं और लिज्जत पापड़ बनाने वाली ऐसी अनेक संस्थाएं हैं। वह किसी राजनैतिक दल से जुड़ी नहीं हैं। विदेश में उनका बहुत बड़ा नाम है। पापड़ बनाती हैं, गरीब महिलाएं उनके साथ काम करती हैं, उसको भी आप 2(15) में अमेंडमेंट करोगे, तो वे अफैक्टेड होंगी। जो मेडिकल स्टोर्स चलाते हैं वे अफैक्टेड होंगे। आप अर्थशास्त्री हैं, आप इस पर सोचिए। "सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी"। मैं लोगों के बीच रहकर उनसे मिलता हूं। "टाइम्स ऑफ इंडिया" ने पहली बार 28 फरवरी को आपके बजट भाषण से पहले कई दिन तक लिखा "बजट हो तो कैसा"। गुजरात टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा कई लेख लिखे गए। ये आर्टिकल्स प्रो. बकुल ढोलकिया जी, आईआईएम के पूर्व डायरेक्टर और मुकेश भाई पटेल, टैक्स कंसलटेंट, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी से जुड़े श्री जयनारायण जी व्यास, अर्थशास्त्री जी ने कहा कि कैसा बजट होना चाहिए। एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया।

[अनुवाद]

जब सत्तारूढ़ दल द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया तो मैं निगम में सदस्य था, जहां हमने बजट में सम्मिलित प्रस्तावों के बारे में संशोधन किए।

[हिन्दी]

अगर हमें मौका मिले तो हम ऐसा बजट रखेंगे। आज उनके कारण हमारे सामने सारी बातें आई हैं। मैं चाहूंगा कि एपीएमसी जो किसानों के साथ जुड़ी हुई संस्था है, उन्हें जो चैरीटेबल इंस्टीट्युशन्स में माना गया है, रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। एक तरफ आप किसान के प्रति संवेदना की बात करते हो। मैं बहुत संवेदनशील हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि हम यहां बैठे हों या वहां बैठे हों, हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आई। देश की विधान सभाओं में, लोक सभा में हंगामा होता है लेकिन यहां बैठा हुआ प्रत्येक सांसद चाहे किसी भी दल का हो, इस देश की जनता के प्रति उसकी संवेदना है और माननीय वित्त मंत्री जी आपके ह्रदय में भी है। मुझे आपकी सत्यनिष्ठा पर संदेह नहीं है। कहां हम गलत साबित होते हैं, इन 60 सालों में, इसलिए मैंने इतने उदाहरण दिये हैं।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद भी हमारे में क्या कमी है? हमारे कार्यक्रम तथा नीतियां क्यों उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही हैं? इन नीतियों तथा कार्यक्रमों के परिणाम हमारे गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं?

[हिन्दी]

यह यक्ष प्रश्न हमारे सबके सामने है। परसों मेरे क्षेत्र में, 42 डिग्री टैम्प्रेचर में, सभी धर्म के लोग स्वास्थ्य मेले के लिए लाइन में खड़े थे और पूछ रहे थे कि पाठक साहब क्या मंडे को चलेगा, मेरा रजिस्ट्रेशन है लेकिन बहुत भीड़ है। मुझे एक बात पर आपसे जानकारी प्राप्त करनी है, वह 182, पेज 29 पर है।

[अनुवाद]

मैं यह समझ नहीं पाया हूं कि कर राजस्व तटस्थ किस प्रकार है। मैं आपके बजट भाषण की पृष्ठ सं. 29 के पैरा 182 का उद्धरण दूंगा। इसमें कहा गया है, "प्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे कर प्रस्ताव राजस्व तटस्थ हैं।"

[हिन्दी]

मुझे जो कुछ ज्ञान इन महानुभावों से मिला और मैंने जो कुछ पढ़ा है, वह सही नहीं भी हो सकता है।

[अनुवाद]

मैं चाहता हूं कि उत्तर देते समय आप मुझे बताएंगे कि जो परिकलन मैं कर रहा हूं, वह सही नहीं है और यह सही परिकलन है। मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं। आप कहते हैं कि जो टैक्स प्रपोजल है वह रेवेन्यू न्यूट्रल है। इस बार आपने ब्रेक-अप नहीं दिया है। इन मनमोहक कर छूटों के बाद कितने करदाता बच पाएंगे? मैं कुछ अर्थशास्त्रियों से मिला और उनके अनुसार इस देश में लगभग तीन करोड़ करदाता हैं। इन छूटों के कारण केवल 60 लाख करदाता ही कर

दायरे से बाहर आ पाएंगे। प्रदान की गई राहत का लाभ 4,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच है। औसत लाभ लगभग 24,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच है। चूंकि आपने ब्रेक–अप नहीं दिया, इसलिए मैं ब्रेक–अप दे रहा हूं। यदि आपके पास ब्रेक–अप है तो कृपया हमें बताइए।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री पी. चिदम्बरम : श्री सुरेश इसे देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : या तो आप या फिर श्री सुरेश ब्रेक–अप दे सकते हैं। परन्तु आपने ब्रेक–अप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

चार हजार मिनिमम है और दस लाख के ऊपर वाले को पैंतालीस या पचास हजार है।

[अनुवाद]

मैं आपसे केवल यह अनुरोध कर रहा हूं जब आप वाद–विवाद की समाप्ति के पश्चात् उत्तर दें तो हमें स्पष्ट रूप से बताएं कि कितने करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। मेरे हिसाब से यह 4000 से 50,000 के बीच होगा।

[हिन्दी]

अगर हम उसके बीच वाली रकम निकाले तो 20 हजार या 25 हजार रुपए के आस पास प्रत्येक को बेनिफिट होगा। मैं वह ढाई करोड़ नहीं गिनता हूं।

[अनुवाद]

यदि आप 2.40 को 25 से गुणा करें तो राहत 60,000 करोड़ होगी।

[हिन्दी]

60 हजार करोड़ रुपए आपको ज्यादा लाने पड़ेंगे।

[अनुवाद]

जोकि आप कर राहत के रूप में दे रहे हैं। 2007 में 2,18,000 करोड़ रुपए की अनुमानित आय थी, इस वर्ष आप 2,38,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रहे हो।

[हिन्दी]

20 हजार ये हो गए। 60 और 20, 80 हजार करोड़ रुपए हो गए तथा आप कहते हैं कि ये रेवेन्यु न्यूट्रल है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं छठे वेतन आयोग की बात नहीं कहता, वह फिगर मैं नहीं जोड़ता। किसानों की 60 हजार करोड़ की फिगर नहीं जोड़ता, लेकिन इन दो फिगर्स की तरफ देखिए कि जब आप 60 हजार करोड़ रुपयों की राहत देंगे, आप 2 लाख 17–18 हजार करोड़ रुपए से लेकर 2 लाख 37 हजार कीजिए और बीस–पच्चीस हजार करोड़ रुपए एवरेज मान लीजिए, जो भी हो, आप आखिरी में केल्कुलेट करके बताइएगा। 70–80 हजार करोड़ रुपया कहां से आएगा?

[अनुवाद]

एकमात्र महत्वपूर्ण राजस्व अल्प अवधि पूंजी लाभ कर से प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

वे सब तो मारिसियस रूट से आते है। फारेन इंवेस्टर्स आते हैं। उनमें आपने 10 परसेंट से 15 परसेंट कर दिया। उसमें काफी लोग मारिसियस रूट से आने के कारण, उन्हें छूट है।

[अनुवाद]

पूंजी बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या आपको उम्मीद है कि आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं? पैरा 182 में आप कहते हैं कि पूंजी राजस्व तटस्थ है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया हूं। न्यूनतम 70,000 रुपए से 80,000 रुपए का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वह हमें यह बात समझाएं।

अपने अंतिम बिंदु पर आते हुए मुझे लगता है कि बैंक नकदी लेन–देन कर संबंधी पैरा 181 में मुद्रण संबंधी कोई त्रुटि है। इसे सबसे पहले मैंने उठाया। जब इसका उल्लेख किया गया तो मैं तुरन्त चिल्लाया और फिर पूरी सभा ने मेरा साथ दिया।

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है? आप अपना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, उस पर टैक्स लगेगा। आपने कहा कि बाद में इसे हटा लेंगे। यह आपने अप्रैल 2009 में कहा है। यहां वर्ष 2008 होना चाहिए। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इसे हटा रहे हैं, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि यह वर्ष 2009 अप्रैल में हटा लिया जाएगा। इसके दो मतलब मैं निकलता हूं कि या तो आप इस बार करें या अगली बार आप वहां नहीं बैठेंगे, इसलिए आपने पहले से ही हमारी बात मान ली है। हम इसे ठीक कर लेंगे, मैं तो पहले से ही इसके खिलाफ हूं। आप अगले साल के बजट के प्रपोजल की घोषणा आज कर रहे हो कि एक अप्रैल 2009 से कैश विड्राल पर जो टैक्स लगा है, मैं उसे विड्रा करूंगा। मैंने

[श्री हरिन पाठक]

पहले भी सदन में कहा था कि यह व्यावहारिक नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसी साल से करो, अगर आपने अगले साल के लिए हमारे लिए छोड़ा है, तो हम करेंगे ही करेंगे।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि टीडीएस के बारे में भी आप गंभीरता से सोचें। एकोरडिंग टू इनकम टैक्स, अगर आप उस पर पैनल्टी लगाते हैं कि उसने टीडीएस नहीं भरा, आप उस पर चार्ज लगाते हो, उससे इंटरेस्ट लेते हो, उसके बावजूद उसने टीडीएस लेट भरा, उस एक्सपेंडिचर को ही इनकम माना जाए। इससे डवलपिंग स्टेट्स हैं, उसमें काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी होगी।

मैंने जो दो–तीन सुझाव रखे हैं, उनके बारे में हम सबको सोचना पड़ेगा। इस देश की बहुत मूलभूत समस्याएं हैं, उनके बारे में एक–एक साल के अंदर नहीं आने वाले पांच सालों तक, 2020 तक देखना होगा, जो हमारे मन में था और भारत निर्माण आपके दिमाग में भी है कि इस देश में कोई भूखा न सोए, इस देश में किसान, गरीब या कोई व्यक्ति तंगी के कारण, गरीबी के कारण आत्महत्या न करे। अगर आत्महत्या होती है तो चाहे वह किसी का बेटा हो लेकिन खून तो हमारे देश का है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं कि आप इसे देखें।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलते हुए हम अपने विचार विस्तृत रूप से व्यक्त कर चुके हैं। इसलिए, इस बारे में बोलने का दायरा सीमित ही है। मैं कर संबंधी कानूनों की सराहना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। चालू बजट में जिस प्रकार से कर प्रणाली तैयार की जा रही है, मैं उससे संबंधित गंभीर चिंताओं, आशंकाओं तथा गलतफहमियों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

भारत विश्व के उन देशों में से है जहां सबसे कम कर लगाया जाता है। इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, भारत उन देशों में से भी है जो मानव संसाधन सूचकांक के संदर्भ में सबसे निम्न श्रेणी के देशों में से है। अतः कर कम से कम है – गरीबी अत्यधिक है; कर कम से कम है – वंचन अधिकतम है; कर कम से कम है – रोजगार भी कम से कम है। ये सभी परस्पर विरोधी सच्चाइयां तथा तथ्य हैं, जिन पर माननीय वित्त मंत्री महोदय को, जो शायद अपना अंतिम बजट तैयार कर रहे थे, इनपर ध्यान देना चाहिए था।

कर–प्रणाली अधोगामी है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कर–प्रणाली अधोगामी है। हम सभी अधोगामी कर प्रणाली के परिणामों से परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि अपनायी जा रही अधोगामी कर प्रणाली तथा नीतियों के कारण किस प्रकार हमारे यहां कुछ लोगों के पास बेइंतहा पूंजी एकत्र हो गयी है, किस तरह नवधनाढयों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है; और किस तरह करोड़पतियों तथा अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। परन्तु कर प्रणाली अधोगामी ही है।

मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं कि सरकार के पास कर आधार बढ़ाने तथा जिनकी भुगतान करने की क्षमता है, उनपर और अधिक कर लगाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति अथवा प्रतिबद्धता का अभाव है। कर कानून भेदभावपूर्ण हैं और यह भेदभाव गरीब–हितैषी न होकर अमीर हितैषी है। यह सच है कि कर जी डी पी अनुपात में वृद्धि हुई है, परन्तु यह अब भी बहुत कम है।

यदि मैं आरंभ में जाऊं तो सबसे पहले मैं आय कर का जिक्र करूंगा। कुल कर राजस्व में आय कर का योगदान 18 प्रतिशत है। परन्तु छूट को दोगुना कर दिया गया है। छूट बढ़ने के कारण आय कर अपवंचन के रास्ते खुल गए हैं। दूसरे मैं कार्पोरेट कर का जिक्र करूंगा। कुल कर राजस्व में कार्पोरेट कर का योगदान 30 प्रतिशत है। परन्तु छूटें 17 हैं। अब मैं सेवा कर पर आऊंगा। अर्थव्यवस्था के फलते–फूलते क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र में, माननीय मंत्री महोदय निश्चित रूप से मानेंगे कि कर केवल 12 प्रतिशत है। सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जब 20 प्रतिशत अथवा 23 प्रतिशत लोग देश के आर्थिक विकास का विशेष रूप से लाभ उठा रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि कर कानूनों द्वारा उन पर कर लगाकर पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता।

कर की संरचना की ओर देखिए। कर की संरचना इस प्रकार की है कि – प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि के बावजूद प्रत्यक्ष कर अब भी कर राजस्व के 49 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर उन लोगों को दायरे में लेता है, जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं। यह 49 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। यह समानता नहीं है। यह समानता के साथ विकास नहीं है। कर कानूनों में समानता की इतनी कमी है कि यह कर राजस्व के 50 प्रतिशत से भी कम है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष कर कुल कर राजस्व के 51 प्रतिशत से अधिक है। अप्रत्यक्ष कर का भार कौन उठाता है? अप्रत्यक्ष कर का भार आम लोग उठाते हैं। हमारे समर्थन से चार साल तक सरकार चलाने के बाद आज की सरकार अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से अपने राजस्व का मुख्य भाग जुटाती है, जिससे आप लोगों पर अधिक भार पड़ रहा है। क्या यह समानता है? क्या यह सामाजिक न्याय है? क्या हम इन सिद्धांतों के लिए लड़े थे?

महोदय, मैं केवल इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं। प्रश्न कर

छूट का है। डा. मनमोहन सिंह और श्री पी चिदम्बरम के नेतृत्व में यू पी ए सरकार के कार्यकाल में इन वर्षों के दौरान छूट बढ़कर जी डी पी के 5.1 प्रतिशत से 5.9 प्रतिशत हो गई। छूट जितनी अधिक होगी, व्याख्या का दायरा उतना ही विस्तृत होगा; और व्याख्या का दायरा जितना व्यापक होगा, उतना ही अधिक अपवंचन होगा, अधिक भ्रष्टाचार होगा और शक्तिशाली लॉबियों तथा राजनीतिक नेताओं की आज्ञा मानने का दायरा भी बढ़ेगा।

महोदय, मंत्री महोदय ने धन के मामले में कितनी छूट दी है? जी डी पी के संदर्भ में यह 5.9 प्रतिशत है, परन्तु धनराशि के संदर्भ में यह 2,78,644 करोड़ रुपए है। छूट के कारण हमें इस धनराशि का नुकसान हुआ है। किसे लाभ पहुंचा है? क्या गरीब लोग लाभान्वित हुए हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक लोगों की है और केवल तीन करोड़ लोग ही कर का भुगतान करते हैं। इसलिए दो करोड़ या लगभग 2.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। कार्पोरेट जगत को इससे लाभ हुआ है। कई प्रकार की व्याख्या का लाभ उठाते हुए भ्रष्टाचार पनप रहा है, राजनीतिक लॉबियों का ख्याल रखा जा रहा है तथा शक्तिशाली कार्पोरेट्स को छुआ नहीं जा रहा है।

महोदय, बजट पूर्व आयोजित चर्चाओं में हमने माननीय मंत्री महोदय को सुझाव दिया था। हमने उन्हें सुझाव दिया था कि देश की मूलभूत मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यापक बजट– अधिक बजट, अधिक निवेश, अधिक संसाधन और अधिक लक्षित प्रयास किए जाने चाहिएं। बजट क्या है? यह 7,00,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। हमें 10 लाख करोड़ रुपए के बजट की आशा थी। हमें सामाजिक अवसंरचना हेतु और अधिक निवेश की आवश्यकता थी। गरीबी के उन्मूलन के लिए हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी।

हम चाहते थे कि लोगों के पास पर्याप्त भोजन हो लोगों को रोजगार मिले। परन्तु सरकार की व्यापक बजट बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि इसमें इस देश के धनी लोगों को छूने की हिम्मत नहीं है। धनी हितैषी होना भेदभाव है। धनी–विरोधी होना भेदभाव नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि वामपंथी सरकार होनी चाहिए। मैं वर्ग विशेषता को जानता हूं। मैं सीमाओं को जानता हूं। मैं उन शक्तियों के विलक्षण गठजोड़ से वाकिफ हूं, जिनके साथ हम रह रहे हैं। परन्तु यही मूल प्रश्न है। स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद तथा वामपंथी दलों के समर्थन से चार वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद क्या माननीय वित्त मंत्री महोदय को एक नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था, एक नया आरंभ नहीं करना चाहिए था? नया आरंभ क्या है? क्या विशेषता है? क्या नयापन है?

माननीय मंत्री महोदय ने एक नया अंग्रेजी शब्द "अनडुएबल" तैयार किया है। डुएबल और अनडुएबल का प्रयोग किया जा रहा है। क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। अनडुबएल के बहाने कुछ भी नया नहीं किया जा रहा है। वह उसी दिशा में चल रहे हैं। हम जानते हैं कि दो कदम उठाए गए हैं – रोजगार गारंटी योजना तथा किसानों की ऋण माफी। हम यह जानते हैं, परन्तु यह काफी नहीं है। यह महत्वपूर्ण तो है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है व्यापक बजट, अधिक संसाधन, धनी लोगों पर अधिक कर, अधिक निवेश। नया आरंभ करते हुए, व्यापक बजट प्रस्तुत करते समय श्री चिदम्बरम आपने लोगों को कोई नई आशा नहीं दिखाई है। आपने कोई नई पहल नहीं की है। जिन लोगों ने वोट देकर आपको सत्ता दिलाई, आपने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया। आप यह नहीं दिखा पाए कि आपकी नीतियां भाजपा की नीतियों से अलग हैं। आप इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। अतएवं इसमें नया क्या है? हमें खेद है। हमें बेहद खेद है। हम नहीं चाहते कि राष्ट्र पर मध्यावधि चुनाव थोपे जाएं। अतएवं, मैं कटौती प्रस्ताव नहीं ला रहा हूं। ऐसा स्थिति की बाध्यता के कारण हो रहा है। परंतु मैं कहता हूं कि हमें खेद है। हमें बेहद खेद है। हमें इस बात का दुख है कि जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे हैं उसने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है और कर कानून बनाए हैं। हमें खेद है। हमें बेहद खेद है। मैं माननीय मंत्री की उन कर कानूनों के लिए सराहना नहीं करूंगा जिसका उन्होंने वायदा किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

पिछली बजट चर्चा जो बजट प्रस्तुत करने के ठीक बाद हुई थी उस में हम सभी ने सरकार की मौद्रिक नीतियों की रूपरेखा पर चर्चा की थी। बजट प्रस्तुत होने के बाद काफी सुखाभास हुआ था। जब किसान बिलख रहे थे अपनी छाती पीट रहे थे और यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उस समय लगातार मेंजें थपथपाकर स्वागत किया जा रहा था। हमने सोचा था कि संभवतः यदि किसानों को खेतों से अच्छी फसल नहीं मिल रही है तो हम बेहतर राजनीतिक फसल काट पाएंगे। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इस राजनीतिक फसल को भी खतरा है। उस पर हमें यह चिंता सता रही है कि आगे किस प्रकार जाएं और चुनावों का सामना किस प्रकार करें। अब मध्यावधि चुनावों आदि की बातें उस सुखाभास की भांति अदृश्य हो रहा है जो पिछले बजट के समय महसूस हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा मुद्रास्फीति के कारण हो रहा है। यह आम आदमी को वास्तव में अत्यधिक प्रभावित कर रही है।

पहला बिंदु तो तभी उठता है जब हम यह कहते हैं कि मुद्रास्फीति 7.24 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत है क्योंकि यह स्पष्ट करने की आवश्यकता

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

है कि वास्तव में यह आंकड़ा क्या है? मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमें बताए कि उन्होंने इन आंकड़ों की गणना किस प्रकार से की है। मूलतः इसके लिए थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी पी आई) के साथ सीपीएम की भी आवश्यकता होती है यहां पर नहीं दिए गए हैं – उन्होंने यह गणना किस प्रकार से की है?

श्री गुरूदास दासगुप्त : ये एक बुद्धिमतापूर्ण टिप्पणी है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं अभी उसी बात पर आ रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : आपने एक प्रश्न किया है। मैं समझता हूं यह उसी प्रकार से किया गया था जिस प्रकार से आपने 1999 और 2004 के बीच जब कुछ भी नहीं बदला था, के दौरान गणना की थी।

मेरा मानना है कि 2000–2001 में जब आप मंत्री थे उन 52 सप्ताहों में से 48 सप्ताह तक मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत से अधिक थी। उनमें से 22 सप्ताह तक यह दर 7 प्रतिशत से अधिक थी और उनमें से 12 सप्ताह तक यह 8 प्रतिशत से ऊपर थी। यदि आप ऐसा मानते हैं कि 2000–2001 में आंकड़ों की सही गणना की गयी थी तो विश्वास करे आज भी आंकड़ों की सही गणना की गयी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : यह केवल मेरे उस वक्तव्य की पुष्टि करता है कि मेरे मित्र द्वारा अपनाई गयी आर्थिक नीतियां और मेरे पूर्व मित्र द्वारा अपनाई गयी आर्थिक नीतियां एक ही हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसलिए, चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री कह रहे हैं कि उस समय मुद्रास्फीति की दर क्या थी और इस समय क्या है? अतएवं अगले चुनावों का परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा सकता है। मेरा प्रश्न यह था कि यह गणना आपने किस प्रकार से की है। आप उस मुद्रास्फीति का वास्तव में आंकलन किस प्रकार कर सकते हो जिसकी मार आम आदमी पर पड़ रही है और बढ़ती कीमतों से उसकी जेब खाली कर रही है। भारत सरकार के सरकारी आंकड़ों में इस तथ्य को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम जाकर आम आदमी से बात करें तो हमें यही सब सुनने को मिलेगा। जब हम कहते हैं कि 7% है या जो भी है, जो कि पिछले वर्ष के आंकड़े से 7% अधिक है तथा यह पिछले महीने के आंकड़े से भी पांच प्रतिशत ज्यादा है, हम पहले ही से कह रहे है कि सरकार के लिए बेहतर होगा कि वह मुद्रास्फीति को 5% से नीचे लाए। अतएव जो भी हो मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत की दर से बढ़ रही है क्योंकि यह सहन स्तर दर्शाती है इससे ऊपर यह 7% तक बढ़ चुकी है। इस प्रकार आम आदमी इससे प्रभावित हो रहा है क्योंकि यह केवल 7% ही नहीं है अपितु वह पहले ही वर्ष दर वर्ष पांच प्रतिशत का नुकसान उठा चुका है जो कि सहन स्तर है। उन लोगों के मामले में मुद्रास्फीति निष्प्रभावी साबित होती है जिन्हें मंहगाई भत्ता मिलता है परंतु 90% लोग सरकार की ओर से मिलने वाले मंहगाई भत्ते का लाभ न ले पाने के कारण इससे प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग मुद्रास्फीति से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। अतएव यह सुखाभास लुप्त हो गया है। प्रधान मंत्री ने एक अन्य अवसर पर यह भी कहा है कि राजनीतिक दलों को बढ़ती हुई मुद्रास्फीति से पूंजी बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राजनीतिक दल शांत रहें और मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। हमें उस स्थिति में चुप रहने में और अधिक प्रसन्नता होगी जिसमें आप आम आदमी को इस बात के लिए राजी कर सकें कि वे शोर न मचाएं क्योंकि हम उनका ध्यान रख रहे हैं। यदि ऐसा हुआ जो हमें और ज्यादा प्रसन्नता होगी। परंतु आज आम आदमी वास्तव में पीड़ित हो रहा है। यह पहले से ही प्रत्याशित था। पिछली बजट चर्चा में हमने पहले ही कह दिया था कि आपूर्ति बाधित होने से बाद में समस्याएं पैद हो सकती हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और मांग बढ़ रही है और इसीलिए उन उत्पादों की मांग ज्यादा बढ़ती जाएगी जो उपलब्ध नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होगी जो कि वास्तव में एक अवसंरचनात्मक समस्या है। दुर्भाग्य से सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम क्या कह रहे हैं? मुद्रास्फीति वैश्विक प्रवृत्ति के कारण बढ़ रही है। अतएव विश्व बाजार इसका उत्तरदायी है। भारत में ऐसा कहा गया कि इसके लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। यही स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है वहां वैश्विक बाजार इसका उत्तरदायी है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय सरकार इसकी उत्तरदायी है। मैं इसका कारण पता करना चाहता था। इसलिए मैं राज्य सरकार के पास पहुंचा तो इससे निपटने के उपाय खोजने में व्यस्त थी। अतएव मैं राज्य सरकार के परामर्श पर जिला सरकार के पास पहुंचा। राष्ट्रीय सरकार पहले ही से अपना पल्ला झाड़ चुकी है। जैसाकि आपको ज्ञात होगा 73वां और 74वां संशोधन हुआ है। अब यह दायित्व निम्नतर सरकार का बन गया है। वे राज्य सरकार का दायित्व कैसे संभाल सकती है? राष्ट्रीय सरकार अपना पल्ला पहले से ही झाड़ चुकी है। अंततः मैंने यही पाया कि इसके लिए ग्राम प्रमुख; सरपंच उत्तरदायी होना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बल्कि तहसीलदार उत्तरदायी है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : परंतु ग्राम प्रमुख अपने घर में उपलब्ध नहीं थी क्योंकि वह यह देखने बाहर गयी हुई थी कि क्या उसे बाजार से कुछ अनाज मिल पाएगा? अतएव मुझे सही सही उत्तर नहीं मिल सका। वस्तुतः सरकार ने वास्तविक समाधान सामने रखे हैं कि जो वैश्विक रूझान और राज्य सरकार हैं। अब हमें इस सरकार से दिल्ली

में प्रश्न नहीं पूछने चाहिए अपितु बाजार निकलकर हमें यह पता करना चाहिए कि आखिर इस सब के लिए कौन उत्तरदायी है। परंतु अब हमें किस बात की चिंता है। यह राजकोषीय घाटा है वस्तुतः छः सप्ताह पहले यही बात मैंने इस सदन में कही थी। अब नए आंकड़े आए हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो तेल के मामले में इस वर्ष के अंत तक 160 हजार करोड़ रुपये तक की कम वसूली होगी जो कि हमारा अपोषित घाटा होगा। मूल्य बढ़ रहे हैं। यह पहले ही 120 डालर प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। अगर यही स्थिति रहीं, तो हमारे लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न जो जाएगी। मैंने पिछली चर्चा के दौरान वित्त मंत्री जी से उर्वरक राजसहायता के संबंध में एक प्रश्न पूछा था। उर्वरक मंत्री जी ने यह कहते हुए एक पत्र लिखा है कि इस वर्ष प्रदान की जाने वाली उर्वरक राजसहायता एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये होनी चाहिए।

महोदय, 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी की घोषणा कर दी गई है। वास्तव में कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्री जी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया कि वे इस पर पुर्नविचार कर रहे हैं चूंकि पहले ही विभिन्न लोगों द्वारा इस राशि को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। इसलिए यह संभावना है कि यह राशि बढ़ा दी जाएगी, परंतु आज की स्थितिनुसार यह 60,000 करोड़ रुपये है। मुझे नहीं मालूम कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप कितना बोझ पड़ेगा।

खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। मैं वित्त मंत्री से हमें यह बताने का अनुरोध करूंगा कि कितनी खाद्यान्न राजसहायता की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज दरें बढ़ रही हैं। सरकारी ऋण भी 1,30,000 करोड़ रुपये से अधिक रहेगा और इसके लिए अतिरिक्त ब्याज का प्रावधान करना होगा चूंकि हम अतिरिक्त दर पर ऋण लेने जा रहे हैं इसलिए संभवतः इन सब को मिलाकर वित्तीय घाटा बहुत अधिक रहने की संभावना है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक प्रतिक्रिया यह है कि इसके लिए वायदा बाजार उत्तरदायी है। वामदल से मेरे मित्र ऐसा कह रहे हैं। परन्तु वस्तुतः मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। अगर ऐसा है तो आप इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, परन्तु अब तक इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तत्पश्चात् इस्पात के दाम नीचे लाए जाने चाहिए या नहीं इसको लेकर मंत्रियों के बीच बहुत मतभेद हैं और वे इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आज तक इस पर सर्वसम्मति नहीं हो पाई है कि हम मूल्य वृद्धि को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे।

अपराह्न 3.26 बजे

*(**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** पीठासीन हुए)*

महोदय, विकास दर अत्यंत महत्वपूर्ण है चूंकि इसका प्रभाव अनेक चीजों पर पड़ता है। यहां वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और मैं भी इस पर चर्चा करूंगा। मैं इस पर चर्चा करूंगा। परंतु इस बजट का संपूर्ण ढांचा विकास दर पर निर्भर है। यदि विकास दर 9 प्रतिशत या इसके आस पास नहीं रहती है तो राजस्व का संपूर्ण अनुमान कम हो जाएगा। तत्पश्चात् पूर्व निर्धारित व्यय भी होते हैं। इसलिए संपूर्ण वित्तीय घाटा कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए, मैं वित्त मंत्री महोदय से यह बताने का अनुरोध करता हूं कि 2008–09 और 2009–10 के लिए विकास दर के बारे में उनका क्या प्राक्कलन है चूंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

लंबे समय से अमरीकी अर्थव्यवस्था विकास कर रही थी और जब यह विकास कर रही थी तो प्रत्येक व्यक्ति उनकी और इंगित कर रहा था कि आपको चालू खाते में घाटा हो रहा है, आपको राजकोषीय घाटा हो रहा है, आपका राष्ट्रीय ऋण बढ़ रहा है, आपको संपूर्ण विश्व से धन प्राप्त हो रहा है और आपकी बचत दर गिर रही है। निसंदेह, भारत में बचत दर अच्छी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था सभी प्रकार के संकेत दे रही थी जो कि निश्चित रूप से भयावह थे, परंतु उस समय फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष, एलन ग्रीनस्पैन, राजकोष सचिव तथा अध्यक्ष सभी कह रहे थे कि अमरीकी अर्थव्यवस्था और विकास करेगी। परंतु अब अमरीकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह विफल हो रही है जो कि सभी के लिए समस्या खड़ी कर रही है। मेरी चिंता यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय से ऐसे संकेत दे रही है और हम सरकार को बताते आ रहे हैं। मैं उसके ब्योरे में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने बजट चर्चा में ही इसके बारे में बात की थी। परंतु मेरा अनुरोध है कि हमें सही संकेतों की और ध्यान देना चाहिए जो कि हमें प्राप्त हो रहे हैं और हमें उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति करती रहे। हम वास्तव में यही चाहते हैं।

महोदय, अन्य मुद्दा विनियमन के बारे में है। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि अमरीका और यहां तक कि भारत में भी सब प्राइम संकट अनेक बैंकों को प्रभावित कर रहा है और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि इसके लिए 300 करोड़ अथवा 400 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री पी. चिदम्बरम : आप इस संबंध में भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने सब प्राइम संकट के बारे में नहीं कहा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : सब प्राइम संकट नहीं, बल्कि बैंकिंग संकट के कारण ऐसा हुआ। मेरा प्रश्न यह है कि सब प्राइम संकट ने संपूर्ण विश्व के लिए समस्या खड़ी कर दी है और यह अनेक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि हमें विनियम को ऐसे विषय के रूप में देखने की आवश्यकता है जिसमें संभवतः हमें विनियम

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

को न केवल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है बल्कि राष्ट्रीय सीमाओं से पार जाकर भी इस विनियम को देखना चाहिए। मेरा विचार है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वित्त मंत्री ध्यान देंगें।

हम कृषि के क्षेत्र में एक बड़े संकट का सामना कर रहे हैं और हम इसके बारे में वास्तव में चिंतित हैं। दुर्भाग्यवश 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी के इस सुखबोध के बाद हमने कृषि का एक क्षेत्र के रूप में पुनरूद्धार करने के बारे में सोचना छोड़ दियाा है। जब तक हम कृषि का एक क्षेत्र के रूप में पुनरूद्धार नहीं करते हैं, कृषि वाणिज्यिक रूप से जीवनक्षम नहीं हो जाती और हमारे किसान लाम अर्जित करना आरंभ नहीं कर देते हैं, तब तक 60,000 करोड़ रुपये की ऋण माफी से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें वास्तव में कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाना चाहिए और हमें आशा है कि इसके लिए सरकार एक उचित योजना बनाएगी। दुर्भाग्यवश, सरकार ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आयी है। इसलिए, दुर्भाग्यवश यह वस्तुतः चिंताजनक बात है। इसका उपघटक वित्तीय समावेशन का मुद्दा है। सरकार ने इसका बहुत ही अच्छा नाम रखा है, परंतु अभी भी हमारे 52 प्रतिशत किसान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदत्त ऋण की पहुंच से बाहर है। इसलिए मैं, वित्त मंत्री से कुछ उचारात्मक उपाय करने का अनुरोध करता हूं जिसमें हम अगले दस वर्षों में सफल होने में सक्षम हो सकेंगे। हमने लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्ष 1969 में अपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और यद्यपि हमने राष्ट्रीयकरण की भारी कीमत चुकायी है फिर भी हमारे 52 प्रतिशत किसानों को कोई भी बैंकिंग सहायता प्राप्त नहीं हो रही है और यह बात अत्यंत चिंताजनक है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक अत्यंत रोचक लेख पढ़ने का अनुरोध करूंगा जो मैं विमान द्वारा दिल्ली आते समय पढ़ रहा था। इसे श्री अमित भादुरी जी ने इक्नॉमिक एण्ड पालिटिकल वीकली में लिखा था। मैं जानता हूं कि यह पूर्ण रूप से एक अलग दृष्टिकोण है, यह वास्तव में एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिससे मैं भी सहमत हूं, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन साथ ही वे कुछ अति प्रासंगिक प्रश्न लेकर आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि विकास स्वतः ही लाम को फैलाएगा, संसाधनों की उपलब्धता का परिणाम देगा जिन्हें आप राजकोषीय आबंटन के द्वारा आबंटित कर सकते हैं। अतएव, हम जो भी करते हैं, विकास पूर्वापेक्षित है। वे कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हैं।

मेरा अनुरोध है कि बहस को वहीं छोड़ दें लेकिन हमें अलग प्रकार के माडल को देखने की वास्तविक आवश्यकता है। जिसमें यह वित्त शामिल, जिसके बारे में हमने बात की, ऐसा विकास जिसमें हम और लोगों को शामिल कर सकें, वह कैसे हो सकता है कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देने की वास्तविक आवश्यकता है।

महोदय, भारत के प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने अपनी पार्टी की शुरूआत स्वागत टिप्पण के साथ की थी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि वास्तव में हमें सुपुर्दगी तंत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है। इसका विरोध कौन कर सकता है? इस दिशा में सुधार काफी समय से विलंबित है। हम सभी सरकार की तरफ से, कोई कार्य योजना आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, अब यह सरकार की कार्यसूची से बाहर कर दिया गया प्रतीत होता है। अतएव, माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे हमें बताएं कि हम इन मामलों पर वास्तव में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, हम इस पर क्या करने की कोशिश कर रहे है। यह ऐसा विषय है जिस पर हम सभा का ध्यान इस ओर है।

जहां तक परिणामी (आउटकम) बजट का संबंध है, मैं इसके लिए वास्तव में माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। यह पहली बार है जब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धन किस प्रकार खर्च किया जा रहाा है, उसका परिणाम क्या रहा, तथा हम इसमें से सुपुर्दगी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दो वर्ष पूर्व, परिणामी बजट जैसा कि दुर्भाग्यवश मंत्रालयों ने तैयार किया था, वह संतोषजनक नहीं है। वास्तव में यह हास्यास्पद है। परिणामी बजट तैयार नहीं करना बेहतर है क्योंकि यदि अब हम इसे परिणामी बजट के रूप में स्वीकार करते हैं तो यह कुछ बुरा है। अतएव, मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें। वास्तव में, मैं माननीय वित्त मंत्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा जिसे मेरी अध्यक्षता में तैयार किया गया है यह स्वागत योग्य उपाय है तथा यह ऐसा है जिसे जारी रखने की आवश्यकता है, परन्तु एक सुधारीकृत रूप में। अतएव, परिणामी बजट वास्तव में एक अच्छी बात है लेकिन इसके पुनरुद्धार की आवश्यकता है।

अब मैं वित्त विधेयक के प्रावधानों पर आता हूं। प्रथम, आयकर अधिनियम उन सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है जो मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। लेकिन वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग एक या दो नहीं बल्कि 20 अधिनियम प्रशासित करता है। अतएव, किसी व्यक्ति के लिए इसके संपूर्ण उद्देश्य को याद करना असंभव है क्योंकि यह राजस्व विभाग के अंतर्गत है, जिसका संबंध राजस्व एकत्रित करने से है। अतएव क्यों न एक, दो या तीन अधिनियम लाए जाएं जो यह सुनिश्चित करें कि उनसे उनका उद्देश्य पूरा हो जायेगा। अतएव, यह देखे जाने की आवश्यकता है कि ये 20 विधान वास्तव में आवश्यक हैं अथवा नहीं।

इसके साथ ही माननीय वित्त मंत्री हमें बता रहे हैं कि वे आयकर के लिए एक नई संहिता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पिछली बार जब मैंने

उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे तुरंत इसे ला रहे हैं। अब यह वर्ष समाप्त हो चुका है। मुझे आशा है कि एक वित्त मंत्री के रूप में इस सभा में एक नई कर संहिता प्रस्तुत करेंगे तथा मुझे आशा है कि संसद भंग होने के पूर्व वे ऐसा कर लेंगे। उसमें हम एक बहुत ही सरलीकृत कानून की आशा करते हैं जिसमें मेरे जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट का कोई खर्च नहीं होगा क्योंकि अधिनियम बहुत ही सरल होगा। अतएव, हमारा कारोबार कुछ कम होगा, लेकिन मैं इसे स्वीकार करके खुश होऊंगा।

अब, मैं एक विशिष्ट धारा 2, उपधारा 15 पर आता हूं। वास्तव में, कई लोगों ने इसका उल्लेख किया है। यह धारा 2, उपधारा 15 क्या है? वास्तव में, यह एक स्वागत योग्य उपाय है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम जो कह रहे हैं वह यह है कि इस संशोधन का मंतव्य क्या है? मंतव्य यह है कि यदि आप कारोबार कर रहे हैं तो एक धमार्थ संस्था के रूप में कार्य करने से मिलने वाला लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें उन्हें पहले ही कुछ छूट प्राप्त हैं क्योंकि आपने उल्लेख किया है कि धमार्थ उद्देश्य के लिए कारोबार में चिकित्सा राहत, शिक्षा, इत्यादि शामिल नहीं होना चाहिए। अतएव, इसमें उन्होंने छूट दी है। अतएव, इससे यह शामिल नहीं होगा।

मेरी चिंता कुछ अलग है। यह शब्द विन्यास से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर एक धमार्थ संस्था जो ग्रामीण विकास का कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास का कार्य करने की प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि कुछ गतिविधियां कारोबारी प्रकृति की हैं क्योंकि कारोबार में यह आवश्यक नहीं है कि लाभ कमाया जाय या लाभ आए, आपको यह देखना पड़ता है कि लाभ उद्यम के कारोबार में आता है या बाहर जाता है। अतएव, ग्रामीण विकास संबंधी गतिविधियां इसमें शामिल नहीं हो अन्यथा यह वास्तव में न्याय का अपमान होगा। अतएव, मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी, आयकर अधिनियम की धारा 35 है जिसमें वे वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली सभी संस्थाओं को छूट प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं केवल प्रासंगिक भाग को पढूंगा। वे मुझे सही सही जानकारी दे सकते हैं यदि मैं गलत हूं, वे कह रहे थे कि यह केवल तभी कंपनी को उपलब्ध होगी यदि कंपनी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास हो।

अतः, इसका क्या अर्थ है? यदि टाटा इस्पात जैसी कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान करना चाहती हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधान करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा तथा इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि टाटा इस्पात का मुख्य उद्देश्य इस्पात का उत्पादन करना है। अतएव, आप देखें कि शब्द किस प्रकार से रखे गए हैं। मेरा अनुरोध है कि संस्था के मुख्य उद्देश्य या कंपनी के संगम अनुच्छेद या संगम ज्ञापन इस चीज को शामिल करती है या नहीं, इसके बावजूद यह सभी संस्थाओं से मिलनी चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि केवल अनुसंधान तथा विकास पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए। यह उद्देश्य होना चाहिए तथा शब्द जिस प्रकार से रखे गए हैं उनसे विभिन्न निष्कर्ष निकलते हैं।

दूसरी सच बात जो मेरे मन–मस्तिष्क को उत्तेजित वह यह है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आपने इस धारा को कब पढ़ा?...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : अभी तुरंत।

श्री पी. चिदम्बरम : यही समस्या है। पीछे जाएं और इसे अधिक सावधानीपूर्वक पढ़िए। मुख्य अधिनियम को रखिए तथा पढ़िए। यदि आप सभा पहुंचने के रास्ते में इसे पढ़ेंगे तथा इसका उल्लेख करेंगे, तो आप गलती करेंगे। मैं इसकी व्याख्या अपने उत्तर में करूंगा ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसलिए मैंने कहा कि यदि यह सही नहीं है तो कृपया मुझे सही जानकारी दीजिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अस्पतालों और होटलों की दी गई छूट जैसी अनेक छूटें स्वागत योग्य है। वित्त मंत्री जी ने कहा कि आपको 01.04.2004 और 31.03.2013 के बीच कार्य शुरू करना चाहिए। महोदय, मुझे यह बताइए कि वित्त मंत्री द्वारा जिन छूटों की घोषणा की गई है, यदि उन छूटों के बारे में यह पता होता कि 29.02.2008 को इस प्रकार की छूटों की घोषणा की जानी है तो मैं 1 अप्रैल, 2008 से अर्थात वित्त मंत्री जी द्वारा घोषणा किए जाने के एक महीने के अंदर कार्य करना शुरू करता। परन्तु उन्हें इन संस्थानों को दो य तीन वर्षों का लाभ यह कहते हुए देना चाहिए कि हमने जो घोषणा की है यदि आपने अब से दो वर्षों के अंदर कार्य करना शुरू किया है जोकि किसी अस्पताल या होटल के निर्माण में लगने वाला न्यूनतम समय है जो आपको यह लाभ दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*।

श्री पी. चिदम्बरम : क्या आप और छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : वास्तव में, मैं यह कह रहा हूं कि कार्य शुरू की तारीख इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए जिससे किसी संस्थान को इसका लाभ मिल सके। अन्यथा यह संभव नहीं होगा और कोई व्यक्ति कर छूटों का बेजा फायदा उठा सकता है तथा जो कोई पहले से कार्य कर रहा है वह छूट प्राप्त कर सकता है लेकिन यह योजनाबद्ध नहीं होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : आप किस धारा का उल्लेख कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर : आपने कुछ कर छूट दी है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये किस धारा का उल्लेख कर रहे हैं। उनके अनुसार इसमें कार्य शुरू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मैं होटलों को विशेषकर राष्ट्रमंडल खेलों के कारण दिल्ली में होटलों की दी जाने वाली कर छूटों के बारे में बात कर रहा हूं। आप अस्पतालों को भी कर छूट दे रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं यदि उन्होंने 01 अप्रैल, 2008 से कार्य करना शुरू किया है। आपने ऐसा ही कहा है। आप कल्पना कीजिए कि आपने इसकी घोषणा 29 फरवरी को की होती तो कोई अस्पताल एक महीने में काम करना कैसे शुरू कर सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : इसमें यह नहीं कहा गया है कि "दिनांक 01.04.2008 से कार्य करना शुरू किया हो"। इसमें कहा गया है कि दिनांक 01.04.2008 के पश्चात कार्य करना शुरू किया हो। आपके पास पांच वर्ष हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : मुझे पता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तिथि 01.04.2008 ही क्यों हो? यदि आप वास्तव में कोई छूट देना चाहते हैं तो आपको दो वर्ष की छूट देनी चाहिए ताकि वे वास्तव में इसका निर्माण कर सकें ...*(व्यवधान)* पांच वर्ष की अवधि व्यपगत हो जाएगी क्योंकि आपको केवल तीन वर्षों की अवधि मिलेगी ...*(व्यवधान)*।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं अपने उत्तर में इसे स्पष्ट कर कर दूंगा।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय से संबंधित हैं। महोदय, अग्रिम कर विनिर्णय; आयकर अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसे कुछ वर्ष पूर्व लागू किया गया था। पहले यह लाभ केवल अनिवासी भारतीयों के लिए ही उपलब्ध था क्योंकि ये भारतीय कानून से उतने अवगत नहीं होते, जितने अवगत हम होते हैं। इसी कारण से हमने सोचा कि अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में व्यापार करने के मार्ग में भारतीय कानून बाधक नहीं होने चाहिए। अतः हमने अग्रिम कर विनिर्णय की प्रणाली तैयार की। मेरा माननीय वित्त मंत्री से केवल इतना ही अनुरोध है कि वे इसे सार्वभौम क्यों नहीं बनाते? जिसे अग्रिम कर विनिर्णय की आवश्यकता है उसे इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें क्या नुकसान है? ऐसा करके आप करदाता की मदद कर रहे हैं और मुकदमों की संख्या को कम कर रहे हैं। अतः न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं वह अपने आप समाप्त नहीं हो जाएंगे। इसलिए आपको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए।

महोदय, सहकारी संस्थाओं को कुछ समय पूर्व से आयकर लाभ नहीं दिया जा रहा है। तत्पश्चात वित्त मंत्री ने कहा था कि "हम इसकी समीक्षा करेंगे"। हम इस पर गौर करके इसका हल तलाशेंगे। महोदय, सरकार की ओर से सहकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अतः एक तरफ तो हम सहकारी संस्थाओं के महत्व को मान्यता देते हैं। इसलिए हम उन्हें भारी धनराशि दे रहे हैं। वहीं दूसरी और हम सहकारी संस्थाओं की आय पर यह कहकर कर लगा रहे हैं कि उनके साथ अन्य औद्योगिक संस्थाओं की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। मेरे विचार से सरकार को सहकारी संस्थाओं से एक भिन्न प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और इसलिए सहकारी संस्थाओं पर अन्य संस्थाओं की तरह कर नहीं लगाना चाहिए।

एक अन्य मुद्दा सरकारी लेखाओं से संबंधित हैं। वित्त मंत्री महोदय, यदि आप कोई विशेष व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो परिणाम सभी सरकारी/सार्वजनिक व्यय पर केन्द्रित होने चाहिए। हमें इस विषय की गहराई में जाना चाहिए और उन तौर-तरीकों में संशोधन करना चाहिए जिनके आधार पर सरकारी लेखा तैयार किए जाते है। हमें यह बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि सरकारी लेखाओं को इस तरीके से तैयार किया जाए जिससे हमें यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि कितनी धनराशि खर्च की जा रही है और यह धनराशि किस उद्देश्य के लिए खर्च की जा रही है।

अतः यदि आप सरकारी लेखाओं, सरकारी बजट और सरकारी खर्च में एकरूपता ला पाए तथा इसके बारे में पूरी जानकारी रख पाए तो इससे आपको काफी फायदा होगा। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह किसी आयोग सरीखा कोई संगठन बनाए जो संपूर्ण रूप से सरकारी लेखाओं पर गौर कर सके। हालांकि इस कार्य में कुछ वर्ष का समय अवश्य लगेगा परन्तु इसका देश में सरकारी लेखा पर दूरगामी असर होगा।

महोदय, कर संग्रहण में वृद्धि हो रही है लेकिन इस काम में लगे कर विभाग के लोग जैसे के तैसे ही हैं। वास्तव में यह प्रशंसनीय है कि भारत सरकार द्वारा कर संग्रहण में होने वाला व्यय विश्व में सबसे कम हैं। इसलिए अब समय आ गया है जब हमें आयकर विभाग में काम करने वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए। इस वेतन आयोग ने उनके साथ भारी अन्याय किया है। वास्तव में, वे सभी इसका विरोध कर रहे हैं।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि विशेषकर आयकर विभाग, सीमाशुल्क विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सेवा कर विभाग जैसे राजस्व विभागों में, आपको एक अलग प्रकार के वेतन पत्रक का प्रावधान करना चाहिए; कदाचित उन्हें कुछ प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर ऐसा किया जा सकता है ताकि उन्हें किए गए कर संग्रहण से लाभ मिल सके। इस प्रकार की कर प्रणाली निश्चित तौर पर लागू की जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हम आगामी कुछेक महीनों में इस प्रकार की कोई प्रणाली हासिल कर पाएंगे।

सभापति महोदय : आपको अपना भाषण समाप्त करने के लिए और कितना समय चाहिए?

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मैं बात समाप्त कर रहा हूं।

अनेक बार कार्पोरेट की प्रभावी आय दर का उल्लेख किया गया है। मंत्री महोदय, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं; आपने अपने राजस्व बजट दस्तावेज में यह उल्लेख किया है कि कार्पोरेट की प्रभावी दर 20 प्रतिशत है। यह सब रियायतों के कारण है। उन रोचक आंकड़ें में उन कार्पोरेट व्यवसायियों, जिनका लाभ काफी अधिक है, उनकी प्रभावी दर कम है; और उन कार्पोरेट व्यावसायियों, जिनका लाभ कम है, उनकी प्रभावी दर काफी अधिक है। यदि आप इसकी किसी व्यक्ति से तुलना करें, तो इसमें विरोधाभास है। वस्तुतः कार्पोरेट व्यवसायी वास्तव में कम अदायगी कर रहे हैं और अन्य व्यक्ति अधिक भुगतान कर रहे हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें प्रणाली में मौजूद इस असमानता को कम करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं जिस अन्य विषय पर बोलना चाहता हूं, वह आयकर से जुड़े कर्मियों के संबंध में है क्योंकि हम इसी पर यहां चर्चा कर रहे हैं। आयकर विभाग या फिर सभी राजस्व विभागों के स्थानान्तरण और तैनाती सदैव ही विवाद का विषय रहे हैं। हम एक ऐसी प्रणाली क्यों नहीं ईजाद करते, जिसके अन्तर्गत बोर्ड जैसा कुछ गठित किया जा सकता है ताकि इस प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और जहां सभी अनुचित कार्यों में स्वतः ही कमी हो सके?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने एक आन्तरिक कार्य अध्ययन इकाई की स्थापना की है। मैं उनसे कृपया, यह बताने का अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है। मैं वार्षिक रिपोर्ट दर वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करता रहा हूं और मैंने पाया है कि यह अध्ययन इकाई अध्ययन कर रही है। कदाचित् अब छात्रों के लिए परीक्षा में बैठने का उचित समय है क्योंकि उन्होंने खूब अध्ययन किया है। यह वास्तव में हमारे लिए उपयोगी होगा।

महोदय, वर्तमान में सेवा क्षेत्र जी.डी.पी. के 60 प्रतिशत से अधिक है। किन्तु कुल कर संग्रहण में सेवाकर कर का प्रतिशत निश्चित तौर पर 60 प्रतिशत नहीं है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें वास्तव में यह देखने की आवश्यकता है कि कराधान नीति के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को किस प्रकार फलीभूत किया जा सकता है। उन व्यक्तियों के बीच अंतर किए जाने की आवश्यकता है, जो परम्परागत रूप से कर का भुगतान करते जा रहे हैं और वे नए लोग जो अब लाभ कमा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, कि वे बिल्कुल भी कर का भुगतान न करें?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री वैट और सेवा कर के संबंध में कुछ समानता लाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2010 से अर्थात् अब से मात्र दो वर्ष में ऐसा होने जा रहा है। इस संबंध में क्या प्रगति हुई है? मैंने अनेक राज्यों के वित्त मंत्रियों से चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। यदि ऐसा है, तो माननीय वित्त मंत्री इसके लिए उचित रूप से प्रारंभिक तैयारी किए जाने से पहले इसे दो वर्षों की अवधि में किस प्रकार लागू करेंगे? इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे हमें इस संबंध में बताने की कृपा करें।

महोदय, भारत में कठिनाइयां झेल रहे लोगों, आम आदमियों की अनेक चिंताएं हैं। क्या वित्त विधेयक में इसको प्रतिबिंबित किया जा सकता है जिसके तहत उन्हें कुछ राहत उपलब्ध कराई जा सके क्योंकि उनमें से अनेक लोग आयकर का कतई भुगतान नहीं कर रहे हैं? इसलिए ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि उन्हें इससे किसी प्रकार की राहत मिलेगी हमारी चिन्ता यह होनी चाहिए कि उनका ध्यान किस प्रकार रखें। चिंता होनी रखा जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वित्त विधेयक, मूल तौर पर आम बजट में वित्त मंत्री जी का जो भाषण इस देश के लिए होता है, उसका एक समेकित दस्तावेज है। सरकार आम बजट हर साल पेश करती है। जनतंत्र में सरकार की जो नीतियां होती हैं, जनता के प्रति उनकी जो जवाबदेही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार नीतियां बनाती हैं। यूपीए सरकार का शायद यह अंतिम बजट है। इन्होंने चार साल तक जो नीतियां बनायीं, क्योंकि जब आप कोई नीति बनाते हैं, तो उसका परिणाम दो-तीन साल बाद दिखाई पड़ता है। जब वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली थी, उस समय जब हम वित्त मंत्री जी के भाषण को देखते हैं, तो उनमें एनडीए सरकार का जिक्र होता है।

कहा गया कि उस सरकार की नीतियां और कुरीतियों के कारण जो दुष्प्रभाव हुआ, उसके कारण ही ये महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाए। वर्ष 2004 से आज तक के जो बजट आते रहे, उनके परिणाम अब सामने आ रहे हैं, यह परिणाम देश में महंगाई और मुद्रास्फीति के रूप में सामने आए हैं। आज तक के इतिहास में अगर देखें तो महंगाई ने अब तक के रिकार्ड को पार कर दिया है और यह इनकी आज तक की नीतियों का ही परिणाम रहा है। देश में वित्तीय संकट पहले भी आते रहे, लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ क्षणों के लिए आते रहे। उन पर कुछ

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

समय में ही काबू पाया जाता रहा है, लेकिन आज देश में जो मुद्रास्फीति है, उस पर काबू पाने में सरकार कामयाब नहीं रही है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहां चले गए। यह स्थिति कुछ अल्पकाल में नहीं बनी है, यह वर्ष 2004 से बढ़ती चली आ रही है और आज यह अपने चरम सीमा पर है। आज हमारे देश में मुद्रास्फीति का संकट है, मंहगाई है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये चीजें सरकार की नीतियों की पोल खोलने का काम कर रही हैं। अप्रैल, 2007 में होल सेल प्राइस इंडेक्स 6.3 प्रतिशत था, मार्च, 2008 में यह 6.4 प्रतिशत हो गया, इसमें कहीं कमी आने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि इस बीच सरकार ने मंहगाई रोकने के लिए कई उपाय किए, लेकिन इनका परिणाम शून्य ही रहा। सरकार के स्तर पर मंहगाई रोकने के दावे होते रहे, बराकर यह कहा जाता रहा कि हम महंगाई को रोकेंगे, मंहगाई रुक रही है, अगले एक–दो महीनों में महंगाई पर नियन्त्रण लगा लेंगे। अगर आप पिछले चार सालों में वित्तमंत्री जी द्वारा इस सदन में दिए गए बयानों को देखें तो हर बार इन्होंने यही कहा कि मुद्रास्फीति पर काबू पाएंगे और महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली गयी। इसका कारण यह है कि यूपीए सरकार में कोई सामंजस्य नहीं है, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। महंगाई के बार में सरकार के स्तर से अलग–अलग बयान आए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास की कीमत पर महंगाई को नहीं रोका जा सकता है। वित्तमंत्री जी ने कहा कि महंगाई विश्व की देन है। जब महंगाई पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, वित्तमंत्री ने इंटरवीन करते हुए कहा कि विश्व की स्थिति के कारण हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। खाद्य मंत्री जी ने कहा कि महंगाई स्थिर हो जाएगी, खाद्यानों की देश में कोई कमी नहीं है। इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में महंगाई पर हम नियंत्रण पा लेंगे। यह एक सप्ताह का समय कहा चला गया? दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का एक बयान हमने अखबारों में देखा कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो महंगाई का बढ़ना लाजिमी है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी ने कहा कि महंगाई रोकने के लिए कड़े कदम उठाना विकास के बढ़ते कदम को रोकना है।

फिर वित्त मंत्री जी का बयान आया कि महंगाई रोकने के लिए विकास का बलिदान कर दिया जाएगा। इन सारे बयानों को देखेंगे तो पांएगे कि ये सभी विरोधाभासी हैं, कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। हर आदमी अपने–अपने ढंग से महंगाई की परिभाषा कह रहा है और इस देश की जानता उससे त्रस्त हो रही है। आज यूपीए सरकार की हिम्मत नहीं है कि वह देश की जनता के सामने जाकर कहे कि हमने जो पिछले चार साल में नीतियां बनाई हैं, उनके आधार पर हम आपसे वोट मांगने के लिए खड़े हैं। इसलिए इन्होंने चार साल में जो नीतियां बनाईं, वे सारी ध्वस्त हो चुकी हैं।

विश्व की अर्थव्यवस्था और महंगाई की चर्चा की गई है। मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। विश्व के प्रमुख देशों में महंगाई की स्थिति जनवरी, 2008 में थी वह अमेरिका में 4.3 प्रतिशत, इंग्लैण्ड में 2.2 प्रतिशत, यूरोप के अन्य देशों में 3.2 प्रतिशत, जापान में 0.1 प्रतिशत कम थी, चीन में सात प्रतिशत और भारत में 5.5 प्रतिशत थी। सन् 2007 में आखिरी तिमाही के जो आंकड़ें हैं, उनके अनुसार अमेरिका में 3.8 प्रतिशत, इंग्लैंड में 2.8 प्रतिशत, यूरोप के अन्य देशों में 2.8 प्रतिशत, जापान में 0.4 प्रतिशत कम थी, चीन में 6.6 प्रतिशत और भारत में 5.7 प्रतिशत थी। अब आप बताएं कि कहां विश्व के स्तर पर आप दावा करते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही है। इससे पता चलता है कि हमारी और यूरोप के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था और महंगाई में जमीन–आसमान का अंतर है। फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन का कहना है और इस देश के खाद्य मंत्री जी का भी कहना है कि हमारे यहां खाद्यान्न की कमी नहीं है। वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट में कहां है कि कोई कमी नहीं है। सन् 2006 में विश्व के स्तर पर जो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, वह 4.7 प्रतिशत अधिक था। इसी तरह 2007 में 2.6 प्रतिशत अधिक था और 2008 में उससे भी अधिक होने की सम्भावना है तथा गेहूं का उत्पादन 2007–2008 में 6.8 प्रतिशत था। इसलिए यह कहना कि विश्व की महंगाई भारत पर प्रभाव डाल रहीं है, सही नहीं है, क्योंकि विश्व में खाद्य संकट नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि विश्व में गेहूं का संकट है। फिर आज कैसे कह रहे हैं कि उसका असर हमारे देश में पड़ रहा है।

औद्योगिक उत्पादन की बात हम करें, तो जो निर्यात हुआ वह मैं बताना चाहता हूं। असल महंगाई की जड़ सरकार की नीतियां हैं, इसमें निर्यात को इतनी छूट दे दी कि 2004–2005 में वह 30.8 प्रतिशत हुआ, 2005–2006 में 20.4 प्रतिशत के करीब रहा और 2006–2007 में वह 22.6 प्रतिशत रहा। कृषि उत्पाद का भी निर्यात हुआ, यह हम आयात की बात नहीं कर रहे हैं। सन् 2004–2005 में 16.4 प्रतिशत, 2005–2006 में 14.7 प्रतिशत, 2006–2007 में 18.5 प्रतिशत निर्यात हुआ। आपने कृषि उत्पादन का इतना निर्यात किया और इनका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में अनाज का संकट पैदा हो गया। उसके चलते कहा जा रहा है कि देश में महंगाई हो गई। अब आपको खाद्यान्न आयात करना पड़ रहा है।

मैं एक तथ्य सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदते हैं। पिछले वर्ष आपने 750 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य तय किया और उसमें 100 रुपए और जोड़कर 850 रुपए कर दिया। लेकिन इस कीमत पर किसानों ने आपको गेहूं नहीं दिया। जो प्राइवेट खरीदार थे, उन्होंने किसानों से

900-950 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद लिया, किसानों को जहां अपने माल का ज्यादा दाम मिला, उन्होंने वहां बेच दिया। आपने निर्यात की अनुमति दी हुई थी, तो प्राइवेट लोगों ने खुलकर निर्यात भी किया। इससे गेहूं और अन्य खाद्यन्न विदेश चला गया और फरवरी 2007 में आपने गेहूं का आयात करने के लिए टेंडर निकाला। मेरे एक प्रश्न के जवाब में इसी सदन में खाद्य उपभोक्ता मंत्री जी ने कहा था कि फरवरी 2007 के उस टेंडर में 1200 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम तय किया गया था, लेकिन आपने नहीं खरीदा। उसके बाद जुलाई में 1600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसे खरीदने का काम किया। इस तरह से यह एक घोटाला हुआ। विदेशों से जो गेहूं हमारे देश में आया, उसे लेने से राज्य सरकारों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वह जो गेहूं वहां पैदा किया जा रहा है, वह अपने देश में लाल गेहूं के नाम से जाना जाता है और उसे जानवरों को खिलाया जाता है।

उस गेहूं को आपने, इस देश में लाकर, देश की जनता पर थोपने का काम किया, जिसके कारण आज देश में खाद्यान्न संकट है। आप एनडीए की बात करते है। एनडीए के शासन काल में कभी इस देश में खाद्यान्न संकट नहीं हुआ। एनडीए के शासन काल में गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं थी और नतीजा हुआ कि जब वह खाने के लायक नहीं बचा, सरकार ने फैसला करके समुद्र में फेंकने का काम किया। आप एनडीए की बात करते हैं आपने चार साल में जो नीतियां बनाई, उसका परिणाम यह महंगाई है।

मैं चावल की बात आपको बताना चाहता हूं। अक्टूबर 2007 में इस सरकार ने निर्यात पर पाबंदी लगाई और 31 अक्टूबर 2007 को पाबंदी हटा ली और कहा कि हम आंशिक प्रतिबंध लगाएंगे। 26 जनवरी 2008 तक चावल का निर्यात इस देश से 51.02 लाख टन हुआ। आपने देश का सारा खाद्यान्न तो विदेशों में भेज दिया। देश में खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो रहा है, आज अपने को औद्योगिक उत्पादन पर केन्द्रित कर रहे हो। देश में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो रहा है और जो हो रहा है उसे विदेशों में निर्यात करने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम महंगाई है।

वर्ष 2006-2007 की तुलना में वर्ष 2008 में चावल का निर्यात दुगुना हुआ। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और बताना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि "खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहां पर्याप्त हो रहा है"। इस देश की जनता का महंगाई के प्रति जो आक्रोश है उसका ढीला करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। वास्तव में मार्च 2008 में जब द्वितीय कृषि-उत्पादन के संबंध में आकलन की सरकार की तरफ से घोषणा की गयी तो कहा गया कि रबी फसल वर्ष 2008 में, वर्ष 2007 की तुलना में कम भूमि में बोयी गयी। वर्ष 2008 में रबी फसल 487.2 लाख हैक्टेयर भूमि में बोयी गयी, जबकि वर्ष 2007 में 510.37 लाख हैक्टेयर भूमि में खाद्यान्न बोया गया। जब बोया ही कम गया तो उत्पादन अधिक कहा से होगा? आप कौन से तर्कों के आधार पर देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस देश की जनता के गले आपका तर्क उतर नहीं रहा है। जब बोया ही कम गया तो आप उत्पादन कहां से बढ़ा रहे हो?

सभापति महोदय, स्मॉल-स्केल इंडस्ट्री का सवाल आया। इस देश में आपकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं। आपने वर्ष 2004 से आज तक अपनी जो नीति बनाई, वह टोटल नीति औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने और उसका निर्यात करने की रही है। आपने कृषि पर अपना ध्यान ही केन्द्रित नहीं किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने का आपने काम नहीं किया उसका परिणाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। यूपीए की सरकार जब वर्ष 2004 में सत्ता में आई थी तो 500 रिजर्व आईटम्स स्मॉल-स्केल इंडस्ट्री के लिए थे लेकिन आज केवल 35 आईटम्स बचे हुए है, बाकी को आपने बड़े उद्योगपतियों के उत्पादन के लिए फ्री कर दिया। उनके माध्यम से आप निर्यात करा रहे हैं। आप कंज्यूमर गुड्स में आयात करा रहे हैं, इसलिए प्राइस पर नियंत्रण करना आपके बूते की बात नहीं है। इसलिए आज की परिस्थिति में यह सरकार कितना ही प्रयास करें, महंगाई पर नियंत्रण नहीं पा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, आज देश की हालत ठीक नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले दिनों बजट प्रस्तुत किया और आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए बजट में बहुत से प्रावधान किए। बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं को कार्यरूप देने की घोषणा की और बहुत सी योजनाओं के लिए, जो देश हित तथा जनहित के लिए थीं, उनके लिए बजट के माध्यम से राशि भी उपलब्ध कराई। मैं समझता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिनका असर आम लोगों पर होना था। इससे आम लोगों में खुशहाली आई। अभी बजट पर चर्चा होनी थी कि एकएक मूल्यों में वृद्धि हो गई। मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई। स्वाभाविक है कि जब महंगाई बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। आम लोग महंगाई के कारण बहुत परेशानी महसूस कर रहे है। वर्तमान सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि महंगाई को रोका जा सके, मगर अभी तक कुछ साकारात्मक

[श्री राम कृपाल यादव]

परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं। मैं समझ हूं कि सरकार निरंतर महंगाई को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन एकाएक दामों में इतनी अधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं? सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल, सब्जी आदि अन्य चीजों के दामों में भी काफी वृद्धि हुई है। जनता इस महंगाई से बहुत परेशान है और सरकार भी महंगाई को रोकने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। इस बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, मगर उनका आशानुरूप असर नहीं हो पा रहा है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

भारतवर्ष गांवों का देश है। आज भी हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। जब तक गांव में रहने वाला किसान, मजदूर खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश की अर्थव्यवस्था खुशहाल नहीं हो पाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निश्चय तौर पर देश के किसानों की तरफ देखना पड़ेगा। आज किसानों की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। खेत और खलियान में काम करने वाले लोगों का रुझान खेती की तरफ कम होता जा रहा है और यही कारण है कि इस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत संकट आ रहा है। जब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक हम खेत और खलिहान को मजबूत नहीं कर पाएंगे। खास तौर से कृषि में सरकार ने पिछले दिनों इंवेस्टमेंट किया है। उसकी तरफ हमें गौर करना पड़ेगा।

हमें देखना होगा कि क्या हम इतना इन्वेस्टमेंट कर पाए हैं जिससे खेत-खलिहान में काम करने वाले लोग खुशहाल हो पाएं? कृषि से ही रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि में ही हर तरह की संभावनाएं हैं लेकिन आज कृषि में निवेश कम हो रहा है, उत्पादन करने की क्षमता घट रही है और हर तरफ से किसान परेशानी की हालत से गुजर रहा है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। सरकार ने जो कदम उठाया है वह स्वागतयोग्य है कि लगभग 60 हजार करोड़ रुपए ऋण माफी का निर्णय लिया है। यह बहुत अच्छी पहल है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद यूपीए सरकार ने एकमुश्त में कदम उठा कर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार का जितना धनरूवाद ज्ञापित करूं, वह कम होगा। इसके अलावा एक और कदम उठाया गया है जिसके बारे में हम लोग हमेशा कहा करते थे और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया करते थे। डा. स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी थी कि किसानों के कर्ज की ब्याज की दर को कम किया जाए। यह दर 12 से 13 परसेंट थी और मंत्री जी ने 7 परसेंट ब्याज की दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। डा. स्वामीनाथन जी ने चार प्रतिशत ब्याज दर की अनुशंसा की थी, सरकार को इस तरफ निगाह करनी चाहिए। आपने 60,000 करोड़ के रुपए की ऋण माफी की है, किसानों को वर्तमान स्थिति में राहत जरूर मिल गई लेकिन आगे चलकर इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज भी किसान बड़े पैमाने पर बैंकों से कम और निजी लोगों से ज्यादा कर्ज लेते हैं। हमने बैंको से कर्ज माफ करने का मुद्दा उठाया है लेकिन वे निजी स्तर पर सेठ और साहूकारों से कर्ज लेते है।, उसकी तरफ हमने ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। अगर बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो जाए तो वे सेठ साहूकारों के पास नहीं जाएंगे। इसलिए मैं समझाता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी को निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए। डा. स्वामीनाथन जी ने चार परसेंट ब्याज दर पर जो ऋण उपलब्ध कराने की बात कही है, उसे निश्चित तौर पर स्वीकार करनी चाहिए।

महोदय, मूल्य वृद्धि से पूरा देश और सदन चिंतित है। हम वायदा बाजार के कुप्रभाव के कारण मूल्यवृद्धि पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। खास तौर से वायदा बाजार में खाद्य पदार्थों को निकालने की बात कही जा रही है, शायद अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। मैं समझता हूं कि वादा बाजार से दाल, खाने का तेल, चीनी और मोटा अनाज सहित आवश्यक वस्तुओं को निकाल दें तो हम निश्चित तौर पर मूल्यवृद्धि की स्थिति पर नियंत्रण कर पाएंगे। वायदा बाजार के ज़रिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदकर होर्डर्स जमा कर लेते है और कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। अनाज उपलब्ध हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि देश में अनाज की उपलब्धता नहीं है लेकिन फारवर्ड मार्केट के माध्यम से इसका लाभ जमाखोर उठा रहे हैं, और कृत्रिम अभाव पैदा करके सारा आनाज अपने गोदामों में भर लेते हैं। इसके कारण महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि महंगाई बढ़ने का एक कारण यह भी है। इसलिए सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और खास तौर पर मूल्य वृद्धि रोकने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के सहयोग से कारगर कदम उठाने चाहिए। चूंकि आज जमाखोर व्यापरियों पर लगाम कसने की आवश्यकता है। हालांकि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर राज्य सरकारें आपको सहयोग नहीं दे रही हैं। कुछ राज्यों में निश्चित तौर पर जमाखोरों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाये गये हैं। मगर देश के सभी प्रदेशों में कारगर कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा है और जमाखोर चीजों का कृत्रिम अभाव पैदा करके अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं और वे आम लोगों को एक तरह से मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझाता हूं कि इसके लिए केन्द्र सरकार को यदि कानून में तब्दीली करने की जरूरत भी पड़े तो सरकार को करना चाहिए, ताकि इस चीजों पर केन्द्र सरकार का सीधे तौर पर नियंत्रण हो जाए। यदि ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़े तो निश्चित तौर पर कोई कानून बनाकर जमाखोरों के खिलाफ देश के सारे प्रदेशों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चाहिए, ताकि जमाखोर जो चीजों का

कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं, उनसे छुटकारा मिल सके और सरकार की जो नीयत है और सोच है, उसे मजबूती मिल सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो खाद्य तेल, जैसे पाम आयॅल आदि हैं, आज उनका साठ प्रतिशत उत्पादन हम अपने देश में करते हैं, लेकिन चालीस प्रतिशत हम दूसरे देशों से आयात करते है। अभी कीमतें कम करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने कुछ कदम भी उठाया है। हमारे देश में जो चालीस प्रतिशत खाद्य तेल का आयात हो रहा है, उसे आपने टैक्स फ्री कर दिया है। हम चालीस प्रतिशत ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात करते हैं। इंडोनेशिया से चालीस परसैन्ट का लगभग 90 प्रतिशत हम आयात करते हैं और लगभग दस परसैन्ट मलेशिया से आयात होता है। पिछले दिनों जब आपने इसे टैक्स से एग्जैम्प्ट किया तो उन्होंने अपने यहां इसके दाम बढ़ा दिये। उनके द्वारा दाम बढ़ाने के बाद आपकी मजबूरी हैकि जो आप फायदा उठाना चाहते थे, वह फायदा विदेश की कंपनियां उठा रही है, जहां से आप तेल का आयात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस कारण भी हम अपनी पालिसी का इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि लोगों को उसका लाभ मिल सके। आपने इस वर्ष 30 मार्च, 2008 को जो डयूटी जीरो की है, उससे विदेश में आयल का भाव बढ़ गया और इस कारण लगभग सात हजार करोड़ रूपये का लाभ इंडोनेशिया की कंपनियों को हुआ। यदि इस सात हजार करोड़ रुपये का इस्तेमाल हम अपने देश के संसाधनों पर करते, जहां हम केवल साठ प्रतिशत खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं, यदि इस पैसे को वहां इन्वैस्ट करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते तो किसानों को भी लाभ मिलता और हम आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ और दिलाता चाहता हूं। आज हम उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में जो किसान हैं, वे गांवों की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं। शहरों की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं और उनकी जो उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है, जो कुव्वत है, उस क्षमता के अनुरूप हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि किसानों का उत्साहवर्धन कैसे हो, उनकी उत्पादन क्षमता कैसे बढ़े, इस दिशा में हमें निश्चित तौर पर प्रयास करना पड़ेगा और कार्यवाही करनी पड़ेगी। अगर हम धीरे-धीरे उत्पादन क्षमता बढ़ाने में कमी करते गए तो आगे आने वाले वर्षों में हम भुखमरी की तरफ चले जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं समझाता हूं कि आप ऐसी कोई पालिसी बनाएं, ऐसा कोई स्टेप लें ताकि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ सके। इसके लिए आप उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाएं। उनकी सिंचाई की क्षमता बढ़े, उसके लिए व्यवस्था कराने का काम कीजिए। उनके लिए खाद और बीज सही मूल्य पर मिले, उसके लिए व्यवस्था करें। आज उनका जो उत्पादन होता है, उसका उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों गेहूं का एक हजार रुपए सपोर्ट प्राइस बढ़ाया गया है, यह उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम अपने प्रदेश बिहार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। वहां आज भी 940-950 रुपए में उधार में किसान बेच रहे हैं। हम लगभग 1450 रुपए प्रति क्विंटन विदेशों से आयात करके गेहूं लाने का काम कर रहे है।। हमारे प्रदेश में कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में लाम मिल रहा है। हम एक हजार रुपए प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राइस की दर उन्हें देने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आज मुझे लगता है कि गेहूं की खरीद में भी भेदभाव किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों से गेहूं न खरीदा जाए, मैं आपको बताता हूं कि पिछले साल 41 लाख टन पंजाब से गेहूं खरीदा गया है और 40 लाख टन गेहूं हरियाणा से खरीदा गया है। मैं बिहार की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बिहार एक पिछड़ा प्रदेश है। जब आपने एक हजार रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उन्हें सपोर्ट प्राइस देने की बात कही तो उनका उत्साह बढ़ा। वित्त मंत्री जी, आपको जानकर खुशी होगी कि आज बिहार में किसानों में एक ललक पैदा हुई है। वहां किसानों ने पूरी क्षमता के साथ सिंचाई और सारी चीजों की व्यवस्था करके व्यापक पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करने का काम किया है। मगर वे गेहूं का उत्पादन करके क्या करेंगे, क्योंकि आप जो सपोर्ट प्राइस दे रहे है।, सह तो उन्हें मिल नहीं रहा है। वे जो गेहूं बेचते हैं, उसका पैसा उन्हें तीन-तीन, चार-चार दिन के बाद मिल रहा है। व्यापारी उनका एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। आपने बिहार में मात्र आठ हजार टन ही गेहूं खरीदने का काम किया। वहां क्यों नहीं आपकी कोई एजेंसी काम कर रही है, जब कि यह तय हुआ था कि भारत सरकार 240 क्रय सेंटर एफसीआई के माध्यम से खोल कर गेहूं की खरीद करेगी। इसके अलावा लगभग दो हजार सेंटर वहां राज्य सरकार खोल कर किसानों के गेहूं या धान को खरीदने का काम करेगी। मगर वहां कुछ नहीं हुआ। वहां क्रय सेंटर खुल ही नहीं पाए। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही क्रय सेंटन नहीं खोल पाए। इसलिए किसान मजबूरी में अपना गेहूं औने-पौने दाम में बेचने का काम कर रहे है। यह उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जहां हम विदेशों से गेहूं मंगा कर अपने यहां 1450 रुपए प्रति क्विंटल देने का काम कर रहे हैं, जब कि हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है, आप उसे उचित मूल्य देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस पर गौर करना चाहिए और जहां भेदभाव उत्पन्न हो रहे है, उन्हें

[श्री राम कृपाल यादव]

दूर करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में किसानों ने अपना खून–पसीना बहा कर, उत्पादन करके, देश के लोगों को अन्न खिलाने का काम किया है। मैं उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात कर रहा हूं और समझता हूं कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है, जहां अगर ठीक से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो वहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो सकता है।

महोदय, उत्तर–बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है और हमेशा हम उसकी चर्चा करते रहे है।। वहां लोगों में उत्पादन करने की बहुत क्षमता है। वहां मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए वहां पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो सकता है लेकिन वहां बाढ़ की वजह से हर साल लाखों रुपए की क्षति होती है।

सभापति महोदय, किसानों के जान–माल का नुकसान होता है, लेकिन आज तक वहां कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। हम समझते हैं कि इसी तरह से देश के कई ऐसे भाग हैं, जहां यदि किसानों को उचित सुविधा मिले, तो वे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और इस प्रकार हम अन्न के मामले में विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और महंगाई की मार से भी बच पाएंगे।

महोदय, स्पेशल इकनौमिक जोन का अभियान चल रहा है और इसकी बात की जा रही है। इसके माध्यम से खेत और खलिहान में काम करने वाले लोगों के पेट पर लात मारी जा रही है। आप इंडस्ट्रीज लगाइए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। उनसे रोजगार भी बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। स्पेशल इकनौमिक जोन के माध्यम से जो खेती योग्य जमीन है, उसे बड़े पैमाने पर लेकर किसानों के पेट पर लात मारने का काम आप कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री जी, इस बहस का उत्तर दें, तो इस बात का जवाब जरूर दें कि आज तक स्पेशल इकनौमिक जोन के माध्यम से आपने किसानों की कितनी खेती योग्य जमीन को लेने का काम किया है और कितने किसानों के पेट पर लात मारने का काम किया है?

महोदय, हमारी आबादी बढ़ रही है। आबादी रुक नहीं रही है, वह बराबर बढ़ती जा रही है, लेकिन जमीन वही है। उसी जमीन के अन्तर्गत हमें उत्पादन करना है और अपनी रोजी कमानी है। हम सभी जानते हैं कि देश की लगभग 80 प्रतिशत आबादी खेत और खलिहान पर निर्भर करती है। अगर हम कोई इस तरह की योजना बनाएं और किसानों की खेती योग्य जमीनों को धीरे–धीरे लेते जाने का काम करेंगे, तो हमारी परेशानी बढ़ेगी।

महोदय, यदि आप देश में इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं और औद्योगिक उत्पादन चाहते हैं, तो देश की जो बंजर भूमि है, उसे लेकर उसके ऊपर उद्योग लगाइए। आप बंजर जमीन को औद्योगिक रूप से क्यों विकसित नहीं करते हैं? हमारे यहां तो स्कीम भी है कि बंजर भूमि को बड़े पैमाने पर खेती योग्य बनाया जाएगा। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत कितनी बंजर भूमि को खेती योग्य बनाया गया है? अगर हम बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का काम नहीं करेंगे और किसानों की खेती योग्य जमीन को उद्योगों के लिए लेने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसानों के पेट पर लात मारने का काम करेंगे। किसान का परिवार बढ़ गया, घर बढ़ गया, हमारी आबादी बढ़ गई, लेकिन जमीन तो हमारे पास उतनी ही। और उसे भी हम बढ़ाने के बजाय उद्योगों हेतु लेने का काम करेंगे, तो देश के लिए अन्न कहां से आएगा?

महोदय, हम पिछले अनेक वर्षों से देख रहे है। कि हमारी सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ी है। हम तो अपने प्रदेश की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि बिहार की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : हमारे यहां जितनी भी नहरें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। नहरों के निर्माण हेतु जितना पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : हमारे यहां अगर पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से की जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे बिहार प्रान्त में बहुत अन्नोत्पादन हो सकता है। इससे किसानों के खेतों में हरियाली आएगी, किसानों में खुशहाली आएगी और बिहार उन्नति करेगा। बिहार के बारे में पहले से ही लोग प्लान करते रहे हैं कि वहां रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वहां के लोग अपने जीविकोपार्जन हेतु बिहार से बाहर जाते हैं और अब तो हमारे लोग बिहार से बाहर जाकर मार भी खा रहे हैं और गालियां सुनने का काम भी कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका ध्यान बिहार जैसे प्रदेश की ओर निश्चित रूप से जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, आप मुझ से बार–बार कह रहे हैं कि अपना भाषण समाप्त करूं। मैं अपनी पार्टी की ओर से पहला ऐसा मैम्बर हूं, जो बोल रहा हूं। अन्य किसी पर रोक नहीं लगाई गई और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम समाप्त कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आज छः बजे तक यही डिसकशन चलना है।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, हम कनकलूड कर रहे है। कल भी तो यह डिसकशन चलेगा।

सभापति महोदय : आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान ऐसे प्रदेशों की तरफ जाना चाहिए जहां की स्थिति आपकी सहायता से अच्छी हो सकती है, खेती योग्य जमीन बढ़ सकती है, उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है, किसान खुशहाल हो सकते हैं और बेरोजगारी दूर हो सकती है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पर निश्चित रूप से सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए। यदि ऐसा होगा, तो बिहार जैसा प्रदेश अपनी मेहनत से, अपनी जमीन से इतना अन्न उत्पादन कर सकता है जो न सिर्फ अपने प्रदेश के लोगों को इंडिपेंडेंटली खिला सकता है बल्कि देश के दूसरे भागों की अन्न समस्या को सुलझाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मगर, उसके लिए केन्द्र सरकार, बिहार को विशेष पैकेज दे, तभी बिहार जैसे प्रदेश के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, देश में खुशहाली नहीं होगी। इस देश की जो 70–80 प्रतिशत आबादी है, उसमें जब तक उत्साह नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूं कि देश का उत्साह नहीं बढ़ सकता है।

देश में धीरे–धीरे खाई बहुत बढ़ गई है। अमीरी और गरीबी के बीच खाई बहुत अधिक बढ़ गई है। हम यह मानते हैं कि हमारा देश विकसित हुआ है, हम यह मानते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ा है, हम यह भी मानते हैं कि देश में अमीरी भी बढ़ी है, मगर अमीरी वैसे लोगों के बीच में बढ़ी है, जो पहले से ही अमीर थे। जो गरीब हैं, वे और गरीब हो रहे हैं। जो अमीर है।, वे और अमीर हो रहे हैं। जब तक पालिसी ऐसी नहीं आयेगी, नीति जब तक ऐसी नहीं आयेगी कि गरीबी और अमीरी की खाई को हम पाट सकें, तब तक निश्चित रूप से स्थिति नहीं बदलेगी। परेशानी आज किस वजह से है? हमारे देश में आज जो नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा है और पूरे देश में धीरे–धीरे नक्सलपंथ अपनी जगह बनाने का काम कर रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि असंतुष्टि है। उसका एकमात्र कारण है कि आक्रोश है। इस असंतुष्टि और आक्रोश को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार को पालिसी बनानी पड़ेगी और गरीब तबके के लोगों को रोजगार का अवसर देना पड़ेगा, उनकी क्रय–शक्ति को बढाना पड़ेगा। देश के जो 70–80 प्रतिशत लोग हैं, जब तक उनकी, आम लोगों की क्रय–शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक मैं समझता हूं कि देश की क्रय–शक्ति नहीं बढ़ेगी और देश खुशहाल नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय ललन जी चले गये, वे बहुत सारा भाषण कर रहे थे लेकिन अपना चेहरा खुद नहीं देख रहे थे कि उनकी सरकार ने उस समय क्या किया था, यह एन.डी.ए. के शासन में था, जब 2003 में वायदा बाजार जैसी पालिसी को चालू करने का काम किया गया। इसी की बजह से तो आज सारी परेशानी बढ़ी है। मैं समझता हूं कि एन.डी.ए. के शासन में ही फूडग्रेन को वायदा बाजार में लाया गया। जिसके कारण तमाम प्रोब्लम्स आज आपके सामने आ रही हैं। व्यापरियों को इसकी इजाजत दी गई कि अनलिमिटेड स्टाक कर लो, यह इन्हीं की रिजीम में हुआ था। आज उसकी परेशानी हम लोग भोगने का काम कर रहे हैं। जमाखोरों को खुले आम छूट दी गई कि जितनी आप जमाखोरी कर सकते हैं, करिये। उस समय लूट की छूट गई और देश के तमाम लोगों की परेशानी उसी समय से प्रारम्भ हुई, जिस परेशानी को आज हम भोग रहे हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एन.डी.ए. के शासन का जो कानून है, जो पालिसी है, उसको तब्दील कीजिए, बदलिये और वायदा बाजार में जो खाद्य सामग्री है, उसको निकालिये, जामाखोरों पर कार्रवाई कीजिए और देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों का उत्साहवर्धन करने का काम कीजिए। जब तक किसानों का उत्साहवर्धन नहीं होगा, देश की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक मैं समझता हूं कि आप देश को खुशहाली की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। आप निश्चित तौर पर एक ऐसा ठोस उपाय निकालिये कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है, अभी 10 से 15 परसेंट लोगों में अमीरी बढ़ी है, लेकिन 85 परसेंट लोग आज भी गरीबी की स्थिति में ही हैं। जहां हम भारत निर्माण का सपना देख रहे हैं तो भारत गांवों में बसता है। आप इंडिया शाइनिंग के चक्कर में मत आइये, ये लोग इंडिया शाइनिंग में चले गये, इसलिए भारत का अगर निर्माण करना है तो गांव का निर्माण करना पड़ेगा, गरीबों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो आम लोग हैं, उनके लिए नीति और पालिसी बनानी पड़ेगी और उनकी तरफ देखना, झांकना पड़ेगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी और हमारा देश खुशहाल हो सकता है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : सभापति महोदय, फाइनेंस बिल पर आज चर्चा हो रही है। मैं भारत के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब को तीन बातों के लिए बधाई देता हूं। एक तो सम्भवतः पूरे देश में 6

[श्री रेवती रमन सिंह]

बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है—चार बार यू.पी.ए. की सरकार में और दो बार दूसरी यूनाइटिड फ्रण्ट की सरकार में। जहां तक हमको याद है, सम्भवतः 6 बार किसी भी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी इस बात के लिए कि हमारे तमाम उधर के साथी चले गये, मुझे याद है कि इनके समय में जी.डी.पी. रेट 4.6 प्रकाशित था, जिसे बढ़ाकर वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने 9.4 परसेंट कर दिया। उसे लगातार चार सालों से इन्होंने कायम भी रखा है। इनके समय में यह आठ प्रतिशत से नौ प्रतिशत तक रहा है और इस साल भी 8.7 प्रतिशत का प्रोजेक्शन है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं।

तीसरे, ये बधाई के पात्र हैं कि इतने सालों में इनके द्वारा टेक्सेज कलेक्शन नंबर वन पर हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा फारेन रिजर्व भी भले ही आज रेमिटेंस के कारण है, लेकिन आज इतना ज्यादा पहले कभी नहीं था।

मान्यवर, जो चिंता का विषय है, वह है इन्फ्लेशन, जो आज 7.33 प्रतिशत है। जहां ग्रोथ रेट के लिए हमें इनको बधाई देनी है, वहां यह चिंता का विषय भी है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यह ठीक है कि इसके लिए एक्सटर्नल कारण हैं। पेट्रोलियम के दाम पहले से साढ़े तीन गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। पॉम आयल जिसे हम मलेशिया और इंडोनेशिया से मंगाते हैं, उसके दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। एक बात देखनी होगी कि साठ साल की आजादी के बाद भी भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी हम मानसून पर निर्भर करते हैं। इसका कारण है कि जो हमें कृषि में निवेश करना था, वह निवेश नहीं किया। आज भी हम जो कर रहे, वह पर्याप्त नहीं है। वह इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि बजट में जो प्रावधान वित्तमंत्री जी ने किया है कि इस वर्ष 2008-09 पांच लाख हैक्टेअर जमीन को हम सिंचित करेंगे, मानवर, यह अपर्याप्त है, क्योंकि कृषि की आज ग्रोथ रेट 2.6 प्रतिशत है। हम जब तक इसे बढ़ाकर चार प्रतिशत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जीडीपी को भी बरकरार नहीं रख पायेंगे, यह मेरा मानना है और उस तरह भारत का भी हम भला नहीं कर सकते।

मान्यवर, अभी आरजेडी के सदस्य बोल रहे थे, वह चले गए। वह कह रहे थे कि दुनिया में कहीं भी फूड क्राइसिस नहीं है। मान्यवर, फूड राइट्स हो रहे हैं। इजिप्ट सहित कई देशों में राइट्स हो रहे हैं। हमारे देश में फूड राइट नहीं हो रहा है। अगर आप देखें कि जो हमारे यहां गेहूं का उत्पादन है, पिछले साल 75.81 मिलियन टन था, जो इस साल 76.78 मिलियन टन है। इसमें बहुत मार्जिनल इनक्रीज हुआ है। इसी प्रकार से अगर राइस को देखें तो उसका उत्पादन पिछले साल 93.35 मिलियन टन था, जबकि इस साल 95.68 मिलियन टन है। इसी प्रकार से अन्य अनाजों के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुयी है, लेकिन जो बढ़ोत्तरी होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पिछले साल आपने जो गेहूं का रेट दिया, उस रेट पर किसानों ने गेहूं नहीं बेचा। इस साल भी आपने एक हजार रुपए इसके लिए दिए हैं। बाजार में कहीं—कहीं किसान औने—पौने दामों पर गेहूं बेच रहा है, लेकिन अधिकांश किसान, चाहे पंजाब का हो, या हरियाणा का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इन तीन प्रमुख जगहों पर गेहूं का उत्पादन होता है, वहां के किसान एक हजार रुपए में गेहूं नहीं बेचने वाले हैं। वे प्राइवेट लोगों को गेहूं बेचेंगे। गेहूं का वर्ल्ड प्राइज सत्तहत्तर फीसदी बढ़ गया है। आस्ट्रेलिया में सूखा पड़ा है। अमेरिका में केवल आपको गेहूं मिलने वाला है। अमेरिका को मालूम है कि भारत को अपनी जरूरत के लिए गेहूं इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वर्ल्ड प्राइज अपने आप अभी बढ़ गया है। मैं आपसे मांग करूंगा कि एक हजार रुपए तो आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइज नाउंस किया है, अगर आप बोनस भी एक सौ रुपए से लेकर दो सौ रुपए तक एनाउंस कर दें, तो पर्याप्त गेहूं आपको भारत में उपलब्ध हो जाएगा, तब आपको विदेश से और अमेरिका से कम आयात करना पड़ेगा। उसके लिए आपका फारेन एक्सचेंज भी कम खर्च होगा।

आपको एक बात सोचनी है कि जब तक आप कृषक को स्वावलम्बी नहीं बनाएंगे तब तक भारत मजबूत भी नहीं होगा और विदेशों से मंगवाकर जो कृषि भंडार भरने का काम कर रहे हैं, वह भी पूरा नहीं हो पाएगा।

मैं आपकी आज्ञा से कुछ बातें और रखना चाहूंगा। दुनिया में दो देशों के बीच अर्थव्यवस्था में होड़ में हैं—चीन और भारत। हम देखें कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में चीन का क्या इन्वेस्टमेंट है और हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है। चीन ने हमारे बार्डर तक 24 घंटे ऑल वैदर रोड बना दी है। उनकी सेनाएं हमारे बार्डर तक एक घंटे के अंदर पहुंच जाती हैं और जो हमारी बार्डर की सड़कें हैं, वहां हम अपनी सेना को भेजने में कम से कम 3-4 दिन लगाते हैं। यह इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक नमूना है। रेलवे में रेल मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप रेल की स्पीड देखें तो 45 मिलोमीटर, 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर से जयादा एवरेज नहीं है। रेल लाइन बदलने की जरूरत है और वह इन्फ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है। उसके लिए आपको एक्सट्रा पैसे देने पड़ेंगे, आपको जनरल बजट से पैसे देने पड़ेंगे। आप इसे कब करेंगे? 21 वीं सदी आ गई है। कोरिया, वियतनाम, चीन कर रहा है, थाईलैंड भी करने वाला है, लेकिन हम कहां हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अलावा हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो खर्च करना चाहिए, हम उसका भी बजट में प्रावधान नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि इलेवन्थ फाइव ईयर प्लान के खत्म होते—होते हम शिक्षा में जीडीपी का 4 प्रतिशत खर्च करेंगे। अगर आप शिक्षा को

देखें, आप गांव से आते हैं, मुझे मालूम है कि यहां के ज्यादातर माननीय सदस्य गांवों से संबंध रखते हैं। गांव में डाक्टर क्यों रहने जाएंगे? वहां कोई सैंट्रल स्कूल नहीं है, माडर्न स्कूल नहीं है, लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए डाक्टर गांव में नहीं जाते। आप रूरल हैल्थ मिशन में बजट देते जा रहे हैं, लेकिन डाक्टर नदारद हैं। वहां पैरा-मेडिकल फोर्स नहीं है। गांवों में जो लोग रह रहे है।, यदि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। हम प्रधान मंत्री जी को लिखते हैं कैंसर में मदद कर दीजिए, हार्ट सर्जनी में मदद कर दीजिए, किडनी रिप्लेसमैंट में मदद कर दीजिए, लेकिन बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनके इलाज की कोई व्यवस्था हो सके। यदि गरीब आदमी को ऐसी गंभीर बीमारियां हो जाएं तो या तो वह ऊपर चला जाएगा या तड़प-तड़पकर मर जाएगा। आप वेल्फेयर स्टेट हैं। वेल्फेयर स्टेट में आप साठ साल के बाद भी इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, यह बहुत शर्मनाक बात है।

अपराह्न 4.30 बजे

(श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं)*

आपने ओल्ड एज पैंशन की उम्र 65 साल की है। वित्त मंत्री जी, बहुत से राज्यों में लोगों की आयु सीमा 65 साल है ही नहीं, लगभग 60 साल और 62 साल है। क्या जब वे ऊपर चले जाएंगे, तब उन्हें पैंशन मिलेगी? मेरा आग्रह है कि उनकी आयु सीमा घटाकर 60 साल कर दी जाए जिससे सबको उसका बेनीफिट मिल सके।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया। मैं वित्त विधेयक 2008-2009 के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त विधेयक बजट प्रस्तुति का तीसरा चरण है। सरकार सामान्य तौर पर फरवरी के अंत में बजट प्रस्तुत करती है। तकनीकी रूप से वित्त विधेयक में कर प्रस्तावों, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अन्य करों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

हम सामान्य बजट से शुरूआत करते हैं। जो कि पहला चरण है। दूसरा चरण अनुदानों की मांगें हैं और आज हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे है, जो कि बजट का अंतिम चरण है।

महोदय, जिस दिन माननीय वित्त मंत्री ने संसद में बजट प्रस्तुत किया था, समस्त देश आपको सुन रहा था और जो कुछ आपने कहा, उस दिन आप एक अति लोकप्रिय व्यक्ति बन गए। ऐसा रिपोर्ट थीं कि आपने हर किसी को प्रसन्न कर दिया। किसान, लोग खुश थे, वरिष्ठ नागरिक प्रसन्न थे और महिलाओं को भी ऐसा लगा कि माननीय वित्त मंत्री ने उन्हें भी कुछ न कुछ दिया है। अखबारों में ऐसी रिपोर्टें थीं और उनमें यह कहा गया था कि "हर किसी को चिदम्बरम से स्नेह हैं।"

आज, स्थिति वैसी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कोई संदेह है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : जो कुछ भी आपने आम आदमी को दिया था। आज वही आम आदमी आपसे बहुत असंतुष्ट है। वह आप पर दोष लगा रहा है कि जो कुछ भी दिया गया था, उसे महंगाई और मुद्रास्फीति द्वारा ले लिया है। अब आप किसी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आप वैश्विक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, तेल की कीमतों में वृद्धि और अनेक चीजों को दोषी ठहरा सकते हैं।

महोदया, वित्त मंत्री से मुखातिब होकर, मैं कहना चाहता हूं कि अन्य देशों के समान ही हमारे यहां भी अर्थोपाय हैं। वे अपने आप को इस महंगाई से बचाने में सफल हुए हैं। यदि ऐसा करने के लिए अर्थोपाय मौजूद होते, तो आप उस वक्त भी वित्त मंत्री थे, जब हमने एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का पतन होते देखा। यह दूसरे संदर्श में हो सकता है। किंतु यह वही समय था, जब भारत सुरक्षित था और हमने यह महसूस किया कि हम सुरक्षित हैं और हमारे यहां वैसी समस्या नहीं थी, जैसे एशिया की गतिशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में थे। यहां हमारे समक्ष एक अलग स्थिति है।

महोदया, उन्होंने मानसून के बारे में बिल्कुल ठीक कहा है। मानसून हमारे लिए अच्छा रहा है। यदि तीन-चार वर्ष तक लगातार अच्छा मानसून नहीं आया होता तो मैं समझता हूं कि स्थिति और भी बदतर होती। इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए और मैं समझता हूं आप आज इसके बारे में आवश्य चर्चा करेंगे। दोषारोपण न करें, दूसरों पर दोषारोपण करना आसान है। कोई व्यक्ति अपने पर दोष नहीं लगाता। यदि आप कुछ कर सकते हैं तो कृपया करें। देश आपके और संप्रग सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है।

महोदया, अब मैं कर प्रस्तावों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सर्वप्रथम सेवा कर के बारे में बात करना चाहता हूं। वर्तमान में यह सबसे बड़ा संग्रहण है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि सेवा कर का संग्रहण वास्तविक रूप में बढ़ गया है। 92 या इससे अधिक सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया है। लकिन कुछ भ्रम है। इन्हें आपको स्पष्ट करना चाहिए। कई विसंगतियां हैं। व्यवसाय अनुषंगी सेवाएं क्या हैं, इनमें क्या-क्या शामिल है और क्या नहीं। इसके बाद, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक समय था जब हम सोचते थे कि लोग अपेक्षाकृत अधिक ईमानदार हैं और काले धन पर वास्तव में अंकुश लग रहा है। सेवा कर की वजह से काले धन की दौड़ पुनः शुरू हो गयी

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि दोहरे कराधान की स्थिति बन रही है और लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं।

आप कर का भुगतान करते हैं। सेवा कर जो साढ़े बारह प्रतिशत है, पुनः आयकर के अंतर्गत आता है। आप वहां इसका पुनः भुगतान करते हैं। इस प्रकार, ये विसंगतियां हैं। इन बातों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। अन्यथा काले धन की दौड़ पुनः शुरू हो जाएगी और इसमें हमें समस्याएं होंगी।

आपने हमेशा ही आयकर और सेवा कर प्रपत्रों को सरल बनाने की बात की है। परन्तु अब वे सरल नहीं हैं। हमने एक सरल कार्य बनाने का प्रयास किया था। राजग सरकार ने इसे करने की कोशिश की थी। आपने कहा कि आप इसे और भी सरल बनाने जा रहे हैं। यह सरल और अधिक भ्रामक हो गया है। आज 20 पृष्ठि के 8 फार्म हैं। ...*(व्यवधान)*

आयकर विवरणी में 20 पृष्टों के 8 फार्म हैं। अब आप कहते हैं कि इसके साथ परिशिष्ट लगाना जरूरी नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है। परंतु आपके सभी जोनों का कम्प्यूटरीकरण नहीं हुआ है। इसका अभिप्राय है कि उनका जांच किया जाना है। इसमें इतना अधिक समय लग जाता है कि यह काफी कठिन हो जाता है। प्रपत्रों की जांच नहीं हो पाने की वजह से प्रतिदाय (रिफण्ड) समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे सुचारु बनाया जाना चाहिए। यही स्थिति सेवाकर सुधारों के संबंध में भी हैं। इनको प्रस्तुत करना आसान नहीं है।

मैं बैंकों से धन निकालने पर लगनेवाले बीसीटीटी—बैंक नकद लेन—देन कर का भी उल्लेख करना चाहूंगा। यदि 20,000 रुपये से अधिक के नकद भुगतान के संबंध में धारा 40 (क) (iii) जैसे प्रावधान है तो यह बात समझ में आती है। इनसे परेशानियां हो रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप इसे वर्ष 2009 तक वापस लेने जा रहे हैं। इसका क्या अभिप्राय हैं? आपके पास ये दोनों क्यों हैं? आप इससे कैसे अर्जित कर रहे हैं यदि आप इससे कुछ अर्जित नहीं कर रहे हैं तो आप वर्ष 2009 तक के लिए इसे क्यों छोड़ रहे हैं? आप इसे आज ही क्यों नहीं कर सकते?

धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए कुछ प्रस्ताव और संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। आपने यह कहा है कि धर्मार्थ प्रयोजनों के नाम पर अनेक धर्मार्थ संस्थाए कार्य कर रही हैं। ये संस्थाए अब धर्मार्थ न्यास नहीं रह गयी हैं और इनमें संशोधन किया जाना चाहिए। क्या आप कम से कम आवासीय विद्यालयों को इससे बाहर करेंगे? वे जो वस्त्र, भोजन, आवास सुविधा और अन्य सभी चीजें मुहैया करा रहे हैं उन्हें इससे अलग रखा जाना चाहिए। कृपया इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि मुझे जो कहना था वह सब मैं कह चुका हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आवासीय विद्यालय शिक्षा की परिभाषा के प्रथम भाग के अंगर्तगत आता हैं। यह अंतिम भाग के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें कोई भ्रम नहीं है। कृपया इसे देखें। परिभाषा के दो भाग हैं। शिक्षा प्रथम भाग में आती है जिसे संशोधित नहीं किया जा रहा है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : मैं इस स्पष्टीकरण के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मात्र दो और मुद्दे हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं।

एक है—यूनेस्को की मान्यता वाले क्षेत्र में स्थित होटलों के लिए करावकाश की व्यवस्था। इसके लिए सिर्फ यूनेस्को की मान्यता वाले स्थलों को ही करावकाश के लिए क्यों चुना गया है? राजस्थान में, हमारे पास पर्यटन की प्रर्याप्त संभावना है। हमारे पास अन्य कई समस्याएं हैं। हमारा राज्य चारों तरफ से भूमि से घिरा हैं यदि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे मदद मिलेगी। राजस्थान में ग्रामीण पर्यटन काफी बड़े पैमाने पर उभर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ग्रामीण पर्यटन की तरफ ध्यान दें और ग्रामीण पर्यटन हेतु करावकाश की व्यवस्था करें। इसके साथ—साथ मेरी सोच यह भी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, यदि उन्हें भी कोई छूट और करावकाश दिया जा रहा है तो कृपया इसे राजस्थान को भी दें। ...*(व्यवधान)*

अंत में मुझे एक और बात कहनी है। आपने बाघ बचाने हेतु मात्र 50 करोड़ रुपये दिए हैं। मेरी समझ से 50 करोड़ रुपये काफी नहीं हैं क्योंकि 28 बाघ परियोजनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी यह बड़ी समस्या रही है। मैं आशा करता हूं कि आप बाघ बचाने हेतु 50 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर कम से कम 200 करोड़ रुपये कर सकते हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री के.सी. पल्लानी शामी** (करूर) : मुझे वर्ष 2008—09 के वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं। मैं दविड़ मुनेत्र कषघम की फिर से अपने नेता डा. कलईग्नार करूणानिधि के नेतृत्व और योग्य लेफ्टिनेंटों विशेषकर हमारे थलपति स्तालिन के सहयोग से तैयार किए गए तमिलनाडु सरकार के विचारों और मांगों को प्रस्तुत करता हूं। मैं इस विधेयक पर भी आपके साथ कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करता हूं।

एक ओर तो यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की दर तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने से चिंता उत्पन्न हो गयी है।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इन सबके बीच माननीय सदस्य संघ सरकार के कर राजस्व और नए कर प्रस्तावों दोनों ही पर अपनी चिंताएं, आशंकाए, विरोध और उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित कर राजस्व 6,02,935 करोड़ रुपये का होगा। इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 13 प्रतिशत के आस–पास वृद्धि हुई है। सरकार को होने वाली कुल प्राप्तियों में से निगम कर से 24 प्रतिशत आय कर से 15 प्रतिशत, सीमा शुल्क से 13 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क से 15 प्रतिशत और सेवा कर से 7 प्रतिशत आय का संग्रहण किया गया है।

सेवा करों में संबंध में कई विचार और प्रतिविचार व्यक्त किए गए हैं। वे सीधे जनता पर लगा दिए जाते हैं। एक मत यह सामने आ रहा है कि उसमें कोई लचीला किनारा जरूर होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि सेवा क्षेत्र में कमाए गए शुद्ध लाभ पर भी कर लगाया जाना चाहिए। इसमें उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। सेवा कर संबंधी विवाद को मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि किए बिना और लोगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सुलझाया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे योग्य वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम यह सुनिश्चित करते हुए कि सरकार को बेहतर राज्स्व प्राप्त हो। और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम विख्यात हो। इस प्रकार कुशलता से कोई न कोई उपाय करेंगे। जिस प्रकार से सर्कस में कलाकार रस्सी पर कुशलता से चलता हुआ निकल जाता है।

भारत तथा अन्य देश मच्छरदानी के उत्पादन के लिए आवश्यक धागा अथवा फिलामेंट का उत्पादन करते हैं। परंतु बांग्लादेश भारत से गलत तरीके से और मूल्य कम करके धागा भेज रहा है। जिससे बांग्लादेश से प्राप्त होने वाले मच्छदानी की मूलभूत सामग्री कारण भारत में निर्माताओं को हानि हो रही है। केन्द्र सरकार को इस अनुचित व्यापार पद्धति पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

सूत्री वस्त्रों और निर्मित उत्पादों के निर्यात पर करूर जैसे सूती वस्त्र उत्पादन केन्द्रों द्वारा विदेशी एजेंटों को कमीशन दिया जाता है। वर्तमान में व्यापारिक समुदाय को सरकार से इस प्रकार से दिए जाने वाले कमीशन पर सेवा कर देने के नोटिस प्राप्त हुए हैं। पिछले चार वर्षों के लिए भूतल ही प्रभाव से अचानक मांगे गए सेवा कर से व्यापारिक समुदाय में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। यह पहले से आंकलित कर पर लगाया गया कराधान है। इससे वर्तमान व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा अतएवं मेरा केद्र सरकार से अनुरोध है कि इस पद्धति को रोक दिया जाए। यदि भविष्य में यह वसूल किया भी जाए तो 10 प्रतिशत या इससे अधिक दिए जाने वाले कमीशन पर ही इसकी वसूली की जाए।

विगत 16 वर्षों में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी आगे निकलकर तमिलनाडु ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए लोगों को अकर्षित किया है। ऐसे राज्यों, जिन्होंने आधारभूत ढांचा बनाने में वित्तीय संसाधनों का भली भांति उपयोग किया है और वित्त के कुशल प्रबंधन और प्रशासन की सहायता से शांति और अनुकूल माहौल स्थापित करना सुनिश्चित किया है, को बराबर की अनुदान राशि दी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार इस मद में 5576 करोड़ रुपए देती है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य अपनी कर आय का 76 प्रतिशत वेतन और पेंशन पर व्यय करते हैं और यह आवश्यकता है कि अधिक कर वाले ऋणों पर कर दर घटायी जाए। यह अनुमान है कि तमिलनाडु सरकार का राजस्व व्यय 51400 करोड़ रुपए रहेगा। इसी बीच में छठे वेतन आयोग का भी भार पड़ेगा। इन बातों को देखते हुए और तमिलनाडु में गरीबी को दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार को कर राजस्व में अधिक हिस्सेदारी दी जाए।

इसी अनुरोध के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : महोदया, वित्त विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और ऐसा करने के मेरे पास पर्याप्त कारण है जिन्हें मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सभा के समक्ष रखना चाहूंगा।

महोदया, वित्त विधेयक और बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब तक प्रत्यक्ष करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। इसके विपरीत पुरुषों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत दी गयी है। इसी कारण से हरेक व्यक्ति ने माननीय वित्त मंत्री की सराहना की है। उन्होंने लोगों के हाथ में अधिक धन दिया है और इसी वजह से उनकी क्रयशक्ति बढ़ गयी है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की बाजार में मांग बढ़ेगी और उससे अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सदन माननीय वित्त मंत्री और उनकी टीम द्वारा कर संग्रहण के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करने के प्रयासों की सराहना करेगा। जब से श्री चिदम्बरम ने वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला है कर संग्रहण वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। कई बार तो कर संग्रहण प्रत्याशित लक्ष्यों से भी ज्यादा हुआ है। उदाहरण स्वरूप 2007–08 के दौरान संभावना है कि कर संग्रहण 3.08 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान को पार कर जाएगा। ऐसा मुख्यतः प्रचार अभियान के माध्यम से कर दाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के कारण हुआ है। यदि नियमों और विनियमों को और अधिक सरल बनाया जाए तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं कि विशेषकर छोटे और मझौले कर दाता कर देने आगे आएंगे और इससे कर संग्रहण में भारी वृद्धि

[श्री नवीन जिन्दल]

होगी। यह बढ़ता हुआ कर संग्रहण व्यापार और व्यवसाय में बेतहाशा वृद्धि का भी संकेत है। यह स्पष्ट संकेत हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था सतत उच्च वृद्धि की ओर अग्रसर है। समय समय पर सुविचारित उपाय करने के लिए इस उपलब्धि का श्रेय हमारे वित्त मंत्री को जाता है।

महोदया, टीयर एक और टीयर दो शहरों में अस्पतालों की स्थापना करने और सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। वित्त विधेयक, 2008 में उन्होंने कई जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में कमी की है और उनके बड़े औषध घटकों पर सीमाशुल्क में 10 से 5 प्रतिशत की कमी की है। भेषज क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में 16 से 8 प्रतिशत तक की कटौती की है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़कर टीयर–टीयर एक और दो शहरों में अस्पताल स्थापित करने के लिए पांच वर्ष की कर छूट दी है। इससे स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा क्यों कि अनेक बड़े घराने छोटे शहरों में अस्पताल स्थापित करना चाहेंगे।

देय ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों गरीब किसान एवं कामगार असंगठित स्रोतों से ऋण लेते हैं और ऐसा करके वे कभी–कभी अवांछित व्यक्तियों द्वारा शोषण का शिकार हो जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री को स्मरण कराना चाहता हूं कि इन निर्दोष गरीब लोगों को इस प्रकार के शोषण से बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखी पहल की है। चूंकि वर्ष 1996-98 के दौरान अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में लोगों को संगठित पद्धति से ऋण प्रदान करने के लिए स्थानीय क्षेत्र बैंक स्थापित किए जायेंगे ताकि उनकी जीवनक्षय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। यह अत्यंत सुविचारित योजना थी और लोगों ने बड़े जोश के साथ इसका स्वागत किया। अगस्त 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय क्षेत्र बैंक खोले जाने की अनुमति दे दी थी। निजी क्षेत्र में तथापि 2003 में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि योजना में ढांचागत कमियों के चलते इस प्रकार के बैंकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाए। भाग्यवश पुनः श्री चिदम्बरम जी हमारे वित्त मंत्री हैं और मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि वे पुनः स्थानीय क्षेत्र बैंकों को स्थापित करने की योजना को पुर्नजीवित करने की पहल करें।

अपराह्न 5.00 बजे

यदि इन बैंकों के ढांचे में कोई कमजोरी थी, तो वह दूर की जा सकती है।

महोदया, सरकार ने उन किसानों द्वारा लिए गए 60,000 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने की योजना की घोषणा की है, जिनकी दो हैक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है और जिन्होंने 31 मार्च 2007 तक वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया है। तथापि भू उत्पादकता के मद्देनजर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में पड़ने वाली भूमि, मरूस्थल भूमि, भूमि जहां कोई सिंचाई सुविधा नहीं है आदि के लिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि दो हैक्टेयर भूमि की सीमा को बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार देश में खेती चक्र को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च की अंतिम तारीख को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, 'एयर वेपनों' को सीमा शुल्क से छूट दिये जाने के लिए खिलाड़ियों द्वारा किए गए अनुरोध पर वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। एयर वेपनों पर पूर्व में 35 प्रतिशत सीमा शुल्क देय था। परंतु इस बार इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इससे देश में शूटिंग के खेल को बहुत बढ़ावा मिलेगा क्योंकि भारत में इस खेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असीम संभावनाएं हैं।

भारत में खेलों को बहुत प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम हमेशा ओलम्पिक या अंतराष्ट्रीय स्तर पर खराब प्रदर्शन करते हैं हम कुछ आत्ममंथन करते हैं परनतु देश में खेलों विशेषकर ओलम्पिक को बढ़ावा देने के लिए हमने वास्तव में पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। मैंने बार–बार अनुरोध किया है कि सरकार को कारपोरेट क्षेत्र, निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों, जो ओलम्पिक खेलों में सहायता करते हैं, को बढ़ावा देने के लिए आगे देना चाहिए। सरकार को उन्हें 150 प्रतिशत कर छूट देनी चाहिए। आज भी जो कंपनियां व्यय करती हैं उन्हें शतप्रतिशत कर छूट दी जाती है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इससे अनेक कंपनियों को आगे आने का पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ।

इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ओलम्पिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा ओलम्पिक को प्रायोजित करने के लिए आगे आने वाली कंपनियों को 150 प्रतिशत कर राहत दी जानी चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अंततः जब अतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो हमें बुरा महसूस होगा।

महोदया, मैंने पहले भी माननीय वित्त मंत्री महोदय को सुझाव दिया था कि भारतीय विमानन पत्तनों पर हमारी शुल्क रहित दुकानों पर भारतीय रुपया स्वीकारा नहीं जाता है परंतु बाद में इसकी अनुमति दे दी गई और इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। परंतु हाल ही में, एक सप्ताह पहले ही मैंने पाया कि ये केवल भारतीयों से ही रुपया स्वीकारते थे और जब विदेशी अपनी भारत यात्रा के बाद अपने देश वापिस जाते हैं तो उनके पास जो भी भारतीय रुपया बचता है यदि वे इसे उन्हीं शुल्करहित दुकानों में खर्च करना चाहते हैं

तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। यह वास्तव में बहुत ही हास्य है। वे तत्पश्चात् इन शुल्क रहित दुकानों पर शोर मचाते हैं और पूछते हैं कि वे अपना स्वयं का भारतीय रुपया क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर कार्यवाही करें।

एक अन्य मुद्दा यह है कि चूंकि अब भारतीय रुपये को चालू खाते पर परिवर्तन योग्य बना दिया गया है, तथापि जब विदेश जाने वाले भारतीय विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहते हैं तब उन्हें लंबे फार्म भरने पड़ते हैं जबकि दूसरे देशों में, छोटी धनराशि के लिए इस प्रकार के फार्म की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसे सरल बनाने का अनुरोध करता हूं।

मेरा अंतिम मुद्दा छठे वेतन आयोग के संबंध में है। सरकार को सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की शिकायतों और प्रति क्रियाओं का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी बहादुर सेनाओं और अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस की मांगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि इन लोगों के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए हमें उनकी आवश्यकताओं पर उचित ध्यान देना चाहिए।

महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः वित्त विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदया, आज इस सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और इसे पारित करने के लिए सदन में रखा गया है। मेरे से पूर्व वक्ता इस विषय पर बोले हैं, मैं विशेषकर किसानों की भावनाओं को सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकार ने वर्ष 2008–2009 में किसानों के ऋण माफी की घोषणा की है और घोषणा करते समय देश के करीब चार करोड़ किसानों को लाभ मिलने का सरकार द्वारा आंकड़ा दिया गया है। यह सही भी हो सकता है क्योंकि पांच एकड़ भूमि तक वाले किसानों को इसकी सीमा में रखा गया है और कुल मिलाकर साठ हजार करोड़ रुपए की ऋण मुक्ति का जो लाभ किसानों को मिलने वाला है। मैं इस संबंध में महाराष्ट्र की बात कहना चाहता हूं। सरकार ने घोषणा की है, 29 फरवरी 2008 तक जिन किसानों पर कर्जा है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। मैं इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 29 फरवरी, 2008 के पूर्व जिन गरीब किसानों ने बैंक से कर्ज लिया था उन्हें इस अच्छे अभियान और घोषणा का लाभ नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में जिन किसानों को लाभ मिलने वाला है उनमें 1 करोड़ 21 लाख 4 हजार से ज्यादा किसानों ने ऋण लिया हुआ है और 43 लाख 41 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विदर्भ में किसानों ने आत्महत्याएं की जिसके कारण सरकार को ऋण मुक्ति के लिए मजबूर होना पड़ा। अनेक किसानों ने आत्महत्याएं की जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को भी विदर्भ के कुछ हिस्सों में जाकर पैकेज की घोषणा करनी पड़ी लेकिन इसके बावजूद किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकी हैं। सौभाग्य से इस बजट से सरकार ने ऋण मुक्ति की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 43 लाख 41 हजार किसानों को ऋण मुक्ति का लाभ मिलेगा। विदर्भ में 10 लाख 30 हजार किसान हैं जिनका 16 हजार 30 करोड़ का ही ऋण मुक्त होगा। हम जिसे पश्चिम महाराष्ट्र कहते हैं, वहां 10,244 करोड़ रुपए का ऋण माफ होगा। मैं यह फिगर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां दो हेक्टेयर की बात रखी है, पश्चिम महाराष्ट्र में जो किसान फलों की, जैसे अंगूर, केले और अनार की खेती करते हैं, इन लोगों को एक हेक्टेयर अंगूर की खेती के लिए एक लाख रुपए, अनार की खेती के लिए 80,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। लेकिन विदर्भ के किसान, जो धान, कपास या सोयाबीन की खेती करते है, को 5,000 से 8,000 रुपए ही लोन दिया जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर विदर्भ में कोई किसान नहीं है जिस पर 50,000 रुपए से ज्यादा लोन है। इसी वजह से मैं आंकड़े दे रहा हूं और बताना चाहता हूं कि विदर्भ में जिन किसानों ने आत्महत्या की हैं, उन्हें इस ऋण का कोई लाभ नहीं मिला है। इसमें और किसान भी हैं जिनके पास 15 या 20 एकड़ भूमि है, उन्होंने भी आत्महत्याएं की है, यह बहुत गंभीर विषय है। विदर्भ के किसानों ने आत्महत्याएं की हैं जिसकी वजह से ऋण मुक्ति हुई है, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इससे ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित हुआ था। माननीय वित्त मंत्री जी आप सीमा बढ़ाने की ओर ध्यान दें। जब वीपी सिंह जी की सरकार थी तब ऋण मुक्त किया था, उस समय भूमि की सीमा नहीं रखी थी, ऋण की राशि पर कर्ज माफ किया था। इसको आधार लिया जा सकता था, जैसे एक लाख रुपए के कर्ज वाले किसान को ऋण मुक्त किया जाए तो इससे विदर्भ के किसानों को लाभ मिलता। सरकार इस पर विचार करे क्योंकि विदर्भ में किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं।

पिछले सप्ताह प्रश्न काल में वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया था कि मुद्रास्फीति की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमें अनेक चीजों का आयात करना पड़ता हैं। उसमें उन्होंने दाल और खाद्य तेल आदि का उल्लेख किया था। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यहां अनेक माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम खाद्य तेल और दालें मलेशिया, इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया आदि

[श्री हंसराज गं. अहीर]

देशों से आयात करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में मुद्रास्फीति हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि हम अपने देश में जो पाम ऑयल का आयात करते हैं, उसकी खेती हम अपने देश में बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। एक निजी संगठन द्वारा देश में इस बारे में सर्वे किया गया है और हमारे कृषि मंत्री जी को उसकी रिपोर्ट दाखिल की गई है। उसमें यह बताया गया है कि जहां मलेशिया, इंडोनेशिया में सीसाइड में पाम ट्री पैदा होते हैं। हमारे देश में दस लाख हेक्टेअर भूमि ऐसी है जहां हम पामट्री की फसल पैदा करके खाद्य तेल की जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश का जो बजट बनता है, उसमें इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां केवल अनाज या खाद्य तेलों के बढ़े हुए दामों की बात नहीं चल रही है, देश में हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज सीमेंट और लोहे के दाम बहुत अधिक बढ़ गये हैं। लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, जिन उद्योगपतियों को हम आयरन-ओर और लाइम स्टोन का ब्लाक दे रहे है। उनसे हम कुछ नहीं पाते हैं। उन्हें हम तीन पैसे, पांच पैसे किलो के हिसाब से पत्थर देते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम पचास रुपये किलो के हिसाब से खरीद करते है। उन पर हमारा कोई अंकुश नहीं है। इसलिए हम वित्त मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कम से कम हमारे देश में एक ऐसा कानून बने, जैसे कि आज हम चीजों पर सेल प्राइस प्रिंट करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कास्ट क्या है, वह हमें पता नहीं होती है। इसलिए उस पर उत्पादन लागत भी प्रिंट होनी चाहिए कि एक टन लोहे या एक टन सीमेन्ट के लिए हमारे कारखानेदारों ने, इंडस्ट्री ने कितनी लागत लगाई है। अगर हम चीजों पर प्रोडक्शन कास्ट प्रिंट कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि देश में बढ़ती हुई कीमतों पर हम अवश्य अंकुश लगा पायेंगे और देश को जो महंगाई से जूझना पड़ रहा है, उस पर रोक लगेगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा।

महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2008-09 के सामान्य बजट की काफी प्रशंसा और आलोचना हो रही है और मुझे विश्वास है कि ऐसा मुख्यतः माननीय वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र के बारे में घोषित किए गए विभिन्न प्रस्तावों के कारण हुआ है। अतः आलोचकों और प्रशंसकों, दोनों, को 60,000 करोड़ रुपये का कृषि ऋण माफ करने में अच्छाई और बुराई दोनों नजर आई हैं।

महोदया, आजाद भारत में पहली बार माननीय वित्त मंत्री ने एक सही निर्णय लिया है और कहा कि ऋण के पुनर्भुगतान को माफ करना। देश का किसानों के प्रति यह कर्तव्य है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार और माननीय वित्त मंत्री ने वास्तव में देश के किसानों के ऋण लौटाने के कर्तव्य को पूरा करने का निर्णय लिया है जिन्होंने गत छह दशकों में इस देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महोदया, 60,000 करोड़ रुपये माफ करने की घोषणा की गई है। किंतु डा. राधा कृष्णा समिति, जिसे कृषि क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने का काम सौंपा गया था, ने यह पाया था कि कृषि ऋण 1,30,000 करोड़ रुपये का है। सभी यह जानते हैं कि कृषि समुदाय के केवल 27 प्रतिशत लोग संस्थागत ऋण ले पाते हैं और शेष अर्थात् 70 प्रतिशत से अधिक लोग साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। इस घोषणा में इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है।

ऋण माफी मुख्य रूप से 'कृषि ऋण' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण हेतु है। वस्तुतः केरल में सहकारी क्षेत्र के अपने अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि किसानों द्वारा 90 प्रतिशत ऋण घरेलू आवश्यकता, चिकित्सा उपचार, दाह-संस्कार पर होनेवाला खर्च नामक शीर्षों के अंतर्गत तथा पूर्ववर्ती ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु लिया जाता है।

जब हमने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चार सहकारी बैंकों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि उन्होंने लगभग 40-45 करोड़ रुपये का ऋण दिया हुआ है। उसमें से, 'कृषि ऋण' शीर्ष के अंतर्गत केवल 2.75 करोड़ रुपये का ऋण दिया हुआ है। किसानों ने 40-45 करोड़ रुपये की समस्त राशि ली हुई थी और उस क्षेत्र में, जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है, कोई औद्योगिक व्यापारिक कार्यकलाप नहीं होते हैं। किसान, कृषि क्षेत्र में अपनी खराब स्थिति के कारण विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत इन ऋणों को लेने के लिए विवश है। अतः यदि हम उन ऋणों को भी माफ नहीं करते हैं तो हम किस प्रकार किसानों को उस ऋणजाल से बचा सकते हैं जिसमें वे फंसे हुए हैं?

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2008-09 के लिए कृषि ऋण हेतु 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। माननीय मंत्री जी ने काफी गर्व से यह घोषणा की है कि गत वर्ष का लक्ष्य पार हो गया था, यह सही भी हो सकता है। किंतु मुद्दा यह है कि इसमें से कितनी राशि नए ऋण के रूप में वितरित की गई। अधिकांश राशि बही के समायोजन के रूप में चली गई होगी। अतः लक्ष्य प्राप्ति से सही स्थिति का पता नहीं चलता है।

मैं पुनः केरल की स्थिति की बात करता हूं। हाल ही में सहकारी क्षेत्र में बकाया निपटान अभियान चलाया गया है। अतः अधिकांश ऋण

का पुनर्नवीकरण किया गया और जो लोग बैंकों के प्रति वफादार थे, जिन्होंने ईमानदारी से ऋण का पुनर्भुगतान किया था, उन्हें इस ऋण माफी योजना से बाहर रखा जाएगा। अतः इस प्रकार की घोषणा करके हम किसानों की किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं? यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन क्षेत्रों का पुनः दौरा करें।

सभापति महोदया : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या मेरा समय समाप्त हो गया है?

सभापति महोदया : हां

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मैं अभी अपनी बात समाप्त करता हूं।

महोदया, मैं कृषि क्षेत्र की ही बात करूंगा।

सभापति महोदया : कृपया मुख्य बातें कहें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : ठीक है। मैं अनुरोध करता हूं कि काली मिर्च पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसे मुख्यतः वियतनाम और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

बीज संरक्षण हेतु भी एक योजना होनी चाहिए। हाल ही में, हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा था कि भावी पीढ़ियों के लिए संसारभर में सभी प्रकार के बीजों की सुरक्षा हेतु नार्वे में 'सीडवाल्ट' नामक एक विशेष योजना चल रही है। हमारे देश में भी इस प्रकार की कोई योजना होनी चाहिए।

हम यह मांग कर रहे हैं कि कृषि ऋणों पर ब्याज दरों को घटाकर चार प्रतिशत किया जाए किंतु इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। बजट भाषण में फसलोत्तर क्रियाकलाप, जैव कृषि, अनुसंधान आदि के बारे में काफी कम कहा गया है।

महोदया, जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का संबंध है, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे प्रभावी रूप से इस अच्छे कार्यक्रम को लागू करें। सीमांत और छोटे किसानों की जोतों में किए गए कार्य को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाए।

जब केन्द्रीय बिक्री कर को घटाकर दो प्रतिशत कर दिया जाएगा तो राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र केन्द्रीय बिक्री कर को घटाकर दो प्रतिशत करने के कारण राज्यों का होने वाले इस घाटे की भरपाई करे।

राष्ट्रीय बचत योजना पेंशनरों, विदेश से लौटे लोगों और आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। किंतु गत कई वर्षों से ब्याज और एम आई एस बोनस में संशोधन न होने के कारण अब राष्ट्रीय बचत योजना को कोई भी नहीं अपनाता है।

वस्तुतः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लघु अवधिवाली आकर्षक वित्तीय योजनाएं लाएं हैं किंतु राष्ट्रीय बचत योजना में ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे राष्ट्रीय सेवा योजना को पुनः आगे लाने पर गंभीरता से सोचें।

इसके साथ-साथ गत वर्ष के बजट 2007-08 में, भवनों सहित अचल संपत्ति से प्राप्त आय पर 12.8 प्रतिशत का सेवा कर लगाया गया है। अब केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग स्थानीय स्व-शासी संस्थाओं के स्वामित्व वाले भवनों को किराए पर देने हेतु उनसे सेवाकर मांग रहा है। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं ने ये भवन हुडको तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर बनाए हैं। यदि किराए से हुई आय पर कर लगाया जाता है तो स्थानीय स्वशासी संस्थाओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। उनकी आय भी प्रभावित होगी। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरता से विचार करें। जब हम स्थानीय स्वशासी सरकारों को शक्तियां प्रदान करने और उन्हें सशक्त बनाने की बात करते हैं तो हमें उनपर कर नहीं लगाना चाहिए।

चूंकि अब समय नहीं बचा है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से इन सभी बातों के बारे में गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदया : अब, प्रो. रामदास, आप केवल पांच मिनट बोल सकते हैं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : महोदया, मैं अपनी पार्टी पीएमके की ओर से मैं वित्त विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

आरंभ में, मैं आज देश की समष्टिगत आवश्यकताओं के अनुकूल वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली संप्रग सरकार तथा उसके वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देना चाहता हूं। यह लगातार चौथा वित्त विधेयक है जो देश की कर प्रणाली से स्थिरता प्रदान करने के सरकारी प्रयास को जारी रखता है।

लोगों को पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से वर्ष 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था तथा साथ में इस देश में कर प्रणाली राजकोषीय अपव्यय, न्यून कर तथा उच्च व्यय के कारण संकट में थी जिससे वर्ष 1991 में आर्थिक संकट आया। डा. मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री के उन पर यह दायित्व आया कि वे इस रुझान को बदले और वित्तीय समेकनतथा वित्तीय स्थिरता लाएं। डा. मनमोहन सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए अब श्री पी. चिदम्बरम ने यह कार्य सम्भाला है तथा इस वर्ष का वित्त विधेयक कर प्रणाली को सुदृढ़ करने की ओर एक और कदम हैं।

[प्रो. एम. रामदास]

मैं इस वित्त विधेयक में कई सकारात्मक लाभ था सकारात्मक पहलू देख रहा हूं। भाजपा के हमारे मित्र इस वित्त विधेयक की गलत आधार पर आलोचना कर रहे हैं। वे इसे नहीं मानते कि जब उन्होंने सरकार छोड़ी थी तब देश में कर–जीडीपी अनुपात मात्र 9.2 प्रतिशत था। किन्तु आज कर–जीडीपी अनुपात देखिए। यह लगभग 13 प्रतिशत है जो भारत के वित्तीय इतिहास में कभी सुना भी नहीं गया है। यह संप्रग सरकार की उल्लेखनीय और प्रशंसनीय उपलब्धि है तथा हमारे द्वारा लाए गए अनेक कर प्रस्तावों के माध्यम से ऐसा किया गया है।

निस्संदेह आज भारत में कर अनुपालन, कर संग्रहण में उच्च दक्षता, उच्च कर राजस्व तथा बेहतर कर प्रशासन की विशेषताओं वाली एक बेहद सुदृढ़ प्रणाली है। अज हमने कर प्रणाली में अधिकांश खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। अतएव, आज की स्थिति के अनुसार कर प्रणाली से संबंधित सभी प्रावधान प्रशंसनीय हैं। इस कर विधेयक, वित्त विधेयक की प्रशंसनीय विशेषताओं में से एक है कि हम सरकार के कर राजस्व को कई गुणा बढ़ाने में सफल रहे है। तथा इसके समर्थन में केवल एक आंकड़ा देना चाहूंगा। वर्ष 2006–07 में कुल कर राजस्व 4,73,512 करोड़ रुपए था और आज यह बढ़ कर 6,87,715 करोड़ रुपए हो गया है। आज निस्संदेह कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़कर 13 प्रतिशत हो गया है।

एक तरफ कर राजस्व बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हमने कई आर्थिक उपाय या व्यय कटौती उपाय किए हैं जिससे आज पूर्ण वित्तीय समेकन हो पाया है जो 15 वर्ष पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या थी।

आज, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात कितना है? यह घटकर एक प्रतिशत हो गया है और 2009 तक हम राजस्व घाटे का पूर्णतः समाप्त कर पाएंगे जो इस सरकार की प्रमुख उपलब्धि होगी। वित्त विधेयक द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए। यह ऋण माफी से संबंधित नहीं है; यह मुद्रा स्फीती के बारे में नहीं है; यह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं है; और यह किसानों की आत्महत्या से संबंधित नहीं है; एक वित्त विधेयक को वित्त विधेयक में दिए गए प्रावधानों से संबंधित होना चाहिए।

मैं वित्त विधेयक की बात कर रहा हूं। मैं वित्त विधेयक के दोनों पक्षों को रखना चाहता हूं। अतः कृपया मुझे कुछ समय दें। इस अनुरोध के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। एफआरबीएम एक्ट में हमने कहा था कि राजस्व घाटे को हम कम करके 3.5 प्रतिशत करेंगे, किन्तु इसी वर्ष हम लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं और इसे तीन प्रतिशत पर लाकर लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा हमारे द्वारा किए गए वित्तीय समेकन प्रयासों के कारण हो सकता है। हमने न केवल वित्तीय समेकन किया है बल्कि माननीय वित्त मंत्री ने एक वित्तीय व्यवस्था की है जिसके अनुसार उन्होंने कुछ राशि अलग रखी है जिसका उपयोग भविष्य में किसी वित्तीय आकस्मिकता या आवश्यकता के समय किया जा सकता है। वह किसी भी परिस्थिति से बेहद आत्मविश्वासपूर्वक निपट सकते हैं, चाहे वह आयात या निर्यात, तेल अथवा अन्य चीजों से संबंधित हो। वह वित्तीय समेकन प्रयासों के कारण इन्हें सम्भाल सकेंगे जो गत वर्ष तथा इस वर्ष के वित्त विधेयक में किए गए उचित कर प्रस्तावों के परिणामतः संभव है। वह अगले वर्ष के वित्त विधेयक में भी ऐसे प्रस्ताव लाएंगे। इसलिए जहां तक भारत का प्रश्न है, वित्तीय अस्थिरता तथा वित्तीय घाटे का काल समाप्त हो गया है। हम निश्चय ही ऐसा कह सकते हैं। ईश्वर की कृपा से यदि भाजपा सत्ता में आती है तब शायद वे इसे बदलने का प्रयास करें। ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सत्ता पक्ष तथा कम्युनिस्ट सांसदों का भाषण सुना है। ऐसा लगता है कि वे दोनों तरफ से बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास : जी नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। कभी आप समर्थन कर रहे हैं और कभी आप समर्थन नहीं कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास : महोदया, मैं वित्त विधेयक का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर रहा हूं। मैं जहां भी आवश्यक है वहां उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। इस सभा में कोई बता सकता है कि क्या अब तक इस देश में ऐसा वित्तीय समेकन देखा गया है। यदि कोई सदस्य मुझे चुनौती देता है तो मैं उसके साथ चर्चा करने को तैयार हूं। मैं तथ्य रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं समर्थन या विरोध कर रहा हूं।

इस देश में कर प्रणाली काफी लंबे समय तक इन अर्थों में प्रतिगामी रही है कि कर प्रणाली प्रत्यक्ष करके स्थान पर अधिकाधिक अप्रत्यक्ष कर पर निर्भर थी किन्तु आज देश में कर प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष है जब देश में कुल कर राजस्व का 53 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर से और 47 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हो रहा है। अतएव, आज हमारी कर प्रणाली अधिकाधिक प्रगतिगामी हो गयी है।

सेवा कर के मामले में एक विसंगति हमने देखी है वर्ष 1994, 1995, 1986 इसी तरह सेवा क्षेत्र द्वारा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत योगदान करने के बावजूद एक भी पैसा इस क्षेत्र से प्राप्त नहीं हो रहा था किन्तु आज हमें सेवा कर के रूप में लगभग 64,460 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। यह एक और बड़ी उपलब्धि है।

हम अस्पतालों को पांच वर्ष के लिए कर छूट दे रहे हैं जो कि लोगों को अस्पताल सेवाएं पहुंचाने में योगदान देंगे। यदि 2– स्टार, 3– स्टार तथा 4–स्टार होटल कतिपय चयनित जिलों में स्थापित किए जाते हैं तो हम उन्हें आयकर में छूट दे रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि ऐसी कर छूट के लिए पुदुचेरी को ऐसे जिलों के रूप में शामिल किया जाए।

मैं यह सभा के नोटिस में भी लाना चाहूंगा कि आज देश में कर संग्रह की लागत विश्व में सबसे कम है। हम 100 रुपये का संग्रहण करने के लिए 60 पैसे खर्च कर रहे हैं जो कि विश्व में सबसे कम है।

सामान्य सेनवैट 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे देश में कीमतें कम होंगी तथा सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क में भी काफी कमी की गई है। इससे वस्तुओं की लागत में काफी कमी आएगी और इससे लागत बढ़ने की सोच में कमी आएगी तथा इससे मुद्रा स्फीति का दबाव भी कम होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करना हूं।

एक या दो बातें हैं जिन्हें मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। पुदुचेरी ने वैट प्रणाली को अपना लिया हैं तथा इससे हमारे राजस्व में कमी आई है लेकिन आप वहां पर केन्द्रीय बिक्री कर भी दो प्रतिशत की दर से लगा रहे है। यह असंगत लगता है। क्योंकि इससे वहां के लोगों पर अधिक भार पड़ता है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस कर धनराशि को वापस लिया जाए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदया, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं। पुदुचेरी ने वैट अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तावित स्वरूप वैट दर लागू नहीं की है। उनके माही में वैट की दर कम है जिससे केरल जैसे राज्य की आय पर प्रभाव पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास : नहीं, हमने इसे अब अपना लिया है।

सभापति महोदया : कृपया एक दूसरे के लिए व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : प्रो. रामदास के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

प्रो. एम. रामदास : हमने मूल्य संबंधित कर (वैट) एक वर्ष पूर्व लागू कर दिया था तथा हमें बहुत अधिक राजस्व की हानि हो रही हैं तथा वैट के साथ केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का रहना सही नहीं है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुदुचेरी में सीएसटी समाप्त किया जाए।

जैसा कि हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं बिक्री कर के एक भाग को राज्यों में बांटा जाएगा। राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर है तथा सरकार के पास 64,000 करोड़ रुपये आ रहे हैं।

सभापति महोदया : आपने सभी बातें बहुत ही अच्छी प्रकार से कही हैं। अब कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : इसका एक भाग तमिलनाडु जैसे राज्यों को दिया जाना चाहिए जिसे सरकार से और भी अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

अन्त में वस्तु विनिमय कर के बारे में सरकार को विशेष समिति की सहायता से यह ध्यानपूर्वक आकलन करना चाहिए कि क्या यह कर कीमतों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है या टैजर्स तथा जमाखोरों को कर देने के लिए प्रेरित कर रहा है। वस्तुओं पर पहले ही वैट लगता है तथा इसके बाद वस्तुओं पर चुंगी, मंडी कर तथा कई अन्य कर लगाते हैं। वस्तु विनिमय कर मुद्रास्फीति बलों को ईंधन प्रदान करता है क्योंकि इस कर से बचने के लिए व्यापारी वस्तुओं की कालाबजारी कर रहे हैं।

सभापति महोदया : प्रो. रामदास, बहुत–बहुत धन्यवाद।

प्रो. एम. रामदास : अतः सरकार को इस कर को समाप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिए।

इन्हीं कुछ सुझावों के साथ, मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। संप्रग सरकार सत्ता में पुनः आए तथा एक बहुत ही अच्छा वित्त विधेयक पेश करें ताकि भविष्य में वित्तीय स्थायित्व के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संभावनाएं बनें। धन्यवाद महोदया।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से ही आपके द्वारा मुझे दिए गए अवसर का मैं दुरूपयोग नहीं करूंगा। मैं एक ही बात पर प्रकाश डालूंगा जिसे मेरे साथी अहीर ने पहले ही उठाया है। मैं बुलढ़ाना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो कि विदर्भ क्षेत्र का एक भाग है। दुर्भाग्य से विदर्भ जो किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के लिए जाना जाता है तथा बजट में ऋण माफी की घोषणा के बाद विदर्भ के छह जिलों में लगभग 191 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसका कारण यह है कि ऋण माफी योजना में 5 एकड़ तथा 2 हेक्टेयर की सीमा निर्धारित की गई है। उनकी उत्पादन भी बहुत कम है तथा उनकी ऋण राशि भी बहुत कम है। कुछ अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह 5000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं है– जैसा

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री आनंदराव बिठोबा अडसूल]

कि मेरे साथी अहीर ने बताया है। मैं इन क्षेत्रों का नाम नहीं लूंगा लेकिन अन्य क्षेत्रों में किसानों ने बैंकों से प्रतिएकड़ 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये का ऋण लिया है जबकि विदर्भ में यह 5000 रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं है। अतः ऋण राशि कम है तथा उत्पादन भी कम है। इसलिए उन्हें ऋण माफी का फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि 87 प्रतिशत किसानों को दूसरा फायदा नहीं हो रहा है।

और बहुत सारी बातों कहनी हैं लेकिन मैं केवल मुझे दिए गए अवसर पर इसी विषय विशेष को उठाऊंगा। मेरा अनुरोध है कि इस बात अर्थात् भूमि जोत की सीमा बढ़ाकर 15 एकड़ या धनराशि बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए, पर विचार किया जाए। अतः उन्हें इसका लाभ होगा तथा मेरे क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्याओं के मामले बन्द हो जाएंगे।

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : धन्यवाद, महोदया, मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी की ओर से वर्ष 2008–2009 के लिए प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम को कृषि उन्मुख बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कृषि हमारे देश में जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा जरिया है। हमारे देश के किसान बजटीय सहायता की मांग कर रहे थे और उनकी मांग पर उनके 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए है जो कि निर्धन और सीमान्त किसानों के लिए काफी मददगार सिद्ध होगा।

वर्ष 1947 में देश के कुछ गांवों में ही बैकिंग की सुविधा थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के आधार पर सभी बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने और किसानों को ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए। वर्ष 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया, ने किसानों को ऋण की सुविधा मुहैया कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 400 शाखाएं खोली। हल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में अपनी 10,000 वीं शाखा खोली है। इस शाखा का उद्‌घाटन माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा किया गया था।

चौदह बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसे नाबार्ड का नाम दिया गया था। इस बैंक की स्थापना वर्ष 1982 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से किसानों को ऋण की सुविधा मुहैया कराने के लिए की गई थी। वर्ष 1990 में देश में ग्रामीण बैंकों की संख्या मात्र 700 थी और अब यह संख्या बढ़कर 3,500 हो गई है। हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद साहूकारों के क्रियाकलापों में काफी कमी आई थी और किसानों ने काफी उन्नति की थी। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट के बाद बैंकिग उद्योग किसानों की व्यापक स्तर पर मदद करने में असफल रहा।

वर्ष 2004 में केन्द्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने इस देश के किसानों की सहायता करने के लिए कृषि ऋण पैकेज का सृजन किया। वर्ष 2006 में किसानों के लिए वित्तीय अर्न्तप्रवाह बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया जो 2005 में 52 प्रतिशत था। इन सभी कदमों के बावजूद भी निर्धन विशेषकर शुष्क भूमि धारक किसान ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकिग संस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए उनके पास निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर धन उधार लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता था। बैंकिग आयोग ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए रघुराम राजन समिति का गठन किया। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार "लगभग तीन चौथाई किसान औपचारिक स्रोतों से ऋण नहीं ले पाते हैं इसलिए निर्धन किसान साहूकारों के जाल में फंस जाते हैं। इन बेहद कम आय वाले लोगों द्वारा साहूकारों से प्रतिवर्ष 36 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण लिया जाता है जो कि बैंको की अनिवार्य ब्याज दर से बहुत अधिक हैं।" पूरे देश में यही स्थिति व्याप्त है। आज भी विदर्भ क्षेत्र के 75 प्रतिशत किसान हमारी सरकार द्वारा घोषित ऋण माफी योजना से अनजान है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से सभी निर्धन शुष्क भूमि किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बैंकिग क्षेत्र को निर्देश देने हेतु कदम उठाए जाने का अनुरोध करता हूं।

हमारी सरकार का ऋण माफी पैकेज केवल ऐसे निर्धन और छोटे किसानों के लिए है जिनके पास एक से दो हेक्टेयर भूमि हैं। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किसान, जिनके पास तीन से पांच हेक्टेयर शुष्क भूमि है, ऋणग्रस्त हैं। ऐसे किसानों को जिनके पास 5 हेक्टेयर तक का भूमि क्षेत्र है, को ऋण माफी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जानी चाहिए और उन्हें ऋण के जाल से बाहर निकाला जाए।

मैं आयकर अधिनियम की धारा 40 रा (3) के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। इस धारा में यह उपबंध किया गया है कि किसी भी व्यय जिस के संबंध में 20,000 रुपए से अधिक की धनराशि का संदाय किया जाता है या यह संदाय किसी बैंक खाते में देय चैक या खाते में देय ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में इसे कटौती

नहीं माना जाएगा। बड़े शहरों को छोड़कर, खरीदारी, खर्च और मालभाड़े का भुगतान नकद में किया जाता है। विशेषकर, लारी चालकों कृषि उत्पाद कमाने वाले ग्रामीण लोग और उत्पादकों, विपणन समितियों में बिक्री करने वाले, इत्यादि को उसी दिन नकद 20,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। अतः उपर्युक्त उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए।

इसके अतिरिक्त अब यह प्रस्ताव किया गया है कि धारा 44 क ख के मामले के लिए आयकर की विवरणी की तारीख 30 सितम्बर, 2008 है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि 31 अक्तूबर, 2008 तक यथास्थिति बनाए रखी जाए।

हमारा 1961 का आयकर अधिनियम बहुत पुराना हो गया है और इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अनेक उपबंध अप्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए अब समय आ गया है एक नए अधिनियम के उद्देश्य से इसका प्रारूप दोबारा तैयार किया जाए, जिसमें प्रक्रियाएं सरल हों और वह निर्धारिती के अत्य अनुकूल हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तेल कंपनियों को बचाने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र को पूर्व में दी गई कर छूट को पुनः बहाल करना चाहिए।

वर्तमान में आयकर विवरणी दाखिल करने से संबंधित फार्म बहुत ही जटिल है जबकि पहले वाला सरल फार्म बहुत ही सरल था। सभी निर्धारितियों की सुविधा के लिए इस फार्म को सरल बनाया जाना चाहिए।

आज हम अनेक क्षेत्रों में 12 प्रतिशत सेवा कर लगा रहे हैं। यह देश के गरीब उपभोक्ताओं पर एक अनावश्यक भार है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि 12 प्रतिशत सेवा कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं की समीक्षा की जाए और आम आदमी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाले सेवा कर को घटाकर चार प्रतिशत कर दिया जाए, या उन सभी वस्तुओं पर से सेवा कर को समाप्त कर दिया जाए।

मूल्यवर्धित कर अनुषंगी लाभ कर और लाभांश वितरण कर वर्तमान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के मुख्य कारण हैं। अतः इन सभी करों की समीक्षा करके इनमें समुचित संशोधन किए जाएं।

अधिकतर परिवार केवल एक व्यक्ति की आय पर निर्भर हैं। आयकर प्रयोजनार्थ उसकी आय आकलन करते समय उसे कुछ छूट दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे एकल आय परिवारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करें और उन्हें और अधिक कर छूट प्रदान करे।

इसके अतिरिक्त, मै इस सम्माननीय सभा के समक्ष आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गए आयकर छापों के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। छापों के दौरान कुछ मामलों में आयकर अधिकारियों द्वारा भारी धनराशि बरामद की जाती है लेकिन वे छापों के दौरान बरामद की गई संपूर्ण धनराशि का प्रकटन नहीं करते। इससे विभाग की बदनामी होती है और सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इस संबंध मं कड़ी जांच पड़ताल की आवश्यकता है।

आदरणीय महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर इरोड़ जिले के कंगायम में लगभग 70 नारियल तेल विनिर्माण इकाईयां काम कर रही हैं।

वे कोयम्बतूर जिले में पोल्लाची, पुडुकोट्टाई, पेशवुशनी, तंजावुर और कई अन्य स्थानों के नारियल उगाने वाले लगभग 5 लाख कृषकों से खाने योग्य किस्म का खोपरा खरीदकर नारियल के तेल का उत्पादन कर रहे हैं। उनके द्वारा निर्मित तेल का उपयोग परंपरागत रूप से खाना पकाने और खाने योग्य वस्तुएं तैयार करने के लिए किया जाता है। खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तेल वास्तव में केश तेल नहीं है। वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने "असुगंधित" केश तेल/सौन्दर्य प्रसाधन और औषधि के रूप में नारियल के तेल की पैकिंग पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है क्योंकि नारियल तेल का उपयोग मुख्यतः बालों में लगाने के लिए किया जाता है। विभाग ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक लीटर से कम की बोतलों और थैलियों में पैक नारियल तेल का उपयोग केवल बालों में लगाने के लिए ही किया जाता है। परंतु यह सच नहीं है। नारियल तेल की बिक्री मुख्यतः केरल, तमिलनाडु में होती है और इसका उपयोग मुख्यतः खाना पकाने के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त विनिर्माताओं का उपभोक्ता द्वारा तेल का उपयोग किए जाने पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्रय उत्पाद शुल्क वसूला जाए तो इससे उद्योग और नारियल उगाने वाले कृषकों को भारी धक्का लगेगा।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधिकारियों को नारियल तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क न लगाने के निदेश दें।

पिछले तीन माह की अवधि में कच्चे माल विशेषकर इस्पात और एल्युमीनियम की कीमतों में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा तेजी आने से देश भर के लघु उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त

[श्री एस. के. खारवेनथन]

उद्योगों के पास अपने उद्योग बंद करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है जिसके कारण लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। अतएव मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन उद्योगों को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं तथा वर्ष 2008–2009 के लिए वित्त विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदया, चिदम्बरम जी ने जो फाइनेंस बिल पेश किया है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। यहां आंकड़े दिये जा रहे हैं कि वर्ष 2003–04 में जीडीपी 9.2 परसेंट था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जीडीपी 12.5 परसेंट हो गया है। यह बहुत अच्छी प्रगति है। हमारा कहना है कि जो जीडीपी दिखाया जा रहा है, उससे आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। मैं फाइनेंस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन महंगाई का समर्थन करने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। चिदम्बरम साहब अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब महंगाई किस तरह से कम हो सकती है, इस बारे में भी देखना चाहिए। दुनिया में महंगाई बढ़ रही है इसलिए अपने देश में महंगाई बढ़नी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। दुनिया की स्थिति अलग है, क्योंकि दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अपने देश में जब महंगाई बढ़ती है, तो 80 परसेंट लोगों पर उसका असर पड़ता है। जो 20 परसेंट लोग हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनके लिए महंगाई कितनी भी बढ़े, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल न्यूज पेपर्स में आ रहा है कि अनिल अम्बानी और मुकेश अम्बानी सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं। हमारा कहना है कि खाली एक आदमी के अमीर होने से क्या फायदा है? यहां का हर आदमी अमीर होना चाहिए। अब अनिल अम्बानी और मुकेश अम्बानी के पास जो पैसा है, उसे सबमें बांटना चाहिए।

गरीबों को पैसा देकर उनकी गरीबी हटाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उनके पिता जी ने बहुत अच्छा काम किया, वे जूनागढ़ से मुंबई आए और गरीबी में रहकर उन्होंने अच्छी प्रगति की। हर आदमी को फाइनेंस बढ़ाने के लिए, जो हमारी जो इकोनोमी है उसे ऐसा ही बनाने की आवश्यकता है। किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय क्रांतिकारी कदम है। जब हमारे यहां अकाल पड़ा था तो हम अटल जी के पास जाकर बोलते थे कि महाराष्ट्र के लिए हमें पैसा दे दीजिए तो उन्होंने केवल 50 करोड़ रूपए दिए थे, लेकिन मनमोहन सिंह जी जब विदर्भ में आए तो वहां उन्होंने 3750 करोड़ रूपए का पैकेज दिया और अब 60,000 करोड़ रूपए का किसानों का कर्ज माफ करने की बात है। लेकिन किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, वह बैंक के लोन से नहीं हो रही है, बल्कि साहूकारों के कर्ज की वजह से हो रही है। इसलिए मेरी मांग है कि उसे भी माफ किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह आपने इसके लिए पांच एकड़ भूमि की जो सीमा रखी है, उसे बढ़ाकर 20 एकड़ किए जाने की आवश्यकता है। 20 एकड़ तक भूमि रखने वाले किसानों का भी कर्ज माफ किए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। एससी–एसटी लोगों के लिए बहुत सी घोषणाएं की जाती हैं। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल्स के लिए ट्राइबल सबप्लान बनाया था। एससी लोगों की पापुलेशन 16.2 प्रतिशत और एसटी पापुलेशन 8.2 प्रतिशत है, इस तरह 24.4 प्रतिशत बजट एलोकेशन एससी–एसटी लोगों के लिए होना चाहिए। सभापति महोदया आप भी इसी वर्ग से आती है, इस समय आप चेयर पर हैं, इसलिए आप सरकार को इसके लिए निर्देश दीजिए। जो 2000 करोड़ रूपए एससी–एसटी को दिए गए हैं, हमारी पापुलेशन के हिसाब से बजट में दो लाख करोड़ दिए जाने की आवश्यकता है। अगर एससी–एसटी और बीपीएल लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है तो दो लाख करोड़ रूपए देने की आवश्यकता है। आपने जो 2000 करोड़ रूपए दिए हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। अपने देश में भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ देश में 20 करोड़ एकड़ जमीन वेकेंट लैंड है, इसलिए मेरी मांग है कि देश के सभी भूमिहीन लोगों को इसमें से पांच–दस एकड़ जमीन दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कानून जो देश के साढ़े सैंतीस करोड़ लोगों के लिए है, उनके लिए पेंशन, हैल्थ के लिए मदद प्रोटेक्शन देने के लिए है, ऐसा कानून जल्दी से जल्दी बनाने की आवश्यकता है। महंगाई के बारे में मेरी मांग है कि खाद्य तेल, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि राशनिंग शाप्स के माध्यम से बीपीएल लोगों को देनी चाहिए और एपीएल के लोग भी जो बीपीएल के लेवल पर आ गए हैं, उनको भी राशनिंग शॉप्स के माध्यम से ये वस्तुएं दी जानी चाहिए। 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेमोरियल को अटल जी ने अपने समय में पैसा दिया था और उनको लगा था कि इससे दलित लोगों का वोट उनको मिलेगा, लेकिन आपने जो पैसा दिया था वह केवल आपका नहीं था वह देश का पैसा था। इसलिए मेरी मांग है कि अंबेडकर स्मारक को 50 करोड़ रूपए देने चाहिए और मुंबई स्थित बाबा साहब की चैत्य भूमि के लिए 100 करोड़ रूपए देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हर राज्य में और दिल्ली के आस–पास में एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की जानी चाहिए क्योंकि हमारे देश में अशांति फैलाने वाले तत्व बढ़ रहे हैं, उनको बुद्धिज्म सिखाने की आवश्यकता है। हमारे सामने वाले लोगों को बुद्धिज्म की ज्यादा आवश्यकता है लेकिन वे राम मंदिर की बात ज्यादा करते हैं। कल्याण सिंह जी मुंबई में जाकर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद को भूल जाना चाहिए।

मैं कल्याण सिंह जी को और उधर बैठने वालों को तथा बीएचपी को बताना चाहता हूं कि वे अयोध्या के राम मंदिर को भूल जाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने फाइनेंस बिल पेश किया है, उसे जरूर मंजूर करना चाहिए, वरना किसी को भी पगार नहीं मिलेगी। इसलिए देश को चलाना है तो इस फाइनेंस बिल को मंजूर करना ही चाहिए। मैं इस फाइनेंस बिल का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं। इससे हम आगे बढ़ेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाएंगे।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदया, हम बजट प्रस्तावों के अंतिम चरण में हैं।

सभापति महोदया : हमारे पास बहुत ही कम समय है। कृपया अच्छे सुझाव ही दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह विचित्र स्थिति है जिसमें हमने बहुत-सी अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं की है। हमने केवल चार मंत्रालयों यथा गृह, रक्षा, ग्रामीण विकास और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों पर ही चर्चा की है। अन्य सभी मांगें गिलोटिन और पारित हो गयी हैं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार को बजट पारित कराने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलने का प्राधिकार प्राप्त हुआ है। इस विधेयक द्वारा हम सरकार को भारत की समेकित निधि से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर रहे हैं। हम ऐसा बिना किसी चर्चा के कर रहे हैं क्योंकि हमने किसी और मामले पर चर्चा नहीं की है। हमने श्रम, कृषि और यहां तक कि खाद्य के संबंध में नीतिगत निर्णयों पर भी चर्चा नहीं की है। अब हम ऐसे चरण पर हैं जहां पर हम सरकार को भारत की समेकित निधि से भुगतान करने के लिए प्राधिकृत कर रहे हैं। संभवतः इस प्रकार की चर्चा करने का यह 14 वीं लोकसभा के लिए अंतिम अवसर होगा। अगली संसद में अगले वर्ष इन मामलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी न कि अब। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि श्री मित्तल यूरोप के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं। कुछ समय पहले भी हमने पढ़ा था कि अंबानी तथा कुछ अन्य व्यक्ति विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से हैं। अतएवं हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि विश्व के धनी व्यक्तियों में कुछ भारतीय हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अन्य सर्वेक्षण किया गया है जिसके अनुसार भारत में ऐसे व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे यहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं कि उदारीकरण के लाभ गरीबों को मिलने चाहिए। उदारीकरण की नीति के प्रवर्तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते रहे हैं कि उदारीकरण के लाभ गरीबों तक पहुंचने चाहिए। यह लाभ इसी प्रकार गरीबों तक पहुंचा है।

हम इस विषय पर ऐसे समय चर्चा कर रहे हैं जब हमारे देश में मुद्रास्फीति अभूतपूर्व ढंग से बढ़ रही है। हम बजट पर ऐसे समय चर्चा कर रहे हैं जब देश में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि हो रही है। हम ऐसी परिस्थिति में बजट पर चर्चा कर रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संबंध में हमारी सभी संभावनाए निष्फल हो रही हैं। मूल्य नियंत्रण के संबंध में भी हमारी सभी सम्भावनाएं निष्फल हुई हैं। हम आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं कम से कम गरीबों के लिए कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगा।

आप सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के बराबर मानते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सहकारी बैंक ग्रामीणों की सहायतार्थ कार्य करते है। वे विकास संबंधी क्रियाकलापों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सहकारी बैंक केवल लाभ काने के उद्देश्य से ही कार्य नहीं करते अपितु वे समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से आपने उन्हें उपलब्ध आय कर लाभ वापिस लेने का कठोर कार्य किया है। आपने बिना किसी सोच-विचार के उनसे आय कर लाभ वापिस के लिए वाणिज्यिक बैंकों के समान सहकारी बैंकों पर भी आय कर लगा दिया। क्या यह उचित है? ऐसा करने से पहले आपको इस पर भलीभांति विचार करना चाहिए था। केरल जैसे राज्य बिक्री कर से राजस्व अर्जित करते थे। हमारा 40 प्रतिशत राजस्व बिक्री कर से आता था। अब स्थिति क्या है? चूंकि हमारा राज्य उपभोक्ता राज्य है अतएवं मूल्य संवर्धित कर से हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। केरल को मूल्य संवर्धित कर से कुछ विशेष प्राप्त नहीं होगा। परंतु आपने बिक्री कर से होने वाली आय को छोड़ने के फलस्वरूप होने वाली क्षति के लिए राज्य की क्षतिपूर्ति नहीं की। यह एक गरीब राष्ट्र है और हमारा राज्य उपभोक्ता राज्य है। इसलिए मूल्य संवर्धित कर से हमें सहायता नहीं मिलेगी। यह भी एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर आपको ध्यान देना होगा।

एक बात और है। राष्ट्रीय बचत योजना के माध्यम से महिलाएं और गांवों में रहने वाले गरीब लोग कुछ कमा पाते थे आपने उसकी ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। आपने ब्याज दरें कम कर दी हैं। मैं नहीं जानता कि यह आपने किस उद्देश्य से किया है। राष्ट्रीय बचत योजना गरीब लोगों और महिलाओं के लाभ हेतु बनायी गयी थी। वे इससे कुछ आय प्राप्त कर लेते थे और वरिष्ठ नागरिक भी राष्ट्रीय बचत योजना से लाभान्वित होते थे। आप हमेशा यही कहते हैं कि लाभ गरीबों तक पहुंचना चाहिए परंतु साथ ही साथ राष्ट्रीय बचत योजना के माध्यम से अर्जित होने वाले ब्याज को आप उनसे वापिस ले रहे हैं।

एक अन्य बिन्दु पेंशन लाभों से संबंधित है। आपने सभी लाभ वापिस ले लिए हैं। आपने वरिष्ठ नागरिकों के ब्याज को भी समाप्त कर

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

दिया है। क्या यह उचित है? केरल में ऐसी एक कुडुमबसरी परियोजना चलायी जा रही है जिसमें महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शामिल है और वहां पर सब कुछ है। परंतु आप उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। ये सभी बैंक कुडुमबसरी परियोजना को ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। क्या यह उचित है? क्या गरीब लोगों को उदारीकरण के माध्यम से लाभ देने का यही तरीका है। आप कुडुमबसरी परियोजना के लोगों को कम कर रहे हैं। सभी अनुसूचित बैंकों ने इसे ऋण देने से इंकार कर दिया है। वे अन्य लोगों को तो ऋण दे रहे हैं परंतु कुडुमबसरी परियोजना जो कि गरीबों के लिए चलायी जा रही है, उसे ऋण नहीं दिया जा रहा है। क्या गरीब लोगों को लाभ देने का यही तरीका है? हमारे राज्य में ऐसा ही हो रहा है। आप पेंशन योजना की धनराशि पूंजी बाजार में भी लगा रहे हैं। परंतु उसका परिणाम क्या होगा? गरीबों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा।

अब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जानी है। आपने एक समिति नियुक्त की है। जब इसे लागू किया जाएगा तो राज्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु, केरल और अन्य राज्य और अधिक कठिनाइयों का सामना करेंगे क्योंकि राज्य सेवा में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों में वेतन वृद्धि की मांग करेंगे। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई प्रावधान हैं?

सभापति महोदया : श्री राधाकृष्णन जी आपने दो मिनट का समय मांगा था परंतु आप छह मिनट ले चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसलिए आप कृपया इस बात को ध्यान में रखे कि आप इस मामले के प्रति बेहद सजग रहेंगे।

सभापति महोदया : श्री राधाकृष्णन जी आपने दो मिनट मांगे थे परंतु आप छह मिनट ले चुके हैं, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं समाप्त कर रहा हूं। कृपया ध्यान में रखें कि आप उन गरीबों को उन लाभों से वंचित नहीं करेंगे जो वे प्राप्त कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती के. रानी (रासीपुरम) : महोदया, मैं वित्त विधेयक, 2008–09 पर हो रही चर्चा में भाग लेकर अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हूं। मैं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सुविधाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के अध्ययन, किसानों आदि हेतु और अधिक धन आबंटित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदया : श्रीमती रानी कृपया इंतजार कीजिए। माननीय सदस्यों, शाम के 6.00 बज चुके हैं और मेरे पास चार और वक्ताओं की सूची है। यदि सभा सहमत होती है तो समय आधा घंटा बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य – हां।

सायं 6.00 बजे

श्रीमती के. रानी : महोदया, भारत निर्माण संप्रग सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन 42 गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश के दो स्तंभ हैं। इस सरकार ने इन दो क्षेत्रों के लिए भारी धनराशि आबंटित की है तथा लोगों की शिक्षा व स्वास्थ्य की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया है। माननीय वित्त मंत्री ने इन दोनों क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष आबंटित की गयी धनराशि से 20 प्रतिशत अधिक धनराशि आबंटित की है। शिक्षा, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्गों के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन वर्गों के लोग जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन का इंतजाम नहीं कर सकते। माननीय वित्त मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के उद्देश्य से निधियां आबंटित की हैं। इस सरकार ने इन श्रेणियों के विद्यार्थियों हेतु उच्च और व्यावसायिक शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया है। यह सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने का अच्छा प्रयास कर रही है। वस्तुतः इस सरकार ने उन स्थानों पर ऐसे 20 विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जहां इन समुदायों के लोगों की अधिक आबादी हो। माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रयोजनार्थ 130 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

पूरे देश विशेषकर दक्षिणी राज्यों में पेयजल एक समस्या है। पेयजल की इस समस्या से निपटने हेतु हमारी सरकार ने चेन्नई में एक अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है तथा इस कार्यक्रम के लिए माननीय वित्त मंत्री ने 300 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है।

महोदया, कृषि इस देश की रीढ़ है। यदि कृषि का विकास होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इसलिए सरकार इस बजट में एक व्यापक योजना लायी है तथा उसने 60,000 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गयी है ताकि हमारे किसान आत्महत्या न करें और बेहतर

जीवन बिताएं। किसी भी देश के राजनीतिक इतिहास में कभी भी इस तरह की बात इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई है।

महोदया, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुक्कुट पालन एक बहुत लोकप्रिय पेशा है। अधिकांश कुक्कुट पालक किसानों ने अपने स्रोतों से ऋण लिए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे इस ऋण के ब्याज को दो वर्षों के लिए माफ कर दें। इससे कुक्कुट पालकों को काफी मदद मिलेगी। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करती हूं कि कुक्कुट पालन को वही दर्जा दिया जाए जो दर्जा कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को दिया गया है।

महोदया, मैं यहां यह बताना चाहती हूं कि माननीय सदस्यों ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया है। सरकार इस बारे में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। मैं इस देश के आम आदमी और गरीब आदमी के बारे में चिन्तित हूं परन्तु मैं आश्वस्त हूं कि इस समस्या से निपटने हेतु कदम उठाए गए हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करती हूं।

डा. के. एस. मनोज (अलोप्पी) : महोदया, हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह परिकल्पना की गयी है कि हमारा देश एक समाजवादी और लोकतांत्रिक देश है। हमारी नीतियों, अथवा यहां तक कि हमारा बजट इस तर्ज पर तैयार किया जाना चाहिए कि समाजवादी प्रकृति का हमारा उद्देश्य प्राप्त हो सके। परन्तु हम अपनी नीतियों और बजट में यह पाते हैं कि ये हमारे देश में समाजवादी प्रकृति अपनाने के उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। इसे हासिल करने हेतु कुछ भी नहीं किया गया है। हमने एक दिन वित्त मंत्री जी को यह कहते हुए सुना है कि हमने पिछले योजनावधि में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। परंतु यह वृद्धि आम आदमी तक नहीं पहुंची है। धनी और गरीब व्यक्तियों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है।

एक औसत भारतीय नागरिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी काफी कम है जबकि कार्पोरेट निकायों, पेशेवरों तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों की आय काफी अधिक है। गरीब लोगों की न्यूनतम मजदूरी को थोड़ा अधिक रखा जाना चाहिए तथा स्वयं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को अपेक्षाकृत अधिक नियत किया जाना चाहिए।

बजट में, यह बढ़ चढ़कर बातें की जा रही हैं कि किसानों की ऋण माफी हेतु 60,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं तथा इस 60, 000 करोड़ रूपये से करीब 3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को दिए गए लाभ की तुलना में यह धनराशि काफी कम है। पिछले सत्र में, मैंने माननीय वित्त मंत्री से यह उत्तर पाया था कि बड़ी कम्पनियों को लाभांश के संबंध में दी गयी कर छूट और उन्हें दिया गया करावकाश करीब 50,000 करोड़ रूपये का है। मैं कह सकता हूं कि इस 60,000 करोड़ रूपये द्वारा लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या की तुलना में यह काफी कम धनराशि है। इस 60,000 करोड़ रूपये से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या तीन करोड़ है। महोदया, आप स्वयं पाएंगी कि गरीब किसानों को इससे अत्यल्प धनराशि का लाभ होगा। परन्तु संप्रग सरकार शेखी बघार रही है कि वे गरीब किसानों को 60,000 करोड़ रूपये दे रही है।

हम स्वयं बजट में पाते हैं कि कार्पोरेट कर में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। प्रत्यक्ष कराधान में कुछ वृद्धि की गयी है।

जहां तक कर छूट का प्रश्न है, एड्स और एच.आई.वी की दवाओं हेतु उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है। मैं यहा एक सुझाव देना चाहूंगा।

भारत में मधुमेह के रोगियों की राजधानी बनता जा रहा है। काफी संख्या में रोगी इन्सुलिन ले रहे हैं। सुझाव देना चाहता हूं कि इन्सुलिन को भी उत्पाद शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।

चूंकि माननीय सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन ने कुछ बातों का उल्लेख किया है, मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहता। जहां तक ऋण माफी योजना का संबंध है, बैंकों द्वारा 2004 तथा 2006 से विदर्भ क्षेत्र में कृषि संबंधी ऋण विशेष पैकेज के माध्यम से ऋणों के पुनर्गठन तथा पुनः कार्यक्रम निर्धारित करके माफ किए गए हैं। हाल ही में केरल में सहकारी बैंकों ने ऋण माफी के लिए एक पृथक योजना तैयार की थी जो उन्हें धन राशि की अदायगी हेतु सक्षम बनाती है। तथा काफी व्यक्तियों ने राशि अदा कर दी है। बजट में घोषित यह ऋण माफी उनपर भी लागू होनी चाहिए जिन्होंने बैंकों को राशि भरा कर दी है।

जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन का संबंध है, कर्मचारियों को पेंशन के रूप में काफी कम राशि प्राप्त हो रही है। न्यूनतम पेंशन 230 रूपये तथा अधिकतम पेंशन 500 रूपए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन, 1995 में परिवर्धन की योजना थी। उस योजना के अनुसार, 100 माह के परिवर्धन के पश्चात् उन्हें मूल राशि मिलेगी। लेकिन यह अब नहीं किया जा रहा है। परिवर्धन के पश्चात् उन्हें वास्तविक राशि दी जानी चाहिए। चूंकि 100 माह पहले ही पूरे हो गए हैं, उन्हें पेंशन के रूप में वास्तविक धन राशि मिलनी चाहिए।

राज्यों में राज्य वित्त निगम हैं। ये राज्य वित्त निगम लघु, सूक्ष्म तथा मध्यम उद्यमों को ऋण दे रहे हैं। लेकिन उनका 'सिडबी' से पुनर्वित्तपोषण किया जा रहा है। अतएव, ब्याज की दर लगभग 14.75

[डा. के. एस. मनोज]

प्रतिशत है। यदि सरकार के एस एफ सी को प्रत्यक्षतः वित्तपोषित कर सकती है, तो वे लघु और मध्यम उद्यमों को अत्यन्त कम दर पर वित्तपोषित कर सकते हैं। इनमें से अधिकांश एस एम ईज स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत चल रहे हैं। अतएव, सरकार को उन्हें प्रत्यक्ष वित्तपोषित करने पर विचार करना चाहिए। यदि यह सिडवी के माध्यम से किया जाता है तो राज्य वित्त निगम को इसे निम्नतर ब्याज पर देना चाहिए।

जहां तक सहकारी बैंकों का संबंध है, धारा 80 'त' उन पर लागू नहीं की जानी चाहिए। अनुसूचित बैंकों में, जमाकर्ता को पांच वर्षों की अवधि के लिए कर में छूट दी जाती है। यह सुविधा सहकारी बैंकों के जमाकत्ताओं को भी दी जानी चाहिए।

अंत में, केन्द्रीय विक्री कर के संबंध में, बिक्री कर तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप राज्यों में हुई भारी राजस्व की क्षति प्रतिपूर्ति उन्हें पर्याप्त राशि देकर की जानी चाहिए।

कृषि उत्पादों के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि होनी चाहिए। अभी यह नहीं है। कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मूल्य स्थिरीकरण निधि होनी चाहिए।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा (बोब्बिली) : धन्यवाद, समापति महोदया। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक 2008 के समर्थन में खड़ी हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर, जो वर्ष 2003–04 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007–08 के अंत तक 12 प्रतिशत हो गया था, को प्राप्त करने के लिए बधाई देती हूं। यह तभी संभव हुआ जब हमने प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों के प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया तथा प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमान इससे आधिक हो गए।

मैं सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर संबंधी अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव तथा आयकर पर प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का स्वागत करती हूं। व्यक्तिगत आयकर सीमा के लिए मूलमूत छूट सीमा में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है। यह निश्चित रूप से व्यापक कर आधार को बढ़ावा देगा तथा स्वैच्छिक अनुपालन में भी वृद्धि होगी। इस्पात, पिघलनेवाले स्क्रैप तथा अलुमिनियम स्क्रैप पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य करना एक स्वागत योग्य कदम है। कतिपय विशिष्ट जीवन रक्षक औषधियों पर सीमा शुल्क को दस प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करना भी स्वागत योग्य है।

मैं माननीय वित्त मंत्री को एड्स–रोधी औषधियों पर उत्पाद शुल्क में छूट पर बधाई देती हूं।

चूंकि भारत एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से पैकेज्ड साफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क में आठ प्रतिशत से बारह प्रतिशत वृद्धि को वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

मैं वित्त विधेयक 2008–09 में यथा घोषित सेवाकर विवाद समाधान योजना का भी स्वागत करती हूं। चूंकि सेवा क्षेत्र सरकार के लिए प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाला क्षेत्र होने जा रहा है, इस योजना से विवादों का समाधान करने तथा सेवा कर संग्रहण में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।

अतिरिक्त लाभ कर से क्रेच सुविधाओं, कर्मचारी खिलाड़ी को प्रयोजित करनाा कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन तथा अतिथिगृह को बाहर करना एक स्वागत योग्य कदम है। ई एस ओ पी पर अतिरिक्त लाभ कर के निवेश करने की तारीख से ही लगाया गया है। इस दिशा में, मेरा सुझाव है कि यह आबंटन की तारीख से हो चूंकि शेयर मूल्य निवेश की तारीख से आबंटन तक ऊपर नीचे आते जाते हैं तथा कर्मचारी निवेश की तारीख से शेयर प्राप्त नहीं करते हैं।

शहरी संघट्टी करण के बाहर नए अस्पतालों को कर छूट देने से देश में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार लाने में मदद मिलेगी। "विश्व विरासत स्थलों" वाले जिलों में स्वचालित किए जाने वाले नए होटलों को कर छूट देने में निश्चित रूप से आगामी दस से पंद्रह वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी के कर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि मंत्री महोदय को सभा में वित्त विधेयक पारित किए जाने को मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फीति से निपटने हेतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कर ढांचे को सुचारू बनाने के एक अन्य मौके के रूप में देखना चाहिए। नए प्रस्तावों से आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, स्टील और सीमेन्ट की कीमतों में कमी आनी चाहिए।

मैं माननीय वित्तमंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव रखना चाहती हूं।

मैं माननीय वित्तमंत्री जी का जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों पर ध्यान केन्द्रित करके इसकी कुल संख्या 54 तक ले जाने हेतु भी धन्यवाद करती हूं। अब महिलाओं से जुड़ी शत प्रतिशत योजनाओं के लिए 11,146 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और 16,202 करोड़ रुपए उन योजनाओं के लिए हैं जहां कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि इस धनराशि के प्रावधान से महिलाओं की दशा में सुधार आएगा।

30 लाख स्वस्वायता समूहों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण से जुड़ी जनश्री बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना महिलाओं को जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करके निश्चित तौर पर उनके लिए एक नई दिशा का शुभारम्भ करेगी। मैं महिलाओं के सहायता समूहों की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित समस्त उत्पादों को वर्तमान की सात वर्षीय अवधि से बढ़ाकर कम से कम 20 वर्षों की अवधि के लिए कर दायरे से बाहर रखें। इससे दीर्घकालिक रूप विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

जहां तक कृषि ऋण का संबंध है, मैं माननीय वित्त मंत्री को सुझाव देना चाहती हूं कि वे और अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करें। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2008–09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे विश्वास है कि वे इसे हासिल कर लेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो वे हमेशा की तरह इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त बजट के लिए सभा के समक्ष आ सकते हैं। अल्पकालिक फसल ऋणों के संबंध में, यदि संभव हो, तो सात प्रतिशत ब्याज दर को कम करके चार प्रतिशत किया जाना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री अगले वर्ष से चाय, मिर्च, अदरक आदि वाणिज्यिक फसलों के लिए एक फसल बीमा योजना शुरू करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों में बेमौसम की वर्षा के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि क्या माननीय वित्त मंत्री के लिए इस योजना को चालू वर्ष में शुरू करना संभव हो पाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, सरकार लक्ष्य समूहों को स्मार्ट कार्डों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करना चाहती है। यह एक अच्छा कदम है। वे हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रायोगिकतौर पर इसकी शुरूआत करेंगी। इसकी सफलता के पश्चात सरकार देश भर में इसे लागू करने के बारे में सोच सकती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस क्षेत्र में कर छूट प्रस्तावों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं।

मैं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष उपलब्ध कराने के लिए माननीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करती हूं। कृपया शहरी क्षेत्रों में धनराशि आबंटित करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही धनराशि आबंटित की जा चुकी है। इसलिए कृपया शहरी क्षेत्रों को और उन छोटे तथा मझौले कस्बों को धनराशि आबंटित की जाए, जहां अधिकाधिक विकासात्मक कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं।

जहां तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संबंध है, माननीय वित्त मंत्री ने 300 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 750 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है। इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहती हूं कि हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 30 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं, जबकि चीन में ऐसे संस्थान 300 ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। संबंधित मंत्रालय को इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता हैं, और यदि आवश्यक हो, तो वे उस देश के द्वारा चलाए जा रहे अनेक ट्रेडों के अध्ययन के लिए कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त करें। तब हम उस देश से सहायता लेने के बारे में सोच सकते हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं मुद्रास्फीति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। मुद्रदास्फीति सरकार को लगातार कठिनाई के कारण माननीय वित्त मंत्री ने इस्पात और सीमेंट कार्टलों के खिलाफ एक जांच शुरू की है। हमें शीघ्र ही कीमतों में अस्थाई गिरावट देखने को मिल सकती है, चूंकि उद्योग और सरकार मुद्रास्फीति के आंकड़े को कम करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम खाद्य पदार्थों की कीमतों से घबराकर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और यह घबराहट न्यायसंगत भी है, चूंकि 50 प्रतिशत जनसंख्या के पास उपलब्ध आय का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा भोजन पर ही खर्च हो जाता है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यदि मई और जून में कीमतों में गिरावट आती है, तो इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। खाद्य पदार्थों की कीमतें सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। किंतु खाद्य उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों को देखते हुए एक अच्छा संदेश है। कुल उत्पादन 227.32 मिलियन टन की रिकार्ड वृद्धि दर्ज करेगा, जो कि गत वर्ष के अंतिम अनुमान की तुलना में 10 मिलियन टन अधिक है। दो प्रमुख उत्पादों, चावल और गेहूं का घरेलू उत्पादन संभावित तौर पर नए रिकार्ड कायम करेगा। गेहूं का 76.78 मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है जबकि चावल का 95.68 मीट्रिक टन उत्पादन होने का अनुमान है। मक्का, दालें, तोर, और उड़द की अनेक अन्य फसलों के भी नई ऊंचाइयों को छूने का अनुमान है। मैं अत्यधिक उत्पादन, अनुकूल मौसम संबंधों परिस्थितियों, अच्छे मानसून और गुणवत्तापूर्ण बीजों के वितरण के लिए सरकार का धन्यवाद करती हूं। मुझे विश्वास है कि इन परिणामों से निश्चित तौर पर मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी और आम तथा माध्यम वर्गों को राहत मिलेगी। सरकार को जमाखोरों से सख्ती से निपटना चाहिए, जो कि मुद्रास्फीति संबंधी दबावों को प्रभावित करने के, लिए बनावटी कमी पैदा कर रहे हैं।

मैं सरकार को रिकार्ड उत्पादन हासिल करने के लिए बधाई देती हूं। मुझे विश्वास है कि जीडीपी वृद्धि दर नौ प्रतिशत के करीब रहेगी। मैं सरकार को सर्वांगीण विकास के लिए पुनः बधाई देती हूं।

मैं एक बार पुनः धन्यवाद करती हूं। मैं इस वित्त विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : मैडम, आज सन् 2008–09 के फाइनेंशियल बिल पर डिसकशन हो रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कर्ज माफी के बारे में सुझाव दिए, मैं भी इसमें दो–चार सुझाव ही दूंगा, ज्यादा लम्बा–चौड़ा भाषण नहीं करूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : राठौड़ जी, आप जल्दी से दो–चार सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : शरद पवार जी कर्ज माफी के लिए महाराष्ट्र गये थे तो उन्होंने कहा था कि अभी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मैंने कल संसद में जब इस मामले को उठाया तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो भी क्राइटेरिया है, उस पर हम विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदया, उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। माननीय सोनिया गांधी जी, जब महाराष्ट्र आई थीं, उन्होंने भी यह मांग की थी। इसलिए किसानों में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक दो महीने हो गए हैं, लेकिन इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन्स नहीं आए हैं। अब एक महीने के बाद किसान अपनी खेती में प्रयोग हेतु खाद, बीज एवं अन्य समग्री लेने के लिए लोन की मांग करेंगे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

महोदया, हम हमेशा मांग करते हैं कि खेती के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाए, लेकिन नहीं कराया जाता है। नबार्ड द्वारा यदि 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके बाद भी हमारे महाराष्ट्र में यह ब्याज दर 13–14 परसेंट तक चली जाती है। वहां स्टेट अपनी तरफ से 3 परसेंट खर्च जोड़ देती है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक भी 3 परसेंट लगा देती है इसके बाद जो सोसायटीज हैं वे अपना 2-3 परसेंट खर्च जोड़ देती हैं और इस प्रकार यह बढ़ते–बढ़ते 13-14 परसेंट तक पहुंच जाता है। मेरा कहना है कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना चाहिए कि किसानों को कम से कम ब्याज दर पर लोन मिले। ठीक है, यह व्यवस्था है, लेकिन इसमें 3–3 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट, कोआपरेटिव बैंक तथा सोसायटियां बैठे–बैठे ले रही हैं। यह ठीक नहीं है। इस तरह ये किसानों का खून चूस रही हैं। यह बन्द होना चाहिए।

महोदया, दूसरी बात मैं मिनीमम सपोर्ट प्राइस के बारे में कहना चाहता हूं कि धान की जो कीमत है वह 650 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं की 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। पहले इन दोनों की प्राइस बहुत क्लोज रहती थीं। जैसे धान की कीमत 650 रुपए प्रति क्विंटल है, तो गेहूं की कीमत 700 रुपए प्रति क्विंटल होती थी, लेकिन अब इनमें बहुत डिफरेंस हो गया है।

महोदया, हमारे यहां कपास की खेती बहुत होती है। कपास पैदा करने वाला किसान, फिर चाहे वह आंध्र प्रदेश में है, चाहे कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में, वे ही लोग ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। हम हमेशा मांग करते हैं कि आयात पर जो कस्टम ड्यूटी है, उसे ज्यादा बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं बढ़ाती, पता नहीं? अगर यह हो गया और आपने किसानों के ऊपर ध्यान दिया, तो सबसे बड़ी बात होगी कि किसानों को अपनी पैदावार के उचित दाम मिलेंगे, उन्हें उचित ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। ये सारी बातें तब हो सकती हैं, जब सरकार उनकी तरफ विशेष ध्यान दे।

महोदया, महंगाई के बारे में मेरा एक सुझाव है। पहले हम हमेशा कहते रहे हैं कि 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' लेकिन अब तो "कांग्रेस का हाथ, महंगाई के साथ" हो गया है। हम सिर्फ आपको एक सुझाव देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एक प्याज ने हमारा जीवन बर्बाद कर दिया और अब तो गेहूं से लेकर स्टील तक सभी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : यहां फायनेंस बिल पर डिसकशन हो रहा है, प्राइस राइज पर नहीं।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : प्राईस और फायनेंस में कोई फर्क नहीं है। आपकी ये नीतियां ही हैं जिनकी वजह से देश का यह हाल हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ : आप जो पॉलिसीज तय करते हैं, उनकी वजह से प्राइस बढ़ रही हैं। इसका रिजल्ट आपको आगे मिल जाएगा। मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि हमारी प्याज ने जान ले ली थी। आपके टाइम में तो सारी की सारी चीजों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : हरिभाई राठौड़ जी, प्याज किसी की जान नहीं लेती है।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिभाऊ राठौड़ : ठीक है। मैडम, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। हम हमेशा शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओ.

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बीसी. और मायनॉरिटी की बात करते हैं। मैं चार साल से लगातार डिनोटीफाइड नोमैडिक ट्राइब्स की बात कर रहा हूं। यह एक ऐसा सैक्शन है, जिसके देश में 15 करोड़ लोग हैं। इनके लिए माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने अलग बजट रखा था। यह बजट 1957 से गुम हो गया है। मैं इसके बारे में बार-बार कह रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आपके ऐप्रेजल में आया है और आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि इस सैक्शन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

सभापति महोदया : अब, आप लास्ट पाइंट बोलिए और अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़ : लास्ट पाइंट यह है कि आप गरीबों को बहुत सपने दिखाते हैं और केवल सपने ही दिखाते हैं। मैं आपको पिछले बजट की स्पीच अपने साथ लाया हूं। इसमें लिखा हुआ है कि आप विकलांगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी तक नहीं हुआ है और इस बजट में तो वित्त मंत्री जी ने विकलांगों का नाम ही नहीं लिया है। यह सपना दिखाना आप बन्द कर दीजिए। गरीबों को केवल सपना दिखाने से काम नहीं चलेगा, देश में बहुत गरीबी है। करोड़ों लोगो को आज भी बी.पी.एल. के कार्ड नहीं मिल रहे हैं।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया।

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा) : सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी का जो बिल है, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उन्होंने फार्मर्स के लिए, लेडीज के लिए, सीनियर सीटीजंस के लिए बहुत से अच्छे-अच्छे कदम उठाये हैं। आज सुबह मैं ट्रेन से आ रहा था तो ट्रेन नई दिल्ली के आगे अगले स्टेशन पर खड़ी थी। वहां छोटे-छोटे 2-4 बच्चे जो डिब्बे में से लोग झूठन फेंक रहे थे, उसे उठाकर खा रहे थे। उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या इस बजट से वह बन्द हो जायेगा? मैं एक दफा बड़ौदा गया था तो सुबह के टाइम होटल से जो झूठा फैंका गया, उसमें से लोग खाना खा रहे थे, जब तक देश में यह स्थिति नहीं पलटेगी, तब तक इस बजट की कोई कीमत नहीं है। हमें तो यह करना है कि आजादी आने के बाद एक भी आदमी झूठा खाने की परिस्थिति में न आये, ऐसी परिस्थिति आप निर्माण करो।

हमें किसानों को क्यों 60 हजार करोड़ रुपया देना पड़ा, हमें क्यों ऐसा करना पड़ता है? आजकल किसान को रेट बहुत अच्छा मिलता है, उससे किसान बहुत खुश हैं, लेकिन उससे कई उससे कई लोग नाराज हैं कि गेहूं का हजार रुपये भाव हो गया। आप किसान को पानी मुफ्त दो, आप किसान को खाद मुफ्त दो, आप किसान को दवाई मुफ्त दो तो हमें फिर आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। आप सब सुविधा दो तो हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, इस तरह से हमें ऋण भी नहीं लेना पड़ता। देश में ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है, ऐसा हमें होना चाहिए।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न करके हम समाजवाद लाएंगे, लेकिन आज एक होटल वाले की, उद्योगपति की आप मदद कर रहे हैं। ये होटल वाले, जो बड़े हैं, तगड़े हैं, उनको आप और तगड़ा कर रहे हैं। हमें क्या करना है? जब तक गरीब लोगों के बारे में हम नहीं सोचेंगे, आज किसानों की, आज गांवों में हरिजनों की क्या स्थिति है, गांवों में गरीब लोगों की क्या स्थिति है, जब तक उनकी स्थिति सुधरेगी नहीं, तब तक हमारी आजादी बेकार है, इस आजादी का कोई अर्थ नहीं है। सारे लोग अच्छी तरह से जी सकें, आज ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारा कानून या परिस्थिति ऐसी है कि कलैक्टर का लड़का कलैक्टर बनेगा, चपरासी का लड़का चपरासी बनेगा, क्या करेगा। एक आदमी बीमार है तो वह कहां जायेगा। डाक्टर बोलेगा, दो लाख रुपये ऑपरेशन का लगेगा तो उसको मरना होगा, वह पैसा कहां से लाएगा। जिसके पास पैसा है, वह जिएगा। देश की सरकार का फर्ज है कि एक आदमी को भी कोई तकलीफ नहीं हो, हर चीज की सुविधा हो, ऐसा बजट होना चाहिए, जिससे हमारे देश में हर आदमी को सुख-सुविधा मिले और कोई खराब परिस्थिति पैदा न हो। राष्ट्रपति का बच्चा जैसे पढ़ता है उसी तरह की पढ़ाई हर गरीब आदमी के बच्चे को पढ़नी चाहिए। धीरूभाई अम्बानी और राष्ट्रपति जी के लड़के को जैसी आरोग्य की सुविधा मिलती है, ऐसी ही गरीब से आदमी को मिलनी चाहिए। जब तक हर चीज में ऐसा नहीं होगा, तब तक हमारे लिए आजादी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई कैसी है, पढ़ाई से हम कैसे लोग पैदा करते हैं जो कबूतरबाजी करने वाले निकलते हैं, हमारी पढ़ाई कैसी है, हम देश में क्या करेंगे, ऐसी बात देश में नहीं चलेगी।

सभापति महोदया : आप फाइनेंस बिल पर बात करिये।

श्री हरिसिंह चावड़ा : महोदया, फाइनेंस बिल की नींव यह है। जब तक हम यह नहीं सोचेंगे, हम यह तय नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। आज व्यसन क्यों नहीं हो, उसके लिए हम प्रतिबन्ध डालते हैं, जो गुटखा वगैरह फैक्टरी में बनता है, उसकी फैक्टरी बन्द कर दो, शराब की फैक्टरी बन्द कर दो तो सब अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा हमारा प्रावधान होना चाहिए, ऐसा हमारा शासन होना चाहिए, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी सुखी हो।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : सांय के 6.30 बज चुके हैं। एक और वक्ता भी हैं। क्या हम समय सीमा पांच मिनट बढ़ा सकते हैं? इसलिए वे अब हमारे अंतिम वक्ता हैं—श्री तूफानी सरोज

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और किसानों के लिए कर्जमाफी की घोषणा करके यूपीए ने पूरे देश में ढिंढोरा पीटने का काम किया, लेकिन कर्जमाफी का फायदा कितने किसानों को मिलेगा और कितने किसान इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, यह भविष्य में पता चलेगा। बजट में किसानों की जो मूल समस्या है, आज नहीं कई बार उस पर इस सदन में चर्चा हुयी है। किसान बार-बार आत्महत्या कर रहा है। वह ऐसा क्यों कर रहा है—इसलिए कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उसे प्रति क्विंटल गेहूं पैदा करने के लिए सात सौ रूपए खर्च करने पड़ रहे है। उसे पचास प्रतिशत का भी फायदा नहीं मिल रहा है। पचास प्रतिशत प्राफिट लेने के लिए, कम से कम किसानों को गेहूं और धान दोनों के लिए, सरकार को चौदह सौ से पन्द्रह सौ रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। आज किसान खेती करने से कतरा रहा है। वह इससे परहेज कर रहा है।

महोदया, जिस किसान के पास बीस एकड़ जमीन है, आज गांव में जाइए, उनके बच्चों से कोई शादी नहीं कर रहा है। छोटा-मोटा कारोबार करने वाले के यहां लोग शादी करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास बीस एकड़ जमीन है, उस किसान के बेटे की शादी नहीं हो रही है। सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारे किसान को उपज का समर्थन मूल्य क्या मिलना चाहिए, जिससे लोग खेती की तरफ अग्रसर हों। देश का विकास खेत-खलिहान से होकर गुजरता है, हमें इस बात को सोचना चाहिए। जब खेत-खलिहान में काम करने वाला किसान मजबूत होगा, तभी देश मजबूत होगा।

किसी तरह अपनी कमाई से जोड़-तोड़कर किसान अपने रहने के लिए छत की व्यवस्था करता था। चार महीने पहले सत्ताईस सौ रूपए प्रति क्विंटल लोहे का भाव था, आज वह चार हजार आठ सौ से पांच हजार रूपए हो गया है। इसमें गिरावट का कोई नामोनिशान नहीं है। किसान आज अपने लिए घर भी नहीं बना पा रहा है। यह समस्या किसान के सामने है।

सभापति महोदया : फाइनेंस मिनिस्टर क्या करें, उसे आप प्वाइंट्स में बता दीजिए।

श्री तूफानी सरोज : वित्तमंत्री यह करें कि लोहे के दाम कम करें। चार महीने पहले जो सत्ताईस सौ रूपए था, उसके बढ़े हुए दाम को कम करें। किसानों की उपज के लिए कम से कम दो हजार रूपए गेहूं और धान का उचित मूल्य दें, जिससे किसान खेती करने के प्रति इंट्रेस्टेड हो, वह इससे परहेज न करें और खेती करे। जब किसान खेती करेगा, तभी देश की समस्या का हल होगा, नहीं तो समस्या बढ़ती जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब वित्त विधेयक पर चर्चा पूरी हो चुकी है और वित्त मंत्री कल उत्तर देंगे। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.33 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार, 29 अप्रैल, 2008/9 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री राम दास आठवले	481
	डा. रामलखन सिंह	
2.	श्री किन्जरपु येरननायडु	482
3.	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	483
	श्री जी. एम. सिद्दीश्वर	
4.	श्री नन्द कुमार साय	484
	श्री सुग्रीव सिंह	
5.	श्री शिशुपाल एन. पटले	489
	श्री देविदास पिंगले	
6.	एडवोकेट सुरेश कुरूप	486
7.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	487
	डा. चिन्ता मोहन	
8.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	488
9.	डा. सत्यनारायण जटिया	489
10.	श्री जे. एम. आरून रशीद	490
11.	श्री चन्द्रभूषण सिंह	491
	श्री के. जे.एस. पी. रेड्डी	
12.	श्री महावीर भगोरा	492
	श्री अजय चक्रवर्ती	
13.	श्री चन्द्रभान सिंह	493
14.	श्री अबु अयीश मंडल	494
15.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	495
16.	श्री नरहरि महतो	496
	श्री हितेन बर्मन	
17.	श्री एन. एस. वी. चित्तन	497
18.	श्री दुष्यंत सिंह	498
19.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	499
	श्री काशीराम राणा	
20.	श्री हरिकेवल प्रसाद	500

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे. एम.	4854, 4905
2.	आदित्यनाथ, योगी	4830
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4820, 4848, 4895, 4897
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	4805, 4816, 4872, 4911
5.	अहीर, श्री हंसराज गं,	4798, 4899
6.	अजय कुमार, श्री एस.	4841
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	4812
8.	आठवले, श्री रामदास	4865, 4907, 4931, 4945
9.	आजमी, श्री इलियास	4810
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4779, 4861, 4881, 4921, 4936
11.	बर्मन, श्री हितेन	4882
12.	बर्मन, श्री रनेन	4831, 4877, 4878
13.	भगोरा, श्री महावीर	4863, 4906, 4941
14.	भक्त, श्री मनोरंजन	4839, 4893
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4882
16.	बोस, श्री सुब्रत	4823, 4878, 4882
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	4845, 4894
18.	बुधैलिया, श्री राजनरायन	4791, 4890
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	4878, 4913, 4934
20.	चौरे, श्री बापू हरी	4834
21.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	4847, 4882
22.	धनराजू, डा. के.	4838

1	2	3
23.	दूबे, श्री रमेश	4799
24.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	4800, 4850, 4851, 4869, 4908
25.	गांधी, श्रीमती मेनका	4809
26.	गंगवार, श्री संतोष	4898
27.	जार्ज, श्री के. फ्रांसिस	4814
28.	हसन, चौ. मुनव्वर	4808, 4885
29.	जगन्नाथ, डा. एम.	4813
30.	जटिया, डा. सत्यनारायण	4882
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	4819
32.	जिन्दल, श्री नवीन	4785
33.	जोगी, श्री अजीत	4822, 4880
34.	खैरे, श्री चंद्रकांत	4828, 4889, 4918, 4935
35.	खारवेनथन, श्री एस. के.	4848, 4901, 4928
36.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4781, 4859, 4902, 4929, 4943
37.	कृपालानी, श्री श्री चन्द	4829
38.	कृष्ण, श्री विजय	4832, 4890
39.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	4900
40.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4807, 4881, 4907
41.	महरिया, श्री सुभाष	4801, 4842, 4867, 4920
42.	महतो, श्री नरहरि	4877, 4882
43.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4843
44.	महताब, श्री भर्तृहरि	4907
45.	महतो, श्री टेक लाल	4821
46.	मनोज, डा. के. एस.	4817, 4896, 4922, 4937

1	2	3
47.	मसूद, श्री रशीद	4798
48.	मिडियम, डा. बाबू राव	4788, 4873
49.	मेघवाल, श्री कैलाश	4783, 4884, 4916
50.	मोल्लाह, श्री हन्नान	4814
51.	मंडल, श्री अबु अयीश	4874
52.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4803, 4887
53.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	4826
54.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4829
55.	निहाल चन्द्र, श्री	4842
56.	ओराम, श्री जुएल	4815
57.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4875, 4912, 4933, 4947
58.	पल्लानी शामी, श्री के. सी.	4787
59.	पाण्डा, श्री प्रबोध	4827, 4888, 4913
60.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	4796
61.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	4852
62.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	4855, 4923, 4927
63.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	4780, 4853, 4930, 4948, 4954
64.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4846
65.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	4835
66.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4784
67.	पटेल, श्री शिशुपाल एन.	4878, 4882
68.	पिंगले, श्री देविदास	4878, 4882
69.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	4811, 4870
70.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4816, 4857, 4927
71.	राजगोपाल, श्री एल.	4818, 4876, 4881

1	2	3
72.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4794, 4852, 4874
73.	राजेन्द्रन, श्री पी.	4806
74.	राणा, श्री काशीराम	4852
75.	राव, श्री के. एस.	4790, 4860
76.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4869, 4917
77.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4825, 4886, 4917, 4940, 4950
78.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	4873
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4782
80.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	4870, 4878
81.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4856, 4872, 4904
82.	साय, श्री नन्द कुमार	4871, 4910, 4932, 4946
83.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4824, 4846, 4883, 4915
84.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	4833
85.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	4820, 4848, 4895, 4897
86.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4864, 4924, 4939, 4949
87.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	4900, 4911
88.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4873
89.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	4836, 4891, 4926, 4942, 4951
90.	सिंह, श्री राकेश	4806
91.	सिंह, श्री रेवती रमन	4786, 4858
92.	सिंह, श्री सुग्रीव	4853, 4871, 4910, 4953
93.	सिंह, श्री सूरज	4804, 4873
94.	सिंह, श्री उदय	4819, 4879, 4914
95.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4792, 4950
96.	सुगावनम, श्री ई.जी.	4793, 4862, 4903, 4944, 4952
97.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	4795
98.	सुमन, श्री रामजीलाल	4804, 4873
99.	स्वाईं, श्री खारबेल	4849
100.	थामस, श्री पी.सी.	4797, 4919, 4866
101.	ठुम्मर, श्री वी. के.	4805, 4904, 4938
102.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4844, 4898, 4925
103.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4870, 4909
104.	वसावा, श्री मनुसुखभाई डी.	4852, 4855, 4900, 4923, 4938
105.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	4802
106.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4820, 4848, 4895, 4897
107.	विजयशंकर, श्री सी. एच.	4840
108.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4850, 4851
109.	यादव, श्री गिरिधारी	4789
110	यादव, श्री मित्रसेन	4837, 4892
111.	यास्खी, श्री मधु गौड	4850, 4851, 4869, 4908
112.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4809, 4868

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	481, 483, 486, 491, 493
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	482, 488
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	489, 490, 494, 496, 500
रक्षा	485
श्रम और रोजगार	492, 495
वस्त्र	499
जल संसाधन :	484, 487, 497, 498

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	4782, 4787, 4788, 4789, 4790, 4792, 4794, 4799, 4802, 4820, 4825, 4832, 4834, 4835, 4839, 4840, 4842, 4846, 4855, 4866, 4867, 4873, 4876, 4884, 4890, 4896, 4897, 4900, 4901, 4909, 4911, 4913, 4922, 4924, 4930, 4934, 4936, 4937, 4941, 4947, 4954
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	4784, 4785, 4786, 4796, 4797, 4800, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4811, 4813, 4818, 4821, 4822, 4824, 4826, 4828, 4837, 4838, 4849, 4850, 4854, 4858, 4859, 4860, 4862, 4865, 4868, 4869, 4874, 4879, 4880, 4881, 4883, 4885, 4886, 4889, 4892, 4893, 4902, 4904, 4905, 4908, 4915, 4918, 4919, 4920, 4921, 4925, 4929, 4931, 4945, 4948
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	4780, 4781, 4783, 4810, 4812, 4814, 4829, 4831, 4844, 4848, 4851, 4852, 4856, 4857, 4863, 4870, 4877, 4878, 4882, 4906, 4910, 4916, 4923, 4926, 4932, 4938, 4946, 4951
रक्षा	4791, 4798, 4809, 4816, 4819, 4830, 4841, 4843, 4845, 4891, 4894, 4914, 4926, 4942, 4953
श्रम और रोजगार	4779, 4801, 4808, 4815, 4817, 4823, 4827, 4836, 4847, 4861, 4864, 4875, 4887, 4895, 4907, 4912, 4927, 4935, 4950
वस्त्र	4793, 4871, 4872, 4888, 4898, 4903, 4933, 4939, 4940, 4943, 4944, 4949, 4952
जल संसाधन	4795, 4833, 4853, 4899, 4917

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस. – 48/34/25/2008 (एन.)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रव
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।